(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4]   नवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का अट्ठाइसवां दिवस   [संख्या : 13

वृहस्पतिवार,

दिनांक 21 मार्च, 1991

विधान सभा की बैठक मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था

सदन में नहीं बोली गयी अभिव्यक्ति का समाचार पत्रों में प्रकाशन

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को एक बात सूचित करनी है। एक पत्र में यह छपा है कि मैंने कल किसी मंत्री के लिए कहा है कि वे जमूरे हैं और एक मैंने उनको यह कहा कि ब्राह्मीवटी पीकर आओ। यह शब्द न मैंने कहे और न किसी रिकार्ड में इस प्रकार के शब्द आये हैं। जो कुछ भी छपा है, इसके बारे में मैंने पत्र वालों को कह दिया है, वे खण्डन छापेंगे लेकिन इस तरह की बातें हाउस में होती रहें और उनको छापना उचित नहीं है।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 389। श्री विनोद कुमार।

राजकीय स्वामित्व के उपक्रम

389. श्री विनोद कुमार (हनुमानगढ़) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार के स्वामित्व के कौन-कौन से उपक्रम किन-किन तारीखों से बन्द पड़े हैं ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) किस उपक्रम में चालू हालत में कितने-कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं ?

(3) राज्य सरकार ने जब इन उपक्रमों को स्वयं चलाया तो प्रारम्भ से किस-किस वर्ष में कितना-कितना घाटा राज्य सरकार को रहा ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार इन बीमार उपक्रमों को दुबारा चालू करने के लिए कोई प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो कौन-कौनसे ऐसे उपक्रम कब-कब से चालू होने की सम्भावना है ?

राजकीय उपक्रम मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (1) राज्य सरकार के स्वामित्व

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

वाले जो उपक्रम बंद पड़े हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	माह जब से बंद पड़े हैं
(क)	राजकीय ऊनी मिल, बीकानेर	जून, 1976
(ख)	सोडियम सल्फेट संयंत्र, डीडवाना	मई, 1979
(ग)	राजस्थान स्टेट टेनरीज, लि. टोंक	अप्रेल, 1988
	सोडियम सल्फाइड फैक्टरी, डीडवाना	मई, 1990

(2) उपरोक्त उपक्रमों के चालू हालात में जो श्रमिक कार्य कर रहे थे, उनका विवरण निम्नानुसार हैं:—

(क)	राजकीय ऊनी मिल, बीकानेर	251
(ख)	सोडियम सल्फेट संयंत्र, डीडवाना	95
(ग)	राजस्थान स्टेट टेनरीज लि , टौंक	105
(घ)	सोडियम सल्फाइट फैक्टरी, डीडवाना	43

(3) राज्य सरकार के द्वारा इन उपक्रमों को स्वयं चलाने पर प्रारम्भ से लेकर अन्यत्र कार्यवाही तक जो घाटा राज्य सरकार को रहा, उसका विवरण एवं कारण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(4) राज्य सरकार द्वारा इन बीमार उपक्रमों को हस्तान्तरित/लीज/विक्रय द्वारा पुनः चालू करने का प्रयास किया जा रहा रहा हैं एवं उपरोक्त इकाइयों का प्रगति विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री विनोद कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा संचालित उपक्रम मुख्य रूप से वे हैं जो राजस्थान के कच्चे माल पर आधारित हैं। इनको राजस्थान में सबसे अधिक प्रशासन की आवश्यकता भी है लेकिन विडम्बना है कि हमारे कुशल प्रशासक नहीं होने की वजह से जितने भी उपक्रम हमने चालू किये, वे लगातार सालों से घाटा देते रहे और आखिर में उन्हें बन्द करना पड़ा। इसी तरह से यह ऊन का है, टेरीन का है और डीडवाना में सोडियम सल्फेट का प्लांट है, उसको चलाने के लिए लीज पर भी दिया गया। एक तरफ तो हमें 15-20 लाख रुपया सालाना घाटा लग रहा था और लीज पर इसको 40 लाख रुपये सालाना पर दिया। जिस पार्टी ने यह लिया, उसे बगैर इत्तला दिये उसकी लीज कैंसिल कर दी गई और उसका झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने चोरी का केस दर्ज कराया, क्या वह सही था ? अगर नहीं था तो उन्हें हैरान करने के लिए यह कार्यवाही की गई जबकि उनकी देनदारियां यूको बैंक की हैं या राज्य सरकार की हैं, उनका यहां जो माल पड़ा है, वह देनदारियों

(श्री विनोद कुमार)

से ज्यादा है तो मैं राज्य सरकार से यह कहना चाहता हूं कि उस माल को बेचने की इजाजत दी जावे जिससे वह मिल चल सके, प्लांट चल सके और जो देनदारियां हैं उसको देने से राज्य सरकार को भी फायदा हो और हमारे जो बेरोजगार हैं, उनको भी रोजगार मिल सके। यही मैं कहना चाहूंगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो मुद्दे उठाये हैं। एक तो यह कि ये उपक्रम बहुत समय से घाटे में चल रहे हैं। घाटे का कारण केवल यही नहीं है कि जो अधिकारी थे उनके कारण से घाटा हुआ बल्कि विभिन्न कारण रहे हैं जैसे रॉ मैटीरियल का न मिलना, बाजार में गिरावट आ जाना, कम्पीटिशन में खड़ा न होना, बिजली नहीं मिलनी, कोयला महंगा पड़ना। भिन्न-भिन्न कारण रहे हैं हरेक इण्डस्ट्रीज में अलग-अलग सिक होने के कारण। आप देख रहे हैं कि जैसा मैंने बताया अपने उत्तर में कि वह यूनिट आज से सिक नहीं है, यह यूनिट सिक चल रही है 76 से, जो बंद पड़ी है और जहां तक सवाल इसका है, यह बहुत पुराने समय से चल रही है, समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्णय लिये गये हैं, वे भी मैंने आपको अपने परिशिष्ट में दिये हैं। आपने जो प्रश्न उठाया कि मामला चोरी का दर्ज कराया, क्यों नहीं आप माल बेचने को कह देते। मैं समझता हूं कि आपका इशारा सोडियम सल्फेट प्लांट डीडवाना की ओर है। पिछली बार भी यह प्रश्न आया था और प्रश्न आने के बाद मैंने उस समय जानकारी दी थी कि इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है। यह लीज पर देने का फैसला इसलिये किया गया कि सोडियम सल्फेट प्लांट लगातार लोस में चला जा रहा है। यह लीज पर देने का फैसला हुआ 20-1-81 को और लीज पर दिया गया मैसर्स डीडवाना केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को। लीज की राशि थी 33 लाख 91 हजार वार्षिक। माहवारी पुस्तकों के अन्दर यह लीज की राशि तय हुई थी। यह लीज राशि चढ़ती चली गई। वह नहीं चुकाया, उसके बाद उसको डिस्पोज किया। आर्बीट्रेशन में ले गये, उसके बीच में सोडियम सल्फेट निकालना शुरू कर दिया, उस समय जरूर गलती हुई है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और पिछली बार भी मैंने अध्यक्ष महोदय, स्वीकार किया था कि क्रूड सल्फेट निकालने का, बंद करने का एग्रीमेंट में कहीं नहीं था जबकि उस समय के लोगों ने उसे बंद किया जबकि बंद नहीं करना था, लेकिन उसके बाद जैसे ही आर्बीट्रेशन का फैसला हुआ। हमने कह दिया ठीक है आप क्रूड सल्फेट निकाल लें। उसके बाद फिर रिवाइज एग्रीमेंट हुआ, उस रिवाइज एग्रीमेंट के अनुसार जिस प्रकार लीज अमाउण्ट समय-समय पर उनको देना चाहिये था, वह नहीं दिया और जब-जब भी कदम उठाये और कोई बात कह दी वे आर्बीट्रेशन में चले गये। आर्बीट्रेशन ने जो रकम तय की अध्यक्ष महोदय, उस आर्बीट्रेशन की रकम को भी नहीं देना चाहते थे, उसके लिए हाई कोर्ट में चले गये। हर स्टेज पर या तो किसी भी जगह को उन्होंने नहीं छोड़ा कि वे हाई कोर्ट में नहीं गये और आज जो उनके खिलाफ एरियर्स बाकी है।

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

अगर आप उनको देखेंगे, आप स्वयं कह देंगे एरियर्स अपटू 10-2-87 76 लाख 12 हजार और उस पर इण्ट्रेस्ट है 49 लाख 50 हजार। लीज 11-2-87 से 20-9-88 तक जो टर्मीनेशन के बाद वह नमक बनाते रहे, वह है 53 लाख 69 हजार और इण्ट्रेस्ट है 29 लाख 20 हजार।

21-9-88 से 30-1-91 तक 81 लाख 94 हजार, लेबर लाइबिलिटी 15 लाख, आर. एस. ई. बी. का 15 लाख 95 हजार, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का 47 लाख 45 हजार, रीको का 35 लाख, इस प्रकार 3 करोड़ 29 लाख प्रिंसिपल अमाउण्ट हैं और 1 करोड़ 48 लाख 70 हजार इण्ट्रेस्ट हैं और इस प्रकार यह कुल रकम 4 करोड़ 77 लाख 71 हजार हुई। अब उन्होंने यह नहीं दी। हर केस के अन्दर हर जगह पर हाई कोर्ट में हर स्टेज पर जाकर हमने यह तय किया कि आखिर में डिस्पोज आफ करना पड़ा कि कहीं न कहीं जाकर के इसको डिस्पोज ऑफ किया जाय। वहां पर नमक बनाने का स्रोत है, वह बेकार पड़ा है, प्लांट बंद पड़ा है, सरकार को नुकसान हो रहा है। आखिरी स्टेज पर यह तय किया गया कि इस इकाई को डिस्पोज आफ किया जाना चाहिये। डिस्पोज आफ किये जाने के लिये उसके टेण्डर इन्वाइट किये गये। टेंण्डर में जिस व्यक्ति का मैक्सीमम कोटेशन आया, उसके देने की जब बात हुई, उस समय हाई कोर्ट में चले गये, हाई कोर्ट में आज स्टे बना हुआ है। तो सारी स्थिति इस प्रकार की है कि राज्य सरकार ने, मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार को यह दोष देना चाहूंगा। मजबूर होकर यह कदम उठाने पड़े और इसके अन्दर और कोई रास्ता नहीं था और जहां तक मजदूरों का सवाल है, अभी तक पुराने मजदूरों पर इसके कारण से एडवर्सली अफेक्ट नहीं हो रहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो डीडवाना के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया लेकिन और भी कई यूनिटें बंद पड़ी हुई हैं। एक लम्बे समय से बंद पड़ी हुई हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसी प्रकार की अन्य यूनिटें, जो राजस्थान में है, वे लाभ कमा रही हैं। इससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक दृष्टि से, कहीं प्रशासनिक मैनेजमेंट की कमी के कारण ये यूनिटें अधिकतर बंद पड़ी हुई है। मेरे पास भी यह महकमा रहा है। मैं सरकार से यह चाहूंगा कि मजदूरों के हित में, राज्य सरकार का जो पैसा इसमें फंसा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप बाकी की यूनिट्स को आउट राइट सैल क्यों नहीं कर देते। जब लीज में झगड़े पड़े हुए हैं, आप देंगे, फिर आयेगा, आप टेण्डर्स इन्वाइट कर लीजिये। एक तरह से गले की घंटी हट जाय, आपका लाखों रुपया लग रहा है, आपकी जो राशि ब्लाक पड़ी हुई है, नेचुरल वेस्ट हो रहा है तो क्या सरकार का यह इरादा है कि इसको आउट राइट सैल करने का, यह बताने की कृपा करे। माननीय मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनलाल सैनी।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग बंद हुए, उसके कई कारण होंगे लेकिन मेरा मानना है कि इसमें अधिकारियों की अकुशलता भी एक प्रमुख कारण है। क्या इसकी ऐसी जांच करवायेंगे ? कहीं पर उद्योग बंद हुए हैं या कुछ उद्योग बंद होने की स्थिति में हैं उसमें किसी अधिकारी की जिम्मेदारी हमने ठहराई है ? जब तक किसी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं ठहरायेंगे अधिकारी तत्परता से काम नहीं करेंगे। दूसरा, प्रशासनिक खर्चा यहां इतना है कि जितनी आय उस उद्योग से नहीं होगी, प्रशासनिक खर्चा उससे अधिक है। क्या सरकार प्रशासनिक खर्चे पर रोक लगाने की या उस पर कण्ट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं ? उदाहरण के लिए स्टेट टेनरीज में....

श्री अध्यक्ष : आप उदाहरण बंद कीजिये। हो गया आपका सवाल।

श्री मदनलाल सैनी : दूसरा एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेण्ट्री एक ही होनी चाहिये। आप दूसरा-दूसरा करके पांच पूछते हो ? एक ही पूछिये जो कुछ पूछना है।

श्री मदनलाल सैनी : जो मजदूर इन उद्योगों में बेकार हुए हैं क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है या जो दूसरे कार्पोरेशन्स हैं वहां पर उनकी नियुक्ति प्रायोरिटी के आधार पर करेंगी ताकि उनकी इतने वर्षों की सेवा का....

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बीकानेर का जो उपक्रम है उसको बने 24 साल हो चुके हैं और 24 साल से बन्द है। उसकी मशीनरी और जो उसकी हालत है उसका कितना नुकसान हो रहा है यह देखते हुए क्या राज्य सरकार यह महसूस करती है कि उसको आउट राइट सेल कर दिया जाय ? उस जगह को और जगह के लिए इस्तेमाल किया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि जब यह घाटे में चल रहा है और इस प्रकार का नुकसान हो रहा है किन्हीं भी कारणों से हो रहा है तो आइट राइट सैल करने का फैसला आप क्यों नहीं करते। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से सूचित करना चाहूंगा कि हमने परिशिष्ट–"ख" लगाया है उसके अन्दर बहुत स्पष्ट कर दिया है कि राजकीय ऊनी मिल, बीकानेर को बेचने का फैसला हो ही नहीं गया बल्कि उसके टेण्डर इन्वाइट कर लिये गये हैं, 3–4 पार्टी से टेण्डर आये हैं उनका कम्पेरिटव स्टेटमेण्ट बन गया है, नेगोसिएशन की कार्यवाही आरम्भ होने वाली है।

इसी प्रकार सोडियम सल्फेट, डीडवाना जिसका मैंने अभी सारा बताया कि वह हाई कोर्ट के अन्दर डिस्प्यूट चल रहा है वरना उसके लिए भी हमने तय कर लिया था कि इसको डिस्पोज आफ किया जाय। उसके अन्दर भी हाइएस्ट टेण्डर आ गया था लेकिन चूंकि स्टे आ गया इस कारण से अब हम मजबूर हैं।

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

तीसरा, आपको राजस्थान स्टेट टेनरीज। राजस्थान स्टेट टेनरीज के बारे में मैं घोषणा करने की स्थिति में तो नहीं हूं कि चालू हो जायेगा लेकिन मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने जो सब से अच्छा आफर किया था और आफर करने के साथ-साथ उसने लाइबिलिटीज मजदूरों की भी अपने सिर पर ली है कि वे उन सारे मजदूरों को अपने यहां रखेंगे और अगर मजदूर स्वयं निकलना चाहेगा वहां से तो राज्य सरकार जो कुछ उसका पैसा बनता है देगी। इस प्रकार की बातचीत जो कौशल हैं, यह एन. आर. आई. हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं, इनके साथ एग्रीमेण्ट अभी-अभी फाइनल हो गया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लीज के आधार पर ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : ट्रान्सफर के आधार पर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आउट राइट सैल के आधार पर ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : हां, ट्रांसफर कहिये उसको।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सिर्फ ट्रांसफर ही हुआ है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सैल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि There are some conditions, therefore, it is not out-right sale, but practically it will be a sale in the sense that he will be at his will to use the mill or to expand the mill as he likes.

चौथा, सोडियम सल्फाइड फैक्टरी। इस बारे में फैसला हो चुका है और फैसला होकर लीज पर देने के लिए इसके टेण्डर इन्वाइट कर लिये गये हैं। टेण्डर आ गये हैं। मैक्सीमम टेण्डर के आधार पर कम्पेरेटिव स्टेटमेण्ट बन गया है और राज्य सरकार की सैंक्शन के लिए भी कागज मूव कर दिया गया है। इस प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि इनको पटके रखा हैं। इन चारों बन्द कारखानों के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा रहा हैं और जैसा बीकानेर के लिए मैंने बताया, आपने जो प्रश्न पूछा था वह बीकानेर के लिए मैंने आपको बता दिया है।

श्री बिरदाराम चौधरी (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा था कि क्या नावां तहसील के अन्दर जो नमक का उद्योग है, जावदी नगर गांव है उसमें खसरा नम्बर 1 व 3 को रीको को दे रहे हैं। उसमें हजारों बीघा जमीन है और उस जमीन में नमक निकलेगा। तो पहले से डीडवाना सोडियम फैक्टरी बन्द पड़ी है और दूसरे राजकीय उपक्रम बन्द पड़े हैं। तो इसको लीज पर दिया जाय वहां पर हजारों बीघा जमीन पड़ी है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष जी, यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मजदूरों वाला बता दीजिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मजदूरों के सम्बन्ध में सभी की पोजिशन, अध्यक्ष जी, किसी भी जगह से कोई भी मजदूर इस निर्णय के कारण से प्रभावित नहीं हुए हैं। यह मैं जैसे बता रहा हूं कि....

श्री अध्यक्ष : यह तो हो गया। आप नावां का बता दीजिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : स्टेट टेनरीज वाला बिल्कुल अलग प्रश्न है लेकिन....

श्री मदनलाल सैनी : स्टेट टेनरीज के मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा है। स्टेट एन्टरप्राइजेज ब्यूरो ने क्या यह तय किया है कि उन मजदूरों को जो दूसरे कार्पोरेशन में जगह खाली हैं....

श्री अध्यक्ष : आपने जवाब सुना नहीं है। उन्होंने कहा, कि पार्टी ने सारी लाइबिलिटी ने ले ली है। मजदूरों को भी लगायेंगे और जो पेमेण्ट है, वह भी करेंगे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें डायरेक्शन दिये हैं उसके आधार पर हमने पैसे जमा करवा दिये हैं और.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो नावां के बारे में बता दीजिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : नावां का प्रश्न वैसे अलग है लेकिन आपने जो क्षेत्र बताया है। उस बारे में मुझे कई लोग मिले हैं। जो जावदी नगर है इस क्षेत्र को स्टेट एन्टरप्राइजेज को देने के संबंध में कार्यवाही चल रही है, वह अभी पूरी नहीं हुई है। अगर माननीय सदस्य सदन की भावना ऐसी होगी तो We may re-consider the case.

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

केवलादेव घना अभयारण्य का प्रवेश शुल्क

390. श्री रामप्रसाद (वैर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1980 से 1988 तक भरतपुर में केवलादेव घना अभयारण्य में प्रवेश शुल्क प्रति पर्यटक 5 रुपये लिया जाता था? यदि हां, तो क्या वर्ष 1990–91 में प्रति पर्यटक शुल्क 5 रुपये से बढ़ा कर 75 रुपये कर दिये गये हैं? यदि हां, तो ऐसा किन कारण से किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या सरकार उक्त बढ़ाये गये पर्यटक शुल्क पर पुनः विचार करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री लालचन्द डूडी) : (1) वर्ष 1990 के पूर्व प्रवेश शुल्क भारतीय पर्यटकों के लिए 2/– रुपये तथा विदेशी पर्यटकों के लिए 10/– रुपये था। जिसे बढ़ा कर अब 5/– रुपये व 25/ रुपये क्रमशः कर दिया गया है। इसमें आगे बताया 75/– रुपये कर दिये गये हैं? यदि हां, तो इसके जवाब में हैं, जी नहीं।

(2) जी नहीं। राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए यह शुल्क उचित है।

श्री राम प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि 25/ रुपये की रसीद काटी जाती है और 75/– रुपये लिये जाते हैं जिस तरह की माननीय मंत्री महोदय को जानकारी है। दूसरा, जो हिन्दुस्तान में नागरिक आते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनसे 5/– रुपये लिये जाय जबकि उनसे 25/– रुपये लिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : जवाब में तो 5 रुपये लिखा है।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : आपने कह दिया इसलिए 25 की जगह 5 ही लेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी जांच करवा लेंगे कि कोई 25 रुपये की जगह 75 ले रहा है क्या ?

श्री रामप्रसाद : 25 की रसीद काटी जाती है और 75 रुपये लिये जाते हैं।

श्री लालचन्द डूडी : इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस बात का है कि 25 की रसीद काट कर 75 रुपये लेते हैं, इस बात की तो जांच हो जायेगी। लेकिन 75/– रुपये जो लिये जा रहे हैं वह डीजल की जीपों के हैं। वहां एन्टर होती है उन जीपों से 75 रुपये लिये जाते हैं। परन्तु यदि 25 बता कर 75 रुपये ले रहे हैं तो उसकी जांच करवा लेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : माननीय मंत्री जी, डीजल की जीप के लिए तो वहां प्रतिबन्धित कर दी गयी है। मैं वहां जाकर आया था वहां तो (व्यवधान) पैट्रोल की गाड़ी ही अलाउ है डीजल की गाड़ियों पर तो बैन लगा दिया है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। नैक्स्ट। श्री नारायण लाल मीणा।

जाखम नहर की मिट्टी निकालने व सफाई हेतु व्यय

391. श्री नारायण लाल मीणा (लसाड़िया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1989-90 व 1990-91 में जाखम नहर से मिट्टी निकाल कर सफाई करने के ठेके दिये गये थे ? यदि हां, तो किन-किन ठेकेदारों को कितने-कितने रुपयों में दिये गये ? इस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

(2) क्या पानी छोड़ने से पहले सफाई हो गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री विजयसिंह झाला) : (1) जी हां। वर्षवार सूचियां सदन की मेज पर प्रस्तुत है। इस पर कुल व्यय 8 46 लाख रुपया हुआ।

(2) जी हां।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री नारायण लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जाखम नहर का पानी छोड़ने के पहले घपलाबाजी हुई है ? क्या जाखम नहर में सफाई सम्बन्धी जो टेण्डर हुए हैं उनमें फर्जीवाड़ा हुआ ?

(श्री नारायणलाल मीणा)

उसकी जांच के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विजय सिंह झाला : भ्रष्टाचार की कोई शिकायत न तो माननीय सदस्य ने की है और यदि करेंगे तो जांच करके जो भी दोषी होंगे उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री हीरालाल इन्दौरा । प्रश्न संख्या 392 ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट । श्री रामेश्वर दयाल यादव । प्रश्न संख्या 393 ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट । श्री बुलाकीदास कल्ला । प्रश्न संख्या 394 ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट । श्री जनार्दन सिंह गहलोत । प्रश्न संख्या 395 ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट श्री सुरेन्द्र गोयल ।

एसोसियेट सीमेंट कार्पोरेशन द्वारा मेजर मिनरल खनन पट्टा लाइम स्टोन हेतु आवेदन पत्र

396. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जोधपुर एवं पाली जिले में एसोसियेट सीमेण्ट कार्पोरेशन द्वारा मेजर मिनरल खनन पट्टा लाइम स्टोन हेतु कोई आवेदन पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? एसोसियेट सीमेण्ट कार्पोरेशन द्वारा आवेदित क्षेत्र को विभाग द्वारा रिक्त क्षेत्र घोषित करने में कितना समय लगा ?

(2) उक्त क्षेत्र में खनन पट्टा लाइम स्टोन हेतु कितने आवेदन पत्र आवेदित किये गये ? क्या उन आवेदन पत्रों को उक्त क्षेत्र रिक्त घोषित नहीं होने के कारण खारिज किया गया ?

(3) विलम्ब से क्षेत्र रिक्त घोषित करने में विभाग के किस अधिकारी ने लापरवाही बरती ? राज्य सरकार ने उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो सरकार अब दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री कालूलाल गुर्जर) : (1) जी नहीं । जोधपुर एवम् पाली जिलों में एसोसियेट सीमेण्ट कार्पोरेशन द्वारा मेजर मिनरल खनन पट्टा लाइम स्टोन हेतु कोई आवेदन पत्र नहीं दिया गया । इसलिए उस पर कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(2) एसोसियेट सीमेण्ट कार्पोरेशन द्वारा प्रधान खनिज, लाइम स्टोन के लिए कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तो उससे सम्बन्धित क्षेत्र पर अन्य आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और न ही उन आवेदन पत्रों को रिक्त घोषित

(राज्य मंत्री, खनिज)

न होने के कारण खारिज करने का प्रश्न उठता है।

(3) प्रश्न के खण्ड-2 के उत्तर के अनुसार किसी अधिकारी ने लापरवाही नहीं बरती है। इसलिए अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या एसोसियेट सीमेंट कार्पोरेशन और एसोसियेट सीमेंट कम्पनी अलग-अलग संस्था है। दूसरा निवेदन यह है कि इस प्रश्न के खण्ड-1 में सिर्फ एसोसियेट कार्पोरेशन लिख दिया है। क्या यह गलत है? सभी उत्तर नकारात्मक दिये हैं। मेरा निवेदन है कि एसोसियेट सीमेण्ट कम्पनी की ओर से क्या कोई आवेदन-पत्र दिया गया था और दिया गया था तो उनकी तरफ से क्या कार्यवाही हुई? यह भी बताने का कष्ट करें कि आवेदन देने के बाद विभाग ने रिक्त क्षेत्र घोषित करने में कितना समय लगाया?

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह एसोसियेट सीमेण्ट कार्पोरेशन का पूछा है। उसने इस तरह का कोई प्रार्थना-पत्र नहीं लिखा है। कम्पनी के बारे में नहीं पूछा है कम्पनी के बारे में पूछेंगे तो मैं मालूम करके बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 184। श्री बालचन्द आर्यवीर।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 7 मार्च, 1991)

झालावाड़ में गो चरागाह भूमि

184. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झालावाड़ जिले में कितनी गो-चरागाह भूमि किन-किन तहसीलों में कितनी-कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि पर किन-किन व्यक्तियों ने कब-कब से अनधिकृत कब्जे कर रखे हैं? सरकार द्वारा उन्हें बेदखल करने हेतु कब-कब, क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) झालावाड़ जिले में कुल 52684 हैक्टेयर चरागाह भूमि है। तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त चरागाह भूमि पर जिन-जिन व्यक्तियों ने अनधिकृत कब्जे किये हैं उनके खिलाफ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल करने की कार्यवाही की गयी है, उसका विवरण सम्बन्धी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि पटवारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से बहुत-सी चारागाह की भूमि को रेगूलराइज कर दी गयी है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे लोगों को, जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, जेल कारावास का आदेश दिया है? तीसरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह जो सवाल है यह केवल मात्र झालावाड़ की ही समस्या नहीं है। पूरे राजस्थान की समस्या है तो क्या सरकार इस ओर कोई कड़ा कदम या कड़ा कानून बनाने का विचार रखती है? यह मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, चरागाह भूमि पर किसी प्रकार का नियमन या रेगूलराइजेशन की सूचना नहीं है। उन्होंने चाही भी नहीं थी। न ऐसा किये जाने के किसी प्रकार के निर्देश हैं। चरागाह पर अनधिकृत अतिक्रमण वैसे देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है। 5 प्रतिशत है वह आम तौर पर होता है। सरकार ने समय-समय पर सर्कूलर भी जारी किये हैं। चरागाह हो, या सिवाय चक जमीन हो अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्त कार्यवाही की जाय। वैसे धारा 91 में प्रावधान है ही। अगर एक के बाद दूसरा अतिक्रमण कर दिया जाता है तो सिविल जेल का प्रावधान, फसल को जप्त करके कुड़की करने का प्रावधान है। अभी हाल में 22-2-91 को भी एक सर्कूलर जारी किया गया है। उससे पहले भी किये हैं और सरकार इस सम्बन्ध में सचेत है कि चरागाहों पर विशेष तौर से अगर अतिक्रमण होता है तो पशुओं के लिए कठिनाई होती है। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि चरागाहों पर अतिक्रमण किये जा रहे हैं उनको हटाने के लिए कोई विशेष कार्यवाही अमल में लायी जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, जो बेदखली की कार्यवाही है वह केवल मात्र कागजों पर ही होती है, प्रत्यक्ष रूप से किसी भी किसान को जिसने चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है उसको प्रत्यक्ष रूप से हटाया नहीं जाता है। मेरे यहां समरणिया में इन्द्रलाल सरपंच है उसने चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर और अतिक्रमण को नियमित कराकर अभी भी वह काबिज है और रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है। तो मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार जैन।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि झालावाड़ जिले में 52 हजार 683 हैक्टेयर चरागाह भूमि है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि इसमें से कितने हैक्टेयर भूमि पर तो नाजायज कब्जे हैं और कितनी हैक्टेयर भूमि ऐसी है जिस पर किसी का कब्जा नहीं है?

श्री गंगाराम चौधरी : सूची में दे रखा है।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाम मुस्तुफा ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के राजस्थान में जितने भी केसेज हैं ? पूरे राजस्थान के अन्दर कितने आदमियों को सिविल जेल की सजा दी गयी है और दूसरे यह इतने केसेज बढ़ रहे हैं तो सरकार इनको काग्नीजेबल आफेंस क्यों नहीं बनाना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो चरागाह की भूमि है वह भूमि अब बहुत कम बची है क्योंकि सारी जमीन अलाट कर दी गयी है और जो बची भी हुई है तो एक तो अतिक्रमण हो रहे हैं और दूसरा वन विभाग के लोगों द्वारा पौधे लगाये जाते हैं वह उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं और गांव के पशु जिस समय फसल खड़ी होती है उस समय कहां जायें । तो पशुओं को तकलीफ होती है खास तौर पर अलवर जिले में क्योंकि बहुत कम चरागाह की जमीन है तो इसके लिए किसी तरह के सरकार की तरफ से वन विभाग वालों को निर्देश दिलायें कि जो चरागाह की जमीन है उसको एक्वायर न करके जो सिवाय चक की जमीन पड़ी है उस तरह की जमीन पर पेड़ लगाये जायं । इस प्रकार के क्या आप निर्देश देंगे ? हमारे क्षेत्र में यह भयंकर समस्या है । वन विभाग वालों ने ज़मीन ले ली और तार खींच दिये ओर लोगों को जाने नहीं देते हैं । कहते हैं कम से कम पांच साल इसमें किसी को नहीं आने देंगे । इससे लोगों में रोष है कि पशुओं को लेकर कहां जायं ? क्योंकि सिवाय चक की सारी जमीन तो अलाट कर दी गयी है तो इसके बारे में मंत्री महोदय बतायें ।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने पूछा उससे मैं सहमत हूं जो गोचर भूमि है उस पर अतिक्रमण हो गये हैं और वन विभाग ने तारबंदी कर दी । हमारे पश्चिमी राजस्थान में पशुओं की जनसंख्या ज्यादा है परन्तु कई लोग अतिक्रमण करके रेगूलराइज कराने की फिराक में हैं। जैसे राजस्थान सरकार ने स्टेटमेण्ट दिया है कि पूर्व कब्जे हैं उनको रेगूलराइज कर दिया जायेगा तो मैं कहता हूं ऐसी जमीन को रेगूलराइज कर दिया गया तो बड़ा भारी अतिक्रमण होगा। मुख्य मंत्री महोदय फरमा दें कि हम और न और गोचर भूमि को रेगूलराइज नहीं करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ।

श्री रतनाराम चौधरी : पशुओं को बड़ी भारी दिक्कत हो रही है । पशुपालक मध्यप्रदेश जाकर अपने पशुओं को पालना पसंद करते हैं। इसलिए इसको क्लियर कर दो ।

श्री अध्यक्ष : अब क्लियर कर रहे हैं । मंत्री महोदय ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : यह पूरे राजस्थान का सवाल है । मैं, अध्यक्ष

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

महोदय, मंत्री महोदय से प्रश्न करना चाहूंगा कि राजस्थान में हजारों बीघा गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रकार के अतिक्रमण भू-प्रबन्ध विभाग की गलती के कारण हो रहा है। जिस प्रकार से लोगों ने इस पर अतिक्रमण किया है उसको प्राथमिकता लेकर हटाने की कोई न कोई व्यवस्था की जाय। ऐसा अभियान चलाया जाय ताकि हजारों बीघा जमीन जो अतिक्रमियों ने दबा रखी है उनको हटाकर वापस गोचर भूमि में तब्दील की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जितने भी खनन क्षेत्र है वहां पर जो चरागाह भूमि है उस पर जो अवैध खनन कार्य हो रहा है। चूंकि गरीब काश्तकार वहां खनन कार्य करता है। उनके 25-30 हजार खनन कार्य में लगने के बाद जब अच्छा पत्थर या माल निकल आता है तो चरनोट की जमीन पर कब्जा करके जो खनन कार्य कर रहे हैं उस पर रोक लगा देते हैं। मेरा निवेदन है कि चरागाह की भूमि खनन विभाग को दी जाय जहां पर खनन कार्य हो सकता है। इस जमीन को खनिज विभाग को सुपुर्द करने का क्या सरकार का विचार है ?

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : मेरा निवेदन है कि सरकार की जो चरागाह को खाली कराने की नीति है वह बड़ी कमजोर नीति है वह कागजों तक ही सीमित है। आज बी स्पाट चरागाह खाली नहीं होते हैं। यदि ऐसी ही स्थिति रही तो पशुओं को चरने के लिए बिल्कुल जमीन नहीं रहेगी और पशुधन समाप्त हो जायेगा। इसलिए इसको प्राथमिकता देकर अभियान चलाकर जमीन तुरन्त खाली करायी जाय।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय। आपका क्या रह गया ?

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : पूर्व में एक साल से जयपुर जिले में 1214 आदमी जो जे. डी. ए. क्षेत्र की सीमा में हैं और उनको अलाटमेण्ट किया गया है जो करोड़ों की भूमि है, उसकी जांच चल रही है। एक साल से जिन आवंटियों को आज तक पता नहीं कि हमारी जमीन कहां है उनको घर-घर जाकर कहा जा रहा है कि तुमको अलाटमेण्ट किया गया है लेकिन वह जाकर ढूंढ रहे हैं उनको जमीन मिल नहीं रही है। इसको खारिज नहीं किया जा रहा हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इनको कब तक खारिज किया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं जैसा कि गो चरागाह नाम से पता चलता है क्या यह गाय के चरने के लिए ही है या भेड़, बकरी, ऊंट को भी उस गोचर भूमि में चरने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। मंत्री महोदय।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, चरागाह भूमि पर कृषि करके

(श्री गंगाराम चौधरी)

जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उनका नियम 1966 से पूर्व में अवश्य किया गया था उस वक्त सरकार की यह नीति थी जिसमें चरागाह के ऊपर भी नाजायज कब्जे लगातार चलते आ रहे हैं तो उसका नियमन किया जा सकता था। उसके बाद चरागाह के ऊपर किसी प्रकार का नियमन नहीं होता है केवल मात्र आबादी के लिए कुछ स्थानों पर नियमन करने की कुछ नीति सरकार की है। या स्कूल, या कोई धर्मशाला या पाठशाला या सरकारी कोई भवन है, तो उसके लिये अलाटमेंट अलग से होता है। इसके अलावा नियमन नहीं किया जाता।

वन विभाग के सम्बन्ध में आपने बताया, अध्यक्ष महोदय, चरागाह विकास हेतु वन विभाग के पास एक योजना है और उसके तहत जिलाधीश उनको आवंटित करते हैं कुछ अर्से के लिये। उसमें वह चरागाह का विकास करते हैं, विकास करने के बाद में, एक अवधि के बाद में, वापस पंचायत को सौंप देते हैं। उसमें तो चरागाह की एक प्रकार से सुरक्षा है और चरागाह को किसी प्रकार की हानि और पब्लिक को किसी प्रकार की तकलीफ की बात नहीं होती।

एक प्रश्न और आया कि काग्नीजेबल आफेंस, इसको बना दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, काग्नीजेबल आफेंस बनाने की अभी तक सरकार की कोई नीति नहीं है। यह जरूर है कि इससे एक परेशानी अवश्य बढ़ जाती है, कि कई जगह रिकार्ड में तो चरागाह है लेकिन वहां पर बस्ती पुरानी बसी हुई है। उसको ठीक करने के बाद में तो यह हो सकता है कि सारे चरागाह, जो केवल मात्र चरागाह के उपयोग में आ रही हैं, तब तो ऐसा आफेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, वर्ना टेक्नीकली चरागाह है और लोग उसमें बैठे हैं, तो उसमें दुरुपयोग हो सकता है। इसलिये इसमें फिलहाल काग्नीजेबल आफेंस बनाने की नीति सरकार की नहीं है।

खनन के बारे में भी कुछ बात आई, आम तौर पर यह कहा गया कि सरकार की कमजोर नीति है....

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक लेकूना है, अध्यक्ष महोदय। मंत्रीजी ने अभी कहा है कि जिलाधीश वन विभाग को अलाट करता है। चरागाह भूमि के बारे में कानून में प्रावधानों के तहत, चरागाह भूमि पंचायत की सम्पत्ति है। क्या कलक्टर साहब पंचायत के प्रस्ताव के अनुरूप ही उसको ट्रान्सफर करते हैं वन विभाग को या अपनी इच्छा से कर देते हैं?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आरम्भ में पंचायत के प्रस्ताव के अनुरूप ही किया जाता था लेकिन बीच में कुछ समय में कठिनाई होने लगी क्योंकि पंचायत किसी भी चरागाह भूमि को वन विभाग को सौंपने के लिये तैयार नहीं होती थी। इसलिये कलक्टर को इस बारे में छूट दे रखी है। लेकिन कलक्टर इस बात का ध्यान रखते हैं कि चरागाह का कितना क्षेत्रफल कितने पशुओं के लिये आवश्यक है। जब सरप्लस भूमि होती है तब ही

(श्री गंगाराम चौधरी)

वह वन विभाग को देते हैं. और वह लाभ के लिये देते हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : गोचर भूमि ट्रान्सफर होगी तो वह राज्य सरकार करती है, कलक्टर को अधिकार नहीं है।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्रीजी की सूचनार्थ निवेदन करना चाहूंगा कि सामाजिक वानिकी के तहत चारागाहों में वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है, और उसमें पंचायत का प्रस्ताव अति आवश्यक है। पंचायत प्रस्ताव देती है और पंचायत के सरपंच और राजस्थान के गवर्नर के बीच एग्रीमेंट होता है। कलक्टर कहीं बीच में नहीं आता। मंत्रीजी, कलक्टर उसके बीच में नहीं आता। पंचायत के सरपंच और राजस्थान के गवर्नर के बीच एग्रीमेन्ट होता है और उसके तहत वह जमीन वन विभाग को ट्रान्सफर की जाती है पांच साल के लिये, और उसके बाद जो कुछ भी उसमें वन के प्रोडक्ट्स हैं, वृक्षारोपण के जो पेड़ वहां पर लगे हैं, उसमें राज्य सरकार और पंचायत आधे-आधे के भागीदार होते हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी कुछ कहेंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : चरागाह की भूमि वृक्षारोपण के लिये किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं की जाती। पहले से जो रूल्स बने हुए हैं उसमें ही मनाही है। केवल चरागाह के विकास हेतु वन विभाग को अवश्य दी जाती है। इसलिये इस संशय को वह दूर कर लें।

कोटा शाहबाद का प्रश्न आया था कि 18 बीघा चरागाह भूमि अधिकारियों ने दी। उसको नियमित कर दिया गया है, उसमें भी कोई कठिनाई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोतीलाल।

स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा अनुदानित बाल गृह

397. **श्री मोतीलाल मीणा** (सवाई-माधोपुर), **श्री भरोसीलाल जाटव** (हिण्डोन) एवं **श्री निर्मयलाल** (रूपवास) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विभाग द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान देकर बालक गृह संचालित करवाये जा रहे थे ? यदि हां, तो प्रदेश में किस-किस स्वैच्छिक संस्था को गत पांच वर्षों में कितना-कितना अनुदान दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि जिला बालक अधिकारी जयपुर द्वारा दिसम्बर, 1989 से जून, 1990 तक जयपुर जिले के बालक गृहों का निरीक्षण किया गया ? यदि हां, तो निरीक्षण अधिकारी का नाम एवं संस्थाओं की जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिला बालक अधिकारी द्वारा कई फर्जी संस्थाओं के विरुद्ध निदेशालय को जांच प्रतिवेदन पेश किये गये ? यदि हां, तो कुल कितनी

(श्री मोतीलाल मीणा)

संस्थाओं की मान्यता कब-कब रद्द की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जिला बालक अधिकारी द्वारा निदेशालय से फर्जी संस्थाओं के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज कराने की मांग की गई थी? यदि हां, तो क्या निदेशालय द्वारा फर्जी संस्थाओं के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज कराने की अनुमति जारी कर दी गई है?

(5) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग कई वर्षों से इन फर्जी संस्थाओं को राशि देकर सरकार को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचा रहा था? यदि हां, तो उन सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो, छः माह के अन्तराल में इतनी संस्थाओं की मान्यता किस-किस आधार पर रद्द की गई?

(6) क्या यह सही है कि उक्त समस्त प्रकरण अक्टूबर, 1990 को किस राष्ट्रीय मैगजीन में प्रकाशित हुआ है? क्या निदेशालय समाज कल्याण विभाग द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करने के लिए कोई आदेश जारी किया गया था? यदि नहीं तो क्या जिला बालक अधिकारी जयपुर की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है? यदि हां, तो मुकदमा नम्बर एवं एफ. आई. आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं तो क्यों? क्या सरकार इन फर्जी संस्थाओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री कुन्दन लाल मिगलानी): अध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित प्रश्न की जानकारी नीचे से प्राप्त नहीं हुई है। इसलिये स्थगन के लिये निवेदन कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री मोतीलाल मीणा : स्थगित तो कर दिया, कब तक आ जायेगा?

श्री अध्यक्ष : इसी महीने।

श्री मोतीलाल मीणा : यह तो आप बता दें कि 27 तारीख को....

श्री अध्यक्ष : हां, आ जायेगा उसके पहले। स्थगित प्रश्न हमेशा आते हैं।

नैक्स्ट, डा. श्री जितेन्द्रसिंह।

जैसलमेर जिले के पशु चिकित्सालयों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये कार्य

398. डा. जितेन्द्रसिंह (जैसलमेर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि वर्ष 1990-91 में जैसलमेर जिले में पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कई कार्य कराये गये? यदि हां, तो किस-किस योजना के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य कराये गये? उन कार्यों पर किन-किन मदों से

(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री देवीसिंह भाटी) : जी हां, 1990-91 में जैसलमेर जिले में पशुपालन विभाग द्वारा चारा बीज उत्पादन फार्म मोहनगढ़ पर भवन निर्माण, पानी एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य, मशीनरी साज-सामान का क्रय तथा प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत सांड वितरण सम्बन्धी कार्य हाथ में लिये गये हैं। इन कार्यों पर वर्ष के अन्त तक कुल सम्भावित व्यय के मदवार की सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट संख्या 3 देखें।)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सांड कहां से आ गये यहां पर ?

श्री देवीसिंह भाटी : अच्छी नस्ल के हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो वास्तविक अभिप्राय था इस प्रश्न पूछने का, यह कहीं मिसप्रिंट हो गया। वास्तव में यह कार्यक्रमों के लिये था। पशुपालन के जितने भी कार्यक्रम आयोजित किये गये थे, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सम्भव हो तो विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में कुल कितने पशुओं को लाभान्वित किया गया है, इसकी सूचना दें।

दूसरा मेरा प्रश्न है, माननीय मंत्रीजी ने अभी सूचना दी कि जैसलमेर जिले में सांड वितरित किये गये। तो उसके अन्तर्गत मैं जानना चाहूंगा कि वास्तव में कुल कितने सांड अच्छी नस्ल के वितरित किये गये और जिले में किस-किस क्षेत्र में किये गये।

इस वर्ष ऊंटों में सर्रा नामक बीमारी का प्रकोप था, उसके निराकरण हेतु इन्जेक्शन्स भी दूर दराज इलाकों में और पूरे जिले में उपलब्ध कराये गये कि नहीं ?

तीसरा प्रश्न जो मेरा है वह यह है कि जैसलमेर जिले में पशुपालन विभाग का वार्षिक बजट कितना है और क्या इस जिले में पशुओं की बहुलता को देखते हुए राजस्थान के अन्य जिलों के मुकाबले में यह न्यायोचित है या नहीं ? कृपया इसका उत्तर देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के मूल में यह था कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कई कार्य कराये गये हैं, उनके बारे में सूचना चाही थी, वह सूचना मैंने इनको दे दी। अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले में वर्ष 1990-91 में विभिन्न मदों में जो राशि व्यय की गई है, वह आप चाहें तो अलग-अलग बता दूं या कुल बता दूं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अलग-अलग बतायें।....(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कुल हमने वर्ष 1990-91 में 7.66 लाख

(श्री देवीसिंह भाटी)

रुपये तो मोहनगढ़ में चरागाह विकसित करने के लिये 400 बीघा भूमि का फार्म डवलप किया है, उसके लिए बजट रखा गया है। इसमें भवन निर्माण का 4.75 लाख, पानी विद्युत के लिए 1.35 लाख रुपये, मशीनरी आदि 0.75 लाख, टंकण यंत्र क्रय 0.06 लाख, अन्य व्यय 0.75 लाख रुपये।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि उन्नत नस्ल के सांड जैसलमेर में वितरण कराये थे वह कहां-कहां वितरण किये गये। अध्यक्ष महोदय, हमने थारपारकर नस्ल के उन्नत नस्ल के सांड केन्द्रीय पशु प्रजनन केन्द्र, सूरतगढ़ से क्रय कर लिए हैं और इनकी संख्या है नौ। और इनको शीघ्र ही पशुपालकों को वितरण करने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री लालचन्द डूडी : कोलायत में भी अच्छी नस्ल के हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सर्रा बीमारी के बारे में पूछा जो कि ऊंटों में होती है। इसके लिए हमने कैम्प्स का आयोजन करके, जहां-जहां कैम्प्स लगते हैं वहां पर मुफ्त में सर्रा के टीके लगाते हैं, और यदि कोई इण्डिविजुअल वैसे कोई व्यवस्था चाहता है तो उनको कीमत पर इन्जेक्शन्स देते हैं और जैसा आखिर में माननीय सदस्य ने फरमाया कि जैसलमेर जिले में कितने बजट का आवंटन किया गया है और क्या दूसरे जिलों के अनुपात में यह कम है या अधिक है। अध्यक्ष महोदय, जैसे-जैसे हमारे जिलेवार यह पशु चिकित्सा संस्थाएं हैं, उनके अनुरूप ही हम बजट का आवंटन करते हैं और उसके अनुरूप जैसलमेर को काफी बजट दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खाँ (शिव) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है सर्रा बीमारी के जो इन्जेक्शन होते हैं और जितने भी जिले में पशु स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उसमें एक भी नहीं मिलता? क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि आप जब कैम्पों के द्वारा सर्रा बीमारी का इलाज करा रहे हो, जिले में कितने कैम्प लगाये और उसमें कितने ऊंटों के इलाज हुए? क्या यह सही है कि इस साल थारपारकर नस्ल चानन के फार्म से सांड का कोई वितरण किसी पंचायत समिति में नहीं हुआ? यदि....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। डा. जितेन्द्र सिंह।

श्री जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने अभी सूचना दी कि समस्त जिले के लिए केवल 9 उन्नत किस्म के सांड उपलब्ध कराये जायेंगे, तो इससे तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली कहावत वाकई चरितार्थ हो जायेगी। मेरा इनसे निवेदन है कि ऊंटों की संख्या देखते हुए....

श्री अध्यक्ष : सांड तो एक ही बहुत होता है।

श्री जितेन्द्र सिंह : नहीं, कम पड़ेंगे। नौ भी कम पड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : माननीय सदस्य को कितने सांडों की जरूरत है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक साथ हम ज्यादा सांड छोड़ देंगे तो वह संभाले नहीं जायेंगे। जैसे-जैसे संभालने के लिए तैयार होंगे, उसी अनुरूप हम उसकी व्यवस्था करते रहेंगे। हमने 71 हजार रुपये के 9 सांड क्रय करके इस समय—

डा. जितेन्द्र सिंह : हंसी-मजाक का प्रश्न नहीं है, वास्तविक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : वह जवाब दे रहे हैं, ना।

डा. जितेन्द्र सिंह : मंत्री महोदय जानते हैं कि ऊंटों के टोलों में एक सांड छोड़ा जा सकता है और जैसलमेर जिले में सैंकड़ों टोले हैं, तो केवल 9 टोलों का ही काम कर सकेगा, बाकी का संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। माननीय मंत्रीजी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक साथ सब गांवों में यह व्यवस्था नहीं की जा सकती लेकिन हमने यह कार्यक्रम चालू किया है। हम आपको उन्नत नस्ल के सांड उपलब्ध करायेंगे, जहां-कहां भी आप कहेंगे और बढ़िया सांड होंगे और एक दूसरा प्रश्न आया, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सर्रा के टीकों के बारे में भी कहा है तो मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि कैम्प्स के अन्दर यह टीके हम मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह संख्या पूछ रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न इसमें अलग-अलग कार्यों के बारे में पूछा गया है इसलिए इसमें मैं आज के दिन उत्तर नहीं दे सकता। अगर अलग से पूछेंगे तो मैं बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपको संख्या बता दीजिये। श्री शिवजीराम।

जिला स्तर के दुग्ध संघ एवं संयंत्रों का विलीनीकरण

399. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने जिला स्तर पर संघ एवं संयंत्रों के विलीनीकरण के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित कर रखी है ?

(2) सरकार द्वारा जिन दुग्ध संघों में संयंत्रों का विलीनीकरण किया गया है, वह क्या किसी नीति के आधार पर किया गया हैं या फैडरेशन की स्वेच्छा से ?

(3) क्या यह सही है कि एन.डी.डी.बी. एवं राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि संघों एवं संयंत्रों का माह जनवरी, 1991 से पहले विलीनीकरण कर दिया जावे ? यदि हां, तो अब तक सभी का विलीनीकरण क्यों नहीं किया गया ?

(4) क्या सरकार शेष बचे हुए संयंत्रों एवं संघों का विलीनीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक कर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, दुग्ध विकास (श्री उम्मेद सिंह) : (1) जी हां।

(2) राज्य सरकार के आदेश के अन्तर्गत फैडरेशन के बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार दिसम्बर, 1992 तक कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

जयपुर के उद्योगों से फैले प्रदूषण की रोकथाम

400. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जयपुर शहर में घोषित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पर्यावरण राज्य मंत्री (श्री लालचन्द डूडी) : जयपुर शहर में घोषित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए मण्डल निम्न कार्यवाही कर रहा है—

(अ) औद्योगिक क्षेत्रों का सर्वे कर प्रदूषण करने वाली इकाइयों को चिन्हित किया जाता है तथा इनके द्वारा वाहित उच्छिष्ठ/उत्सर्जित किये जा रहे प्रदूषक तत्वों के नमूने एकत्रित करने के पश्चात् प्रदूषण की स्थिति का अभिज्ञान किया जाता है।

(ब) प्रदूषण करने वाले उद्योगों को जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत नोटिस देकर तथा उद्योगों का निरीक्षण कर उद्योगों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत उच्छिष्ठ वाहित करने/वायु प्रदूषक तत्वों के उत्सर्जन से पूर्व राज्य मण्डल की सम्मति प्राप्त करें।

(स) उद्योगों को प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के लिए फिजीबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु संतोषजनक व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिये जाते हैं।

(द) उद्योगों द्वारा प्रस्तुत सम्मति आवेदन पत्र तथा फिजीबिलिटी रिपोर्ट की जांच के पश्चात् प्रदूषक तत्वों के मण्डल द्वारा निर्धारित मानकों तक पाये जाने पर उद्योगों को सशर्त सम्मति प्रदान की जाती है तथा ऐसा न होने पर उद्योगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर दण्डित करवाया जाता है तथा उन्हें बाध्य करवाया जाता है कि वे उच्छिष्ठ को निर्धारित मानकों तक लाकर की वाहित करें।

(घ) उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने हेतु दस्तावेज प्रकाशित किये जाते हैं व संगोष्ठी, कार्यशालायें, प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगी मंत्री महोदय से कि इस तरह की बराबर शिकायतें मिल रही हैं कि मानकों का जो भी मानदंड आपने बनाया है, उसकी अनुपालना नहीं जा रही है और

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जो भी निरीक्षकगण हैं, उनकी सही रिपोर्ट नहीं करते, बीच में घपला करते हैं। आप उन मानकों के विरुद्ध कार्य करने वाली इण्डस्ट्रीज और इन निरीक्षकों के लिए क्या कार्यवाही करेंगे, क्या किया है और क्या कर रहे हैं? जितने मानकों के अनुसार वायु प्रदूषण फैलाने वाली इण्डस्ट्रीज को चिमनी की ऊंचाई रखने तक की बात कही कही गई है, वह चिमनी की ऊंचाई भी उस तरह से नहीं रखते, मेरा प्रश्न यह है कि इन सब के मामले में आप क्या कार्यवाही करेंगे? आस-पास में जो प्रदूषण फैल रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, तो इसमें आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं और अब तक क्या की है, कितने केसेज में की? कोई आपके पास अगर इस समय में जानकारी हो तो बताइये।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनलाल सैनी।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानकारी चाहूंगा कि उद्योगों से प्रदूषण के बारे में तो आप विचार कर रहे हैं, लेकिन बढ़ते हुए वाहन, चूंकि, जो व्यवस्था है उसके कारण से बड़े नगरों में जो वायु प्रदूषण हो रहा है, उसको रोकने के बारे में क्या सरकार कोई व्यवस्था या योजना पर विचार कर रही है?

श्री अध्यक्ष : श्री हजारीलाल।

श्री हजारीलाल (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र में हो रहे प्रदूषण और चिमनी और पानी से करीब 10 साल से इस सदन में प्रदूषण के बारे में चर्चा होती आयी है, इसके लिए वहां पर कोई किसी प्रकार का उपाय नहीं हुआ, उसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या सेण्ट्रल पाल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड ने राजस्थान के काफी उद्योगों को बैन करने के निर्देश दिये हैं और अगर कुछ उद्योगों प्रान्त में बैन करने के निर्देश दिये हैं, सेण्ट्रल पाल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड के तो राज्य सरकार ऐसे उद्योगों को कब तक बंद कराने की मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीराम।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, झोटवाड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया के अन्दर एक मैटल कास्ट कार्पोरेशन नाम की एक इण्डस्ट्री आबादी क्षेत्र में बसी हुई है, उसकी कई बार लिखित में हमने विभाग को सूचना भी दी है, उसके बावजूद भी वह इण्डस्ट्री आज तक आबादी क्षेत्र में चल रही है। मंत्री महोदय क्या उसके बारे में विचार करेंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जयपुर में झालाना डूंगरी के निकट जो वृक्ष वानिकी स्थापित की है, उसके पौधों को क्या झालाना डूंगरी के खनन कार्य से, प्रदूषण से काफी नुकसान हो रहा है और क्या वहां के अधीक्षक और वन विभाग के अधिकारियों ने समय-समय

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

पर इस बात से अवगत कराया है ? न्यायालय में भी इस सम्बन्ध में वाद चल रहे हैं और उससे जो नान अलाइनमेण्ट कण्ट्रीज और विदेशों के जो वृक्ष लगाये गये थे, उन पर भारी पैसा खर्च करने के बाद भी हम उनका रख-रखाव नहीं कर पाये हैं। इस सम्बन्ध में मंत्रीजी क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, पहले तो जैसे मूल प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि इस तरह से काफी प्रदूषण हो रहा है, वह अपने सही मानक नहीं दिखाते, रिपोर्ट भी गलत देते हैं, यह बात भी एक-दो दफा आयी है, इस सम्बन्ध में हमने कार्यवाही भी की है। कुछ एक अधिकारियों को, हमने उस मामले में एक अधिकारी को सस्पेण्ड भी किया है और दुबारा भी मैंने निर्देश दिये हैं कि सबकी जानकारी लेकर और जो उद्योग इसको ठीक तरह से नहीं पालन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, यह आदेश अभी प्रसारित किये है। दूसरा, यह झोटवाड़ा में कौन सी फैक्टरी चल रही है, इसके बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। मैं इसकी जानकारी लेकर और फिर बाद में कुछ कहने की स्थिति में होऊंगा। इसी तरह से झालाना डूंगरी के बारे में भी जो चल रहा है, उसके बारे में कोर्ट में क्या स्थिति है, वह भी मैं जानकारी लेने के बाद ही हाउस को बता सकूंगा।

श्री जुबेर खान : जो रिपोर्ट दी गई है······

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री जुबेर खान : उद्योगों ने यह किया है, इनको बन्द करना चाहिये, उसके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से एक छोटा-सा प्रश्न पूछना चाहूंगी कि कारखानों के इन मानकों के आधार पर कार्य करने के लिए क्या आप जल्दी में ही विस्तृत सर्वे करायेंगे ? जो-जो अधिकारी, कर्मचारी या कारखानेदार गलती कर रहे हैं वे चाहे सरकारी कारखानेदार हों, निजी क्षेत्र के हों या रीको के हों, सर्वे कराकर इनके खिलाफ कार्यवाही करें तो आपका उत्तर समुचित रहेगा, केवल एक आदमी के खिलाफ कार्यवाही करने से काम चलने वाला नहीं है। मंत्री महोदय मुझे आश्वस्त करें कि आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों मैंने दुबारा सारे सर्वे के लिए निर्देश दिये हैं। उनकी रिपोर्ट आने पर······

श्री अध्यक्ष : ये केन्द्र का पूछ रहे हैं जुबेर खां जी।

श्री लालचन्द डूडी : कौन-कौन से उद्योगों को सेण्ट्रल बोर्ड से बन्द करवाने का आया है, उसकी जानकारी नहीं है। अगर ऐसे आदेश आये हैं तो पता लगाकर उनको बन्द करवाने का······

श्री जुबेर खान : नाम बदा दूं एकाध के तो ?

श्री अध्यक्ष : हो गया । नैक्स्ट, श्री अमीन खां ।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों का चुनाव

401. श्री अमीन खां (शिव) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार केन्द्रीय सहकारी बैंकों के चुनाव कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार प्रत्येक संचालक का निर्वाचन क्षेत्र बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संचालकों के चुनावों के लिए सरकार क्या प्रक्रिया अपनाने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) : (1) जी हां, कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया चालू है । इनके निर्वाचन पूर्ण होने के पश्चात् केन्द्रीय सहकारी बैंकों के चुनाव यथाशीघ्र कराये जायेंगे ।

(2) राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 1966 के नियम 32 (1) में निर्वाचन क्षेत्र गठित करने का प्रावधान पूर्व से ही है ।

(3) सहकारी बैंकों के निर्वाचन हेतु सहकारी संस्था नियम, 1966 के नियम 32 और 33 के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारित है, तदनुसार निर्धारित प्रक्रियानुसार ही कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण सहकारी समितियों के चुनाव फरवरी महीने तक पूरे हो गये । उत्तर में मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि सहकारी बैंकों और मार्केटिंग सोसायटीज के चुनाव फलां समय तक करा दिये जायेंगे । एक तो यह बतायें कि कब तक करा दिये जायेंगे ? जब ग्रामीण सहकारी समितियों के नीचे के चुनाव हो चुके हैं तो इन चुनावों का समय निर्धारित करने में सरकार को क्या दिक्कत है ? कब तक करवाना चाहती है ? नम्बर दो, सरकार नियम 32 और 33 में जन हित में सरकार यह क्यों नहीं महसूस करती है, एक मतदाता को एक डायरेक्टर के लिए नौ वोट देने का क्यों रखा है ? प्रत्येक बैंक के जितने डायरेक्टर हैं उनके अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र कायम करने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है ? भूमि विकास बैंक के डायरेक्टरों के भी निर्वाचन क्षेत्र अलग-अलग हैं तो सिर्फ सहकारी बैंकों के चुनावों में ही किसी आदमी ने अपने एक जिले का कहीं अहित देखा और उस सूरत में सारे राजस्थान पर यह प्रणाली ऐसी कर दी कि नौ वोट एक आदमी को देना पड़ें । इसको क्या सरकार गम्भीरता से नहीं लेना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : पिछले चुनाव होने के बाद को-आपरेटिव बैंकों के चुनाव क्यों रोक दिये गये, इसका कारण यह सुनने में आया है कि को-आपरेटिव कृषि बैंक और भूमि विकास बैंक, दोनों को मिलाकर एक बैंक बनाने जा रहे हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट मंत्रीजी का पेपर में हमने पढ़ा था । क्या यह सही है कि

(श्री रतनाराम चौधरी)

दोनों बैंकों को मिलाकर आप एक करना चाह रहे हैं ? या दोनों को अलग-अलग रखना चाहते हैं, यह आप क्लियर करने की कृपा करें।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो यह है कि हमारे जिले में कुछ सोसायटीज के चुनाव नीचे के लेवल पर अधूरे छोड़ दिये गये हैं। मैम्बर्स के चुनाव हो गये उसके बाद कह दिया गया कि स्टे आ गया इनके ऊपर। माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि जिला सवाईमाधोपुर में जिन कोआपरेटिव सोसायटीज के चुनाव अधूरे हैं उनके चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ? दूसरा, जिन सोसायटीज में बहुत बड़े घोटाले हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, क्या ऐसी सोसायटीज के चुनाव कराने के बारे में भी आप विचार कर रहे हैं ? उनके चुनाव पहले होंगे या उनकी जांच पहले होगी ? इस बारे में आप स्पष्ट बतायें, निवेदन है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय अमीन खां जी ने और माननीय मीणा जी ने चुनावों के बारे में शंका की। चुनाव प्रक्रिया नियमतः जारी है, विधान सभा सत्र प्रारम्भ होने की वजह से कुछ समय के लिए चुनाव रोके गये थे। बाकी मैं आपको बताऊं कि 4858 गृह निर्माण सहकारी समितियों में से 4352 के चुनाव हो गये, बाकी विधान सभा सत्र समाप्त होने के बाद गृह निर्माण समितियों के चुनाव करवा लिये जायेंगे।

श्री अमीन खां : मेरा जवाब नहीं आया, साहब।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, मैं पूछ रहा हूं। दो सवाल और रह गये कि क्या आप बाकी के चुनावों की कोई समयावधि बता सकते हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिह शेखावत) : लोक सभा चुनाव आ गये, साहब।

श्री अध्यक्ष : दूसरा यह बताइये कि दोनों बैंकों को एक करने की बात क्या है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, चुनाव प्रक्रिया चालू है लेकिन बीच में ही लोक सभा के चुनाव आ गये। इस कार्यक्रम के आधार पर कुछ चुनाव स्थगित करने पड़ सकते हैं।

जहां तक रतनाराम जी ने पूछा कि केन्द्रीय सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक को एक करने का विचार है क्या। मैं मानता हूं कि दोनों को एक किया जाय। किस प्रक्रिया से किया जाय लेकिन ? कई राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था हो गयी है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान में भी एक कर दिया जाय तो उसके कारण कुछ खर्चे की भी बचत होगी और कुछ अन्य बचत भी होगी। उस कारण सहकारी समितियों को भी लाभ होगा। इस दृष्टि से एक करने का विचार है, लेकिन अभी अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन के अनुकूल स्थिति बनी तो निश्चित रूप से यह किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री दयाराम परमार। इसका घोटालों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : बैंकों की जांच की जायेगी क्या, साहब ? पूरा होने से पहले जांच की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : इसका घोटालों से क्या सम्बन्ध है ?

श्री रामस्वरूप मीणा : चुनाव होने से पहले इसकी जांच तो होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आदत अच्छी नहीं है। जब मैंने नैक्स्ट पुकार लिया तो आप पहले क्यों बैठे रहे ?

श्री दयाराम परमार : प्रश्न संख्या, 402.

श्री प्रेमसिंह दहिया : उत्तर आना चाहिए पूरा, मेरा महत्त्वपूर्ण सवाल था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सिंचाई मंत्रीजी।

श्री अमीन खां : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : सवाल चल रहा है उसमें ख्वाहमख्वाह आप। बिराजिये अब आप। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, एक मिनट।

देखिये, आपका अधिकार सवाल पूछने का है, मगर आप जो चाहें वही सरकार कहे, जरूरी नहीं है। उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी जो करनी थी। अब आपको यदि उसमें सन्तोष नहीं है तो उसके लिए और प्रक्रिया करिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, जवाब ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये आप माननीय मंत्रीजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जन विरोधी कार्य तो नहीं करने देंगे।

श्री अध्यक्ष : अब आप जन पक्ष और जन विरोधी की बात बाहर करिये, सदन में एक ही हो सकता है। (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : ये तैयारी करके तो आते नहीं हैं, न यहां इनको कोई जानकारी है।

जाखम परियोजना के विस्थापित

402. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जाखम परियोजना से परिवार विस्थापित हुए थे ? यदि हां, तो कितने और उन्हें कहां बसाया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त परियोजना से विस्थापित परिवारों को अभी तक कोई भूमि आवंटित नहीं की गयी है और वे वन विभाग की भूमि पर नाजायज कब्जा कर रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि अभी तक विभाग द्वारा जो भूमि नहरों के लिए अवाप्त की गयी थी उसका मुआवजा भी नहीं दिया गया है ?

सिचाई मंत्री (श्री विजय सिंह झाला): (1) जी हां, 109 परिवार प्रभावित हुए थे। डूब क्षेत्र के प्रभावित परिवार अधिकतम भराव स्तर से ऊपर एवं बायीं नहर से प्रभावित परिवार नहर की सीमा के पास बस गये हैं।

(2) जी हां, परन्तु वन विभाग की भूमि पर विस्थापित परिवारों द्वारा कब्जा किये जाने सम्बन्धी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(3) जी नहीं, केवल दो काश्तकारों द्वारा मुआवजा नहीं लिया गया है। क्योंकि उन्होंने न्यायालय में मुआवजे की और अधिक राशि लेने हेतु वाद दायर किया हुआ है।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि जाखम परियोजना के जो 109 परिवार विस्थापित हुए वे भराव के ऊपर बायीं नहर के पास जाकर बस गये। बस गये यह तो विभाग को जानकारी है लेकिन क्या उनको उस बसी हुई जमीन पर खातेदारी हक मिले या नहीं? या वह जमीन फारेस्ट की है या रेवेन्यू की है? नम्बर दो, बांध बनने से अधिकतर ट्राइबल लोग ही विस्थापित होते हैं, चाहे वे माही के हों, जाखम के हों, या सोमकागदर के हों। उन विस्थापितों को बसाने की सरकार की कोई नीति है या नहीं? या उनको केवल मुआवजा देकर वहां से भगा देना है?

श्री विजय सिंह झाला : यह पहले वाली सरकार का मामला है। सारे जो काश्तकार थे उनको मुआवजा देकर बसाया नहीं गया है।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : पहले की और आपकी सरकार का क्या सवाल है? यह वर्तमान सरकार की बात है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री विजय सिंह झाला : परन्तु उन्होंने मुआवजा ले लिया है और अपनी इच्छा से अब बस गये हैं।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे प्रश्न का आंसर चाहिए। दूसरा प्रश्न मेरा है कि बांधों से विस्थापित होने वाले लोगों को बसाने की सरकार की नीति है या नहीं? अगर नहीं है तो क्या केवल उनको मुआवजा देकर वहां से भगा देना ही है?

श्री विजय सिंह झाला : अभी सरकार की नीति बसाने की है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट–4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय माध्यमिक विद्यालय हरिजन बस्ती श्रीगंगानगर

392. **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरीसिंहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालय हरिजन बस्ती श्रीगंगानगर शहर में क्लासवाइज कितने छात्रों की संख्या है?

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

(2) उक्त विद्यालय में कुल कितना स्टाफ है ? स्टाफ पर मासिक व्यय कितना होता है ?

(3) प्रधानाध्यापक का पद कब से रिक्त है ?

उत्तर

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालय हरिजन बस्ती श्रीगंगानगर में क्लास वाइज छात्र संख्या निम्नानुसार है—

कक्षा	छात्र संख्या
6	11
7	11
8	4
9	21
10	9
	56

(2) उक्त विद्यालय में 22 का स्टाफ है। स्टाफ-पर मासिक व्यय 45,5,69 रुपये होता है।

(3) प्रधानाध्यापक का पद रिक्त नहीं है।

श्री गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर

393. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर का सहकारी विभाग में पंजीयन कब हुआ तथा पंजीयन के समय कौन-कौन किस-किस पद पर पदाधिकारी थे, सूची एवं पंजीयन प्रमाण पत्र सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति ने स्कीम नं. 1 स्वेज फार्म, सोडाला में बनाकर भूखण्ड आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो आवंटनधारियों की सूची मय प्लाट नम्बर व क्षेत्रफल के पत्रादि के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त समिमि ने स्कीम नं. 2 इमली वाला फाटक रामपुरा रूपा में बना कर अपने सदस्यों को भूखण्ड आवंटन किये हैं ? यदि हां, तो आवंटन धारियों के नाम व पते मय प्लाट नम्बर व क्षेत्रफल के सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि समिति को भंग करके प्रशासक नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो कब व कौन-कौन प्रशासक नियुक्त किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उक्त समिति के चुनाव कराये है ? यदि हां, तो कब ? निर्वाचित मण्डल की सूची मय नाम पदाधिकारियों के सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि समिति के सदस्यों की शिकायत पर निर्वाचित मण्डल को भंग करके अवसायक नियुक्त किया है ? यदि हां, तो कब व क्यों ?

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

(7) क्या यह सही है कि निर्वाचित समिति ने पूर्व आवंटित भूखण्डों का पुन: आवंटन कर फर्जी व्यक्तियों के नाम आवंटन पत्र जारी किये हैं ?

(8) क्या श्री गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर की स्कीम नं. 1 व 2 में कोई वाणिज्यक भूखण्ड है ? यदि हां, तो भूखण्ड मय आवंटनधारियों के नाम पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(9) क्या यह सही है कि स्कीम नं. 2 रामपुरा रूपा का भूखण्ड संख्या 8 श्री चौथ मल यादव के नाम आवंटित थी उसे फर्जी व बेनामी आवंटन पत्र श्री भारतसिंह के नाम जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री गणेश हाऊसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि. का पंजीयन 2447 एल पर दिनांक 17·12·1968 को हुआ पंजीयन के समय निम्न पदाधिकारी थे—

1. अध्यक्ष	श्री नन्दलाल सिंह
2. उपाध्यक्ष	श्री रामसिंह खींची
3. मंत्री	श्री गणपतसिंह राठौड़
4. कोषाध्यक्ष	श्री बनवारी लाल
5. सदस्य	1. श्री कल्याण शर्मा
	2. श्री भोजराज
	3. श्री गोपाल सिंह

पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि परिशिष्ट "अ" पर सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। समिति का मूल रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सूचना के आधार पर इस योजना के आवंटन धारियों की सूची मय प्लाट नम्बर व क्षेत्रफल के सदन की मेज पर परिशिष्ट–"ब" पर रख दी गयी हैं।

(3) जी हां। समिति का मूल रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सूचना के आधार पर आवंटन धारियों की सूची मय प्लाट नम्बर एवं क्षेत्रफल के परिशिष्ट–"स" पर सदन की मेज पर रख दी गयी है। रिकार्ड नहीं होने से पते नहीं दिये जा सकते हैं।

(4) जी हां, समिति के प्रबन्धकारिणी समिति को भंग कर प्रशासक नियुक्त किया गया था। समय-समय पर नियुक्त प्रशासकों की सूची निम्न प्रकार सदन की मेज पर रख दी गई है—

क्र. सं. नाम प्रशासक	आदेश क्रमांक/ दिनांक
1. श्री रमाशंकर मिश्रा, निरीक्षक (का.)	1269/ 24·1·1977
2. श्री दामोदरलाल शर्मा, निरीक्षक (का.)	6006/ 7·5·1977
3. श्री रामप्रसाद बोहरा, निरीक्षक, (का.)	676/ 16·1·1978
4. श्री रमाशंकर मिश्रा, निरीक्षक, (का.)	16984/ 5 8·1978

(सहकारिता मंत्री)

5. श्री दामोदर शर्मा, निरीक्षक, (का.)	20613/ 28·10·1978
6. श्री रघुनन्दनलाल गुप्ता, निरीक्षक, (का.)	9736/ 24·7·1979
7. श्री रामजीलाल सोनी, निरीक्षक (का.)	5741/ 29·9·1980
8. श्री लादूराम ग्वाला, निरीक्षक (का.)	2247 29·4·1981

(5) जी हां। प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के अन्तिम चुनाव दिनांक 20·8·82 को सम्पन्न कराये गये थे। निर्वाचित पदाधिकारी निम्न थे—

1. श्री शिवदान सिंह	अध्यक्ष
2. श्री गोकुल चन्द	उपाध्यक्ष
3. श्री भागीरथ सिंह	सचिव
4. श्री माधव सिंह	कोषाध्यक्ष
5. श्री संजय देवल	सदस्य
6. श्री भैरू सिंह	सदस्य

(6) जी हां। सदस्यों की शिकायत पर एवं सहकारी अधिनियम की धारा 70 की जांच के आधार पर सहायक रजिस्ट्रार, जयपुर द्वारा अप्रेल, 84 में निरीक्षक (हाऊसिंग) को अवसायक लगाया गया।

(7) समिति का रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं। रेकार्ड के अभाव में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पूर्व प्रबन्धकारिणी द्वारा अवसायक को रिकार्ड नहीं दिया गया है। रिकार्ड तुरन्त पुलिस के कब्जे में लेने हेतु एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हेतु पुलिस थाना सोडाला में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई हैं। (मु. 143/85)

(8) रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने से कुछ भी कहना सम्भव नहीं हैं।

(9) रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने से कुछ भी कहना सम्भव नहीं हैं।

(प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सीमेन्ट आपूर्ति

394. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर एवं सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का वर्ष 1990-91 का कार्य सीमेन्ट की आपूर्ति न होने से लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पायेगा? यदि हां, तो इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के कार्य हेतु सीमेन्ट कब-कब व कितनी-कितनी उपलब्ध हुई एवं प्रत्येक माह में सीमेंट की कब-कब कितनी-कितनी कमी रही?

(2) क्या यह सही है कि सी. एस. पी. की दरें जो संविदा के आधार पर तय हुई थी उस पर सीमेन्ट उत्पादनकर्त्ताओं ने सीमेन्ट की आपूर्ति नहीं की? सी. एस. पी. की रेत कांट्रेक्ट की दर वर्तमान में कितनी बढ़ाई गई? बढ़ी हुई दर कब व कितनी सीमेन्ट इन्दिरा गांधी नगर परियोजना को दी गई? क्या इस सीमेन्ट से

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

वित्तीय वर्ष 1990–91 में भौतिक लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये ?

(3) सी. एस. पी. रेट कान्ट्रेक्ट पर सीमेन्ट उपलब्ध न होने पर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग द्वारा ऐसे उत्पादन कर्त्ताओं के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(4) वित्तीय वर्ष 1990–91 में इन्दिरा गांधी मुख्य नहर वितरिकाओं माइनर, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के कितने-कितने किलोमीटर नहर निर्माण का लक्ष्य था, उसमें से अब तक कितनी-कितनी नहरें, वितरिकाएं, माइनर, सब माइनर एवं लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण हो चुका है ? इस वर्ष का अधिशेष कार्य कितना-कितना रहा ? उसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि इन्दिरा गांधी नगर परियोजना के वर्ष 90-91 का कार्य सीमेंट की आपूर्ति न होने के कारण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पायेगा। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के कार्य हेतु वर्ष 1990-91 में 49236 मैट्रिक टन सीमेंट उपलब्ध हुई है। इसके अतिरिक्त 18432·93 मैट्रिक टन मात्रा पिछले वर्ष की बकाया 1·4·90 को उपलब्ध थी। माहवार स्थिति प्रपत्र (क) पर संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि किसी भी माह में कार्य हेतु सीमेंट की कमी नहीं रही है।

(2) जी नहीं। सीमेंट उत्पादनकर्त्ताओं ने सी. एस. पी. ओ. की दरों पर 12953·60 मैट्रिक टन की आपूर्ति की। सी. एस. पी. ओ. रेट कान्ट्रेक्ट की दर 1095/– रुपये प्रति मैट्रिक टन से बढ़ाकर वर्तमान में मैसर्स उदयपुर सीमेंट वर्क्स व मैसर्स जे. के. सीमेंट वर्क्स के लिए 1260/– रुपये प्रति मैट्रिक टन (बिक्री कर अलावा) और मैसर्स सी. सी. आई. के लिए 1052·88 से बढ़ाकर 1211·53 रुपये प्रति मैट्रिक टन (बिक्री कर अलावा) की गयी है। बढ़ी हुई दर पर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में माह जनवरी, 1991 से अब तक 20301·04 मैट्रिक टन सीमेंट प्राप्त हुई है। वर्ष 1990-91 के भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने में सीमेंट की कमी के कारण कोई बाधा नहीं आई है।

(3) सी. एस. पी. ओ. रेट कान्ट्रेक्ट पर सीमेंट की सप्लाई पूरी नहीं करने के कारण अनुबन्ध के अनुसार सीमेंट उत्पादन कर्त्ताओं के खिलाफ रिस्क परचेज की कार्यवाही वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रारम्भ की गयी थी। निविदाएं प्राप्त होने पर व इन पर विचार किया जाकर निर्णय होने से पूर्व सी. एस. पी. ओ. द्वारा बढ़ी दरों की स्वीकृति प्रसारित होने के फलस्वरूप सी. एस. पी. ओ. को इन बढ़ी हुई दरों के अनुसार सीमेंट आपूर्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई।

(4) वित्तीय वर्ष 1991-91 में इन्दिरा गांधी मुख्य नहर वितरिकाओं, माइनर, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं पर 250 किलोमिटर लाईनिंग कार्य का लक्ष्य रखा गया है एवं माह फरवरी, 1991 तक 141 किलोमीटर में कार्य कर लिया गया है।

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

शेष 109 किलीमीटर लम्बाई में मार्च के अन्त तक कार्य हो जाने की आशा है।

शाखाओं व वितरिकाओं, माइनर, सब माइनर एवं लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के अलग-अलग लक्ष्य एवं माह फरवरी तक को उपलब्धि निम्नानुसार है :—

	लक्ष्य (कि.मी)	माह फरवरी तक प्रगति (कि..मी)	शेष कार्य जो मार्च तक पूरा किया जाना है।
1. शाखायें	22·57	19·26	3·31
2. वितरिकाएं माइनर एवं सब माइनर	201·43	114 09	87·34
3. लिफ्ट सिंचाई योजनाएं	26·00	7·65	18·35
कुल योग:–	250·00 कि. मी.	141·00 कि. मी.	109·00 कि.मी.

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

करौली में जलाऊ लकड़ी का डिपो

395. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या करौली उप वन संरक्षक के अन्तर्गत कोई जलाऊ लकड़ी का डिपो है? यदि हां, तो इस पर महीने में कितनी लकड़ियां उपलब्ध करायी जाती है? जनता को जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने का क्या प्रावधान है?

(2) क्या यह सही है कि करौली में जलाऊ लकड़ी का अभाव है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या करौली में मृत व्यक्तियों के दाह संस्कार हेतु लकड़ी का अभाव है?

(4) क्या यह सही है कि सरकार शमशान घाट करौली पर डिपो खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। किन्तु उप वन संरक्षक-विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर, के अधीन करौली में जलाऊ लकड़ी का एक डिपो कार्यरत है। इस वर्ष हैं। इस वर्ष डिपो से प्रतिमाह औसतन 400 क्विन्टल लकड़ी उपलब्ध कराई गई है। लकड़ी की उपलब्धता होने पर जनता की मांग अनुसार उक्त डिपो से लकड़ी निर्धारित मूल्य पर विक्रय की जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाड़मेर) के पशु चिकित्सालय में रिक्त पद

745. श्री हुकमाराम (सिवाना) : क्या पशु पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कितने पशु चिकित्सालय कौन-कौन से गांव में हैं ? क्या सभी चिकित्सालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई है ? यदि हां, तो कब, नहीं तो क्यों नहीं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पशु चिकित्सालयों में कितने पद रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार और नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब व कहां, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में 4 पशु, चिकित्सालय, सिणधरी, सिवाना, मोकलसर एवं समदडी है। केवल दो पदों के अलावा इन चिकित्सालयों में कर्मचारियों के सभी पद भरे हुए हैं। सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सिवाना विधान सभा क्षेत्र में एक पद वेटनरी असिस्टेन्ट का पशु किकित्सालय, मोकलसर व एक पद पशुधन सहायक का पशु चिकित्सालय सिवाना में रिक्त है। प्रशासनिक प्रक्रिया (V. A. का पद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के बाद भरा जावेगा) पूर्ण होने पर रिक्त पदों को भर दिया जावेगा।

(3) वित्तीय वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में कोई नये पशु चिकित्सालय नहीं खोले जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—6 देखें)

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के जग्गर बांध के निर्माण पर व्यय

746. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के जग्गर बांध निर्माण कार्य पर आजादी के बाद से अब तक सरकार ने कुल कितनी धन राशि किस-किस कार्य के लिए कब-कब खर्च की है ?

(2) बांध की वर्तमान जल संग्रहण क्षमता क्या है और इससे कितनी भूमि की सिंचाई की जा रही है और वर्तमान में किन किन नहरों द्वारा कुल कितनी हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही है ?

(3) क्या गत एक दशक के दौरान सरकार ने अतिरिक्त भूमि की सिंचाई के उद्देश्य से इस बांध को तीन फुट ऊंचा उठाने पर धन राशि खर्च की है ? यदि हां, तो फिर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई के लिए विभागीय स्तर पर बार-बार प्रस्तावित किये जाने के बावजूद सरकार द्वारा नहरों के

(श्री भरोसी लाल)

विस्तार की योजना को स्वीकृत नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(4) वर्तमान में इस बांध से सम्बन्धित क्या-क्या योजनाएं विभागीय स्तर पर प्रस्तावित हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जग्गर बांध का निर्माण कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना में आरम्भ होकर वर्ष 1961–62 में पूर्ण हो गया था जिसमें खर्चा 15.16 लाख हुआ है, उसके पश्चात् सन् 1978 से आधुनिकीकरण का कार्य प्रारम्भ हुआ था जो कि अभी तक प्रगति पर है। आधुनिकीकरण योजना मद में 87.20 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(2) जग्गर बांध की वर्तमान जल ग्रहण क्षमता 1172 मिलियन घनफीट है जिससे 4250 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो हो सकती है। वर्तमान में मुख्य नहर व मांइनरों द्वारा अधिकतम 3392 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हुई है।

(3) जी, हां। इस कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति 113.70 लाख रुपये की राज्य सरकार ने वर्ष 1980–81 में दी थी। परन्तु बजट के अभाव में शेष कार्य वर्ष 1988-89 के बाद में पूर्ण करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(4) बांध को छः फीट ऊंचा करना, नहरों की विस्तार करना, लाइनिंग का कार्य करना आदि है। जिससे 870 हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मिट्टी के बांध को ऊंचा करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है व वेस्ट वीयर को तीन फीट ऊंचा किया जा चुका है। बजट की उपलब्धता के अनुसार नहरों की लाइनिंग का कुछ कार्य किया जा चुका है। बाकी की उपलब्धता के अनुसार किया जावेगा।

ब्यावर तहसील के बांधों के निर्माण पर व्यय

747. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले के ब्यावर तहसील का कुडाल लेविया बांध, देवाता फीडर सुरेघाटा फीडर के निर्माण के लिये सरकार द्वारा किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी ? वर्षवार निर्माण खर्च सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन महत्वपूर्ण योजनाओं को सरकार कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले के ब्यावर तहसील के निम्नांकित बांधों पर पूर्व में किये गये कार्य एवं व्यय का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

देवाता फीडर :—(कार्य एवं खर्च का वर्षवार विवरण)

(सिंचाई मंत्री)

वर्ष	व्यय की गई राशि रुपये लाखों में	कार्य का विवरण
70–71	0.44	फीडर की खुदाई का कार्य
81–82	1.67	,, ,,
83–84	4.12	,, ,,
योग :	6.23	

सुरेघाटा फीडर :—(कार्य एवं खर्चे का वर्षवार विवरण)

वर्ष	व्यय की गई राशि रुपये लाखों में	कार्य का विवरण
	लाख	
1962–64	0.28	फीडर की खुदाई का कार्य
1964–65	0.15	,, ,,
1967–68	0.23	,, ,,
1970–71	0.22	,, ,,
1980–81	0.99	,, ,,
1981–82	2.49	,, ,,
1982–83	2.75	,, ,,
1985–86	4.89	,, ,,
1986–87	4.75	,, ,,
योग :	15.75	

कुडाल लेनिया बाँध:—(कार्य एवं व्यय का विवरण)

वर्ष	व्यय की गई राशि रुपये लाखों में	कार्य का विवरण
1986-87	0.855	नींव की खुदाई एवं भराई का कार्य (नींव की भराई एवं ऊपर की चुनाई का कार्य है)
1987-88	2.153	
योग :	3.008	

(2) **देवाता फीडर**—यह योजना लाभ लागत की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होती नहीं होती इस कारण इस कार्य को योजना मद में नहीं लिया जा सकता ।

अतः विशेष परिस्थितियों में जबकि सम्बन्धित ग्रामवासियों को रोजगार देना आवश्यक होता है तब इस योजना पर कुछ कार्य करवा लिया जाता है ।

सुरेघाटा फीडर :—यह अधूरा कार्य जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत खंडीय कार्यालय द्वारा प्रस्तावित किया जा चुका है स्वीकृत होते ही यदि आसीन्द तहसील वालों ने आपत्ति नहीं की तो पूर्ण करवा दिया जावेगा ।

कुडाल लेनिया बांध :—यह अधूरा कार्य डी. पी. ए. पी. स्कीम में खण्ड द्वारा

(सिंचाई मंत्री)

प्रस्तावित किया गया है एवं स्वीकृत होते ही पूर्ण करवा दिया जावेगा।

पाली एवं जालौर जिले के काश्तकारों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने हेतु स्वीकृति

748. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने पाली व जालौर जिले के काश्तकारों को सिंचाई हेतु तीन बार पानी देने की स्वीकृति दी है ?

(2) क्या यह सही है कि तीन बार का पानी केवल रायडा, इरंडी की फसल के लिये ही पर्याप्त है ? यदि हां, तो गेहूं, चना इत्यादि की फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता होने पर सरकार की क्या व्यवस्था है ?

(3) क्या सरकार खाद्यान्नों के लिए आवश्यकता के अनुसार पानी देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। राइडा एवं चने की फसल के लिए तीन पाण पर्याप्त है एवं दोरडी पीथागल फसल इस क्षेत्र में बोई जाने का प्रचलन नहीं है। जी हां, गेहूं की फसल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती हैं।

(3) जी हां। राज्य सरकार की कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए यह नीति है कि कम पानी से जो फसलें पक सकें वे ली जावें ताकि उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग हो।

गंगानगर लिंक चैनल को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना कैनाल से जोड़ना

749. श्री सुनील विश्नोई (सूरतगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गंगानगर लिंक चैनल को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना केनाल से जोड़ने का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं तो कितना कार्य शेष है और कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

(2) क्या इस कार्य के पूर्ण होने पर गंग केनाल में पानी की मात्रा बढ़ेगी ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। हरियाणा राज्य में बने हुए सरहिंद फीडर के साईफन के जोड़ने का कार्य तथा गंग कैनाल लिंक चैनल को इन्दिरा गांधी फीडर से जोड़ने का कार्य शेष है। उक्त दोनों कार्य पूर्ण करने के लिए सरहिंद फीडर एवं इन्दिरा गांधी फीडर दोनों में बारी-बारी से 15 दिवस की बंदी आवश्यक है बंदी लेने के लिए राजस्थान सरकार पंजाब सरकार से लगातार सम्पर्क बनाये हुए हैं तथा दोनों नहरों की बंदी मिलने पर लिंक चैनल में पानी चलाना सम्भव होगा।

(सिंचाई मंत्री)

(2) जी नहीं। क्योंकि गंग कैनाल लिंक चैनल गंग नहर सिंचित क्षेत्र को बीकानेर कैनाल की मरम्मत की अवधि में पानी उपलब्ध कराने का एक वैकल्पिक स्त्रोत मात्र हैं।

कोटा जिले के बांधों एवं नहरों के निर्माण पर आवंटित राशि

750. श्री हेमराज मीना (किशनगंज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में वर्ष 1989–90 में बांधों व नहरों की रख-रखाव मद में विभिन्न खण्डों में क्या मांग थी तथा उनको कितनी-कितनी राशि आवंटित की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्क चार्ज श्रमिकों के वेतन भत्तों पर कितना खर्च होता है तथा बांधों, नहरों की मरम्मत पर कितना व्यय होता है ? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस क्षेत्र के तालाबों एवं बांधों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) मरम्मत के अभाव में कितने बांधों, तालाबों एवं नहरों की हालत खस्ता है ? इन पर कुल कितनी राशि खर्च होगी ?

उत्तर

(1) विवरण निम्न प्रकार है:—

खण्ड का नाम	मांग 89–90	आवंटन 89–90
सिंचाई खण्ड कोटा	50 लाख	23 लाख
सिंचाई खण्ड बांरा	90 लाख	50.35 ,,

(2) विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्कचार्ज श्रमिकों के वेतन भत्ते पर खर्च	बांध एवं नहरों के रख रखाव (मरम्मत हेतु खर्च)
12.45 लाख सिंचाई खण्ड, कोटा	12.02 लाख सिंचाई खण्ड, कोटा
45.20 लाख सिंचाई खण्ड, बारां	2.50 लाख सिंचाई खण्ड, बारां

(3) जी हां। संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार हर वर्ष मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर करवायी जाती है।

(4) सिंचाई खण्ड कोटा/बारां के बांध एवं नहर समय-समय पर क्षतिग्रस्त होती रहती हैं तथा मरम्मत भी होती रहती है यह एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा इस पर कुल कितनी राशि खर्च होगी, का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। हर वर्ष संसाधनों की उपलब्धि एवं प्राथमिकता के अनुसार मरम्मत की जाती हैं।

बासनी (नागौर) में पानी की टंकी का निर्माण

751. श्री हबीबुर्रहमान (मूंडवा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हबीबुर्रहमान)

(1) बासनी गांव जिला नागौर में जो पानी की टंकी बन रही है, क्या वह भूमि सिंचाई विभाग की है ?

(2) जिस भूमि पर टंकी बन रही है क्या वह भूमि प्लान के अन्तर्गत ली हुई है ?

(3) जहां टंकी बन रही है क्या वह भूमि सैकण्डरी विद्यालय की है ?

(4) क्या शिक्षा विभाग द्वारा इस निर्माण कार्य को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय हुआ ?

उत्तर

(1) नागौर से 7 कि. मी. दूर जो बासनी गांव है वहां पर सिंचाई विभाग की भूमि नहीं है। जो पानी की टंकी बनाई है वह जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा बनाई गई है।

(2, 3 एवं 4) चूंकि यह प्रकरण इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है, अतः इस विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

छबड़ा (कोटा) की स्वीकृत सिंचाई योजनाएं

752. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में छः नदियां बारह महीने बहती हैं ?

(2) सरकार का ल्हासी, बेंतली, हिंगलोट, पार्वती, अन्धेरी आदि योजनाएं कब तक प्रारम्भ करने का विचार है ?

(3) क्या इस क्षेत्र की कोई लघु सिंचाई योजनाएं भी स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो कब तक आरम्भ व पूरी होंगी ?

(4) क्या उक्त योजनाओं में से कोई योजना केन्द्रीय जल आयोग ने भी स्वीकृत की है ? यदि हां, तो कब और कहां आरम्भ होगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ये नदियां बरसाती हैं।

(2) ल्हासी, बेतली योजनाएं आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है। केन्द्रीय जल आयोग और योजना आयोग से अनुमोदन के बाद एवं बजट उपलब्धि पर प्रारम्भ की जा सकेगी। पार्वती, हिंगलोट व अन्धेरी योजनाओं को योजना आयोग से अनुमोदन करवाने के प्रयास जारी है व उनको प्रारम्भ करना भविष्य में स्वीकृति जारी होने व बजट उपलब्धी पर निर्भर करेगा।

(3) जी नहीं।

(4) सूचना भाग–2 के अनुसार।

विधान सभा क्षेत्र फागी में अधूरे एनीकटों का निर्माण

753. **श्री प्रकाशचन्द बैरवा** (फागी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री प्रकाशचन्द बैरवा)

(1) क्या सरकार राज्य में पानी की कमी को देखते हुए लघु सिंचाई योजनाएं, एनीकट व तालाब बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व कैसे ?

(2) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फागी में कितने एनीकट बने हुए हैं ? क्या इन एनीकटों का कार्य अपूर्ण हैं ? यदि हां, तो इनको कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा ?

(3) क्या सरकार ने गत विधान सभा सत्र में इन अधूरे एनीकटों को जल्दी पूर्ण करवाने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राज्य में पानी कमी को देखते हुए उपयुक्त साईट का सर्वेक्षण कराने के पश्चात् व उसकी तकनीकी एवं आर्थिक जांच पड़ताल के बाद उपयुक्त पाये जाने पर उपलब्ध बजट के अनुसार लघु सिंचाई योजनाएं/तालाब बनाये जाते हैं। एनीकट सिंचाई विभाग द्वारा विभागीय मद से निर्मित नहीं कराये जाते हैं।

(2) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फागी में पिछले वर्षों में अकाल राहत के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड प्रथम द्वारा 12 एनीकटों का निर्माण प्रारम्भ किया गया था जिनमें से 4 पर प्रस्तावित कार्य पूरा करा दिया गया एवं शेष 8 अपूर्ण हैं जिन्हें पूर्ण कराने हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर ही पूर्ण करवाना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी हां। गत विधान सभा सत्र में इन अधूरे एनीकटों को आवश्यक बजट उपलब्ध होने पर पूर्ण करवाने का आश्वासन दिया गया था। सिंचाई खण्ड प्रथम द्वारा कलक्टर, जयपुर को अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु आवश्यक बजट आवंटन के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

विभाग में अधिकारियों के स्थानान्तरण

754. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग में दिनांक 1-4-1990 से 31-1-1991 तक कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता, अधीक्षण अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं मुख्य अभियन्ता स्तर के किन-किन अधिकारियों का कहां-कहां से एवं किन स्थानों पर स्थानान्तरण किया गया ?

(2) उक्त स्थानान्तरण में से किन किन के स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये गये अथवा उनमें संशोधन किया गया ?

(3) उक्त संशोधन अथवा निरस्तीकरण के क्या कारण रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण सूची संख्या 1 से 5 में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सूची में अंकित है।

(सिंचाई मंत्री)

(3) उक्त सूची में अंकित है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

डायवर्शन ड्रेन (सवाईमाधोपुर) निर्माण हेतु आमंत्रित निविदा

755. श्री चुन्नीलाल (खण्डार): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर में बेस प्लाण्ट के पास डायवर्शन ड्रेन का निर्माण कराया जा है? यदि हां, तो इस हेतु कितनी राशि की स्वीकृति थी व किस निविदाकार को किस-किस शर्त पर ठेका दिया गया? क्या उक्त कार्य निविदाकार ने निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पूर्ण कर दिया? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त कार्य की जांच करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

जी हां, ड्राइवर्शन ड्रेन का निर्माण कार्य सिंचाई विभाग के सवाईमाधोपुर खण्ड द्वारा कराया गया है। जिसके लिए 59.29 लाख रुपये की राशि वर्ष 85-86 में आई.ओ.सी. सवाईमाधोपुर द्वारा स्वीकृति की गई थी। उक्त कार्य मैसर्स कैलाश चन्द शर्मा को खण्डीय कार्यालय के पत्र संख्या 10646–51 दिनांक 20-12-85 द्वारा टेण्डर राशि 38,58,215/– रुपयें अलाट किया गया था। जिसके चालू करने की दिनांक 20-12-85 व पूर्ण करने की दिनांक 19-6-86 थी। इसको निम्न शर्तों पर स्वीकृत किया गया था।

1. सीमेन्ट की व्यवस्था विभाग को करनी पड़ेगी।

2. जिस क्वारी से मैटीरियल लाना है, उस क्वारी पर अगर पर्याप्त मैटीरियल उपलब्ध नहीं है तो दूसरी क्वारी जहां से सामान उपलब्ध होगा लीड देनी होगी तथा खनिज विभाग से स्वीकृति विभाग को दिलानी होगी।

यह कार्य दिनांक 31-1-89 को राशि 37,71,000/– रुपये का पूर्ण कर फाइनल कर दिया गया था।

दूसरा कार्य श्री रघुनाथ जाट को खण्डीय कार्यालय के पत्र क्रमांक 6028-29 दिनांक 29-10-88 के द्वारा टेण्डर राशि रुपये 1,12,412/– का अलाट किया गया था। जिसकी कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक 29-10-88 व समाप्त करने की दिनांक 28-1-89 थी। अभी कार्य प्रगति पर है और 31-3-91 तक पूर्ण करने की संभावना है। जांच करवाने का कोई विचार नहीं है।

तहसील नैनवा के अकालग्रस्त गांवों को सिंचाई सुविधाएं

756. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नैनवा तहसील के अधिकांश गांव अकालग्रस्त रहते हैं? यदि हां, तो क्या उन गांवों के अकाल का स्थायी

(श्री रामनारायण वर्मा)

समाधान बनास नदी पर निर्माणाधीन बांध से कृषि भूमि को सिंचाई हेतु पानी पहुंचाया जाकर किया जा सकता है ?

उत्तर

गत पांच वर्षों में संवत् 2045 एवं 2047 को छोड़ कर नैनवा तहसील के अधिकतर गांव अकालग्रस्त रहे हैं।

पेयजल की कमी एवं राष्ट्रीय जल-नीति जिसके अनुसार पेयजल को प्राथमिकता दिया जाना है को ध्यान में रखते हुए जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से बीसलपुर बांध से पेयजल आपूर्ति हेतु अधिक मात्रा इंगित की है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

बीसलपुर परियोजना से पेयजल हेतु जल की मात्रा का निर्धारण कर आरक्षित करने के पश्चात् शेष उपलब्ध जल का सिंचाई हेतु उपयोग किया जायेगा। इसके पश्चात् ही यह ज्ञात हो सकेगा कि किस-किस तहसील के कौन-कौन से गांव सिंचाई से लाभान्वित हो सकेंगे।

सिंचाई हेतु जल की समुचित मात्रा उपलब्ध होने पर नैनवा तहसील के कुछ गांवों को बीसलपुर परियोजना से सिंचाई हेतु पानी पहुंचाना सम्भव हो सकता है, जिनका धरातल नहर के पूर्ण भराव तल से नीचा है।

मायला कुआं (लालसोट) में सिंचाई हेतु बांध का निर्माण

757. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लालसोट के नजदीक "मायला कुआं" नामक स्थान पर पानी को रोककर आस पास के गांवों में तथा लालसोट में कुओं का जल स्तर निरन्तर नीचे जाने से रोकने के लिए तथा लालसोट की कृषि भूमि की सिंचाई के लिए बांध बनाने का प्रस्ताव तैयार करवाकर विभाग को स्वीकृति के लिए भिजवाया गया था, जो विचाराधीन है ? यदि हां, तो तकमीना कुल कितनी राशि का था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्थान पर बांध बन जाने के बाद लालसोट में बाढ़ से बचाव का भी कार्य सम्भव हो जायेगा ?

(3) क्या सरकार उक्त बांध निर्माण की स्वीकृति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। लालसोट कस्बे के समीप मायला कुआं एनीकट का प्रारम्भिक सर्वेक्षण करवाकर एक तकमीना इस क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों की मांग पर बनाया गया था। एनीकट द्वारा प्रत्यक्ष सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अतः यह कार्य सिंचाई विभाग द्वारा नहीं लिया जा सकता। यह कार्य लालसोट कस्बा नगरपालिका के अधीन होने के कारण यह कार्य सिंचाई विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

(2) क्योंकि लालसोट कस्बा नगरपालिका के अधीन आता है। अतः ऐसा कोई प्रस्ताव सिंचाई विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं।

फलौदी (जोधपुर) में सिंचाई कार्य

758. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1975 से अब तक फलौदी जिला जोधपुर में विभाग ने कौन-कौन से सिंचाई कार्य करवाये ? सूची मय उनकी लागत के सदन की मेज पर रखें।

(2) इन कार्यों से कितनी बीघा भूमि लाभान्वित हुई हैं ? प्रत्येक निर्माण कार्य से लाभान्वित भूमि के आंकड़े अलग-अलग सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रत्येक कार्य से किन-किन लोगों की भूमि सिंचित हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1975 से अब तक जोधपुर जिले की फलौदी तहसील में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के माध्यम से 6 खडीन कार्यों का निर्माण एवं मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 खडीन कार्य कुल 13 कार्य पूर्ण किये गये। इस वर्ष मरू विकास कार्यक्रम में 5 कार्य प्रगति पर है। (कार्यों की सूची मदवार उनकी लागत के सदन की मेज पर प्रस्तुत है।)

(2) अब तक निर्मित खडीनों से 3350.90 बीघा भूमि में सिंचाई क्षमता अर्जित हुई तथा निर्माणाधीन कार्यों के पूर्ण होने पर 1427.61 बीघा भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन होने की संभावना है। प्रत्येक कार्य की भूमि उपरोक्त सूची में अंकित हैं।

(3) इन निर्मित एवं निर्माणाधीन कार्यों के केवल पेटा काश्त की खडीनों के भरने से ही हो पाती हैं।

सिंचित भूमि (पेटा काश्त) का अभिलेख राजस्व विभाग द्वारा संधारण किया जाता है। राजस्व विभाग को सूचना देने हेतु निवेदन किया हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

भीलवाड़ा जिले में सिंचाई कार्यों पर व्यय

759. श्री बंशीलाल पटवा(भीलवाड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1990–91 में भीलवाड़ा जिले में कौन-कौन से सिंचाई के कार्य किस-किस योजना के तहत किये गये ? उन पर कितनी धन राशि खर्च की गई ? लक्ष्य क्या निर्धारित किये गये थे उनमें से कितने पूरे किये गये तथा कितने शेष रहे ? शेष कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1990–91 में भीलवाड़ा जिले में 14 सिंचाई कार्य प्लान मद में 87 कार्य जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत एवं 78 कार्य जीवनधारा के अन्तर्गत चल रहे हैं। इन कार्यों पर क्रमशः इस वित्तीय वर्ष

(सिंचाई मंत्री)

में 183.60 लाख रुपये 38.35 लाख रुपये एवं 35.00 लाख रुपये खर्च किया जाना है। कार्यवार ब्यौरा संलग्न प्रपत्र-"अ", "ब–1", "ब–2" एवं "स–1", "स–2" में दर्शाया गया हैं। इन कार्यों पर माह जनवरी, 91 के अन्त तक क्रमशः 130.17 लाख रुपये, 13.32 लाख रुपये एवं 5.05 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक क्रमशः 8 कार्य, 64 कार्य एवं 55 कार्य इन योजनाओं में पूर्ण करना प्रस्तावित हैं। प्लान मद के शेष कार्यों में 2 कार्य वित्तीय वर्ष 1991–92 व 4 कार्य वर्ष 1993–94 तक पूर्ण होने की संभावना हैं। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 23 कार्यों में से 8 कार्य वर्ष 1991–92 में व बाकी 15 कार्य बजट की उपलब्धता के अनुसार अगले वित्तीय वर्षों में पूर्ण होने की सम्भावना है तथा जीवन धारा योजना के अन्तर्गत 55 कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने के प्रस्ताव हैं, शेष कार्य माह जून, 91 तक पूर्ण होने की संभवना हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ एवं विराट नगर (जयपुर) में बांधों एवं एनीकटों का निर्माण

760. श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर (जमवारामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जमवारामगढ़ व विराट नगर विधान सभा क्षेत्रों में छोटे बांध व एनीकट बनाने पर सरकार ने रोक लगा रखी है ?

(2) क्या इस क्षेत्र को कैचमेन्ट एरिया घोषित कर रखा है ? यदि हां, तो यहां के क्षेत्र की सिंचाई के बारे में सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

(3) क्या सरकार इस सम्पूर्ण क्षेत्र में बांध या एनीकट बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) रामगढ़ बांध के जल अधिग्रहण क्षेत्र में भविष्य में और कोई एनीकट इत्यादि नहीं बनाने के लिए संभागीय आयुक्त जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 16-8-89 को हुई मीटिंग में निर्णय लिया गया हैं।

(2) अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(3) जी नहीं।

पाली जिले में क्षतिग्रस्त बांधों, एनीकटों एवं नहरों का निर्माण

761. श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर) एवं **श्री अचलाराम** (देसूरी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष बाढ़ के दौरान पाली जिले में खडीन, नहरें, एनीकट, तटबन्ध, बाढ़ बचाव, बांध एवं अन्य विभागीय कार्य क्षतिग्रस्त हुए हैं ? यदि हां, तो उनमें से कितनों की पुन:

(श्री गुलाब सिंह)

मरम्मत करवायी जाकर ठीक कर दिये गये हैं ? उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई हैं ? क्रमवार पृथक्-पृथक् सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उपरोक्त कार्यों में से कितने कार्य विभागीय स्तर पर और कितने कार्य टेण्डर से ठेकेदारों द्वारा करवाये गये हैं ? क्रमवार ब्यौरा मय ठेकेदारों के नाम व्यय की गयी राशि के सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्षतिग्रस्त कार्यों में से वर्तमान में कितने कार्य ऐसे हैं जिन पर अभी तक कार्य शुरू ही नहीं किया गया है या जो अपूर्ण हैं, उन्हें कब तक पूरा करवा लिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि पाली में गत वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा के कारण सिंचाई विभाग के कुल 226 सिंचाई कार्य क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनमें से 104 बांध एवं इनकी नहरें 55 एनीकट, 28 खडीन, 29 बाढ़ बचाव कार्य थे । उनमें से उपलब्ध बजट के अनुसार कुल 100 कार्यों की मरम्मत करवायी जा चुकी हैं । इन सभी कार्यों की मरम्मत करवायी जा चुकी हैं । एवं इन सभी कार्यों पर रुपये 63.90 लाख की राशि व्यय हुई है, जिसका विवरण प्रपत्र "अ" से ≌ स अ–1 से ब–1 तक अंकित है ।

(2) क्षतिग्रस्त हुए विभागीय बांध के कार्यों में से केवल 51 कार्यों को टेण्डर से ठेकेदारों के माध्यम 5, से कार्यों को वर्क आर्डर के माध्यम से और 44 कार्यों को विभागीय माध्यम से पूरा करवाया गया । क्रमवार ब्यौरा उपरोक्त प्रपत्रों में वर्णित हैं ।

(3) क्षतिग्रस्त कार्यों में से कुल 196 कार्य ऐसे हैं जिन पर अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है व अपूर्ण है । इनको बजट उपलब्ध होने पर पूर्ण करवाना संभव होगा, विवरण उपरोक्त प्रपत्रों में अंकित है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

झालावाड़ जिले का सिंचित क्षेत्र

762. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) एवं **श्री अचला राम** (देसूरी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले का सिंचित क्षेत्र कितना है ? यह कुल उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत है ? जिले की सिंचाई क्षमता कम होने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) झालावाड़ जिले में पानी की उपलब्धि कितनी है, जिसमें से कितने पानी का बांधों द्वारा उपयोग संभव है ?

(3) झालावाड़ जिले में उपलब्ध पानी के उपयोग हेतु कितनी वृहद् व मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाएं बनायी गयी हैं ? इसमें से कितनी योजनाओं पर कार्य पूर्ण हो चुका है कितनी निर्माणाधीन हैं ? इन योजनाओं को पूर्ण करने की सरकार की क्या योजना है ?

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

(4) अन्य योजनाओं की स्वीकृति व उनके निर्माण की क्या योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले का सिंचित क्षेत्र 0.52 लाख हैक्टेयर है । कुल कृषि योग्य भूमि का 10.67 प्रतिशत है जिले की सिंचाई क्षमता बढ़ाये जाने हेतु कुछ वृहद्, एवं मध्यम सिंचाई योजनाएं केन्द्रीय जल आयोग के विचाराधीन है तथा लघु सिंचाई योजनाएं राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

(2) झालावाड़ जिले में कुल पानी की उपलब्धता 58 टी. एम. सी. आंकी गयी है जिसमें से 40 टी. एम. सी. का उपयोग सम्भव पाया गया हैं ।

(3) झालावाड़ जिले में उपलब्ध पानी के उपयोग हेतु 4 वृहद्, 14 मध्यम एवं 44 लघु सिंचाई योजनाएं बनायी गयी हैं । जिनमें से 2 मध्यम एवं 22 लघु सिंचाई योजनाओं से सिंचाई की जा रही हैं एक मध्यम तथा 9 लघु सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं । निर्माणाधीन योजनाओं के वांछित धन उपलब्धि होने पर वर्ष 94-95 तक पूर्ण करली जावेगी । प्रस्तावित योजनाएं स्वीकृत होने तथा बजट उपलब्ध होने पर शुरू की जावेंगी ।

(4) अन्य योजनाओं की स्थिति संलग्न सारणी 'अ' में दर्शायी गयी है । योजनाओं की स्वीकृति एवं बजट उपलब्ध होने पर इन्हें शुरू की जा सकेगी ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

गृह निर्माण सहकारी समितियों के निरीक्षकों एवं राजपत्रित अधिकारियों का निलम्बन

763. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर की गृह निर्माण सहकारी समितियों के जांच अभियान 1990 के दौरान गम्भीर अनियमितताएं पाये जाने पर कई निरीक्षकों एवं राजपत्रित अधिकारियों का निलम्बन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो निलम्बन की एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की कापी सदन की मेज पर रखें ।

(2) उन लोगों के विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गये थे ?

उत्तर

(1) जी, हां । यह सही है कि जयपुर की गृह निर्माण सहकारी समितियों के विशेष अभियान के दौरान गम्भीर अनियमितताएं पाये जाने पर निम्नांकित एक अधिकारी एवं 10 निरीक्षकों के विरुद्ध निलम्बन/अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है:—

(अ) निलम्बन

1. श्रीमती उर्मिला भार्गव — निरीक्षक (आडिट)

(सहकारिता मंत्री)

2.	श्री मदनलाल कट्टा	निरीक्षक (कार्यकारी)
3.	,, भूपेन्द्र कुमार शर्मा	,, ,,
4.	,, रामचन्द्र गौतम	निरीक्षक (ग्राडिट)
5.	,, प्रभाकर ग्रार्य	निरीक्षक (ग्राडिट)
6.	,, जगमोहन लाल शर्मा	निरीक्षक (ग्राडिट)

(ब) अनुशासनात्मक कार्यवाही

7.	श्री रामचरण शर्मा	उप रजिस्ट्रार
8	,, सुखदेव सिंह	निरीक्षक (कार्यकारी)
9.	,, छिद्दा सिंह	निरीक्षक (कार्यकारी)
10.	,, महताब सिंह	निरीक्षक (कार्यकारी)
11.	,, दामोदर शर्मा	निरीक्षक (कार्यकारी)

गृह निर्माण सहकारी समितियों के विशेष ग्रभियान के दौरान क्रमांक 1 से 6 तक ग्रंकित निरीक्षकों को निलम्बित किया गया, जिनके निलम्बन ग्रादेश परिशिष्ट "क-1" से 6 के रूप में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

क्र.सं. 5 पर ग्रंकित श्री प्रभाकर ग्रार्य, निरीक्षक (ग्राडिट) एवं क्र.सं. 8 पर ग्रंकित श्री सुखदेव सिंह निरीक्षक (कार्यकारी) को जारी ग्रारोप की प्रति परिशिष्ट "ख-1 व 2" के रूप में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

क्रमांक 7 पर ग्रंकित श्री रामचरण शर्मा, उप रजिस्ट्रार को ग्रारोप पत्र जारी करने हेतु कार्मिक विभाग को भेजे गये पत्र एवं ग्रारोप पत्र की प्रति परिशिष्ट "ग-1 व 2" पर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृ होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

सहकारिता भण्डार नरहड़ (झुन्झुनू) के व्यवस्थापक के उत्तराधिकारी की नियुक्ति

764. श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नरहड़ जिला झुन्झुनू के सहकारिता भण्डार के व्यवस्थापक श्री सागरमल नाई का स्वर्गवास सेवाकाल में ही हो गया था ? यदि हां, तो कब ग्रौर उनका कितना सेवाकाल बाकी था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पद पर उनके स्वर्गवास होने के पश्चात् उनके पुत्र श्री सुरेश कुमार को उत्तराधिकारी के रूप में नियमानुसार नियुक्ति देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो नियुक्ति ग्रब तक क्यों नहीं दी गई तथा ग्रब उन्हें नियुक्ति कब तक देने का विचार है ?

उत्तर

(1) श्री सागरमल नाई ग्राम नरहड़ जिला झुन्झुनू के सहकारिता भण्डार के व्यवस्थापक न होकर नरहड़ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., के व्यवस्थापक थे, उनका स्वर्गवास दिनांक 13-3-90 को हुआ तथा मृत्यु के समय दो वर्ष का सेवाकाल बाकी था।

(2) कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के चयन, नियुक्ति एवं सेवा नियम, 1977 में मृतक व्यवस्थापक के उत्तराधिकारी को सेवा में लेने का कोई प्रावधान नहीं है फिर भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सुरेश कुमार पुत्र स्व. श्री सागरमल को वर्तमान में समिति द्वारा व्यवस्थापक पद पर दिनांक 14-3-90 से लगाया हुआ है।

ग्राम पंचायत चौसाला (कुचामन) में भेड़पालक सहकारी समिति का गठन

765. श्री हरिशचन्द्र (नावां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चौसला क्षेत्र में भेड़पालक सहकारी समिति लि., कूणी बनायी गयी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि भेड़पालक सहकारी समिति लि., कूणी के गठन से लेकर अब तक समिति की प्रबन्धकारिणी का चुनाव नहीं कराया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण रहा और अब चुनाव कब तक करवा दिये जायेंगे ?

(3) इस सहकारी समिति के किन-किन सदस्यों को कितना-कितना ऋण दिया गया था ये ऋण वापस कब तक जमा कराना था ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। चुनाव हुए हैं।

(3) उक्त सहकारी समिति के सदस्यों को किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया गया है। अतः सदस्यों से ऋण की वसूली का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 766

(अस्वीकृत)

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्यों की नियुक्ति

767. श्री अमीन खां (शिव) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे :—

(1) क्या जिला बाड़मेर व जैसलमेर ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कई व्यक्ति बिना चुनाव के ही सदस्य बना दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या इसके लिए मैनेजर दोषी है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। क्योंकि सदस्य बनाने के लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं है। कार्यकारिणी के सदस्य के लिए ही चुनाव की आवश्यकता होती है।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की पूंजी का विनियोजन

768. श्री हजारी लाल (खेतड़ी) एवं श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ में कुल कितनी पूंजी का विनियोजन किन-किन एजेन्सियों से है, उसमें से अनुदान कितना है व ऋण की राशि कितनी है? प्रति वर्ष कितना ब्याज ऋण राशि पर देय होता है? वर्ष 1990-91 की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. (अ) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर में निम्न एजेन्सियों का विनियोजन है जो निम्न प्रकार से हैं—

(1) हिस्सा पूंजी :

एजेन्सी का नाम	राशि
(क) राजस्थान सरकार	23481400.00
(ख) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.	20000.00
(ग) सदस्य सहकारी उपभोक्ता भण्डार	637000.00
(घ) सदस्य अन्य सहकारी संस्थाएं	120000.00
योग :	24258400.00

(सूची संलग्न है)

(2) ऋण :

एजेन्सी का नाम	(दिनांक 28-2-91 राशि)
(क) राज्य सरकार (–)	20700000.00
(+)	276500.00
(ख) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. (–)	5000000.00
	25700000.00
(+)	276500.00
	25976500.00

(3) अनुदान :

एजेन्सी का नाम	राशि
(क) राज्य सरकार	170000.00
कुल योग विनियोजन	50128400.00

(ब) प्रति वर्ष निम्न विवरणानुसार ऋण राशि पर ब्याज देय होता है :

(सहकारिता मंत्री)

1. राज्य सरकार की ऋण राशि 20976500.00 रुपये में से 2 करोड़ रुपये की राशि ब्याज मुक्त है। 700000.00 रुपये पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 105000.00 रुपये देय होता है और 276500.00 रुपये पर प्रति वर्ष 29395.00 रुपये ब्याज देय होता है।

2. राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि., के 50 लाख रुपये ऋण पर 10.5 प्रतिशत की दर से 5.25 लाख रुपये ब्याज प्रति वर्ष देय बनता है।

3. संघ का वर्ष 1990-91 का आडिट नहीं हुआ है। अतः आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

क्रय-विक्रय सहकारी समिति लाडनूं के अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक के विरुद्ध मुकदमे

769. **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) व **श्री हबीबुर्रहमान** (मूण्डवा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लाडनूं क्रय-विक्रय सहकारी समिति में वर्ष 1986-87 से अब तक कौन-कौन निर्वाचित अध्यक्ष रहे हैं ?

(2) क्या निर्वाचित मण्डल द्वारा अपने कार्यकाल से आम सभा आयोजित की गयी ?

(3) विभाग द्वारा इस अवधि में कितने व्यवस्थापक प्रतिनियुक्ति पर भेजे ?

(4) क्या निर्वाचित मण्डल ने सभी व्यवस्थापकों को ड्यूटी पर लिया ?

(5) क्या यह सही है कि इस अवधि में अस्थायी व्यवस्थापक ने अध्यक्ष के साथ मिलकर दस लाख रुपये का गबन किया ?

(6) क्या यह सही है कि सरकार ने गबन के मामले में अध्यक्ष के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है ?

(7) क्या सरकार अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक के विरुद्ध इस अपराधिक कृत्य के लिए पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) समिति में वर्ष 1986-87 से श्री हरजीराम बुरड़क निर्वाचित अध्यक्ष रहे हैं।

(2) जी नहीं।

(3) दो।

(4) जी हां।

(5) वर्ष 1987-89 तक का आडिट हुआ है जिसमें श्री रणजीत सिंह अस्थायी व्यवस्थापक द्वारा 4,25,021.35 रुपये राशि का गबन/दुरुपयोग करना बताया गया है।

(6) समिति की आडिट रिपोर्ट वर्ष 1986-87 एवं 1987-89 में अध्यक्ष द्वारा गबन करने का उल्लेख नहीं है।

(7) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, नागौर द्वारा श्री रणजीत सिंह

(सहकारिता मंत्री)

अस्थायी व्यवस्थापक समिति के विरुद्ध प्रकरण भेजे जाने पर थानाधिकारी पुलिस थाना लाडनूं ने उनके पत्र दि. 5-1-91 द्वारा मूल रिकार्ड के अभाव में एफ.आई.आर. दर्ज करने से इन्कार कर दिया। मूल रिकार्ड संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर के न्यायालय में सहकारी अधिनियम की धारा 74 की सुनवाई के लिए जमा है। वहां से मूल रिकार्ड प्राप्त कर एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी जावेगी।

सहकारी संस्थाओं के चुनाव

770. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सहकारी संस्थाओं के चुनाव की तारीखों की घोषणाओं के बाद उसे निरस्त करने की कार्यवाही क्यों की गयी ? अब कब तक ये चुनाव करवाने (शीर्ष स्तर तक) का राज्य सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

सहकारी संस्थाओं के चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद उसे निरस्त नहीं किया गया है। राजस्थान कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना लागू करने, सदस्यता वृद्धि एवं राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सहकारी निर्वाचनों को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था। फिर चुनाव करवाये गये हैं। शेष चुनाव विधान सभा सत्र के बाद करवाये जाने हैं। प्राथमिक संस्थाओं के निर्वाचन पूर्ण होने के पश्चात् शीघ्र ही केन्द्रीय एवं शीर्ष संस्थाओं के निर्वाचन कराने का विचार है।

विश्व बैंक की योजनान्तर्गत गोदामों का निर्माण

771. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि., जयपुर ने अब तक विश्व बैंक की योजना के अन्तर्गत कितने गोदाम किन-किन स्थानों पर बनाये हैं ? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) कितने निर्मित गोदाम ऐसे हैं जिनको सम्बन्धित सहकारी संस्थाएं कब्जे में नहीं ले रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) संस्थाओं द्वारा गोदामों को कब्जे में नहीं लेने का क्या कारण है ?

(4) क्या यह भी सही है कि ऐसे अनेक गोदाम हैं जिनका काम ठेकेदारों ने बीच में ही छोड़ दिया और उनके रि-टेन्डर कराये गये जो बढ़ी हुई दर पर थे ? यदि हां, तो ऐसे गोदामों व बढ़ी हुई दर की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) किस-किस गोदाम के मेटीरियल की कब-कब क्वालिटी कन्ट्रोल से जांच कराई गयी व उनकी क्या रिपोर्ट आयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि अनेक संस्थाओं ने घटिया मैटीरियल लगाने की

(श्री अर्जुनदास मदान)

शिकायत की है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

(7) इन गोदामों के निर्माण हेतु विश्व बैंक व राज्य सरकार ने कितनी राशि उपलब्ध कराई ?

(8) कितने गोदामों का संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) विश्व बैंक की योजना के अन्तर्गत बैंक ने अब तक 474 गोदाम बनाये हैं। स्थानों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट एक)

(2) निर्मित गोदामों में सोलह गोदामों को सम्बन्धित सहकारी संस्थाओं ने कब्जे में नहीं लिया है। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट दो)

(3) निर्माण सम्बन्धी कमियों के कारण संस्थाओं द्वारा गोदामों को कब्जे में नहीं लिया गया है।

(4) जी हां। गोदामों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट तीन)

(5) चूंकि आर. सी. सी. का कार्य बहुत ही सीमित मात्रा में होता है अतः क्वालिटी कन्ट्रोल से गोदामों के मैटीरियल की जाँच नहीं करवाई गई है। गोदामों में मैटीरियल तकनीकि स्टाफ की देखरेख में लगाये जाते हैं।

(6) जी हां। ऐसे मामलों में घटी हुई दरों पर भुगतान किया गया है।

(7) विश्व बैंक के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास नियम द्वारा शीर्ष बैंक को अब तक रुपये 4,09,12,800/– तथा राज्य सरकार द्वारा रुपये 3,84,37,255/- की राशि उपलब्ध कराई गयी है।

(8) जिन संस्थाओं द्वारा गोदाम का कब्जा ले लिया गया है, उन सभी गोदामों का उपयोग किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर द्वारा दी गई पदोन्नतियां

772. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर में सन् 1974 से 1980 के दौरान 18 पदों (कार्यालय सहायकों एवं निरीक्षक) पर पदोन्नतियां की गयी थी ? यदि हां, तो इनमें से कितने पदों पर अनुसूचित जाति के लोगों को पदोन्नतियां दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उपरोक्त बैंक में 1982 व 1983 में उप प्रबन्धक व क्षेत्रीय प्रबन्धक के पदों पर 9 पदोन्नतियां की गयी ? यदि हां, तो उसमें अनुसूचित जाति के कितने लोगों को पदोन्नत किया गया ? क्या अनुसूचित जाति का कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था ? यदि था, तो क्यों नहीं पदोन्नत किया गया ?

(श्री मदन दिलावर)

(3) क्या पदोन्नतियों में क्षेत्रीय कार्यालय कोटा के सहायक प्रबंधक श्री हीरालाल एसवार के साथ अन्याय हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) श्री हीरालाल एसवार ने अधिकारियों को कब-कब क्या-क्या पत्र लिखा ? पत्रों की प्रतियां सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में 1974 से 1980 के दौरान 16 कार्यालय सहायक एवं निरीक्षकों की पदोन्नतियां की गयी थी न कि 18 की, जिनमें से 2 पदों पर उपलब्ध अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पदोन्नति दी गयी।

(2) बैंक में वर्ष 1982 व 1983 में 5 उप प्रबन्धक व एक क्षेत्रीय प्रबन्धक कुल 6 पदों पर पदोन्नतियां की गयी न कि 9 पदों पर। उक्त पदोन्नतियों के समय नीचे के पद (सहायक प्रबन्धक) पर कार्यरत अनुसूचित जाति का कोई भी अधिकारी न्यूनतम योग्यता नहीं रखता था। इस प्रकार अनुसूचित जाति का कोई भी उम्मीदवार पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं था।

(3) जी नहीं।

(4) श्री हीरालाल एसवार द्वारा बैंक को लिखे गए पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल सादड़ी के छात्रों की छात्रवृत्ति

773. श्री अचलाराम (देसूरी) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, सादड़ी (पाली) के छात्रों की वर्ष 1989-90 एवं वर्ष 1990-91 की पूर्व की छात्रवृत्ति बकाया है ? यदि हां, तो कितने छात्रों की कितनी-कितनी छात्रवृत्ति किस-किस वर्ष की, किन कारणों से बकाया है ?

(2) इन छात्रों को छात्रवृत्ति कब तक देने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1989-90 के लिए यह राशि 47 छात्रों की रुपये 30,550/- की बकाया है एवं 1990-91 के लिए यह राशि 78 छात्रों की रुपये 40,560/– बकाया है।

यह बकाया राशि रहने का कारण जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) पाली द्वारा स्कूल को समय पर राशि आवंटन नहीं करना है।

(2) इन छात्रों को वर्ष 1989-90 की बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान यथासम्भव दिनांक 31-3-91 से पूर्व कर दिया जावेगा। वर्ष 1990-91 के लिए संस्था को बजट आवंटन करने की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) (पाली) द्वारा की जा

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

रही है और यह राशि इसी वित्तीय वर्ष में देने के प्रयास जारी हैं।

विभाग में विभिन्न पदों पर पदोन्नतियां

774. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उद्योग विभाग में जिला उद्योग अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु उद्योग अधीनस्थ सेवा के किस-किस पद के कर्मचारी अधिकृत हैं? क्या विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति का कोई अनुपात निर्धारित हैं? यदि नहीं, तो पदोन्नतियां किस आधार पर दी जाती है? क्या विभाग द्वारा कोई इन्टर सीनियोरिटी लिस्ट बनाई गई है? यदि नहीं, तो विभाग का इसे कब तक जारी करने का विचार है? अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को क्या रोस्टर का लाभ दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग में उद्योग अधीनस्थ सेवा संवर्ग के कर्मचारियों को कितने वर्ष के अन्तराल के बाद पदोन्नति मिल रही है? क्या इन्हें भी वाणिज्य श्रम, नियोजन आदि अधीनस्थ सेवाओं के अनुरूप 10–15 वर्षों में पदोन्नति देने हेतु सरकार कोई प्रक्रिया निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो यह प्रक्रिया कब तक निर्धारित कर पदोन्नति सुनिश्चित कर दी जायेगी? क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों का पदोन्नति में बैकलाग पूरा किया जा रहा है?

(3) विभाग में उद्योग अधीनस्थ सेवा संवर्ग में पिछले 10 वर्षों से नियुक्त उद्योग प्रसार अधिकारियों/उद्योग निरीक्षकों को सरकार कब तक स्थायी करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) उद्योग विभाग में जिला उद्योग अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु निम्न पदों के धारक कर्मचारी योग्य माने जाते हैं :—

मैनेजर इण्डस्ट्रियल स्टेट, उद्योग निरीक्षक, निरीक्षक (बाट माप) उद्योग प्रसार अधिकारी, आर्थिक अन्वेषक, सर्वे आफिसर, हैण्डलूम निरीक्षक, डिजाइनर हैण्डलूम, हैण्डलूम सुपरवाइजर, हाथ-करघा निरीक्षक (आडिट) विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों को जिला उद्योग अधिकारी के पद पर पदोन्नति का कोई अनुपात निर्धारित नहीं है। पदोन्नति इन्टर वरिष्ठता के आधार पर दी जाती है तथा इसके लिए पदोन्नति के समय ही विभिन्न वर्गों के ऐसे कर्मचारियों की इन्टर वरिष्ठता सूची बनाई जाती है, जो जॉन ऑफ कन्सीडरेशन में आते हैं। विभाग द्वारा अलग से इन्टर सीनियोरिटी जारी नहीं की जाती है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों को रोस्टर का लाभ नियमानुसार देते हुए पदोन्नति दी जाती है। पिछले पांच वर्ष में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों को जिला उद्योग अधिकारी के पद पर दी गयी पदोन्नति निम्न है :–

1. ज्ञानीराम (एस. सी.),
2. सूरजमल वर्मा (एस. टी.)

(उद्योग मंत्री)

(2) विभाग में उद्योग अधीनस्थ सेवा संवर्ग के कर्मचारियों को पद रिक्त होने पर ही पदोन्नति दी जाती है, इन्हें निश्चित समयावधि में पदोन्नति आवश्यक रूप से दिये जाने की प्रक्रिया अभी तक निर्धारित नहीं है, न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति देने हेतु योग्य कर्मचारियों के उपलब्ध होने पर बैकलाग पूरा किया जाता है।

(3) उद्योग अधीनस्थ सेवा संवर्ग के कर्मचारियों का स्थायीकरण रिक्त स्थाई पद उपलब्ध होने पर किया जाता है, इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है।

विभाग के गोदामों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताएं

775. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम जयपुर में कितने कच्चे माल के गोदाम व वितरण केन्द्र कहां-कहां एवं कब से हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित माल गोदाम, वितरण केन्द्र पर कार्य कर रहे गोदाम कर्मचारी गत कई वर्षों से एक ही गोदाम पर पद स्थापित हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त गोदामों पर पदस्थापित व्यक्तियों के खिलाफ समय-समय पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितता सम्बन्धी शिकायतें आती रही हैं ? यदि हां, तो कब-कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या निगम की स्थानातरण सम्बन्धी कोई नीति निर्धारित हैं ? यदि हां, तो क्या ? इसके पालन नहीं किये जाने के क्या कारण रहे हैं ?

(5) क्या सरकार इन गोदामों पर काफी लम्बे समय से लगे हुए व्यक्तियों का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) जयपुर स्थित कच्चा माल गोदाम वितरण केन्द्रों पर पदस्थापित व्यक्तियों के नामों की सूची उनके पदस्थापन की तिथि सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में निगम के वितरण केन्द्र निम्न स्थानों पर उनके आगे अंकित की गयी तिथि से कार्यरत हैं :–

1.	जयपुर	1961
2.	जोधपुर	1961
3.	उदयपुर	1961
4.	बीकानेर	1961
5.	कोटा	1961
6.	भीलवाड़ा	1970
7.	अलवर	1972
8.	अजमेर	1974
9.	पाली	1974
10.	श्रीगंगानगर	1972
11.	चूरू	1972

(54)

(उद्योग मंत्री)

12.	भरतपुर	1971
13.	नागौर	1974
14.	बांसवाड़ा	1974
15.	चित्तौड़गढ़	1989

(2) यह पूर्णतया सत्य नहीं है। जयपुर माल गोदाम वितरण केन्द्र पर कार्यरत कुल 14 कर्मचारियों में से मात्र एक वरिष्ठ सहायक वर्ष 17-12-81 से दो (2) कनिष्ठ सहायक वर्ष 1972 एवं 1982 से, एक पैकर वर्ष 1973 से तथा 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ष 1964–65 एवं 1972 से कार्यरत हैं। शेष सभी कर्मचारी लगभग 2–2½ वर्ष पूर्व ही स्थानान्तरित किये गये हैं।

(3) जी हां, उक्त गोदामों में से कुछेक गोदामों में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

1987–88	–	4
1988–89	–	5
1989–90	–	5
1990–91	–	6
	योग	20

(4) पदस्थापन प्रशासनिक एवं कार्य व्यवहार की आवश्यकता को देखकर, जो निगम के हित में हो, किये जाते हैं।

(5) स्थानान्तरण एवं पदस्थापन एक सतत् प्रशासनिक प्रक्रिया है जो आवश्यकतानुसार किये जाते हैं, जब भी यह आवश्यकता महसूस की जायेगी स्थानान्तरण किये जायेंगे।

(6) वांछित सूचना निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन तिथि
1.	श्री के सी. गुप्ता, व्यवस्थापक,	15-5-89
2	श्री बी. के. जैन, लेखाकार	15-5-89
3.	श्री अब्दुल वहीद, वरिष्ठ सहायक	17-12-91
4.	श्री घमण्डी लाल, वरिष्ठ सहायक	25-6-89
5.	श्री भंवर सिंह चौहान, कनिष्ठ सहायक	3-10-72
6.	श्री शिवनन्दनसिंह भदोरिया, कनिष्ठ सहायक	15-5-89
7.	श्री सुखविन्दर सिंह, कनिष्ठ सहायक	15-5-89
8.	श्री अशोक कुमार वोहरा, कनिष्ठ सह'यक	4-3-89
9.	श्री अब्दुल नईम, पैकर	5-4-73
10	श्री अब्दुल सलाम, पैकर	4-8-83
11.	श्री जगदीश लाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	29-5-72
12.	श्री रमेश चन्द्र, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	23-6-86
13.	श्री गोपाल लाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	22-5-64
14.	श्री राम सहाय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1-6-65

राजस्थान में कुटीर उद्यमियों को ऋण

776. श्री मोहनलाल बाल्पाल (परबतसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में कुटीर उद्यमियों को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग विभाग व राजस्थान वित्त निगम द्वारा गत वर्ष कुल कितना ऋण दिया गया है ? विभागवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितना ऋण वसूल हो चुका है ? कितना ऋण बकाया है ? विभागवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में कुटीर उद्यमियों को ऋण देने की क्या सीमा है ? कुटीर उद्योगवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सीमा पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनकी ऋण सीमा बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उद्योग विभाग द्वारा कुटीर उद्योगों को कोई ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है। वर्ष 1989-90 में राजस्थान वित्त निगम द्वारा 363.92 लाख एवं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 522.80 लाख की राशि के ऋण स्वीकृत किये थे।

(2) नियमानुसार वर्ष 1989–90 में स्वीकृत ऋणों की किश्त अभी देय नहीं हुई है।

(3) राजस्थान वित्त निगम द्वारा कुटीर उद्योगों को ऋण कम्पोजिट टर्म ऋण योजना अन्तर्गत 50000/- रु. तक उपलब्ध कराया जाता है। खादी व ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत आने वाले ग्रामोद्योगों हेतु ऋणों की सीमा खादी ग्रामोद्योग आयोग के निर्धारित पैटर्न के अनुसार है जिसमें अलग-अलग कुटीर उद्योगों हेतु 3000 रुपये से 25000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है।

(4) वर्ष 1987 तक राजस्थान वित्त निगम के कम्पोजिट टर्म योजना की सीमा 25000/– रु. थी जिसको वर्ष 1987 से बढ़ाकर 50000/– रु. किया गया है, जो पर्याप्त है। खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत उक्त सीमा बढ़ाने का प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है इस सम्बन्ध में खादी आयोग ही निर्णय ले सकता है।

जोधपुर संभाग में औद्योगिक विकास

777. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि 1980 से 1985 तक जोधपुर संभाग के विभिन्न जिलों की वित्त निगम की शाखाओं में नयी उद्योग इकाइयां विकसित हुई थीं उसके अनुपात में 1985 से 1990 तक नयी इकाइयों के विकसित होने का कार्य प्रायः ठप्प सा रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) जोधपुर संभाग में नई उद्योग नीति से नये उद्योग विकसित करने की सरकार

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

के पास क्या प्रस्तावित योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या जोधपुर स्थित बोरा नाडा औद्योगिक क्षेत्र में नये उद्यमियों को ऋण व अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि बोरा नाडा औद्योगिक क्षेत्र को राजस्व विभाग से 1990 जनवरी, फरवरी में औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं कराया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1980-1985 के मध्य जोधपुर संभाग के विभिन्न जिलों में 3471 इकाइयों को 3603.58 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये थे, जबकि वर्ष 1985 से 1990 के मध्य राजस्थान वित्त निगम द्वारा जोधपुर संभाग के विभिन्न जिलों में 3567 इकाइयों को 9327.84 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये हैं। अतः आनुपातिक दृष्टि से जोधपुर संभाग में वर्ष 1980 से 1985 की तुलना में वर्ष 1986-1990 में ऋण स्वीकृति में लगभग 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(2) नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार जिलेवार औद्योगिक सम्भावनाओं का सर्वेक्षण करायेगी और इन सम्भावनाओं के आधार पर उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करेगी।

(3) जोधपुर स्थित बोर नाडा औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान वित्त निगम द्वारा नये उद्यमियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में सभी आधारभूत सुविधाएं रीको द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी हैं।

(4) बोरा नाडा की 668 बीघा 18 बिस्वा भूमि का क्षेत्रफल दिसम्बर, 1983 में ही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-92 के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र घोषित है।

हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी को राज्य सरकार के अधीन लेने का विचार

778. **श्री सालिग राम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी, जो केन्द्रीय सरकार का उपक्रम है, को राज्य सरकार के अधीन लेने का विचार रखती है ?

(2) क्या केन्द्रीय सरकार के तत्कालीन उद्योग राज्य मंत्री श्री शाहनवाज खां ने राज्य सभा में यह कमिटमेन्ट किया था कि राज्य सरकार यदि हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी को लेना चाहे तो ले सकती है ?

(3) राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी को राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन लेने का प्रश्न

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

नहीं उठता-परन्तु सांभर साल्ट लिमिटेड को वापस लेने पर विचार चल रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) सांभर साल्ट लि. को लेने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से बातचीत चल रही है।

खेड़ा उद्योग का आयकर असेसमेन्ट

779. श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खेड़ा उद्योग का आयकर का असेसमेन्ट हो चुका है ? यदि हां, तो कब हुआ ? क्या उक्त उद्योग ने असेसमेन्ट की प्रति रीको को पेश की ?

(2) खेड़ा का उद्योग का पता क्या लिखा गया और अब क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि जो ऋण इस उद्योग हेतु जिस व्यक्ति को दिया जाना था। वह उसे सीधा न देकर बाम्बे फर्म जिसे मशीनरी की आपूर्ति करनी थी, दिया गया ? यदि हां, तो किस के आदेश से ऐसा किया गया ? आदेश की प्रति व पत्रावली की फोटोस्टेट प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि खेड़ा उद्योग के द्वारा लिया गया पूर्व ऋण का उपयोग हो चुका अथवा नहीं इसकी जानकारी किये बिना इसकी दूसरी किश्त किसके आदेश से दी गयी ?

(5) क्या यह सही है कि इस उद्योग को पूरा ऋण देने में तत्कालीन सी. एम. डी. का हाथ था ?

(6) इस प्रकरण में कौन-कौन दोषी अधिकारी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) चूंकि खेड़ा उद्योग (खेडा रिफाइनरी) उत्पादन में ही नहीं आ पाया। अतः इसके आयकर असेसमेंट का प्रश्न ही नहीं उठता। हालांकि खेड़ा रिफाइनरी के 3 में से दो प्रवर्तकों ने अप्रेजल के दौरान अपने व्यक्तिगत आयकर असेसमेंट/रिर्टन का ब्यौरा दिया था।

(2) खेड़ा उद्योग का पता जो लिखा गया था, तथा जो रिकार्ड में उपलब्ध है वह इस प्रकार है :—

बी--17 प्रथम मंजिल, कम्युनिटी सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली।

रजिस्टर्ड आफिस--सी. 30--31, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड, जिला अलवर।

(3) व (4) जी नहीं। सभी ऋण कम्पनी के नाम से चैक बनाकर कम्पनी को दिये गये थे। प्रत्येक वितरण के समय कम्पनी द्वारा प्रस्तुत ऋण आवेदन मय सी. ए. सर्टिफिकेट की जारी किये जाने की तिथि तक निधि के उपयोग का ब्यौरा होता है, के आधार पर पूर्व ऋण का उपयोग देखा गया। ऋण की दूसरी किश्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्यो-

(उद्योग मंत्री)

गिक विकास एवं विनियोजन निगम के आदेश से ऋण प्राप्तकर्ता को दी गयी।

(5) ऋण की स्वीकृति नियम के संचालक मण्डल की औद्योगिक समिति द्वारा की जाती है एवं वितरण अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक के अनुमोदन से किया जाता है। ऐसा ही इस प्रकरण में किया गया।

(6) खेड़ा उद्योग प्रकरण में श्री. वी. आई. राजगोपालन, आई. ए. एस. (सेवा निवृत) द्वारा की गयी जांच के आधार पर एवं रीको के संचालक मण्डल के निर्णय के अनुसार तत्कालीन अधिशाषी निदेशक (विनियोजन), श्री आर. एल. गुप्ता की सेवाऐं दिनांक 5-6-1990 को समाप्त कर दी गयीं तथा रीको के अन्य तीन अधिकारियों श्री सी. एस. वर्मा, सचिव, श्री राकेश गुप्ता, उप प्रबंधक एवं श्री अनूप माथुर, सहायक प्रबंधक के विरूद्ध नियमित विभागीय जांचे की जा रही है।

भाषा अकादमियों में सचिवों के रिक्त पद

780. डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सभी भाषा अकादमियों में सचिव के पद भरे जा चुके हैं ?

(2) जिन अकादमियों में यह पद अब तक रिक्त हैं उनके क्या कारण हैं ? सचिव की अनुपस्थिति में उन अकादमियों में प्रधान कार्यकारी अधिकारी का कार्य कौन देख रहा है ?

(3) क्या अकादमियों के सचिव पद पर सरकार द्वारा प्रतिनियुक्तियां भी की गयी हैं ? यदि हां, तो कब-कब ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) पद रिक्त नहीं हैं।

(3) जी, हां। राजस्थान उर्दू अकादमी में वर्ष 1987 से एवं राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी में दिनांक 7-7-89 से दिनांक 13-7-90 तक तथा दिनांक 19-3-91 से सचिव के पद पर प्रतिनियुक्तियां की गयी हैं।

प्रदेश के सार्वजनिक पुस्तकालय

781. श्री घासीलाल (टोडारायसिंह) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में कितने सार्वजनिक पुस्तकालय चलाये जा रहे हैं ? जिलेवार इनके बजट व स्वीकृत पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले पांच वर्षों में इनका कितने कितने पाठकों ने लाभ उठाया ? पुस्तकालयवार बतायें।

(3) क्या स्वतन्त्रता के बाद राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालयों की गति धीमी हो गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री घासीलाल)

(4) सरकार इनके विकास के लिये क्या कदम उठा रही है ?

(5) राज्य में प्रति व्यक्ति कितना धन पुस्तकालयों में खर्च हो रहा है ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा 42 सार्वजनिक पुस्तकालय चलाये जा रहे हैं। जिलेवार बजट एवं स्वीकृत पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) पिछले पांच वर्षों में पाठकों द्वारा पुस्तकालयों से उठाये गये लाभ का पुस्तकालयवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) राज्य सरकार ने दिनांक 1-9-90 को 3 नये जिला पुस्तकालय खोले हैं। अष्टम् पंचवर्षीय योजना में एक मंडल पुस्तकालय तथा 44 तहसील पुस्तकालय खोलने के प्रस्ताव सम्मलित किये जा चुके हैं।

(5) 1981 की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति 0.17 पैसे खर्च हो रहे हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

शाहपुरा मोहल्ला, ब्यावर नगर का उच्च प्राथमिक विद्यालय

782. श्री चम्पालाल जैन (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ब्यावर नगर में शाहपुरा मोहल्ला में उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है ?

(2) क्या इस विद्यालय में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के अधिकांश विद्यार्थी अध्ययनरत हैं ?

(3) क्या विद्यार्थियों को बैठने में असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विद्यालय का अधिग्रहण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) ब्यावर नगर में शाहपुरा मोहल्ला में सनातन धर्म प्रकाशक उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है।

(2) यह सही नहीं है कि इस विद्यालय में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के अधिकांश विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वस्तुत: कुल 774 छात्रों में से अनुसूचित जाति के कुल 11 छात्र हैं तथा अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़ी जाति का कोई छात्र अध्ययनरत नहीं है।

(3) विद्यालय में कुल 33 कमरे हैं तथा फर्नीचर आदि की व्यवस्था है तथा भवन सुविधा पर्याप्त है। इस विद्यालय

(60)

(शिक्षा मंत्री)

को अधिग्रहण करने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

जिला नागौर में शारीरिक शिक्षिका के रिक्त पद

783. श्री मनोहर सिंह (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में शारीरिक शिक्षिका (द्वि. वे. श्रृं.) के कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने समय से ये पद रिक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि रिक्त पद से किसी अन्य शारीरिक शिक्षिका का वेतन आहरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर रेन्ज में पिछले दस वर्षों में मा./उ. मा. बालिका बिद्यालयों में शारीरिक शिक्षिका (द्वि. वे. श्रृं.) के जितने पद स्वीकृत हुए हैं उन सभी पदों को नियमानुसार पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती से भरा गया है ? यदि हां, तो सूची मय मेरिट के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जोधपुर रेंज में बालिका माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षिकाओं के पद पर पुरुष शारीरिक शिक्षक पदस्थापित हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नागौर जिले के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालयों में शारीरिक शिक्षिका (द्वि. वे. श्रृं.) के तीन पद स्वीकृत हैं जिसमें से एक पद फरवरी 91 से रिक्त है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) जी हां, दो शारीरिक शिक्षक बालिका विद्यालयों में कार्यरत हैं। मांग एवं रिक्ति के कारण लगाए गये थे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

उपनिदेशक जोधपुर द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति

784. श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981-82 में उप निदेशक शिक्षा विभाग जोधपुर द्वारा फरवरी 1982 में जिन अप्रशिक्षित (विज्ञान-गणित) द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की साक्षात्कार एवं रोस्टर प्रणाली से नियुक्ति की गयी थी, उन्हें डेढ़ वर्ष तक समयावधि बढ़ाकर कार्यमुक्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उप निदेशक शिक्षा विभाग, उदयपुर द्वारा इसी

(श्री गुलाब सिंह)

प्रणाली के तहत लिये गये अध्यापकों की पुनः नियुक्ति की गयी है ? यदि हां तो किस आदेश के तहत आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या यह सही है कि इन अध्यापकों को सरकार द्वारा हटाये जाने से कई अधिकतम आयु सीमा पर गये एवं कई नौकरी से वंचित रह गये ?

(4) क्या स्कूल में आज भी गणित के अध्यापकों की भारी कमी है ? यदि हां, तो अब सरकार का क्या विचार है ? क्या उन अध्यापकों को पुनः नियुक्त किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या इन अध्यापकों द्वारा पढ़ाये गये छात्रों के परीक्षा परिणाम स्थायी अध्यापकों से अच्छे थे ?

(5) यदि पंचायत समितियों के अप्रशिक्षित अध्यापकों को पुनः सेवा में लिया गया तो क्या इन्हें भी लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1981-82 में प्रशिक्षित अध्यापकों के उपलब्ध होने पर अप्रशिक्षित अध्यापकों को पुनः सेवा में नहीं लिया गया था।

(2) जी हां। अध्यापकों को पुनः नियुक्ति आयुक्त, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश दिनांक 17-5-82 के अन्तर्गत दी गयी थी। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) प्रशिक्षित अध्यापकों के उपलब्ध होने के कारण अप्रशिक्षित अध्यापकों को पुनः नियुक्त नहीं किया गया तथा राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 अप्रशिक्षित अध्यापक लगाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) जी नहीं। प्रशिक्षित अध्यापकों के उपलब्ध हो जाने के फलस्वरूप अब अप्रशिक्षित अध्यापकों को पुनः नियुक्त करना संभव नहीं है।

(5) नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

पाली के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति

785. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत तीन वर्षों में जिला शिक्षा अधिकारी, पाली से किन-किन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

(2) प्राप्त प्रस्तावों में से किस-किस विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया ?

(3) जिन विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं किया गया है, उनके क्या कारण हैं ?

(4) क्या सरकार वर्तमान में ऐसे सभी विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) पाली से प्राप्त प्रस्तावों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) प्राप्त प्रस्तावों में 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) वर्ष 1989-90 में पाली जिले में 25 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत किया गया है। शेष विद्यालयों की क्रमोन्नति हेतु सीमित वित्तीय साधन, भवन व्यवस्था, छात्र संख्या, फीडिंग स्कूलों की स्थिति. क्षेत्रीय मांग आदि गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाकर निर्णय लिया गया था।

(4) जी नहीं। विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्तावों पर विचार करते समय उपलब्ध वित्तीय प्रावधान, विद्यालयों की भौगोलिक स्थिति, उनकी भवन व्यवस्था, फीडर स्कूलों की स्थिति, छात्र संख्या, क्षेत्रीय मांग आदि बिन्दुओं पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

-विधान सभा क्षेत्र बापी की भूमि की बिक्री दर

786. **श्री रामस्वरूप** (टोड़ाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दौसा के गांव बापी की भूमि की बिक्री दर सरकार द्वारा वर्तमान में 25,000 प्रति बीघा है।

(2) तहसील दौसा के गांव बापी में किस-किस किस्म की भूमि है ? क्या सरकार द्वारा अलग-अलग किस्म की भूमि की बिक्री दर तय की हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र दौसा के गांव बापी में पिछले 20 वर्षों में किस किस्म की भूमि का बेचान किया गया और तहसील द्वारा उसकी रजिस्ट्री दर क्या लगायी गयी? अलग-अलग किस्म की भूमि रजिस्ट्री दर का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) पिछले पांच वर्षों में सरकार द्वारा गांव बापी तहसील दौसा की भूमि चाही, नहरी. बारानी एवं बंजर आदि की क्रमशः क्या बिक्री दर तय की हुई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भूमि की बिक्री दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। विक्रय पत्रों का पंजीयन सूची नं. 2 एवं बाजार मूल्यों के प्रभावित करने वाली भूमि के आधार पर उप पंजीयक द्वारा किया जाता है। इस सूची नं. 2 के मुताबिक वर्ष--1990 तक भूमि की दरें उसकी किस्म के अनुसार रुपये 10,100/- से 16,400/-रु. तक प्रति बीघा रही है।

(राजस्व मंत्री)

(2) तहसील दौसा के ग्राम बापी में बारानी, चाही व नहरी किस्म की भूमि है। जैसा कि खण्ड-प्रथम के उत्तर में कहा गया है, भूमि की बिक्री दर राज्य सरकार द्वारा तय नहीं की हुई है।

(3) पिछले 20 वर्षों में बेचान की गई भूमि की सूची संलग्न है। (संलग्न सूची–1)

(4) सरकार द्वारा पिछलें पांच वर्षों में कोई बिक्री दर तय नहीं की गयी है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

उप-पंजीयक आमेर के कार्यालय द्वारा ली गई बेचान दस्तवेज दर

787. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 30-12-1989 को उप पंजीयक आमेर के कार्यालय में खसरा नं. 892 एवं 893 का बेचान दस्तावेज कीमत 54000/- एवं 96000/- रुपये बताया जाकर किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि का बेचान मूल्य बाजार मूल्य से कम बताकर पंजीयन कराया गया ? यदि हां, तो भूमि की तत्कालीन दर पर वास्तविक मूल्य क्या था ?

(3) वर्तमान में उक्त खसरा भूमि का वास्तविक मूल्य कितना है ? क्या कम मूल्य पर पंजीयन करने से विभिन्न प्रकार के राजकीय शुल्क व राजस्व की हानि सरकार को हुई है ? यदि हां, तो उक्त कम जमा कराई गयी राशि के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं एवं उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? कम वसूल की गयी राशि अब कब तक वसूल करली जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। दिनांक 30-12-89 को उप पंजीयक कार्यालय आमेर में खसरा नम्बर 892 रकबा 0.90 हैक्टेयर किस्म बारानी का 1/2 का बेचान कुल रुपये 72,000/–में बता कर तथा खसरा नं. 893 रकबा 1.41 हैक्टेयर के 1/4 भाग का बेचान 56,000/–रुपये बताया जाकर दस्तावेज पंजीयन कराये गये हैं यह आराजी वाले ग्राम नींदड तहसील आमेर में हैं एवं किस्म बारानी है।

(2) जी नहीं। खसरा नम्बर 892 की भूमि का बेचान रुपये 40,000/–प्रति बीघा व खसरा नम्बर 893 की भूमि का बेचान रुपये 39,716/– प्रति बीघा बारानी की दर से पंजीयन कराया गया है। वर्ष 1989 में ग्राम नींदड की किसी भी भूमि के विक्रय का पंजीयन रुपये 40,000/- प्रति बीघा से अधिक नहीं हुआ। इस तथ्य की दृष्टि से यह सही नहीं है कि उक्त भूमि का बेचान मूल्य बाजार मूल्य से कम बता कर पंजीयन कराया गया है।

(3) जनवरी, 1991 में हुए विक्रय पत्र के पंजीयन के आधार पर इन खसरा

(राजस्व मंत्री)

नम्बरों की भूमि का मूल्य रुपये 60,000/- प्रति बीघा माना जा सकता है। उक्त भूमि का पंजीयन कम मूल्य पर होना नहीं पाया गया। अतः राजस्व हानि होने का कोई प्रश्न नहीं हैं। इस प्रकरण में राजस्व हानि नहीं होना पाया गया है अतः किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवा ह्l करने या कमी वसूली का भी प्रश्न नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 788
(स्थगित)

पंचायत समिति आमेर के ग्राम डावडी में उप तहसील कार्यालय की स्थापना

789. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार के समक्ष पंचायत समिति आमेर के ग्राम रामपुरा डावडी में उप तहसील कार्यालय खोला जाना विचाराधीन है ?

(2) सरकार तहसील आमेर के वृहत् आकार को मद्देनजर रखते हुए उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ?

(3) क्या तहसील आमेर की ग्राम पंचायत मुण्डोता, खोरा बिसल, रोजदा आदि ग्राम पंचायतों को तहसील जयपुर में जोड़े जाने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार इस पर कब तक अपनी स्वीकृति प्रदान कर देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसा कोई प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां। तहसील आमेर की ग्राम पंचायत मुण्डोता, रोजदा, खोरा, व बिसल को तहसील आमेर से हटा कर तहसील जयपुर में सम्मिलित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रतापगढ़ एवं अरनोद (चित्तौड़गढ़) के मजरे व ढाणियों को राजस्व गांव घोषित किया जाना

790. **श्री रखब चन्द मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौडगढ़ जिले में प्रतापगढ़ एवं अरनोद में कितने मजरे व ढाणियां हैं जिनको सरकार की नीति अनुसार राजस्व गांव घोषित किया जा सकता है ?

(2) क्या ऐसी ढाणियां व मजरों को राजस्व गांव घोषित करने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधीश चित्तौडगढ़ को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या प्रगति हुई ? पत्रों की प्रतियां सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिलाधीश से रिपोर्ट मंगवाकर उन मजरों व ढाणियों को राजस्व गांव घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या आम्बीराथा ग्राम पंचायत के 28 मजरों को राजस्व गांव में परिवर्तन हेतु कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त है ? यदि

(श्री रखब चन्द मीणा)

हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या विचार है !

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील प्रतापगढ़ में कुल 158 एवम् अरनोद में 131 मजरे व ढ़ाणियां हैं। जिनमें से तहसील अरनोद के केवल 5 मजरे/ढाणियां ही राजस्व ग्राम निर्धारित नीति के अनुसार घोषित किये जा सकते हैं।

(2) जी नहीं। जिलाधीश कार्यालय चित्तौड़गढ़ को ऐसी ढाणियां व मजरों को राजस्व गांव घोषित करने हेतु व्यक्तिश: कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ एवम् राजस्व मण्डल, अजमेर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) आम्बीरामा ग्राम पंचायत के 28 मजरों/ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव तहसीलदार, अरनोद के स्तर पर विचाराधीन है। राजस्व मण्डल, अजमेर से प्रस्ताव आने पर ही इस पर नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।

माडपुरा-तातवास क्षेत्र में लाइम स्टोन का भण्डार

791. श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर तहसील के माडपुरा-तातवास क्षेत्र में अच्छी किस्म का लाइम स्टोन का प्रचूर भण्डार है? क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त लाइम स्टोन के खनन पट्टे दे दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से लाइम स्टोन का खनन कार्य होता है ? जिससे राज्य सरकार को लाखों रुपये की रायल्टी का प्रतिवर्ष नुकसान होता है ?

(3) राज्य सरकार इस प्रचूर खनन भण्डार को नियमानुसार खनन कार्य करवा कर अवैध खनन को कब तक रोक देगी ?

उत्तर

(1) नागौर तहसील के माडपुरा-तातवास क्षेत्र में अच्छी किस्म के लाइम स्टोन का प्रचुर भण्डार सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि विभाग द्वारा अभी तक इस क्षेत्र का पूर्वेक्षण/सर्वेक्षण नहीं किया। ग्राम माडपुरा में अप्रधान खनिज लाइम स्टोन के 4 खनन पट्टा व प्रधान खनिज लाइमस्टोन का एक खनन पट्टा स्वीकृत है।

(2) यह सही है कि उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से लाइम-स्टोन के खनन के मामले (स्टे केसेज) ध्यान में आये हैं। अनधिकृत खनन करने वालों से रुपये 24,568,00 विभाग द्वारा वसूल किये गये हैं।

(3) इस क्षेत्र में एस. एम. एस. ग्रेड लाइम स्टोन जो इस्पात संयन्त्रों में प्रयुक्त किया जाता है, उसके उपलब्ध होने की

(राज्य मंत्री, खनिज)

संभावनाओं के आधार पर शासन की विज्ञप्ति दिनांक 9-2-87 के अनुसार यह क्षेत्र एस. एम. एस. ग्रेड लाइम स्टोन की खोज एवं विदोहन के लिए आरक्षित किया गया है। अतः नागौर जिले में खनिज लाइम स्टोन के खनन पट्टे स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं। अवैध खनन रोकने के लिए विभागीय अधिकारी पूर्ण रूप से सजग हैं। अवैध खनन की सूचना मिलते ही उसे उसे रुकवाने तथा अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

ग्राम देरवाला, (अलवर) की लीज डीड का नवीनीकरण

792. **श्रीमती रमा पायलट** (हिण्डौली) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या झुन्झुनू जिले की नवलगढ़ तहसील के गांव देरवाला में पहाडी पर श्री गोरधन सिंह की प्लाट की लीज व पांच अन्य लीज जिनका मुख्तियारनामा श्री गोरधन सिंह के नाम है, के नवीनीकरण के विरुद्ध उक्त गांव वालों ने गत अक्टूबर के पहले सप्ताह में जिलाधीश, झुन्झुनू एवं खनिज विभाग के नीमकाथाना स्थित अभियन्ता का विरोध किया था ? यदि हां, तो उक्त अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस संबंध में तहसीलदार, झुंझुनू ने भी नवीनीकरण के विरोध में रिपोर्ट दिनांक 5-10-1990 या उसके आसपास दी थी ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस प्रकरण में खान मंत्री महोदय द्वारा खनन कार्य रोकने, डीड नवीनीकरण न करने व इसकी जांच के आदेश दिनांक 17-10-1990 या उसके आसपास विभाग को दिये थे ? यदि हां, तो क्या उसकी पालना न कर लीज डीड का नवीनीकरण कर दिया गया ?

(4) क्या इस पहाड़ी या उसके अत्यन्त निकट इन्दिरा आवास योजना के तहत हरिजन कॉलोनी, राजकीय प्राथमिक शाला व तालाब बने हुए हैं जिनको खनन कार्य से भारी क्षति पहुंची है ? यदि हां, तो इनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था नवीनीकरण से पूर्व की गयी ?

उत्तर

(1) जी हां। झुन्झुनू जिले की नवलगढ़ तहसील के गांव देरवाला में पहाडी पर श्री गोरधन सिंह व अन्य पांच व्यक्तियों को स्वीकृत खनन पट्टा जिनका की मुख्तियारनामा श्री गोरधन सिंह के नाम है के नवीनीकरण के विरुद्ध देरवाला गांव वालों से सहायक खनि अभियन्ता नीम का थाना कोई पत्र अक्टूबर, 90 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त नहीं हुआ। यह सही है कि गांव वालों ने अक्टूबर, 90 के प्रथम सप्ताह में जिलाधीश झुंझुनू को श्री गोरधन सिंह द्वारा किये जा रहे खनन कार्य के विरुद्ध शिकायत की। जिलाधीश, झुंझुनू ने मामले में

(राज्य मंत्री, खनिज)

तहसीलदार, झुंझुनू को जांच के आदेश दिये, जिनकी पालना में तहसीलदार, झुंझुनू द्वारा जांच कर रिपोर्ट जिलाधीश, झुंझुनू को प्रेषित की गई।

(2) जी नहीं। तहसीलदार, झुंझुनू से खनन पट्टे/पट्टों के नवीनीकरण के विरोध में कोई रिपोर्ट खनिज विभाग को प्राप्त नहीं हुई।

(3) श्री गोरधन सिंह के पक्ष में खनन-पट्टे का नवनीकरण खनि अभियन्ता, जयपुर के आदेश दिनांक 17-2-90 के द्वारा 7-10-89 से 10 वर्ष की अवधि के लिए कर दिया गया था। खान राज्य मंत्री महोदय द्वारा 17-12-90 को सरपंच ग्राम पंचायत देरवाला द्वारा उनको प्रेषित पत्र अधिक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर को जांच हेतु भेजा गया था। खान मंत्री महोदय ने दिनांक 17-10-90 को या इसके आसपास विभाग को आदेश नहीं दिये कि नवीनीकरण नहीं किये जायें।

(4) यह सही है कि पहाड़ी के समीप 60 मीटर से अधिक दूरी पर राजकीय प्राथमिक शाला है एवं उससे दूर हरिजन कालोनी हैं खननकार्य से इस स्कूल, कालोनी व तालाब को कोई क्षति नहीं हुई है।

माही परियोजना से सिंचाई

793. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) माही परियोजना सिंचाई कब चालू हुई? वर्षवार सिंचाई का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नहरों को पूरा करने में कितने वर्ष लगेंगे?

उत्तर

(1) माही परियोजना में सिंचाई सुविधा वर्ष 1983 के रबी की फसल में प्रारम्भ की गयी। वर्षवार सिंचाई आंकड़े निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	सिंचाई क्षेत्र हैक्टेयर में
1983-84	11,850
1984-85	31,911
1985-86	33,525
1986-87	46,270
1987-88	38,989
1988-89	41,122
1989-90	44,007

इसके अतिरिक्त इस परियोजना में निर्माणाधीन भूंगड़ा नहर पर आर. डी. 6.8 कि. मी. के डायरेक्ट आउट लेट के द्वारा सिंचाई दिनांक 3-12-90 से प्रारम्भ की गयी है एवं लगभग 115 हैक्टेयर सी. सी. ए. में सिंचाई उपलब्ध कराई गयी है।

(2) आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध कराये जाने पर वर्ष 1993-94 तक दायीं एवं बायीं तथा भूगड़ा नहर के मूल (ओरीजिनल) कमाण्ड में आने वाली समस्त नहर पूर्ण होने की संभावना है।

सहकारी विभाग में आदेशों की प्रतीक्षा में रहे निरीक्षक

794. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सहकारी विभाग में दिनांक 1-4-1990 से कितने निरीक्षक आदेशों की प्रतीक्षा में रहे हैं ? नाम निरीक्षक आदेशों अवधि एवं आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन निरीक्षकों को आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने की स्वीकृति सरकार से ली गयी है ?

(3) क्या इन निरीक्षकों को बिना राज्य स्वीकृति के वेतन भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? एवं उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही अमल में लाया जाना सरकार के विचाराधीन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहकारी विभाग में दि. 1-4-90 से जो निरीक्षक आदेशों की प्रतीक्षा में रहे हैं उनकी सूची मय नाम, अवधि एवं कारण परिशिष्ट "अ" पर सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) कुल 48 मामलों में से 21 मामलों में राज्य सरकार की स्वीकृति हो चुकी है 27 के प्रतीक्षाधीन समय को नियमित करने के प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

(3) कर्मचारी की वेतन संबंधी समस्या देखते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा मानवीय कारणों से वेतन भुगतान कर दिया गया है। प्रतीक्षारत समय का नियमन कार्य राज्य सरकार द्वारा हर मामले का परीक्षण कर दिया जाता है। विभागाध्यक्ष से इन निरीक्षकों को प्रतीक्षारत रखने के हर प्रकरण में कारण पूछे गये हैं कारणों का विवेचन देखने के बाद ही समुचित कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

शिविरों के बकाया प्रार्थना-पत्र

795. **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) एवं **श्री हबीबुर्ररहमान** (मुण्डवा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में पिछले वर्ष आयोजित शिविरों में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ?

(2) अब तक जयपुर, उदयपुर एवं जोधपुर में प्राप्त शिकायतें अथवा प्रार्थना-पत्रों का सहकारी अधिनियम की किन-किन धाराओं में निष्पादन किया है ? अधिनियम की धाराओं वार बकाया प्रार्थना-पत्रों की क्या स्थिति है ?

(3) जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं अजमेर आदि शहरों में आयोजित शिविरों में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ?

(4) राज्य के प्रमुख पांच शहरों में आयोजित शिविरों में बकाया प्रार्थना-पत्रों के बारे में कब तक निष्पादन हो जायेगा ?

(श्री राजेन्द्र पारीक)

(5) क्या यह सही है कि तत्कालीन रजिस्ट्रार ने जयपुर के भूमि विक्रेताओं से सांठ-गांठ कर सहकारी समितियों के सदस्यों के साथ अन्याय किया है ?

(6) क्या तत्कालीन रजिस्ट्रार के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जयपुर में गत वर्ष आयोजित शिविरों में लगभग 3500 शिकायतें प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(2) जयपुर, उदयपुर एवं जोधपुर में प्राप्त शिकायतों अथवा प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 19, 36, 68, 70, 75 एवं 78 तथा सहकारी संस्था नियम 1966 के नियम 32 एवं 33के अन्तर्गत किया गया है। बकाया प्रार्थना-पत्रों में से 22 मामलों में सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत वाद कर पंजीकृत कर पंचनिर्णायक नियुक्त कर दिये गये हैं और शेष धारा 70 के अन्तर्गत नियुक्त जांच अधिकारियों से निस्तारण कराये जा रहे हैं। धारा 68 के अन्तर्गत सभी समितियों का आडिट कराने हेतु निरीक्षक (अंकेक्षण) नियुक्त कर दिये गये हैं और जयपुर की 102 गृह निर्माण सहकारी समितियों में चुनाव सम्पन्न कराने हेतु राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 1966 के नियम 32 एवं 33 के अन्तर्गत निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं। इनमें से 42 में चुनाव भी सम्पन्न हो चुके हैं।

(3) जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर व कोटा शहरों में आयोजित शिविरों में लगभग 4197 शिकायतें प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए।

(4) शिविरों में प्राप्त बकाया प्रार्थना पत्रों में अधिकांश मामले अधिनियमान्तर्गत विभिन्न धाराओं एवं पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत की जाने वाली प्रक्रिया से सम्बन्धित होने के कारण निश्चित समयावधि तो नहीं बताई जा सकती। शीघ्र निस्तारण के प्रयास जारी हैं।

(5) जी नहीं। ऐसा कोई मामला विभाग की जानकारी में नहीं है।

(6) बिन्दू "5" में वर्णित अनुसार कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सवाईमाधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक अध्यक्ष द्वारा पद का दुरुपयोग

796. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सवाईमाधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. के अध्यक्ष श्री गंगासहाय त्रिवेदी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने और संस्था को हानि पहुंचाने के लिये विभाग द्वारा कोई जांच करवाई गयी है ?

(2) यदि कोई जांच या विशेष आडिट करवाई गयी है तो क्या जांच रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है ?

(श्री चुन्नीलाल)

(3) क्या जांच रिपोर्ट में अध्यक्ष को किन्हीं आरोपों के लिये दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत उनको अध्यक्ष पद से हटाने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवाई गयी है।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट एवं विशेष आडिट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

(3) जांच रिपोर्ट एवं आडिट रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप बनते हैं। अतः राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 36 के अन्तर्गत अध्यक्ष पद से हटाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, भरतपुर द्वारा की जा रही है तथा संस्था को हानि पहुंचाने के लिए धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु संयुक्त रजिस्ट्रार, भरतपुर को निर्देशित कर दिया गया है।

केशवोरायपाटन सहकारी शुगर मिल की पिराई क्षमता में बढ़ोतरी

797. श्री हुक्माराम (सिवाना) एवं **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल की पिराई क्षमता में बढ़ोतरी की जा रही है ? यदि हां तो कितनी तथा इस पर कुल कितनी राशि खर्च किये जाने का प्रावधान है तथा किसके द्वारा ?

(2) उक्त मिल में गन्ने की रिकवरी पिछले 5 वर्षों में क्या रही तथा इसके क्या परिणाम रहे ?

(3) उक्त मिल के पिछले 5 वर्षों के लाभ-हानि का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त शुगर मिल में किसानों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त मिल में एक डिस्टिलरी लगाई जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केशवोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि. की क्षमता 1250 मै. टन से बढाकर 2500 मै. टन किए जाने का प्रस्ताव है। अनुमानित लागत रुपये 1000.00 लाख आयेगी जिसे राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से पूरा किया जावेगा।

(2) पिछले 5 वर्षों में गन्ने की रिकवरी निम्न प्रकार रही:—

वर्ष	गन्ने की रिकवरी प्रतिशत
1	2
85-86	9.20

(सहकारिता मंत्री)

1	2
86-87	8.79
87-88	इस वर्ष मिल नहीं चली
88-89	9.12
89-90	9.42

गत वर्षों की तुलना में 1989-90 में अधिक रिकवरी हुई हैं।

(3) पिछले 5 वर्षों में हुई हानि का विवरण निम्न प्रकार है:–

85-86	99.17 लाख
86-87	43.52 लाख
87-89	150.60 लाख जिसमें एक करोड़ रु. राज्य सरकार की मदद से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के ऋण भुगतान से ब्याज आदि का लाभ मिला तथा 59.68 लाख रुपये की हानि रही।
89-90	17.41 लाख

(4) वर्तमान में किसानों के लिए निम्न योजनाएं चलाकर लाभान्वित किया जा रहा है:–

1. किसानों में मिल के माध्यम से चीनी एवं खाद (प्रेसमंड) का वितरण करवाया गया।

2. गन्ना क्रय कर, की राशि किसानों से नहीं ली जाकर मिल द्वारा वहन की जावेगी।

3. किसानों को मिल में गन्ना देने में कम से कम समय लगने की व्यवस्था की गई।

4. गन्ने के बीज की उत्तम किस्म उपलब्ध कराई गई।

5. किसानों के लिये विश्रामगृह की स्थापना की गई एवं उचित दर पर भोजन उपलब्ध कराया गया।

6. किसानों में प्रौढ़ शिक्षा एवं चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया।

7. किसानों को नियमित भुगतान की व्यवस्था की गई।

8. केन्द्र सरकार से शूगर विकास फण्ड के अन्तर्गत एवं गन्ना विकास ऋण के लिये पत्रादि तैयार किये गये जिससे किसानों का विकास होगा।

(5) डिस्टिलरी की स्थापना हेतु मिल द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने का प्रयास जारी है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 798 (स्थगित)

ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टर प्राइजेज द्वारा आकलन

799. श्री सालिगराम (बयाना) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार के जिन कार्पोरेशनों, बोर्डों और कम्पनियों ने अपने उद्देश्य की 50 प्रतिशत भी पूर्ति नहीं की ऐसे कार्पोरेशन बोर्डों और कम्पनियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त कार्पोरेशनों, बोर्डों

(श्री सालिगराम)

और कम्पनियों का ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज़ से आकलन करवाया गया ? यदि हां तो, उनके संबंध में उसकी क्या रिपोर्ट रही ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार ऐसे कार्पोरेशनों, बोर्डों और कम्पनियों, को जिन्होंने अपने उद्देश्य पूरे नहीं किये, बंद करने का विचार रखती हैं ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) कार्पोरेशनों, बोर्डों और कम्पनियों की स्थापना के समय उनके लिए निर्धारित उद्देश्यों का गणनात्मक मापदण्ड निर्धारण करना संभव व्यावहारिक नहीं है, इसी प्रकार गणनात्मक उद्देश्य प्राप्ति भी व्यावहारिक नहीं है।

(2) उपरोक्त उत्तर के अनुसार कोई कार्यवाही संभाविन नहीं है।

(3) सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में बनाई है जो अन्य मुद्दों के अलावा राजकीय उपक्रमों की समीक्षा भी करेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही ऐसे उपक्रमों के बारे में जिन्होंने अपने उद्देश्य पूरे नहीं किये हैं, विचार कर निर्णय किया जावेगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 800
(स्थगित)

राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध अवधि में स्थानान्तरण

801. श्री हबीबुर्ररहमान (मूण्डवा) : क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे:—

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) नागौर द्वारा आज तक किस संवर्ग के स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये ? क्या सरकार ने स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगा रखा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध अवधि में स्थानान्तरण आदेश जारी करने की अनुमति दी गयी थी ? समस्त आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), नागौर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक, प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ लिपिक के स्थानान्तर किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगा रखा था। दिनांक 11-10-90 एवं 6-12-90 के आदेश से स्थानान्तरण पर शिथिलन प्रदान किया गया था। आदेशों की प्रतिया सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बूंदी जिले में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

802. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बून्दी जिले में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत किस-किस तहसील को सम्मिलित किया गया है ? केन्द्रों की नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण वर्मा)

(2) क्या यह सही है कि तहसील नैनवा साक्षरता की दृष्टि से काफी पिछड़ी हुई है ? यदि हां, तो वहां साक्षरता अभियान के लिए सरकार की ओर से क्या क्या प्रयत्न किये जाने प्रस्तावित हैं ?

(3) क्या यह सही है कि नैनवा तहसील में पूर्व में चला आ रहा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम योजना की वहां से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या नैनवा में भी उक्त कार्यक्रम दुबारा प्रारम्भ करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बून्दी जिले में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत तहसील हिण्डौली व केशोरायपाटन को सम्मिलित किया गया है। स्वीकृत केन्द्रों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(2) जी हां। प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत सघन क्षेत्र योजना के अनुसार केन्द्रों के लिये नये स्थानों का चयन करते समय अन्य प्रस्तावों के साथ नैनवा तहसील के प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकेगा।

(3) जी हां। प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत सघन क्षेत्र योजना के क्रियान्वयन के कारण तहसील नैनवा के केन्द्रों को स्थानान्तरित करना पड़ा। केन्द्रों को नवीन स्थानों के चयन के समय अन्य प्रस्तावों के साथ नैनवा तहसील के प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर जिले लेब बाय के पदों पर नियुक्ति

803. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में लेब बॉय के पदों हेतु गत वर्ष में नियुक्तियां की गई थी ? यदि हां, तो नियुक्ति आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन नियुक्तियों में गड़बड़ियां हुई थीं ? यदि हां, तो इनकी जांच किसकी शिकायत के आधार पर कराई गयी ? शिकायत पत्रों एवं जाँच रिपोर्टों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जांच रिपोर्ट के अनुसार दोषी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ? कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) बीकानेर ने प्रार्थियों को साक्षात्कार हेतु लिखित सूचना दी थी ? यदि नहीं, तो इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या इन नियुक्तियों के लिये राष्ट्रीय स्तर के किसी खिलाड़ी ने भी

(श्री मदन दिलावर)

आवेदन किया था? तथा उसके लिये नियुक्ति हेतु किसी मंत्री ने भी अभिशंषा की थी? यदि हां तो उसे नियुक्तियां क्यों नहीं दी गई तथा अन्य नियुक्तियो के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया था?

उत्तर

(1) जी हां। नियुक्ति आदेशों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत के आधार पर जांच कराई गयी थी परन्तु अभिलेख के अभाव में जांच अधूरी के कारण पुनः जांच कराई जा रही है।

(3) जांचोपरान्त तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) जांच अभी जारी है सही जांच होने पर तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(5) इस हेतु भी जांच विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

ग्राम मरतड़ी जिला उदयपुर में भूमि का आवंटन

804. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मरतड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर में खसरा नं. 748/584 की 25 बीघा भूमि का आवंटन वर्ष 1987 में किया गया था? यदि हां, तो किन-किन को?

(2) क्या यह भी सही है कि यह भूमि भू-दान की थी?

(3) क्या यह भी सही है कि भूमि का आवंटन भूमिहीनों को न होकर बड़े-बड़े कृषकों को किया गया है? क्या इस आवंटन के विरुद्ध ग्रामवासियों की कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम मरतड़ी में चरागाह की भूमि नहीं है?

(5) क्या सरकार जनहित में इस आवंटन को निरस्त कर इस भूमि को चरागाह घोषित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां आवंटियों की सूची संलग्न है।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं। भू-दान आवंटन भू-दान बोर्ड द्वारा गठित समितियां अधिकारी द्वारा किया जाता है। बोर्ड के अनुसार किसी बड़े कृषक को भूमि आवंटित नहीं की गयी। आवंटन के विरुद्ध शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(4) जी, हां।

(5) वर्तमान में इस तरह का मामला विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट--16 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 805
(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में काश्तकारों की भूमि का नियमन

806. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में गत 5 वर्षों में कितने मामले धारा 91 के वर्षवार दर्ज हुए तथा, कितने मामलों का निपटारा किया गया ? दिनांक 31-3-1990 तक कुल कितने मामले विचाराधीन हैं ? सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 वर्षों में कितने अतिक्रमियों को खातेदारी अधिकार दिए गए ? इनमें अनुसूचित जाति जनजाति के कितने काश्तकार हैं ?

(3) क्या सरकार धारा 91 के तहत पुराने काश्तकारों की भूमि का नियमन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में गत 5 वर्षों में धारा 91 के तहत दर्ज, निस्तारित एवं दिनांक 31-3-90 को विचाराधीन मामलों की सूची तहसीलवार (केकड़ी व सरवाड़) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिक्रमियों को खातेदारी अधिकार का कोई प्रावधान नहीं है। अतः खातेदारी देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) निर्धारित तिथि से पूर्व काबिज काश्तकारों को जो नियमन की पात्रता रखते हैं उनके सम्बन्ध में नियमन की यथाशीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

जिला नागौर में पटवारियों के रिक्त पद

807. श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) एवं **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला नागौर की किस-किस तहसील में कौन-कौन से पटवार सर्किल में कब से पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) रिक्त पदों की पूर्ति क्यों नहीं की जा रही हैं ? सरकार अब कब तक रिक्त पदों की पूर्ति करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला नागौर की विभिन्न तहसीलों में कुल 54 पटवारियों के पद रिक्त हैं तहसील एवं पटवार सर्किल वाइज सूची संलग्न है।

(2) प्रशिक्षित पटवारी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। वर्तमान में चयनित आशार्थियों का पटवार प्रशिक्षण चल रहा है जो नियुक्ति हेतु माह जुलाई/अगस्त, 1991 में उपलब्ध होंगे तब रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

बुद्धपुरा कोटा में माइन्स आवंटन

808. श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बुद्धपुरा कोटा में गुरु चरण सिंह आनन्द को किस-किस वर्ष कौन-कौन सी माइन्स आवंटित की गई ? आवंटित की गई माइन्स में से किस-किस अधिकारी को कब-कब किन-किन कारणों से नहीं देने की सिफारिश की ?

(2) क्या बुद्धपुरा में पिछले वर्षों में आवंटित माइन्स को आवंटित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने भी मना किया ? मना करने के सवाल को लेकर क्या संबंधित पार्टी हाईकोर्ट भी गई। यदि गई, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

(3) यह माइन्स, हाईकोर्ट व अफसरों के मना करने पर भी राज्य सरकार ने आवंटित की हैं ? यदि हां, तो किस वर्ष और किस तिथि को किस अधिकारी के आदेश से तथा कितने क्षेत्रफल की ?

(4) इस माइन्स में कौन-कौन से मिनरल निकलते हैं ? आज की स्थिति में उक्त माइन्स, की क्या स्थिति है।

उत्तर

(1) श्री गुरूचरण सिंह आनन्द के पक्ष में बुद्धपुरा में सैण्ड स्टोन के जो खनन पट्टे समय-समय पर स्वीकृत हुए उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	खनन पट्टे का विवरण	वर्ष
1.	6 खनन पट्टे प्रत्येक 7200 व. मी.	1968
2.	180 × 90 व. मी.	1974
3.	7125 व. मी.	1974
4.	10584.75 व. मी.	1989

क्र. सं. 4 में अंकित क्षेत्र प्राप्त करने हेतु पार्टी ने आवेदन पत्र दिनांक 25-9-90 को प्रस्तुत किया था जो अस्वीकार किया गया। अस्वीकृति आदेश के विरुद्ध पार्टी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जिसमें निदेशालय को पुनः विचार करने का निर्णय दिया गया। अधीक्षक खनि अभियंता, कोटा द्वारा इस आवेदन पत्र के अस्वीकार करने पर निगरानी में राज्य सरकार ने क्षेत्र को मौजूदा नियमों के तहत स्वीकार करने के निर्देश दिये जिसमें अधीक्षक खनि अभियंता, कोटा ने पार्टी द्वारा उपलब्ध क्षेत्र के आधार पर रिवाइज्ड प्लान आयताकार के रुप में न प्रस्तुत करने से अस्वीकार करने के प्रस्ताव दिये लेकिन पार्टी ने अपने मूल आवेदन पत्र को आयताकार क्षेत्र के लिये ही दिया था स्वीकृति के समय उपलब्ध क्षेत्र आयाताकार नहीं था इसलिये भारत सरकार के निर्णय व शासन उप सचिव, खान विभाग, राज. जयपुर द्वारा रिवीजन में दिये गये फैसले के आधार पर पार्टी के पक्ष में नियमानुसार स्वीकृत योग्य क्षेत्र स्वीकार किया गया। उक्त स्वीकृति के समय पार्टी के पक्ष में पूर्व में जारी स्वीकृतियों में से केवल एक

(राज्य मंत्री खनिज)

खनन पट्टा खनिज सैण्ड स्टोन क्षेत्र 120 × 60 व. मी. का उसके पक्ष में प्रभाव में रहा।

(2) नहीं, पार्टी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्र को नियमानुसार अस्वीकार करने पर पार्टी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जिसके निर्णय में न्यायालय ने मामले में पुनः निर्णय लेने के निर्देश दिये।

(3) नहीं, हाईकोर्ट ने पार्टी द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए मामले में स्वीकृति हेतु निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को पुनः विचार करने हेतु निर्देश दिये गये जिस पर अधीक्षण खनि अभियंता, कोटा द्वारा पुनः अस्वीकृति आदेश जारी करने पर पार्टी द्वारा मामले में शासन उप सचिव, खान विभाग, राज. जयपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने पर निगरानी में खनन पट्टा स्वीकार करने का निर्णय हुआ जिसकी पालना में पार्टी के पक्ष में स्वीकृत योग्य क्षेत्र निदेशालय आदेश दिनांक 8-3-89 एवं दिनांक 19-7-88 से क्षेत्र 10584.75 व. मी. स्वीकार किया गया।

(4) इस माइन्स में खनिज सैण्ड स्टोन फर्शी निकलती है। वर्तमान में इस माइन्स में खनन कार्य चालू है।

प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में डी. एफ. ओ. के रिक्त पद

809. श्री रखबचन्द मीणा (प्रतापगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या प्रतापगढ़ जिला चित्तौडगढ़ में डी. एफ. ओ. का पद रिक्त है? वर्तमान में कार्यरत अधिकारी किस रेन्ज का अधिकारी है?

(2) प्रतापगढ़ डी. एफ. ओ. पद पर वर्तमान में कार्यरत अधिकारी धरियावद रेन्ज जिला उदयपुर में रेन्जर के पद पर कब से कब तक रहे तथा इस कार्यकाल के कोयला व इमारती लकड़ी प्रकरण पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

(3) क्या यह सही है कि डी. जे. कोर्ट प्रतापगढ़ द्वारा वर्तमान डी. एफ. ओ. को स्थानान्तरण पर स्टे दिया हुआ है? यदि हां, तो कितने समय के लिये, स्टे देने का कारण क्या है? क्या सरकार कोर्ट द्वारा दिये गये स्टे को निरस्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) वर्तमान में न्यायालय के आदेश से सहायक वन संरक्षक स्तर का अधिकारी उप वन संरक्षक, प्रतापगढ के पद के विरूद्ध पदस्थापित होकर मण्डल प्रभारी बना हुआ है।

(2) उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ के पद के विरूद्ध कार्यरत अधिकारी श्री परमजीत सिंह, सहायक वन संरक्षक, उदयपुर जिले की धरियावद रेंज में रेंजर के पद पर दिनांक 26-1-74 से 13-7-74 तक पद स्थापित रहे। इस कार्यालय में इनके विरुद्ध अनियमित लकड़ी, कोयला निकास करने के मामले में राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण अभयावेदन) नियम, 1958 की धारा 17 के तहत आरोप पत्र दिये गये हैं।

(वन मंत्री)

(3) जी नहीं। किन्तु न्यायालय मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग प्रतापगढ़ में अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा राज्य सरकार जरिये जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ को पाबन्द किया है कि मूल प्रकरण का निर्णय होने तक श्री परमजीत सिंह का सहायक वन संरक्षण प्रभारी वन मण्डल, प्रतापगढ़ के पद से अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जावे तथा यथा स्थिति बनाई रखी जावे। इस अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त करवाने हेतु जिला एवं सत्र न्यायालय, प्रतापगढ़ में अपील की गई है।

डी. सी. एम. फैक्टरी कोटा के गन्दे पानी से प्रदूषण

810. श्री अर्जुन दास मदान (लाडपुरा): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डी. सी. एम. फैक्टरी, कोटा के गन्दे पानी से वायुमण्डल दूषित हो रहा है? क्या इससे कृषि भूमि तथा मनुष्यों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है?

(2) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार की अग्रिम क्या योजना है?

उत्तर

(1) मैं. श्री राम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि., कोटा से निस्रावित उपचारित प्रदूषित जल से वायु मंडल के दूषित होने की संभावना नहीं है। इससे कृषि भूमि तथा मनुष्यों के स्वास्थ्य के प्रभावित होने के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(2) उद्योग ने प्रदूषित जल के उपचार की व्यवस्था कर रखी है एवं उद्योग द्वारा विसर्जित उच्छिष्ठ मंडल मानको के अनुरूप हैं। तथापि मंडल द्वारा समय-समय पर उद्योग का निरीक्षण किया जाता हैं एवं उद्योग से विसर्जित उच्छिष्ठ के नमूने एकत्रित कर जांच की जाती है। जांच के परिणामों के अनुसार उद्योग को उचित दिशा-निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

वनों की आग में सुरक्षा के उपाय

811. श्री सालिगराम (बयाना) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने वनों में लगने वाली आग की घटनाओं के कारणों और उस पर नियंत्रण करने के उपाय सुझाने के लिये उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है?

(2) क्या उक्त समिति ने आग लगने वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली है? क्या क्षेत्रों में आग लगने के संभावित कारणों का पता लगा लिया है? यदि हां, तो उन क्षेत्रों की सूची व कारण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस संबंध में पूर्व में भी कोई समिति गठित की गई थी? खासतौर से केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य के संबंध में?

(श्री सालिगराम)

यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण मय रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में आग लगने की घटनाओं की मानीटरिंग करने के बारे में अपनायी जाने वाली पद्धति क्या है ? तथा इस पद्धति में क्या कमियां पायी गयी।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) समिति द्वारा अभी तक कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः आग लगने वाले संवेदनशील क्षेत्रों एवं संभावित कारणों की सूची सदन की मेज पर रखा जाना संभव नहीं है।

(3) जी हां। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में लगने वाली आग की घटनाओं और कारणों और इस पर नियंत्रण करने के उपाय सुझाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1985 में श्री भरतसिंह (भा. व. से.) के अधीन एक कमेटी गठित की गई थी। इसके अतिरिक्त दि. 15-10-85 को केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य में लगी आग के कारणों की जांच भी राज्य सरकार द्वारा श्री रामाकृष्ण (भा. प्र. से.) के द्वारा करवाई गई। दोनों कमेटियों की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं। उक्त दोनों कमेटियों से प्राप्त सुझावों की क्रियान्विति हेतु केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किये गये कार्यों का विवरण सलंग्न है।

(4) वन विभाग के प्रशासनिक ढांचे की सामान्य संचार व्यवस्था से आग की घटनाओं की मानीटरिंग की जाती है। राज्य सरकार द्वारा गठित समिति भी इस संबंध में अध्ययन कर रही है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना

812. श्री हजारी लाल (खेतड़ी) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सी. ए. 35399/89 में पारित आदेश दिनांक 14-8-1989 एवं 17-1-1990 की सामयिक व निर्धारित समयावधि में पालना न करने के परिणाम-स्वरूप राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का सामना करना पड़ा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्यादेश दिनांक 12-2-1990 एवं वन सचिव के आदेश क्रमांक एफ. 7 (396) वन/7/ पार्ट-III दिनांक 19-11-1990 की भी भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही समय पर नहीं की गयी ?

(3) यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या मामले से सम्बन्धित

(श्री हजारी लाल)

अधिकारी की सेवा अवधि बढ़ाना न्यायोचित था ?

उत्तर

(1,2,3) यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इसका उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 7 मार्च, 1991)

रायपुर बांध की डूब में आई काश्तकारों की भूमि

311. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिले की रायपुर तहसील में दीपावास रायपुर बांध बनने पर वर्ष 1967 से अब तक कितनी भूमि उक्त बांध की डूब में बताकर काश्तकारों के खातेदारी अधिकार हटाकर राजस्व सिवाय चक में दर्ज की गई ? कृपया राजस्व गांव मालनी, दीपावास व लवाचा व मेहादड़ा के किन-किन काश्तकारों की जमीन सिवाय चक में दर्ज की गई ? सूची काश्तकारों के नाम वल्दियत खाता संख्या के साथ खसरा नम्बर व रकबा व किस्म सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उप खण्ड अधिकारी जैतारण को उक्त भूमि को सिवाय चक में दर्ज करने का अधिकार था ? यदि हां, तो इस प्रकार के आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सिवाय चक डूब में दर्शाये गये किन-किन खातेदार काश्तकारों को किस-किस खसरा नम्बर के पुनः खातेदारी अधिकार दे दिये गये हैं ? किन किन काश्तकारों को पुनः खातेदारी के अधिकार नहीं दिये गये हैं ? दोनों प्रकार के काश्तकारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उप खण्ड अधिकारी जैतारण ने सरकार के आदेशों के विपरीत उक्त भूमि को डूब में बताया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पाली जिले की रायपुर तहसील के दीपावास बांध बनने से इसकी डूब में आई जिन खातेदारों की 715.04 बीघा भूमि मौजा दीपावास, मालनी व लवाचा की सिवाय चक में दर्ज कर दी गई उसकी सूची (परिशिष्ट "क") सदन के पटल पर रख दी गई है। ग्राम मेघदड़ा के किसी खातेदार की भूमि डूब में नहीं आयी है।

(2) जी, नहीं। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी ने उक्त काश्तकारों की डूब में आई खातेदारी भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 124 के तहत लगान कम करने का आदेश दिनांक 29-10-77 को जारी किया था आदेश की प्रति संलग्न है, परन्तु पटवारी हल्का ने उक्त आदेश के आधार पर खातेदारों की भूमि बिना अवाप्त किये सिंचाई विभाग राजस्थान सरकार के नाम दर्ज कर दी। इस त्रुटि के लिए संबंधित अधिकारियों के स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन है।

(राजस्व मंत्री)

(3) उपरोक्त में से ग्राम मालनी के जिन खातेदारों को उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा दिनांक 18-4-80 को मुकदमा संख्या 1/80 के अनुसार पुनः खातेदारी दी गई उसकी सूची (परिशिष्ट "ख") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) सूची में दर्शा दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विद्यालयों हेतु राजकीय भवनों का निर्माण

322. **श्री अचला राम** (देसूरी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) राज्य में कितने राजकीय प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु कहां-कहां राजकीय भवन नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर उक्त विद्यालयों हेतु भवन निर्माण का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों के भवन कब तक निर्मित हो जायेंगे ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर भवन रहित विद्यालयों में भूमि की उपलब्धता एवं जन सहयोग आदि गुणावगुण एवं वरीयता के आधार पर विचार किया जाकर राशि आवंटित की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाड़मेर जिले के ग्रामों में अतिक्रमण

350. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बाड़मेर जिले के ग्रामों में कितने अतिक्रमण किए गए हैं ? पटवार सर्किल व तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने अतिक्रमण गोचर भूमि ओरण रास्ता कब्रिस्तान व श्मशान भूमि पर किये गए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने अतिक्रमियों के खिलाफ धारा 91 के तहत खुले आम मवेशियों को फसलें चराई जाने के कारण नोटिस जारी किय गये ?

(4) क्या यह सही है कि प्रभावशाली आदमियों ने जो सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण किए हुए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई ?

(5) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की सब तहसील गडरारोड में खुले आम मवेशियों से फसलें चराई गई। यदि हां, तो अनुसूचित जाति व अल्पसंख्यक वर्ग के कमजोर तबके के किसानों के खिलाफ तो कार्यवाही की गई परन्तु प्रभावशील लोगों के खिलाफ नहीं की गई ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले के ग्रामों में अतिक्रमण

(82)

(राजस्व मंत्री)

की पटवार सर्किल व तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अतिक्रमी जिनका विवरण बिन्दु सं. 1 में दिया गया है के विषय में नियमानुसार नोटिस जारी किये गये हैं। मवेशी से फसल केवल तहसील शिव के तीन जिनमें उप तहसील गड़रा रोड़ के 2 व तहसील बाड़मेर के 15 प्रकरणों में चराई गयी है।

(4) जी नहीं। किसी के भी विरुद्ध अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।

(5) जी हां। दो अतिक्रमियों द्वारा 83 बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिए जाने पर न्यायालय फैसले के अनुसार फसलें मवेशी से चराई हैं। यह सही नहीं है कि प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई एवं कमजोर तबके के किसानों के विरुद्ध ही की गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विराटनगर व जमवारामगढ़ तहसील ग्रामों में अतिक्रमण

353. श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर (जमवारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील विराटनगर व जमवारामगढ़ के अधीन ग्राम वार कितनी-कितनी चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है ?

(2) क्या सरकार ने चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील जमवारामगढ़ की 1427 बीघा 18 बिस्वा व तहसील विराटनगर की 1195 बीघा 18 बिस्वा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। ग्रामवार व व्यक्तिवार सूची परिशिष्ट (क) व (ख) संलग्न है।

(2) जी हां। अतिक्रमियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की स्थिति की सूची परिशिष्ट (क) व (ख) में दर्शायी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भीनमाल, जालौर व सांचौर नगरपालिका क्षेत्र में भूमि रूपान्तरण के मामले

354. श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीनमाल जालौर व सांचौर नगरपालिका क्षेत्र में भूमि रूपान्तरण की कितनी पत्रावलियां कब से विचाराधीन हैं ?

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

(2) क्या राज्य सरकार उक्त पत्रावलियों का शीघ्र निपटारा करना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भीनमाल, जालौर व सांचौर नगरपालिका क्षेत्र में भूमि रूपान्तरण के 208 प्रकरण आवेदित एवं 841 प्रकरण सुओ मोटो लम्बित हैं, जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है :—

आवेदित :—

वर्ष	न.पा. जालौर	न.पा. भीनलाल	न.पा. सांचौर	योग
1982	54	9	3	66
1983	—	3	3	6
1984	1	6	—	7
1985	—	1	—	1
1988	—	8	3	11
1989	8	26	3	37
1990	47	4	11	62
1991	18	—	—	18
योगः–	128	57	23	208

सुओ मोटो :

क्र.सं.	नगरपालिका	वर्ष वार वर्गीकरण 1983	1988	योग
1.	भीनमाल	405	128	533
2.	सांचौर	196	25	221
3.	जालौर	54	33	87
	योग :–	655	186	841

(2) जी हां। इसके लिये प्रयत्न किये जा रहे है।

पंचायत समिति बेगूं एवं भैंसरोडगढ़ की भूमि पर नाजायज कब्जे

355. **श्री चुन्नीलाल धाकड (बेगूं) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बेगूं एवं भैंसरोडगढ़, पंचायत समिति में अलग अलग कितने नाजायज कब्जे ऐसे हैं जिन पर विगत 15 सालों से अधिक समय से कृषि हो रही है ?

(2) क्या सरकार निकट भविष्य में इनको खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) किसका नाजायज कब्जा, कितनी भूमि पर व कितने समय से है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बेगूं पंचायत समिति क्षेत्र में 9 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 15 वर्ष से अधिक समय से नाजायज कब्जे किये हुए हैं एवं कृषि हो रही है। सूची (परशिष्ट "क") सदन की मेज पर रख दी गई है। भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।

(2) बेगूं पंचायत समिति के उक्त 9 प्रकरणों में सूची (परिशिष्ट "क") के क्र. सं. 1 से 7 के मामले नियमन की पात्रता की जांच हेतु रिमाण्ड किये गये हैं तथा

(राजस्व मंत्री)

क्र. सं. 8 व 9 पर अंकित व्यक्तियों के मामले आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके थे किन्तु आक्षेपों के साथ पुनः प्राप्त होने पर नियमन की पात्रता के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

(3) व्यक्तिवार विवरण की सूची (परिशिष्ट "क") सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:....

(1) श्री जनार्दनसिंह गहलोत व 3 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से विश्व हिन्दू परिषद् के महामंत्री श्री अशोक सिंघल द्वारा भीलवाड़ा गोली काण्ड में दोषी अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर हटाये जाने सम्बन्धी दिये गये अल्टीमेटम से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री जुबेर खान व 2 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से गुड़गांवा नहर का पानी सिंचाई प्रयोजनार्थ किसानों को उपलब्ध नहीं कराने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) सर्वश्री मोहनलाल चौहान व रामकरण (135), सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर में वर्ष 1985 से 1988 तक पड़े भयंकर अकाल में पंचायत समितियों के मार्फत् किये गये अकाल राहत कार्यों की मजदूरी का अभी तक भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उक्त स्थगन प्रस्ताव दिनांक 15 मार्च, 1991 की तारांकित सूची में सूचीबद्ध इनके प्रश्न के उत्तर से सम्बद्ध है। अतः इसे स्वीकार करने में, मैं असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

(1) श्री रामस्वरूप मीणा सदस्य, विधान सभा की ओर से केला देवी, श्री महावीरजी व मेंहदीपुर बालाजी में भरने वाले प्रमुख मेलों में सरकार द्वारा यात्रियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री जगजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के किसानों, विशेष कर किशनगढ़ क्षेत्र में रोजड़ो (नील गाय) द्वारा किसानों की फसल को नष्ट किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री गुलाम मुस्तुफा खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र नागौर में कृषि उपज मण्डी समिति नागौर द्वारा सड़कों के निर्माण कार्य में बरती जा रही उपेक्षावृत्ति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर में पेयजल की विकट समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री भरोसीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से हिण्डौन कस्बे में कोटवास गांव में जगर नदी, खरेटा रोड पर चंदौर नदी पर पुल तथा हिण्डौन से बयाना-भरतपुर आगरा रोड पर जटनगला नदी पर पुल का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के विभिन्न गांवों के किसानों को सिंचाई हेतु जवाई व हेमवास बांधों से जल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(7) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि मण्डी ब्यावर में जैतारण गौण उप मण्डी यार्ड, रायपुर जिला पाली को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री बी. डी. कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश के कई राष्ट्रीय उच्च मार्गों के मध्य से रेलवे लाइन गुजरने से आवागमन में बाधा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(9) श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के पथ परिवहन निगम के डिपो में भारी अव्यवस्था से यात्रियों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

(10) श्री नन्दकिशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के विधानसभा क्षेत्र छबड़ा कस्बे में उद्योगों की स्थापना कर क्षेत्र का विकास करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में निरन्तर बढ़ रही अपराधवृत्ति के नियंत्रण हेतु पुलिस व गुप्तचर व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने, श्री हरिसिंहजी महुआ और श्री रामप्रसादजी ने एक स्थगन-प्रस्ताव दिया है गुड़गांवा नहर के संबंध में। अध्यक्ष महोदय, 27 तारीख तक विधान सभा चलेगी। आपने कहा है। कि सरकार से जवाब मांगा गया है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर बिलकुल पानी नहीं आ रहा है। हरियाणा और यहां के मुख्य मंत्रीजी तो बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि कांग्रेस के

(श्री जुबेर खान)

टाइम में तो दूसरे राज्यों से तो कुछ आता नहीं था पर आज स्थिति यह है कि डीग, पहाड़ी और कार्मा क्षेत्र में हरियाणा वाले पानी नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे फसलें सूख रही हैं और पानी की व्यवस्था गड़बड़ा रही है इसलिये आप राज्य सरकार को निर्देश दें कि 27 तारीख से पहले इसका जवाब देकर सदन में चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। श्री रामेश्वर दयालजी यादव बोलिये।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, करीब 11-12 दिन पहले राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बारे में हमने एक काल अटेंशन मोशन दिया था। इस सदन में हमने पहले भी 3-4 बार आपसे निवेदन किया, आपसे हमने चेम्बर में भी निवेदन किया लेकिन अभी तक उसमें कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह रोडवेज में कुछ घोटाले और कुछ अनियमितताओं का मामला है। उसको माननीय मंत्रीजी और मैनेजमेंट दबाना चाहते हैं। हमें आपका प्रोटेक्शन चाहिये। आप उसको सदन में लाने का प्रयास करें।

श्री अध्यक्ष : नहीं दबायेंगे। श्री हरिसिंह जी।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : कब तक, साहब ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरा भी इसी से सम्बन्धित है, मेरा भी अनुरोध सुन लें।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका। आप चैम्बर में आकर बात करिये।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : नहीं, अध्यक्ष महोदय, 13 दिन हो गये....

श्री अध्यक्ष : हो गये तो मैं भी उसमें लगा हुआ हूं जवाब के लिये।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : नहीं अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है। कि आपने निर्देश दे दिये पर सरकार उसको गम्भीरता से नहीं ले रही है।

श्री अध्यक्ष : मैं दे रहा हूं, निरन्तर दे रहा हूं।

श्री हरिसिंह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आपको यह विश्वास कर लेना चाहिये कि मामला दबेगा नहीं।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय मेरा....

श्री अध्यक्ष : अब आपका आ गया ना। डा. हरिसिंहजी बोल रहे हैं।

श्री हरिसिंह : उसका जवाब आ चुका है, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने....

श्री अध्यक्ष : तो आप मेरे से क्या चाहते हैं ?

श्री हरिसिंह : हम यह चाहते हैं कि उसको आप सदन में लगायें, कार्य सूची में इन्क्लूड करें।

श्री अध्यक्ष : तो यहां करूंगा क्या ?

श्री हरिसिंह : तो कहां करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : जहां करना हैं वहां करूंगा । मैंने आपकी बात सुन ली, बिराजिये आप ।

श्री हरिसिंह : यह अनुरोध तो हम आपसे कर रहे हैं कि राज्य सरकार का जवाब आ चुका है । आपने व्यवस्था कहां दी है, आपने बात ही सुनी है, व्यवस्था नहीं दी है ।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था यहां नहीं होगी । चलिये ।

व्यवस्था का प्रश्न
विशेषाधिकार हनन प्रश्न की समिति को सुपुर्दगी

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आपने 10 माननीय सदस्यों द्वारा एक विशेषाधिकार का मामला, माननीय सदस्य, श्री सुरेन्द्र व्यास के खिलाफ जो पेश किया था उसको आपने डायरेक्टली विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है । मेरा कथन यह है कि जो चार्जेज माननीय सदस्य ने लगाये हैं उन चार्जेज की इन्क्वायरी करना तो दूर रहा और उन्हीं के खिलाफ में ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेज मूव कर दिया । यदि कोई आदमी यह शिकायत करता है । कि यह गड़बड़ियां हो रही हैं तो उन शिकायतों की जांच की जाती है । या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है । एक तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की बैठक चल रही है और इसी के दौरान यह आरग्यूमेंट देकर, क्योंकि इस मामले में विधान सभा सचिवालय को भी इन्वाल्व किया गया है जिस पर सदन में डिस्कशन अलाउ नहीं है अब सवाल सचिवालय का नहीं है । सवाल इर्रेगुलरटीज का है—There has been some irregularities here in your Secretariat and those irregularities should have been examined and decision should have been given by you. You have not followed that path and some members, I think number is 10, they have subm you a motion of privilege and that you have referred to the Privile Committee. मेरा इस बारे में सख्त एतराज है । इर्रेगूलरटीज उन्होंने सामने लाई, उन्होंने चार्जेज लगाये, चाहे वह किसी के भी खिलाफ लगाये गये, प्राइमाफेसी वह चार्जेज पहले साबित करने थे कि यह चार्जेज गलत हैं । वह तो कोर्स आपने एडाप्ट किया नहीं और जो कोर्स एडाप्ट किया वह आज तक कि परम्पराओं के खिलाफ है । मैं इस बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस सम्बन्ध में मुझे भी कुछ कहना है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : पहले श्री विश्नोईजी ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय जब कभी भी विशेषाधिकार हनन का

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

मामला आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें तरह-तरह के विकल्प हैं। पहला तो यह है कि यदि सदन की बैठकें नहीं हो रही हों और आप इस बात से संतुष्ट हो जाय कि ऐसा लगता है कि इस सदन के प्रिविलेजेज का हनन हुआ है तो आप उस मामले को प्रिविलेजेज कमेटी को सुपुर्द कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता यह है, हमारे प्रक्रिया के नियम 157 से से 162 तक में यह व्यवस्था है कि कोई भी माननीय सदस्य विशेषाधिकार हनन के प्रश्न को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हैं और उसमें जो कुछ शर्तें दी हुई हैं यदि वह शर्तें वह पूरा करता है तो उस माननीय सदस्य को अनुमति दी जाती है आपके द्वारा उस प्रश्न को उठाने की। उसके बाद में दो रास्ते हैं। यदि सदन यह समझे कि इस मामले में सदन में ही विचार करके उस पर विनिश्चय कर लिया जाय तो वह रास्ता होता है और उसमें गहराई से गवाहों की गवाहियां लेनी होती हैं, साक्ष्य लेना होता है अथवा कोई जानकारियां लेनी होती हैं, अनुसंधान करना होता है, जांच करनी होती है तो विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाता है। जब यहां पर माननीय सदस्यों ने विशेषाधिकार का प्रश्न अपने प्रक्रिया के नियमों के अन्तर्गत आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया तो उस अवस्था में आपके लिये यह अनिवार्य था कि इस प्रश्न को सदन के समक्ष आप प्रस्तुत करते और उसके बाद में उचित समझते तो उस पर निर्णय यहीं हो जाता अन्यथा उसको विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाता। आपके और सदन के अधिकार इस सम्बन्ध में बराबर नहीं हैं। हालांकि आपको नियम 161 के अन्तर्गत यह अधिकार है कि आप किसी मामले को समिति को सौंप दें लेकिन समिति को वही मामले सौंपे जाते हैं जिनमें सदन में सहमति होती है। आप यह समझें कि इसमें सदन एक राय है लेकिन ज्यों ही विवाद होगा उस अवस्था में यह मसला सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। इसमें कौल और शकधर की जो व्याख्या है वह मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहूंगा—"Although in some cases the Speaker has permitted the matter to be raised in the House by a member and then declared that he was referring the matter to the Committee in exercise of his discretionary power, Successive Speakers have interpreted this discretionary power to mean that the Speaker may, on his own, refer only such matter to the Committee on which there is substantial agreement in the House, that the Speaker's power is not concurrent with or a substitute for the power of the House itself, and that the only purpose of the rule is to save time of the House and cut short the formal procedure in cases where discussion reveals that there is general agreement, on referring the matter to the Committee."

मेरा इसमें नम्र निवेदन यह था कि इस मसले को सदन के समक्ष लाना चाहिए उसके बाद में सदन की जो राय होगी

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

उसके अनुसार सदन खुद भी इस पर निर्णय ले सकता है अन्यथा इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जा सकता है।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में मेरा एक निवेदन है कि जिस मामले को लेकर माननीय सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाया गया है और इस मामले को विशेषधिकार समिति को सौंपने की बात कही गई है। वह प्रश्न सदन के सामने भी आया है, आपके सामने भी विचाराधीन हैं। वह उन याचिकाओं से भी सम्बन्धित है। जिन पर आपको जल्दी ही फैसला करना है। इस सदन में और उसका अहम असर भी है उसके ऊपर और ऐसे में जब वह मामला आपके विचाराधीन है। हम लोगों ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में इस मामले को उठाया है और वह एक आपकी जो ज्यूडिशियल फाइन्डिंग होगी उस पर असर करने वाला है। उस सब पर विचार करने से पहले और बिना सदन में लाए बिना उस पर विचार किए, माननीय सदस्य को मौका दिए विशेषाधिकार समिति को दे दिया जाना यह उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अगर लाना है तो उस पर पूरी सुनवाई यहां हो, माननीय सदस्य को मौका दिया जाए, हाउस में विचार किया जाए उसके बाद उसको दिया जाए। मैं तो यह कहता हूं कि इस विषय पर आपकी फाइंडिंग होने के बाद याचिकाओं पर आपके फैसले के बाद ही इस विषय पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जानी चाहिए। उसके पहले नहीं।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : अध्यक्ष जी, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आपने 162 रूल के तहत अपनी रूलिंग दे दी। उस रूलिंग को हम मानते हुए आपसे इतना ही निवेदन करते हैं इस पर आप रीकंसीडर करिए, 162 रूल आपको पावर देता है "नोट विदस्टेंडिंग एनिथिंग करेंट इन अदर रूल्स" यह आपको डिस्क्रिशनरी पावर है। बहुत रेयर कैसेज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। 162 को हम दूसरे जो रूल्स हैं 157, 158, 159, 160, 161 उनसे केवल आइसोलेट करके अकेला इसमें इवेड किया जाए। दरअसल आज तक हमारे हाउस की परम्परा नहीं रही है। तो आपसे यही निवेदन है कि आपने काफी अच्छी यहां पर रूलिंग दी है हमें, वैल थाट आउट थी, टाइमली थी, काफी वैल स्टेडिड थी। आपसे निवेदन ऐसा है कि बड़ा सेंसिटिव इश्यु है। जो यहां हाउस में आलरेडी डिसकस हो चुका है। पहले हाउस में मूव हो जाए और फिर जैसी हाउस की मंशा हो उसको रेफर करे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं भी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य केदार जी ने जो बात रखी निश्चित रूप से जो आप निर्णय करते हैं उस निर्णय को सदन मानेगा लेकिन रीकंसीडर करने के लिए हमेशा आपसे सदन ने अनुरोध किया है। जो मामला संविधान की टेंथ शिड्यूल की प्रोसीडिंग्स में चल रहा है उसको हाउस की प्रोसीडिंग मानकर के प्रिविलेज मोशन लाना अपने आप में एव इनिशियो गलत है।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

दूसरी बात जहां तक विधान सभा सचिवालय से सम्बन्धित बात का उल्लेख किया गया है उस सम्बन्ध में माननीय मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पत्र आपको लिखा है उसमें साफ लिखा है कि "I have personally investigated and I am fully convinced that the insertion of the document has been done beyond Assembly Secretariat, i. e. at your level."
यह 24 फरवरी, 1991 को जो पत्र दिया है। माननीय सदस्य ने स्पष्ट कहा है कि विधान सभा सचिवालय का और आपके कार्यालय का इसमें कोई, यह जो फर्जी दस्तावेज सम्मिलित किया गया है उसमें आपका या आपके सचिवालय का कोई हाथ नहीं है। वह फुली कन्वींन्स्ड है। फिर विधान सभा सचिवालय इसमें कहां इन्वाल्व हो गया ? इसलिए विधान सभा सचिवालय का बहाना लिया जाना मैं समझता हूं युक्तिसंगत नहीं है। चूंकि माननीय सदस्य ने संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत एक मामला जो जनहित में था और जो बड़े-बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं। वो ही इस तरह के डाक्यूमेंट्स की हेरा-फेरी करें, मैं समझता हूं कि आप भी इसको गम्भीरता से ले रहे हैं और जो मामला आपके पास में निर्णयाधीन है, जब तक ऐसे मामलों में आपका निर्णय नहीं आएगा तब तक मैं समझता हूं कि कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए और इसके बावजूद भी यदि प्रिविलेज मोशन को आप मान्यता देते हैं तो हाउस चूंकि यहां चल रहा है, जब कभी भी इस सदन में कोई प्रिविलेज मोशन आया है, विधान सभा की सारी कार्यवाहियों को रोककर पहले प्रिविलेज मोशन के ऊपर यहां पर विचार किया गया है। इसमें प्रिविलेज मोशन के बारे में जब कोई बात आएगी तो आप सम्बन्धित माननीय सदस्य, जिसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आया है। यह तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा, प्राकृतिक न्याय से सिद्धान्त के प्रतिकूल होगा कि जिस माननीय सदस्य के खिलाफ प्रिविलेज का प्रस्ताव आया है। उसको आप सुनवाई का मौका दें और बिना सुनवाई के मौके के सदन में विचार विमर्श के प्रिविलेज कमेटी को देना, मैं समझता हूं यह न्यायोचित नहीं है। इसके लिए आप इस पर पुर्नविचार करें। संविधान के दसवें शिड्यूल के अन्तर्गत जो मामला आपके पास विचाराधीन है। उसका तो फैसला जल्दी से जल्दी आए। उसके बाद में हाउस की प्रोसीडिंग्स में यदि कोई मामला आया हो, हाउस में यदि कोई बात इस तरह की कही गई हो तब कोई प्रिविलेज का मोशन बनता है नहीं तो प्रिविलेज का कोई मोशन ही नहीं बनता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है मैं ऐसा समझता हूं कि फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य इस पर विचार कर लें तो खुद ही इस बात से सहमत होंगे कि इस प्रकार के प्रस्ताव को विधान सभा में नहीं रखना चाहिए। विशेषाधिकार का प्रस्ताव क्या है। और किन बातों को लेकर विशेषा-का प्रस्ताव आया है वह दो बातें मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पहली है विधान सभा अध्यक्ष दस्तावेजों की हेरा फेरी व जालसाजी के प्रकरण में खुद लिप्त हैं। और इस रूप में दिग्विजय सिंह ग्रुप के मुलजिमों की पार्टी के साथ वह भी मुलजिम हैं। नम्बर एक।

दूसरा है अध्यक्ष तो खुद फोरजरी में शामिल हैं ही, वह फैसला करेगा ही नहीं यह दो बातें हैं। अब मैं माननीय सदस्य सदस्य जो फलौदी से आए हैं उनकी भी कई रूलिंग हैं। आप कॉल और शकधर की किताब लेकर बैठे हैं उसको भी देख लें उसमें भी इस बात का चैप्टर है कि अध्यक्ष के आचरण के सम्बन्ध में कोई भी चर्चा हो सकती है तो उसकी दो ही प्रक्रिया हैं। एक प्रक्रिया है कि उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाए। इस प्रक्रिया के अतिरिक्त इस विधान सभा की सारी पुस्तकें, विधान सभाओं की अब तक व्यवस्थाएं उनमें किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि विधान सभा के अध्यक्ष के आचरण के सम्बन्ध में कोई चर्चा की जाए वह चर्चा केवल अविश्वास के प्रस्ताव के माध्यम से हो सकती है। विधान सभा सचिवालय के सम्बन्ध में भी यदि किसी प्रकार की चर्चा इस सदन में हो तो उस पर भी व्यवस्थाओं के नाते एक प्रकार का अंकुश लगाया हुआ है और इस कारण पहला प्रश्न यह आता है क्या विधान सभा के अध्यक्ष के ऊपर यह जो आरोप लगाए गए हैं इन आरोपों की चर्चा सदन में होनी चाहिए? आप जानते हैं कि विधान सभा और राज्यपाल यह दोनों चार्ज्ड हैं वोटेड नहीं हैं। और चार्ज्ड बजट में केवल इसलिए रखा जाता है कि इनके ऊपर चर्चा नहीं हो। आज हम राज्यपाल महोदय के सम्बन्ध में चर्चा नहीं कर सकते। राज्यपाल महोदय को किस प्रकार से हटाया जाए उस के कान्सटीट्यूशन में प्रोवीजन हैं। उसी प्रकार से अध्यक्ष के आचरण पर चर्चा की जाए तो उसकी भी व्यवस्था है वह व्यवस्था केवल मात्र है कि उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा जाए। अविश्वास का प्रस्ताव रखा नहीं गया और दोनों आरोप लगा दिए तो क्या आप चाहते हैं कि इन दोनों आरोपों के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा हो चर्चा हो तो उसके परिणाम क्या होंगे और परिणाम के साथ साथ परम्परा किस प्रकार की पड़ेगी। आज अध्यक्ष पर कोई भी व्यक्ति उनकी रूलिंग से, व्यवस्था किसी कारण से नाराज हो सकता है। और नाराज हो कर अध्यक्ष पर यदि इस प्रकार के आरोप लगाना शुरू कर दिया तो हम एक दूसरे पर आरोप न लगाकर अध्यक्ष पर ही आरोप लगायेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि स्वस्थ परम्परा के नाते इस प्रकार के प्रकरण की चर्चा सदन में नहीं होनी चाहिए। यही माननीय अध्यक्ष महोदय का अधिकार रहा होगा जिसके कारण से सदन में चर्चा कराये बिना ही इस मामले को उन्होंने प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर दिया। दूसरा रूल 162 है, रूल 162 में यहां लिखा है कि : "Notwithstanding anything contained in these rules, the Speaker may refer any question of privilege to the Committee of Privileges for examination, investigation or report." यह 162 का है। अब इस 162 में केवल यही आधार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं है कि सदन की कार्यवाही नहीं हो रही और उस समय कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन आ गया तो सदन में चर्चा की प्रतीक्षा किये बिना ही अध्यक्ष महोदय इस विशेषाधिकार के प्रश्न को समिति को सौंप सकते हैं। यही नहीं प्रश्न यह है कि चर्चा निर्णय होने से पहले सदन में नहीं की जानी चाहिए। परम्पराओं के अनुसार नहीं है, व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है। इस प्रकार की चर्चा नहीं हो इस दृष्टि से भी अध्यक्ष महोदय 162 के अन्तर्गत अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

तीसरा प्रश्न बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया कि नेचुरल जस्टिस के नाते जिस सदस्य के ऊपर आरोप लगाया गया है उनको अवसर मिलना चाहिए। यह जो विशेषाधिकार समिति बनी हुई है यह समिति कोई दूसरी समिति नहीं है, इसी सदन की गठित समिति है। उस समिति के अन्दर माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलेगा। वह रिपोर्ट इस सदन में आयेगी, इस सदन की मेज पर वह रिपोर्ट रखी जायेगी और परम्परा तो इस प्रकार की है कि उस पर चर्चा नहीं होती है लेकिन इस परम्परा के बाहर जाकर भी कोई चर्चा करना चाहे और अध्यक्ष महोदय उसकी अनुमति दें तो उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन आज फैसला नहीं हो रहा है। मामला केवल प्रिविलेजेज कमेटी को रेफर किया गया है। वह कमेटी इस हाउस की है उसमें आपकी पार्टी के सदस्य हैं, हमारी पार्टी के सदस्य हैं अन्य दलों के सदस्य हैं सभी मिल कर उस पर विचार करते हैं इसलिये जो कुछ पाइन्ट ऑफ आर्डर रेज किया गया मैं समझता हूं वह निरस्त करने योग्य है और माननीय सदस्य स्वयं ही समझ जायेंगे कि इस प्रकार की चर्चा हाउस में नहीं की जा सकती है।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्रीजी ने मामले को काफी घुमाने की कोशिश की है। पहली बात तो उन्होंने यह पढ़कर सुनाया है कि चार्जेज क्या हैं। विधान सभा अध्यक्ष, जो दस्तावेजों की हेराफेरी का मामला कहा हैं पहली बात तो यह है कि इसी रूप में जो शब्द यहां यूज किये गये हैं। यह ऑथेन्टिक हैं या नहीं।

दूसरी बात यह आती है कि किसी के आचरण की चर्चा, मर्यादा, तो आचरण जब तक मर्यादित होता है जब तक ही दूसरे लोग पाबन्द होते हैं और किसी का आचरण अगर मर्यादा से परे चला जाता हैं तो यह कानून बेकार है, यह लिखा पढ़ी, यह किताब सब बेकार हो जाती हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिकुमार औदिच्य : हरिसिंहजी आप तो स्वयं चार्ज लगा रहे हैं कि अध्यक्ष का आचरण मर्यादा के अन्दर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये। बात यह है कि मर्यादा तय कर रहे हैं। आप सुनिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, कुछ तो मर्यादित करो।

श्री मदनलाल सैनी : इस सदन में आरोप लगाये जा रहे हैं....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : सुनना तो पड़ेगा। मैं बैठूंगा नहीं। अध्यक्षजी मेरे को प्रोटेक्शन देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप सुनाइये आप बिराजिये।

श्री हरिसिंह : उदाहरण के तौर पर राजा खुद, फार देट मेटर प्रेसीडेंट, या प्रधान मंत्री अगर कोई ऐसा आचरण करते हैं जो मर्यादा नहीं है तो उसकी चर्चा, कानून में बाधा नहीं आती है। मैं कहता नहीं अध्यक्ष जी ऐसा करेंगे लेकिन अध्यक्ष जी यहां शीर्ष आसन शुरू कर दें तो? अगर यहां शीर्ष आसन शुरू कर दे तो हम.. (व्यवधान)

श्री सम्पतसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर पर पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता। आप बिराजिये, उनका चल रहा है।

श्री सम्पतसिंह : होता है। और यही कन्टीन्यू करते रहे It is again a contemptuous language to the Speqker. कि आप शीर्षआसन शुरु कर दें।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जिन शब्दों से सम्बोधित कर रहे हैं, सम्बोधित करते समय शब्दों का चयन ठीक करिये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये इनको समाप्त करने दें।

श्री हरिसिंह : तो मर्यादायें, परम्परायें जब तक ही नहीं तोड़ी जाती जब तक स्वच्छ हैं। जब मर्यादा खुद मर्यादा में नहीं रहती, जब परम्परा गलत हो जाती है तो उनको हमेशा इतिहास में तोड़ा गया है। ब्रिटिश यहां राज करते थे तो वह मर्यादा की बात करते थे कानून की बात करते थे।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आप बात ही कर रहे हैं तो फिर निर्णय क्या लेंगे?

श्री हरिसिंह : और हमने अन्दोलन किया और हमने सारे कानून तोड़े भगतसिंह फांसी पर चढ़ा तो वह कानून के तहत था क्या, उस कानून के तहत जब कानून खुद-ब-खुद गैर कानून बन जाता है तो कानून को तोड़ना अतिआवश्यक है।

श्री सम्पतसिंह : भगतसिंह ने कानून की शपथ नहीं ली थी, आपने इस कानून की शपथ ली है। This is the law of the land you have to obey these rules.

श्री हरिसिंह : यह तो कानूनी एप्रोफिज्म है, भाषा का एप्रोफिज्म है। यह तथ्यों को नहीं छुपा सकते। अब अध्यक्षजी मैं आपको कहना चाहता था कि मुख्यमंत्रीजी ने कहा है कि इस सदन में नहीं हो सकता। उस कमेटी की रिपोर्ट करने के बाद सदन में आयेगा ही। तो एक जो ऐसा मामला मेरे को ऐसा लगता है कि इस मामले में प्रिज्यूडिस होकर, आप फिर कह देंगे कि आप चार्ज लगा रहे हैं, इस मामले में

(श्री हरिसिंह)

फैसला करना चाहिए था दल-बदल वाले का उसको फिर प्रिज्यूडिस हो कर प्रभावित करने के लिए बैकडोर से, यह मामला साजिश का मेरे को नजर आता है। अध्यक्ष जी मैं यह नहीं कहता कि आप इस साजिश में इन्वाल्व्ड हैं लेकिन + + + यह मेरा अन्देशा है, ऐसा मेरे को महसूस होता है कि आपको नहीं फंसना चाहिए था। मैं आपको इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए कहूंगा और इस मामले को विशेषाधिकार समिति से विथ-ड्रा करें उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर मेरा भी है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय के सम्बन्ध में कोई भी भाषा का प्रयोग किया जाये या आरोप लगाये जाय आप यह समझ कर चलिये कि जैसी भी परम्परायें हैं, हम उस परम्परा को खुद तोड़ रहे हैं। आज आपने कई बातें कही मैं केवल अध्यक्षजी से निवेदन करना चाहूंगा कि रिकार्ड में इस प्रकार की बातें नहीं रहनी चाहिए। उनको एक्सपंज किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : भगतसिंह को फांसी लगी उसको एक्सपंज किया जाय, अंग्रेजों को यहां से निकाला उसको एक्सपंज किया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भगतसिंह की फांसी का नहीं कहना चाहता मैं तो एक्सपंज वह करवाना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य ने कहा है कि + + + (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : मैंने यह कहा है कि + + + (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्यमंत्रीजी ने स्पष्ट नहीं किया कि कौनसे शब्द को एक्सपंज करना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री निर्भयलाल जाटव : + + +

श्री बुलाकीदास कल्ला : विशेषाधिकार का मामला सदन में जब नियम 157 के अन्तर्गत उठाया जाता है तो उस दिन प्रश्न काल के बाद सारी कार्यवाही रोक कर उसके बारे में सदन में चर्चा करते हैं। उन सब चीजों के बाद नियम 162 लागू होता है। मैं फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो आपको निवेदन किया कि हम सबसे पहले सदन में इस बात की चर्चा करने के बाद और सबको सुनने के बाद फिर आप 162 एप्लाई करें तो ज्यादा उचित रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको जानकारी के लिए बता देऊं, माननीय पूनमचन्द जी साहब खड़े हो रहे हैं। 1974 की रूलिंग है, उस रूलिंग में कहा है.... पेज 247 संख्या 2, अंक "6" विधान सभा

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सचिवालय, माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस सम्बन्ध में तो अध्यक्ष महोदय, साफ बताया है। कि इन्होंने कहा ही नहीं कि आपके ऊपर या सचिवालय के ऊपर कोई आरोप हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरा इसमें निवेदन यह है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थित बनी हैं लेकिन जब विशेषाधिकार का प्रश्न सदन के समक्ष प्रस्तुत हो गया तो उसके बाद में अभी चर्चा नहीं होगी तो जब प्रतिवेदन आ जायेगा उस वक्त चर्चा होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी अध्यक्ष की अनुमति से।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं जब आप इस सदन के किसी व्यक्ति को दण्डित करना चाहेंगे तो उसमें चर्चा होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका मैंने इस कुर्सी से भाषण सुना है। मैं समझता हूं उम्र अपनी दोनों की ज्यादा हो रही है। आपको भी याद है, मुझे भी थोड़ा बहुत याद है। आप अपनी उन व्यवस्थाओं को मत भूलो। मेरी तो इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे कि इस सदन में अच्छी परम्परा पड़े। अध्यक्ष महोदय यदि कोई गलती करते हैं तो हमें अधिकार है अविश्वास का प्रस्ताव ला कर सब बातें कहें। हमने कभी रोका नहीं, आप अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाये। लेकिन एक प्रक्रिया है उसको नहीं तोड़े। मेरी तो केवल इतनी सी ही रिक्वेस्ट है।

एक माननीय सदस्य : वह शोभनीय होगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं चाहता हूं या नहीं चाहता हूं....

श्री हरिसिंह : You are inviting me.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Are you ready ?

श्री हरिसिंह : Yes.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो लाये क्यों नहीं अब तक ?

श्री हरिसिंह : तो क्या आप इन्वाइट कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्वाइट किसलिए कर रहा हूं ? (व्यवधान) मेरी सुनिए। एक प्रक्रिया है कि अध्यक्ष के आचरण के संबंध में कोई चर्चा, हो तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हो। आपके पास वह छूट थी लेकिन आपने उसका उपयोग नहीं किया। विशेषाधिकार का प्रश्न जब आया तो आज आपको चिन्ता हुई कि यहाँ हाउस में डिस्कस होना चाहिए। मैं इतना निवेदन कर दूं कि अध्यक्ष के आचरण के संबंध में हम कुछ भी सदन में चर्चा करेंगे उसका रिफ्लेक्सन इस सदन की प्रोसीडिंग पर होगा, सदन की परम्पराओं पर होगा, सदन की जो व्यवस्थायें हैं उन सबके ऊपर होगा। आज तक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विधान सभा में मैं 40 वर्षों से बैठा हूं, मैं समझता हूं यह पहला मौका है जब अध्यक्ष पर इस तरह के आरोप लगाये। पहला मौका है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने भी लगाये हैं कई बार।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने ? आज एक भी रेकार्ड में हो तो बता दो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हैं, लेकिन आप हाथों-हाथ क्षमा-याचना भी कर लेते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैंने कर ली तो कर ली। मैं समझता हूं कि—

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : इस तरह के दस्तावेज पहली बार ही पेश हुए हैं। इस तरह की +++ भी पहली बार ही हुई है।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह पहला मौका है कि विधान सभा में + + + रखे गये हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : विधान सभा के इतिहास में + + + भी पहली बार ही हुई है। इससे पहले नहीं हुई थी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप किस मुंह से बोलते हो ? आप कहां हो ? आपने पूरी पार्टी की हेराफेरी की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, हम पर तो आरोप लगाये जाते हैं + + + के और यहां पार्टियों की हेराफेरी हो रही है, उनका क्या होगा ?

श्री नत्थीसिंह : इसमें आप ही दोषी हो सबसे ज्यादा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि अध्यक्ष के आचरण पर इस सदन में चर्चा नहीं की जा सकती और अध्यक्ष के प्रति किसी तरीके की अवमानना या उसके ऊपर इस तरीके का आक्षेप भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अध्यक्ष के दिये हुए फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध तो किया जा सकता है। आपने एक फैसला दिया कि माननीय सदस्य के विरुद्ध जो मामला है उसको विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। हम तो उस फैसले पर आपसे पुनर्विचार करने का अनुरोध कर रहे हैं। इसमें कहां नियम आड़े आ रहे हैं ? यह तो अनुरोध कर ही सकते हैं। यह तो नियम विरुद्ध और परम्परा के विरुद्ध नहीं है ? इस पर क्या आपत्ति है ?

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष जी, मैंने कभी भी आपके आचरण पर संदेह व्यक्त नहीं किया। यह तो मुख्यमंत्रीजी व्यक्त कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि इस पर काफी चर्चा हो गई है।....(व्यवधान)

आप भी बोलेंगे ?

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिल्कुल बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : जरूर बोलिए। आप बिराजिए।

डॉ. हरिसिंह : अन्त में एक लाइन रिक्वेस्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : Let him speak.

डॉ. हरिसिंह : हेराफेरी के मामले को परम्पराओं की आड़ में दबाया न जाय।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Let me put the record straight. चीफ मिनिस्टर यहां यह कहते हैं कि प्रिविलेज कमेटी के सामने माननीय सदस्य को सुनवाई का मौका मिलेगा। आपका नोटिस मिलने पर मैंने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेज किया कि 10 शिड्यूल्ड की प्रोसीडिंग्स आर्टिकल 212 के मायने में हाउस की प्रोसीडिंग मानी जाती है। मतलब यह कि जस्टिसिएबल नहीं है। कोर्ट में प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। उसके अलावा यह हाउस की प्रोसीडिंग्स नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी, 1985 के पहले एण्टी डिफेक्शन लॉ नहीं था। इसलिए आप बार-बार इतिहास का वास्ता देते हैं कि कभी अध्यक्ष के आचरण पर कोई टिप्पणी नहीं की गई तो वो यहां पर कतई लागू नहीं होगी। सुरेन्द्र व्यास अन्तिम व्यक्ति होगा जो अध्यक्ष की मर्जी आये जिस हिसाब से फैसला कर दे टिप्पणी नहीं करेगा, पर 10 शिड्यूल्ड की प्रोसीडिंग हाउस की प्रोसीडिंग नहीं है। 10 शिड्यूल्ड की प्रोसीडिंग के अन्दर डेफीनेटली फोर्ज्ड कागज इंसर्ट हुआ है। मैंने अध्यक्ष महोदय, आपको विनम्रतापूर्वक यह पत्र लिखा था—Personal letter on 24th February, 1991. I stand by every word that I mentioned in it. Mr. Speaker with your permission, you can take a position that regular no confidence motion should be moved against you if I am so concerned but you are aware that such motion cannot get through in view of the majority of 116 of the B. J. P., your own political party and defectors. Mr. Speaker, this is my letter. I have written to the hon'ble Speaker. I stand by every word that I have mentioned in it.

तो अध्यक्ष महोदय, आपने इसको अलग कर दिया। बहुत सुन्दरतापूर्वक और खूबसूरती से अलग कर दिया। 22 तारीख को मैंने प्रेस कांफ्रेंस की। मैं कावर्ड और टिमिड नहीं हूं जो प्रेस को यह कह दूं कि डिस्टोरशन हो गया। प्रेस कांफ्रेंस से अपनी अपनी लैंग्वेज में प्रेस वाले अलग-अलग छापते हैं। एग्जेक्टली मेरे वर्ड्स को टेप करके उन्होंने छापा हो यह नहीं है। लेकिन जो कुछ मैंने इस पत्र में लिखा है उससे स्टेण्ड करता हूं। उसका आशय अलग-अलग समाचार पत्र में अलग-अलग भाषा हो जाता है। मैंने अध्यक्ष महोदय, असेम्बली सैक्रेटेरियट को पूरी तरह से अब्जोल्व किया हुआ है और मैंने इसमें यह भी लिखा है कि Kindly do not refer to Rules, you

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

have been following them more in breach than observance in the matter of your ruling. I am conscious that the hon'ble Speaker's ruling cannot be challenged but I dare to mention it and am ready and willling to bear the technicality of Constitution of Contempt with the larger object of exposing misdeeds of persons occupying high offices in public life.

मुख्य मंत्री जी, एक आवाज को बन्द करने के लिए + + + पूर्णतया प्रमाणित है कि एण्टी डिफेक्शन लॉ की प्रोसीडिंग्स के अन्दर माननीय अध्यक्ष सर्वोपरि हैं। कोई चैलेन्ज नहीं कर सकता। पैरा 7 के होते हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी चैलेन्ज नहीं कर सकती। जिस रोज पैरा 7 स्ट्राइक डाउन हो जायेगा पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है और सुप्रीम कोर्ट के अन्दर उसकी अपील पैण्डिग है। तब तक so long as para 7 is there in schedule 10, अध्यक्ष महोदय, आपका फैसला फाइनल है। उसमें मैं मूर्ख नहीं हूं कि उसको चुनौती दूं लेकिन आपकी प्रोसीडिंग के दौरान फोर्जरी करने का फैसला फाइनल है। वो फैसला आप करेंगे।

There are criminal cases.

+ + + डिबेट क्यों नहीं कराते हैं? 201 का अपराध ललित किशोर जी ने किया उस पर डिबेट नहीं कराना चाहते हैं। + + + (व्यवधान)

मैं फैक्ट्स पर बात करना चाहता हूं। आप क्यों पोलिटिकल डिबेट करना चाहते हैं। आप बैठिए न।....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत है। क्या प्रमाण हैं आपके पास ?....(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : अध्यक्ष जी अपने आप सक्षम हैं। आप बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप बैठ जाइये। प्लीज।....(व्यवधान) हो गया आपका।

I have got his point. Now you are provacating.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Within a minute, Sir, I will conclude.

श्री अध्यक्ष : Now you are provoking. I have got your point.

श्री सुरेन्द्र व्यास : I will not mention anything more. I would conclude my speech with this observation. Mr. Speaker, you will appreciate what the Hon'hle Speaker of Goa did was a subject matter of public criticism in Goa because that was not a proceeding of the House. 10 शिड्यूल की प्रोसी-

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

डिंग हाउस की प्रोसीडिंग नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए, बोलने दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, अब वापस उस पर आते हैं। आपने मेरी आपत्ति निरस्त कर दी। अध्यक्ष महोदय, आपने प्रेस के सामने क्या कहा। जब आपसे पूछा तो आपने इतने गम्भीर प्रकरण में क्या कहा कि सुरेन्द्र व्यास + + +। तो आपने प्रेस को मजाक के लिए, नॉनसीरियस करने के लिए, प्रेस के 20 आदमियों के सामने कहा कि सुरेन्द्र व्यास तो + + +। गम्भीर मामला उठाता है। मेहनत करके और पकड़कर लाता है + + + एक्सपोज करता है तो आप कहते हैं कि + + +

श्री अध्यक्ष : I think this is not the subject matter.

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह सब्जेक्ट मैटर है। जब मैंने आपको आपत्ति दी....

श्री अध्यक्ष : पहले तो कोई 20 आदमी थे नहीं, कोई प्रेस थी नहीं, कहां बात कर रहे हैं आप ?... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये बाहर की और चैम्बर की बातें सदन में नहीं की जाय। .. (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : I am concluding. तो अध्यक्ष महोदय, मैंने आपत्ति की कि टेन्थ शिड्यूल की प्रोसीडिंग्स जो है....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, फोर्जरी शब्द कहना, इसके साथ इसको प्रूव करना बनेगा ही कन्टेम्प्ट, इसको मात्र + + + यह विधान सभा का समय जाया करना है....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, बैठिये। इनको कम्प्लीट करने दीजिए, Let him complete.

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो अध्यक्ष महोदय, जब मैंने प्रारम्भिक आपत्ति के रूप में आपको निवेदन किया, आपका ध्यान आकर्षित किया कि टेन्थ शिड्यूल की प्रोसीडिंग्स हाउस की प्रोसीडिंग्स नहीं है, आपने अध्यक्ष महोदय, उस वक्त भी + + + समझ लिया कि उसको निरस्त करके आपने सीधे प्रिविलेज कमेटी को भिजवा दिया। आपने यह आवश्यक नहीं समझा कि मुझे सुनवाई का मौका देते। अध्यक्ष महोदय, कितना ही काम्प्लेक्स लीगल इश्यू हो, मैं आपको आकर के दिखा सकता हूं, आपके सामने आरग्यू कर सकता हूं, मानना, न मानना आपका अधिकार है....

श्री अध्यक्ष : अब आपकी एक मिनट हो गई पूरी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, एक मिनट का सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

टाइम देना पड़ेगा। आपने मेरे प्रिलिमिनेरी आब्जेक्शन को डिसाइड नहीं किया, आप चाहते क्या हैं ? आप श्रोटल करवाना चाहते हैं इसको, आप अपने पद के अनुसार... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Let him complete. उनको बोलने दीजिए। आप बोलिए, आप बोलिए।....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह सदन की मर्यादा को भंग कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज, आप बोलने दीजिए उनको। आप बोलिए।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष को धमकी नहीं चलेगी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज। आप उनको बोलने दीजिए, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज, आप उनको बोलने दीजिए। बोलिए आप। हां, बोलिए-बोलिए। ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज। बैठिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस भाषा का प्रयोग करना बंद करिये।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, इनको बोलने दीजिए। बिराजिए। हां, बोलिए।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, I am on a point of order Sir. (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : + + +

श्री सम्पत सिंह Point of order Sir.

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप बिराजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : I am on a point of clarification, Sir.

श्री अध्यक्ष : आप, प्लीज। हां, एक मिनट....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप चाहते क्या हैं, भाषा क्या है, अफसोस की बात है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से करबद्ध निवेदन करूंगा कि वह क्रोध में आकर, आवेश में आकर इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें कि जिससे प्रवोकेशन हो, शांति से बात कहिये, आप बहुत एक्सपर्ट हैं, मैं मानता हूं मगर यहां जितनी शांति और नम्रता से बात करेंगे, आपकी बात शांति से सुनी जायेगी। आप प्रवोक करेंगे, एग्रेसिव होंगे तो फिर उसका परिणाम दोनों तरफ से ठीक नहीं होगा इसलिए आप शांति से बात करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत करबद्ध होकर के....(व्यवधान)

आप बात सुनें, बैठ जाइये न.... (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : आसन पैरों पर है और आप इस तरह खड़े हो रहे हैं....

+ + +अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, I am on a point of order.

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर ही चल रहा है अभी, आप इनको बोलने दीजिए....

श्री सम्पत सिंह : बीच में इन्होंने जो बात की, यह डिटेल अपनी बात करेंगे....

श्री अध्यक्ष : हां, वह बोल रहे हैं फिर बोल लेना आप ।....(व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : मैं ऐसे रुकने वाला नहीं हूं....

एक माननीय सदस्य : बैठ जाइये आप ।

श्री अध्यक्ष : Let him complete. Let him complete. (व्यवधान)

उनको कम्पलीट करने दीजिए, फिर आप बोल लीजिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह गम्भीरता की बात ही कर रहे हैं, हाथ-पैर....

श्री अध्यक्ष : प्लीज....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपको कोई अधिकार नहीं है, आप किसी सदस्य की बात....

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या बात करते हैं आप ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप कौन होते हैं कहने वाले कि बैठ जाइये ।

श्री अध्यक्ष : उजलाजी। श्रीमती उजला अरोड़ा, कृपया सुन लीजिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हाथ चढ़ा कर, हाथ नचा कर बात कैसे कर रहे हैं। + + + क्या बात कर रहे हैं ? वह बोल रहे हैं, ठीक है....

श्री रामस्वरूप मीणा : उजलाजी, + + + आप शांत बैठी रहें ।

श्री अध्यक्ष : अब आप बोलिये, बोलिये ।....(व्यवधान)

बोलिये । बैठाइये इनको । हां बोलिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप चुप रहेंगे....

एक माननीय सदस्य : आप बीच-बीच में क्यों....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रारम्भिक आपत्ति को आपने निरस्त किया अथवा नहीं, मुझे दूसरा नोटिस प्राप्त हो गया कि प्रिविलेज कमेटी को मैटर रेफर कर दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको पत्र लिखा, उसमें साफ लिखा था, जो ऊपर का पढ़ कर सुना दिया कि मैं नो-कान्फीडेंस तो नहीं लाना चाहता था, यह आपने बीच में रोक दिया, "Such issues are not decided by votes and my purpose is not to deliver a speech on the floor of the house and malign you. My only object is to uphold the provisions of the

---

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

Constitution and values of morality in the public life."

अध्यक्ष महोदय, यह मेरा अभिप्राय था। मैंने आपको आगे लिखा है:—

If you want to stick to the Chair, it is my humble request that Hindi translation of this letter may be placed before the House and circulated to the Hon'ble Members. There is a separate Section for translation in your Secretariat. Kindly do not refer to Rules....

यह मैंने आगे पढ़ कर सुना दिया। अध्यक्ष महोदय, आपकी कांशस को, आप हमारे अध्यक्ष हैं, उस रोज कह रहे थे कि आप हमारे सर्वोपरि हैं, आपकी कांशस को मैंने अपील करके यह लैंटर लिखा, उस लैंटर को आपने शामिल नहीं करवाया, आइसोलेटेड तरीके से अपने प्रिविलेज मोशन इनको रखने दिया और सरकारी मुख्य सचेतक के साथ, इनमें से कुछ दस्तखत करवाये, + + + उनके द्वारा मोशन रखवाया गया, इनका खुद का दामन साफ नहीं है। फिर आपने इस आपत्ति को नहीं सुना और अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुन लीजिए, सुन लीजिए इनको जरा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और अध्यक्ष महोदय, आपने कल क्या किया ? मैं आपका बड़ा अहसानमंद हूं, मैं तो आवेश में आता हूं, आप आसन पर बैठ कर आवेश में आते हैं। मैं अकेला आदमी था, आपने मुझे बोलने नहीं दिया। आपकी राजस्थान में बड़ी शोभा बढ़ी है अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष सुरेन्द्र व्यास को बोलने नहीं देता वहां पर....

श्री अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे क्यों कहा ? आप मुझे कह रहे हैं, आपने मुझे नहीं बोलने दिया कल।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, हो गया अब आपका, Now you complete, Please sit down.

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं खत्म कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूं, आप बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप, प्लीज सिट डाउन.... (व्यवधान)

आप बैठिये प्लीज। प्लीज सिट डाउन....

श्री सुरेन्द्र व्यास : I am concluding .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Please sit down. Please sit down....(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

एक मिनट बैठिये अब आप। एक मिनट, बैठिये। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हमारे कांस्टीट्यूशन निर्माताओं ने और देश के नेताओं ने यह कभी अपेक्षा नहीं की कि स्पीकर के खिलाफ भी सदन के बाहर या अन्दर उस सदन का सदस्य आरोप लगा सकता है, यह कल्पना नहीं की। (व्यवधान)

आप चुप रहिये। और उसमें विश्नोईजी मेरे से एग्री होंगे, यहां तक कहा गया है—

"Speaker is a living dieto in the House", यह मेरे वर्ड्स नहीं हैं, living diety in the House. यह कोल एण्ड शकधर में है, यह मेरे अपने नहीं है और इसीलिए कभी यह प्रसंग पैदा नहीं हुआ लेकिन जब प्रसंग पैदा हो गया है तो मैं समझता हूं, आप उसके तथ्यों पर जायेंगे तो निपटारा नहीं होगा। जो लीगल पोजीशन है उसी पोजीशन को हमें मानना पड़ेगा। स्वयं मेम्बर्स के लिए यह अपेक्षा की गई है कि "In order to maintain the highest traditions in parliamentary life Members of Parliament are expected to observe a certain standard of conduct both inside the House as well as outside the Houee. The behaviour should be such as to enhance the dignity of Parliament and its Members in general. The conduct of Members should not be contrary to the usage or derogatory to the dignitty of the House or in any way in-consistent with the standards which Parliament is entitled to expect of its Members".

जब मेम्बर्स के लिए यह सारी व्यवस्था की है तो जो कुछ भी नियम हमारे सामने हैं, माननीय विश्नोईजी ने जो सवाल उठाया और माननीय मोहम्मद माहिर आजाद ने सवाल उठाया कि हम तो रि-कन्सीडरेशन के लिए कह रहे हैं, इन सारी बातों में मैं नियमबद्ध बात बता रहा हूं। विश्नोईजी ने कोट किया 247 पेज, मगर उन्होंने ऊपर का पैरा नहीं पढ़ा। मैं उसी के ऊपर का पैरा पढ़ देता हूं जो इन्होंने कोट किया—

The Speaker is empowered to refer sou-moto any question of privilege or contempt to the committee of privileges for examination, investigation and report. In doing so the Speaker need not bring the matter before the House for consideration and decision as to whether the matter be so referred to the committee.

इसी में है जो आपने साइट किया है। देशपांडे के मामले में मावलंकरजी का आब्जर्वेशन हैं, देशपांडे के मामले में अध्यक्ष मावलंकर ने कहा कि—"मैं इस बात को अधिक अच्छा समझता हूं कि नियम 214 आजकल 227 के अन्तर्गत अपने विशेषाधिकार से इस मामले को विशेषाधिकार

(श्री अध्यक्ष)

समिति को सौंप दूं जिससे कि सभा को उस लम्बी प्रक्रिया का अनुसरण न करना पड़े जिसकी व्यवस्था प्रक्रिया नियमों में की गई है।" स्वयं उन्होंने हाउस के रहते हुए यह किया। हमारे यहां पर रूल 161 और 162 बने हुए हैं और यह किसी रूल से गवर्न नहीं होता है बल्कि Notwithstanding anything contained in these rules, the Speaker may refer any question of privileges to the Committee of Privileges for examination, investigation or report. सदन के नेता ने 1974 का पढ़ कर सुना दिया कि विधान सभा सचिवालय, माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में चर्चा नहीं होगी। इसी में यह भी है कि आसन की दी गई व्यवस्था पर आपत्ति नहीं की जायेगी। 21-7-1970। अब इन सारी रूलिंग्स, सारे नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह बात तो सिद्ध है कि नियमों के अन्तर्गत मैंने जो आदेश या व्यवस्था दी है उसको न चैलेंज किया जा सकता है और वह नियमों के अनुकूल है, आर्बिट्रेरी नहीं है। बल्कि सारे जो आज तक के प्रोसीजर्स हैं, जो नियम हैं, उन नियमों के अनुकूल मैंने व्यवस्था दी है। अब इसमें सवाल एक और आता है, इसके पहले कि मैंने विशेषाधिकार समिति को भेजा, माननीय सदस्य का भी जवाब लिया गया था, उनका भी स्पष्टीकरण उसमें मांगा गया था। माननीय सदस्य ने उसमें अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, उल्टे उन्होंने टैक्नीकल, जिसको वह कहते हैं कि टैक्नीकल आब्जेक्शन किया....

श्री सुरेन्द्र व्यास : टैक्नीकल नहीं है साहब, लीगल है।

श्री अध्यक्ष : जो आपने कहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : It is a matter of fact.

श्री अध्यक्ष : हां-हां, लीगल किया होगा, मैं मानता हूं। विशेषाधिकार समिति का मतलब यह है कि वह उसकी लीगेलिटी, फैक्चुअल स्थिति यदि माननीय सदस्य कोई गवाही देना चाहें वहां बल्कि विशेषाधिकार समिति में वह चाहे तो अपना कोई कौंसल भी खड़ा कर सकते हैं। उससे भी आर्ग्यू करवा सकते हैं। जितने भी सवाल हैं टैक्नीकल, लीगल, फैक्चुअल सारे सवाल विशेषाधिकार समिति के सामने डिस्कस किये जा सकते हैं। इसलिए जो काम विशेषाधिकार समिति के सामने 'एट लेन्थ' किये जा सकते हैं उन सवालों को हाउस में लाना उचित नहीं समझता, मैं।

जहां तक माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि दुबारा हाउस में आयेगा तो यह बात सही है कि अन्तिम निर्णय हाउस को ही करना है। जो भी विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आयेगी और यदि मैं उस रिपोर्ट से सहमत होऊंगा और यदि उन्होंने ऐसी रिपोर्ट दे दी कि नहीं बनता है तो हाउस में आने का सवाल नहीं है। यदि विशेषाधिकार बनता है तो निश्चित रूप से दण्ड तो हाउस ही देगा या माफी भी हाउस ही देगा। यह तो मैं कर नहीं सकता। उस हद तक हाउस में आयेगी। विशेषाधिकार समिति की रिकमन्डेशन और फाइन्डिंग्स उन पर हाउस क्या एक्शन लेना चाहता है

(श्री अध्यक्ष)

केवल यही निर्णय होगा कि जो विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आई है उसे हाउस स्वीकार करें या नहीं करें। उसके आधार पर होगा। उसमें कहीं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सीन में आते नहीं हैं और विशेषाधिकार समिति जो फाइनल रिपोर्ट देगी वह हाउस के सामने आयेगी। माननीय सदस्य को जिस तरह विशेषाधिकार समिति के समक्ष अपनी बात रखने का अधिकार है उनको रखने का मौका है और उसके बाद में जब हाउस में सवाल आयेगा तो जितना कुछ नियमों के अन्तर्गत वह बोल सकते हैं उनको बोलने का भी अधिकार होगा। मैं इस तरह पाइन्ट ऑफ आर्डर का डिसीजन देकर इसको खारिज करता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, 'काइन्डली रीड दी नोटिस'।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा।

डॉ. हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री अध्यक्ष : अब आप क्या बोल रहे हैं। डॉ. हरिसिंह जी अब यह चर्चा समाप्त हो गयी है।

कुछ माननीय सदस्य : नो, नो।

श्री अध्यक्ष : अब यह खतम हो गया है – नहीं इसके ऊपर नहीं। इसके अलावा कोई बात हो तो बोलिये।

डा. हरिसिंह : हां, इसके अलावा ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मुझे क्षमा करेंगे मैं इस विषय पर अब आपको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। अन्य कोई विषय हो तो बोलिये। इस विषय पर नहीं। नो कमेन्ट्स.. नो कमेन्ट्स....नहीं दूंगा। यह हाउस की मर्यादा के और नियमों के प्रतिकूल होगा कि अध्यक्ष की व्यवस्था पर कोई कमेन्ट्स इनवाइट करे। मैं नहीं दूंगा।

डा. हरिसिंह : मैं आपके निर्णय के बारे में नहीं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप दूसरे विषय पर बोलिये। 'दिस सब्जेक्ट इज क्लोज्ज नाऊ'।

डा. हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : यह सब्जेक्ट नहीं। दूसरे सब्जेक्ट पर बोलिये।

डा. हरिसिंह : मैं अर्ज तो कर दूं। मुझे तभी तो मालूम पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : हां बोलिये।

डा. हरिसिंह : पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रोटेक्शन दिया। यह जो + + + है ना....

श्री अध्यक्ष : + + + शब्द निकालिये। आप क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान) मैं एक जानकारी माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं। पार्लियामेन्ट से एक पुस्तिका प्रकाशित होती है जिसमें असंसदीय शब्दों का प्रयोग कहां-कहां और किस-किस विधान सभा में हुआ उसका पूरा विवरण है।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष),

अभी जो लेटेस्ट पुस्तिका आई है उस पुस्तिका में सिवाय मध्यप्रदेश के पांच-चार को छोड़कर पूरा राजस्थान ही है। यह आप उठाकर देखिये। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि कृपया राजस्थान की विधान सभा को कोई भी माननीय सदस्य बदनाम करने का प्रयास न करें.... बिराजिये....(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, +++ शब्द को एक्सपन्ज किया जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने कह दिया है।....मैं सभी माननीय सदस्यों से कह रहा हूं।

डा. हरिसिंह : मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और एक रिक्वेस्ट की थी। व्यवस्था के प्रश्न पर तो आपने व्यवस्था दे दी और रिक्वेस्ट का आपने जिक्र ही नहीं किया। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी वह आप भूल ही गये....

श्री अध्यक्ष : वह बाद में बात करेंगे। 'दैट बी विल टाक लैटर ऑन'। यहां क्योंकि व्यवस्था का प्रश्न था वह दे दी। वह बात कर ली जायेगी। 'आई एम ओपिन टू टाक'। आप बिराजिये। उपाध्यक्ष जी कुछ बोल रहे हैं।

माननीय श्री यदुनाथ सिंह का उपाध्यक्ष पद से त्याग-पत्र

श्री यदुनाथ सिंह (उपाध्यक्ष) : माननीय अध्यक्ष, महोदय और इस सदन के सभी माननीय सदस्य, आज से लगभग 8 माह पूर्व 5 जुलाई को बड़े विश्वास और स्नेह के साथ आप लोगों ने मुझे इस गरिमामय पद पर बैठाया था और इस दौरान मेरा प्रयास रहा कि मैं इस पद की गरिमा को भी बनाये रखूं और कोई ऐसा आचरण नहीं करूं जिससे राजस्थान विधान सभा की गरिमा या इस पद की गरिमा को कोई ठेस पहुंचे। पिछले अक्टूबर से जिस प्रकार का राजनैतिक घटनाक्रम देश में और राज्य में चला उससे मेरे जैसा आदमी काफी दुविधा में इस बीच रहा है। मैंने यह निर्णय किया है कि राजनैतिक लाभ के लिए मैं इस पद की गरिमा को या सदन की गरिमा को किसी प्रकार से ठेस पहुंचाऊं इससे मैंने बचने का सदा प्रयास किया है। मैं इस प्रयास में कहां तक सफल रहा यह तो इसका आंकलन आप सभी को करना है। मैं बहुत-बहुत आभारी हूं सदन के नेता का और विशेष तौर से माननीय अध्यक्ष आपका कि आप जैसे विद्वानशालीन व्यक्ति के नीचे मुझे काम करने का मौका मिला। मुझे आपका, सदन के नेता का, माननीय विपक्ष के नेता का और माननीय जितने भी बुजुर्ग नेतागण सदन में बैठे हैं और माननीय सदस्यों का जो स्नेह और प्यार सदैव मिला उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा लेकिन मैं अब आपसे इस पद को छोड़ने की इजाजत चाहता हूं। वह इसलिए कि मैं एक राजनैतिक दल का सदस्य हूं और लोकसभा के चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए मैं न तो मेरे दल के साथ न्याय कर पाऊंगा और मैं उस दृष्टि से अगर खुली राजनीति में भाग लेता

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री यदुनाथ सिंह)

हूं क्योंकि अध्यक्ष महोदय, इस दौरान माननीय नत्थीसिंह जी मेरे दल के नेता हैं, किसी भी राजनैतिक फंक्शन में जनता दल के चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे जलसा हो मैंने कभी भाग नहीं लिया और इस पद की गरिमा को कभी कम होने देने का प्रयास नहीं किया। मैं विशेष तौर से सदन के नेता का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं 80 में जब राजनीति में आया तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे गर्व है यह कहते हुए कि पिछले दिनों जब घटनाक्रम चला और जब यहां अस्थिरता का एक वातावरण पैदा हुआ उस समय उन्होंने मुझे जिक्र तक नहीं किया कि मेरा साथ दीजिए। मैं उनका इस मामले में विशेष तौर पर बहुत आभारी हूं कि जो शिष्य उन्होंने बनाया उसमें इनका विश्वास था कि मेरे कहने पर भी जो कुछ मन में है उससे डिगेगा नहीं। यह मैं बीच-बीच में आपसे पूछता भी रहा कि आपके ऊपर बहुत से राजनैतिक दबाव होंगे, बहुत से कमिटमेंट होंगे लेकिन पता नहीं स्नेह की वजह से या दुविधा की वजह से आप सदैव इस बात को टालते रहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं। जैसा मैंने जिक्र किया कि लोक सभा के चुनाव हैं, मुझे मेरे दल का प्रचार, प्रसार करना है, जनता के बीच में जाना है इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आज से मुझे इस पद को जिस विश्वास और स्नेह के साथ सौंपा था उसी स्नेह के साथ मैं छोड़ रहा हूं। इस दौरान जाने-अनजाने में मुझसे कोई भूल, त्रुटि हुई हो, किसी माननीय सदस्य को ठेस पहुंची हो इसके लिए भी मैं क्षमा मांगने का आप लोगों से निवेदन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष-महोदय, आपका बहुत स्नेह मिला और मुझे बहुत कुछ आपके साथ रह कर सीखने का भी मौका मिला। मैं विशेष तौर से आपका भी आभार व्यक्त करते हुए आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि मुझे सदन के सदस्य के रूप में इस सदन में एक सीट आवंटित कर दी जाय, धन्यवाद।

(1.00 म. प.)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय यदुनाथ सिंह जी ने उपाध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया है। जब तक यह उपाध्यक्ष रहे, मैं समझता हूं यह सदन भी इस बात को स्वीकार करता होगा कि उन्होंने परम्पराओं के अनुसार इस सदन के कार्य संचालन में सारी व्यवस्था की। जिस समय उनका उपाध्यक्ष पद के लिए चयन हुआ था उस समय कम से कम मेरे मस्तिष्क में एक बात थी कि उपाध्यक्ष महोदय या अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के महानुभाव होने चाहिए जो सदन का टेंशन अपने ह्यूमर से एग्जास्ट कर दे। मैं ऐसा समझता हूं कि श्री यदुनाथ सिंह जी के कान में यदि कोई टेंशन की बात भी आई तो उन्होंने सदस्यों का सम्मान बढ़ाते हुए उस टेंशन को डिफ्यूज करने की कोशिश की है और सदन में इस प्रकार की कोई परम्परा नहीं डाली जिसके कारण सदस्यों की मान-हानि हो, सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन हो या किसी भी प्रकार से परम्पराओं का उल्लंघन हो। मैं इसके लिए तो अध्यक्ष

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महोदय, उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा और उनके प्रति आभार भी प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने सदन की परम्पराओं का बहुत ही स्वस्थ ढंग से निर्वहन किया है। उनका भाषण अवश्य ऐसा हुआ जैसे कोई विदाई ले रहे हों....

श्री यदुनाथ सिंह : लोक सभा में जा रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जिस प्रकार का व्यवहार बनाया विदाई का और विदाई की स्थिति या वातावरण बनता है तो निश्चित रूप से हम सबको वेदना होती है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि वह लोक सभा में नहीं, अभी विधान सभा में ही रहे ताकि विदाई का कोई प्रसंग उपस्थित न हो। आपने आज त्याग पत्र दिया, मैं सदन की जानकारी के लिए इतना कह सकता हूं कि आज प्रातः काल उन्होंने मुझे सूचना दी और मैंने उन्हें मना किया, मैंने कहा, कोई किसी प्रकार का संकट आप पर नहीं है, न मेरे ऊपर है। आप इसी पद पर बने रहें। उनका यही आग्रह था कि इस पद पर रहने के कारण मैं चुनावों में जिस प्रकार भाग ले सकता हूं, उस प्रकार से नहीं ले पाऊंगा और इस पद की गरिमा के कारण मुझे त्याग पत्र देना है और मुझसे इसमें अनुमति तो नहीं मांगी लेकिन इसके आगे बात करना नहीं चाहूंगा। मैंने प्रातः काल उनसे निवेदन किया कि आप इस पद पर बने रहें। उन्होंने वही विवशता जाहिर की। मुझे पता नहीं था कि वह आज ही इस प्रकार का वक्तव्य देने वाले हैं। मैं समझ रहा था सदन में उनसे फिर इस पर चर्चा करूंगा और किसी प्रकार उन्हें मनाऊंगा कि वह इस पद पर बने रहें लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी। ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, मैं उनके प्रति सदन का आभार व्यक्त करते हुए विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की परम्पराओं के संचालन में सब प्रकार से अग्रणी रहें इन शुभकामनाओं के साथ अपनी बात खतम करता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में आने पर जब मुझे यह मालूम हुआ कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही साथ में एक विदाई का भाषण भी दे दिया है, मुझे और मेरे दल को बहुत दुःख हुआ। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि जब अक्टूबर माह में विधान सभा में दल बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई उस समय मुझे यह आशंका हो रही थी कि कहीं ऐसा न हो जाय कि सत्तारूढ़ दल क्योंकि हमारे उपाध्यक्ष महोदय सत्तारूढ़ दल के साथ नहीं गये हैं, कहीं उनको अपदस्थ करने की कोशिश न करे। उस समय मैंने थोड़ा आधे मजाक और आधी गम्भीरमा के साथ उपाध्यक्ष महोदय को यह निवेदन किया था, कितना ही प्रेसर आये, दबाव आये मेहरबानी करके आप इस्तीफा मत दीजिएगा। हम आपके साथ हमेशा कन्धे से कन्धा मिला कर चलेंगे और हमेशा इस बात की कोशिश करेंगे कि आप पर इस तरह का बोझ. दबाव आ रहे हों तो हम उनसे निपटेंगे। इसके लिए मैंने एक सुझाव भी दिया था वह सुझाव मैं हाउस में नहीं बताना चाहूंगा लेकिन कुछ दिनों के बाद

(श्री चन्दनमल बैद)

परिस्थितियां बदल गई और लोक सभा के चुनाव डिक्लेयर हो गये अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय के भी कुछ दायित्व हैं अपनी पार्टी के प्रति और अपने राजनैतिक भविष्य के प्रति है और उनको देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसको हम केवल दुःख के साथ देख ही सकते हैं क्योंकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय तो केवल उपाध्यक्ष के रूप में ही नहीं, एक साथी के रूप में, विधान सभा के सदस्य के रूप में ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे साथी के रूप में, क्योंकि मुझे उनके साथ एक कमेटी में काम करने का मौका मिला और मैंने पाया कि वह विद्वान और हैसियत वाले आदमी होने के साथ-साथ एक बहुत अच्छे साथी भी हैं। उन्होंने विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर रह कर जो सदन की गरिमा तथा परम्परा की रक्षा की है और उनको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है, उनको आगे बढ़ाया है उनके लिए सदन हमेशा उनका आभारी रहेगा। उन्होंने बहुत अच्छी परम्परा डाली, हमारे सदन की गरिमा की उन्होंने रक्षा की है। मैं आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रकट करता हूं और चाहे सदन के नेता कितना ही कहें कि सदन में रहें, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर आपका मन लोक सभा में जाने को है तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम हमेशा इस बात को चाहेंगे कि एक छोटे से घर से निकल कर बड़े घर में जाते हैं तो हमारी शुभकामना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके प्रति बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हुआ, अपनी पार्टी की ओर से आभार प्रकट करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री यदुनाथ सिंह जी ने अपने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर हमारे दल के हित में भार मुक्त होने का निश्चय किया है जब उपाध्यक्ष पद पर चुनाव का सवाल आया हम भी मुख्य मंत्रीजी के साथ सत्ता दल में शामिल थे और यह सवाल आया, उन्होंने कहा, जनता दल में से किसी को उपाध्यक्ष बनाया जाय। सारी स्थिति पर विचार करके और श्री यदुनाथ सिंह जी की विशेषताओं को, गुणों को देख करके ही हमने उनसे निवेदन किया कि श्री यदुनाथ सिंह जी को उपाध्यक्ष पद पर चुना जाय और मुझे खुशी है कि पूरे सदन में सर्व सम्मति से उनको उपाध्यक्ष चुना। जब दल बदल की प्रक्रिया शुरू हुई, हमने जिस दिन सत्ता छोड़ी। हमारे जनता दल के केन्द्रीय आलाकमान के निर्णय के अनुसार और अपना समर्थन वापस लिया तब भी माननीय यदुनाथ सिंह जी ने जयपुर से मुझे फोन पर दिल्ली में पूछा कि मेरे बारे में क्या निर्णय है। हमने वहां पर भी सर्वसम्मति से फैसला किया कि उपाध्यक्ष के पद पर वह निर्वाचित हुए हैं और कार्य कर रहे हैं उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई शक और शंका किसी के दिमाग में नहीं है इसलिए हमारा जो राजनैतिक फैसला है उससे उन्हें मुक्त रखा जाय, अलग रखा जाय और उन्हें अपने साथ इस्तीफा देने के लिए नहीं कहेंगे। मुझे खुशी है कि सत्ता पक्ष ने भी इस भावना का आदर किया, कुछ लोगों ने प्रेस में आवाज भी उठाई थी कि जब 8 तारीख को मतदान

(श्री नत्थीसिंह)

हुआ और वह मतदान इस पक्ष ने दिया विश्वास के प्रस्ताव के खिलाफ जब आई थी एक प्रेस के कुछ लोगों की कि मुख्य मंत्री पर दबाव डाल रहे थे कि उनसे त्याग पत्र मांगा जाय। मुझे खुशी है कि मुख्य मंत्रीजी उनके दबाव में नहीं आये और उन्होंने एक स्वस्थ परम्परा यहां कायम की। इस बीच में जिस तरह से उन्होंने कार्य संचालन किया है, वह निश्चित रूप से हमारे दल की इज्जत बढ़ाने वाला भी है और उनके स्वयं के लिए तो प्रशंसनीय है ही। आज उन्होंने हमारे दल के हित में, दल का कार्य करने के लिए जो त्याग पत्र दिया है, उसके लिए हम प्रशंसक हैं और हम सोचते हैं कि वे हमारे दल की असैटस के रूप में आयेंगे। उन्होंने कार्य मुक्ति ली है। जो काम यहां किया है, उस प्रसन्नता के साथ खुले दिल से अपने दल में पूर्णतया सक्रिय होकर के काम करने के लिए आये हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से जो आचरण हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी अब तक थे, उन्होंने हमारी असेम्बली में प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि हमारे देश में कुर्सियों का इस्तेमाल करके अपनी-अपनी पार्टियों और अपने-अपने दल के प्रति लोग उन परिस्थितियों का इस्तेमाल करते हैं। राजनीति में जो गिरावट आई है, वह ऊपर तक पहुंच गई है। बड़े से बड़ा जो हिन्दुस्तान का पद है, वह भी इससे वंचित नहीं रहा है। ऐसी परिस्थितियों में आज मैं समझता हूं उनका आचरण इस हाउस में रहा है, पिछले 4-5 महीनों तक, जब यह प्रकरण हुआ यहां हाउस में कि इस पक्ष के लोग, उनकी पार्टी के दल बदल करके दूसरी तरफ चले गये और यहां सत्ता कायम हुई तो निश्चित ही उनके सामने संकट की स्थिति थी। उसके बाद में उनका आचरण इस हाउस में रहा, हमें लगता नहीं था कि इस कुर्सी पर, उपाध्यक्ष के पद पर वे बैठते थे कि वे किस पार्टी के है, उन्हें किससे लगाव हैं। ऐसा निष्पक्ष आचरण उन्होंने इस हाउस में पैदा किया। मैं समझता हूं हमारे सारे 200 सदस्य, जो हाउस के हैं, उनके लिए अनुकरण का विषय है और मैं समझता हूं इस मामले में जो उदाहरण उन्होंने पेश किया है, उसकी परम्परा को हम सब को चाहे ऊंचे आसन पर बैठे हो, चाहे हम मात्र सदस्य हों, सब इस परम्परा को निभायेंगे और अपने दल को और अपनी राजनैतिक स्थिति बचाने के लिए उस पद पर सभी को या उनका जो आचरण है, जिस पर कहीं भी दाग नहीं लगने देंगे, यह परिस्थिति हम कायम रखेंगे। मुझे उम्मीद है, उनसे हम और पूरा हाउस कुछ सीखेगा। मैं उनको पुनः इस बात के लिए बधाई देता हूं जिस बहादुरी से उन्होंने राजनीति में अपना जीवन पहले बिताया, आज भी बड़ी हिम्मत के साथ और ऐसे वक्त में अपने दल के साथ आये हैं, जब उनके दल पर वास्तव में संकट है। जब राजस्थान के लोग लालच और दबाव में आकर इधर-उधर फिसलने की बहुत बड़ी परिस्थिति बन गई है, ऐसे मौके पर अपने दल का नेतृत्व को सम्भालने के लिए आये हैं पद छोड़कर। मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं,

(श्री हेतराम बेनीवाल)

इस मामले में वह जिस उम्मीद से आये हैं, वह कामयाब होंगे।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी······

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। यह शोकाभिव्यक्ति नहीं है। हो गया आपका।

श्री रामकरण सिंह : नहीं, नहीं। शोकाभिव्यक्ति में तो बोला नहीं जाना चाहिए। यह तो खुशी की बात है। इसमें तो मुझे बोलना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में बोल लेना। यदि यह हमारे नियमों में व्यवस्था होती कि उपाध्यक्ष जी से मैं कहता कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वह काम करें। वह व्यवस्था तो है नहीं, इसलिए मुझे उपाध्यक्ष जी का त्याग पत्र आज ही स्वीकार करना पड़ेगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामस्वरूप जी मीणा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष, मेरा पाइन्ट आफ ऑर्डर····

श्री अध्यक्ष : क्या है ?

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, तारीख 12 को मैंने और मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने नियम 119 के तहत राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और निरन्तर हम हाउस में आपसे अनुरोध करते रहे हैं कि आप इसको हाउस की कार्य सूची में ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से स्वास्थ्य मंत्री जी वहां अस्पताल पहुंचे और डाक्टर्स को उन्होंने जिस ढंग से प्रेशराइज करने की कोशिश की और हत्या के केस में जिस प्रकार से····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह चर्चा अलाउ कर दी क्या ? आप प्रारम्भिक बात कह करके अपनी सारी बात कह देते हैं ?

श्री हरिसिंह : मैं सदन के नेता से अनुरोध करूं कि मैं उसकी ब्रीफ पर बहस कर सकता हूं। आप चर्चा करवा लीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उस पर चर्चा क्यों नहीं करवा लेते आप ? मेरा मोशन एड-मिशेबल नहीं है तो रिजेक्ट कीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : आपका हो गया। बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष जी, यह हाउस की परम्परा के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको सुन लिया है। आप बिराजिये।····(व्यवधान) मैं व्यवस्था दूंगा। निवेदन हो गया।

श्री हरिसिंह : व्यवस्था से पूर्व मेरा एक निवेदन सुने···

श्री अध्यक्ष : निवेदन क्यों सुनूं, मैं व्यवस्था दूंगा आपको। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : पहले यह मामला भी हम लोगों ने उठाया तो माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने यह कहा था कि····

श्री अध्यक्ष : इस पर मैं व्यवस्था दूंगा। बैठिये। बिराजिये आप। आप बोलिये क्या है आपका पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर के रोडवेज डिपों में करीब 2·50 लाख रुपये की डकैती के बारे में आपको एडजोर्नमेंट मोशन दिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहले इसका निस्तारण करिये।

श्री अध्यक्ष : वह आ चुका है हाउस में एडजोर्नमेंट मोशन। बिराजिये आप। आप बोलिये। श्री रामस्वरूप जी मीणा, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : आप व्यवस्था दीजिये। इस पर व्यवस्था चाहिये आपकी।

श्री अध्यक्ष : हो गया पाइन्ट आफ आर्डर। बार-बार आपका क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ? यहां व्यवस्था नहीं दी जाती। मैं सहमत हूं। जहां व्यवस्था दी जाती है, वहां दी जायेगी। श्री रामस्वरूप जी, बोलिये आप। आप शुरू करिये। श्री रामस्वरूव जी। (व्यवधान)

आप शुरू नहीं कर रहे हैं ? (व्यवधान) वे लिखेंगे नहीं। आप नहीं बोलते हैं तो....

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं बोलना चाहता हूं मगर....

श्री अध्यक्ष : पढ़िये-पढ़िये।

मैं कह रहा हूं पढ़िये आप, शुरू करिये आप। हरिसिंह जी का दर्ज नहीं हो।

श्री हरिसिंह : ××××

श्री अध्यक्ष : सिवाय रामस्वरूप जी के अन्य जो बोलते हैं, वह दर्ज नहीं हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री हरिसिंह : ×××

श्री हेतराम बेनीवाल : ×××

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये। रामस्वरूप जी बोलिये। श्री जगजीत सिंह। (व्यवधान)

आप पढ़िये। आप पढ़ते जाइये। आ जायेगा इसमें।

किशनगढ़ में नील गायों द्वारा फसल को नुकसान

श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसानों की सबसे विकट समस्या रोजड़ों की है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

प्रदेश में दिन प्रतिदिन रोजड़ों की बढ़ती हुई संख्या से अकाल से भी ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जगजीत सिंह)

झुंड के झुंड रोजड़ों के जिस खेत में घुस जाते हैं वहां सारी फसल को चौपट कर देते हैं। रोजड़ों से फसल को बचाने के लिए किसानों को पूरी-पूरी रात व दिन चौकीदारी में बिताना पड़ता है। इसके बावजूद भी रोजड़ों के झुंड डरते नहीं है और अकेले व्यक्ति को देखकर तो ज्यादा सामना तक कर लेते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जगजीत सिंह जी का दर्ज हो, और किसी का दर्ज नहीं हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : × × ×

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × +

श्री हरिसिंह : × × ×

डा. हरिसिंह : × × ×

श्री जगजीत सिंह : मेरे विधान सभा क्षेत्र में किशनगढ़ में तो यह समस्या सबसे ज्यादा विकट है। जहां हजारों की संख्या में रोजड़ें पैदा हो गये हैं और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अकेले रूप नगर के निकट कवरिया पर्वत व राणी डूंगरी के बीहड़ में भी अभी लगभग एक हजार रोजड़े हैं जो 40-40 और 50-50 झुंड में एक साथ रहते हैं। किसान इन्हें अपने खेत से भगाना भी चाहे तो झुंड में एक साथ रहते हैं। किसान इसे अपने खेत से भगाना भी चाहे तो ये झुंड में होने के कारण भागते नहीं हैं तथा जबरदस्ती से पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। वस्तुत यदि किसानों की शब्दावली में देखा जाए तो रोजड़ा शब्द ही फसलों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। वह दर्ज ही नहीं हो रहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री बुलाकीदास कल्ला : × × ×

श्री हरिसिंह : × × ×

श्री जगजीत सिंह : मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि रियासती जमाने में भी रोजड़े होते थे परन्तु इन्हें रियासत द्वारा समाप्त करा दिया जाता था। आज रोजड़ों का नील गाय का नाम दिया जाकर अकारण ही रोजड़ों को धर्म व अहिंसा से जोड़ा जा रहा है जबकि ये दो स्तनधारी जीव रोजड़े किसी भी परिप्रेक्ष्य में गाय की परिभाषा में नहीं आते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आपका नम्बर आयेगा। पहले वे पढ़ लें। पढ़िये-पढ़िये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : × × ×

श्री हेतराम बेनीवाल : × × ×

श्री जगजीत सिंह : इतने पर भी यदि सरकार वन्य जीव रक्षा के नाम पर रोजड़ों को संरक्षण देना ही चाहती है तो वन विभाग के बड़े बीहड़ों में रोजड़ा अभ्यारण्य योजना लागू कर देनी चाहिये ताकि रोजड़ा के कारण फसलें नष्ट होने से बच सकें।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जगजीतसिंह)

अतः मैं सरकार से प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या सरकार गरीब किसानों को रोजड़ा से मुक्ति दिलाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि पाइन्ट आफ आर्डर क्या है, इसको जरा वह पढ़े। पाइन्ट आफ आर्डर तब होता है जब कि कोई बिजनस हाउस में चल रहा है और उस बिजनस में यदि कोई इर्रेगुलेरिटी, इल्लिगिलिटी या आउट आफ आर्डर हो, तब पाइन्ट आफ आर्डर होता है। शून्यकाल में कोई बिजनस नहीं होता है, इसलिए पाइन्ट आफ आर्डर होता नहीं है। अगर आपको परम्परा से सूचना के लिए खड़ा होना है, पाइन्ट आफ आर्डर कभी शून्यकाल में नहीं होता। यह अगेन्स्ट ला है। केवल पाइन्ट आफ सूचना इन्फोमेशन होती है। श्री रामस्वरूप मीणा।

चलिये। अब तो रामस्वरूप मीणा बोलेंगे। (व्यवधान) अब आप हर व्यवस्था निवेदन करेंगे तो यह नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने पाइण्ट आफ आर्डर पर बहुत बड़ी व्यवस्था दी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सदन की कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत....(व्यवधान)

जिस वक्त व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है कि नहीं।....(व्यवधान) आप स्वीकार करेंगे, उठाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : बिजनेस पर। पर्टिकुलर बिजनेस के सम्बन्ध में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, पर्टिकुलर बिजनेस के सम्बन्ध में परन्तु...

श्री अध्यक्ष : मैं बता रहा हूं कि पर्टिकुलर बिजनेस में होता है।

When there is a levsines transacted in the house, anybody can raise a point of order to set right the order.

श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ठीक है। अब आप मेरी बात सुन लें। मैं इसी पर आ रहा हूं, आप मेरी बात सुन लें। आपने श्री रामस्वरूप मीणा का नाम पुकारा....

श्री अध्यक्ष : जी, हां।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उनका दायित्व है और सदन के अन्दर हम लोगों का भी दायित्व है आसन के साथ सदन में कि शांति रहे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब रामस्वरूप मीणा बोल रहे हैं। कृपया वह बोल रहे हैं। हां, आप बोलिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जब तक इस सदन में..

श्री अध्यक्ष : हां, तो आपका मान लिया। चलिये, श्री रामस्वरूप मीणा, आप बोलिये।....(व्यवधान)

मान लिया मैंने आपकी बात। चलिये, रामस्वरूप मीणा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पाइण्ट ऑफ आर्डर पर बोलेंगे कहां....

श्री अध्यक्ष : चलिये, श्री रामस्वरूप मीणा। आप बोलते क्यों नहीं है। जो लिखा है उसको पढ़िये। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : मेरी बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री अध्यक्ष : आप पढ़िये, महत्वपूर्ण बात को पढ़िये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं वही बात कह रहा हूं कि....(व्यवधान) मेरी बात को तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष : जो लिखित में दिया है उसको पढ़िये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : कुछ जानकारी के लिए....

श्री अध्यक्ष : आप लिखा हुआ पढ़िये।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने मेरी बात को....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पढ़िये। आप नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं फिर दूसरे को पुकरता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार तो कम से कम।

श्री अध्यक्ष : आप शुरू नहीं कर रहे हैं। चलिये, श्री गुलाम मुस्तुफा खान, आप शुरू करिये। सिवाय गुलाम मुस्तुफा खान के और कुछ नहीं लिखेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपको पढ़ना ही नहीं हैं, आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाम मुस्तुफा खान।

नागौर कृषि उपज मण्डी में सड़कों के निर्माण में अनियमितताएं

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी, नागौर की सड़कों के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जबसे नागौर की कृषि उपज मण्डी सड़कें बनाने का कार्य प्रारम्भ किया है तब से आज तक मण्डी द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र की उपेक्षा की है।

दिनांक 4-3-1991 को राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर, द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें सम्पर्क सड़कें बासनी से जोशीयाद, नावला से कुछड़ी, बासनी से गोगेलाव, नागौर बासनी रोड से हुकोसी, बाराणी से मदवासी बनाने हेतु कृषि मण्डी समिति, नागौर के सचिव से सुझाव मांगा है कि यदि वह यह सड़कें बनाना चाहते हैं तो वित्तीय विवेचन सहित प्रस्ताव प्रेषित करें। मेरा निवेदन है कि, उक्त प्रकार के सभी प्रस्ताव सचिव, कृषि उपज मण्डी, नागौर द्वारा प्रस्ताव संख्या 4(2) दिनांक 16-1-1991 को ही भेज दिया गया था तथा सचिव ने यह भी स्पष्ट

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

रूप से लिखा था कि कृषि- उपज मण्डी, नागौर के पास 60 लाख रुपये मौजूद है उसमें से 45 लाख रुपये इन सड़कों के लिए खर्च करने को तैयार है ।

अतः मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि विपणन बोर्ड द्वारा बार-बार प्रस्ताव व वित्तीय स्थिति मांग कर क्यों समय गंवाया जा रहा है । इस प्रकार की ढील से इस क्षेत्र के किसानों और नागरिकों के साथ अन्याय हो रहा है । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आदेश दिया जाय कि यह सारे एक महीने के अन्दर-अन्दर शुरू हो जावे और छह महीने के अन्दर पूर्ण कर दिये जाय । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा ।

भरने वाले प्रमुख मेलों में सुविधा मुहैया करवाना

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला सवाई माधोपुर के अन्दर महान् धार्मिक स्थान श्री केलादेवी का मेला इस समय चल रहा है । जहां सारे हिन्दुस्तान के लोग आते हैं उसकी व्यवस्था के बारे में हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जिला सवाई माधोपुर के अन्दर हिन्दुस्तान के महान् धार्मिक स्थान श्री केलादेवी का मेला इस समय नवरात्रा की स्थापना के साथ ही आरम्भ हो गया है । लाखों यात्री हर साल आते हैं और इस साल भी मेले में आ रहे हैं और वहां पर ठहरते हैं और चले जाते हैं लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इतने बड़े मेले के अन्दर किसी भी प्रकार का अबकी बार प्रशासन की तरफ व्यवस्था नहीं हुई है । रोजाना जेब-कतरों की घटनाएं होती चली जा रही है, वहां पर नृत्य करते हैं । केलादेवी माता के सामने जो रामपुरिया नृत्य होता है उस समय कुछ गुण्डे तत्व आकर के वहां उनसे छेड़-छाड़ करते हैं और यह बहुत बुरी शर्म की बात है । प्रशासन इसमें ढिलाई दे रहा है ।

इसके साथ-साथ मेरी एक इसके अन्दर दूसरी बात है वह यह है कि इतने महान धार्मिक स्थान जहां पर कि यातायात की पूर्ण व्यवस्था अब की बार नहीं की गयी है । जो भी बसें लगायी गयी हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बसें ऐसी हैं जो ज्यादातर खराब हो जाती है और यात्री एक-एक घण्टे तक रास्ते में पड़े रहते हैं । जिसके कारण सारी अव्यवस्था हो गयी है । मैं खुद भी वहां पर गया था तो उस समय वहां की सारी व्यवस्था को मैंने अपनी आंखों से देखा है । इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि वहां पर तुरन्त ही ऐसी बसें लगायी जाय जो अच्छी हालत में हो । नयी बसें हों ताकि लोगों को परेशानी नहीं आये ।

तीसरी बात, जो वहां पर अव्यवस्था है वह वहां पर पानी की है । मेले के अन्दर जितने भी यात्री आते हैं जो वहां पर ठहरते हैं उनको एक-एक घण्टे तक लाइन में लग करके पानी मिलता है इसलिए इतना महान मेला जिसमें गवर्नमेण्ट टैक्स भी

(श्री रामस्वरूप मीणा)

वसूल करती है। वहां व्यवस्था के लिए भी टैक्स लिया जाता है उसके बावजूद भी मेले के अन्दर पानी की व्यवस्था सही नहीं की गयी है। यात्री लोग प्यासे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लाइन में धक्का-मुक्की होती है और इस लाइन की अव्यवस्था जो अबकी बार फैल रही है उसको तुरन्त ठीक करवायें।

इसके अलावा मेरी मांग बिजली के बारे में हैं। अबकी बार प्रशासन ने मेले के अन्दर जो बिजली की व्यवस्था की है वह बिल्कुल बेकार है। वहां पर लगातार बिजली के झटके आते हैं। रात्रि को अंधेरा हो जाता है। गुण्डा तत्व, चोरी, बदमाश अंधेरे का लाभ उठा कर और वहां पर अव्यवस्था फैलाते हैं और यात्रियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस हिन्दुस्तान के महान मेले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर सरकार तुरन्त मेले कि अच्छी व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था हो, यातायात की हो और बसों की व्यवस्था हो, बिजली की सही व्यवस्था हो। जो गुण्डा तत्व पनप रहे हैं जो मेले में अव्यवस्था फैलाते हैं। हमारे माँ, बहिनों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। उन लोगों को दण्ड दिया जाय और उनको पकड़ा जाय। यही मेरा आपसे निवेदन है और आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेले के सम्बन्ध में अव्यवस्था के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है। मैं सोचता था कि आधा मेला तो निकल गया और अब आधा समय रह गया है नवरात्रि का।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां, फिर भी कर दो आप।

श्री दिग्विजय सिंह : आप अगर यह मुझे पहले बता देते तो यह सारी व्यवस्था कर देता। अब भविष्य के अन्दर इन सब बातों को ठीक रखेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत।

(अनुपस्थित)

श्री भरोसी लाल : आप शुरू करिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आन ए पाइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : नो पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : विधान सभा में 295 के मैंने दिये थे उनके लिखित में उत्तर नहीं आये हैं। इस पर मेहरबानी करके व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : आपका आयेगा, आपका आया है आज। आप बोले तब उठा लेना। आज है आपका।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने 121 के अन्तर्गत दो प्रस्ताव रखे हैं। एक तो....

श्री अध्यक्ष : आज आपका है।

(118)

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह अलग चीज है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बोलो तब बोल देना उसमें। श्री भरोसी लाल जी।

हिन्डौन में पुलों का निर्माण

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में कुछ पुल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण जगह की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें जून, 1978–79 में 26 लोगों की नाव डूब जाने के कारण मृत्यु हुयी और वर्तमान मुख्य मंत्री माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत स्वयं मौके पर पधारे थे उन्होंने वहां यह घोषणा की थी कि जगर नदी के कोटवास गांव पर शीघ्र ही एक पुल बना दिया जायेगा किन्तु मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बावजूद भी उस नदी पर आज तक पुल नहीं बनाया गया है।

(1.30 म. प.)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

दूसरा मैं खरेटा रोड पर चांदोर नदी के पुल की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस नदी पर पुल नहीं होने के कारण जो पत्थरों की खानों का रास्ता है वह बरसात के मौसम में चार महीने बंद हो जाता है जिससे वहां कार्यरत 15-15 हजार मजदूरों को 40 किलोमीटर दूर का चक्कर लगाकर खानों में जाना पड़ता है जबकि सरकार द्वारा इस नदी पर पुल बनाने हेतु सन् 1981-82 में तीन पिलर पिलिन्थ लेवल तक बनाये हुए हैं और राज्य सरकार को प्रति वर्ष इन खानों से 19 लाख की प्रति वर्ष आय होने के बावजूद भी इस पुल का कार्य अभी तक पूरा नहीं कराया गया है। अतः शीघ्रातिशीघ्र इस कार्य को पूरा करवाया जाये।

तीसरा, हिण्डौन से बयाना, भरतपुर, आगरा रोड पर जटनगला नदी पर अभी तक भी पुल नहीं बनाया गया है। यह रोड काफी व्यस्त रोड है तथा इस रोड पर बरसात के समय में 5–6 रोज तक आवागमन ठप्प हो जाता है। अतः पुल को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र बनवाया जाये। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़े दिनों की सरकार है इसलिए जो वायदे किये हैं उसको आप पूरा करायें। धन्यवाद।

श्री हीरासिंह चौहान : यह आप किस आधार पर कह रहे हैं।

श्री सभापति : श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित।

सुमेरपुर के किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने बाबत

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं नियम 295 के तहत, विशेष उल्लेख के जरिये सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाये जाने के सन्दर्भ में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

(श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित)

सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में दो बड़े जल स्त्रोत हेमावास बांध तथा जवाई बांध तथा जवाई बांध उपलब्ध है। जिनसे काफी रकबा सिंचित होता है किन्तु मेरे क्षेत्र में कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पानी खारा है या फ्लोराइड युक्त है या पानी नहीं है वहां अनोपपुरा, बडगावड़ा, पिचावाथणा, बडली, दोलपुरा, केनपुरा, लापोद और ढोला आदि के गांव ऐसे हैं जहाँ भू जल स्त्रोतों का नितान्त अभाव है तथा यदि है भी तो खारा पानी है। यहाँ के ग्रामीणों का मुख्य धन्धा काश्त है। निरन्तर पड़ने वाले अकाल से लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय होने पर लोगों की निरन्तर यह माँग रही है कि जवाई बांध का पानी यहां के लोगों को भी सिंचाई के लिये उपलब्ध करवाया जावे या गहरे ट्यूबवैल या पाताल तोड़ कुएं खोदकर भी मीठे जल स्त्रोतों का पता लगाया जावे किन्तु खेद है कि आज तक कोई कारगर कार्यवाही नहीं की गई। इसी तरह गुन्दोज, हेमावास, तोदावास, हाथलाई, दयालपुरा, कानिलाव मादडी, एन्दला, डेण्डा, कूरणा, भांवरी, मनिहारी आदि गांवों में भी पानी की समस्या होने से वहाँ के काश्तकारों की माँग हेमावास बाँध से पानी उपलब्ध करवाये जाने की रही है, किन्तु इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

इस सन्दर्भ में प्रथम विधान सभा अधिवेशन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जोधपुर में पेयजल हेतु लिफ्ट योजना का कार्य दो वर्ष में पूरा कर दिये जाने की घोषणा की थी। जिसे एक वर्ष बीत चुका हैं और दूसरा वर्ष भी पूर्ण हो जावेगा। अतः लिफ्ट कैनाल का कार्य अविलम्ब पूर्ण कर सिंचाई और पेयजल से वंचित मेरे क्षेत्र के इन गांवों के गरीब काश्तकारों को सिंचाई हेतु जवाई बाँध तथा हेमावास बाँध से पानी दिया जावे या इन क्षेत्रों में सरकार योजना बनाकर पाताल तोड़ कुएं खोदकर भू-जल स्त्रोतों का पता लगावे। जिससे गरीब काश्तकार कुएं आदि खोदने में पैसा लगाने का साहस कर सकें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हीरासिंह चौहान।

रायपुर को मण्डी यार्ड में सम्मिलित करने हेतु

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, मैं सर्व प्रथम तो यह प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस मांग को लेकर बोल रहा हूं। माननीय कृषि मंत्रीजी सदन में विराजमान हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस विषय पर—

श्री सभापति : कृपया पढ़ें।

श्री हीरासिंह चौहान : पढ़ रहा हूं। मेरे शब्द ही 200 हैं, पांच सौ नहीं हैं।

श्री सम्पत सिंह : 295 पर ही रहना कहीं 299 पर मत आ जाना। 99 के चक्कर में मत पड़ जाना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा निवेदन यह है कि अभी नाथूराम जी कांग्रेस में गये हैं। कुछ माननीय सदस्य भी कांग्रेस में उनके साथ गये हैं। उनकी सीटें इधर-उधर

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मतलब कुछ माननीय सदस्य गलत सीटों पर बैठे हैं।

श्री सभापति : व्यवधान न डालें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप हमेशा गलत सीट पर बैठते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोई नहीं गया।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों से मेरे द्वारा सद्भावनापूर्वक सतत् प्रयास किया गया कि कृषि मंडी ब्यावर में जैतारण कृषि मण्डी थी। गौण मण्डी कहें या उप मंडी को जनहित में सम्मिलित कर दिया जावे। कांग्रेस के पूर्व शासन के माननीय कृषि मंत्रीजी द्वारा तथा शासन बदलने के बाद पूर्व कृषि मंत्रीजी माननीय दिग्विजय सिंह द्वारा कृषि विभाग को निर्देश दिया कि कृषि विपणन शाखा सरकार को तत्काल अवगत करावे कि क्यों नहीं रायपुर गौण मण्डी यार्ड (पाली) को ब्यावर में मिला दिया जावे क्योंकि रायपुर तहसील क्षेत्र के सभी कृषक वर्ग एवं व्यापारी समुदाय का एक मात्र मुख्य बाजार ब्यावर है तथा ब्यावर शहर के दो तरफ रायपुर तहसील क्षेत्र आया हुआ है तथा विपणन की बहुतायत जिनसे ब्यावर मंडी में विक्रय होती है। इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देकर गौण मंडी रायपुर को ब्यावर में सम्मिलित करने से कृषि विपणन विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों ने जन आवश्यकता व जनहित के महत्वपूर्ण प्रश्न को सरल करने में मदद नहीं की तथा वर्तमान कानून एवं नियमों को गलत ढंग से प्रयोग किया जबकि मंडी समिति क्षेत्र जिले की राजस्व सीमा से कोई सम्बन्ध नहीं रखती है। सभापति महोदय, मैंने इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय को भी निवेदन किया था।

श्री सभापति : आप पढ़ चुके हैं। समाप्त कीजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : अभी तो शुरू किया है।

श्री सभापति : फिर बीच में भाषण मत दीजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : यह भाषण नहीं है। पता नहीं उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं माननीय सभापति महोदय तो हमारा प्रोटक्शन नहीं करते हैं।

श्री सभापति : मैं तो नियमों से प्रतिबन्धित हूं यहां पर आकर।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं नियमों के अनुसार ही बोल रहा हूं।

मैंने पुनः माननीय कृषि मंत्री जी को इस विषय में निवेदन किया तो उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 24260, जयपुर दिनांक 26-2-91 को निदेशक, कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को उक्त गौण मंडी यार्ड, रायपुर को ब्यावर में सम्मिलित करने की आवश्यक करने की आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया लेकिन पुनः प्रशासनिक अधिकारी अपनी हठधर्मिता के कारण इसमें रुकावट डालने के प्रयास करेंगे जबकि सरकार को चाहिए कि यदि

(श्री हीरासिंह चौहान)

किसी प्रकार से कानून की रुकावट हो तो उसमें अविलम्ब संशोधन करना चाहिए। जिसके लिए सरकार से निम्न सुझावों का समाधान चाहता हूं—

1. क्या जनहित में किसी कृषि मंडी को मिलाकर एक करने या अलग-अलग करने तथा किसी कृषि मंडी को गौण मंडी यार्ड को दूसरी मंडी समिति में मिलाने पर रोक है ? यदि है, तो अवगत करावें।

2. क्या एक्ट व नियमों में संशोधन करके ऐसे व्यवहारिक नियम बनाने से सरकार को रोका जा सकता है ? यदि नहीं तो अब तक गौण मंडी, रायपुर को ब्यावर में मिलाने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

3. क्या गजट नोटिफिकेशन के बाद ब्यावर मंडी में रायपुर क्षेत्र सम्मिलित होने पर उक्त मंडी क्षेत्र में जिला कलक्टर, अजमेर के चुनाव कार्यक्रमों की पालना क्यों नहीं की जावेगी ? कृपया स्पष्ट करें।

4. क्या पंचायत समिति, रायपुर ने माह अगस्त, 90 में सर्व सम्मति से प्रस्ताव कर रायपुर गौण मंडी को ब्यावर में मिलाने का राज्य सरकार को निवेदन किया है। यदि ऐसा हैं तो जन प्रतिनिधिगण एवं जनता की भावना को अनदेखा क्यों किया जा रहा है।

अन्त में मेरा निवेदन है माननीय सभापति महोयय, माननीय कृषि मंत्री जी यहां पर बिराजमान हैं। मेरा इसमें निवेदन हैं कि इसमें न तो खर्चा होगा न कोई बात है। एक गोण मण्डी को बड़ी मंडी में मिलने पर एक सरकार को गजट नोटिफिकेशन करना होगा है।

श्री सभापति : आप मिलकर स्पष्ट कर दें।

श्री हीरासिंह चौहान : यहां इस प्रकार का प्रावधान है कि माननीय मंत्री महोदय, सदन में बिराजमान हो तो इन सवालों के उत्तर तुरन्त देने की व्यवस्था है।

श्री सभापति : आसन ग्रहण करें।

श्री हीरासिंह चौहान : आप से निवेदन करता हूं। आपसे प्रोटक्शन चाहता हूं कृषि मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि इस पर कुछ व्यवस्था दिलायें।

श्री सभापति : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रोटक्शन चाहता हूं।

श्री सभापति : नहीं। इसका उत्तर नहीं आता है। नियम नहीं है। आपके पास उत्तर पहुंच जायेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : कृषि मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं।

श्री सभापति : सभी मंत्री यहां बिराजमान रहते हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : उत्तर पहुंचाने का नहीं। माननीय महोदय, ज्यादा खर्च का सवाल नहीं। मामूल सा सवाल है।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : आप कृषि मंत्री जी को निर्देश दें। आम तौर पर चेयर से ऐसे निर्देश दिये जाते हैं।

श्री सभापति : क्षमा करें हरिसिंह जी ऐसी प्रक्रिया नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं गलत नहीं कह रहा हूं।

श्री सभापति : आप तशरीफ रखें। ऐसी प्रक्रिया नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : आप इस प्रकार के निर्देश दिलायें। आप पूछ लीजिए वो कुछ कहना चाहते हैं।

श्री सम्पत सिंह : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : क्षमा करें माननीय मंत्रीजी। यह प्रक्रिया पड़ जायेगी। हर एक प्रश्न महत्व का होता है। हर एक को जवाब देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री सम्पत सिंह (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का यही आग्रह है कि मैं उनको सूचना दूं। अव्वल तो उन्होंने स्वयं ने यह नहीं बताया कि कब से यह गौण मंडी रायपुर में चल रही है और सिद्धान्तः वह स्वयं भी राजी नहीं होंगे कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाय। फिर भी अगर व्यवस्था हो सकती है तो उसका हम अध्ययन करके समुचित कार्यवाही करेंगे।

श्री सभापति : श्री बुलाकीदास कल्ला।

रेलवे लाइनों द्वारा आवागमन में बाधा

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नियम 295 के अन्तर्गत पिछली विधान सभा में और उससे पहले के जिन माननीय सदस्यों ने, जिसमें मैं भी एक हूं 295 के अन्तर्गत जो जो यहां पर पत्र वाचन किये हैं उनके प्रत्युत्तर नियमानुसार हम को मिलने चाहिए। आज 6 महीने से ज्यादा अवधी हो गयी। हमारे ऐसे बहुत से प्रस्ताव जो हम ने पढ़े हैं उनके उत्तर राजस्थान सरकार की ओर से नहीं आये हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे प्रत्युत्तर राज्य सरकार को निर्देश देकर अविलम्ब भिजवायें। दूसरा यह है कि नियम 131 के अन्तर्गत....

श्री सभापति : क्षमा करिये। मैंने आपको 295 का जो प्रस्ताव रखा है उस पर बोलने के लिए कहा था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आसन से यह व्यवस्था हुयी थी कि आप अपने पाइण्ट ऑफ ऑर्डर पर जब आपका नम्बर आये तो आसन के समक्ष रख दें।

श्री सभापति : अच्छा पाइंट ऑफ ऑर्डर है। फरमाइये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : दूसरा मैंने यह निवेदन किया था कि नियम 231 के अन्तर्गत राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में खासकर बीकानेर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर और पाली इन जिलों में भयंकर अकाल और सूखा पड़ा हुआ है। वहां गायें पशु

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

घास और चारे के अभाव में मर रही हैं। पीने के पानी का समुचित प्रबन्ध न तो मवेशियों के लिए हैं, न लोगों के लिए हैं, न राहत देने की दृष्टि से वहां काम प्रारम्भ किये हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में मेरे प्रस्ताव के आधार पर आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दें। दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैंने राजस्थान कोपरेटिव डेयरी फैडरेशन के द्वारा संघों को मिलाया गया है। बीस संघों में से 16 संघों का और फैडरेशन का विलीनीकरण हो गया, लेकिन आज भी बीकानेर ऐसा प्रमुख संघ है····

श्री सभापति : आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं या आप अलग-अलग मुद्दे यहां प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, व्यवस्था में नहीं, राइटिंग में नोटिस दिये हुए हैं, चेयर को।

श्री सभापति : वह ठीक है। इस समय 295 चल रहा है। 295 में आपका रेल्वे लाइन के गुजरने से आगमन के अन्दर जो बाधा उत्पन्न हो गयी है, उसको आप पढ़ दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है आसन के द्वारा यह व्यवस्था दी गयी थी कि मैं अपने मुद्दों के बारे में जब मेरा 295····

श्री सभापति : मुद्दों के बारे में व्यवस्था नहीं दी गयी थी। पाइण्ट ऑफ आर्डर के बारे में व्यवस्था दी गयी थी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : तो मैंने पाइंट ऑफ आर्डर यह उठाया कि आज 10 दिन हो गये, राज्य सरकार का इसके बारे में प्रत्युत्तर नहीं आया, वह कब लगाये जायेंगे, इसके बारे में मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री सभापति : मेरी यह व्यवस्था है, आप इस प्रस्ताव को पढ़ियेगा जो आपके 295 में अभी है। बाकी सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि आपका उत्तर अति शीघ्र पहुंच जाये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत राज्य में रेल्वे फाटकों से अकारण होने वाली असुविधाओं एवं रोड ओवर ब्रिज बनाने के संबंध में विशेष चर्चा। मान्यवर, राजस्थान प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों के मध्य रेल्वे लाइन के आने से तथा रेल्वे फाटकों के बार-बार बंद होने से आवागमन में नागरिकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही कई हजार मानव दिवसों का अपव्यय भी होता है। इसी प्रकार राज्य के प्रमुख शहरों में मध्य रेल्वे लाइन के आ जाने से भी शहर के निवासियों को दिन में कई बार रेल्वे फाटकों को बंद होने के कारण वहां की जनता को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

सीकर एवं रतनगढ़ के बीच राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर रेल्वे लाइन के बीच सड़क से जो रेल लाइन गुजरती है एवं प्रतिदिन नागरिकों को उससे भारी असुविधा होती है। श्री गंगानगर शहर में अबोहर और पंजाब को जाने वाली सड़क पर रेल्वे लाइन शहर के बीच से इस सड़क को दो भागों में बांटती हुयी निकलती है। सीकर, नवलगढ़

(बुलाकीदास कल्ला)

सड़क के मध्य रेल्वे लाइन जाती है। दोसा में भी ऐसी समस्या है। हनुमानगढ़ में गंगानगर से नोहर भादरा जाने वाली सड़क पर हनुमानगढ़ जंक्शन की रेल्वे लाइन शहर की भी है।

बीकानेर शहर के मध्य चार रेल्वे फाटक शहर को दो भागों में बांट देते हैं। ये फाटक दिन में 50 से 52 बार बंद होते हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में ग्राम नागरिकों को रेल्वे फाटकों के बंद होने से होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जयपुर, गंगानगर, रींगस, सीकर, बीकानेर, रतनगढ़ एवं हनुमानगढ़ में रोड ओवर ब्रिज बनाने हेतु पर्याप्त धनराशि का प्रावधान इस बजट में करना चाहिये था। इस हेतु रेल्वे बजट से भी लगभग 50 प्रतिशत राशि प्राप्त हो सकती है। परन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा जो वार्षिक योजना का प्रारूप भेजा गया है और जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें राज्य में एक भी रोड ओवर ब्रिज बनाने का प्रावधान पूरे राज्य में न होने से चारों ओर इस सरकार के प्रति निराशा की भावना व्याप्त हुई है। गत वर्षों में एक बार तीन-तीन रोड ओवर ब्रिज कांग्रेस की सरकार के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मंजूर किये वहां पूरे राज्य में एक भी रोड ओवर ब्रिज का निर्माण न होना वर्तमान सरकार की एक तरह से नाकामयाबी का बहुत बड़ा उदाहरण है और जनता के प्रति वायदा खिलाफी का एक उदाहरण है।

एक अनुमान के अनुसार 5552 मानव दिवसों का प्रतिदिन नुकसान होता है केवल बीकानेर में पैट्रोल व डीजल लगभग 1250 लीटर खड़े-खड़े वाहनों का जल जाता है। यह नुकसान न केवल वाहन मालिक का है बल्कि राष्ट्रीय नुकसान है, हमारी अमूल्य विदेशी मुद्रा का नुकसान है।

पूर्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कांग्रेस के शासन में पूर्व मुख्य मंत्री जी ने पूर्व रेल्वे मंत्री जी को पत्र भेज कर इन चारों रेल्वे फाटकों को जो बीकानेर के बीच में हैं, बीकानेर के मास्टर प्लान के अनुसार शहर के बाहर एक नई रेल्वे लाइन डालकर, एक डाइवर्सन ट्रेक बनाकर, इन फाटकों की समस्या हल करने हेतु एक पत्र दिया था एवं इस कार्य को करने के लिए इस पर होने वाले व्यय की 50 प्रतिशत राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को देने का वायदा किया गया था। अभी वर्तमान में जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी हैं, इन्होंने बीकानेर को गोद ले रखा है।

बीकानेर शहर में लालगढ़ जंक्शन तक केवल झांसों के लिए बीकानेर शहर में लालगढ़ जंक्शन तक बड़ी रेल लाइन आ चुकी है एवं जयपुर, बीकानेर बड़ी रेल लाइन का सर्वे पूर्व में हो चुका है ऐसी जानकारी मिली है कि लालगढ़ एवं बीकानेर रेल्वे स्टेशन के मध्य बड़ी रेल लाइन डाली जायेगी। यदि बड़ी रेल लाइन फिर शहर के मध्य में पुराने ट्रेक पर पड़ गयी तो यह फाटक जो 50 से 52 बार बंद होते हैं, अब कम से कम दिन में 70 से अधिक बार बन्द होंगे और उससे लगभग 10,000

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मानव दिवसों का अपव्यय प्रतिदिन होगा एवं परेशानी पहले से ज्यादा बढ़ जायेगी। बीकानेर में पुराने रेल्वे ट्रेक पर ब्रोडगेज हरगिज नहीं डालने दिया जायेगा, चाहे बड़ी से बड़ी कुर्बानी वहां के नागरिकों को देनी पड़े।

अभी उपयुक्त समय है जब नई रेल लाइन, ब्रोडगेज लाइन डाली जा रही है तो वह शहर के मध्य होकर न गुजरे। शहर के बाहर मास्टर प्लान के अनुसार इस ब्रोडगेज लाइन को डाला जाये। इस सम्बन्ध में रेल मंत्रीजी से राज्य सरकार को तुरन्त सम्पर्क करना चाहिये। ऐसा वायदा भी पिछली विधान सभा में सार्वजनिक निर्माण मत्री ने किया था कि मैं रेल मंत्री जी को पत्र दूंगा, उनसे सम्पर्क करूंगा लेकिन पिछले एक वर्ष में यह सरकार कुमकरणी निद्रा में सोयी हुयी है।

आवश्यकता सिर्फ पर्याप्त सम्पर्क की है। कम्युनिकेशन गेप के कारण यह समस्या हल नहीं हो रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेल्वे के अधिकारियों के साथ वार्ता कर नये रेल्वे ट्रेक की जमीन सरकार रेल्वे को देकर उसके बदले पुराना रेल्वे ट्रेक जहां पड़ा हुआ है, उससे रिक्त होने वाली जमीन को राज्य सरकार से ले, तो यह समस्या हल हो जायेगी।

गत वर्ष में इन चार रेल्वे फाटकों को हटाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की अब तक की है? पूर्व में जो पत्र भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी ने दिये एवं वर्तमान में जो पत्र विभाग ने दिये, उनकी प्रति प्रत्युत्तर देते समय देने का श्रम करें। क्या विभाग पुराने ट्रेक पर ब्रोडगेज को उचित मानता है? यदि नहीं तो मास्टर प्लान के अनुरूप डाइवर्सन ट्रेक डालने हेतु क्या राज्य सरकार 50 प्रतिशत व्यय भार वहन करने हेतु तैयार है।

जयपुर, दौसा, रींगस, श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में रेल्वे फाटकों पर अविलम्ब रोड ओवर ब्रिज बनाकर जनता को कब तक राहत दी जायेगी।

मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जब प्रत्युत्तर आये तो इन सारे प्रश्नों के बारे में वह उत्तर दें।

श्री सभापति : श्री बालचन्द आर्यवीर।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय सभापति महोदय, मेरी जो समस्या परिवहन से सम्बन्धित है लेकिन परिवहन मंत्री जी तो यहां मौजूद नहीं है। तो किसको मैं अपनी समस्या सुनाऊंगा।

श्री सभापति : आप पढ़ दीजिये। उनके पास आपकी यह समस्या पहुंच जायेगी।

श्री बालचन्द आर्यवीर : पढ़, तो दूंगा, लेकिन मंत्री जी को तो यहां बुलाने की आप व्यवस्था कीजिये।

श्री सभापति : नहीं है, आप पढ़ दीजिये।

झालावाड़ जिले के पथ परिवहन निगम में अव्यवस्था

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत झालावाड़ जिले के रोडवेज डिपो में अव्यवस्था होने तथा समय पर बसों का संचालन नहीं होने के सम्बन्ध में निवेदन है कि झालावाड़ जिले के रोडवेज डिपो में भयंकर अव्यवस्था हो रही है। डिपो से कोई भी बस समय पर नहीं निकलती है, जिससे जनता परेशान होती है। डिपो से अच्छी हालत में बसें नहीं निकलने से कई बार जंगल में ही खराब हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का मुकाबला करना पड़ता है। जिले में सभी मार्गों पर अवैध प्राइवेट बसें चलती हैं और जनता से भारी मात्रा में किराया वसूल करती हैं। झालावाड़ से भवानीमण्डी बसें कई बार मिस कर दी जाती हैं, इससे जनता को बहुत परेशानी का मुकाबला करना पड़ता है। यही हालत झालावाड़ से मनोहरथाना, इकलेरा से बकानी, झालावाड़ से पिड़ावा, डक से चोमेला बसों की है। पूर्व में भवानीमण्डी से जयपुर बस चलती थी, लेकिन वर्तमान में बन्द है। मैं राज्य सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जयपुर जो बस चलती थी उसको पुनः चालू किया जाय। इसी प्रकार बीच में घोषणा की गयी थी कि भवानीमण्डी से सावलिया बस चालू की जायेगी। मैं मांग करता हूं कि उस बस को तुरन्त प्रभाव से प्रारम्भ किया जाय। झालावाड़ से भवानीमण्डी, भवानीमण्डी से डग, भवानीमण्डी से सुनेल, भवानीमण्डी से पिड़ावा, डग से चोमेला, झालावाड़ से इकलेरा, झालावाड़ से मनोहरथाना, झालावाड़ से झालरापाटन व बकानी, सुमेर से कोटा, भवानी मण्डी से इन्दौर, झालावाड़ से कानपुर बसों का संचालन समय पर नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि झालावाड़ डिपो से बसें समय पर निकलें। वहां कोई अधिकारी समय पर प्रबन्ध देखने के लिए, डिपो की व्यवस्था देखने के लिए नहीं रहते। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर अधिकारियों को सरकार पाबन्द करें ताकि डिपो में सुधार आ सके।

श्री सभापति : नन्दकिशोर शर्मा।

छबड़ा कस्बे में उद्योगों की स्थापना

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि कोटा औद्योगिक नगरी है और छबड़ा विधान सभा क्षेत्र कोटा से 135 किलोमीटर दूर है, उप जिला है। यहां का मुख्य व्यवसाय कृषि है, यहां कृषि उपज मंडी है। यहां छः नदियां बारह मास बहती हैं, पर अभी तक यहां कोई उद्योग नहीं लग पाया जबकि यहां उद्योग में काम आने वाली वस्तुएं प्रचुर मात्रा में हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी की निगाह सन् 1977 में इस अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र पर पड़ी थी। उससे यह क्षेत्र सड़क और बिजली विकास के कारण राजस्थान प्रदेश में उभर कर आया है। 1978 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां उद्योग बस्ती भू-खण्ड आवंटित कराया था। कई रजिस्ट्रेशन भी

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

हुए, पर कोई उद्योग अभी तक लगा नहीं। अतः मेरा निवेदन है कि उद्योग मंत्रीजी छबड़ा क्षेत्र में उद्योग लगाने का पूर्ण प्रयास करें। उद्योग के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं, जो छबड़ा में मौजूद हैं। गूगोर स्थान इसके लिए सबसे उपयुक्त है, जो पार्वती के किनारे हैं। जमीन राजस्व की यहां खूब पड़ी है, जितनी चाहो उतनी मिल सकती है। बिजली की 132 के. वी. लाइन टावर के लिए पास ही करवायी सब स्टेशन भी स्वीकृत हो गया है, जिसका काम चल रहा है। पानी पार्वती नदी में भारी मात्रा में है, जितना चाहो उतना मिल सकता है। ब्राड गेज रेल्वे लाइन छबड़ा से निकलती है जो गूगोर से 6 किलोमीटर है। सड़क से कोटा तक एवं गुना, बम्बई-आगरा गूगोर तक भी सड़क है। गैस पाइप लाइन भी छबड़ा से होकर निकलती है जो अन्ता एवं गडेपान तक जाती है। मजदूर खूब हैं, गरीब हैं। पिछड़ा इलाका है। निर्माण का पत्थर वहां पर मौजूद है और रेत भी गूजोर स्थान पर ही उपलब्ध है। यहां पर अन्य कोई विशेष बड़ी बस्ती भी पास नहीं है, अतः प्रदूषण भी नहीं रहेगा, आबादी घनी नहीं होगी।

मेरा निवेदन है कि उद्योग धन्धे वालों को सरकार प्रोत्साहित कर भेजे कि वे छबड़ा जायं और उद्योग लगायें। मेरा राजस्थान के उद्योगपतियों से निवेदन है कि वे छबड़ा पहुंचकर उक्त सुविधाओं का स्वयं लाभ उठायें, उस क्षेत्र की बेकारी दूर करें तथा राजस्थान के विकास में सहायक बनें। सन् 1978 में माननीय मुख्य मंत्री के समय यहां सर्वे भी हुए हैं। वहां पावर प्लाण्ट भी लग सकता है। कोयला कोटा-बीना लाइन से कोटा थर्मल में आता है। यहां वहां लगे तो 150 किलोमीटर कम पड़ेगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। सीमेण्ट उद्योग भी लग सकता है। लाइम स्टोन प्रचुर मात्रा में है। गैस पर आधारित अन्य प्लाण्ट भी लग सकते हैं। पार्वती पर हाइड्रोलिक विद्युत भी निर्मित की जा सकती है। वहां का पानी प्रपात में गिरता है, उसमें सुधार किया जा सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार इस पिछड़े क्षेत्र के विकास पर ध्यान दे। मैं उद्योगपतियों का आह्वान करता हूं कि वे छबड़ा में उद्योग लगायें। मेरा पत्रकारों से निवेदन है कि वे भी छबड़ा की उक्त कार्यवाही का समर्थन कर सहयोग करें।

श्री सभापति : श्री शिवकिशोर सनाढ्य। (अनुपस्थित)

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री लक्ष्मीनारायण दवे, चिकित्सा विभाग की स्टोर परचेज कमेटी द्वारा वर्ष 1989–91 के लिए पुनः मूल्यांकित की गयी अनुमोदित सूची में परिवर्तन कर राज कोष भारी हानि पहुंचाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

स्टोर पर्चेज कमेटी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुमोदित सूची में परिवर्तन किए जाने से राज कोष को हानि

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय सभापति महोदय, राज्य के

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1989-91 में स्टोर परचेज कमेटी द्वारा ...

चिकित्सा मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : पहले ध्यान आकर्षित कर लें, मैं वक्तव्य दे दूं फिर पूछ लेना।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : 139 दवाइयों की सूची का पुनः मूल्यांकित अनुमोदित सूची में जो परिवर्तन किया गया और जिससे राज्य सरकार को हानि हो रही है, उस बारे में मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री ललिलकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने और कुछ अन्य सदस्य बन्धुओं ने जो मेरा ध्यान आकर्षित किया है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बन्धु नहीं, सदस्यों ने।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सदस्य बन्धुओं ने। सदस्य बन्धु हैं, भाई भी हैं। सदस्य तो हैं ही। क्या नाराजगी हो गयी आपको ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने सुना नहीं था।

श्री सभापति : आपने सदस्यों के साथ बहनों और भाइयों नहीं कहा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अच्छा, एक गड़बड़ हो गयी कि सदस्य बन्धुओं और बहनों नहीं कहा। माफी मांगता हूं इसके लिए।

माननीय सभापति महोदय, इस दृष्टि से चिकित्सा विभाग की ओर से वक्तव्य निम्न प्रकार है:—

राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाओं एवं उपकरणों की समय-समय पर खरीद की जाती है। मैं सदन को इस खरीद की प्रक्रिया के विषय में अवगत कराना चाहूंगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा औषधि, उपकरण, औजार इत्यादि क्रय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्टोर परचेज कमेटी का गठन किया हुआ है, जिसमें निम्न सदस्य हैं:—

निदेशक—अध्यक्ष,

वित्त सलाहकार—सदस्य,

उप शासन सचिव, चिकित्सा विभाग—सदस्य,

उप शासन सचिव, वित्त विभाग—सदस्य,

निदेशक, उद्योग या उसके प्रतिनिधि—सदस्य,

संयुक्त निदेशक (योजना), चिकित्सा विभाग—सदस्य,

डॉ० ओंकार सक्सैना, प्रोफेसर आफ सर्जरी एवं अधीक्षक, एस. एम. एस. हास्पिटल—सदस्य,

डॉ० एम. के. माथुर, प्रोफेसर, स्किन (वी. डी.)—सदस्य।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

सामान्य प्रक्रिया के अनुसार टेण्डर प्रकाशन के बाद जो आपूर्तिकर्ता टेण्डरदेना चाहते हैं वह टेण्डर कैटलाग चिकित्सा विभाग से क्रय करते हैं जिन्हें टेंडर कैटलाग तथा टेण्डर भरने के लिए जो नियम एवं शर्तें तय हैं उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाती है और फिर निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने वाले टेण्डर घोषित तिथि पर अधिकारियों की कमेटी द्वारा खोले जाते हैं। प्राप्त टेण्डर की प्राथमिक जांच के पश्चात् एक क्राइटेरिया कमेटी का गठन किया जाता है जो टेंडर की शर्तों के अनुसार जांच करने के बाद इस बात का निर्णय करती है कि टेण्डर स्वीकृति योग्य है या नहीं। इसके पश्चात् क्राइटेरिया कमेटी द्वारा अनुमोदित टेण्डरों का तुलनात्मक विवरण (कम्परेटिव स्टेटमेंट) बनाया जाता है। अनुमोदित टेण्डर्स में संविदित दवाइयां तथा उपकरणों के तुलनात्मक विवरण का परीक्षण विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है, जो तीसरी समिति है। यह विशेषज्ञों की समिति अपनी सिफारिश करती है कि औषधियां, उपकरणों की गुणवता, उनका मूल्य और उनके उपयोग को देखते हुए विभाग को कौनसी औषधि किस दर पर, किस फर्म से क्रय करना उपयुक्त होगा और तदनुसार किस फर्म की निविदा स्वीकार की जाय।

इन उप समितियों की सिफारिशें स्टोर पर्चेज के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं तथा स्टोर पर्चेज कमेटी विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मद्दे नजर रखते हुए विभिन्न आइटमों का चयन करती है। इसी के आधार पर अनुमोदित फर्मों को एग्रीमेंट निष्पादन हेतु लिखा जाता है तथा जो फर्म एग्रीसेट कर लेती है उसकी अनुमोदित सूची जारी कर दी जाती है।

वर्ष 1987-89 की अवधि में 445 औषधियां, उपकरण कैटलाग में सम्मिलित की गई थीं। सरकार के ध्यान में लाया गया कि इन औषधियों में बहुत सी ऐसी थीं जो समस्त अस्पतालों में रखना आवश्यक नहीं थीं अथवा जो अस्पतालों में उपयोगी नहीं हो रही थीं। साथ ही इस अवधि में कुछ नई दवाइयां बाजार में आ गयी थीं जो अधिक प्रभावी अनुभव की गयी। अतः विभाग ने कैटलाग रिविजन कमेटी का गठन किया। इस समिति का गठन माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं कि जून, 1989 में किया गया था। इस समिति ने जून, जुलाई और अगस्त, 1989 में पिछले कैटलाग की दवाइयों का पुर्नमूल्यांकन कर 445 दवाइयों के स्थान पर 315 दवाइयाँ कैटलागिंग में प्रस्तावित कीं। यह काम हुआ जून, 1989 के बाद, जुलाई, अगस्त और सितम्बर में, जिस समय कैटलागिंग की प्रक्रिया चल रही थी उस समय इस समिति के सामने किस औषधि का मूल्य क्या होगा और उसका संवेदक, यानी टेण्डर कौन होगा इस बात की जानकारी होना सम्भव नहीं था। कैटलाग रिविजन होने के बाद यह प्रक्रिया समाप्त हो गयी। 1989 के 3-4 महीने में। फिर पब्लिक सैक्टर अण्डर-टेकिंग से पूछा गया कि वह कौन-कौनसी औषधि सप्लाई कर सकती है। आई.डी.पी.एल. और आर.डी.पी.एल. पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग द्वारा 136 औषधियाँ/रसायन सप्लाई करने की आफर प्राप्त हुयी। इनमें से 86 औषधियों का रेट कांट्रेक्ट किया

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

गया। पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग की आफर के बाद शेष 179 औषधियों के लिए नीति संस्थाओं से टेण्डर मांगे गये। इन 179 में से 68 औषधियों को निम्न कारणों से रेट कांट्रेक्ट में सम्मिलित नहीं किया गया :—

(1) टेण्डर प्राप्त नहीं होने के कारण–28 दवाइयाँ,

(2) सेम्पल्स की जांच में सेम्पल्स ठीक नहीं पाये जाने के कारण 3

(3) ऐसी दवाइयां जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है अथवा जिन्हें एकल निविदा स्थानीय स्तर पर क्रय किया जा सकता है–21

(4) अधिक दरों के कारण नेगोसियेशन हेतु–4

(5) केवल एकल निविदा प्राप्त होने एवं जीवन रक्षक दवाइयाँ नहीं होने के कारण–5

(6) पुनः निविदा की अभिशंशा ऐसी–7

इस प्रकार की 68, 68 वह दवाइयाँ थीं जिनको रेट कांट्रेक्ट में निजी संस्थाएं थीं उनको शामिल नहीं किया गया।

माननीय सदस्य ने कहा कि स्टोर पर्चेज कमेटी ने जो अभी बैठी थी, जिसके तीन भाग होते हैं, टेण्डर में वर्णित दवाइयों का औचित्य का पुनमूल्यांकन करते हुए कुछ दवाइयों को अनुमोदित सूची में से निकाल दिया और अनावश्यक दवाइयां अनुमोदित कर दीं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह काम होता है कैटलाग कमेटी का, जो जून, जुलाई और अगस्त, 1989 में खतम हो गया, पर्चेज कमेटी का यह काम नहीं होता है। वह जो-जो औषधियाँ हैं उनके अनुसार जैसा मैंने कहा कि स्टोर पर्चेज कमेटी ने कैटलाग में कोई घटत-बढ़त नहीं की और किसी दवाई को न निकाला और न किसी दवा को जोड़ा। स्टोर पर्चेज कमेटी ने जिन 68 औषधियों को प्राइवेट संवेदकों से रेट कांट्रेक्ट नहीं किया उनके कारण मैं बता चुका हूं।

श्री सभापति : केवल माननीय सदस्य संक्षेप में प्रश्न पूछ लें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सभापति महोदय, राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयों की खरीद के लिये टेण्डर आमंत्रित किये 1989-91 के लिये और 179 दवाइयों के टेंडर आमंत्रित किये गये थे। उसके अन्दर 125 कम्पनियों और फर्मों ने अपनी निविदायें पेश कीं। स्टोर पर्चेज कमेटी ने जनवरी, 1991 के अन्दर टेण्डर्स का निर्णय करते समय टेण्डर करते समय टेंडर में वर्णित दवाइयों का पुर्नमूल्यांकन किया। उस पुर्नमूल्यांकन के अन्दर पहली शर्त यह होती है कि राज्य की नीति के आधार पर अगर दवाइयाँ महंगी हों तो उनको नहीं खरीदा जाय; दूसरा राज्य के आई.डी.पी.एल. और आर.डी.पी.

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

एल. एवं अन्य राजकीय उपक्रमों में अगर वह दवाइयाँ उपलब्ध होती है तो उनको वहाँ से पर्चेज किया जाय। और तीसरा, माननीय सभापति महोदय, जिन कम्पनियों की दवाइयों की गुणवत्ता का पिछला रेकार्ड संदेहास्पद है उनको नहीं पर्चेज किया जाय।

मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पर्चेज कमेटी ने नियमों की अवहेलना करते हुए आई. डी. पी. एल. और आर. डी. पी. एल. के पास में सस्ती दर पर जो दवाइयाँ उपलब्ध थीं उनको वहाँ से पर्चेज नहीं करके महंगी दवाइयाँ पर्चेज की गयीं। मात्र उस फर्म को प्रोफिट पहुंचाने के कारण, वह फर्म है जयपुर फार्मास्टीकल्स, जिसकी पिछली 20 दवाइयाँ फैल हो गयी हैं। खून रोकने का इंजेक्शन केन्द्रीय प्रयोगशाला, कलकत्ता द्वारा 1981 के अन्दर, केन्द्रीय प्रयोग शाला के अन्दर 2 प्रकार के निर्णय होते हैं एक प्रकार का निर्णय होता है स्टेण्डर्ड का और दूसरा निर्णय होता है नाट आफ स्टेण्डर्ड इसके बाद में औषधि नियन्त्रक विभाग तय करता है कि केन्द्रीय प्रयोग शाला द्वारा जो नियुक्त होकर आते हैं उसके तहत कम्पनी के खिलाफ किस प्रकार का निर्णय किया जाय, क्या स्पूरिअस घोषित किया जाय या एडल्ट्रेड घोषित की जाय या उसको बाइण्डेड घोषित की जाय।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय को यह जानकारी देना चाहता हूं कि यह जयपुर फार्मास्टीकल्स....

श्री सभापति : जानकारी तो वह देंगे आप तो प्रश्न पूछें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मैं उसी से सम्बन्धित बात कर रहा हूं कि जो खून रोकने का इंजेक्शन था उस इंजेक्शन में केन्द्रीय प्रयोगशाला ने उसकी दवाई की मात्रा में नगण्यता पायी, उसकी स्पूरिअस घोषित किया जाना था लेकिन इस प्रयोगशाला को औषधि नियन्त्रक विभाग के अधिकारियों की मिली-भगत से उसको नकली घोषित किया गया जिसके कारण यह दवाई स्पूरिअस घोषित की जाती तो उस कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड घोषित किया जाता और उस कम्पनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता और जो 1989–91 में टेण्डर आमन्त्रित किये गये इस टेण्डर के अन्दर टेण्डर देने के लिए वह काबिल ही नहीं होते।

मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से चिकित्सा मन्त्री जी से यह जानकारी लेना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर आज प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दो रुपये मेडिकल के आधार पर औषधियों के लिए हैं। परन्तु इस गरीब देश के अन्दर, इस गरीब राजस्थान के अन्दर गरीब व्यक्ति को औषधि के मामले में पट्टियां भी उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार एक रुपया प्रति दिन की पेट दर्द की दवाई खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो इस प्रकार की दवा अनुमोदित की है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। यह जो एप्रूवल है अनुमोदित लिस्ट के अन्दर एल्डेडाई

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

जोन, पेट के कीड़े मारने की दवा है। जो प्रति गोली 64 नए पैसे लगाते हैं। इसके एक करोड़ रुपए की गोली के लिए टेण्डर इन्वाइट किये गये हैं और इसी तरह आई. डी. पी. एल. आर. डी. पी. एल. कम्पनी की गोली जो कि दस पैसे में बिकती है को नहीं खरीदकर, इस गोली को अनुमोदित किया गया।

दूसरी दर्द निवारण के लिए पैरासिटामोल और पेंटाजोन जो दवा है प्रति, गोली एक रुपए 5 पैसे जो जयपुर फार्मास्युटिकल की अनुमोदित की गई उसके कम्पेरीजन में आई. डी. पी. एल. की गोली एनालजीन और, पैरासिटामोल जो 12 पैसे में और 21 पैसे में अवेलेबल है उसको अनुमोदित नहीं किया गया। मैं माननीय चिकित्सा मन्त्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि जो आपके पालिसी फार परचेज ड्रग्स है उसके अन्दर यह निर्णय दिया गया है कि अगर आपके आई. डी. पी. एल. और आर. डी. पी. एल. के पास में औषधि अवेलेबल है और सस्ती दर में है तो पहले उसको परचेज किया जाये उसके पश्चात किसी अन्य औषधि या अन्य जो कम्पनी हैं, अन्य जो फर्मे हैं उनसे किया जाये। इससे राजस्थान को एक करोड़ रुपए का घाटा होने वाला है और मैं कहना चाहता हूं कि यह जो राजस्थान के अन्दर, हिन्दुस्तान में नकली दवाइयों का अंबार आ रहा है, राजस्थान में नकली दवाइयों को संरक्षण देने वाले कांग्रेस के नेता हरिदेवजी जोशी के पुत्र की यह फैक्टरी है। कालानी जी की फैक्टरी है, इनको संरक्षण दिया जा रहा है और इस कारण करोड़ों रुपए का इन कम्पनियों को आदेश दिया गया है। मैं आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा मंत्री जी को एक और जानकारी देना चाहता हूं.... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, इसके पूर्व भी राजस्थान के 12 व्यक्तियों ने, विधान सभा के माननीय सदस्यों ने, इसमें भी चार सदस्य राजस्थान मंत्री मण्डल के हैं, जगमालसिंह जी यादव, जगतसिंह दायमा, सम्पतसिंह जी और उप सचेतक श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ और माहिर आजाद, 12 व्यक्तियों ने इस जयपुर फार्मास्युटिकल के खिलाफ जांच करने की मांग की थी, मन्त्री जी को भी चिट्ठी दी। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जयपुर फार्मास्युटिकल के खिलाफ में जिस प्रकार की स्पूरिस घोषित नहीं करके उसको घटिया दवाई घोषित की है इसकी जांच कराई जाये और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाये।

सभापति महोदय, List of the products declared to be Sub-standard quality of drugs. यह हैं जयपुर फार्मास्युटिकल की 12 दवाइयां जो केन्द्रीय प्रयोगशाला के द्वारा घटिया साबित की गइ, नकली साबित की गई और माननीय मंत्री महोदय जो इस प्रकार के उन्होंने टेण्डर इन दवाइयों के जो आज तक अन्य फर्मों को मात्र तीन लाख के टेण्डर और तीन लाख के टेण्डर के आधार पर दवाई सप्लाई करने का आदेश दिया गया। परन्तु इस जयपुर फार्मास्युटिकल को इस अनुमोदित की गयी सूची

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

के आधार पर एक करोड़ सोलह लाख रुपए के दवाई सप्लाई करने का आदेश होगा। यह एक ऐतिहासिक रिकार्ड है।

सभापति महोदय, मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से यह जानकारी लेना चाहूंगा कि इस अनुमोदित सूची के अन्दर जिन फर्मों ने टेण्डर जारी किये हैं इसमें से इस जयपुर फार्मास्युटिकल के 8 दवाइयों के टेण्डर अनुमोदित किये गये हैं यह एक ऐतिहासिक रिकार्ड है। जबकि जयपुर फार्मास्युटिकल कम्पनी के पिछले बीस दवाइयों के टेण्डर फेल हो चुके हैं। इसी से सम्बन्धित समृद्ध फार्मास्युटिकल जो कम्पनी है, हरिदेव जोशी के पुत्र और पुखराज जी कालानी के पुत्र की भागीदारी में है। वह भी नकली और घटिया दवाइयां दी गयी जिसके कारण राजस्थान के कई लोग अन्धे हो गये हैं। इसलिए माननीय चिकित्सा मन्त्री जी से मेरा आग्रह है कि ऐसी दवाइयां जो सप्लाई की जा रही हैं इनको स्पूरिअस घोषित किया जाये, जांच की जाय, अनुमोदित टेण्डर जारी किये हैं उनको निरस्त किया जाये।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 7-8 हैं और कोई बोलना चाहे तो....

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से दो-तीन प्रश्न इस विषय में करना चाहूंगा। पहला तो यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार के कोई निर्देश हैं कि यह जो मेडिसन खरीदी जाती हैं, जो काम्बीनेशन ड्रग्स होती हैं, जिसमें दो-तीन मेडिसन मिलाकर जो दवाई बनाई जाती है उसको कम से कम प्रयोग में लिया जाये या परचेज किया जाये। क्या सरकार ने या स्टोर परचेज कमेटी ने इस पर ध्यान दिया? दूसरा प्रश्न यह है कि रेट्स के मामले में जब टेण्डर खुलते हैं तो अगर दस प्रतिशत से ज्यादा रेट पिछले साल से है तो क्या वापस इसको रिवाइज या ओपन करते हैं, दुबारा टेण्डर मंगाते हैं और इस मामले में यह जो सामने आया है, स्टोर परचेज कमेटी ने क्या कार्यवाही की? तीसरा, यह कि दवाइयों में जो रेट का डिफरेंस है, गवर्नमेंट द्वारा आई. डी. पी. एल., आर. डी. पी. एल., इन कम्पनियों की जो रेट्स हैं और प्राइवेट कम्पनियों की जे. पी. डब्ल्यू. उसमें बहुत भारी अन्तर है। तो एक्सपर्ट कमेटी ने रेट्स के इतने भारी अन्तर होते हुए क्या किया?

जिस प्रकार ये मेमाण्डाजोल के बारे में 115 रुपए का एक टिन आई. डी. पी. एल बनाकर सप्लाई करता है इसके अगेन्स्ट में यह जो जे. पी. डब्ल्यू. है इन्होंने 634.90 पैसे का एक टिन सप्लाई किया। इतना बड़ा अन्तर होते हुए भी क्या प्रशासन ने इस पर कोई कार्यवाही की?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में कुछ सवाल करना चाहूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, दवाइयों में

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

किसी भी तरीके की मिलावट करना या उसकी किस्म में घटियापन पैदा कर देना लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है और ऐसा ही इस तथ्य में सामने आया है। माननीय मन्त्री जी के स्टेटमेंट से भी साफ दिखाई दे रहा है कि यह दवाई पैरासिटामोल है यह सरकार की फैक्टरी है, कम्पनी की जो दरें हैं उनमें 166 रुपए पर थाउजेंड है जबकि जो रेट एप्रूव्ड की है वह 1050 रुपए पर थाउजेंड की रेट एप्रूव्ड की और उस रेट पर खरीदी। यानि इसका डिफरेंस करीब 85 लाख रुपए आता है। सभापति महोदय, इन 85 लाख के लिए कौन जिम्मेदार है? जो नुकसान प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को हुआ, आज हम यह कहें कि गांवों में स्वास्थ्य केन्द्र खोलना है या मेडिकल के अन्दर किसी भी तरह का कोई डवलपमेंट करना है तो हम फाइनेन्शियल क्राइसेस की बात करते हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि यह जो 85 लाख रुपए का नुकसान मेडिकल एण्ड हैल्थ विभाग को हुआ है इसकी रिकवरी के सम्बन्ध में आप क्या करने जा रहे हैं? दूसरा, माननीय सभापति महोदय, यह साफ बात है कि विशेषज्ञों की एक समिति बना दी कि यह समिति सिफारिश करेगी कि कौन-कौनसी दवाइयां किस-किस कम्पनी से खरीदी जाय। उस विशेषज्ञों की समिति ने जो रिपोर्ट दी उसके बाद एक दूसरी समिति बन जाये और उसके बाद उसमें से दवाइयों की आवश्यकता को काट दे, उनकी दवाइयों के नाम काट दिये जायें, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो विशेषज्ञ हैं क्या उनसे भी ज्यादा जानकारी वह समिति रखती थी जिसने लिस्ट के अन्दर करेक्शन और काट-छांट की। मैं आपके माध्यम से पूछता हूं कि किन-किन दवाइयों की, ये समिति इसके लिए काम्पीटेन्ट भी नहीं थी। सिर्फ गवर्नमेंट का एनालिसिस था फिर सिफारिशों को इस कम्पनी के किस दबाव में माना गया। आखिर ऐसे क्या कारण, सरकार के सामने ऐसे क्या तथ्य आ गये थे कि सरकार ने उस चीज को नहीं मानने लायक होते हुए भी उसको स्वीकार कर लिया।

मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहूंगा कि इस सूची के अन्दर जैसा कि ऊपर लिखा है, सम्बन्धित विशेषज्ञों ने बनाई थी। क्या यह समिति विशेषज्ञों से ज्यादा टेक्निकली क्वालिफाइड थी। जब एक विशेषज्ञ यह रिपोर्ट दे रहा है कि फलां बीमारी में यह दवाई खरीदनी चाहिए और उसके बाद कोई आदमी मनमर्जी से या राजनैतिक दबाव में या किसी भी लालच में उस समिति की रिपोर्ट और विशेषज्ञों की रिपोर्ट को नहीं मान कर अपनी मनमर्जी से उसमें कोई संशोधन करने के लायक है? उसमें संशोधन कर सकता है? मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अगर यह दवाइयां विश्व में एक ही कम्पनी बनाती है तो इसका क्या कारण है? क्यों नहीं हम उसको गुणवत्ता के आधार पर एनेलेसिस कर हम भी उसके निर्माण का काम शुरू करवाते।

माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से एक चीज यह भी जानना चाहूंगा कि

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

जो दवाइयों की लिस्ट एप्रूव्ड कराने के लिए इन्होंने दी थी क्या यह भी तथ्य सही है कि तीन वर्ष के दौरान इनके 15–20 सेम्पल फेल किये गये। उसमें इन्जेक्शन जैसा मामला, माननीय सभापति महोदय, डिस्प्रिन जैसा इन्जेक्शन और जो दूसरी दवाइयां थीं उनको घटिया ही नहीं पाया गया बल्कि पूरे तरीके से नकली पाया गया है। क्या उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं? आपने अभी तक कार्यवाही नहीं की तो उन लोगों के साथ जिन्होंने प्रदेश के लाखों, करोड़ों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया क्यों नहीं आपने कार्यवाही की? इस विलम्ब का क्या कारण रहा? यह भी मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से जानना चाहूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था उसके अन्दर से कुछ दवाओं का नाम यहां कोट किया गया। इतनी बड़ी सूची है कि उस पर मेरा उत्तर अभी आना सम्भव नहीं है लेकिन फिर भी मैं दूंगा। यह अच्छा है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में ही कुछ ऐसी मेडिशंस जिनको यहां कोट किया गया है, उनकी जानकारी ठीक रूप से देना सम्भव होता। लेकिन मैंने उनकी जानकारी पूरी ले ली है इसलिए मैं अपनी ओर से उत्तर देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने अपने वक्तव्य में निवेदन किया है कि केटेलाग कम्पनी को छोड़ कर दवाओं की सूची में केटेलाग में कोई भी परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं है। इस केटेलाग की जो कमेटी थी मैंने कहा जून, 1989 में बनी थी और जून, जुलाई, अगस्त में ही इन्होंने यह निर्णय कर दिया था और मैंने यह भी बताया उस समय कि केटेलाग कमेटी को यह पता नहीं था और पता होना सम्भव भी नहीं कि उन दवाओं का टेण्डर, कौन होगा और उन दवाओं की कीमत क्या होगी। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि केटेलाग कमेटी के बाद कभी भी वह परचेज कमेटी के द्वारा कोई भी कोट कर देंगे कि उन्होंने उस सूची में बदल कर दिया है तो निश्चित रूप से जांच करूंगा मेरे आधार पर मैं सूचना देना चाहता हूं कि केटेलाग कमेटी के निर्णय लेने के पश्चात जितनी कमेटियां थी चाहे क्राइटेरिया कमेटी, चाहे स्पेशलिस्ट कमेटी, उन्होंने किसी भी प्रकार की कमी और बढ़ोतरी इस संख्या में नहीं की है। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया पहले सुन लीजिए। उत्तर आ जाये फिर आप सप्लीमेन्ट्री पूछ सकते हैं। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दूसरा, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि परचेज कमेटी गुणवत्ता के आधार पर, रेट के आधार पर जो निर्णय ले लेती है उस निर्णय में किसी प्रकार का कोई भी बदल किसी अधिकारी ने नहीं किया है और इसीलिए यह कहना कि उसके बाद अधिकारियों ने किसको आर्डर दे दिये।

तीसरी बात, अभी तक केवल मात्र दवाओं का कान्ट्रेक्ट करके ये दवायें स्वीकृत हुई हैं या घोषणा हुई है किसी को भी एक

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पैसे का आर्डर अभी नहीं दिया गया है। यह बात सच है कि उस टेण्डर आर्डर में इतनी गोलियां ली जायेंगी यह देखने के कारण माननीय सदस्यों को लगा कि इतनी ली जायेंगी तो शायद इतना पैसा कोई 87 लाख बता रहा है, कोई एक करोड़ बता रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जैसा माननीय सदस्य ने कहा था पैसे को कौन भरेगा और कौन वापस लायेगा। अभी तो आर्डर नहीं दिया है न किया है और सारा काम इन तीन केटेगरी के अनुसार निश्चित रूप से हुआ है। अब मैं पर्टिकुलर बातों पर आता हूं कि जिन बातों की चर्चा माननीय सदस्यों ने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में तो नहीं की और किसी का भी 139 दवाओं में, एक-एक के बारे में कहना सम्भव नहीं था। किन्तु जो भी मुझे जानकारी है मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं। एक इसका जिक्र किया, मालिक कौन है इसकी चर्चा यहां की है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उसी फर्म को आर्डर नहीं दिया जा सकता जो ब्लैक लिस्टेड हो। जयपुर फार्मास्युटिकल वर्क्स अभी तक ब्लैक लिस्टेड नहीं है और यह किसी की आथोरिटी नहीं हो सकती कि उन दवाओं की अगर गुणवत्ता कुछ सब स्टेण्डर्ड आयी हो, ऐसी बहुत....(व्यवधान) उस आधार पर कभी भी किसी को आर्डर नहीं किया या उनकी और दवाओं का विचार किया जाय ऐसा कभी नहीं होता। अभी तक जयपुर फार्मास्युटिकल ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। इसके कारण है जो बताना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, जिस औषधि की चर्चा माननीय सदस्य कर रहे थे, उक्त औषधि का सेम्पल औषधि निरीक्षक, चित्तौड़गढ़ के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ के स्टोर से दिनांक 30-12-85 को लिया जाकर विश्लेषण हेतु जयपुर की प्रयोगशाला में भेजा गया। जयपुर में विश्लेषण सुविधा नहीं होने से दिनांक 13-1-86 को वापस लौटा दिया गया। भारत सरकार की कलकत्ता स्थित विश्लेषण शाला के द्वारा दिनांक 30-11-85 से राज्य में सेम्पल नहीं लिये जा रहे थे, क्योंकि उस प्रयोगशाला में सेम्पल बहुत इकट्ठे हो गये थे फिर भी हमारे निदेशालय ने विशेष आग्रह किया, इस दवा को लेकर हमारे यहां से व्यक्ति कलकत्ता गया उन्होंने कहा कि यह विषय ऐसा है जिसमें आपके द्वारा जांच होना आवश्यक है। इस स्पेशल रिक्वेस्ट के कारण इस सेम्पल को लिये जाने की अनुमति कलकत्ता ने दी और सेम्पल औषधि निरीक्षक, चित्तौड़गढ़ द्वारा 25-3-87 को वह सेम्पल कलकत्ता भेज दिया गया। विश्लेषण रिपोर्ट के द्वारा दिनांक 18-8-87 के द्वारा सेम्पल सब स्टेण्डर्ड का पाया गया, मैं उसकी क्वालिटी बता रहा हूं: इट वाज नाट स्पूरिअस। It was not spruious, it was sub-standard given by them पाया गया क्योंकि सेम्पल में रंग रहित ग्लास वायन में डार्क भूरे रंग के पैंदे में काला सेडीमेन्टेशन जमा हुआ था, तथा औषधि आइडेन्टीफिकेशन के विश्लेषण में भी एण्ड्रीना को मोनोसेमी-कार्बोजोन के विश्लेषण में पोजिटिव नहीं पाया गया। सेलीसरेट का विश्लेषण

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सेम्पल में पोजिटिव पाया गया। संस्था को दिनांक 13-11-87 को नोटिस दिया गया, जिसकी चर्चा कर रहे हैं तथा सुनवाई का मौका दिये जाने के कारण संस्था के लाइसेन्स को दिनांक 18-3-88 को इस औषधि के निर्माण हेतु रद्द कर दिया गया। संस्था के भागीदारों द्वारा तथा संस्थाओं के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर की अदालत में 2-6-88 को मुकदमा प्रस्तुत किया गया जो कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। संस्था के एक भागीदार श्रीमती राजकुंवर कालानी द्वारा उच्च न्यायालय जयपुर खण्ड में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर द्वारा उनके विरुद्ध प्रकरण में कोग्नीजेंस लेने पर उनके आदेश के विरुद्ध एक याचिका प्रस्तुत की है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर के यहां इस प्रकरण में अगली तिथि 23-5-91 है।

माननीय सभापति महोदय, यह भी सच है कि सब स्टेण्डर्ड पाया गया लेकिन न्यायालय में वाद लगा होने के कारण हम इस पर अभी किसी प्रकार का निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं और इसलिए ब्लैक लिस्टेड इस संस्था को जब तक नहीं किया जा सकता तब तक इनको टेण्डर देने का अधिकार है। इनके टेण्डर आयेंगे, कम्पेरेटिव स्टेटमेंट बनेगा, कम्पेरेटिव स्टेटमेंट के आधार पर जो भी एक्सपर्ट कमेटी होगी वह इसको देखकर, निर्णय लेकर अपना कारण देगी। इस कारण से कुछ दवाओं का दिया हो इस बारे में दिया हो। इसलिए इस विषय में मैंने अपना स्पष्टीकरण दिया है।

माननीय सभापति महोदय, कुछ दवाओं की चर्चा यहां माननीय सदस्यों ने की है। बड़ा अच्छा होता यदि दवायें पहले मुझे बता दी जाती। लेकिन फिर भी आपकी अनुमति से उन दवाओं के विषय में आपको बता देना चाहता हूं। एक दवा है जिसकी चर्चा की गई है, वह है पैरासिटामोल। (व्यवधान)

मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप ही वह सदस्य हैं जिन्होंने पिछली विधान सभा में यह कहा था कि एनालजिन और एनालजिन के लिए उस एक्सपर्ट कमेटी ने यह किया है कि इन दवाओं का प्रयोग, उसमें एनालजिन भी है, अब नहीं किया जाय राजस्थान, हिन्दुस्तान की धरती पर। आपके सवाल के जवाब में मैंने कहा था। इसलिए एनालजिन अब ऐसी दवा हो गई हैं। जिसके बारे में इस प्रकार की ओपिनियन हैं। इसलिए राजस्थान सरकार उसे किसी भी कीमत पर नहीं मंगाती और मैं आपके सुझाव को मानते हुए हमारी कमेटी ने निर्णय लिया है, इसलिए कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं जिन दवाओं की चर्चा की है उनमें एक है पैरासिटामोल और दूसरी है पैरासिटामोल विद पेंटजोसिल हाइड्रोक्लोरेट। ये दो दवायें हैं। पैरासिटामोल बनाती हैं आई. डी. पी. एल. जो हमारी संस्था हैं। जो हिन्दुस्तान का

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पब्लिक अण्डरटेकिंग है। ये दोनों दवायें अलग-अलग हैं। पैरासिटामोल बुखार एवं मामूली दर्द के लिए है। पैरासिटामोल विद पेंटाजोसिल हाइड्रोक्लोरेट यह गहन दर्द के लिए दी जाती है। यह पैरासिटामोल से कहीं अधिक प्रभावी है और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि इन दोनों दवाओं को उस एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी सूची में रखा है। इसलिए यह आरोप लगाना कि यह दवा भी स्वीकार की है वह दवा भी स्वीकार की है। अगर हल्का दर्द होगा, हल्की कंडीशन होगी तो सी. एम. एच. ओ. ऑर्डर करेगा दूसरी का गहन के लिए वह दूसरी दवा प्रभावी है। उसमें दो प्रोडक्ट हैं इसमें एक प्रोडक्ट है। किन्तु यह चार्ज लगाना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि इन दोनों दवाओं को इस एक्सपर्ट कमेटी ने अपने यहाँ लेने की मंजूरी दी है। अब यह कहना है कि उसमें एक करोड़ के लिए किया है उसमें 50 लाख किया तो क्वालिटी के लिए है। दूसरी दवा का जिक्र किया है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि एक है मेकेनाजोल और दूसरी कहा है एलेमेण्डाजोल। इन दोनों दवाओं की स्थिति भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेकेनाजोल पुरानी दवा है। जो जर्म्स होते हैं उसके उपचार के लिए इसकी 6 गोली लेनी पड़ती हैं। माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि इसकी गोली आंकी है 60 पैसे जो महंगी दवा है वह लेनी पड़ती है। यह जो दूसरी दवाई बतायी गयी है एलेमेण्डाजोल, यह नई दवा है। एक गोली में काम चलता है और एक गोली से पूरा उपचार हो जाता है। इस का साइड इफेक्ट भी नहीं होता। उसमें 6 गोली लेनी पड़ती है। 2-2 गोली 3 दिन में लेनी पड़ती पड़ती है। एक दिन चूक गए तो उतना फायदा नहीं। इसलिए एक गोली 6 के बराबर है। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं। इसलिए 10 पैसे, 60 पैसे बराबर हो गए और क्योंकि इसका प्रभाव ज्यादा है इसके कारण एनालजिन को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वह भी इस प्रकार की दवा है जो कि आई. डी. पी. एल. बनाती है इसलिए रिजेक्ट किया और इन दोनों दवाओं में भी एक अधिक प्रभावी है। कीमत दोनों की एक हो गई 6 गोली एक गोली के बराबर है। 10 पैसा और 60 पैसा उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी ने इसी नाते विचार करके इस दूसरी गोली को रखकर पहली गोली को रिजेक्ट किया है। और यह उन्होंने किया है। यह किया केटेलाग कमेटी ने जो जून, 1989 में थी। इसलिए माननीय सदस्यों का यह कहना कि अभी आकर कुछ न कुछ बदलकर इसमें कर दिया है, असत्य है, तथ्यों से परे है। और मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार होऊँगा कि माननीय सदस्य इस प्रकार की जानकारी राजस्थान सरकार को देंगे और मुझे जानकारी होने के पश्चात् उसकी पूरी जाँच की जायेगी और किसी भी अधिकारी ने यह हरकत की है उस पर कार्यवाही की जायेगी। एक और जानकारी देना चाहता हूं। एक्सपर्ट कमेटी जो बनती है जो पहले नाम प्रकाशित हो जाते हैं तो कम्पनी उससे कांटेक्ट कर लेती है। नई सरकार के आने के बाद यह व्यवस्था की है कि एक्सपर्ट

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कमेटी जिसके 3 डिवीजन हैं इनके नामों की घोषणा नहीं करते। केवल मात्र निदेशक जिस दिन दूसरे दिन सेम्पल देखने होते हैं और दवाओं का निर्णय होता है उसके एक दिन पहली रात को फोन से सूचित करते हैं कि दवाओं का सेम्पल देखना है, दवाओं की गुणवत्ता देखनी है। उनको फिर कांटेक्ट करने का मौका नहीं मिले। वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार को मूल से नष्ट कर देने के लिए कृत संकल्प है और कभी भी कोई माननीय सदस्य ऐसी कोई जानकारी देंगे तो मैं उनका शुक्रगुजार होऊंगा, उसकी पूरी स्टडी करूंगा। कहीं गलती पायी जाय तो कोई भी दोषी व्यक्ति निश्चित रूप से बचेगा नहीं। यह मेरा आपसे निवेदन है और आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : आपकी एक्सपर्ट नॉलेज है तो आप बाद में इनको बता देना।

श्री किशन गोपाल कोगटा : सभापति जी, मेरा एक सवाल और है। माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि मेकनाजोल और एलेमेण्डाजोल। एलेमेण्डाजोल 6 गोली लेनी पड़ती हैं मेकेनाजोल की एक गोली। क्या पिछले वर्षों की परचेजिंग में और इस वर्ष के जो टेण्डर निकले हैं उनकी 6 गुना के अन्तर की कमी परचेजिंग में की? मेरा यही सवाल है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पिछली बार के बारे में बताओगे तो जानकारी ले लूंगा। इस बार की जो नॉलेज है 6 गोली पर एक गोली का विचार कर रेट्स का उसकी जानकारी दी है।

श्री सभापति : माननीय श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने केन्द्रीय प्रयोगशाला, कलकत्ता की सब स्टेण्डर्ड के बारे में जो जानकारी दी है, रिपोर्ट आई है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपने कहा स्पूरिअस मात्र के लिए। अभी तो टेक्निकल बात है उसमें मैं कहीं पिक्चर में नहीं हूं और सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वाद पड़ा है। इसलिए कुछ करना भी संभव नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मैं माननीय मंत्री महोदय को जो केन्द्रीय प्रयोगशाला से रिपोर्ट आई है उसको पढ़कर सुनाता हूं—

The sample is not of the standard quality under specificatin.

यह कहना कि केन्द्रीय प्रयोगशाला सब स्टेण्डर्ड और नॉट ऑफ स्टेण्डर्ड इन दो के बारे में निर्णय देते हैं, के बारे में मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि जो केन्द्रीय प्रयोगशाला की रिपोर्ट आती है तो औषधि नियंत्रण विभाग जो आपके पास है वह इस पर निर्णय करता है कि इस मेडिसिन को स्पूरिअस डिक्लेयर किया जाय, इसको सब स्टेण्डर्ड डिक्लेयर किया जाय या इसको ब्रांडेड डिक्लेयर किया जाय।

(१५०)

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि यह जो इंजेक्शन की केन्द्रीय प्रयोग शाला से रिपोर्ट आयी है। आपके औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने राजनैतिक दबाव के कारण इस प्रकार का निर्णय लिया गया है कि इसको सब स्टेण्डर्ड डिक्लेयर किया जाय, ताकि 1989-91 के जो टेण्डर निकल रहे हैं राज्य सरकार जो औषधि परचेज कर रही है उसमें यह कम्पनी यह फर्म नहीं रहे। दूसरा माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन है कि यह औषधि नियंत्रण विभाग की मिलीभगत से कान्सपिरेसी की गयी। अगर इसको स्पूरिअस डिक्लेयर किया जाता तो यह निश्चिय था कि कि यह जो फर्म के मालिक हैं वे जेल के कटघरे में खड़े होते। इन लोगों को बचाने के लिए और इस फर्म की दवाई को राज्य सरकार को टेण्डर के अंदर 1989, 1991 के अंदर लेने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र किया गया। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि पूर्व में भी 12 विधायकों द्वारा और अभी राजस्थान के 4 मंत्रियों ने श्री जगमाल सिंह जी यादव, संपत सिंह जी, उप सचेतक जी और मोहम्मद माहिर आजाद जी ने....

श्री सभापति : यह आप रिपीट मत करिए। आप कह चुके हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : 12 व्यक्तियों ने मांग की है कि इसकी जांच करायी जाय। तो यह इंजेक्शन था यह स्पूरिअस की तारीफ में आता है या सब स्टेण्डर्ड की तारीफ में आता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करायी जाय ताकि दोषी व्यक्ति कटघरे में खड़ा हो और इंजेक्शन बनाने वाली कम्पनी, राजस्थान के कई लोगों को यह नकली इंजेक्शन दिया गया, कई लोगों की मृत्यु हो गयी, कई बच्चे मर गये, कितने अनुसूचित जाति के व्यक्ति मरहूम हो गये। इसलिए इस कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड घोषित किया जाय और एक करोड़ की अनुमानित राशि का टेण्डर देने की जो बात चल रही है उसको कैन्सिल किया जाय। यह मेरी मांग है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक मिनट, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, जब मैंने वक्तव्य पढ़ा था, मैं उसको फिर रिपीट कर रहा हूं कि संस्था को दिनांक 13-11-87 को नोटिस दिया गया तथा सुनवाई का मौका दिया जाने के पश्चात् संस्था के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया किन्तु कोर्ट में चले गये अब आपका कहना है....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : एक मिनट, मेरी....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पूरी बात तो होने दो।

श्री सभापति : माननीय दवेजी, बिराजिए आप। बीच में नहीं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : औषधि नियंत्रण विभाग ने इस मामले को सब स्टेन्डर्ड की कह करके अदालत में भेजा है....

श्री सभापति : आप कह चुके। आप बिराजिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपकी सुनूंगा। पहले सुन तो लें। अब जो माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारे जजमेंट के अनुसार इसको सब स्टेंडर्ड नहीं लिख कर के स्पूरिअस लिखना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हम ब्लैक लिस्टेड तो नहीं कर सकते। हम आपकी राय से हमारी एक्सपर्ट कमेटी को यह पूछेंगे कि क्या उस पुरानी बात के आधार पर सब स्टेण्डर्ड के साथ इसको स्पूरिअस बताया जा सकता है और अगर उन्होंने राय दी तो अदालत में जो केस हमने लगाया हुआ है, हम यह एडीशन और करेंगे कि हमारी यह इच्छा है कि यह स्पूरिअस मामला है, यह नकली है, केवल सब स्टेण्डर्ड का मामला नहीं है, नकली दवाओं का मामला है। इतना कार्य हम कर सकते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपकी जो बात आयी है उस आधार पर एक्सपर्ट कमेटी बैठायेंगे और एक्सपर्ट कमेटी यह निर्णय देती है कि

(2.42 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

नहीं, आप सब स्टेन्डर्ड के साथ-साथ इसको स्पूरिअस भी करो तो वह इन्जेक्ट उसमें करेंगे और उसके बाद निर्णय जो कोर्ट का होगा, उसी के बाद हम ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही कर सकते हैं, उसके पहले नहीं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्रीमती उजला अरोड़ा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर और राजस्थान में कृषि भूमि पर बनी आवासीय समितियों के नियमन का पैसा जमा हो जाने पर भी 1982 से अटके हुए मामले को, जिसमें लगभग 84 हजार मकान बन चुके हैं जिसकी ग्यारह सौ....

श्री अध्यक्ष : आप तो केवल ध्यान आकर्षित करिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या ?

श्री अध्यक्ष : केवल ध्यान आकर्षित करिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, मैं एक सेन्टेन्स तो पूरा कर लूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप ध्यान आकर्षित करिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सेन्टेन्स तो पूरा कर लूं, मेरा वाक्य तो पूरा कर दूं।

श्री अध्यक्ष : कर दीजिए आकर्षित। हां, करिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसमें 12 हजार से भी ऊंची सहकारी समितियां जो पंजीकृत हुई हैं। उनमें से मात्र 441 योजनाएं स्वीकृत की गयी है और बाकी स्वीकृतियों के अभाव में पड़ी हुई हैं। भारी पैसा जमा हो जाने पर भी सरकार ने उस समय यह कन्डीशन नहीं लगायी थी कि

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

विकास शुल्क जमा करा देने पर ही इनका विकास किया जायेगा। लेकिन बाद में, न मालूम क्यों पूर्व सरकार ने यह निश्चय किया कि विकास शुल्क जमा कर देने पर ही....

श्री अध्यक्ष : यह आप सेन्टेन्स समाप्त कर रही हैं या भाषण दे रही हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : सेन्टेन्स समाप्त कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष : हां तो इतना कर दिया, ध्यान आकर्षित कर दिया, बिराज जाइये आप, हो गया। मंत्रीजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अभी एक मिनट में करती हूं।

श्री अध्यक्ष : आपको मौका मिलेगा, आप ही बोलने वाली हैं, और कोई है नहीं बैठिये हां, मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ : मैं भी हूं इसमें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसमें नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : है।

श्री भंवर लाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : है, यह भी हैं पर ध्यानाकर्षण के लिए तो एक ही बहुत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समस्या की ओर माननीय सदस्या ने ध्यान आकर्षित किया है, वह वास्तव में बड़ी जटिल है और लोग बहुत परेशान हैं। यह समस्या नयी नहीं है, पूरे राजस्थान की भी है और नयी भी नहीं है। यह बहुत पुरानी समस्या है और जब इस सरकार ने चार्ज लिया तो चार्ज में यह समस्या सरकार को मिली। आपको ध्यान होगा कि पहली विधान सभा जब मिली थी तब ही सरकार ने इस समस्या की ओर ध्यान दिया था और इसके निराकरण के लिए राजस्व मण्डल के तत्कालीन अध्यक्ष श्री तेज कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और उस समिति को यह सारा विषय जांच के लिए दिया। उस समिति से निर्णय के बाद राज्य सरकार के सामने यह प्रश्न आया। राज्य सरकार ने तीन मंत्रियों की एक उप समिति इसकी जांच के लिए निर्मित की उसकी कई मीटिंग्स के बाद इस पर कुछ निर्णय होता, उसके पूर्व ही हमारे जो तत्कालीन राजस्व मंत्री माननीय नत्थी सिंहजी थे, वह हमारा साथ छोड़ कर चले गये....

श्रीमती उजला अरोड़ा : कौन थे ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कहां गये ?

श्री भंवरलाल शर्मा : श्रीमान् नत्थी सिंहजी, वह राजस्व मंत्री के नाते हमारे साथ थे, उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया।

श्री रामकिशन : इस शब्द को दुरूस्त करें, साथ छोड़ कर नहीं गये हैं।

श्री नत्थी सिंह : क्या बात है ?

श्री भंवर लाल शर्मा : आप बिराजिए। केवल श्रद्धांजलि नहीं है भाई, इस कारण से इसमें विलम्ब हुआ है और अब यह....

श्री नत्थी सिंह : मैंने तो दस्तखत कर दिये थे, आपके रह गये थे।

श्री भंवर लाल शर्मा : कोई बात नहीं, आप तो उपस्थित ही तो भी दस्तखत है, नहीं हो तो भी दस्तखत करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से जब यह सारा प्रतिवेदन आया तो बेरी समिति को भी इस सारे प्रकरण को इसलिए दे दिया गया कि कहीं नियमों में कोई ऐसी बात न हो कि जिससे हम इस मंशा को पूरी नहीं कर सकें क्योंकि इसमें कई प्रकार के नियमों का उल्लंघन है, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा।

जयपुर प्राधिकरण की सीमा जयपुर में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा 1234 योजनाएं प्रस्तुत की गयी थी, प्राधिकरण द्वारा 441 योजनाएं तकनीकी रूप से अनुमोदित कर भूमि रूपान्तरण की सिफारिश सहित सक्षम अधिकारी अथवा जिलाधीश, भूमि रूपान्तरण को प्रस्तुत की गयी। शेष गृह निर्माण सहकारी समितियों का नियमन विभिन्न कानूनी प्रावधानों में उल्लंघन के कारण नहीं हो सका। वह बाधाएं यह थीः—

भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा नहीं खरीदी गयी, नगरीय भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियम अधिनियम 1974 से प्रभावित होने के कारण मास्टर प्लान के अनुसार भू-उपयोग का उल्लंघन, सहकारी समितियों द्वारा सरकारी भूमि पर भूखण्ड काट कर आवंटन करना, आवासन मण्डल अथवा जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं के लिए अवाप्ताधीन भूमि होने के कारण, कुछ सहकारी समितियों की भूमि पर एस्टेट ग्रनर्स एक्ट के प्रावधान होने के कारण, हवाई अड्डा योजना क्षेत्र के अन्तर्गत भूखण्ड आने के कारण, कुछ भूमि बाढ़ क्षेत्र में होने के कारण, प्राधिकरण अधिकारी द्वारा स्वामित्व के अभाव में अस्वीकृत करना ऐसी भूमि धारा 42, टेनेन्सी एक्ट के प्रावधानों की अवहेलना कर अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों से जो खरीदी गई, ऐसी भूमि जो अवाप्त तो कर ली गई, मुआवजा भी उठा लिया गया किन्तु कब्जा नहीं लिया गया, उस पर भी कब्जा करके मकान बना लेना।

यह कानून की ऐसी विसंगतियां खड़ी हो गयी जिसके कारण जब तक इन कानूनों में संशोधन न हो तब तक इनको नियमित नहीं किया जा सकता और इसलिए इसमें कई बार मीटिंग्स हुई हैं और उसमें से यह निकाल पाये हम कि इन कानूनों में संशोधन किस तरह से किया जाये और वह करीब-करीब हमने सम-अप करके यह राज्य सरकार के सामने विचाराधीन है और मैं समझता हूं कि जितनी चिन्ता माननीय सदस्यों को है और व्यक्त की है, मैं उनसे सहमत हूं। मेरी भी चिन्ता वही है जो आपकी है। इसलिए अब मेरा ऐसा मानना है कि सारे परिश्रम और एक्सरसाइज के बाद कुछ ऐसा नतीजा निकल रहा है जिससे जल्दी ही हम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकेंगे। एक बात जरूर कहना चाहता हूं जहां तक इन नियमों के उल्लंघन का प्रश्न है, उन उल्लंघनों से इस समस्या को इस दायरे से निकाला नहीं जायेगा तब

(श्री भंवर लाल शर्मा)

तक नियमन करना कठिन है क्योंकि सारी भूमि एक तो कृषि भूमि है और कृषि भूमि पर मकान बनाना, और जितने यह उल्लंघन किये हैं उन सब के होते हुए इनका नियमन करना कठिन हो रहा था। अब यह राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है। बेरी समिति की रिपोर्ट भी आ गयी है मंत्रियों की रिपोर्ट भी है और तेजकुमार समिति की रिपोर्ट भी हमारे सामने है, मैं समझता हूं कि जल्दी ही कोई न कोई ऐसा मार्ग निकल जायेगा कि जिस समस्या से लोग पीड़ित हैं, उस समस्या का समाधान सरकार निकाल सकेगी। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा आपको, कि कोई भी कानून की ऐसी त्रुटि अगर रह गयी कि जिसके कारण किसी भी न्यायालय से इस पर स्टे आ गया या रोक दिया गया तो जिस समस्या से इतने वर्षों तक जयपुर और राजस्थान की जनता पीड़ित थी उसका समाधान नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरा आपसे यह विनम्र निवेदन है कि जो मैंने आपको यह उत्तर दिया है, इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार बड़ी चिन्तित है और श्रीमान मुख्य मंत्री महोदय को स्वयं कई बार कह चुके हैं, यह समस्या इतनी जटिल हो गयी कि मकान अगर तोड़ें तो करोड़ों रुपये के मकान टूटेंगे, तो यह मकान तो टूटने का प्रश्न नहीं है, लेकिन यह नियमित कैसे हो सके, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल था और यह सरकार जाते-जाते जो समस्या हमारे सामने खड़ी कर गयी इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिराजो अब आप। कुछ दिन ठहरो आप। उधर आने का तो सवाल ही नहीं है। अभी आप दस-पांच साल अभ्यास करो थोड़ा। अभी आप हवा में मत उड़ो कि इधर आयेंगे, उधर आयेंगे। वैसे विचार अच्छा है आपका। अब जल्दी क्या है इधर आने की। 40 साल तक आपने देश को लूटा है, अब जल्दी क्या हो रही है आपको ?

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : आपको जल्दी है....

श्री भंवर लाल शर्मा : कोई जल्दी नहीं है इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि यह जो समस्या है उसके लिए राज्य सरकार पूर्णतया चिंतित है और इसका जल्दी से जल्दी समाधान कैसे निकले उस कोशिश में लगे हुए हैं और जो मैंने प्रक्रिया आपको बतायी इसमें इतना समय लगना बहुत आवश्यक था और लग गया था। अब मैं समझता हूं कि इसमें अधिक समय नहीं लगेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। धन्यवाद।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन प्रश्न करना चाहती हूं।

घोषणा

वित्तीय समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम में आंशिक संशोधन

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये पहले। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि चारों वित्तीय समिति अर्थात् जनलेखा समिति 1991-92, राजकीय उपक्रम समिति 1991-92, प्राक्कलन समिति (क) 1991--92 और प्राक्कलन समिति (ख) 1991--92 के निर्वाचन के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन कर दिया गया है जो इस प्रकार है—

(श्री अध्यक्ष)

1. मनोनयन वापस लेना 25 मार्च, 1991 म. प. 3 बजे तक
2. मतदान यदि आवश्यक हो 26 मार्च, 1991 म. प. 11 बजे से म. प. 3 बजे तक।
3. मतपत्रों की गणना दिनांक 26 मार्च, 1991 को म. प. 3 बजे से।

श्रीमती उजला अरोड़ा,

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न करना चाहती हूं। क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि सन् 1981 में 26 दिसम्बर को सरकार ने यह घोषणा की थी कि अवाप्ति अधिक होने पर, सीलिंग की भूमि होने पर, सीलिंग में मकान बना लिये जाने पर, योजना के विपरीत मकान बना लिये जाने पर, रेल्वे लाइन के पास में मकान बना लिये जाने पर और म्यूनिसिपैलिटी के बाइलाज के विपरीत बना लिये जाने पर तथा योजना के विपरीत बना लिये जाने पर ऐसे आदि-आदि करके 12 उसमें बिन्दु थे जिनमें यह कहा गया था कि यह सुनहरी अवसर है कि इन सारी खामियों के बावजूद भी आप पैसे जमा करा दें और हम इसका नियमन करेंगे। तो यह मंत्री महोदय को मालूम है कि यह घोषणा सरकार ने की थी और इसमें केवल तीन महीने का समय मांगा था। क्या मंत्री महोदय को यह भी मालूम है कि बाद में दो महीने का समय बढ़ा दिया गया था। मैं पूछना चाहूंगी कि आज उस बात को बीते कितना अवसर हो चुका, मंत्री महोदय ने यहां पर कहा कि मंत्रियों की समिति बनाई गयी और कई बैठकें हुई। उन बैठकों का रिजल्ट बताते तो कोई अच्छी बात होती। तेजकुमार की जो समिति बनायी थी उसके क्या निर्णय थे उसको बताते तो कोई बात होती। मंत्री महोदय बतायें कि उनके निर्णय क्या थे जिससे मालूम पड़े कि गाइड लाइन क्या मिली है और क्या करने वाले हैं। मैं यह भी पूछना चाहूंगी कि विकास प्राधिकरण को पेराफेरी के लिए और नगर परिषद् को जो आबकारी एक महकमा है हाउस टैक्स के माध्यम से, भूमि एवं भवन कर के माध्यम से कितनी रकम मिली है और आपके विभाग में कितने नक्शे और पट्टे पास किये जाने हैं? क्या यह भी मालूम है आपके विभाग ने, विकास प्राधिकरण ने यह पाबन्दी लगा दी है कि एक भी नक्शा पास नहीं किया जाये और पिछले तीन महीनों से एक भी पट्टा नहीं दिया गया और एक भी नक्शा पास नहीं किया गया। मैं यह भी पूछना चाहूंगी कि जो योजनाएं आपने अस्वीकृत की हैं उसमें आपने यहां दलील दी है–यह सारी दलीलें उस सारी विज्ञप्ति की घोषणा को काटती नहीं। यह दलीलें एक तरफ हैं। एक तरफ तो आपने यह कहा कि नाले का बाढ़ के कारण से इनके पट्टे और नक्शे नहीं दिये जाते हैं। योजना

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

स्वीकृत नहीं की जाती है और दूसरी ओर आपने नागतलाई के नाली के पास नाले के बिलकुल सटाकर 3 फुट की दूरी नहीं रखते हुए आपने मकान बना लिये हैं। आपकी योजनायें क्या दो दिशाएं रखती हैं? जो आप बनायें नाले के सहारे वह बाढ़ में नहीं डूबेंगे और यह योजनाएं अगर किसी नाले के सहारे हैं तो डूब जायेंगी मैं समझती हूं कि दो तरह का दृष्टिकोण कभी भी अच्छी बात नहीं है और आपने यहां पर यह कहा कि यह नियम जिनकी संख्या 13 है यह बाद में जब तक नियमों में संशोधन हो जायेगा तब तक आप इसमें कुछ नहीं कर पायेंगे। मैं यह समझती हूं कि इन नियमों का हवाला आपको देने से पहले नियमों में संशोधन लाने चाहिए थे। वह सरकार जो कर गयी सो कर गयी। उनको पैसा लेकर जाना था लेकिन एक साल हो गया हमको आये हुए हम यहां पर छोटी-छोटी बातों के एक-एक बिन्दु के लिये यहां बिल लाये हैं। यह एक इतना बड़ा बिन्दु था जिसमें कि आपको संशोधन लाना चाहिए था। आपकी देरी का क्या कारण रहा यह बताइये।

मैं कहना चाहूंगी कि 1971 के मास्टर प्लान में जो आबादी एरिया है उसमें यह योजनाएं बनी हैं। उसके बाहर कोई योजना नहीं है। जब आबादी एरिया घोषित हो गया तो उस आबादी एरिया में जहां मकान बना लिए, विकास प्राधिकरण के लोग आपको मालूम होना चाहिए कि वहां जाते हैं और 5-5 हजार रुपये बनवाने और तुड़वाने की रिश्वत खाते हैं। पुलिस वाले भी कुछ कम नहीं हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी पिछले साल जब कांग्रेस की सरकार थी....

श्री अध्यक्ष : अब आप सवाल से भाषण पर आ गयीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आपको मालूम है कि इतना भयंकर एन्क्रोचमेन्ट जयपुर शहर में हुआ है कि जयपुर शहर की सारी आकृति और प्रकृति विकृति में बदल गयी है....

श्री अध्यक्ष : आपका क्या सवाल है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं पूछना चाहती हूं कि आप इसके बारे में अविलम्ब निर्णय क्या लेने जा रहे हैं सो बताइये। 25 रुपया विकास शुल्क की केवल एक बाधा आपने बतायी कि सरकार ने पैसा बढ़ा दिया। हमने कहा कि यह कम कर दीजिए और जितना पहले था उतना ही कर दीजिए। उसकी आप घोषणा करें कि 25 रुपये विकास शुल्क चाहिए हम आपकी कन्डीशन मान लेते हैं कि 84 हजार मकानों से आप विकास शुल्क ले लीजिए। तो आप घोषणा करें कि आप 25 रुपया वर्ग गज लेकर उसको कर दें, आप इतना मन तो बनाइये....

श्री अध्यक्ष : आप पुनरावृत्ति कर रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लोगों को यह मालूम तो पड़े। मैं मान्यवर मंत्री महोदय

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

से पूछना चाहती हूं कि इसकी वह आज घोषणा करें कि वह 25 रुपया वर्ग गज....

श्री अध्यक्ष : यह कितनी बार रिपीट करेगी। 25 बार कर दिया। माननीय श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से हमने ध्यान आकर्षित किया है। + + + यह कर रहे थे कि कई दिनों से जो समस्या जयपुर की ही नहीं राजस्थान के सभी शहरों के लोग ग्रसित हैं उसके बारे में सरकार का कोई सकारात्मक उत्तर आयेगा और सरकार यह घोषणा करेगी कि इतनी तारीख तक हम इन भूमि पर बसे भूखण्डों को नियमित कर देंगे परन्तु मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया साल भर बीतने के बाद भी कि हम शीघ्र ही इस प्रकार का यह नियमित करने का कार्य करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि यह टालमटोल की नीति जो कांग्रेस की सरकार वर्षों तक करती रही, साल भर अपने को भी सरकार में आये हो गया, तेजकुमार कमेटी बनी और तेजकुमार कमेटी की रिपोर्ट भी आ गयी। उसके बाद तीन मंत्रियों की कमेटी बनी उसकी भी आपके पास रिपोर्ट आ गयी। फिर आपने जयपुर शहर के विधायकों को बुलाकर और उसमें भी सारी बातें हो गयी उसके बाद नियमों में संशोधन के लिए भी आपने कोई कमेटी बनायी और उसकी रिपोर्ट भी आपके पास आ गयी होगी। खैर, यह टेक्निकल बातें सरकार में होती है मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि भूमि अवाप्ति के नाम पर, सीलिंग के नाम पर, भूमि अन्तर भूमि में है इस नाम पर दस साल तक कांग्रेस की सरकार ने जनता का शोषण किया है। उनकी सुविधानुसार कोई गरीब आदमी की भूमि अवाप्ति में है इसलिए उसका नियमितिकरण नहीं हो सकता परन्तु यदि कोई श्याम नगर में भूमि अवाप्ति में थी परन्तु क्योंकि वहां पर श्री शिवचरण माथुर का मकान था इसलिए उसका नियमितिकरण कर दिया गया। हीरापुरा की भूमि अवाप्ति में थी परन्तु क्योंकि वहां पर श्री हरिदेव जोशी का मकान था उसकी भूमि को अवाप्ति से मुक्त कर दिया गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो हाज़िर नहीं हैं उनके बारे में कोई चर्चा न करें।

श्री कालीचरण सराफ : उनको रहना चाहिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इससे पहले सोजत से आने वाले सदस्य ने हरिदेवजी जोशी का नाम लिया....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो माननीय सदस्य इस सदन में जवाब दे सकते हैं, स्पष्टीकरण दे सकते हैं सदन में आकर उनके बारे में ..

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : अच्छा होगा कि आप नाम अवाइड करिये । नाम लेने से क्या मतलब है ।

एक माननीय सदस्य : नाम लेना है तो उनके क्षेत्र का नाम लें, वह ज्यादा अच्छा रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : यह बहस का विषय भी नहीं है ।

श्री कालीचरण सराफ : मेरे कहने का मतलब यह है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : उन्हें मालूम था कि यह प्रश्न आएगा इसीलिए इस परिसर में वह अपने कमरे में जा बैठे, बुला लाओ ।

श्री कालीचरण सराफ : इसी प्रकार लैण्ड यूज की बात कही कि लैण्ड यूज दूसरा था मास्टर प्लान में । आपको ध्यान होगा कि स्टेच्यू सर्किल पर बिरला प्लेनेटोरियम बना है उसका लैण्ड यूज वहां गवर्नमेंट बिल्डिंग बनने का था परन्तु क्योंकि वह बिरला जी थे और बिरला जी कांग्रेस के आका हैं, कांग्रेस को पैसा देते हैं इसलिए वह लैण्ड यूज कैन्सिल करके बिरला प्लेनेटोरियम को एक रुपया प्रति गज में भूमि दे दी गयी ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने बी. जे. पी. के सम्मेलन के लिए लाखों रुपये का चन्दा लिया.... (व्यवधान) + + + यहां पर सम्मेलन में करोड़ों रुपये की थैली कहां से आयी ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : + + + इस बात का जवाब दो । + + + क्यों करते हो, एक बात का जवाब दो, + + + (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप भ्रष्टाचार में क्या कमी कर रहे हो ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सवाल करिये ।

श्री कालीचरण सराफ : हजारों रुपये की जमीन भूमि अवाप्ति की....

श्री अध्यक्ष : कालीचरण जी सवाल करिये ।

श्री कालीचरण सराफ : मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह भूमि अवाप्ति में है....

श्री अध्यक्ष : तकलीफ आपको नहीं मुझे हो रही है ।

श्री कालीचरण सराफ : यह अल्सर एक्ट में आती है, बहाने मत बनाओ । कांग्रेस ने बहाने बना कर 10 साल तक जनता का शोषण किया है । आज जयपुर शहर में एक लाख इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने भूखण्ड खरीद रखे हैं उन पर मकान भी बन गये परन्तु उनका रेगुलराइजेशन नहीं हुआ । उन्होंने कृषि भूमि

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री कालीचरण सराफ)

रूपान्तरण शुल्क भी जमा करवा दिया 81 में और आज तक उनका नियमन नहीं हुआ। प्रजातंत्र में सरकार चाहे बी. जे. पी. की हो चाहे कांग्रेस की हो, एक लाख मकान न तो वह तोड़ सकते हैं, न आप तोड़ सकते हैं। मकान आप तोड़ नहीं सकते, उनको गिरा नहीं सकते, उनका रेगुलराइजेशन क्यों नहीं करते हैं। आज जे. डी. ए. के अधिकारी केवल कृषि भूमि पर बने मकानों के आधार पर एक लाख रुपया प्रतिदिन रिश्वत की वसूल कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो व्यवस्था बनायी उसमें सुधार कीजिए और अच्छा तो यह होगा कि यहां आप घोषणा करें....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। आप बिराजिए।

श्री कालीचरण सराफ : एक बात मैं कहना चाहूंगा जब आप घोषणा करे चुनावों के समय भा. ज. पा. ...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप भाषण बाहर भी देकर आये हैं, यहां क्यों दे रहे हैं (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : जब भी सरकार घोषणा करें, इस बात का ध्यान रखे कि कांग्रेस ने 70 रुपये विकास शुल्क पहले किया था, फिर 60 रुपये किया फिर इलेक्शन आये तो 45 रुपये कर दिया परन्तु भा. ज. पा. ने इलेक्शन के टाइम घोषणा की थी कि विकास शुल्क 25 रुपये लगेगा तो माननीय मंत्री जी कोई घोषणा करें तो इस बात को ध्यान में रखें कि 25 रुपये से ज्यादा विकास शुल्क हम नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। माननीय मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष महोदय, 81 के अनुसार जोधपुर में....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, यह जयपुर का मामला है, प्लीज।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह तो सही बात है कि किस की जमीन अवाप्त नहीं हुई और क्यों नही हुई का मुद्दा दूसरा हो सकता है लेकिन यह तो तय बात है कि जयपुर में और राजस्थान के किसी भी शहर में जो समस्या आयी है, सहकारी समितियों के कारण समस्या बनी है उसका मौलिक कारण उस वक्त की सरकार के द्वारा परस्पेक्टिव हाउसिंग प्राब्लम को एनालाइज नहीं कर पाने की स्थिति रही है इस बात को स्वीकार करने में न कांग्रेस आड़े आनी चाहिए न भा. ज. पा. आड़े आनी चाहिए और पूरा सदन राजस्थान में जिस प्रकार की स्थिति है उससे उबरने की कोशिश करता नजर आना चाहिए, न कि इस बात के लिए कि जमीन वहां अवाप्त इसलिए नहीं हुई। विकास शुल्क 25 रुपये करने

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

की बात हमने चुनावों में कही लेकिन एक चीज अर्ज करना चाहूंगा मंत्री महोदय को, कि विकास के जो पैरामीटर्स तय किये गये हैं उनमें सीवरेज नहीं लिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर राजस्थान में सीवरेज सिस्टम नहीं डाला गया, विकास शुल्क को तय करने के बाद सीवरेज डालने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी तो आज के बीस साल बाद जयपुर और राजस्थान के शहरों में बड़ी प्राब्लम आने वाली है वह एक्यूट वाटर पाल्यूशन की प्राब्लम आने वाली है। अण्डर ग्राउण्ड वाटर टेबल को पाल्यूट करने में आज कंट्रीब्यूट करने में विकास शुल्क के अन्दर सीवरेज का हम प्रोविजन न डालें तो राजस्थान जो डेजर्ट में बसा हुआ है जो पानी की समस्या से पहले से लड़ रहा है उसमें 20 साल बाद वाटर टेबल को पाल्यूट करने की नीति निर्धारित कर लें। विकास शुल्क को तय करके और विकास में इस चीज को न जोड़ा तो मैं सोचता हूं कि यह एक नीतिगत निर्णय गलत हो जायेगा। जिस प्रकार से नीतिगत 20 साल पहले कांग्रेस के कारण गलत हुए जिसके कारण हाउसिंग प्राब्लम एक्यूट हुई और सहकारी समितियों की दिक्कत आयी। आज हम ऐसा निर्णय न ले बैठें जिसके कारण कल अण्डर ग्राउण्ड वाटर पाल्यूशन की दिक्कत आये। फिर मैं अर्ज करना चाहूंगा क्योंकि लगातार समस्या आती रही, कांग्रेस के सामने भी रही, उन्होंने तैयार की, हमारे सामने भी आ रही है इसका टाइम बाउण्ड डिक्लेरेशन करें, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में कन्वर्शन का महत्वपूर्ण सवाल है ...

श्री अध्यक्ष : यह कन्वर्शन का नहीं है, जयपुर का है। आप पढ़िये, इसमें लिखा है जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इसमें जोधपुर का नहीं आयेगा। आप बैठिये, जयपुर का सलटिये, फिर जोधपुर का उठाइये....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की, पता नहीं कहां से समझ में आपके आई यह बात, मकानों को कौन तोड़ना चाहता है? मैंने शुरू में भी निवेदन किया, मुख्य मंत्रीजी ने भी जब भी अवसर आया, कहा है कि जो मकान बन गये हैं उनको तोड़ने का सवाल ही नहीं है। जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर या सड़क पर ही बना लिये उनको छोड़कर बाकी मकानों को कौन तोड़ने वाला है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी कई बार इस बात को बताया है कि उनके तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसीलिए तो वह बोले हैं जोर से।

श्री भंवरलाल शर्मा : सरकार का कोई तोड़ने का विचार नहीं है और आपने कहा कि अल्सर एक्ट का बहाना मत बनाइये। यह बहाना नहीं है, यह समस्या है हमारे सामने उन कानूनों, नियमों का उल्लंघन हुआ है। उन उल्लंघनों में जमीनें फसी हैं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आप कहते हो बहाना मत बनाओ। मुझे लगता है यह समस्या पुरानी है इसलिए तकलीफ ज्यादा है मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं इसके लिए दोषी हम नहीं। आपका रोष तो ठीक है पर वह इधर क्यों होना चाहिए, जिन्होंने किया उनको होना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप नियमन करना चाहते हैं क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नियमन करना चाहते हैं, नियमन करेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कई बार कहा है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : नियमन करना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते। आप विकास शुल्क की दर घोषित कर दीजिए। हमें लगता है केवल विकास शुल्क के लिए ही मामला अटका हुआ है आप 25 रुपये की घोषणा कर दीजिए आप। लये तो सही ना .. (व्यवधान)

अगर बिना लिये करते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर लेना है तो 25 रुपये कर दीजिए, आपको क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने मेरी जो दिक्कत थी, आधे घंटे तक समझा दी कि दिक्कत यह है और इसको हम जल्दी ही हल करने का प्रयास करेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपका प्रेशर बढ़ जायेगा और मेरा भी बढ़ जायेगा, क्योंकि जोर से बोलना पड़ेगा मुझे। आप बैठिये। जवाब तो सुनिये पहले आप। पूरा जवाब भी हुआ नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : सरकार निश्चित रूप से इसका नियमन करना चाहती है। इन कानूनी पाबंदियों के लिए ही यह समझौते का निर्णय किया, ताकि कानून की उलझनों से कैसे बच सकें। इसलिए समय लगा है। (व्यवधान) आपने चुनाव से पहले क्या घोषणा की, मैंने क्या घोषणा की ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने, मैंने और सबने की।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आपने भी की थी।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, मैं कह रहा हूं, मैंने भी की थी। मैंने भी की है, तो मुझे ध्यान है और जो सुझाव आपने दिये हैं डवलपमेंट चार्जेज से सीवर लाइन के विकास के। जब निर्णय करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखा जावेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप विचार कीजिये कि आप 25 रुपये विकास शुल्क लेकर के कैसे विकास करेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी मैं इतना ही कह सकूंगा कि जो सुझाव आपने दिये हैं, जब इसका निर्णय करेंगे तो निश्चित रूप से उन पर विचार करेंगे और ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री मदन दिलावर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह कोई बात नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय जयपुर की आवासीय समस्या को लेकर सदन में बहुत चिन्ता व्यक्त की गई है। यह चिन्ता तो ज्यादा उस समय से आरम्भ हुई जब से मैंने अपने बजट भाषण में यह कहा था कि जो इस प्रकार के मकान बन गये, वे एक राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं, इनको हम नष्ट नहीं करना चाहते। उसके बाद से कुछ ज्यादा चिन्ता बढ़ गई। मैं ऐसा समझता हूं कि चिन्ता का समाधान होना चाहिये और चिन्ता इस बात की हो रही है कि किसके कहने से किस प्रकार की घोषणा किस समय हो जाय। ऐसी घोषणा मैं नहीं करने वाला हूं और न करूंगा, यह बता दूं आपको। वैसे तो आप सुनें। प्रश्न यह है कि मैं सदन में बोल इसलिए रहा हूं, अगर मुझे इस सम्बन्ध में गाइडेंस मिल जाय तो उस सम्बन्ध में निर्णय करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं रहेगी।

श्री रामकिशन : आप सारा काम गाइडेंस से करते हैं क्या? एक तरफ तो महिला सदस्या को धमका दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने इसकी भी गाइडेंस ली है। ऐसी बात नहीं है। मैं तो गाइडेंस का मतलब आपसे ही नहीं लेना चाहता। अकेले से गाइडेंस लेकर चलूंगा तो कहीं न कहीं डूबूंगा, यह तो निश्चित है। इसलिए मैं तो पूरे सदन से गाइडेंस ले रहा हूं।

प्रश्न यह आता है कि, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि 1981 में जो रूल्स बने, उन रूल्स के कारण यह समस्या पैदा हुयी। रूल्स में दो तरह के प्रावधान हैं। एक में भूमि का किस प्रकार का कन्वर्शन हो सकता है और दूसरे में किस प्रकार से भूमि का कन्वर्शन नहीं हो सकता है। तो जिस भूमि का कन्वर्शन हो सकता है, उस भूमि का कन्वर्शन हो जाय और कन्वर्शन होने के बाद में जे. डी. ए. में वो मामले गये। कई स्कीम्स का अप्रूवल हो गया और कई स्कीम्स का कई कारणों से अप्रूवल नहीं हुआ। वे कारण भी आपके सामने रख रहा हूं। अब अगर 2–3 समस्याएं हैं जिन पर मैं गाइडेंस लेना चाहता हूं। पहली तो ऐसी भूमि है जिनका लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट में नोटिस निकल गया और कई ऐसी भूमि है जिन पर लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट में नोटिस नहीं निकला। हाउसिंग बोर्ड या जे. डी. सी. के कब्जे में वह भूमि चली गई। उस भूमि पर, जो उस भूमि के मालिक थे, उनसे हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी ने बैक डेट में समझौता किया और 1981 में जो रूल्स हैं, उन रूल्स में एग्रीमेंट टू सेल का प्रावधान है, उसका लाभ उठाते हुए बैक डेट में उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल कर दिया। अब प्रश्न यह आता है कि इस प्रकार उस जमीन के लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के नोटिस जारी हो गये, जारी होने के बाद में व्यक्ति किसी प्रकार से टाइटल नहीं रहा, किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, उस जमीन को किसी प्रकार से डिस्पोज आफ नहीं कर सकता। उस प्रकार की जमीन पर मकान बन गये। अब एक तो प्रश्न आता है उनको किस प्रकार से रेगूलराइज किया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जाय, दूसरा प्रश्न आता है लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के तहत अवार्ड मिल गया, अवार्ड का पेमेन्ट कर दिया और पेमेन्ट करने के बाद जमीन हाउसिंग बोर्ड के कब्जे में चली गई या जिस काम के लिए जमीन का एक्वीजिशन किया गया था, उस जमीन को इस्तेमाल कर ली गई। उसके कुछ पोर्शन में या पूरे पोर्शन में लोगों ने मकान बना लिये, उनको किस प्रकार से रेगूलराइज किया जाय? तीसरा प्रश्न है, मैं माननीय हेतराम जी के सामने रखना चाहूंगा, प्रोफेसर केदार जी के सामने रखना चाहूंगा कि एस्टेट होल्डर्स एक्ट बना हुआ है। मैं इनके सामने प्रश्न यह रखना चाहता हूं कि एस्टेट होल्डर्स एक्ट में राजा-महाराजाओं की ऐसी जमीन जिस पर गवर्नमेंट के नाते उस जमीन को गवर्नमेंट के कब्जे में आनी चाहिये थी, उस प्रकार की जमीन हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी को दी, बैक डेट में एग्रीमेण्ट कर लिया, वहां पर उस एग्रीमेण्ट के आधार पर कोअपरेटिव सोसायटी के लोगों ने भूखण्ड आवंटित कर दिये और भूखण्ड आवंटित करने के बाद में लोगों ने अनअथोराइज्ड वे में कंस्ट्रक्शन करवा लिया। अब यदि उस लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट को रेगुलराइज करते हैं ऐसी भूमि को तो मुझे एस्टेट होल्डर्स की इस प्रकार की भूमि पर जो बने हुए मकान हैं, उनको भी रेगूलराइज करना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि इसमें न प्रोफेसर साहब को आपत्ति होगी और न हेतराम जी को किसी प्रकार की आपत्ति होगी। दूसरा प्रश्न आता है कि इसी प्रकार का अल्सर एक्ट है। यहां बहुत चर्चा हुई है कि गांवों के अन्दर तो लैण्ड सीलिंग लागू हुआ है और यहां पर अरबन लैण्ड सीलिंग लागू हुआ है। अरबन लैण्ड सीलिंग की माननीय कल्ला साहब को जानकारी होगी कि आप बहुत उदार हैं और जिस समय आप जाने लगे और जाते-जाते आपने लैण्ड सीलिंग एक्ट में कई प्रकार के एक्जम्पशन दे दिये। वे एक्जम्पशन वैसे नहीं देते लेकिन चुनाव था और चुनाव में....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप उचित नहीं समझते हैं तो निरस्त कर दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन आपने तो अपना काम पूरा कर दिया और एक्जम्पशन दे दी आपने और उस लैण्ड पर लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। अरबन सीलिंग की जो जमीन गवर्नमेण्ट में वेस्ट होने वाली थी, वे एग्रीमेण्ट टू सेल के नाते बैक डेट के अन्दर एग्रीमेण्ट टू सेल करके हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी ने ली और उस पर भी लोगों ने मकान बना लिये। यह तीसरी प्रकार की प्राब्लम आती है।

और चौथी प्राब्लम आती है कि लैण्ड गवर्नमेंट-फार टेम्प्रेरी परपजेज किसी को पोलट्री फार्म के लिए जमीन अलाट की, किसी को काश्तकारी के लिए जमीन अलाट की, किसी को गार्डन लगाने के लिए जमीन अलाट की, अलाटमेंट में पीरियड लिखा हुआ है कि यह 5 वर्ष के लिए अलाटमेंट है, यह 10 वर्ष के लिए अलाटमेंट है। जो खातेदार नहीं बने, जिनको किसी प्रकार का टाइटल नहीं मिला, उस प्रकार के लोगों ने हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी को जमीन सरेण्डर कर दी, उनसे भी एग्रीमेंट कर लिया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पांचवीं श्रेणी की जमीन ऐसी है कि गवर्नमेंट लैण्ड है, सिवाय चक है। उस जमीन पर लोगों ने फर्जी काश्तकार बने और फर्जी काश्तकार बनकर उन लोगों ने वह हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी को दी और यदि एग्रीमेंट टू सेल हो गया; एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद में लोगों को भू-खण्ड आवंटित किये और लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर लिये और जहां तक कंस्ट्रक्शन तोड़ने का सवाल है मैं इतना कह सकता हूं कि केवल वहीं कंस्ट्रक्शन तोड़े जायेंगे जो सड़क के बीच में आ गया हो, सड़क के अलावा कहीं स्कूल और पार्क की जमीन पर जिन लोगों ने मकान बना लिये हैं, वह जमीन तो चाहे कोई कितनी ही चिन्ता करें, इस प्रकार के मकान बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता चाहे बड़े ने बनाया हो, चाहे छोटे ने बनाया हो। करीब 10–15 मकानों के लिए पूरे जयपुर शहर को या उनकी कालोनी को परेशान नहीं किया जा सकता। ये एक तो कानून तोड़ते हैं और कानून तोड़कर सारी बस्ती का एक्सप्लायटेशन करें या बस्ती में किसी प्रकार की समस्या खड़ी करें, इस तरह की स्थिति तो किसी हालत में मंजूर होगी नहीं।

अब प्रश्न आता है कि जिस सोसायटी ने यह सब कुछ किया है, उस सोसायटी के मैम्बर तो पैसा लेकर भाग गये। उन पर तो हमने केसेज रजिस्टर कराये, उनके सारे रिकार्ड को जब्त किया और रिकार्ड को जब्त करने के बाद में आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा दे सकते हैं। कानूनन उनको सजा देना यह भी एक समस्या है और सजा मिल गयी तो 6 महीने की मिल जायेगी, एक वर्ष की मिल जायेगी, दो वर्ष की मिल जायेगी लेकिन जो कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाया है, गवर्नमेंट की जमीन पर उन्होंने एनक्रोचमेंट कर लाभ कमाया है और उनसे रिकवरी तो करनी है। और उस दृष्टि से हमने विचार करके इन सारे मकानों को, जो मकान कम्युनिटी सर्विस में या कम्युनिटी के वैलफेयर के लिए बाधक नहीं है, इस प्रकार से मकानों को रेगूलराइज किया जाये। अब रेगूलराइज करने के लिए भी गवर्नमेंट यह विचार कर रही है कि उनसे किस प्रकार की फीस वसूल की जाय। जिन्होंने गवर्नमेंट की जमीन पर कब्जा किया है, उनसे फीस ज्यादा ली जायेगी और जो गवर्नमेंट में आने वाली थी, जैसे एस्टेट होल्डर्स एक्ट या अल्सर एक्ट की जो गवर्नमेंट की जमीन जो कब्जे में आने वाली थी, उस पर जिन लोगों ने कब्जा किया है, उनकी रेट्स अलग होगी और बाकी रेट्स अलग होगी। एस. टी., एस. सी. की जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा कर लिया, उस जमीन के बारे में अलग निर्णय लिया जायेगा, एक स्लेब सिस्टम बनाया जायेगा, जो प्योरली गवर्नमेंट लैण्ड है उस पर कब्जा किया उसकी रेट्स कुछ और, जो गवर्नमेंट में आने वाली थी उस जमीन पर कब्जा किया उसकी रेटस कुछ और होगी और इस प्रकार की जो जमीन सरकारी थी, चाहे यह अरबन सीलिंग में या बाकी के इसी तरह की सीलिंग एक्ट की जमीन हो, उनकी रेट्स अलग होगी।

अब आता है डवलपमेंट चार्जेज का प्रश्न। मैं ऐसा समझता हूं कि डवलपमेंट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चार्जेज से आप क्या काम करना चाहते हैं ? डवलपमेंट चार्जेज में आप रोड बनाना चाहते हैं, डवलपमेंट चार्जेज में आप सीवरेज लाना चाहते हैं, डवलपमेंट चार्जेज से आप पार्क लगाना चाहते हैं, डवलपमेंट चार्जेज में आप पानी का प्रबन्ध करना चाहते हैं, डवलपमेंट चार्जेज में आप बिजली का प्रबन्ध करवाना चाहते हैं, डवलपमेंट चार्जेज में आप अस्पताल या चिकित्सा सुविधाएं लाना चाहते हैं। वहां क्लब्स चाहते हैं, ये सब कुछ चाहते हैं।

आज कोई 40 और 45 का क्वेश्चन नहीं है, 10 का भी क्वेश्चन नहीं है। आखिर गवर्नमेण्ट उस एरिया का डवलपमेंट नहीं करायेगी तो प्राब्लम किसके सामने खड़ी होगी। वहां के रहने वालों के साथ। यह चार्जेज का क्वेश्चन नहीं है उनको सुविधाएं देने का क्वेश्चन है। किस प्रकार से उनको सुविधाएं दी जा सकती हैं। यह क्वेश्चन इम्पार्टेण्ट है। इसलिए पहले गवर्नमेण्ट ने एक कमेटी बनायी थी उसके बाद में उन्होंने जो पैरामीटर्स तय किये उन पैरामीटर्स के बाद में फिर पैरामीटर्स बदले, तो यह सदन के माननीय सदस्य कहते हैं कि 25, मैं तो 5 रुपये में आपका डवलपमेण्ट चार्जेज करना चाहता हूं। एक पैसा भी आपसे लेना नहीं चाहता लेकिन कह दीजिये सड़क बनाने की आवश्यकता नहीं है, यह कह दीजिये कि वहां पर किसी प्रकार की बिजली की आवश्यकता नहीं है, यह कह दीजिये कि वहां पर पानी की आवश्यकता नहीं है, वहां हास्पिटल की आवश्यकता नहीं है। यदि यह आवश्यकता····

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : अब आज याद आ रहा है जब इधर बैठते थे तो आपको याद कैसे नहीं आया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता दूंगा, आप बिराजो।

श्री हेतराम बेनीवाल : देर आये दुरुस्त आये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देर आये दुरुस्त आने का सवाल नहीं है। बात यह है कि लास्ट ईयर यह थे नहीं। अब पांच वर्ष की सारी घटनाक्रम इनको तो मैं अभी बता नहीं सकता।

श्री देवेन्द्र सिंह : मुझे सब मालूम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मत खड़े हो, आपको पता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : यह तो सरकार का नैतिक दायित्व है। नैतिक दायित्व अगर नहीं है तो आप लोग क्यों ले रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बीच में कहां खड़े हो गये सेंसीबल बात की है। यह जरूरी है कि आपके पीछे कोई बोले उसी तरह की बात आप करें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज ऐसी स्थिति में डवलपमेण्ट चार्जेज कोई इश्यू नहीं है। इश्यू यह है कि उस एरिया का डवलपमेंट होना चाहिये। क्यों, कल्ला साहब ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : निर्णय में देरी मत करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देरी नहीं होगी जल्दी ही कर रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई भी अन अथोराइड आकुपेंट है उसको क्रिमनल आफेंस डिक्लेयर कर दो सब ठीक हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय हेतरामजी, मतलब यह हुआ कि पहले उन्होंने कहा कि तुम चोरी कर लो और अब चोरी कर ली तो कहते हैं कि इन चोरों को पकड़ो। यह दोनों बातें कैसे होगी ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अपने स्टेट के लिए ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तोड़ूंगा तो ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम होगी या नहीं तोड़ूंगा तो होगी, यह मुझे बता दो। मकान तोड़ने से ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम होगी या नहीं तोड़ने से होगी ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : नाजायज कब्जों की प्राब्लम हो जायेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सब काम आप हमारे कहने से ही करते हो क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो आपके कहने से ही करता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वही करते हो तो आपकी मर्जी होती है फिर हमको क्यों पूछते हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चाहे मानें या ना मानें, मैं तो आपके कहने से ही करता हूं। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, इसलिए माननीय सदस्य उत्तेजित हो रहे हैं डवलपमेण्ट चार्जेज, डवलपमेण्ट चार्जेज।

पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से बने हैं उसको आप यह समझते हैं कि बहुत सरल है, एक दिन में बैठ कर कर लें, मैंने कल ही अध्ययन किया है, अध्यक्ष महोदय, 13 एक्ट में अमेण्डमेंट करना पड़ेगा और नत्थीसिंह जी को खुद को मालूम है, एक दिन हमने लिस्ट भी बनायी थी, 13 एक्ट में अमेण्डमेण्ट करना पड़ेगा और बिना एक्ट के अमेण्डमेंट के मैं आज घोषणा कर दूं तो कल ही गले पड़े जाय कि आपने तो यह घोषणा कर दी थी, यह क्यों नहीं हो रहा है। आखिर एक्ट में परिवर्तन होगा, नये नियम जो बने हुए नियम हैं उनमें परिवर्तन होगा। जो स्लेब सिस्टम की बात रखी वह स्लेब सिस्टम बनाना पड़ेगा। डवलपमेण्ट किस-किस प्रकार का, डवलपमेण्ट किस-किस कालोनी में होगा उसके आधार पर चलना पड़ेगा। तो चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है, चिन्ता मुझे भी है बहुत जबर्दस्त चिन्ता है। मैं समझता हूं कि इस प्राब्लम का सोल्यूशन हमने कर दिया तो जनता के सामने एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर पायेंगे। इसलिए इस पर 45 से 25 लेवें, आपने कहा था। 25, मैं तो एक पर आने को तैयार हूं। ऐसा आपको सीधा आदमी कोई मिलेगा नहीं। आप 25 की मांग कर रहे हैं, मैं एक पर आने को तैयार हूं। ऐसी स्थिति में इतना ही निवेदन करूंगा कि इस मामले में जिस गति से सरकार चल रही है, वह ठीक है, आपको आश्वासन यह दे सकता हूं जितनी जल्दी हो सके, रोज हम भी लगे हुए हैं, एक-एक कानून का अध्ययन कर रहे हैं,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

क्या-क्या संशोधन करना है। लोगों को मकान बनाने की इजाजत दे दें कोई उसमें लूप होल्स रह जायं और टाइटल को लेकर कोई कोर्ट में चला जाय वह संकट उसके सामने भविष्य में नहीं रहे इन सब का इन्तजाम करने के साथ इसकी व्यवस्था करेंगे। मैं समझता हूं सदन में जिस प्रकार से मुझे सुना है मैंने जो बातें कही हैं उसका स्वतः ही समर्थन मिलता है।

श्री अध्यक्ष : श्री दिलावर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक छोटा सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कोई अब प्रश्न नहीं है, आप बिराजें। आल रेडी एक घंटा हो गया।....श्रीमती उजला जी का नोट नहीं होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपका अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) आप बिराजें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : विधायकों के बोलने का राइट—

श्री अध्यक्ष : आप रूल्स देख लेना। डिस्कस कर लेना।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज आप सुबह से ही ऐसा ही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप डिस्कस कर लेना। मेरी बिना इजाजत के कोई भी मैम्बर नहीं बोल सकता और बोलेगा तो अंकित नहीं होगा। आप डिस्कस कर लेना मेरे से।

श्री बुलाकीदास कल्ला : फिर स्वतंत्रता कहां रही ?

श्री अध्यक्ष : स्वतन्त्रता मेरी इजाजत से होगी, आसन की बिना इजाजत से कोई स्वतन्त्रता नहीं है। यह रूल है, आप रूल्स की बात कर लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वह जानते हैं। चीफ व्हिप रहे हैं, सब जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अटरू जिला कोटा में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का कार्यालय

श्री मदन दिलावर (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं अटरू जिला कोटा में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का कार्यालय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रामनारायण विश्नोई (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, अटरू कोटा में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का कार्यालय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

पंचायत समिति, अटरू में एक सहायक अभियन्ता कार्यालय (ग्रा. वि.) के अन्तर्गत विद्युत कार्य हेतु अटरू में मई, 1984 से

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

पूर्व तक कार्यरत था । ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कार्य लगभग पूर्ण हो जाने के कारण व कार्यभार कम हो जाने के कारण, कोटा वृत्त के पुनर्गठन के समय (23 मई, 84) को उक्त कार्यालय राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, छबड़ा के अधीन कर दिया गया । मण्डल की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा मितव्ययता की दृष्टि से अटरू में सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अन्य स्थानों के प्रस्तावों पर विचार करते समय इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जायेगा । पिछले दस वर्षों में जहां ग्रामीण विद्युतीकरण का तेज गति से विस्तार हुआ है वहां भर्ती पर प्रायः रोक रही है । मौजूदा आर्थिक संकट को देखते हुए इस कमी को एक साथ पूरा करना सम्भव नहीं है । पंचायत समिति, अटरू के 130 ग्रामों में से मार्च, 1990 तक लगभग 109 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, 5 ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 1990–91 में जवाहर योजना के अन्तर्गत करवाया जा रहा है । ग्रामों की सूची निम्नानुसार है :—

(1) देवपुरा, (2) किशनपुरा, (3) नरसिंहपुरा, (4) रायलाई और (5) खुरली रावन ।

ग्राम बिछालस, खानपुरिया, करडिया हाडा में 11 के. वी. लाइन खींच कर विद्युतीकरण किया गया था लेकिन आंधी-तूफान के कारण इन उक्त लाइनों के कुछ पोल क्षतिग्रस्त हो गये हैं । ग्राम देवपुरा कोड नम्बर 25/10/114 विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत है जिसका कार्य माह मार्च, 1991 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है । उपरोक्त ग्रामों में अब तक कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । अतः इन क्षतिग्रस्त लाइनों को संसाधनों की कमी के कारण ठीक नहीं किया जा सकता । अब इन लाइनों की मरम्मत का कार्य जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ठीक करने के प्रयास किये जायेंगे ।

(3.30 म. प.)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि 1984 तक वहां कार्यालय स्थित था पर वहां कार्य पूर्ण होने पर उस कार्यालय को छबड़ा कार्यालय में मर्ज कर दिया गया और फिर दूसरी तरफ आपने जवाब दिया है कि गांव बिछालस, खानपुरिया, करडिया हाडा में 11 के. वी. लाइन खींची थी परन्तु वह खम्भे आंधी और तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हो गये । मैं मंत्री महोदय से कहता हूं कि उस समय जो विद्युत विभाग के मंत्री महोदय थे उन्होंने घपला किया था इसलिए उनको बचाने का प्रयास मत करना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम सेकहना चाह रहा हूं कि इसमें यह बात कही है कि मितव्ययता के कारण सहायक अभियन्ता कार्यालय अटरू में खोलना उचित नहीं है । परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर पहले कार्यालय था । सारी सुविधाए हैं, वहां भवन हैं चार पांच लाख रुपये की लागत का, वह क्षतिग्रस्त होता जा रहा है ।

(श्री मदन दिलावर)

यदि वहां कार्यालय नहीं खोला तो सरकार को चार पांच लाख का घाटा तो वैसे ही होने वाला है। दूसरा वहां जे.ईएन. आफिस है और चपरासी वगैरह मौजूद हैं, केवल सहायक अभियन्ता और दो-तीन बाबू और भेजने पड़ेंगे उससे काम चल सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाह रहा हूं कि 100 किलोमीटर चलकर किसानों को बिल जमा कराने के लिए छबड़ा जाना पड़ता है। उसमें मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि जनता का पैसा आता है, सरकार के पास उसमें मितव्ययता बरती जायेगी परन्तु किसान का जो पैसा खर्च होता है। 100 किलोमीटर बस का किराया देकर या ट्रेन में बैठकर समय बरबाद करके छबड़ा जाता है छोटीसी जानकारी के लिए और जानकारी नहीं मिलने पर पुनः 100 किलोमीटर चलकर वापस आता है। इससे कितने काश्तकारों का, कितने किसानों का पैसा बरबाद होता है। मंत्री महोदय ने इसका ध्यान नहीं रखा है। मैं समझता हूं कि सरकार के पास आने वाला पैसा भी जनता का होता है और जनता के पास जो पैसा है वह भी जनता का होता है।

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है आपका ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, किस प्रकार वहां के लोग सहायक अभियन्ता कार्यालय नहीं होने से प्रभावित हैं और मितव्ययता की बात कही गयी है वह आपको बता रहा हूं।

दूसरी बात आपने जानकारी दी है कि ग्राम बिछावर, खानपुरिया विद्युतीकृत कर दिये गये थे पर मैं सदन में कह रहा हूं कि उस गांव में दूर-दूर तक एक भी खंभा और तार नजर आये तो आप मेरे को दण्ड दें वह मैं पा सकता हूं। जो उधर बैठते थे वह मंत्री महोदय सारा का सारा डकार गये हैं और खा गये हैं। मंत्री महोदय इसकी निष्पक्ष जांच करिये कि कौन मंत्री दोषी है, कौन अधिकारी दोषी है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सजा दिलानी चाहिए। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि यदि अटरू में सहायक अभियंता कार्यालय नहीं खोला गया तो किस प्रकार जनता की गाढी कमाई का पैसा बरबाद होगा। मैं निवेदन करता हूं कि जनता की गाढी कमाई का पैसा बचाने के लिए और किसानों को राहत देने के लिए और छबड़ा में मर्ज करने में जो बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है और विद्युत में अनियमितता हो गयी है उससे इस क्षेत्र को बचाने के लिए सहायक अभियन्ता कार्यालय अटरू में खोलना चाहिए। आप आश्वासन दें।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना बिल्कुल सही है कि अटरू से छबड़ा जाने के लिए, लोगों को अपने बिल का पैसा जमा कराने के लिए दुविधा होती है। इसलिए मैंने यह कहा है कि अन्य स्थानों पर भी ए. ईएन. आफिस खोलने का

(श्री रामनारायण विश्नोई)

विचार चल रहा है। उसमें इस पर गंभीरता से विचार किया जायेगा।

सदन की मेज पर रखें गये पत्रादि प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, भारत के नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1988 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या–3 (सिविल)

II. विनियोग लेखे वर्ष 1987–88 एवं

III. वित्त लेखे वर्ष 1987-88

सदन की मेज पर रखता हूं।

अनुपूरक अनुदान की मांगें

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 1990–91) का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1990–91 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर विचार। माननीय मंत्रीजी।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या–21, सड़कें एवं पुल तथा मांग संख्या–26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई की प्रस्तुति

श्री बुलाकीदास कल्ला : कल आपकी हिदायत देने के बाद भी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-21, सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,90,91,41,000 रुपये (एक अरब नब्बे करोड़ इक्यानवे लाख इकतालिस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : दूसरी भी कर दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,69,24,93,000 रुपये (दो अरब उनहत्तर करोड़ चौबीस लाख तिरानवें हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या–21 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या–21 मुख्य शीर्षक सड़कें एवं पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

1. तहसील कोटपूतली में सड़क निर्माण कार्य में शिथिलता बरतने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

2. तहसील कोटपूतली में रघुनाथपुरा-मोर्दा, सुजातनगर सम्पर्क सड़क को राष्ट्रीय मार्ग नम्बर 8 से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. बानसुर कोटपूतली के बीच सावी नदी का पुल जो दो जिलों का एक मात्र मार्ग है उसे शीघ्र नहीं बनाये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिए।

4. कोटपूतली तहसील में एक भी नई सड़क व पुल स्वीकृत नहीं किये जाने पर व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) :

5. जालौर जिले के सांचौर सुराचन्द रोड पर खासखी नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) :

6. भीलवाड़ा एवं जसबेनपुरा की कई वर्षों की पुरानी सड़कों पर अभी तक डामर नहीं बिछाने से उत्पन्न परेशानी पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

7. बाड़मेर जिले के 2700 की आबादी वाले तामजीयार ग्राम को सड़क से जोड़ने पर चर्चा के लिये।

8. बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में सीमा विकास कार्यक्रम के तहत खुईयाली से सम चौजक से बईया वाया भंमारा जिन्जनी पाली से सतो वाया बईया-गडरा रोड-कैलनोर सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. विभाग द्वारा बाड़मेर जिले में अकाल राहत के तहत बनी सड़कें व कृषि उपज मंडी के तहत बनने वाली सड़कों की मरम्मत नहीं करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

10. जिला बाड़मेर में गागरिया, देतानी-सनाई, गंगाली, मौखाब काशमीर की अपूर्ण सड़क पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. बाड़मेर जिले के गूंगा से मोढा वाया स्वामी का गांव पक्की सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. जिला बाड़मेर के गडरा रोड से कैलनोर सीमावर्ती सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. जिला बाड़मेर के सांगली फोन्रा से रतडेरी मटल्ड सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. बाड़मेर जिले के सवाई परमसिंह से शहर तक मेटल सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. बाड़मेर जिले के ग्राम सवाई परमसिंह से उन्डू वाया रतेई पक्की सड़क बनाने पर चर्चा के लिये।

(श्री अमीन खां)

16. जैसलमेर जिले के फतेगढ़ से डांगरी तक पक्की सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

17. जैसलमेर से जीन्जनीयाली सड़क निर्माण का कार्य धीमी गति से चलने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये ।

18. बाड़मेर जिले की एप्रोच रोड खीनी-योनी—टूटी हुयी व रेती से दबई रोड को सही बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

19. बाड़मेर जिले के ग्राम खुडानी से गिराब सड़क बनवाने हेतु चर्चा के लिये ।

20. बाड़मेर जिले के गनेहर से सून्द्रा तक की अपूर्ण सड़क को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

21. बाड़मेर व जैसलमेर जिले के ग्राम कोहरा से मुगेरिया वाया लखा सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

22. जिला बाड़मेर के तहसील मुख्यावास से नागड़दा सड़क पक्की बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

23. बाड़मेर जिले की गिराब जिन्जनीयाली सीमा विकास के तहत सड़क बनाने की स्वीकृति रद्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

24. राज्य में सड़कों की स्वीकृति देने में पक्षपातपूर्ण निर्णय किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

25. सम्भागीय मुख्यालयों की सड़कों के रखरखाव हेतु उपलब्ध राशि के आवंटन में बीकानेर शहर के साथ पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने पर चर्चा के लिये ।

26. बीकानेर शहर के बीच से रेल गुजरने से चार रेलवे फाटकों के बन्द होने से आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों तथा इन फाटकों की समस्या का स्थायी समाधान करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भेजे गये पत्र पर अग्रेतर कार्यवाही करने में विभाग द्वारा जान बूझकर शिथिलता बरतने से उत्पन्न स्थिति के सन्दर्भ में चर्चा के लिये ।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) :

27. राज्य में सड़कों की मरम्मत बजट प्रावधानों के बावजूद नहीं करने व बिना मरम्मत के प्रति वर्ष फर्जी बिल उठा लेने की प्रवृत्ति व मरम्मत के नाम पर छोटी-मोटी खाना पूर्ति बताकर ठेकेदारों व अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितता पर चर्चा के लिये ।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

28. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण को अधूरा छोड़ दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

29. स्टेट हाई-वे नम्बर 10 का अभी तक डामरीकरण नहीं करने से लोगों को

(श्री कुबेर सिंह)

आवागमन में होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये ।

30. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) की सड़कों के निर्माण एवं रख रखाव हेतु पर्याप्त धनराशि का प्रावधान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

31. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में विभाग द्वारा की जा रही अनियमितताओं से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) :

32. जिला सवाई माधोपुर की तहसील नादोती में विभिन्न योजनाओं के तहत वर्षों से अधूरी पड़ी सड़कों को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

33. जिला सवाई माधोपुर के धार्मिक स्थान मेहन्दीपुर बालाजी में बाई पास रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

34. सवाई माधोपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में विभिन्न योजनान्तर्गत बनी अधूरी सड़कों को जल्दी पूर्ण कराने के बारे में चर्चा के लिये ।

35. सवाई माधोपुर जिले में महावीरजी से टोडाभीम तक की अधूरी सड़क को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

36. भोलाजी वसई राष्ट्रीय मार्ग नम्बर 8 से जोड़ा जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

37. राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 पर कोटपूतली चौराहे पर सर्किल नहीं बनाये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती मदन कौर (गुडामालानी) :

38. सड़कों पर गति अवरोधक स्थान के चयन हेतु उचित कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

39. गति अवरोधक स्थान पर जेब्रा चिन्ह अंकित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

40. लूनी नदी पर सिणधरी बाड़मेर सड़क पर रपट (काजवे) निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

41. लूनी नदी पर गुडामालानी एव रतनपुर (जिला बाड़मेर) के बीच रपट के निर्माण हेतु चर्चा के लिये ।

42. मरुस्थलीय रेतीले क्षेत्र में गर्मियों में सड़कों को चालू रखने हेतु विभाग द्वारा कारगर प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

43. अकाल राहत के अंतर्गत निर्मित सड़कों के रखरखाव हेतु बजट प्रावधान नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

44. राज्य में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये ।

(श्रीमती मदन कौर)

45. बाड़मेर जिले की सड़कों के संधारण (मेन्टीनेन्स) में शासकीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

46. राज्य के तमाम गांवों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) :

47. नागौर से वासनी आकरोद रोड की साइडें बनाने तथा इस रोड की मरम्मत वर्षा से पहले करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. नागौर से खिवसर तक स्टेट हाईवे के साइड़ों का निर्माण तथा रोड को डबल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. नागौर विधान सभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों को एक-दूसरे से सम्पर्क सड़क से जोड़ने के कार्य को पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. इन्दास से नागौर तक पक्की सड़क बनायी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. कालड़ी खड़काली गांवों को नागौर फलौदी रोड की पक्की सड़क से जोड़ा जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) :

52. विधान सभा क्षेत्र नैनवा के खनिज दोहन की दृष्टि से फोकानाडा से इन्द्रगढ़ वाया फुटतालाब की सड़क निर्माण के प्रति सरकार की उपेक्षावृत्ति पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

53. सड़कों के टूट जाने के बाद उनके पुनः निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डौली) :

54. ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कें नहीं होने से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

55. जयपुर जिले की आमेर तहसील के आंधी ग्रामवासियों की अच्छी गुणवत्ता की संगमरमर की खानों तक जाने हेतु सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. झुन्झुनू जिले की चिड़ावा तहसील के ग्राम जेड़िया को सुलताना कस्बे से जोड़ने हेतु सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. झुन्झुनू जिले के चिड़ावा तहसील के बास छापड़ा की सड़क से ग्राम दुधवा और दूदी को जोड़ने पर चर्चा के लिये।

58. झुन्झुनू जिले की सड़कों की अत्यन्त दयनीय अवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल सिंह (आहोर):

59. आहोर जिला जालौर में ग्राम रामा से नीलकंठ ग्राम होती हुई जो सड़क मोकलसर जाती है उसके डामरीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. आहोर क्षेत्र के ग्राम गुडिया से ग्राम रायफल तक वाया कवराड़ा, चांदराई शंखवाली, बावड़ी भवरानी रायफल के डामरीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा):

61. देई से लीलदां सड़क पर ग्राम लीलदा के पास अधूरी पुलिया के निर्माण को पूरा करवाने हेतु चर्चा के लिये।

62. बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मुख्यालय माणी को सम्पर्क सड़क से जोड़ने बाबत चर्चा के लिये।

63. ग्राम पंचायत मुख्यालय भजनेरी तहसील नैनवां को सम्पर्क सड़क से जोड़ने हेतु चर्चा के लिये।

64. देई, भजनेरी मुख्य सड़क स्थित ग्राम पाण्डूला तक पहुंच हेतु पुलिया निर्माण करवाने पर चर्चा के लिये।

65. देई से बांसी सड़क पर पड़ने वाली भजनेरी नदी पर पुलिया निर्माण नहीं करने के कारण आवागमन में होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

66. ग्राम पंचायत मुख्यालय गम्भीरा गांव के बीच पुलिया निर्माण में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

67. उनियारा-नैनवां मुख्य सड़क पर स्थित खासपुरिया ग्राम से गम्भीरा पंचायत मुख्यालय तक बनी हुई कच्ची सड़क को पक्का करने पर चर्चा के लिये।

68. पंचायत समिति तालेड़ा में आने वाले ग्राम पंचायत मुख्यालयों बम्बोरी, भैरूपुरा ओझा, रायथल रुयावदा, लालपुरा आदि को सड़क मार्ग से जोड़ने पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर):

69. जिला बांसवाड़ा के गांव विरपुर से बोरीया तक के सड़क निर्माण कार्य में की जा रही अनियमितताएं व भ्रष्टाचार पर चर्चा।

70. राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा के गांव दानपुर-घंटा की सड़क पर पुल नहीं बनाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

71. राज्य सरकार द्वारा नवागाम से देवगढ़ तक की सड़क का कार्य नहीं करवाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

72. जिला बांसवाड़ा के गांव संगे श्री से महेशपुरा सड़क का कार्य निर्माण कार्य पूरा नहीं करने पर चर्चा के लिये।

73. विरपुर से महेशपुरा वाया नल्दा सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने में सरकारी निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

74. जिला बांसवाड़ा के घोटीया आम्बा वाया बारीगामा रोड का निर्माण कार्य

(श्री बहादुर सिंह)

पूरा नहीं करने से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये ।

श्री सोमा (बागीडोरा) :

75. गढ़ी जौलान रोड़ की मरम्मत करवाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

76. गढ़ी से वाया अनन्दपुरी रोड़ की मरम्मत करवाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

77. भीलवाड़ा जिले में हुये सड़क निर्माण कार्यों में बरती गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

78. भीलवाड़ा जिले के अधिकारियों एवं अकर्मण्यता एवं निष्क्रियता से निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

79. भीलवाड़ा तहसील के सियार ग्राम से पीपला तथा महेशपुरा वाया कलुन्दिया सड़क को बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

80. भीलवाड़ा तहसील के तस्वारिया से सीदडियास वाया आकोला सड़क के अधूरे कार्य को पूरा करवाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

81. भीलवाड़ा तहसील के कान्या खेडी से वरडोदा तक सड़क बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

82. भीलवाड़ा तहसील की अधूरी ग्रेवल सड़कों को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

83. भीलवाड़ा तहसील के दलेड-दांयला सड़क तथा सांगानेर व केकड़ी सड़क निर्माण में बरती गयी पक्षपात पूर्ण नीति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री हेमराज (किशनगंज) :

84. वर्नी प्रोजेक्ट को आठवीं योजना में सम्मिलित करने हेतु राज्य के बजट में प्रावधान करने पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) :

85. नैनवा से दुगारी सड़क के बीच पुलिया निर्माण हेतु अपर्याप्त राशि आवंटित की जाने पर चर्चा के लिये ।

86. बामण गांव से केथूदा सड़क पर पुलिया निर्माण हेतु बजट अपर्याप्त राशि आवंटित की जाने पर चर्चा के लिये ।

87. रजलावता से बामण गांव सड़क के लिए पुलिया निर्माण हेतु सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

88. नैनवा से जिला सीमा तक की सड़क के निर्माण हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

89. माटून्दा से रायथल सड़क के लिए अपर्याप्त राशि आवंटित की जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री मदनलाल सैनी (गुढा) :

90. डूडलोद रेलवे स्टेशन से कारो जारवल, टाटनवाड़ा की सड़क जीर्ण-शीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

91. सागोली से सुरपुरा, सराय, ककराना से माधोगढ़ कीक, नेवरी से गुढ़ा, उदयपुरवाटी से गिरधरपुरा, जहाज, कालसियों की ढाणी से पचलंगी, बागोली से जोधपुर होते हुए हरिपुरा, सुरसा सराय, नाहरबाडी से छापोली, मोडरी से जमात माता, सिगनोर से भीलों की ढाणी वजावा से छऊ धमोरासे से थोलाखेवा तथा गुढ़ा मोड जी से भोजगढ़ वाया वासड़ी तक की सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

92. वागोली-सुरपुरा (उदयपुरवाटी) नदी पर पुल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

93. तिवाड़ी की ढाणी से आगे कोटड़ा के नाले पर पुल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

94. उदयपुर वाटी तहसील तथा झुन्झुनू जिले की सड़कों के रख-रखाव एवं निर्माण में सरकार की उपेक्षावृत्ति पर चर्चा के लिये ।

श्री रखबचन्द मीणा (प्रतापगढ़) :

95. चुपनासे कोटड़ी सड़क की शिवना नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

96. गोतमेश्वर से सालमगढ़ तक सड़क निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

97. अरनोद से जाजली तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

98. मचुण्डला से चकुण्डा तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

99. रायपुर से दानपुर तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

100 सालमगढ़ से बोरी धंटाली दानपुर तक की सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

101. प्रतापगढ़ से झौसड़ी तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

102. अबलेश्वर से असवता तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

103. प्रतापगढ़ से चिनीया खेड़ी तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

104. प्रतापगढ़ से रामपुरिया, मुगाणा तक सड़क निर्माण न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

105. सुहागपुरा से अचलावदा तक सड़क निर्माण के अभाव से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय-पाटन) :

106. बून्दी जिले के खनन क्षेत्रों में सड़कों के अभाव से वाहनों, मजदूरों एवं ग्राम जनता को हो रही भारी परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (लूणकरणसर) :

107. महाजन तोपाभ्यास के तेतीस ग्रामों खाजूवाला, छतरगढ़ एवं युगल क्षेत्र में बसाये जाने के चार वर्ष पश्चात् भी इन्हें सड़कों से नहीं जोड़े जाने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

108. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में अधिकतर ग्राम पंचायत मुख्यालयों को पक्की सड़कों से नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

109. वर्तमान सरकार द्वारा लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में एक भी नयी सड़क मंजूर नहीं करने से जनता में फैला असन्तोष पर चर्चा के लिये।

110. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में बनने वाली प्रत्येक नई सड़क एवं पेच अप पर ईमानदार अधिकारियों की कमी से फैल रहे भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. ग्राम पंचायत राणेर मय दामोलाई के गांव राणेर के निकट ग्राम रास्ते पर बने पुलिया के दोनों ओर मिट्टी कटाव से ऊंचा होने पर यातायात में उत्पन्न हुई बाधा पर चर्चा के लिये।

112. लूणकरणसर से सरदार शहर सड़क निर्माण में विभागीय कर्मचारियों की ठेकेदार से मिली भगत होने से बढ़ते भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

113. लूणकरणसर से सरदार शहर वाया कालू तक सड़क पुनः निर्माण पर एस्टीमेट के मुताबिक परत एवं सामान न लगाने पर चर्चा के लिये।

114. महाजन से सूई वाया शेरपुरा सड़क निर्माण सूई तक न करके शेरपुरा तक करके ही रोक देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

115. बीकानेर से लूणकरणसर तक राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 10 पर क्रोस करने वाले वाटर कोर्सेज पर बनी पुलियायें टूट जाने से बढ़ रही दुर्घटनाओं पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) :

116. सौन्दर्यकरण और कनसोलिडेशन के नाम पर बजट का अधिकाश हिस्सा शहरों पर खर्च कर ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से वंचित रखने पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) :

117. तहसील बस्सी की पुरानी सड़कों की मरम्मत की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

118. तहसील बस्सी की पालावाला नाटान से चतरपुरा पालावाला जाटान से अभयपुरा तथा अचलपुरा से गोनेर वाया विशनपुरा सड़कों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

119. तहसील बस्सी में लालगढ़ से नेशनल हाईवे आगरा रोड वाया चारणवास, सुजानपुरा, कोढियां, झरि आदि सड़क को बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

120. आगरा रोड राजाधोक से चैनपुरा (बस्सी) तथा आगरा रोड से भोन्यावाला वाया दीपपुरा की सड़कों का कार्य प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

121. चाकसू से कोट खावदा रोड के मध्य ढून्ड नदी पर पुलिया या रपट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

122. बस्सी से नईका नाथ (तहसील बस्सी) सड़क पर बन्द पड़े मिट्टी के कार्य को पुनः चालू करवाने हेतु चर्चा के लिये ।

123. तहसील चाकसू से दौलतपुरा वाया गरुडवासी तक बनायी जा रही सड़क पर 10 कि.मी. तक मिट्टी एवं 7 कि. मी. तक कुटाई हो जाने के बाद कार्य बंद कर देने पर चर्चा के लिये ।

124. तहसील बस्सी से सिन्दोली वाया हिम्मतपुरा सड़क का स्वीकृत कार्य प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

125. पिलिया से गढ़ वाया खातेपुरा तहसील बस्सी की अपूर्ण रोड को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

126. तहसील बस्सी में गढ़ की कोठी से राजपुरा पातलवास स्वीकृत सड़क का कार्य चालू करवाने हेतु चर्चा के लिये ।

127. तहसील बस्सी की 1987-88 में स्वीकृत गोनेर से खिजूरिया ब्राह्मण वाया विशनपुरा सड़क का निर्माण कार्य चालू किये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

128. तहसील बस्सी की सामरिया से कोट खावदा तक की स्वीकृत सड़क का कार्य शीघ्र आरम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

129. तहसील चाकसू की कोट खावदा से देहलावाला सड़क का बन्द कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

130. तहसील बस्सी की दणाऊ से काशीपुरा वाया चैनपुरा, घासीपुरा, बाढ, रामपुरा कुल 4 कि.मी. सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

131. अचलपुरा तहसील बस्सी से गोनेर वाया रूपपुरा, बालावाला सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

132. तहसील बस्सी में ग्राम भून्डली सामरिया कोटखावदा रोड़ से रूपाहेड़ी वाया शंकरपुरा, काशीपुर, चैनपुरा, बाढ, चांदपुर तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

133. कनाबई से भांभरी अन्तर्राज्ययीय सड़क का डामरीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. ऋषभदेव से सागवाडा सड़क का डामरीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. ऋषभदेव से विलख सड़क का डामरीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमाकान्त (थानागाजी) :

136. थानागाजी क्षेत्र में अनेक पंचायत मुख्यालय एवं बड़े-बड़े गांवों की सड़कों से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :

137. ग्राम पंचायत रोवाडा तहसील शिवगंज से लखमावास छोटा एवं बड़ा ग्रेवल रोड से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. ग्राम दानी गांव तेलपी को स्वरूपगंज सड़क से डामरीकरण द्वारा जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. ग्राम पंचायत जोगापुरा से गांव वाडका को ग्रेवल रोड़ से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. ग्राम पंचायत पोसालिया से गांव मोचाल तक ग्रेवल रोड़ बनवाने हेतु चर्चा के लिये।

141. ग्राम पंचायत कैलाश नगर से गांव तलेटा तक ग्रेवल रोड बनाने हेतु चर्चा के लिये।

142. सिरोही तहसील के गांव रामपुरा से गांव डोडुआ एवं कालन्डी तक मार्ग की सभी पुलियाएं एवं रपटों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. तेलपुर तहसील पिंडवाड़ा से डिंगार गांव तक डामर की सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. ग्राम पंचायत केसरपुरा से काम्बेश्वर तक डामर रोड बनवाने हेतु चर्चा के लिये।

145. तहसील पिन्डवाडा से ग्राम पंचायत दियाणा तक 7 कि. मी. रोड बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. मोकरोडा तहसील सिरोही से ईसरा तहसील पिण्डवाड़ा तक 8 कि. मी. डामर रोड बनवाने पर चर्चा के लिये।

147. सिरोही में सारणेश्वर से आम्बेश्वर तक 4 कि. मी. डामर रोड बनवाने की आवश्यकता हेतु चर्चा के लिये।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

148. ग्राम पंचायत नारादरा से लोटीवाड़ा, उम्मेदगड़ा तक टूटे ग्रेवल रोड़ के निर्माण की आवश्यकता हेतु चर्चा के लिये।

149. ग्राम मणादरा तहसील शिवगंज में मणादर से चौधरियों के बास तक नेगदिया नालोपुर पुल निर्माण की आश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. ग्राम पंचायत खाम्बल को अणशोर से पक्की सड़क द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. ग्राम पंचायत मोकरोडा को मुख्य सड़क (मण्डार से सिरोही) को डामरीकरण द्वारा जोड़ने पर चर्चा के लिये।

152. ग्राम पंचायत फुंगनी तहसील सिरोही को गांव नून व ग्राम पंचायत मौहब्बत नगर से सड़क द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. सिरोही की ग्राम पंचायत नवारा को बाबली तथा गुडा तक सड़क द्वारा जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. गोल पंचायत के गांव एवडी को सरदारपुरा सड़क द्वारा जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. शिवगंज तहसील की ग्राम पंचायत अन्दोर से मेव के मैटल रोड को डामरीकरण करने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

156. सिरोही तहसील की ग्राम पंचायत गोल को वाया मांडवा सिरोही हाईवे से डामरीकरण द्वारा जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. मीणा जाति का प्रसिद्ध तीर्थ गौतम जी को ग्राम पंचायत छीबा गांव से पक्की सड़क द्वारा जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. राष्ट्रीय मार्ग नं. 14 से ग्राम पंचायत चूली को पक्की सड़क द्वारा जोड़ने पर चर्चा के लिये।

159. शिवगंज तहसील की ग्राम पंचायत मुख्यालय आल्पा, जोगापुरा, रोवाडा तथा जोयला 4 पंचायतों को डामर रोड से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. शिवगंज पंचायत मुख्यालय के गांव वाण को नजदीकी ग्राम पंचायत मेव के डामर रोड से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. ग्राम बालदा तहसील सिरोही को सिरोही पिण्डवाड़ा राष्ट्रीय मार्ग नं. 14 से (केवल डेढ़ कि. मी. दूरी को) जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. ग्राम पंचायत राजपुरा तहसील सिरोही को मुख्य मार्ग से डामरीकरण द्वारा जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(172)

(श्रीमती तारा भण्डारी)

163. गांव बरलूट के एप्रोच रोड मुख्य सड़क से उप स्वास्थ्य केन्द्र तक 20 वर्ष पहले बनी डामर सड़क का नवीनीकरण करने हेतु चर्चा के लिये ।

164. शिवगंज तहसील की ग्राम पंचायत ओडा से गोल तक सड़क का डामरीकरण करने एवं बाढ़ से टूटी रपट के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

165. सिरोही तहसील की ग्राम पंचायत पाडीव से कालन्द्री मार्ग पर रपटों एवं पुलों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) :

166. भीनमाल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बाड़ा भाडवी, भालनी, वाली, कोटकास्ता, बोरटा तथा दामण पंचायत के गांव डाबली नाडी, नादिया, पंचायत को डामर रोड से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

167. गांव पांथेडी से पोषाणा के बीच पुल बनाकर सायला पंचायत के गांवों को भीनमाल मुख्यालय से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

168. जालोर जिले की पंचायत मुख्यालय देता व कोमता को डामर सड़क से जोड़ने एवं गांव तिलोड़ा से नारवाड़ी के 6 कि.मी. सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

169. पंचायत समिति सायला जिला जालौर की पंचायत मुख्यालय तिलोड़ा, दादाल, मेगलवा, सांगाफ एवं दहिवा, खारी, जालमपुरा (ढालू) की डामर एप्रोच रोड बना कर मुख्य डामर सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

170. डामर सड़क पोषाणा से सिणदरी जो गांव भूण्डवा से जीवाणा तक 7 कि. मी. अधूरी है, को डामरीकरण कर जालोर जिला सीमा तक जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

171. भीनमाल उपखण्ड के गांव धूरबडिया से बागोड़ा तहसील मुख्यालय के बीच सड़क पर पुल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

172. भीनमाल उपखण्ड के गांव नरता से भागल में सेपटा के मध्य स्थित नदी पर पुल या पक्की रपट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

173. भीनमाल उपखण्ड की ढासयां बाईपास रोड पर कलवर्ट बनाने एवम् भीनमाल शहर में विश्रामगृह के पास स्थित चौराहे में बारिश के पानी से टूटी सड़क को ऊंची लेकर डामर करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

174. (1) बागोड़ा से रंगाला फॉटा, (2) जुंजाणी से विशाला वाया कोमता तथा (3) जुंजाणी से दादाज बागोड़ा

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

वाया दामण तक डामर सड़क जालौर जिला प्लान में बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा (फागी) :

175. ग्राम पंचायतों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फागी की 19 महत्वपूर्ण सड़कों को पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

177. 1000 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने बाबत चर्चा के लिये।

178. स्टेट हाईवे नम्बर 2 पर ढूंढ व बान्डी नदी पर पुलियाओं के निर्माण करवाने बाबत चर्चा के लिये।

179. मांशी नदी पर बिमालु के पास पुलिया निर्माण करवाने बाबत चर्चा के लिये।

180. मण्डोर से बगरू के बीच बनने वाली सड़क पर पुल निर्माण करवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल (टोड़ारायसिंह) :

181. टोड़ारायसिंह की पुरानी सड़कें कृपाल भैरू से हमीरपुर. मासू से पवालिया, टोड़ारायसिंह से बोटून्दा, टोड़ारायसिंह से गनेती व टोड़ारायसिंह से भिराना रोड़ पर नानेर के पास सहोद्रा नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

182. तहसील लालसोट में अपूर्ण सड़क कोथून से श्यामपुरा. लालसोट से खटवा तथा डिग्गी से बिपलाज सड़कों का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

183. स्वीकृत सड़क कानलौदा से रायपुर का कार्य शुरू नहीं करने से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये।

184. थूर्णी धिराजपुरा की सड़क का कार्य स्वीकृति के बावजूद शुरू नहीं करने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

185. पंचायत समिति लालसोट की ग्राम मुख्यालय डोब, अमराबाद, हैमल्यावास तथा अन्य सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

186. रामगढ़ पचवारा से तूंगा सड़क में आने वाले नदी नालों पर पुल नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

187. दौसा से गंगापुर सड़क पर अधिक वाहनों का आवागमन होने से सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

188. लालसोट से डिग्गी तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर) :

189. तहसील फतेहपुर में सदीनसर से तिहावली सड़क पर डामरीकरण करवाने हेतु चर्चा के लिये।

190. तहसील फतेहपुर में रामगढ़ शेखावाटी से मण्डावा तक ग्रेवल सड़क का डामरीकरण करवाने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

191. तहसील फतेहपुर में फतेहपुर से सालासर स्वीकृत सड़क के कार्य वित्तीय वर्ष में चालू करवाकर डामरीकरण करवाने बाबत चर्चा के लिये।

192. तहसील फतेहपुर में ढाढण से रामसीसर तक भाफड़ा सड़क पर ग्रेवल व डामरीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

193. तहसील फतेहपुर में फतेहपुर से मण्डावा वाया बेसवा सड़क को बेसवा पंचायत मुख्यालय तक डामरीकरण करवाने हेतु चर्चा के लिये।

194. तहसील फतेहपुर में गारिन्डा से अठवास पचायत मुख्यालय तक सड़क बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

195. तहसील फतेहपुर में रोल साहबसर जानोद सड़क का कार्य शुरू करवाने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

196. तहसील फतेहपुर के बाठोड़ पंचायत मुख्यालय को राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 11 से सड़क द्वारा जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

197. तहसील फतेहपुर में राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 11 से बीबीपुर पंचायत मुख्यालय वाया रिजाऊ, चुनास, भाफड़ा सड़क का कार्य शुरू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

198. तहसील फतेहपुर से रामगढ़ आआस, जालेऊ सड़क का कार्य शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

199. रामगढ़ से ढाढज सड़क का डामरीकरण करवाने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

200. तहसील लछमनगढ़ जिला सीकर में पालड़ी से पनलावा ग्रेवल सड़क का डामरीकरण करवाने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

201. तहसील लछमनगढ़ में लछमनगढ़ से दांतरू वाया बगड़ी, बादुसर, रोकबड़ी, रानास, बारड़ानाऊ सड़क का कार्य शुरू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

202. तहसील लछमनगढ़ में सुड़ोढ से सुतोद वाया जाखला, ढाणी चारण, धिरनिया, बड़ा जेवली, ढाणी कृपाराम सड़क का कार्य शुरू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

203. तहसील लछमनगढ़ में जाजोद से नेछवा वाया सौला, गांडोता जेवली सड़क का कार्य शुरू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री दिलसुखराय चौधरी)

204. तहसील लछमनगढ़ में नेछवा से सींगरावर वाया भाभड़, ढ़हर का बास, शाहपुरा सड़क पर ग्रेवल व डामरीकरण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

205. लछमनगढ़ तहसील में बलारा से बैरावा वाया बघासरा सड़क का कार्य शुरू करवाने पर चर्चा के लिये।

206. बासनी से बैरास व हिसनाद तक भाभड़ा के अधूरे कार्य को पूर्ण करवाने हेतु चर्चा के लिये।

207. लछमनगढ़ से मुकन्दगढ़ सड़क पर कसवाली बस स्टैण्ड से कसवाली ग्राम तक भाभड़ा का ग्रेवल व डामरीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. लछमनगढ़ में राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 11 पर बस स्टैण्ड अलखपुरा गोदारान से दिसनाऊ वाया अलखपुरा बोगन, रिणु भाभड़ा सड़क पर ग्रेवल व डामरीकरण का कार्य करवाने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

209. लछमनगढ़ से नवलगढ़ वाया ढोलास खीरवा, डूडवा, बीदासर, बिड़ोदी, बड़ी भोड़वा सड़क के अधूरा कार्य को पूरा करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

210. सेबद बड़ी बस स्टेण्ड से मिरन वाया विजयपुरा, रूल्याणा माली, सीकडोला छोटा धाणा सड़क का कार्य शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

211. तहसील लछमनगढ़ में जसरासर से लालासी वाया खुड़ी बड़ी सड़क का कार्य शुरू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

212. तहसील लछमनगढ़ में पाटोदा से अलखपुरा बोगन सड़क तक बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

213. लछमनगढ़ से लछमनगढ़ सालासर सड़क पर भूमा छोटा बस स्टेण्ड से भूमा छोटा गांव तक भाभड़ा सड़क पर ग्रेवल व डामरीकरण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

214. लछमनगढ़ सालासर सड़क पर भूमा छोटा बस स्टेण्ड से भूमा बड़ा पंचायत मुख्यालय तक भाभड़ा सड़क को ग्रेवल व डामरीकरण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

215. सीकर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय को सड़कें बनवाकर मुख्य सड़क से एवं जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु चर्चा के लिये।

216. तहसील सीकर में ग्राम कदयाकाबास से वाया चौखा का बास होकर ग्राम बिडोली पंचायत मुख्यालय तक ग्रेवल रोड का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

217. तहसील सीकर में जिला सीमा से ग्राम सिगरावट तक वाया सीकर

(श्री दिलसुखराय चौधरी)

जिला मुख्यालय की सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृत हो जाने के पश्चात् भी प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये।

नवलगढ़

218. सीकर जिला मुख्यालय पर एवं नीमकाथाना रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज का निर्माण करवाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

219. लालपुरा से रातड़िया वाया बड़ी पोल ग्रेवल रोड को मैटल रोड़ बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

220. सैंदड़ा से कोटड़ा वाया रामगढ़ से सेड़ोल्स ग्रेवल रोड को मैटल रोड़ बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. बर से दीपावास वाया मेगड़दा रोड को मैटल रोड बनाने हेतु चर्चा के लिये।

222. सैंदड़ा से चिताड़ मैटल रोड का डामरीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

223. दोनरड़ी से कुशालपुरा स्वीकृत डामर रोड पर करमावास से कुशालपुरा तक तीन कि.मी. के अधूरे कार्य का डामरीकरण तत्काल किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

224. बिराटीया कलां से कुडाल (बूटीवास) की ग्रेवलड रोड को मैटल रोड बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. खीवल चौराया (रायपुर) से बीजागुड़ा व खोड़िया तक ग्रेवल रोड को मैटल रोड बनायी जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

226. कलासिया से सीरमा वाया बेलपत्र ग्रेवल रोड को मैटल रोड बनायी जाने पर चर्चा के लिये।

227. कानूजा से कालबकला की तीनग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण ग्रेवल सड़क को मैटल रोड़ बनायी जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

228. बर से गिरी 12 कि मी. मैटल रोड का डामरीकरण किया जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

229. हरिपुर से जस्सा खेड़ा मैटल रोड का तत्काल डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

230. झालर की चौकी आसन जिलेलाव रोड को कानूजा से आसन तक (8 कि.मी.) डामरीकरण किया जाने हेतु चर्चा के लिये।

231. कलालिया से सीरमा वाया बेलवना रोड पर बगड़ी नदी कलालिया नाला व सीरमा नाले पर पुलिया बनाने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

232. खीवल चौराया (रायपुर) से बीजा गुड़ा रोड की कालाकोट नदी रापरा

(श्री हीरासिंह चौहान)

कलां नदी पर पुलिया बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

233. चण्डावल नगर से बीजागुड़ा रोड पर देवली हुल्ला नदी तथा मुडावा नदी पर पुलिया बनाये जाने के बारे में चर्चा के लिये।

234. झाला की चौकी से कलालिया वाया कानूजा रोड की कानूजा नदी सुरज-कुंड नदी तथा छोत की नदी पर पुलिया बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

235. सैंदड़ा से चिनाड़ होते हुए कन्या बावड़ी रोड पर सैंदड़ा नदी व कन्या बावड़ी बेरा के पास पुलिया बनायी जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

236. हरिपुर जस्सा खेड़ा रोड पर फतेहगढ़ नदी कालबकलां नदी व काल काला-कोट नाले पर पुलिया बनायी जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

237. ब्यावर बलाड़ा रोड पर कन्या बावड़ी चौड़ा रेलड़ा नदी, नानणा नदी, बूटीवास नाला पर सर्वे कराकर पुलिया बनवायी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

238. जोधपुर शहर की सड़कों के लिए बजट में कम राशि का प्रावधान रखने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लियें।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

239. नन्दवाई से भैरू घाटी की सड़क बनाने पर चर्चा के लिये।

240. टोलों का लुहारिया से आवदा तक की सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये।

241. ग्रामीण क्षेत्रों यथा बस्सी, आमझरिया तथा बाजपुरा की सड़कों का विस्तार कर जनसख्या व अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आधार पर सम्पर्क सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) :

242. भरतपुर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिये गये एक करोड़ उन्नीस लाख की रकम में से कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र को आवंटित पच्चीस लाख रुपये में से कुछ भी रकम व्यय नहीं करने पर चर्चा के लिये।

243. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों को पूरा करने सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

244. कुम्हेर तहसील जिला भरतपुर को कुम्हेर से उसरानी की सड़क को कई वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी पूरा नहीं करने तथा इस वर्ष भी उस पर कार्य नहीं शुरू करने पर चर्चा के लिये।

245. कुम्हेर क्षेत्र में उसरानी से थैरावर व जनूथर के स्वीकृत सड़क का काम

(श्री नत्थीसिंह)

शुरू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

246. भरतपुर जिले में सड़कों की मरम्मत व नवीन सड़क निर्माण के प्रति विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) :

247. चौमूं क्षेत्र की हस्तेड़ा से रींगस तक स्वीकृत सड़क का निर्माण नहीं करवाने से ग्राम जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

248. चौमूं क्षेत्र की हस्तेड़ा नदी पर पुल या रपट के अभाव से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

249. चौमूं क्षेत्र की ग्राम गोविन्दगढ़ से धोबलाई तक की अधूरी सड़क को पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

250. चौमूं क्षेत्र की उदयपुरिया मोड़ से मलिरपुर तक अधूरी सड़क को पूर्ण नहीं करवाने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

251. चौमूं क्षेत्र की तातेड़ा से भूतेड़ा सड़क निर्माण के अभाव से ग्राम जनता को हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिये।

252. चौमूं से अमरपुरा वाया नांगल माड़ा सड़कों का निर्माण पूरा नहीं होने से ग्राम जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

253. सहायक अभियन्ता आमेर (जयपुर) का कार्यालय चौमूं स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

254. चौमूं क्षेत्र के खेजडोली से मुडरू (सीकर) सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) :

255. फैमिन में बनाई गई सड़कों के रख-रखाव हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

256. पक्की सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के प्रति विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

257. कच्ची सड़कों पर पुलिया निर्माण करने बाबत चर्चा के लिये।

258. कच्ची सड़कों की समुचित मरम्मत करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) :

259. विधान सभा क्षेत्र महुआ की अधूरी पड़ी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण व्याप्त जन असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

260. विधान सभा क्षेत्र महुआ के पंचायत मुख्यालयों को सड़क मार्ग से नहीं

(श्री हरिसिंह)

जोड़े जाने से उत्पन्न समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

261. विधान सभा क्षेत्र महुआं की सड़क देवलेन से बालघाट को पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) :

262. मास्टर प्लान के अन्तर्गत नीमकाथाना की सड़क योजना पर आज तक कार्यवाही न होने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

263. पांच हजार की आबादी वाले ग्राम रायपुर पाटन (नीमकाथाना) को आज तक डामर सड़क से न जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

264. नीमका थाना क्षेत्र में कांसावती नदी पर ग्राम छाणा की नांगल के पास पुल न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

265. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना की कालाखेड़ा से हसामपुर, हसामपुर से दलपतपुरा वाया हरिपुरा, टोडा से चांदोली दुदावास, जिले से मुख्य सड़क मेंवाड़ा से जोड़ने वाली सड़क रायपुर से जैतपुर, चौखाला से दीयावास, माहवासे माउन्डा कलां आदि महत्वपूर्ण अधूरी सड़कें नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

266. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम देवरीया पाटवा निम्बोल डिगाना लोटोती की सड़कों की स्थिति खराब होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

267. विभाग में से ठेकेदारों द्वारा सही समय पर कार्य न करने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर),

श्री कुंजीलाल (बामनवास) :

268. विभाग में ठेकेदारों द्वारा सही समय पर कार्य न करने एवं विभाग द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू):

269. मण्डेला से मलसीसर तक की सड़क का निर्माण कार्य पूरा न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

270. बगड़ से मालीगांव नारनोर, सलीपुर तक की 3.5 कि.मी. की अधूरी सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) :

271. निर्वाचन क्षेत्र हिण्डौन में बाजना रोड पर विजयपुरा होती हुयी पाली सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) :

272. डूंगरपुर जिले में मुख्य सड़कों की पुलों की जरजर स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) :

273. ग्राम शेखावास से कण्टालिया तक ग्रेवल सड़क की स्वीकृति कराने पर चर्चा के लिये।

274. ग्राम व्यापारी से कण्टालिया वाया मेलाप तक ग्रेवल सड़क की स्वीकृति कराने की चर्चा के लिये।

275. ग्राम हिंगावास से मोडावास वाया गोगुडा तक सड़क का डामरीकरण कराने की चर्चा के लिये।

276. सोजत सिटी से धिनावास तक सड़क के डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

277. ग्राम दरेवड़ी से भैसाणा वाया सिसरवादर तक सड़क के डामरीकरण कराने पर चर्चा के लिये।

278. खारियां स्वामी से धारेश्वर स्टेशन तक ग्रेवल सड़क की मरम्मत करवाने हेतु चर्चा के लिये।

279. मेव रामासनी सांदवान के बीच पुलिया निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

280. हेमलियावास से रेवड़िया तक ग्रेवल सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

281. ग्राम खोखरा से पाचुण्डा खुर्द तक ग्रेवल सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये।

282. ग्राम कंटालिया से राजोला खुर्द तक ग्रेवल सड़क बनाने के हेतु चर्चा के लिये।

283. ग्राम हमीवास से सवराड़ तक ग्रेवल सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

284. ग्राम कोलपुरा से गोपावास तक ग्रेवल सड़क बनाने पर चर्चा के लिये।

285. ग्राम रामसनीवाला वाया घंधेड़ी से मण्डला तक सड़क का डामरीकरण कराने हेतु चर्चा के लिये।

286. ग्राम सुरायता से शिवपुरा सड़क के बीच पुलिया के निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

287. मारवाड़ जंक्शन से चिरपटिया तक ग्रेवल सड़क की रिपेयरिंग कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

288. ग्राम शिवपुरा से सरदार समन्द तक सड़क का डामरीकरण कराने हेतु चर्चा के लिये।

289. ग्राम मांडा से बाली तक ग्रेवल सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

290. व्यापारी से मोजावास तक ग्रेवल सड़क बनवाने पर चर्चा के लिये।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

291. ग्राम मुसालिया से सवराड़ तक ग्रेवल सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

292. ग्राम बड़ा गुडा (गुडा कल्ला) वाया गुडाश्यामा से हरियामली तक सड़क का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

293. ग्राम सुरायता से खामल तक ग्रेवल सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

294. शिवपुरा से भाटों की ढाणी तक सड़क का डामरीकरण कराने को चर्चा के लिये।

295. शिवपुरा से बीजपुर तक ग्रेवल सड़क बनाने पर चर्चा के लिये।

296. ग्राम मोडावास से शिवपुरा डामर सड़क के बीच पुलिया निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

297. ग्राम झुपेलाव से शिवपुरा के रास्ते में नदी पर रपट का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

298. ग्राम चौपड़ा से राजौला कल्ला तक सड़क का डामरीकरण करने हेतु चर्चा के लिये।

299. मैन सड़क से खोखरा ग्राम पंचायत मुख्यालय तक सड़क का डामरीकरण कराने पर चर्चा के लिये।

300. सोजत सिटी से चामडियाक वाया खारियानीव से बिलाड़ा तक डामर सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

301. ग्राम रेपड़ावास से रामासकी सांदवान वाया मेव, थरासनी से बिलाड़ा तक डामर की सड़क बनाने पर चर्चा के लिये।

302. ग्राम नया गांव से आबकाई की ढाणी तक ग्रेवल सड़क के निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

303. ग्राम पांचवा खुर्द से चांदासनी तक ग्रेवल सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये।

304. ग्राम नया गांव से पांचवा खुर्द तक ग्रेवल सड़क न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

305. ग्राम घुरासनी वाया नाजावास से राजौला कल्ला तक डामर सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये।

306. ग्राम सवराड़ तहसील मारवाड़ जंक्शन से बेरा आरलिया, टेषावाबेरा तक ग्रेवल सड़क बनवाने हेतु चर्चा के लिये।

307. सोजत रोड से झोपड़िया होकर धूंधला तक ग्रेवल सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

308. ग्राम सेवाज से बगड़ी की ग्रेवल का मैटल एवं डामरीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल (सपोटरा) :

309. सड़क एवं पुलिया निर्माण के प्रति सरकार की उदारीकरण पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) :

310. हिण्डौन में रेल्वे लाइन पर ओवर ब्रिज बनवाये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

311. तहसील सवाई माधोपुर के नया गांव गुनसीया के गजबा नदी पर पुल बनवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री निर्भय लाल (रूपवास) :

312. रूपवास तहसील की सभी सड़कों की मरम्मत कराये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

313. रूपवास विधान सभा क्षेत्र में पिचूना से रन्दावल तक सड़क बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

314. रूपवास विधान सभा क्षेत्र के वंशी पहाड़पुर से रूपवास, पुरामाहणोली एवं चेकोरा से नयागांव तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) :

315. सागवाड़ा क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व स्वीकृत पांच सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने पर चर्चा के लिये।

316. बरबूदनिया ग्राम पंचायत (सागवाड़ा में) टापू वाली जगह से पुल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) :

317. संगरिया में 9वीं एन. डब्ल्यू. से सादुलशहर वाया दूदाखीचड़ खारमजवार और भागसर से सादुलशहर वाया चमार खेड़ा तक की सड़कों का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

318. गंगानगर जिले में सड़कों के निर्माण में ठेकेदारों द्वारा जान-बूझकर देरी करने पर चर्चा के लिये।

319. सड़कों की मरम्मत व उस पर घटिया सामान लगाये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

320. सादुलशहर तहसील में प्रतापपुरा से कालवासिया तक 10 वर्षों से प्रस्तावित सड़क पर कार्य चालू न होने पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

321. मुबारिकपुर से निकच वाली सड़क पर आने वाली नदी पर पुल बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

322. कस्बा नगर (भरतपुर) से कस्बा गोविन्दगढ़ एवं कस्बा नौगांवा (अलवर) तक सड़क निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

323. अलवर जिले में अधूरी सड़कों को पूर्ण एवं उन पर बी. टी. कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय-पाटन) :

324. रेबारपुरा से डांगा हेड़ी नदी पर पुलिया बनवायी जाने पर चर्चा के लिये।

325. रेबारपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र की खेड़िया दुर्जन के खाल पर पुलिया बनवायी जाने हेतु चर्चा के लिये।

326. रोटेया-मण्डावरा चम्बल पर दोनों जिलों को जोड़ने हेतु पुलिया (पुल) बनाया जाकर समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिये।

327. झालोजी का बराना मेज नदी पर 14 वर्ष पुरानी पुलिया की तुरन्त प्रभाव से मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

328. मायजा से कानेड़ा, चामला खाल, इशरड़ा खाल, मेनोली खाल, नोताड़ा खाल, पिल्या खाल (सारसला) आदि पर पुलियायें बनवायी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

329. केशोरायपाटन से रंगपुर कोटा हेतु पुल बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

330. बसवाड़ा-कोकरा चम्बल नदी पर पुल बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

331. केशोरायपाटन क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ा जाने पर चर्चा के लिये।

332. झालोजी का बराना से काली तलाई नया गांव, बलकासा होकर सड़क बनवायी जाने पर चर्चा के लिये।

333. झालोजी का बराना से चीतरों का खेड़ा, रेबारपुरा, डगरिया होकर लबान स्टेशन तक सड़क बनवायी जाने पर चर्चा के लिये।

334. रेबारपुरा से नोताड़ा घराटन होकर बाँझडली फाटक तक सड़क बनवाई जाने पर चर्चा के लिये।

335. माखीदा से लबान स्टेशन एवं बसवाड़ा से बड़ा खेड़ा तक अधूरी सड़क को पूरा करवाया जाने पर चर्चा के लिये।

336. केशोरायपाटन से सूनगर, नोताड़ा बिरज तक सड़क बनवायी जाने पर चर्चा के लिये।

337. माधोराजपुरा से भीया केशवराय पाटन सड़क तुरन्त प्रभाव से बनवायी जाकर समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिये।

338. नोताड़ा बिरज से कॉपरेन, नोताड़ा बिरज से अड़ीला एवं केशवराय पाटन तक सड़क बनवाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

339. केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल क्षेत्र में सम्पर्क सड़कें बनवायी जाकर कृषक वर्ग को हो रही भारी परेशानी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

340. कोटा लाखेरी सड़क को अडोला से स्टेशन कॉपरेन तक की मरम्मत एवं चौड़ा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

341. गामछ, गुडला, पटोलिया होकर केशवराय पाटन सीधी सड़क बनवाई जाकर समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिये।

342. केशोरायपाटन के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के अभाव से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

343. करवाला, रड़ी, हिंगोनिया, चरड़ाना, आजन्दा, घाटका बराना आदि को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

344. कापरेन में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता का कार्यालय नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

345. लाखेरी, कापरेन एवं केशोरायपाटन नगर पालिका क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत करवाने पर चर्चा के लिये।

346. बून्दी जिले में विशेष कर चम्बल के खालों पर सड़क बनवाई जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) :

347. गिरवा के कुराबड़ उप तहसील की अधिकांश पंचायत मुख्यालयों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

348. सलूम्बर की पंचायतों को सम्पर्क सड़कों द्वारा जोड़े जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

349. सलूम्बर-कुराबड़ उदयपुर रोड़ पर सम्पर्क सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

350. कुरावड़ से लालपुरा झामेश्वर जी उदयपुर की सड़कों के रख-रखाव एवं मरम्मत नहीं होने पर चर्चा के लिये।

351. जगत से खारवा, चांसदा झामेश्वरजी उदयपुर सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

352. अमलोदा - खोलड़ी सड़क पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

353. मुंगाणा से बोरिया प्रतापगढ़ तक की सड़क एवं पुल बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

354. जगत से गिगला सड़क के डामरीकरण एवं पुल निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) :

355. तहसील घाटोल गांव ईसरवाला व तहसील बांसवाड़ा गांव कोहाला के बीच बहती कागदी नदी पर पुल बनाने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

356. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के गांव बगलिया व नोका के बीच नाले पर पुल का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

357. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में पड़ोलीगोर्धन से अमरथूर वाया कड़ुवाउमरी की अधूरी सड़कों के कार्यों को युद्धस्तर पर प्रारम्भ कराने पर चर्चा के लिये।

358. गांव सेनावासा से गोरछा तहसील घाटोल वाया भमरखोड़, अमरथूर, जाम्बौर, जिला बांसवाड़ा में सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

359. गांव जगपुरा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा व गांव देवपुर तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर के बीच बोचरजी महादेव स्थान पर मांही नदी पर पुल निर्माण कराने पर चर्चा के लिये।

360. गांव ढारमासे नागबेला तहसील घाटोल वाया दुदका जिला बांसवाड़ा की सड़क निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

361. तहसील घाटोल के गांव जेतलीया व सोबनिया में पुल निर्माण करा उक्त गांवों को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

362. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में गांव केला-मेला से तीनधारी छतरी वाया बोरी धारणा, पीपलखूट, जेतलीया सड़क का कार्य प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) :

363. छबड़ा से मूंडक्या वाया कडेया नोहर एवं रीझा से काल खेड़ा, छबड़ा से झार खेड़ी तक उदयपुरिया से कोठरापार एवं छबड़ा तक सड़क निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

364. सारथल से बिलेन्डी, अजनाबर से मोखमपुरा तथा लामा लम्बाखेड़ा से झनझनी तहसील छीपाबड़ौद की सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

365. पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के स्टेट हाइवे नं. 19 पर चम्बल ठीपरी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

366. पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में गैंता, झरेरा का बालाजी तथा फूसोद पर पुलियाएं बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

367. पीपल्दा क्षेत्र की बड़ौदा एवं खातौली की पुलियाओं को ऊंचा किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

368. बूंदी खण्ड के अन्तर्गत इन्द्रगढ़ से पीठारी सड़क अविलम्ब बनाने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल आर्य)

369. कोटा जिला खण्ड में पीपल्दा से फूसोद सड़क बनाने पर चर्चा के लिये।

370. कोटा जिला खण्ड में करवाड़ से खातौली सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

371. कोटा जिला खण्ड में तलाव से पीठरी तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

372. कोटा जिला खण्ड में इटावा से बाड़ोली वाया झाडोल, लुहावद, लक्ष्मीगरा सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

373. कोटा जिला खण्ड में गैंता से ठीपरी वाया बपूलिया, ककरावदा सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

374. कोटा जिला खण्ड में ठीपरी (कालीसिंध) से अयाना वाया अयानी सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

375. कोटा जिला खण्ड में अयाना से पीपल्दा वाया लुहावद सड़क तुरन्त बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

376. कोटा जिला खण्ड में रजोवा से ठीपरी सड़क का तुरन्त निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

377. स्टेट-हाई-वे नं. 19 के इन्द्रगढ़ से इटावा भाग को विकसित करने हेतु तुरन्त सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

378. बूंदी खण्ड की दौलतपुरा से कमलेश्वर तक की सड़क अविलम्ब बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

379. बारां खण्ड में मांगरोल से रामगढ़ सड़क अविलम्ब बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

380. बारां खण्ड में मांगरोल से बमोरी कलां सूरथाग सड़क अविलम्ब बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

381. बारां खण्ड में अन्ता से मांगरोल वाया पचेल, महुवा, किशनपुरा सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

382. बारां खण्ड में अयाना से बमोरी कला सड़क अविलम्ब बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

383. पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के बमूलिया, ककरावदा, नीमोला, जोरा, लुहावद, रनोदिया, लक्ष्मीपुरा, बमोरीकला, भटवाड़ा, जलोदा, तेजाजी आदि गांवों को एप्रोच रोड से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

384. पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण पर आवंटित राशि का समय पर उपयोग नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

385. रजोया से ठीपरी सड़क के निर्माण पर आवंटित राशि का उपयोग सड़क पर नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद (टौंक) :

386. टौंक विधान सभा क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायतों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

387. टौंक में बनास नदी पर बनाने वाले ब्रिज का शीघ्र व समय पर निर्माण कार्य पूरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

388. टौंक जिले में विभिन्न मदों से पिछले 10–15 वर्ष से जगह-जगह सड़कों पर पड़ी हुई सामग्री का उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

389. राज्य में सड़कों के निर्माण कार्यों को समयबद्ध कार्यक्रम चलाये जा रहे अभियान में और गति लाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

390 बनास नदी पर टौंक व गहलोद घाट पर पक्का रपटा बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) :

391. गंगानगर जिले में जवाहर रोजगार योजना के तहत बनायी जाने वाली सड़कों की विभाग द्वारा संधारण किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :

392. जोधपुर/बाड़मेर राज मार्ग पर बालोतरा में रेल मार्ग पर फाटक को चौड़ा करने हेतु रेल्वे में पैसा जमा कराने के पश्चात् भी रेल्वे द्वारा फाटक को चौड़ा करने में देरी से होने पर विभाग द्वारा परश्यू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

393. बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर जिलों हेतु बालोतरा में अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

394. हल्देश्वर (सिवाना) के प्रसिद्ध तीर्थ की सड़क सिवाना से पीपलूद एवं पहाड़ी तक मरम्मत करने एवं शेष सड़क को पूरा करने की चर्चा के लिये ।

395. बालोतरा उपखण्ड के प्रसिद्ध मन्दिर पीपलिया महादेव को बूडीवाड़ा एवं वासियाना तक की सड़क निर्माण कराने पर चर्चा के लिये ।।

396. बागुंढी-खारापार-सणतरा तक की सड़क की मरम्मत कराने पर चर्चा के लिये ।

397. बागुडी (बालोतरा) से मलवा (महादेव) मन्दिर तक की सड़क का डामरीकरण करने हेतु चर्चा के लिये ।

398. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र की मैटल रोड्स को डामरीकरण करने हेतु एवं शेष ग्रेवल (मुडिया) की सड़कें ही बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

399. पाटोदी (बालोतरा) से मिड़ा तक के महत्वपूर्ण मैटल सड़क का डामरी-

188

(श्री चम्पालाल बांठिया)

करण करके गिड़ा थाना एवं रास्ते के 5 पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने हेतु चर्चा के लिये।

400. संवत् 1996 अर्थात् वर्ष 1939 में बने आंगोलाई-थोब-बालोतरा की सड़क मार्ग का डामरीकरण करने पर चर्चा के लिये।

401. बालोतरा में डेयरी से लगाकर जसोल चौराया तक राज मार्ग पर पेवर रोड बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

402. लूनी नदी पर बालोतरा/जसोल पुल निर्माण के कार्य को पुनः प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिये।

403. बालोतरा मूंगड़ा तक की डामर सड़क को कूडी तक मिलाकर जोधपुर बालोतरा बाड़मेर राज मार्ग की दूरी कम करने एवं एक रास्ता और निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

404. सिवाना-हिंगलाज तीर्थ तक अधूरी डामर सड़क को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

405. पाटोदी (बालोतरा) से नवतला होते हुए शेरगढ़ तक सड़क पर से रेत हटा कर ग्रेवल बिछाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

406. रेगिस्तानी क्षेत्र में सड़कों के किनारे झाड़ी हटाकर पटरी बनाकर रेत का बचाव करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :

407- ग्राम पंचायत सिगोद कलां को, पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर डामर सड़क 1.5 कि. मी. लम्बी बनाकर पंचायत मुख्यालय सिगोद कलां को जोड़ने की चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

408. मोती कटला बाजार जयपुर की सड़क विभाग द्वारा रिपेयर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

409. जयपुर जिले की जमवा रामगढ़ की लाली, पापड़, नायला स्वीकृत अधूरी रोड पर डामर कर पूरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

410. जिला जयपुर की नायला से चावंड के मढ़ की रोड पर ढूंड नदी पर पुल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

411. जयपुर नगर आमेर रोड स्थित गूजर-घाटी में वायुसेना के आफिस के पास नाले की पुलिया अविलम्ब बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

412. जयपुर जिले की तहसील जमवा रामगढ़ की पंचायत इन्द्रगढ़ हैड-क्वार्टर्स को ग्राम जमवा रामगढ़

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सड़क वाया नरपत्यावास से जोड़ते हुए इन्द्रगढ़ वाया पाली रोड होते हुए व साइवाड़ रोड से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

413. ग्राम कुण्डा, नटाटा, साडूवाड़ नीम्बी रायसिंह जिला जयपुर तहसील जमवा-रामगढ़ पर शेष किलोमीटर सड़क अविलम्ब बनाये जाने व 5 किलोमीटर की शेष रोड का डामरीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

414. जयपुर जिले की सिसोदिया रानी गार्डन आगरा रोड की सड़क को सुमेल पंचायत हैड-क्वार्टर्स की रोड से व जयसिंहपुरा खोर से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

415. जयपुर जिले की जयसिंह पुरा खोर की रोड को सुमेल पंचायत की सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

416. पंचायत बासना, तहसील जमवा-रामगढ़, जयपुर पंचायत, राहौरी पंचायत, इन्द्रगढ़ व पंचायत उपवास के हैड-क्वार्टर्स की सड़कों से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

417. पंचायत समिति जमवा रामगढ़ (जयपुर जिला) की पापड़ पंचायत के गांव साऊ तक की सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

418. रामगंज चौपड़ (जयपुर) से चार-दरवाजा होकर गंगापोल तक बनाये जाने वाली रोड वर्षों से मंजूर हो जाने पर विभाग द्वारा नहीं बनाये जाने से विभाग की गिरती छवि पर चर्चा के लिये।

419. जयपुर जिले की भानपुर कलां कस्बे की रोड को पुनः बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल (परबतसर) :

420. लिंक रोड बड़ से गच्छीपुरा वाया हरनावां पट्टी 15 कि.मी. सड़क का निर्माण करवाने पर चर्चा के लिये।

421. लिंक रोड पीपलाद से बस्सी तक की 9 कि मी. अपूर्ण सड़क का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

422. लिंक रोड लेगाकी ढाणी हरसोर से भड़सिया तक 3 कि. मी. मैटल रोड पर डामरीकरण नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

423. लिंग रोड किनसरिया से औद्योगिक क्षेत्र विदीयाद तक 9 कि. मी. मैटल रोड का डामरीकरण, डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

424. ग्राम राबडियाद की अपूर्ण पुलिया को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

525. लिंग रोड केवलाद से पीलवा तक 15 कि.मी. सड़क का निर्माण करवाने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री मोहनलाल चौहान)

426. ग्राम बिदीयाद की अपूर्ण पुलिया को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

427. लिंक रोड नाथका बेरा से खानपुर के बीच पुलिया व तीन रपटों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

428. कुण्ठा नराटा निम्बी रायसर रोड पर नोबल से नराटा के बीच में सूगली नदी का पुल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 26 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

1. ग्रामीण क्षेत्र कोटपूतली के अस्पतालों, डिस्पेन्सरियों एवं सब सेन्टर आदि में मेल नर्स व नर्सों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

2. ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में डाक्टर व कम्पाउन्डरों के अनुपस्थित रहने की स्थिति में आकस्मिक निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. भूरीमडाज-नांगल पण्डितपुरा में पंचायत केन्द्र पर डिस्पेन्सरियों खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) :

4. जालौर जिला के सांचोर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

5. राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति में सरकार की विफलताओं के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

6. राज्य में मस्तिष्क ज्वर, मलेरिया की रोकथाम में सरकार की विफलताओं पर चर्चा के लिये।

7. राज्य में स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध राज्यादेशों से किये गये स्थानान्तरणों के कारण राजकोष पर बढ़ते अतिरिक्त व्यय भार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

8. सरदार पटेल मेडिकल कालेज बीकानेर के विभिन्न विभागों में प्रवक्ताओं, रीडर प्रोफेसर के रिक्त पद लम्बे समय से नहीं भरे जाने से छात्रों को हो रही क्षति पर चर्चा के लिये।

9. सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर को वर्ष 1990–91 व 1991–92 में पर्याप्त बजट आवंटित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. राज्य के विभिन्न मेडिकल कालेजों में ग्लूकोज संयन्त्र बंद होने एवं विभिन्न

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जांच उपकरणों के खराब होने से मरीजों को होने वाले नुकसान के सन्दर्भ में चर्चा के लिये ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

11. राज्य में विशेषकर जोधपुर सभाग के ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों में डाक्टरों, कम्पाउण्डरों व नर्सों के पद स्थापन के आदेश हो जाने के पश्चात् भी इनके द्वारा ज्वाइन नहीं करने व ज्वाईन करने के पश्चात् शहरों से अप-डाउन करने तथा समय पर चिकित्सालय में नहीं आने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों की हो रही उपेक्षा पर चर्चा के लिये ।

श्री अमीन खां (शिव) :

12. जिला जैसलमेर के ग्राम जीन्जनीमाजी में डिस्पेन्सरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

13. जिला जैसलमेर के ग्राम भाखरोनी, भंभारा, मडाई, बईया, नगराजा में हैल्थ-सब सेण्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

14. जिला बाड़मेर के ग्राम–गोगाला, तामलीभार, देतानी, डाबड, रोहीडी, नेगरडा, नागउदा शहर जेसिन्धर स्टेशन, तानूमानसिंह, उन रोड में सब सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

15. जिला बाड़मेर के 1500 सौ से अधिक आबादी वालों ग्रामों में सब सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

16. जिला बाड़मेर के 6100 सौ से अधिक आबादी वाले कस्बे हरसांनी में नई डिस्पेन्सरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

17. जिला बाड़मेर-जैसलमेर में सीमा विकास कार्यक्रम के तहत बनी डिस्पेन्सरी में अधिकांशतः स्टाफ नहीं रहने से मरीजों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये ।

18. जिला बाड़मेर, जैसलमेर के हैल्थ सेन्टरों तथा डिस्पेन्सरियों में खुलेआम दवाइयों की कीमत वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

19. जिला बाड़मेर के अधिकांश सब सेन्टरों पर लगातार स्टाफ का अभाव रहने से उत्पन्न जनाक्रोश पर चर्चा के लिये ।

20. जिला बाड़मेर, जैसलमेर मुख्यालय स्थिति चिकित्सालयों के आपरेशन रूमों के लिए लाइट का विशेष प्रबन्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

21. बाड़मेर एवं जैसलमेर जिला मुख्यालयों में पर्याप्त सफाई व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

22. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) स्थित चिकित्सालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

(श्री कुबेर सिंह)

23. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के चिकित्सालयों को पर्याप्त मात्रा में दवाइयों एवं धन राशि उपलब्ध नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में एड पोस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले जाने के कारण उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

25. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा कोई पहल नहीं करने पर चर्चा के लिये।

26. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के रेफरल अस्पतालों में एक्स-रे मशीनें खराब पड़ी होने से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये।

27. फलासिया (उदयपुर) के चिकित्सालय में डाक्टर, कम्पाउन्डर, नर्स आदि के अनुपस्थित रहने तथा उपस्थिति पंजिका में एक साथ महीने भर के हस्ताक्षर कर उपस्थिति दर्शायी जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के रेफरल अस्पतालों में डाक्टरों के रिक्त पद नहीं भरे जाने से मरीजों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :

29. सवाईमाधोपुर जिले के अस्पतालों में दवाइयों एवं डाक्टरों की कमी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

30. कोटपूतली तहसील के स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाइयां और अन्य उपकरणों के अभाव से मरीजों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

31. कोटपूतली बी. डी. एम. व सरदार जनाना अस्पताल में चद्दर और गद्दों की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. कोटपूतली अस्पताल में रसोइया की व्यवस्था की कमी के कारण रोगियों को भोजन नहीं मिल पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (गुडामालानी) :

33. राज्य के चिकित्सालयों में सर्वत्र सफाई के अभाव पर चर्चा के लिये।

34. बाड़मेर जिले में चल चिकित्सा सुविधा के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. वर्ष 1990 में बाड़मेर और जोधपुर जिलों में फैली महामारी की रोकथाम करने में शासन की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

36. चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के दूर तक न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डौली) :

37. चिकित्सा केन्द्रों में स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती मदन कौर (गुडामालानी) :

38. गांव नोखड़ा, जिला बाड़मेर स्थिति प्राइमरी हैल्थ सब-सेण्टर को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

39. अस्पतालों में दवाइयों के अभाव से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

40. ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पताल/सेन्टर सिटी सेन्टर एवं ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्रों पर चिकित्सकों के स्थान खाली पड़े होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री सोमा (बागीडोरा) :

41. आनन्दपुरी अस्पताल में डाक्टरों को लगाने में विभागीय असमर्थता पर चर्चा के लिये ।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) :

42. उदयपुरवाटी नगर में सिटी डिस्पेन्सरी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रखब चन्द मीणा (प्रतापगढ़) :

43. रायपुर, आम्बीरामा, चोमली, पिपली, मोहेड़ा, विरावली, बगड़ावद, पंडावा, पंगा, तालाब, विरपुर, कचोटिया, झासड़ी, बजरंगगढ़, मुखमपुरा, प्रतापपुरा, वरमंडल पाड़लिया, देवगढ़, पांचइमली में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री मनीराम (लूणकरणसर) :

44. लूणकरणसर में महामारी रोकने सम्बन्धी व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

45. लूणकरणसर के चल चिकित्सा में काफी समय से डाक्टर नियुक्त न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

46 लूणकरणसर रेफरल अस्पताल में छः जे. एस. डाक्टरों के स्थान पर तीन वर्ष से सिर्फ एक ही डॉक्टर नियुक्त होने से मरीजों को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये ।

47. रेफरल अस्पताल लूणकरणसर में काफी समय पूर्व क्रय की गयी एक्स-रे मशीन के प्रयोग में नहीं आने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

48. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के नीम हकीम डाक्टरों एवं वैद्यों द्वारा की जा रही चिकित्सा से जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव पर चर्चा के लिये ।

49. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों में डाक्टर लगाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

(श्री मनीराम)

50. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत उप स्वास्थ्य एवं फर्स्ट ऐड पोस्ट केन्द्रों में नर्स, मेल नर्स तथा कम्पाउन्डर नहीं लगाने से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) :

51. ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों में डाक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी)

52. सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र बस्सी में एक्स-रे मशीन लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

53. तहसील बस्सी के ग्राम काशीपुरा में भवन की व्यवस्था होते हुए भी उप-स्वास्थ्य केन्द्र या स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोलने से जनता को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये ।

54. सार्वजनिक चिकित्सा केन्द्र बस्सी में महिला डाक्टर की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

55. कनबई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

56. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :

57. वराड़ा एवं ग्राम निम्बज के चिकित्सालय भवनों की मरम्मत करवाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

58. जावाल तथा कैलाश नगर स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सकों के खाली पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

59. शिवगंज अस्पताल में महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ एम. ओ. एस. एम. ओ. तथा पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पद भरने हेतु पर चर्चा के लिये ।

60. ग्राम पचायत पोसालिया पी. एच. सी. में खाली पदों पर डाक्टर एवं पैरा मेडिकल स्टाफ लगाने पर चर्चा के लिये ।

61. उप स्वास्थ्य केन्द्र लूली तथा उ. स्वा. के चडुआल में स्टाफ लगाकर प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये ।

62. ग्राम पं. कालन्द्री में क. वि. चिकित्सक तथा पैरामेडीकल स्टाफ के खाली पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

63. ग्राम पंचायत पालडी तहसील शिवगंज के ग्राम कलद्री में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये ।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

64. ग्रामदानी गांव तेलपी खेडा तहसील सिरोही में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिए।

65. ग्राम पंचायत बरलूट में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. अप्ग्रेडेशन हास्पिटल सिरोही मुख्यालय में क. वि. तथा एस. एम. एन. ओ. एम. ओ. एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के खाली पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) :

67. नैनवा चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों के लिए आवास गृहों का निर्माण कराने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

68. प्रशिक्षण प्राप्त स्वास्थ्य निरीक्षकों को नियुक्तियां न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

69. नैनवा क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं का वांछित लाभ न मिलने पर चर्चा के लिये।

70. पिछड़े नैनवा क्षेत्र के चिकित्सालयों में मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. तदर्थ नियुक्ति वाले चिकित्सकों को वेतन नहीं मिलने से चिकित्सा सेवाओं में आ रही गिरावट पर चर्चा के लिये।

72. नैनवा विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में स्टाफ एवं चिकित्सकों के खाली पदों पर नियुक्तियां नहीं करने से मरीजों को चिकित्सा सेवाओं का वांछित लाभ न मिलने पर चर्चा के लिये।

73. पंचायत मुख्यालय माणी में यूनानी औषधालय खोले जाने पर चर्चा के लिए।

74. देई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक की नियुक्ति नहीं होने से महिला मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं का वांछित लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिए।

75. नैनवा चिकित्सालय को नये भवन में स्थानान्तरित करने में आ रही दिक्कतों पर चर्चा के लिये।

76. धानुगांव में स्वास्थ्य उप केन्द्र के लिए भवन व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिए।

77. रायथल जिला बून्दी में डिस्पेन्सरी चालू करने बाबत पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल):

78. भीनमाल अस्पताल में डेन्टिस्ट का सृजित कर डेन्टिस्ट की नियुक्ति करने पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा (फागी)

79. एडपोस्ट अस्पतालों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. अस्पतालों में स्टाफ की कमी की पूर्ति करने हेतु चर्चा के लिये।

81. रेफरल अस्पताल के लिये फागी एवं चाकसू में भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल (टोडारायसिंह)

82. रेफरल अस्पताल टोडारायसिंह में एक्सरे मशीन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)

83. पंचायत समिति लालसोट में जिन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन नहीं हैं उन्हें बनाने की दिशा में विभागीय स्तर की कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

84. रेफरल अस्पताल लालसोट में डाक्टरों के पद रिक्त होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

85. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंडावरी के डाक्टर का लम्बी अवधि तक अवकाश पर जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगढ़ पचवारा में लम्बे समय से चिकित्सकों के अनुपस्थित रहने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. पंचायत समिति लालसोट में करीब 25 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ नहीं होने से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये।

88. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दौलतपुरा में 6 माह से डाक्टर लगाने के बाद भी डाक्टर द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपस्थित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी)

89. थानागाजी क्षेत्र के चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर)

90. तहसील फतेहपुर के ग्राम नगडदास में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

91. तहसील फतेहपुर के ग्राम नारसरहा में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

92. तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के ग्राम मंगलूणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के ग्राम शेरूवड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री दिलसुखराय चौधरी)

94. तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के ग्राम जाजोद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

95. तहसील फतेहपुर के ग्राम चांचीवाद बड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

96. तहसील फतेहपुर के ग्राम विरानियां में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

97. तहसील फतेहपुर के ग्राम नवीपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. तहसील फतेहपुर के ग्राम वीवीपुर बड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

99. राजस्थान में बेरोजगार सैनेटरी इन्स-पेक्टर्स को शीघ्र से शीघ्र नियुक्ति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

100. तहसील फतेहपुर एवं लक्ष्मणगढ़ में स्वीकृत स्वास्थ्य उप कन्द्रों पर रिक्त पड़े स्थानों पर अविलम्ब स्टाफ की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

101. अमृत कौर हास्पिटल ब्यावर में पनप रही अनियमितताओं की जांच उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. एडपोस्ट सैंदडा तथा उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों की डिस्पेंसरियों मिनी पी. एच. सी. में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

103. रायपुर (पाली) विधान सभा क्षेत्र के सीरया, पचलपुरा, मेसिया, सबलपुरा, बोयल, दोनरड़ी, गजवाई, गुड़िया, रामगढ़ सेड़ोलान, करयावास, मालियान, बामियाड़ा, रामावास खेड़ा, मायावास, मेगड़दा, दीपावास, मालती, बड़ी पोस, सोग्पुरा रायड़िया प्रतापगढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर ए. एन. एम. नियुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

104. पाली जिले के रायपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय छोट विराणा, चांग, रेलड़ा खोड़िया तथा केसवाद में उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र बजट प्रावधान अनुसार खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

105. मिनी पी. एच. सी. कुशालपुरा जिला पाली में मातृ एवं शिशु कल्याण सुविधाए उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

106. जोधपुर शहर की जनसंख्या को देखते हुए वहीं के चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)

107. रेफरल अस्पताल बेगूं में डाक्टरों के पदस्थापन के पश्चात् लम्बी अवधि तक चिकित्सालय में कार्यभार ग्रहण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. चिकित्सा सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर)

109. भरतपुर सामान्य चिकित्सालय में मेडिसन शिशु रोग हेतु अतिरिक्त कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. भरतपुर जनरल अस्पताल के नये भवन के निर्माण कार्य को पूरा कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा मैंचिग ग्रान्ट स्वीकृत नहीं करने पर चर्चा के लिये।

111. भरतपुर जिले में चिकित्सा सेवाओं का समुचित प्रबन्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये।

112. कुम्हेर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू)

113. चौमू अस्पताल में भयंकर अव्यवस्था से ग्राम जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

114. चौमू अस्पताल की एम्बूलेन्स गाड़ी का गत तीन वर्ष से जयपुर में उपयोग करने एवं ड्राइवर का वेतन चौमू से उठाने से ग्राम जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

115. चौमू अस्पताल को क्रमोन्नत कर 50 शैय्याओं वाला अस्पताल नहीं बनाने से ग्राम जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

116. चौमू क्षेत्र के किशनमानपुरा एवं बोसा में अस्पताल नहीं होने से ग्राम जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

117. चौमू क्षेत्र के खेजड़ोली, गोविन्दगढ़, सामोद, कालाडेरा एवं हस्तेड़ा में महिला चिकित्सक का पद सृजित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मी लाल (ग्रासीन्द)

118. प्रत्येक गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने हेतु चर्चा के लिये।

119. चिकित्सालयों में ग्रावश्यक उपकरण एवं सुविधाओं के ग्रभाव पर चर्चा के लिये।

120. चिकित्सालयों में ग्रावश्यक पदों की पूर्ति करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुग्रा)

121. ग्रामीण चिकित्सालयों में औषधियों एवं प्राथमिक उपचार से सम्बन्धित

(श्री हरिसिंह)

साज सामान की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना)

122. राजकीय कपिल चिकित्सालय नीमकाथाना के परिसर में अवैधानिक रूप से केन्टीन की स्टाल रखवाने पर विभाग द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ)

123. नीमकाथाना उपखण्ड (सीकर) में ए. एन. एम. सब सेन्टरों में दाइयों के पद रिक्त होने व पर्याप्त दवाइयां न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

124. नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में डाक्टरों व मेल नर्सों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. पांच हजार से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम जिलों एवं गणेश्वर (नीमकाथाना) में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र न खोलने से जनता को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)

126. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम बलुन्दा में कार्यरत डाक्टर द्वारा लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

127. चिकित्सालयों में आवंटित दवाइयों का सही वितरण नहीं होने बाबत् चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर)

श्री कुंजीलाल (बामनवास)

128. आयुर्वेद विभाग में औषधि समय पर न पहुंचने तथा फर्नीचर व्यवस्था न करने एवं औषधालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति न करने बाबत् चर्चा के लिये।

श्री मोहम्मद माहिर आज़ाद (झुंझुनू)

129. झुंझुनू विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पड़े चिकित्सक, कम्पाण्डरों, ए. एन. एम. व चपरासियों के पद पर शीघ्र नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन)

130. हिण्डौन अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में नवीन डिस्पेन्सरी खोले जाने एवं अस्पताल में दवाइयों का अधिक कोटा दिये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

131. डूंगरपुर जिला हैडक्वार्टर के मुख्य चिकित्सालय को नवीन ग्रामीण चिकित्सा भवन में स्थानान्तर करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल (सपोटरा)

132. प्रदेश में पर्याप्त चिकित्सा के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

133. सवाई माधोपुर के ग्राम पंचायत महापुरा में नवीन डिस्पेन्सरी खुलवाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री निर्भय लाल (रूपवास)

134. रूपवास क्षेत्र के विनऊआ एवं महजपुर काछी में नवीन डिस्पेन्सरी खोलने एवं रूपवास रेफरल अस्पताल रन्दावल, वैधबारेठा एवं बंशी पहाड़पुर तथा उच्चैम में अस्पताल की स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)

135. सीमलवाड़ा क्षेत्र के आदिवासियों की जबरदस्ती नसबन्दी करने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

136. पंचायत बूचिया बड़ा पी. एच. सी. में डाक्टर का न होना तथा भवन निर्माण अभी तक न होने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

137. सागवाड़ा क्षेत्र में अनेक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों तथा दवाइयों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

138. जनजाति क्षेत्रों में डाक्टरों की नियुक्ति नहीं की जाने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

139. सांगवाड़ा अस्पताल में डाक्टरों द्वारा चिकित्सा न करना तथा राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया)

140. गंगानगर के जिला चिकित्सालय की बिल्डिंग के निर्माण हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

141. राजकीय चिकित्सालयों से डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बंद करने व उसके बदले में भत्ता देने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध मेंचर्चा के लिये।

142. चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों के लिए गांवों में निवास करना अनिवार्य किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. संगरिया क्षेत्र के मनीवाली नुकेरा व नगराना में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

144. अलवर जिले में चिकित्सा सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय-पाटन) :

145. बून्दी जिले, के अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप-केन्द्रों के सभी रिक्त पदों को तुरन्त भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. लाखेरी में रेफरल अस्पताल खोला जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. केशोरायपाटन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

148. केशोरायपाटन क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के न रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

149. झांसी जी का बराना, मायंजा आदि पंचायत मुख्यालयों पर स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. सूनगर, करवाला, लेसरडा, चोतरों का खेड़ा आदि केन्द्रों पर कार्यरत स्टाफ के न रहने से जनता को हो रही भारी असुविधा पर चर्चा के लिये।

151. केशोरायपाटन चिकित्सालय में स्टाफ बढ़ाने एवं रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. कार्यरत रेफरल अस्पताल में एक्स-रे मशीन, रोगी वाहन एवं आवश्यक फर्नीचर की पुख्ता व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में तीन बार मौसम के बदलाव के साथ ही जनता के स्वास्थ्य की जांच अभियान चलाकर की जाने पर चर्चा के लिये।

154. मच्छरों द्वारा फैल रहे मलेरिया की रोकथाम के उचित प्रबन्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. रोगनाशक टीकों का घर-घर जाकर प्रचार-प्रसार हेतु हर वर्ष अभियान चलाने पर चर्चा के लिये।

156. केशोरायपाटन क्षेत्र के बलकासा हिन्गोनिया, रडी सारसला, चरड़ाना, आजन्दा, फोलाई, करवाला की झोपड़िया आदि पंचायत मुख्यालयों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

157. कापरेन रेफरल अस्पताल में पागल कुत्ते के काट खाने पर लगाये जाने वाले इन्जेक्शन रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) :

158. ग्रामीण क्षेत्रों में दवाएं निःशुल्क दिये जाने के बारे में चर्चा के लिये।

159. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालय भवन एवं आवासीय भवन अनिवार्य रूप

(श्री फूलचन्द मीणा)

से बनाये जाने हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये ।

160. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूम्बर को क्रमोन्नत कर 100 शय्याऐं वाला अस्पताल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

161. सलूम्बर में अन्तरंग एवं बहिरंग रोगियों की प्रतिमाह क्रमशः 300 व 6000 से अधिक संख्या रहने पर भी इस केन्द्र पर 30 बैड की सुविधा नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

162. डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के अभाव पर चर्चा के लिये ।

163. ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत डाक्टर व कर्मचारियों को बाहरी डाक्टरों व कर्मचारियों से अधिक विशेष भत्ता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

164. ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों/अधिकारियों का निश्चित समय तक पदस्थापित स्थान पर रहने सम्बन्धी व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) :

165. दीलोद, मोरतमपुरा (छीपाबड़ौद) घांटाखेड़ी, तेलनी (छबड़ा), भनभनी आदि में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

166. भाटखेड़ी (छबड़ा) के सब सेन्टर को क्रमोन्नत करने तथा गगचाना (छीपाबड़ौद) में नयी डिस्पेन्सरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

167. पिछड़े व गरीब व्यक्तियों हेतु सुदूर स्थानों तक चिकित्सा सेवाएं सुलभ कराने के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) :

168. तहसील कापालेप घाटोल हैंड-क्वाटर जिला बांसवाड़ा में रेफरल अस्पताल की रोगी वाहन चालक के अभाव में बन्द पड़ी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

169. गांव गनोड़ा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल अस्तपाल में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये ।

170. गांव सेनावासा तहसील जिला बांसवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

171. गांव चड़ला तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने की आवश्यता पर चर्चा के लिये ।

172. गांव नरवाली तहसील घाटौल जिला बांसवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

173. गांव देवदा तहसील जिला बांसवाड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रारम्भ से अभी तक डाक्टरों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

174. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में रेफरल अस्पताल में उद्घाटन के बाद अभी तक स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं अन्य चिकित्सकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

175. गांव लखेरिया व सरोदिया तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में विगत छः माह से सब सेन्टरों में ए. एन. एम. (पसाविका) के पद रिक्त पड़े रहने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

176. तहसील घाटोल हैड क्वाटर जिला बांसवाड़ा के रेफरल अस्पताल में पर्याप्त जमीन होने के बावजूद कमरों की कमी को दूर करने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग)

177. डीग के अस्पताल में वार्ड ब्याय व सफाई कर्मचारियों द्वारा ठीक से काम नहीं किये जाने और अस्पताल प्रशासन का इन पर नियंत्रण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

178. ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों पर औषधियों हेतु समुचित धनराशि आवंटित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

179. चिकित्सालयों में मरीजों को दवाई नहीं मिलने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

180. डीग में विभाग द्वारा गरीबों के अटेण्डेंटों को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

181. ग्रामीण क्षेत्रों में उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्स अथवा कम्पाउन्डर्स न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

182. पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के रजोवा, अयानी जोरावरपुरा, नवलपुरा, दौलतपुरा, गुण, मोहनपुरा, जलोदा तेजाजी, किशनपुरा, हिंगोनिया तथा भटवाड़ा उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत् चर्चा के लिये ।

183. मांगरोल (कोटा) में सामुदायिक चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

184. पीपल्दा क्षेत्र के इटावा, इन्द्रगढ़ एवं मांगरोल में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

185. पीपल्दा विधान सभा के गैंता, बिनायका, सुमेरगंज मण्डी, माल बेमारी, तलाव, बीरदा में

(श्री हीरालाल आर्य)

डिस्पेन्सरी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

186. पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के बागली, रनोदिया, अवानी, जोरावरपुरा, लक्ष्मीपुरा, दुर्जनपुरा, बमूलिया, बारदा, मोहनपुरा, बाबई, बलवन, माल बेमारी, भटवाड़ा, मऊ, जलोदा तेजाजी हिंगोनिया में एडपोस्ट खोलने बाबत चर्चा के लिये।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टौंक)

187. टौंक जिले के चिकित्सालयों में विभिन्न सेवाओं के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्रों के चिकित्सालय तथा औषधालयों में पर्याप्त दवाइयां वितरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

189. दवाइयों हेतु बजट राशि न बढ़ाये जाने एवं समय पर उपलब्ध न कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा)

190. बालोतरा कस्बे में सिटी डिस्पेंसरी प्रारम्भ करने एवं आबकारी विभाग के भवन को डिस्पेन्सरी के उपयोग हेतु उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

191. राजकीय नाहटा चिकित्सालय बासोतरा में वरिष्ठ विशेषज्ञों (स्त्री रोग-एवं शिशु रोग) के पद सृजन कराने हेतु चर्चा के लिये।

192. राजकीय नाहटा चिकित्सालय बासोतरा में कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) अस्थि रोग एवं पैथोलोजी के कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. बासोतरा स्थिति राजकीय नाहटा चिकित्सालय में स्टाफ नर्सों एवं प्रथम श्रेणी नर्सेज की भारी कमी पर चर्चा के लिये।

194. बासोतरा स्थिति राजकीय नाहटा चिकित्सालय में 300 एम. एम. की एक्सरे मशीन एवं जनरेटर की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

195. बासोतरा के राजकीय नाहटा चिकित्सालय में पी. सी. की योजना के अन्तर्गत आवासीय भवन-लेबोरेटरी आदि नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

196. परिवार नियोजन के ग्रामीण कैम्पो की असफलता देखते हुए बड़े अस्पतालों में विशेष कैम्प स्टरलाइजेशन एवं ग्राम विशेष सहायता-जन सहयोग लेकर राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

197. ब्लाक-जन स्वास्थ्य केन्द्र मडली में एवं पी. एच. सी. थोब में विद्युत

(श्री चम्पालाल बांठिया)

कनेक्शन नहीं होने के कारण टेटवेक जैसे छोटे जरूरी इन्जेक्शन के नहीं रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

198. बालोतरा में शिलान्यास के पश्चात भी जानना अस्पताल नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

199. गांवों में दवाई की दुकानें खोलने हेतु केमिस्टों के परिजनों को अनुभव के आधार पर लाइसेन्स देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

200. प्रदेश में मेडिसन-बैंक्स का जन सहयोग से स्थापना कराने हेतु चर्चा लिये।

201. ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सकों को शहरी क्षेत्र से दुगुना ग्रामीण क्षेत्र भत्ता एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

202. बालोतरा में ए. एन. एम. की ट्रेनिंग प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर)

203. ग्राम गांगवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

204. तहसील परबतसर में सब सेन्टरों पर ए. एन. एम. की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

205. ग्राम गुलर तहसील परबतसर में डिस्पेन्सरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. ग्राम मथरी में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती उज्ला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

207. आयुर्वेद व देशी चिकित्सा पद्धतियों का बजट न बढ़ाये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

208. जयपुर जिले की पंचायत वासना में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

209. जे. के. लोन अस्पताल में भर्ती रजिस्टर को देखते हुए मरीजों के लिये और शैयाएं बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

210. जयपुर ग्रामीण की मोती कटला डिस्पेन्सरी के जीर्ण-शीर्ण भाग को हटाकर नव निर्माण कराये जाने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

211. चिकित्सा विभाग में तबादला नीति में सुधार किये जाने व एक पैटर्न बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

212. जनाना अस्पताल एवं सवाई मानसिंह अस्पताल में सभी लिफ्टें बराबर कार्य कर सकें एतदर्थ लिफ्टमैन के पद और बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

213. एस. एम. एस. हास्पिटल में 18 काटेज वार्ड और बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

214. जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल, जनाना अस्पताल, महिला चिकित्सालय, मानसिक चिकित्सालय तथा टी. बी. हास्पिटल में सफाई कर्मचारियों की संख्या अविलम्ब बढ़ाये जाने की आवश्यकता चर्चा के लिये।

215. सवाई मानसिंह अस्पताल को आल इंडिया इन्स्टीट्यूट का दर्जा दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. जमवारामगढ़ चिकित्सालय की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत विभाग द्वारा की जाकर डिस्पेन्सरी में विस्तार को सदैव के लिये रोके जाने की स्थिति को बदले व अतिक्रमण को तुड़वाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

217. कोटा जिला खण्ड में इटावा रेफरल अस्पताल भवन बनवाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़)

218. जिले के चिकित्सालयों में एक्स-रे मशीन, भवनों की मरम्मत, भवन स्थानान्तरण के क्रम में व उप मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं की चर्चा के लिये।

219. बीदासर डिस्पेन्सरी को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या 21 व 26 पर विचार

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि मेरे पास कुल 33 सदस्यों के नाम आये हैं और इस मांग के बाद तीन अधिनियम भी हैं जो आपको पारित करने हैं। यदि माननीय सदस्य पांच-पांच मिनट बोलेंगे तो तीन घण्टे लगेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पांच मिनट में तो सब्जेक्ट होगा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप मेरी बात तो सुनिए। पहले ही निर्णय ले लिया आपने। मैं सारे हाउस से पूछ रहा हूं। इसमें पार्टी का टाइम नहीं होता है। इसलिए यदि आप सहयोग करें तो इसके लिए आपको अधिक समय तक नहीं बैठे रहना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : बैठने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठेंगे नहीं भाषण देकर चले जायेंगे। एक नम्बर पर ही है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह इतने दिन बाद बीकानेर से चलकर आये हैं इसलिए सारी रात बैठे रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : बैठेंगे नहीं आज पहला ही नम्बर है। बोलकर चले जायेंगे। मुझे पता है और लोगों को बैठाये रखेंगे जिनको बोलना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा सात मिनट ले लीजिए। प्रति माननीय सदस्य सात मिनट से ज्यादा समय न लें। कृपया सहयोग करेंगे तो....

श्री हेतराम बेनीवाल : दो मांगें हैं। 10 मिनट कर दें।

श्री अध्यक्ष : देखिए आप 10 मिनट की बात करते हैं तो तीन सौ तीस मिनट होती है, आप सोच लीजिए। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 330 मिनट लगेगी। पांच घण्टे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 10 मिनट भी एक-एक मांग पर नहीं बोलेंगे तो बात कैसे पूरी होगी?

श्री अध्यक्ष : आप जरा व्यावहारिक बात करिए।

इस समय पौने चार बज रहे हैं। यदि आप पांच घंटे लगायेंगे तो पौने नौ बज जायेंगे उसके बाद तीन विधेयक और हैं। आप रात भर बैठें मुझे आपत्ति नहीं है।

एक माननीय सदस्य : बैठ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है जितना बैठना चाहें। 10 मिनट में बोल लें। मगर 10 मिनट से ज्यादा कोई भी माननीय सदस्य नहीं लेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि सत्ता पक्ष के लोग तो सब बैठे रहेंगे और यह सब अभी गणगौर के मेले में चले जायेंगे इन पर पाबन्दी लगायी जाय।

श्री अध्यक्ष : मुझे पता है। श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आज गणगौर का मेला ही नहीं है। आज आपको कैसे याद आ गयी यह हमारी समझ में नहीं आया।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 21 और 26 के बारे में मैं अपने विचार रख रहा हूं। सबसे पहले मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग जो प्रमुख रूप से गांव की सड़कों और राजमार्ग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग और सार्वजनिक मार्ग के रख रखाव का काम करता है उसके बारे में अपने विचार रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के शासन के वक्त राज्य में 1971 की आबादी के अनुसार जिन गांवों की आबादी 1500 थी उन गांवों में से प्रतिदिन हम दो गांवों को सड़कों से जोड़ रहे थे। लेकिन पिछले एक वर्ष में इस विकास की गति को जब से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने यह कार्य सम्भाला है, गांव के विकास के हामी बनने वाले यह गांव के दुश्मन हैं और गांव के विकास की गति को बिल्कुल धीमा कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने पिछले एक वर्ष में कितने गांवों को सड़कों से जोड़ा.... (व्यवधान)

यह जो व्यवधान कर रहे हैं आप उतना समय बढ़ा देना।

श्री रमजान खां : आप प्रतिदिन दो गांवों को सड़कों से जोड़ रहे थे क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपके मंत्री खण्डन कर देंगे। यदि मेरे वक्त में दो गांव नहीं जोड़े तो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह प्रतिदिन दो सड़कों का पैसा + + + आपको पता है क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं + + + तो आपकी सरकार है मुझे जेल के सींखचों में बंद कर दें। नहीं तो मेरे पास आप सबके कच्चे चिट्ठे हैं, दुकान में क्या करते हैं। कितना सच्चा तोलते हैं।

एक माननीय सदस्य : व्यवधान मंत्री जी, आप व्यवधान न डालें। महत्वपूर्ण विषय है आप ध्यान देकर सुनिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, गांवों को जोड़ने का काम था वह बहुत मंथर गति से चल रहा है और साथ-साथ सड़कों के निर्माण में भी व्यापक राजनैतिक भेदभाव किया गया है। कांग्रेस के वक्त में जो 1500 की आबादी 1971 की थी उसके आधार पर हम गांवों को जोड़ रहे थे लेकिन आजकल सार्वजनिक निर्माण विभाग में जहां भाजपा के विधायक जीते हुए हैं वहां पर तो सड़कें बना रहे हैं....

श्री हीरासिंह चौहान : गलत बात मत कहिए। यह आप लोग किया करते थे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इस तरह तो मुझे घण्टा भर बोलना पड़ेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो एक घण्टे में पूरा नहीं होगा। बीच में व्यवधान करते हैं वह समय काटें।

श्री अध्यक्ष : क्या फर्क पड़ता है। रात भर बैठने की चिन्ता नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप कहते हैं तो बैठे रहेंगे हम तो।

श्री अध्यक्ष : मुझे कोई चिन्ता नहीं है। आप मेरी व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं हैं। व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि अध्यक्षजी रोकें। अध्यक्ष किस को रोकें। कोई मानता है ? जब यह तय हो गया कि 10 मिनट से अधिक नहीं लेंगे, कोई व्यवधान नहीं करेंगे। आप व्यवधान करते हैं तो परिणाम होगा सो होगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : व्यावधान तो सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं Right of reply is reserved to the Government.

श्री अध्यक्ष : मैं उन्हीं को कह रहा हूं। व्यवधान करेंगे तो समय तो लगेगा।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(3.43. म. प.)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप उन से कहिए तो सही कि वह बराबर व्यवधान क्यों करते हैं ? इनका समय ले रहे हैं आप कहते भी नहीं हैं। सब जवाब दे देंगे मंत्री जी।

श्री हीरासिंह चौहान : ऐसी बात होती है तो हम को बोलना पड़ता है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपके मंत्री जी बोलेंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : वह तो बाद में बोलेंगे।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न करें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, यह हमारा समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप विराजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : कल्लाजी, आपका समय पूरा हो गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपका समय पूरा हो गया। आपकी गवर्नमेण्ट तो डायलसिस पर है, हमारा समय तो आ रहा है।

श्री सभापति : आप बोलिए, माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना हूं कि उन्होंने पिछले एक वर्ष में कांग्रेस के जो 50 विधायक आये हुए हैं उनके निर्वाचन क्षेत्र में और जनता दल के विधायक आये हुए हैं उनके क्षेत्र में और उनकी तुलना में भाजपा के विधायक आये हुए हैं उन क्षेत्रों में कितनी-कितनी सड़कें बनायीं, कितनी स्वीकृतियां कीं।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय कल्ला साहब ने जनता दल का नाम इंगित किया है इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे साथ जितना आपने अन्याय किया उतना ही वह कह रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमने तो एक आधार बनाकर गांव की सड़कों का निर्माण किया है। सभापति महोदय, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि हम ने 15 सौ की आबादी के आधार को मापक बनाकर गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम हाथ में लिया था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सिर्फ बीकानेर नगर क्षेत्र में।

श्री सभापति : माननीय महावीर जी, शांत रहें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, राज्य के छः सम्भागीय मुख्यालयों की सड़कों को राज्य सरकार ने टेक ओवर किया और उसके बाद जो प्रस्ताव एडीशनल चीफ इन्जनियर ने भेजे उसके आधार पर सड़कों को टेक ओवर किया गया और इसके लिये सारे सम्भागीय मुख्यालयों को फण्ड्स दिये गये। अभी पिछले एक

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

वर्ष से कोटा के अलावा कहीं पर भी सड़कों का काम नहीं हो रहा है। न तो अजमेर में हो रहा है, न उदयपुर में, न जयपुर में, न जोधपुर में और न ही बीकानेर में हो रहा है। बल्कि बीकानेर में तो जो सड़कें रख रखाव के अन्तर्गत चल रही थीं उनको भी इन्होंने जानबूझ कर बन्द कर दिया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कोटा ले गये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह कोटा के ही मंत्री हैं जैसे, और राजस्थान बिल्कुल खड्डे में जाये भले ही।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे यह बताइये कि आपने जयपुर में कब सड़क बनवाई। जो बनवाई, हमने बनवाई। आपने तो कभी बनवाई नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे वक्त में जयपुर को 5.30 करोड़ रुपये दिये थे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने कब चिन्ता की थी जयपुर की ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : साढ़े पांच करोड़ रुपये खर्च किये थे हमने। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : यह गलत सूचना दे रहे हैं।

श्री सभापति : अब आप व्यवधान क्यों कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : हम व्यवधान नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप भी वही कर रहे हैं, जो वह कर रहे हैं। कृपया बैठ जायं।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप उनसे कहें कि बार-बार व्यवधान न करें।

श्री सभापति : इस समय तो आप कर रहे हैं व्यवधान। कृपया बैठ जाइये। उनको कह दिया वह बैठ गये। अब आप बैठें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, जो सम्भागीय मुख्यालयों पर काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है उसको गति देनी चाहिये। इसके अलावा हमारे राज्य के स्टेट हाईवेज हैं (व्यवधान)....

श्री सभापति : आपको वही उपाधि देनी पड़ेगी। बैठिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, इनको समझाइये कि किस प्रकार से अनुशासनहीनता करते हैं। यह अनुशासन-हीनता है कि कोई आदमी बोले उसमें आप व्यवधान डालें। मंत्री को जवाब देने का पूरा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलिये आप। माननीय महावीर जी, कृपया शांत रहें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह आदत से लाचार हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापित महोदय, राजमार्ग और राष्ट्रीय उच्च मार्ग

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

के काम भी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस के शासन के वक्त में राष्ट्रीय उच्च मार्ग की जितनी किलोमीटर सड़कें बनीं और आपके वक्त में जितने किलोमीटर बनी, तो इससे आपको पता लग जायेगा कि कांग्रेस के शासन में ज्यादा बनीं या आपके शासन में ज्यादा बनीं।

इसके साथ-साथ, हमारे जो सार्वजनिक पार्क हैं, खास तौर से रामनिवास पार्क जो यहां से, असेम्बली से दो तीन किलोमीटर की दूरी पर है, उदयपुर का गुलाब बाग, बीकानेर का पब्लिक पार्क, यह सारे के सारे अगर आज जाकर देखें तो दूब भी नहीं मिलेगी आपको। नये पार्क तो बनने से रहे, लेकिन जो पार्क हम लोगों ने बनाये थे, उन पार्कों का रख रखाव भी यह लोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि कांग्रेस के शासन के वक्त अलवर में एक रोड ओवर-ब्रिज की स्वीकृति दी गई थी। जयपुर में बाइस गोदाम के पास एक रोड ओवर-ब्रिज की सैंक्शन दी गई, उसके खम्भे आप जाकर देख सकते हैं, काम शुरू हो गया। बीकानेर में रानी बाजार के रोड ओवर-ब्रिज का काम स्वीकृत हो गया, उसका काम करीब-करीब डेढ़ महीने का बाकी था। इस तरह तीनों ओवर ब्रिजेज का काम बाकी है। अलवर की रोड ओवर ब्रिज तो करीब-करीब पूरी हो चुकी है और कांग्रेस के समय में ही पूरी हो चुकी थी, पर बीकानेर में रानी बाजार का पुल जो है, डेढ महीने का काम जो बाकी था, वह साल भर से मंथर गति से चल रहा है। वहां एक साल में कोई विशेष काम नहीं हुआ। मंत्रीजी जब बन करके वहां पर स्वागत के लिये गये थे, तो रतन बिहारी पार्क में यह कहा था कि मैं बीकानेर को गोद लेता हूं, बीकानेर को मैं आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन केवल मात्र जैसे दिखावी फूल बनते हैं, ख्वाबी फूल, वह बीकानेर की जनता को देकर आये। 50 लाख रुपये का सड़कों और ओवर ब्रिज का काम जो चल रहा था, उस काम को इन्होंने जान बूझ करके आगे नहीं बढ़ाया। और तो और, कोटा में कांग्रेस के शासन के वक्त लगभग 1.2 करोड़ की लागत के पुल हमने मन्जूर किये थे उन पुलों को भी इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। उनका काम भी मंथर गति से चल रहा है। तो बीकानेर के लोग क्या उम्मीद करें जब कोटा में, जो इनका स्वयं का कार्य क्षेत्र है, इन्होंने विशेष काम नहीं किया और पुलों की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है।

न तो इनके पास सीमेन्ट है, कहीं पर डामर का अभाव है। सी. एस. पी. ओ. का जो रेट काण्ट्रेक्ट, है उसके अनुसार 52 रुपये में इनको सीमेन्ट की थैलीं मिलनी चाहिये उस रेट को बढ़ाकर इन्होंने 75 रुपये कर दिया लेकिन इसके बावजूद भी विभाग के पास आज सीमेन्ट का अभाव है। डामर और सीमेन्ट के अभाव में हमारे राजस्थान के जो सरकारी भवन और सड़कें हैं, वह चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री और सार्वजनिक निर्माण मंत्री को कोस रहे हैं कि राजस्थान की प्रगति को आपने आकर के

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

शून्य कर दिया। किया क्या? स्थानान्तरण खूब किये हैं। पी. डब्ल्यू. डी. में आज स्थानान्तरण हो रहे हैं, दूसरे सप्ताह निरस्त हो रहे हैं। मैं दो तीन उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। रतनगढ़ के अधिशासी अभियन्ता श्री आर. एस. शर्मा का स्थानान्तरण आपने किया, एक हफ्ते के बाद आपने केन्सिल कर दिया। इसी तरह से बीकानेर के अधिशासी अभियन्ता को एक बार आपने राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में लगाया और फिर वहां से हटा दिया। ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको छांट कर बता सकता हूं कि आपने एक्स. ईएन, एस. ई, ए. ईएन. और जे. ई. एन. इनके स्थानान्तरण बहुत तेज गति से किये, पर विकास की तरफ आपने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस बजट में राजस्थान में एक भी रोड ओवरब्रिज न लेना, मैं समझता हूं उससे आपके और आपके विभाग के बारे में यह लगता है कि राजस्थान की समस्याओं के बारे में आप या तो अनभिज्ञ हैं या जानबूझ कर आप काम नहीं करना चाहते। न तो आपने रींगस का ओवरब्रिज मन्जूर किया, न रतनगढ़ का किया, न हनुमानगढ़ का किया और न ही आपने बीकानेर के जो चार रेलवे फाटक हैं वहां पर आपने रोड ओवरब्रिज बनाने का जो वायदा किया था पिछली विधान सभा में कि खेल मंत्री से मिलेंगे और मास्टर प्लान के अनुरूप एक डाइवर्शन ट्रेकट डालने के बारे में उनसे बात करेंगे। आपसे पूर्व राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की सलाह से एक पत्र रेल मंत्री को दिया था और यह कहा था कि इन चारों रेल्वे फाटकों को मास्टर प्लान के अनुरूप एक डाइवर्शन ट्रेक डालकर इस समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है और इसके लिए हम 50 प्रतिशत राशि देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज तक आपने इसके बारे में क्या किया और मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्य हिस्सों में भी जो रोड ओवर ब्रिज बनने चाहिये थे, वह निश्चित रूप से बनने चाहिये। बीकानेर की विशेष समस्या जो पिछले कई वर्षो से है, जहां कांग्रेस के शासन में एक रोड ओवर ब्रिज हमने मंजूर किया, उस रोड ओवर ब्रिज को जल्दी से जल्दी पूरा करें और साथ-साथ मास्टर प्लान के अनुरूप डाइवर्शन ट्रेक की व्यवस्था करवायें। अभी पिछले दिनों गुपचुप में रेलवे ने ऐसी कार्यवाही की है कि लालगढ़ रेलवे और बीकानेर रेलवे स्टेशन के बीच में एक ब्राडगेज लाइन डालने की बात कही है, आप इसको रोके या न रोकें, लेकिन बीकानेर की सारी राजनीतिक पार्टियां और कांग्रेस पार्टी आगे आकर उस ब्रोडगेज को नहीं डालने देगी और समय रहते मैं आपको यह चेतावनी देना चाहता हूं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या सभापति महोदय,....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं दो मिनट ही नहीं बोल पाया हूं और अभी बाद विवाद के बारे में....

श्री सभापति : 15 मिनट हो गये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 10 मिनट में से 8 मिनट तो व्यवधान में, मैं तो 2 मिनट ही बोल पाया हूं।

श्री सभापति : 5 मिनट व्यवधान के, 10 मिनट आपके हो गये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, नहीं पौने चार बजे मैंने शुरू किया है।

श्री सभापति : आप समाप्त कीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, आप तो मुझे कम से कम प्रोटेक्ट कीजिए।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : बोले हो यह सही माना जाये या यह माना जाये कि 2 मिनट ही नहीं बोले।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक तो सभापति महोदय, चीफ व्हिप महोदय से कहो अपने स्थान से बोलें।

श्री सभापति : आप बोलिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : चीफ व्हिप अपने स्थान से नहीं बोलकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं। मैं अपने स्थान के....

श्री सभापति : आप बोलिये, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप कौन हैं? आप यहां पर माननीय सदस्य हैं, चीफ व्हिप हैं। कृपया आसन पर पधारें और वार्ता करें। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे क्या बात हो रही है, विधान सभा के प्रागंण में बात हो रही है। कोई व्यक्तिगत बात हो रही है यहां पर?

श्री रमजान खां : आप बोलिये, कल्ला साहब। आटे में नमक डालें, उतना तो करो। थोड़े अच्छे-अच्छे सुझाव दो।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : समाप्त नहीं होगा। मैं अपनी पार्टी का समय ले रहा हूं। पहले स्पीकर को हमेशा 30-40 मिनट दिये जाते रहे हैं। सभापति महोदय, राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में जो जो ट्रैफिक सिगनल्स, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा, उनमें करीब 40 प्रतिशत ट्रैफिक सिगनल, आप स्वयं जाकर देख लें, उनकी लाइटें खराब पड़ी हैं, उनके ट्रैफिक सिगनल्स को ठीक किया जाये। साथ ही सड़कों के रख-रखाव के लिए जो राशि का आबंटन होता है, उसमें जो गांवों की सड़कें खराब पड़ी हुई हैं; गांव की सड़कों और राजमार्ग जो हमारे खराब पड़े हुए हैं, उनको ठीक करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पिछले दो वर्षों में राज्य में बीकानेर, अजमेर से होते हुए इन्दोर तक का राष्ट्रीय उच्च मार्ग डिक्लेयर करने के बारे में केन्द्रीय सरकार से काफी पत्राचार हुआ, उसके बारे में आपने क्या प्रगति की और यदि वह डिक्लेयर हो गया तो उसके बारे में आज तक आपने क्या कार्यवाही की। आपने कौनसे राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करवाये। मैं समझता हूं कि विभाग की उपलब्धि बिल्कुल नगण्य रही है और इस विभाग ने केवल स्थानान्तरण और राजनीतिक हस्तक्षेप के अलावा कोई काम नहीं किया है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से बीकानेर का उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि टेण्डर लेने के लिए जायेंगे तो ललितकिशोर चतुर्वेदी के जो आदमी नामिनेट किये हुए हैं, बीकानेर में उनके अलावा किसी को टेण्डर कोपी नहीं मिलेगी। 10 लाख रुपये से अधिक के काम कोअपरेटिव सोसायटीज को दिये गये। 25-25 हजार के काम आप बतायें, बीकानेर के कितने लोगों और राजस्थान में किन-किन इलाकों में कोअपरेटिव सोसायटीज को, जिनका आडिट नहीं हुआ है, जिनका अंकेक्षण नहीं हुआ है, ऐसी कोआपरेटिव सोसायटीज को कितने काम दिये गये। बिना टेण्डर के खोले कितने करोड़ के काम राजस्थान में दिये गये, इससे आपको पता लग जायेगा कि इस पी. डब्ल्यू. डी. ने पिछले एक वर्ष में क्या काम किये हैं। भवनों के रख रखाव का जहां तक प्रश्न है, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के भवन आज बिल्कुल अधरझूल में लटके हुए हैं। रख रखाव के अभाव में एस. एम. एस. हास्पिटल की स्थिति आप देखें। आज एस. एम. एस. हास्पिटल बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। बीकानेर के पी. बी. एम. हास्पिटल की पट्टियां टूटी हुई हैं। पिछले वर्ष 10 लाख रुपये लगाकर उसकी मरम्मत की गई लेकिन इस बार उसके लिए एक पैसे का भी प्रावधान नहीं किया गया है। कोटा के हास्पिटल की स्थिति भी खराब है। (व्यवधान) सभापति महोदय, जो अपने स्थान से नहीं बोल रहे हैं, उनको तो आप कम से कम हिदायत दें।

श्री सभापति : आप तो बोलते रहिये। (व्यवधान) आप बोलते रहिये, माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसे व्यवधान में नहीं बोल पाऊंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांत रहें। आप बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, इसको तो रोकें, कृपा करके।

श्री सभापति : रोक दिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप डांटते क्यों नहीं हैं ?

श्री सभापति : अब आपको भी रोक रहा हूं मैं। माननीय सदस्य, बिराजिये। आप बिराज जाइये, माननीय सदस्य।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह विपक्ष में बैठने के लिए इधर आ रहे है और हम उधर जा रहे हैं।

श्री सभापति : हां, बिराजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, जो बिना टेण्डर के काम दिये जा रहे हैं, उनको तुरन्त प्रभाव से रोकना चाहिये। अभी बीकानेर में लिलीपोण्ड का काण्ड हुआ, उसके सम्बन्ध में मैं समझता हूं आपके पास शिकायत आई है, आपकी पार्टी के लोगों ने की है, उस शिकायत पर आपने क्या किया। बीकानेर का पब्लिक पार्क, जहां पुराने स्टेट टाइम से एक झील बनी हुई है, उसकी मरमम्त के लिए पैसे स्वीकृत हुए और उसका काम शुरू हुआ ही नहीं कि उससे पहले ही घपला हो गया। सभापति महोदय, ऐसे अनेकों काम गिनाये जा सकते हैं लेकिन उसमें....

श्री सभापति : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं इसमें नहीं जाकर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आपके माध्यम से देना चाहता हूं। एक तो राज्य में जितनी भी सड़कें बनें, मेरा आपको यह विनम्र सुझाव है कि यह सारी की सारी सड़कें आर. बी. सी. सी. के माध्यम से बनवायें। आर. बी. सी. सी. हमारा अपना एक राजकीय उपक्रम है और जिसकी क्वालिटी के बारे में और जिसकी कार्य क्षमता के बारे में हम सभी जानते हैं। यदि आर. बी. सी. सी. के माध्यम से पूरे राज्य की सड़कें बनाने का काम हम देंगे तो यह बिचौलिये, मध्यस्थ, कांट्रेक्टर, आदि सब समाप्त हो जायेंगे। अब यह कहेंगे कि आपने क्या किया। मेरे वक्त में यह केबिनेट निर्णय हुआ था, केबिनेट डिसीजन हुआ था कि एक करोड़ से अधिक के काम आर. बी. सी. सी. से करवायेंगे। उसके अलावा इस काम को हम और नीचे से लेकर 10 लाख रुपये तक और धीरे-धीरे इन सारे कामों को आर. बी. सी. सी. के माध्यम से करवाने का हमारा पूरा मानस था। इसी तरीके से जो अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, सारे के सारे फील्ड में काम करना चाहते हैं, कांग्रेस के शासन में यह किया गया कि जो अधिकारी दो वर्ष तक यदि आफिस में काम नहीं करेगा, उसको नैक्स्ट प्रमोशन नहीं दिया जायेगा। चाहे जे. ई. एन. हो, चाहे ए. ई. एन. हो, चाहे एक्स. ई. एन. हो चाहे एस. ई. हो और इस निर्णय का कार्यान्वियन भी हुआ और भी हो रहा है लेकिन इस सरकार ने जो स्थानान्तरण की नीति बनायी, उस नीति में यह कहा गया था कि हम जिस व्यक्ति का स्थानान्तरण कर देंगे, तीन महीने तक उसका स्थानान्तरण निरस्त नहीं करेंगे। मैं दो उदाहरण तो आपको दिये हैं और मैं आपको छांटकर ऐसे सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूं जिसमें इन्होंने स्थानान्तरण नीति की अवहेलना की है और खुद स्थानान्तरण नीति बनाने वाले ही उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां तक राज्य में गांवों को सड़कों से जोड़ने की बात आयी....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं पी. डब्ल्यू. डी. को जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : तो अभी और शुरू करने वाले हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, ऐसा है, व्यवधान के बाद फ्लो नहीं बन पाता और यह जान-बूझकर फ्लो को तोड़ना चाहते हैं।

(4.00 म. प.)

मुझे अफसोस तो तब होता है जब मंत्रिगण भी व्यवधान करते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, 20 मिनट हो गये आपको।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं क्या करूं, सभापति महोदय, एक-एक मिनट में व्यवधान करेंगे तो कैसे बोल पाऊंगा।

सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक करोड़ से अधिक के भवन और सड़कों का समस्त कार्य उत्तर प्रदेश सरकार की तरह यदि आर. बी. सी. सी को सौंप दिया जाय तो मैं समझता हूं कि गुणवत्ता की दृष्टि से यह काम बहुत अच्छा होगा और बिचौलिये और मध्यस्थ....

श्री सम्पत सिंह (कृषि मंत्री) : माननीय कल्ला साहब, आप अपने मंत्री काल में कितने होम सिक थे कि आपने उत्तर प्रदेश से लगा हुआ राजस्थान का इलाका देखा ही नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : किसने कहा नहीं देखा ?

श्री सम्पत सिंह : मैं कह रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वहां देखा है बराबर। उत्तर प्रदेश में मैंने जाकर सब बातें देखी हैं, तभी बता रहा हूं। वहां कांग्रेस ने ही किया था यह।

सभापति महोदय, गुणवत्ता की दृष्टि से सड़कें अच्छी बनेंगी और इसके साथ कम लागत में अच्छी सड़कें बन सकेंगी। इसी तरीके से पी. डब्ल्यू. डी. का जो मैकेनिकल डिवीजन है उसको हमको स्ट्रेन्थन करना चाहिए, उसमें अच्छे इक्विपमेण्ट खरीदने चाहिए। पेवर रोड्स बनाने के लिए यदि अच्छे इक्विपमेण्ट्स खरीदेंगे तो इसका इम्पेक्ट राजस्थान की सड़कों पर आयेगा। राजस्थान से कभी दिल्ली जाते हैं तो आप देखते हैं कि इसको चार लाइन की सड़क बनाने का काम हम लोगों ने हाथ में लिया था। कुछ काम शुरू भी हुआ था, लेकिन आज वह बिलकुल मंथर गति से चल रहा है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपने ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको मौका मिलेगा तब आप बता देना।

सभापति महोदय, इस सड़क को जल्दी बनाना चाहिए। केन्द्र सरकार के माध्यम से, विश्व बैंक के माध्यम से कुछ योजनाएं कांग्रेस के समय में मंजूर हुई थीं। उनके लिए लगभग सवा सौ करोड़ से अधिक की राशि हमें मिली थी। वे सड़कें भी बहुत ही धीमी गति से चल रही हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भीलवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर सम्भाग की सड़कें हमारे मंत्री महोदय ने निरस्त करके अन्य सड़कों को मंजूर किया है। यह मैं समझता हूं कि भारत सरकार और राजस्थान की जनता के साथ आपने खिलवाड़ किया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जानकारी तो पूरी रखो, ऐसी गैर जिम्मेदार जानकारी देना अच्छी बात नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो मेरे को जानकारी मिली है वह बता रहा हूं। आपने भीलवाड़ा में जो सड़कें....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसी तरीके से केन्द्र सरकार के सहयोग से जो सड़कें हमने मंजूर करायी थीं उन सड़कों का काम भी आपने जान-बूझकर शुरू नहीं किया, उनको भी आपको पूरा करना चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं नजूल प्रापर्टी के बारे में एक-दो सुझाव देना चाहूंगा। राज्य में लगभग 100 करोड़ से अधिक की नजूल प्रापर्टी है। इस नजूल प्रापर्टी के रखरखाव के लिए और इन पर जो नाजायज कब्जे हो रहे हैं उनके लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नजूल प्रापर्टी के बारे में एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जो नाजायज कब्जे किये हुए लोग हैं उनको वहां से हटाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो सम्पत्ति राज्य सरकार के काम नहीं आ रही है उस सम्पत्ति को पब्लिक आक्शन के माध्यम से बेचना चाहिए ताकि स्टेट के पास इनकम आ सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अब मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में....

श्री सभापति : आपको 24 मिनट हो गये, माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, सभापति महोदय, मेरे व्यवधान के बारे में आपने मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया।

श्री सभापति : व्यवधान का समय निकालकर बता रहा हूं कि आपको 20 मिनट हो गये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं 7-8 मिनट में स्वास्थ्य विभाग के बारे में बता दूं।

श्री सभापति : आप पांच मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमें तो बी. ए. सी. की रिपोर्ट के ऊपर भी क्षोभ है कि यह सरकार भागना चाहती है, कोई डिस्कशन ही नहीं कराना चाहती। आप गुलोटिन का प्रयोग करवा दीजिए।

श्री सभापति : अनेक माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। आपको इतना अधिक समय....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं अपनी पार्टी का समय ले रहा हूं, 7-8 मिनट में....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय महावीर जी, आप शान्त रहें कृपया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 7-8 मिनट में स्वास्थ्य विभाग के बारे में अपने सुझाव देकर बात समाप्त करूंगा।

श्री सभापति : पांच मिनट।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बशर्ते कोई व्यवधान नही करें।

श्री सभापति : स्ट्रिक्टली पांच मिनट।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, आप आसन पर रहकर बोलने वाले का प्रोटैक्शन नहीं करें....

श्री सभापति : मैंने आपके साथ पक्षपात किया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, अब मैं मांग संख्या 26 पर निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले परिवार नियोजन के बारे में कि यह सरकार बिलकुल विफल रही है। प्रति वर्ष हमारे देश में एक आस्ट्रेलिया का जन्म होता है। बर्थ रेट हमारी बढ़ रही है, डैथ रेट कम हो रही है। हमको बर्थ रेट पर नियन्त्रण करना चाहिए था, लेकिन उस बारे में राज्य सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया। सीमित परिवार सुख का आधार माना गया है, लेकिन इसके लिए इस राज्य सरकार के मंत्रिगण ने, खास तौर से विभाग ने इनकी नीतियों के आधार पर जो काम किये हैं उस आधार पर यह योजना बिलकुल असफल रही है। राष्ट्रीय कार्यक्रम समझकर इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाना चाहिए। प्रदेश में पिछले एक वर्ष में मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम के लिए कोई विशेष काम नहीं हुआ, जिसके कारण सैंकड़ों लोग मर गये। मलेरिया की रोकथाम के लिए भी विशेष उपाय नहीं किये गये। मलेरिया की रोकथाम के लिए जो दवाइयां सरकार उपयोग में ला रही है वे विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं हुईं, इसलिए इनको विशेष कार्यक्रम बनाकर विशेष दवाओं का छिड़काव कर मलेरिया की रोकथाम के लिए कार्य करना चाहिए। इसके साथ-साथ मेडिकल कालेजों को जो राशि ये आबंटित करते हैं उसमें भेदभाव बरता जाता है। कोटा में आपने मेडिकल कालेज खोला, लेकिन इसके साथ-साथ एस. एम. एस. हास्पिटल, जो राज्य का सबसे बड़ा हास्पिटल है, सबसे बड़ा मेडिकल कालेज है, इसको आठवीं पंचवर्षीय योजना में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनाने की बात ये भूल गये। आप हमारे मेडिकल कालेज की हालत को देखें मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल से ज्यादा सुविधाएं यहां नहीं हैं। आज राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में अब चूंकि मेडिकल कालेज खोला है, और अजमेर, जहां मेडिकल कालेज हैं उन मेडिकल कालेजों में स्पेशलिटीज डवलप होनी चाहिए। आज किडनी ट्रांसप्लाण्ट का काम हमारे यहां नहीं होता, ब्रेन ट्यूमर 2-3 साल से निकलने लगा है, ओपन हार्ट सर्जरी हमारे यहां नहीं हो रही है। अलग-अलग स्पेशलिटीज डवलप होनी चाहिए। चण्डीगढ़ में हमारे बाद मेडिकल कालेज खुला वहां पर पी. जी. आई. बन गया लेकिन एस. एम. एस. को आज तक पी. जी. आई. हमने नहीं बनाया। मेडिकल कालेजों को जो बजट आप देते हैं उसमें भी बीकानेर और जोधपुर के साथ भारी अन्याय हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप जयपुर को छोड़कर चारों मेडिकल कालेजों अब कोटा में भी मेडिकल कालेज बन चुका

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

है तो कोटा मेडिकल कालेज को भी समानता के आधार पर फण्ड्स का एलोकेशन करेंगे तो इनका विकास सुचारू तरीके से होगा, नहीं तो रीजनल इम्बैलेंस खड़े हो जायेंगे और मेडिकल कालेज में जो डाक्टर तैयार हो रहे हैं वे भी सही रुप से तैयार नहीं हो पायेंगे। पांचों मेडिकल कालेजों में ग्लूकोज के संयंत्र खराब पड़े हुए हैं, इनको आपको ठीक करना चाहिए। इसके साथ-साथ पिछले वर्षों में हमने सैटेलाइट हास्पिटल खोले है। उनमें कुछ इक्विपमेण्ट्स का आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रबन्ध करना चाहिए था, वह प्रबन्ध आपको तुरन्त करने चाहिए। बीकानेर का सैटेलाइट हास्पिटल मंजूर हो गया लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक उसको नक्शे ही प्रदान नहीं किये हैं जिसके कारण वह हास्पिटल अभी तक बनना शुरू नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर राजस्थान में इसी तरीके के जहां-जहां डोनर्स भवन निर्माण के कामों को हाथ में लेने वाले हैं उनको अविलम्ब नक्शे दिलवायें। एक वर्ष में ये नक्शे ही नहीं दिलवा पाये तो भवन कहां से बनेगा। इसी तरीके से बीकानेर में डाक्टर धनपत राय स्मारक हास्पिटल बन चुका है वहां एम. सी. डब्ल्यू. सेण्टर जल्दी से जल्दी प्रारम्भ करना चाहिए। पिछली बार जब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मांगें चल रही थीं आपने अपने भाषण में यह कहा था कि हम गांवों में विशेष सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। आपने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इस वर्ष खोलने की घोषणा की है वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। आपको ज्यादा से ज्यादा....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं बहुत ही....(व्यवधान) सभापति महोदय, ऐसा करेंगे तो कैसे बोल पाऊंगा ?

श्री सभापति : आपको 30 मिनट हो गये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, आप ऐसा कह रहे हैं। अब तो मैं बिलकुल सजेशन ही दे रहा हूं कृपया।

सभापति महोदय, इसी तरह से गांवो में हमको खास तौर से राजस्थान में लगभग 34 हजार गांव हैं उनको देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो खोले गये हैं वह बहुत कम है, इनकी संख्या बढ़ायी जानी चाहिये। इस विभाग में भी इन्होंने स्थानान्तरण की झड़ी लगा दी है। इसी के साथ-साथ मैं....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपको स्थानान्तरण फोबिया हो गया है क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : स्थानान्तरण फोबिया आपको हुआ हैं, मैने एक भी स्थानान्तरण निरस्त करने के लिये आपको नहीं कहा है....

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : कहा है, कहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप दिन रात यही काम करते रहिये और राजस्थान की जनता को (व्यवधान)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक केस के बारे में जरुर इशारा करना चाहूंगा कि पिछले दिनों 21 दिसम्बर को यहां पर + + + (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : श्री सुरेन्द्र व्यास ने सही राय दी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य मुझे आग्रह कर रहे हैं कि उस सम्बन्ध में मैंने मोशन दिया हुआ है इसलिये में मोशन के वक्त में अपनी बात कहूंगा....

श्री सभापति : आपका समय बचेगा माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सभापति महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि + + + (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसके साथ जो इन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और पी. डब्ल्यू. डी. में अलग अलग अपने + + + और वहां अधिकारियों को आतंकित करके, आज हर अधिकारी चाहे आपके सामने नहीं कहे लेकिन दबी जुबान से यह कहते हैं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कोई जन कल्याण की बात करें तो हम मानें, पर कितने-कितने मंत्री हो गये, एक-एक इलाके में हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आपको मंत्री मानता है और हर काम में राजनीतिक दखलन्दाजी करता है....(व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राजनीतिक दखलन्दाजी करके विभाग के काम में। मुझे इस बात का....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : कल्ला साहब यह मंत्रीजी की उदारता का परिचय है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे इस बात का क्षोभ है....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : हमें इस बात का गर्व है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : + + +

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : + + + (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सभापति महोदय, यह शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं माननीय सचेतकजी....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : इन्होंने यह कैसे कहा? तब आपको तकलीफ नहीं हुई?

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं दोनों तरफ कह रहा हूं....

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आप इनका साथ मत दो, सी.पी. आई. कभी इनके साथ नहीं लगा है। सी. पी. आई. के पद चिन्हों पर मत चलो।

श्री सभापति : माननीय गुप्ताजी कृपया विराजें।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सभापति महोदय, जो शब्द दोनों ने इस्तेमाल किए हैं वह एक्सपंज होने चाहिये।

श्री सभापति : माननीय कल्लाजी कृपया समाप्त करें। बहुत हो गया। आप कृपया बिराज जाइयेगा।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : कोई असंसदीय नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं समाप्त कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि हैल्थ सैक्रेटरी और पी. डब्ल्यू. डी. सैक्रेटरी और जिले में एस. ई. और एडिशनल चीफ इंजीनियर्स की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें जन-प्रतिनिधियों की जगह वहां पर इनके संगठन के कार्यकर्ता आफिशियल मीटिंग्स में भाग लें मैं यह समझता हूं कि+++ऐसा हुआ है। आगे ऐसा होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। बीकानेर में इन्होंने एडिशनल चीफ इंजीनियर के साथ भंवरलाल कोठारी को बैठाया....(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : ऐसा है कि आप लोगों की यह गति इसलिये हुई कि आप जनता से कट गये। अकेले अकेले ही करते थे,+++....(व्यवधान), हमारा ईमानदारी का शासन चल रहा है और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चलता है इसलिये हम सत्ता में आये हैं और आप बाहर चले गये हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा लगता है कि कालीचरण सराफ ने शराब के ठेकेदारों से ज्यादा चन्दा लिया है। हमने तो कभी किसी से चन्दा लिया नहीं है, कभी मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में धब्बा नहीं लगने दिया है—(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता :+++

श्री बुलाकीदास कल्ला :+++

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आपको बताया होगा उन्होंने...

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैंने अपने जीवन में कभी भी, एक बार भी +++ हो तो मैं अपने पद से रिजाइन कर दूंगा या फिर यह कर दें।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : फिर आपको शराब के ठेकेदारों की जानकारी कैसे हुई ?

एक माननीय सदस्य : कल्ला साहब कांग्रेस पार्टी में आकर+++....

+++शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री कालीचरण सराफ : शराब वालों से किनके रिश्ते हैं यह राजस्थान की जनता को पता है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आपकी ज्यादा जानकारी है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, आप मानते हैं कि + + + हूं ?

श्री सभापति : कल्ला साहब, बैठिये, आप सब बैठें। अभी कल्लाजी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, सरकार इनकी है यदि कांग्रेस के किसी आदमी ने गलत काम किया है तो उसको दंडित क्यों नहीं करते हैं, + + +

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आपको आनी चाहिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे को क्यों आनी चाहिये। आप मेरे जैसे व्यक्ति के बारे में जो कभी चाय नहीं पीता है उसके बारे में कहते हैं कि + + + .

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : जो आप लोगों ने किया है एक को भी नहीं बक्शा जायेगा, आपकी हालत ऐसी हो गई कि विरोधी दल के लोगों को तोड़-तोड़ कर कांग्रेस में ला रहे हैं, आपकी ताकत खत्म हो गई।

श्री सभापति : गुप्ताजी कृपया शान्त रहें।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आज आपकी हालत खराब हो गई इसलिये विरोधी दल के लोगों के पीछे लगे हुये हैं....

श्री हरिसिंह (महुआ) : दल बदलुओं की ताकत पर आपकी सरकार बची हुई है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आसन पैरों पर है। कृपया बिराजिये। (व्यवधान)

माननीय कल्लाजी आप समाप्त कर रहे हैं या मैं दूसरे का नाम पुकार रहा हूं। आप कृपया शान्त रहें ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : आपका एक मिनट पूरा नहीं होगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सभापति महोदय, मेरे बारे में चीफ व्हीप ने आरोप लगाया कि + + + और आप सहन कर लेंगे, आप सुन रहे हैं ?

श्री सभापति : मुझे मालूम हैं कि आप + + + नहीं पीते हैं।

श्री बुलाकीदास गुप्ता : नहीं, तो फिर उनको माफी मांगनी चाहिये मेरे से और सदन से माफी मांगनी चाहिये। यह मेरा अपमान नहीं है; सदन का अपमान है....

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : हमारी पार्टी के खिलाफ यहां हाउस में बोलना चाहिये, खिलाफ बोलना चाहिये यह पता नहीं है इनको (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, पहले इसका निर्णय होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, मैंने यह कहा था कि आप शराब वालों के पास बैठते हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं तो किसी शराब वाले को जानता ही नहीं हूं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : बहुत अच्छी बात है नहीं जानते हैं तो फिर आपको पैसे लेने का पता कैसे चला कि हमने पैसे लिये ? जब आप जानते ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, + + + यह कल्लाजी का व्यक्तिगत मामला है इसको हाउस का मामला क्यों बनाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : आप समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट में कनक्लूड कर रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : इनको समाप्त कर लेने दीजिये। पहले कल्ला साहब समाप्त कर लें, नहीं तो मैं दूसरा नाम पुकारूंगा। बहुत हो गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर भाषण समाप्त होने के बाद नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप समाप्त कर रहे हैं या दूसरा नाम पुकारु ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : मेरे बारे में जो भी आरोप लगाये गये हैं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, + + + मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। आप तो इस तरह से मौन हो गये जैसे आपसे कोई मतलब ही नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप तो बैठो।

श्री सभापति : पहले कल्ला जी को समाप्त कर लेने दीजिये फिर आपका पाइन्ट आफ आर्डर सुन लेंगे। माननीय श्रीकल्लाजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सभापति : आप बोलिये । आपके बाद में उठायेंगी पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कैसे बोलिये । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप क्या बात कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : बहुत हो गया । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, पहले पाइन्ट आफ आर्डर तो सुन लें । महिलाओं का तो ध्यान रखें । आप महिला को बोलने से रोकते हैं । (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस सदन की कुछ परम्पराएं है, इस आसन की गरिमा है और मैं पाइन्ट आफ आर्डर उठा रही हूं आप सुन नहीं रहे यह क्या बात हुई.... (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही हूं कि मुख्य सचेतक का पद इस सदन मेंबहुत जिम्मेदारी का पद होता है और उनको बहुत सोच समझकर बहुत गम्भीरता से अपनी बात कहनी चाहिए । वह आसन की मदद करते हैं और सदन को मार्ग दर्शन करते हैं कि माननीय मुख्य सचेतक को ध्यान नहीं रहता कि वह मुख्य सचेतक है--

श्री सभापति : यह आपका पाइन्ट ऑफ आर्डर है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है । मेरी व्यवस्था का प्रश्न है, आपको मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी....

एक माननीय सदस्य : यह धमका रही हैं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : धमकाने का प्रश्न नहीं है (व्यवधान)

सत्तारूढ़ पक्ष से भी मैं निवेदन करना चाहूंगी....

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, यह आसन को धमकी दे रही हैं कि आपको सुनना ही पड़ेगा ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मुझे इस सदन में बैठने का तीस साल का अनुभव है मैंने ऐसा के ओस कभी नहीं देखा । मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी बजाए इसके कि किसी विपक्षी सदस्यों को ठीक से सुनें, आपके मंत्री को अधिकार है उन आरोपों को रिफ्यूज करने का, जो चार्जेज लगाए उसके बारे में कहने का, अपनी बात कहने का, अपनी प्रगति बताने का, सारे साल का लेखा जोखा देने का, आप किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते । फिर जनतंत्र कहां हुआ ? मुझे बड़ा अफसोस है कि आज विधान सभा के अन्दर जिस तरह का रवैया सत्ता पार्टी का है ऐसा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा.... (व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप आसन पर बैठे हुए हैं इस आसन की कुछ गरिमा है, सदन कुछ परम्पराएं हैं....

श्री सभापति : बिराजिए आप, हो गया सुन लिया ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं तो बैठ जाऊंगी। (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : रवैया कभी विपक्ष का भी नहीं देखा जिस प्रकार से + + + किए जा रहे हैं ऐसा विपक्ष ने भी कभी नहीं किया। यह भी पहली बार हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए, आप बिराजिए। माननीय कल्ला जी आप बोलिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि मैं यहां तीसरी बार चुनकर आया हूं और जो मेरे सार्वजनिक या निजी जीवन को जानते हैं वह जानते हैं कि मैं चाय भी नहीं पीता उसके बारे में चीफ व्हिप यह कह दें कि + + + न मेरे पास कभी यह विभाग रहा। मैं समझता हूं कि बहुत ही बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बात की गई है और उसके लिए इनको अफसोस व्यक्त करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप शान्त रहिए। माननीय महावीर जी शान्त रहें कृपया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें अपराध क्या हो गया यदि यह + + + हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं भी पीते हैं तो....

श्री राजेन्द्र पारीक : + + + (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, फिर बीच में कुछ लोगों ने खड़े होकर मेरे बारे में पता नहीं क्या-क्या चार्ज लगाए मेरे को तो सुनाई नहीं दिया सरकार में ये बैठे हुए हैं लेकिन + + + किसी के बारे में कहकर, किसी के बारे में चार्ज लगाकर उसकी आवाज को बन्द कर देंगे। हम लोग उजली चादर ओढ़े हुए लोग हैं चादर पर दाग नहीं लगने दिया है और आपकी तरह बिना टेण्डर कापी के काम दिलाने वाले काम हम लोगों ने नहीं किए हैं। आपने करोड़ों रुपए के काम राजस्थान में बिना टेण्डर के करवाए हैं को-आपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से कराए हैं जिनका कभी आडिट नहीं हुआ। भा. ज. पा. का एक कार्यकर्ता कहता है कि इस को-आपरेटिव सोसाइटी को ठेका दे दीजिए वह ठेका मिल जाता है और नहीं मिले तो ललित किशोर चतुर्वेदी जी यहां से फोन करके कह देते हैं कि इस काम को दे दिया जाए। हमने कभी ऐसा इन्टरफियरेंस आज तक नहीं किया (व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त करें, हो गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं इतनी बात कहकर यह कहना चाहूंगा कि जो सुझाव हमने गांवों के लिए और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए दिए हैं उनको क्रियान्वित किया जाए।

श्री मोहम्मदमाहिर आजाद : मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से आबकारी मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में शराब बन्दी लागू कर दें तो यह झगड़ा ही खतम हो जायगा।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सभापति : विराजिए, विराजिए ।

श्री राजेन्द्र पारीक : ग्रॉन ए पाइन्ट ग्रॉफ इन्फार्मेशन....

श्री सभापति : ग्राप बैठ जाइए ।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक मिनिट सुनिए तो सही ग्राप । बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं ग्रापको दे रहा हूं । बाहर स्वास्थ्य निरीक्षक का कई दिनों से धरना चल रहा था उनमें उनका ग्रध्यक्ष जगदीश प्रसाद दो दिन से ग्रामरण ग्रनशन पर है । ग्रभी मुझे सूचना मिली है कि उसकी स्थिति पेट दर्द होने की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गयी है । माननीय चिकित्सा मंत्री यहां बिराजे हुए हैं, चिकित्सा पर ग्राज बहस भी है....

श्री सभापति : स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी हो गई ग्राप बिराजें ।

श्री राजेन्द्र पारीक : बड़ा गम्भीर मामला है वह ग्रादमी दो दिन से ग्रामरण ग्रनशन पर है ।

श्री सभापति : ग्राप बिराजिए, उनको सूचना मिल गई । बात हो गई, मंत्री जी को जानकारी हो गई । (व्यवधान)

महावीर जी कृपया शान्त रहें । श्री रमाकान्त शर्मा ।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी को इस के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट के ग्रन्दर ग्रामीण क्षेत्र के ग्रन्दर ग्रपने बजट में से 62 प्रतिशत धनराशि रखी है । माननीय मुख्य मंत्री जी के मन के ग्रन्दर एक ललक है कि किस प्रकार से सारे के सारे गांवों का विकास हो, ग्रार्थिक विकास हो ग्रौर गांवों के लोग ग्रागे बढें । परन्तु गांवों के लिए केवल मात्र 62 प्रतिशत धनराशि का जो रख दिया गया है वह एक ग्रच्छा कदम है परन्तु उस ग्रच्छे कदम का जो परिणाम है वह जब देखने को मिलेगा कि शहर में जो लोग रह रहे हैं वह गांवों में जाकर रहने लग जाए । यहां शहर में जो लोग रह रहे हैं उनको भगा दिया जाए गांवों के लिए तब जाकर हम समझेंगे कि गांवों में वास्तव में विकास शुरू हो गया है । बड़े-बड़े विकाशील ग्रौर विकसित जो देश हैं वहां पर लोग बड़े गौरव से कहते है कि हम शहर में तो रहते हैं पर हमारा मकान गांव में भी है, गांवों में भी वह जाकर के महीना दो महीना रहते हैं । तो जब गांवों में जाकर शहरों के लोग रहने लग जाएं ग्रौर उसमें जरूर महसूस करने लगें तब कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास का काम प्रारम्भ हो गया है ।

सभापति महोदय, ग्रामीण विकास के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं सड़क, बिजली ग्रौर पानी । इसके ग्रन्दर सड़क सर्वोपरि ग्राती है क्योंकि यह एक इतना बड़ा बाइटल इन्फ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सारा जो सोशियल इकानामिक ग्रोथ है वह सारी सड़क पर मुन्नसर करती है । सड़क नहीं होने से मैं ग्रापको उदाहरण दूं भीरी

(श्री रमाकान्त शर्मा)

के अन्दर मार्बल निकलता है चूंकि उसको आलमोस्ट 107 माइल का चक्कर लगाकर के जयपुर में आना पड़ता है और यदि वह भीरी से सीधी सड़क नटाटा होकर के जयपुर को हो जाये तो कम से कम 45-50 किलोमीटर कम पड़ जाते हैं। तो जो नेचूरल रिसोर्सेज हैं उन नेचूरल रिसोर्सेज के अन्दर फारेस्ट रिसोर्स हों, माइनिंग रिसोर्स हों, चाहे इण्डस्ट्रियल रिसोर्स हों, चाहे एग्रीकल्चर रिसोर्स हों उसके लिए जब तक सड़क काम्पलीमेंट्री नहीं होती है तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सारे के सारे देश के अन्दर और उससे एक इकानामिक डवलमेंट होता है और उससे जो रिटर्न मिलता है वह तब ही मिल सकता है जबकि इन सड़कों का एक प्रकार से कम से कम जो नेचूरल जो प्रोडक्ट हैं, जो इकानामी के लिए मोस्ट इम्पार्टेण्ट फैक्टर्स हैं उन सबको नियरेस्ट जगह पर सड़क मिल जाये। मैं दूसरी चीज इसके साथ निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत सारी जगह पर हम पोरिशेबल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, थानागाजी के अन्दर बहुत सारी सब्जी होती है परन्तु यदि जगह-जगह पर वह जा सके और बिक सके तो उसकी कीमत उसको मिल जाती है। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें पौरिशेबल होती हैं उनको भी यदि सड़क का लाभ मिल जाता है तो उससे सारे रूरल एरिया की इकानामी बढ़ती है। सभापति जी, यह डेकाइटी जो सारे देश के अन्दर चल रही है इसमें भी यदि सड़कें उचित मात्रा में होती हैं तो यह जो प्राब्लम है यह अपने आप में समाप्त हो जाती है।

हम ट्राइबल एरिया डवलपमेंट की बहुत सारी बातें करते हैं। मेरे यहां पर भी माडा क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है। उसके अन्दर सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है वहां पर तो नतीजा यह है कि हम माडा के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं परन्तु रीयल....

ट्राइबल डवलपमेंट उसके बिना हो नहीं पाता है। माननीय सभापति महोदय, सड़कों के इन मामलों के अन्दर सबसे पहले इस देश के अन्दर 1943 में बात सोची गयी। और 1943 के अन्दर नागपुर के अन्दर जब सोची गयी थी और उस को नागपुर प्लान कहते हैं। उस नागपुर प्लान के अन्दर जो बात सोची गयी उसके मुताबिक 1961 तक 16 किलोमीटर पर हण्ड्रेड स्क्वायर कि. मी. आन एन एवरेज सारे के सारे देश के अन्दर सड़कें बनें और उसी का नतीजा हुआ 1950-51 के अन्दर जहां चार लाख की कि. मी. सड़क थी वह 19 लाख कि. मी. सड़क बन गयी। व्हीकल के बारे में आज के दिन 120 लाख व्हीकल्स देश के अन्दर पैदा हो गये। उस नागपुर के अन्दर जो बात सोची गयी थी उसका परिणाम सारे देश के अन्दर सारा का सारा हुआ। फिर सन् 1961–81 के अन्दर दूसरा प्लान बना सारे कन्ट्री के अन्दर सड़कों के बारे में और जो 16 कि. मी. पर हण्ड्रेड स्क्वायर कि. मी. पहुंच चुके थे। उसके अन्दर हम 1961–81 के अन्दर प्लान के अन्दर कण्ट्री में 32.5 किलो मीटर पर हण्ड्रेड स्क्वायर पर पहुंच चुके हैं। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि थानागाजी के अन्दर अभी 12 कि. मी. पर स्क्वायर कि.मी. है। देश के अन्दर जाने क्या-क्या

(श्री रमाकान्त शर्मा)

चीजें हो गयीं, थानागाजी के अन्दर जो स्थिति है वह यह है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1981 से 2001 के वर्किंग ग्रुप के रोड्स के बारे में जो सजेशन दिया है गवर्नमेंट आफ इण्डिया को उसके अन्दर रखा है कि 2001 तक 82 कि. मी. पर हण्ड्रेड स्क्वायर कि. मी. हो जायेगी परन्तु जिस प्रकार से जो स्थिति, थानागाजी जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है पूरे देश के अन्दर सबसे पिछड़ा इलाका है पता नहीं जब भी मैं चीफ इंजीनियर साहब से बात करता हूं, मैं सैक्रेटरी से बात करता हूं तो वह मुझसे कहते हैं कि सही है राजस्थान में सबसे ज्यादा पर स्क्वायर कि. मी. रोड थानागाजी में है। उसके बावजूद नतीजा यह निकलता है कि साल के अन्दर किसी जिले के अन्दर चार सड़कें और किसी जिले के अन्दर पांच सड़कें, अलवर में एक वहां भी इतनी आवश्यक सड़क जिसके अन्दर ट्रान्सपोर्ट इकानामी बहुत ज्यादा उपलब्ध होने वाली है एक सड़क स्वीकृत की गयी। जब यह बात आपस के अन्दर कहते हैं कि इतना पिछड़ा हुआ है, ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में 1989–90 के अन्दर भारत सरकार को बताया कि हमारे यहां पर 15 सौ से ऊपर पापुलेशन के जो गांव हैं वहां 86 प्रतिशत कनेक्ट हो चुके हैं और थानागाजी के अन्दर 12 पंचायत हैड क्वार्टर हैं, कम से कम 15 ऐसे गांव हैं जिनके अन्दर आज की तारीख में तीन हजार पापुलेशन है, वहां पर जा नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं है वहां पर जाने का, ध्यान नहीं दिया जाता।

माननीय सभापति महोदय, सड़क से जो नेट रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इम्पार्टेन्ट है उस के साथ-साथ सड़क ही एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें लेबर को सबसे ज्यादा एम्पलायमेंट मिलता है तो मैं आज जो भारत सरकार ने प्राथमिकताएं रखी हैं, सड़क किस प्रकार से बननी चाहिए, उन्होंने कहा है कि एन. एन. ई. पी. का शार्ट फाल पहले पूरा होना चाहिए। बैकवर्ड रीजन सारे के सारे पहले लेने चाहिए। 1981 की जो पापुलेशन है वह सारी लेनी चाहिए परन्तु हमारे यहां पर अब तक जो बात कही गयी है थोड़े दिनों पहले यहां इस सदन के अन्दर कि जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करायेंगे, अकाल के अन्दर माननीय सभापतिजी, कितनी सड़कें बन गयी हैं, सारी की सारी, कोई जरूरत थी या जरूरत नहीं थी, यदि उन सब के अन्दर आज भी वही प्राथमिकताएं रहीं तो जो रीजनल इम्बैलेंस पैदा हो गया है जो उदाहरण से मैंने निवेदन किया, वह रीजनल इम्बैलेंस पूरा नहीं होगा।

महाराष्ट्र के अन्दर उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि जो रूरल एरिया के अन्दर जो डेंसिटी आफ रोड्स है, जैसा मैं कहता हूं 16 कि. मी. पर हण्ड्रेड स्क्वायर कि. मी. उसका सबसे पहले ध्यान रखा जायेगा और इसी प्रकार पापुलेशन का ध्यान रखा जायेगा। इन दो बातों के ऊपर उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया है। यदि हमने यहां पर इस प्रकार का प्रोग्राम नहीं बनाया और हमारे यहां यह कह दिया गया कि, एम.एन. ई. पी. की अधूरी वाली रह गयी है या अकाल की अधूरी रह गयी, तो बहुत सारा रुपया पहले खर्च हो गया। अब भी वही

(श्री रमाकान्त शर्मा)

खर्च होता रहेगा, और हम तो पहले भी जहां कण्ट्री 86 कि.मी. पर हण्ड्रेड स्क्वायर कि.मी. की बात कर रही है हम 12 पर हैं और फिर 12 पर ही धरे रहे जायेंगे। मैं एक बात और ध्यान दिला देना चाहता हूं कि...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अब हम जो सड़कें बनायें, हमारे प्रोग्राम बनायें, सारे के सारे प्रोग्राम बनाये तो उसके अन्दर खास तौर से सिस्टम आफ एप्रोच मेथोडोलाजी के सामने रख करके किस प्रकार से सोशल इकानामी डवलपमेंट के लिए कहां अत्यन्त आवश्यकता है वह सारे रिसोर्सेज को लेकर सड़क बनायेंगे तो हम राजस्थान का डवलपमेंट कर सकेंगे और उससे हमारी इकानामी डवलपमेंट होगी। सड़क इसलिए बननी चाहिए कि ट्रान्सपोर्ट कास्ट के अंदर बहुत सारी बचत हो। आज पैट्रोल, डीजल का बहुत ज्यादा अभाव है। मैं निवेदन करना चाहता हूं गडबस्ती से लेकर भांकडी कुल मिलाकर 3 कि.मी. है। यदि वह सड़क बना दी जाय तो 15 हजार आदमियों को आज कम से कम 21 कि.मी. का चक्कर लगाना पड़ता है, उस बात का निवेदन कर दिया गया परन्तु जहां आब्जेक्टिविटी नहीं है जहां मेथोडोलाजी नहीं है जहां सिस्टम एप्रोच नहीं है वहां इस प्रकार की चीज चलती रहेगी और हमारा बहुत सारा खराब हो जायेगा। बहुत अति-आवश्यक और महत्वपूर्ण सूचना आपको दे रहा हूं कि वर्ल्ड बैंक ने सर्वे किया है कि हिन्दुस्तान में पूअर रोड्स की वजह से और रोड न होने की वजह से 6 हजार करोड़ रु. का प्रतिवर्ष डीजल, पेट्रोल का नुकसान हो रहा है और यदि किसी जगह पर आवश्यकता है और अगर आपने 1 कि. मी. सड़क नहीं बनायी तो साढ़े सात लाख रुपये का प्रति वर्ष नुकसान होता है तो यह चीजें बहुत इम्पार्टेण्ट हैं उस के बावजूद भी अभी रूरल की बात की, कम्युनिटी डवलपमेंट में सड़कें बनती हैं, रूरल डवलपमेंट के तहत सड़कें बनती हैं अभी डी. आर. डी. ए. ने सैंक्शन की है आठ सड़कें, उस क्षेत्र में नाम लेकर आपका टाइम जाया नहीं करना चाहता हूं। उस क्षेत्र के अन्दर बहुत सारी सड़कें आलरेडी हैं। थानागाजी में एक सड़क स्वीकृत नहीं की।

मेरा समय हो रहा है मैं यहां मेडिकल की बात करना चाहता हूं। वही बात रूरल और शहरों की है आज 50 प्रतिशत मेडिकल बजट सिर्फ पांच शहरों में खर्च होता है और बात करते हैं कि हमने तो सुपर स्पेशलिटी बनायी है। गांव का आदमी तो कल बता रहे थे एक रुपये की दवायी के ऊपर जिन्दा है तो इस बजट के अन्दर भी इन चीजों पर ध्यान देने की बात है और खास तौर से थानागाजी में जो सब सेन्टर होने चाहिए पांच हजार पर वह नहीं हैं, हमारे यहां जो 15 हजार पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर बनने चाहिए वह नहीं हैं और ताज्जुब की बात यह है कि अभी-अभी जो सैंक्शन भवनों के लिए दी है, 53 लाख रुपये अलवर-अलवर के अन्दर दिये हैं उसमें एक पैसे की थानागाजी की नहीं है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं एक बात कह कर। फेमिली प्लानिंग का जो हमारे यहां प्रोग्राम चल रहा है वह प्रोग्राम भी, क्षमा करना, बिल्कुल फार्स है। सारे के सारे 6–7 करोड़

(श्री रमाकान्त शर्मा)

रुपये बिल्कुल बेकार खर्च कर रहे हैं। 48 आदमी प्रति मिनिट जो पैदा हो रहे हैं उसमें पिछले 20 वर्षों के अन्दर 47 भी नहीं हो पाये हैं यह सारे के सारे प्रोग्राम को, जो मेरे पुराने साथी हैं जो न जाने कहां-कहां घूम-फिर कर देख आये सिंगापुर भी देख आये, मलेशिया भी देख आये इससे कुछ सीखे। उन्होंने जिस प्रकार सिंगापुर में 10 वर्षों में अपनी उपलब्धि करके प्रोग्राम को समाप्त कर दिया उससे सीख कर चलायें। धन्यवाद।

श्री सभापति : डा. जितेन्द्र सिंह।

श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में चर्चा का विषय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों पर है। मैं इस सदन के समक्ष इसी सन्दर्भ में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने, वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन ने जो विकासशील देशों के लिए लक्ष्य स्थापित किये थे सन् 2000 तक समस्त नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी उसको दृष्टिगत रखते हुये अपनी चिकित्सा नीति बनायी और यह लक्ष्य रखा है कि सन् 2000 तक प्रदेश के हर नागरिक को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी। इसी सन्दर्भ में माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि राजस्थान प्रदेश में और भारतवर्ष जैसे देश में यह तभी सम्भव हो सकेगा जब हम इस प्रदेश और देश के समस्त ग्रामीण अंचलों में जहां देश की और प्रदेश की अधिकांश जनता निवास करती है यह सभी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। आज की जो चिकित्सा की स्थिति है वह मुख्यतया शहरों में उपलब्ध है ग्रामीण इलाकों में डाक्टर पदस्थापित नहीं हैं....

अगर पदस्थापित होते भी हैं तो वहां ड्यूटी ज्वाइन करके छुट्टी ले लेते हैं और जाने में आनाकानी करते हैं जो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी का इस निर्णय का स्वागत करूंगा कि उन्होंने जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रिंसिपल मेडिकल आफिसर के पद विभाजन करके जो चिकित्सा कार्य है और प्रशासनिक कार्य है उसका विभाजन किया है और इससे निश्चित रूप से प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार आयेगा। इसके साथ ही मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चिकित्सा जैसी आधारभूत सुविधा में विस्तार और विकास करना आवश्यक है और उसके लिए सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्र इस बजट भाषण में प्रस्तावित किए हैं उसमें काफी संख्या में वृद्धि होनी आवश्यक है। मैं मुख्यतया इस सदन का, मंत्री जी का और राज्य सरकार का मेरे जैसलमेर जिले की कुछ विशेष परिस्थितियां हैं उनकी ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। क्योंकि जहां तक चिकित्सा सुविधाओं का प्रदेश में अभाव है उसके बारे में कई विशेषज्ञ और सरकार उस पर विचार कर रही है। पर मैं सदन का और मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा कि जैसलमेर इस राजस्थान प्रदेश का ही नहीं अपितु भारतवर्ष का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। वहां की विषम परिस्थितियां हैं, डेंसिटी

(श्री जितेन्द्र सिंह)

आफ पापुलेशन बहुत कम है, गांवों की जनसंख्या कम है। एक गांव से दूसरे गांव में दूरी काफी है। 15-15, 20-20, 25-25 किलोमीटर की दूरी साधारणतया है और जो मापदण्ड सरकार ने निर्धारित किये हैं चाहे वे चिकित्सा विभाग के हों, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग के हों, चाहे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के हों, विद्युत विभाग के हों उन सब में आमूल-चूल परिवर्तन करके जैसलमेर जिला जो रेगिस्तानी जिला है को रिलेक्सेशन मिलना अत्यावश्यक है। सरकार को इस पर बड़ी गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। अन्यथा इस प्रजातांत्रिक सरकार ने जो महत्वाकांक्षी घोषणा की है कि वह प्रदेश में विकास की गंगा बहा देगी उस विकास की गंगा से जैसलमेर जिला वंचित रह जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसी संदर्भ में माननीय चिकित्सा एवं सार्वजनिक निर्माण के दोनों विभागों का वार्षिक प्रतिवेदन जो प्रगति प्रतिवेदन है उसी में से आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा ताकि इस सरकार का और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस विशेष परिस्थिति की ओर आकृष्ट हो। क्योंकि जैसलमेर की स्थिति प्राकृतिक, भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश के दूसरे स्थानों के समान नहीं है और सरकार को इस पर न्यायसंगत निर्णय करना चाहिए। मैं अब आपके सामने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा जो प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है उसमें से कुछ अंश पढ़कर सुनाना चाहूंगा। जो पृष्ठ संख्या 7 है उसमें लिखा हुआ है कि "ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दृष्टि से मापदण्ड निर्धारित किए गये हैं। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 की जनसंख्या, जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में 3000 की जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र एवं 30,000 की सामान्य जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 20,000 जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एक लाख जनसंख्या पर, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत निर्धारित किये गये हैं। यह मापदण्ड ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से निर्धारित किये गये हैं। जिनको प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।"

माननीय सभापति महोदय, अगर सरकार ने इन मापदण्डों के अनुरूप कार्य किया तो मेरा क्षेत्र और मेरा जिला तो सर्वथा वंचित रह जायेगा। वहां कोई कार्यक्रम चिकित्सा विभाग का लागू नहीं होगा, कोई प्राइमरी हैल्थ सेण्टर नहीं खुलेगा, कोई सब सेन्टर नहीं खुलेगा, क्योंकि जैसलमेर शहर की आबादी एक लाख भी नहीं है और पूरे जिले में मुश्किल से ऐसे 2 या 3 गांव

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हैं जिनकी आबादी 5 हजार से अधिक होगी। इसी संदर्भ में····

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : शहर की नहीं एरिया की।

श्री जितेन्द्र सिंह : एरिया नहीं ग्राम पंचायतों को आप एक ब्लाक मान लीजिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नहीं 3 ग्राम पंचायतों को मिलाकर हो गया ।

श्री जितेन्द्र सिंह : उनको मिलाकर भी नहीं होगा । आप इनका सर्वेक्षण राजस्व विभाग से करा लें । इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपना प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशित किया है । उसमें से मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा । पृष्ठ 3 पर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम । मतलब सरकार के ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हैं जो प्रोवाइड की जायेगी । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 से अधिक आबादी के सभी गांवों को तथा 1000 से 1500 तक की आबादी के 50 गांवों को 1971 की जनगणनानुसार 1990 तक सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य था परन्तु धनाभाव के कारण इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है । इन गांवों को सड़कों से जोड़ने की प्रगति निम्न प्रकार है । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मापदण्ड से अगर सरकार क्रियान्विति करेगी तो जैसलमेर निश्चित रूप से पिछड़ा रह जायेगा और वहां सड़कों का निर्माण होगा ही नहीं । मैं मंत्री महोदय का इस सन्दर्भ में आभारी हूं कि मैंने पिछले बजट सत्र में जब चिकित्सा स्वास्थ्य की मांगों पर चर्चा हुयी थी तो जैसलमेर हास्पिटल के संबंध में कुछ मांगें रखी थीं । मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि जैसलमेर का जो जिला अस्पताल है वहां सभी विशेषज्ञों के पद भर दिये गये हैं और इसके लिए मैं राज्य सरकार का और माननीय मंत्री महोदय का आभारी हूं । पर मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि 3 पद अभी रिक्त हैं । एक नेत्र विशेषज्ञ का, एक डेन्टिस्ट का, एक एन्सेटिस्ट का और मैं विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करूंगा इन्हें शीघ्राति‌शीघ्र भर दिया जाय । सरकार ने यह भी घोषणा प्रगति प्रतिवेदन की है कि राजस्थान राज्य में 6 जिला शल्य नेत्र चिकित्सा इकाइयां क्रियाशील की गयी हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि नेत्र विशेषज्ञ के अभाव में जैसलमेर की नेत्र शल्य चिकित्सा इकाई क्रियाशील नहीं बल्कि क्रियाहीन हो रही है । इस ओर ध्यान दें । जैसलमेर से कम से कम 300 किलोमीटर दूर जोधपुर है वहां एक चश्मा लाने के लिए साधारण नागरिक को जाना पड़ता है । दूसरा मैं माननीय मंत्री महोदय का आभारी हूं कि मैंने क्षय रोग के वार्ड के सम्बन्ध में पिछले बजट सत्र में निवेदन किया था । मुझे इस बात की भी हार्दिक प्रसन्नता है कि इस विधान सभा सत्र के प्रारम्भ होने के पहले 19 फरवरी को मुझे नव निर्मित क्षय रोग वार्ड का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । पर माननीय सभापति महोदय, अभी भी ग्रामीण अंचल में और विशेषकर पोकरण जो जिले का उप खण्ड है वहां पर कई पद रिक्त पड़े हैं ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें माननीय सदस्य ।

श्री जितेन्द्र सिंह : मैं 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं । मेरा मंत्री महोदय से सुझाव है कि जैसलमेर और पोकरण हास्पिटल में जनरेटर उपलब्ध करा दिए जाय । इसके लिए धन राशि वर्ल्ड फूड आर्गेनाइजेशन ने उपलब्ध करा दी है और सरकार पता नहीं क्यों अटकी हुई है । एक

(श्री जितेन्द्र सिंह)

बजट सत्र से दूसरा बजट सत्र आ गया पर जनरेटर उपलब्ध नहीं हुए हैं। 7 लाख रुपये वर्ल्ड फूड आर्गेनाइजेशन ने उपलब्ध करा दिये हैं। जैसलमेर हास्पिटल के लिए एक करोड़ रुपये और पोकरण हास्पिटल के लिए 16 लाख रुपये इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत वर्ल्ड फूड आर्गेनाइजेशन ने यह धनराशि उपलब्ध करा दी है और चिकित्सा विभाग को उस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए।

मेरा एक निवेदन और है कि जैसलमेर एक सीमान्त जिला है, दुर्गम स्थल है, आवागमन के साधन सीमित हैं। इसलिए मोबाइल चिकित्सा इकाई का गठन हो जो नियमित और निश्चित कार्यक्रम के अन्तर्गत हरेक गांव में जाये जैसे ग्रामीण इलाकों में बाजार लगते हैं, हाट लगते हैं उसी प्रकार हरेक गांव में जाय। भले ही चिकित्सक एक भी न जाय पर उनको चिकित्सा सुविधा मुहैया करायें। तो कम से कम अगर हम नये केन्द्र नहीं खोलते हैं तो उनको चिकित्सा सुविधा तो उपलब्ध करायी जाय। चिकित्सा विभाग की जो मुख्य बातें थीं मैंने कह दीं और समय का अभाव है इसलिए मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा।

एक तो मेरे जिले में नयी सड़कें कोई भी नहीं बनी हैं और अगर इन मापदण्डों पर सरकार ने क्रियान्विति की तो उनका निर्माण अगले 10 वर्षों में भी नहीं होगा। इसलिए इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करें। दूसरा बार्डर रोड आर्गेनाइजेशन का अलग चेतक कार्यक्रम है। सरकार इसको लोकल स्तर पर छोड़ने के बजाय जयपुर के स्तर पर मंत्री महोदय इस पर रुचि लेकर उनसे उनका तालमेल बैठाये, कोआर्डिनेशन करें ताकि उसमें काफी विपुल धनराशि मिलती है और उसके अन्तर्गत सड़कों का निर्माण हो सके।

माननीय मंत्री महोदय को मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि किलोमीटर के मापदण्ड के स्थान पर अगर वह यह मापदण्ड लगायें कि जिला मुख्यालय से कितने पंचायत मुख्यालय जुड़े हुए हैं तो उनको इस सन्दर्भ में ज्ञान हो जायेगा कि सड़कों की वास्तविक स्थिति जिले में क्या है। जहां विषम परिस्थिति होती है, भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियां भिन्न होती हैं वहां आपको तर्कसंगत और न्यायसंगत तरीके से मापदण्ड लगाने आवश्यक हैं। दूसरा, मेरा इनसे निवेदन है कि जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसमें क्वालिटी कन्ट्रोल बहुत आवश्यक है अन्यथा बहुत निम्न स्तर का कार्य होता है, ठेकेदार सीमेंट में मिट्टी मिलाते रहते हैं और इस क्वालिटी कन्ट्रोल के लिए समस्त राजस्थान प्रदेश में अगर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री जितेन्द्र सिंह : इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक और शब्द कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय ने····

श्री सभापति : धन्यवाद लेने के बाद भी ?

श्री जितेन्द्र सिंह : समाप्त करने के बाद भी। माननीय मंत्री महोदय ने इस

(श्री जितेन्द्र सिंह)

सदन में चंद दिनों पहले घोषणा की थी कि हर डॉक्टर ने किसी न किसी की नब्ज पकड़ रखी है तो मैंने भी उसी दिन से अपना लक्ष्य बना लिया है कि मैं भी माननीय मंत्री महोदय की नब्ज पकड़ने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : आप डाक्टर हैं ना। माननीय श्री नत्थी सिंह।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य-सूची समाप्त होने तक अर्थात् मांग संख्या 21 व 26 पर विचार, मंत्री महोदय का उत्तर और पारण होने तक और विधायी कार्यों में जो दो बिल हैं—राजस्थान भू-राजस्व और राजस्थान सहकारी संशोधन विधेयक, उनके पारण तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की राय है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 21 व 26 पर विचार

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, आपने जो समय सीमा निर्धारित की है उसको देखते हुए मैं मांग संख्या 26 व 21 के सम्बन्ध में कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि उनका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें सन् 2000 तक सब के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है और उसमें उन्होंने दो आधार तय किये हैं, एक तो सुदूर गांवों, शहरों में व्यवस्था हो, इस बात की, इलाज की और दूसरा यह कि जो रोग व्यापक रूप से हमारे प्रदेश में और दूसरी जगह फैलते हैं उन पर नियंत्रण हो और इसको देखते हुए उन्होंने दो बातें अपने इस प्रतिवेदन में कही हैं। आज सुबह भी इस सदन में यह बात उठी थी और माननीय मंत्रीजी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि गांवों में चाहे स्वास्थ्य केन्द्र हो, चाहे उप स्वास्थ्य केन्द्र हो या दूसरी चीजें हों, उनमें किस तरह से लोग जाते हैं, किस तरह से लोग रहते हैं, आप भी चिन्तित हैं कि वहां चिकित्सा सेवाएं नहीं रह पातीं और उनका अभाव ग्रामीणों को होता है। चूंकि आप स्वयं चिन्तित हैं इसलिए मैं दूसरी बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गांवों में रहने वाले लोगों को भी इस बात का हक है कि उन्हें सही तरीके की चिकित्सा सुविधाएं मिलें। इसलिए आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ-साथ रेफरल अस्पताल खोलने की व्यवस्था अपनाई, खोले भी। लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी से एक बात जानना चाहता हूं, जहां आपने रेफरल अस्पताल खोले हैं, आप कहते हैं कि वहां 50 बैड होंगे, आप कहते हैं कि वहां एक्स-रे मशीन होगी, आप कहते हैं कि वहां पेथोलोजी की लेब्रोरेट्री होगी,

(श्री नत्थी सिंह)

कितने ऐसे रेफरल अस्पताल राजस्थान में हैं जिनमें तीनों सुविधाएं प्राप्त हैं ? भरतपुर में रूपवास में एक रेफरल अस्पताल है, कामां में है, मुसावर में है लेकिन तीनों में न वार्ड है, न तीनों में एक्स-रे की सुविधा है, न तीनों में पेथोलोजी की लेबोरेट्री है। मैं समझता हूं कि इसी तरह की और भी स्थिति होगी। अगर आप चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और चिकित्सा की सेवाएं सही रहें तो आपको इन बातों को प्राथमिकता देनी होगी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा के लिए जब यह खोलते हैं तो इनमें यह सुविधाएं जरूर होनी चाहिए। केवल कागज पर और नाम के लिए इन केन्द्रों को खोलें, अस्पतालों को खोलें, उससे कोई अच्छी सुविधा नहीं होने वाली है। मैं स्वयं यह कह रहा हूं, मेरे क्षेत्र कुम्हेर में रेफरल अस्पताल की बड़ी जरूरत है। भवन के लिए वहां के लोग सहायता के लिए, तैयार हैं उसे खोलें लेकिन उसके साथ-साथ इस बात का ध्यान रखें।

दूसरी एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो आपके जिले के चिकित्सालय हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, रेफरल अस्पताल हैं दो तरह के लोग इलाज के लिए आते हैं, एक तो गरीब लोग, जिनके लिए आप इलाज की व्यवस्था करना चाहते हैं और दूसरे सम्पन्न लोग, सम्पन्न लोगों में वह लोग भी आते हैं जिन्हें दवाइयों का रि-एम्बर्समेंट होता है। आज सुबह दवाइयों के खरीदने पर बात हो रही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय, आप इस बात को ध्यान में रखिये, आपने कहा है कि मलेरिया उन्मूलन के लिए और कुष्ठ निवारण के लिए हम बड़े-बड़े प्रयोग कर रहे हैं। वैसे तो पूरे हिन्दुस्तान में एक बार मलेरिया का उन्मूलन हो गया था, पता नहीं, मच्छरों में शक्ति कहां से आ गयी है कि आपकी कोई दवाइयां, प्रिएन्टिव एक्शन उन पर कारगार होते ही नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गरीब जो लोग हैं, जो रहते हैं आपके अस्पतालों में, क्या लेरियागो की गोलियां, जो मलेरिया के लिए चाहिए, मिलती है ? क्या एन्टी-बाइटिक्स मिलती हैं, जो गरीबों को मुफ्त मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती है। दवायें लिखी जायेंगी, या तो ऐसी दवायें होंगी जो एक्सपायरी डेट की हो या जिनका गरीब के लिए कोई उपयोग नहीं है, वह है। इसलिए सबसे बड़ी प्राथमिकता तो यह होनी चाहिए कि उन अस्पतालों में गरीबों के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से हैं, जो स्वयं खर्च नहीं कर सकते, उन दवाइयों की व्यवस्था हो, जो आज नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अच्छी बात है, मैं मानता हूं, आपने कहा है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सा व्यवस्था सही हो, उसके लिए व्यवस्था करना चाहते हैं, हमने प्रशासनिक व्यवस्था बदली है और पी. एम. ओ. के साथ-साथ एक सी. एम. एच. ओ. भी लगाया है जो देखेगा। लेकिन उसमें एक बात का ध्यान आप रखें, आपके जो रेफरल अस्पताल हैं जिनमें आप कनिष्ठ विशेषज्ञों की नियुक्ति करते हैं, एक मरमरिंग्स राजस्थान के डाक्टरों में पैदा हुई है कि आपका जो सी. एम. एच. ओ. है वह सी. एस. केडर का होगा, उसका नियंत्रक

(श्री नत्थी सिंह)

होगा ग्रापका निदेशक ग्रौर वह जूनियर स्पेशलिस्ट है, उनका जो स्पेशलिस्ट का केडर ग्रापने बना रखा है उनका नियंत्रण ग्रापने सैक्रेटेरियेट में रखा है। ग्राज वह समझते हैं, ग्रापने उनका वेतन तो बढ़ा दिया जिसको ग्राप सी. एम. एच. ग्रो. बनायेंगे लेकिन उस केडर के हिसाब से उसमें इतनी शक्ति भी ग्राप दे दें कि उसका नियन्त्रण उन पर हो सके। इसलिए मैं समझता हूं, ग्रगर ग्राप यह कर सकें कि ग्राप विशेषज्ञों को ही ग्रामीण चिकित्सा के लिए जो सी. एम. एच. ग्रो. बनायेंगे उनमें यदि ग्राप, जो सीनियर स्पेशलिस्ट हैं उनको नियुक्त करें बजाय सी एस. के, तो ज्यादा उपयोगी होगा, गांव वालों को फायदा भी मिलेगा।

दूसरी एक बात मैं ग्रौर कहना चाहता हूं। ग्रापने कहा है, ठीक है, हमारे यहां पांच मेडिकल कालेज हैं। एक कोटा में बनाने जा रहे हैं, बधाई के पात्र हैं ग्राप, बहुत ग्रच्छी बात है यह तो। लेकिन जैसा ग्रभी कहा, क्या इनको स्पेशलाइज्ड करना चाहते हैं, जैसे सब जगह यह है कि जो हमारे यहां मेडिकल कालेज हैं, यहां तो इस तरह की वह दी जाती है, मेडिकल कालेज जयपुर के लिए, एस. एम. एस. के लिए ग्रापने कहा है कि कैंसर ग्रौर हृदय रोग के लिए हमने विशेष सुविधाग्रो की यहां शुरूग्रात की है, ठीक बात है। लेकिन सभापति महोदय, मुझे ग्रपने किडनी के स्टोन के उपचार के लिए ग्राल इण्डिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट जाना पड़ा ग्रौर उन्होंने जो नयी उनकी पद्धति है, उसके हिसाब से जब उन्होंने कहा कि हम इसका इलाज करेंगे लिथोट्रिप्सी के जरिये, तो उन्होंने एक बात मुझे बताई ग्रौर कहा कि एशिया में सबसे ज्यादा ग्रगर स्टोन की बीमारी

(5.00 सायं)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

कहीं होती है तो वह राजस्थान में होती है ग्रौर इसलिए जो यह मशीन ग्राती है, रेस से बिना ग्रापरेशन किये हम खत्म करते हैं, सबसे बड़ी ग्रावश्यकता है राजस्थान में। केवल सरकारी ग्रस्पतालों में या तो दिल्ली में है या लखनऊ के संजय मेडिकल इन्स्टीट्यूट में है, बाकी प्राइवेट इन्स्टीट्यूट्स में बहुत है, बहुत खर्चीला होता है, वह बीस-बीस हजार रुपये चार्ज करते हैं, इसमें सात हजार होते हैं। स्वास्थ्य मंत्री महोदय, मैंने ग्रापसे भी कहा, मुख्य मंत्रीजी से कहा कि यह जो लिथोट्रिप्सी की मशीन है, वह दो करोड़ के करीब ग्राती है, वह एस. एम. एस. मेडिकल कालेज, जयपुर में ग्रानी चाहिए। ग्रापने कहा, करेंगे, मुख्य मंत्रीजी ने तो यह कह दिया कि कोई बात नहीं है, ग्रगर ऐसा है, सारे एशिया में यह रोग यहां ज्यादा है तो हम जरूर इसको करेंगे। इसको ग्राप करिये लेकिन एक बात जो कल्ला साहब ने कही थी, मैं ग्रापसे कहना चाहता हूं, कब तक हम पिछड़े रहेंगे, क्यों नहीं हम कम से कम हमारे जयपुर के मेडिकल कालेज को पी. जी. ग्राई बना सकें, क्यों नहीं इसको हम मेडिकल इन्स्टीट्यूट के रूप में डवलप कर सकें, यह बहुत जरूरी है। राजस्थान में जब हम सुविधाग्रों की बात करते हैं तो इस ग्रोर ग्रापको ध्यान देना ही होगा। एक बात मैं यहां पर कहना

(श्री नत्थी सिंह)

चाहता हूं आप गये अभी भरतपुर, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी मुश्किल से वहां पर जाकर के नम्बर आया और उसका उद्घाटन किया, आप शिला पट्ट लगा आये लेकिन जो वहां नया अस्पताल बना है, करोड़ के करीब रुपया लगा है, आशा यह थी, सरकार की पालिसी भी है कि हम मैचिंग ग्रांट देंगे लेकिन अभी तक उसकी चारदीवारी नहीं बनी, डाक्टर्स के बैठने के लिए चैम्बर्स नहीं हैं। आपने कहा भी कि हम 25 लाख रुपये और कुछ देंगे, मैं कहना चाहता हूं कि जितना पैसा हमारा लगा है उसका आधा राज्य सरकार को जरूर देना चाहिए और जैसा आपने कहा भी है, जो दूसरा अस्पताल सिटी में है जिसमें दो विभाग रह गये हैं, वहां पर आप कनिष्ठ विशेषज्ञ देंगे, उसको आप रेफरल टाइप बनायेंगे, उसकी भी आप घोषणा करें तो ज्यादा फायदेमंद होगा। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में आप अगर करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से चिकित्सा मिलनी चाहिए उसमें मुझे आशा है कि वह करेंगे।

मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आपकी दूसरी मांग सिंचाई के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। आप जब सभापति महोदय यहां से बोल रहे थे। तब क्षेत्रीय असंतुलन की बात कर रहे थे, माप-दण्ड की बात कर रहे थे और यह कह रहे थे कि हमारे जो अधूरे काम रह गये हैं उन कामों को पूरा कराने के लिए एक आधार तय किये हुए हैं और उसमें आपका इशारा था पूर्वी राजस्थान की तरफ उपेक्षा होती है और पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा पैसा खर्च होता है, अकाल पड़ता है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अधूरे कामों की परिभाषा भी आप सुधारिये। जब जनता पार्टी का राज था 1977 से 1980 तक उस वक्त आपने काम के बदले अनाज की योजना चलाई थी और उस वक्त गाँवों में बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने सड़कें बनाई कच्ची सड़कें आज 13 वर्ष निकल गये लेकिन वह कच्ची सड़कें अभी तक अधूरी हैं और पूरी टूट रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक आधार पर आप यह तय कीजिए कि वह जो कच्ची सड़कें डली हुई हैं उनको पक्की कराने का काम को आप अधूरे कामों में शामिल करिये और उनको पूरा होना चाहिए। इसी सम्बन्ध में मैं दूसरी बात अपने इलाके के सम्बन्ध में जो हमारा नेशनल हाइवे है आगरा बीकानेर का उसके बारे में कहना चाहता हूं। माननीय स्व. राजेश बहादुर जी हमारे केन्द्र में मंत्री थे भूतल विभाग के, राजेश पायलट भी रहे और घोषणाएं हुई कि हमारे सेवर में जो रेल्वे ट्रेक है उसके ऊपर ओवरब्रिज जरूर बनेगा। मैं आज इसमें पढ़ रहा था और आपने भी कहा है कि यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है। कब तक रहेगा विचाराधीन यह। कब तक रखेंगे इसको विचाराधीन? कभी यह होगा या नहीं? या द्रोपदी के चीर की तरह हमारी समस्या का समाधान ही नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस सम्बन्ध में आप अपना जोर लगाकर इसको करिये।

एक बात आपने इस सदन में कही थी और इस सदन में एक बात यह कही थी

(श्री नत्थी सिंह)

कि स्पेशल रिपेयर का जो प्रोग्राम चलाया है, एक सवाल के जवाब में आपने कहा था कि वह सारे प्रोग्राम पूरे होंगे। आपने यह दावा किया था। बड़ी खुशी हुई मुझे....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अभी जल्दी खतम कर रहा हूं। अभी पार्टी के समय में और उसके हिसाब से दस मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री सभापति : मैं पूरे अनुशासन में था जब मैं वहां था तब। मेरी घंटी नहीं बजी।

श्री नत्थी सिंह : मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात यहां और कही गयी और यह भी कहा गया कि जब इधर से कहा गया तो उधर से बोले, आप भी बोले कि हम राजनैतिक आधार पर कोई काम नहीं करते हैं। क्षेत्रीय विकास के आधार पर काम करते हैं। अब मैं दोनों बातों के सम्बन्ध में मेरा क्षेत्र है कुम्हेर। मैं मानता हूं कि कोई आपके आलोचक उधर बैठे हैं उस क्षेत्र को निगलेक्ट करेंगे, ऐसी नीति तो आपकी नहीं है। पर क्यों ऐसा हो रहा है इस बात की जानकारी जरूर कीजिए। भरतपुर में 1 करोड़ 19 लाख रुपया खर्च हुआ है अभी जनवरी के बाद और 15 काम थे कुम्हेर में जिसके लिए आपने 32 लाख 86 हजार रुपये मंजूर किये थे। काम थे किस चीज के, रिपेयर्स के। कुम्हेर से नदबई सड़क में पेचेज लगे 19 से 20 किलोमीटर में डेढ़ लाख रुपया था आज की तारीख तक कार्य शुरू नहीं हुआ है, यह रिपोर्ट है। आज तो 21 तारीख हो गयी है और 31 मार्च तक काम होने हैं। अस्तावन से बूहरू सड़क पर 1 लाख रुपया हुआ पेचेज का कार्य शुरू नहीं हुआ। इसी तरह सम्पर्क सड़क साबोरा पर पेचेज का काम मंजूर हुआ एक लाख रुपया कार्य शुरू नहीं हुआ। इसी तरह से कुम्हेर से सोंरठ सड़क किलोमीटर 8 व 9 पर डामर व पेच कार्य के लिए मन्जूर हुआ 1 लाख रुपया कार्य ही शुरू नहीं हुआ। सम्पर्क सड़क का सोठ किलोमीटर 1 व 2 पेच कार्य था उसका भी 1 लाख रुपया हुआ कार्य शुरू नहीं हुआ। सम्पर्क सड़क दांदू डामर कार्य 36 हजार रुपया मन्जूर हुआ था कार्य शुरू नहीं हुआ। इसी तरह मोती के नगला से आजऊ 2.5 किलोमीटर के 2 लाख रुपया मंजूर थे कार्य शुरू नहीं हुआ। हेलक से रूद एक किलोमीटर का था वह भी पेच का कार्य था डामर का कार्य था, 2 लाख रुपया मन्जूर हुआ कार्य शुरू नहीं हुआ। इसी तरह सम्पर्क सड़क आजऊ गांव में नयी सड़क तक 1 लाख था इसमें थोड़ा कार्य होकर बन्द है। इसके साथ-साथ सेबर रोड़ी कूटकर डामर कार्य का पपरेला से टोकरी था इसमें रोड़ी का कार्य हुआ मगर डामर कार्य नहीं हुआ और पड़ा हुआ है। इसी तरह उसरानी मेरा गांव है खुद का—उस सड़क पर आपने 3 लाख रुपया दिया सड़क पर खर्चा करने के लिए लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ है, अधूरा पड़ा है। 3 वर्ष से मामला चल रहा है यह। आखिर क्यों नहीं यह कार्य हुए हैं। इसी तरह भरतपुर से सोंख गुन्साला का 2 लाख रुपया था कार्य शुरू नहीं हुआ। कुम्हेर टाउन से जाती है धनवाड़ा होकर उसमें पुलिया

(श्री नत्थीसिंह)

बनानी थी वह भी काम नहीं हुआ। ग्रामीण कार्य दूसरे थे डीग सड़क पर 2½ लाख रुपये का था उस पर अब काम शुरू हुआ है। यह आखिर सुस्ती क्यों है? अगर यह सुस्ती स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही से है तब मैं चाहता हूं कि आप इस विषय में एक्शन लीजिए और अगर कोई और कारण है तो मैं चाहता हूं कि आप अपने आपको सेटिस्फाई कर लीजिए कि कोई ऐसे तत्व तो नहीं हैं जिनके कारण से कुम्हेर में विशेष तौर से काम बंद करा दिये।

एक दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने पपरेला से मसावली के लिए नयी सड़क मंजूर की। 10 लाख रुपये आपने दिये केवल उसमें कहा है कि 3 पर्सेण्ट काम हुआ है और उसरानी से जनूथर नयी सड़क अभी मन्जूर की है 15 लाख रुपये की वह सड़क नहीं हो रही है। कोई बात नहीं है और तो और जवाहर रोजगार योजना के अन्दर दो काम थे कुम्हेर से बावन 1 लाख 72 हजार का कार्य था 8 महीने से बन्द है। सम्पर्क सड़क बना दी 1.99 लाख यह 60 प्रतिशत काम हुआ है। मैं कहना चाहता हूं यह पैसा गया है जनवरी में आपको मालूम होना चाहिए। पता है कि नहीं? उससे पहले रिलीज नहीं हुआ था। अब जनवरी के बाद में आपने इस बात पर जोर दिया था, मुझे मालूम है कि यह काम तेजी से कराया जाये। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने यह निर्देश दिया था कि जो पैसा हमने दिया वह पैसा निश्चित रूप से लगा कर यह काम पूरे होने चाहिए। अब यहां इस क्षेत्र में काम क्यों नहीं हुए यह मैं पूछना चाहता हूं आप इसकी जांच करें।

मैंने थोड़े ही शब्दों में मैंने अपने विचार आपके सामने रखे हैं। मैं आशा करता हूं राजस्थान के निर्माण और विकास को ध्यान में रखते हुए इन बातों पर आप ध्यान देंगे और हम आगे जा सकेंगे।

श्री सभापति : धन्यवाद, श्री अर्जुनदास मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : सभापति महोदय, पिछली बार जब यह सदन 42 और 43 पर विचार कर रहा था तब भी मैंने सदन के सामने निवेदन किया था और आज फिर निवेदन करना चाहता हूं कि अब हम विचार कर रहे हैं स्वास्थ्य के ऊपर, सड़कों के ऊपर। मैंने उस दिन भी निवेदन किया था कि सड़कों के आधार पर आज मेरा प्रान्त सारे हिन्दुस्तान में 13वें नम्बर पर है और यदि मैं जन स्वास्थ्य और जन सेवाओं की बात करता हूं तो स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने की बात करते हैं तो मेरा स्थान 12वें नम्बर पर है और उस दिन भी मैंने कहा था कि आज अगर कहीं पर सबसे ज्यादा पापुलेशन बढ़ रही है तो मेरे राजस्थान में बढ़ रही है। आज पूरे हिन्दुस्तान में 1½ सैकिण्ड के अन्दर एक बच्चा पैदा होता है। यदि आप मुझे 10 मिनट की अवधि देंगे बोलने के लिए तो यह स्वीकार कर लीजिए कि 400 बच्चे अपनी माताओं की कोख से इस धरती पर आ चुकेंगे। यदि इसी प्रकार से रफ्तार बढ़ती चली गयी तो स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता

(श्री अर्जुनदास मदान)

बनाने के लिए हमें पुर्नविचार करना पड़ेगा। यह मेरी सबसे पहली मांग है स्वास्थ्य मंत्री महोदय से।

दूसरे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्री महोदय को कि जब 90–91 के बजट के ऊपर इस विषय के ऊपर हम वार्तालाप कर रहे थे, विचार-विमर्श कर रहे थे उस दिन भी मैंने निवेदन किया था कि कुछ ऐसी अनियमितताएं हुई हैं, कुछ ऐसी एनोमलीज हुई हैं जिनके ऊपर उनको विचार करना चाहिए। कुछ पर हुआ है जिसके लिए मैं निश्चित रूप से उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन कुछ पर नहीं हुआ जिसके लिए मैं पुन: उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 1981 में सवाई मानसिंह हास्पिटल के अन्दर एक कोबाल्ट थैरापी मशीन की सप्लाई मंगायी गयी थी जिसकी कीमत केवल मात्र 25 लाख रुपये थी। 84 से लेकर 90 तक किसी एक व्यक्ति विशेष की, किसी एक मरीज की भी इस मशीन ने सेवा नहीं की। मान लीजिए कि वह तो उपचार नहीं कर सकी किसी का लेकिन जिन लोगों ने इसे मंगाया था यदि स्वास्थ्य मंत्री जी उन लोगों का उपचार कर देते तो बहुत ही अच्छी बात है। आज 62 लाख रुपये की एक नयी मशीन इन्डेन्ट की है उन्होंने आज 62 लाख रुपये की एक नयी मशीन मंगाने की उन्होंने बात की उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और दूसरा धन्यवाद देता हूं क्योंकि कोटा से मेरा भी सम्बन्ध है। 45 वार्ड हैं कोटा में और 27 के ललित जी मालिक हैं तो 18 वार्ड से मेरा भी नाता है...

मैं इतना कह सकता हूं कोटा में बहुत पुरानी मांग थी। मुझे खेद है कि जब विरोध पक्ष के नेता बजट भाषण पर बोल रहे तो उन्होंने कहा कि बजट इसकी अनुमति नहीं देता कि मेडिकल कालेज खोला जाय। मुझे खेद है, आज क्या कोटा की आबादी अजमेर, उदयपुर या बीकानेर से कम है, क्या वहां फैक्ट्रियां कम हैं? मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन एरिया यदि कोई है तो वह कोटा है और आज सबके पश्चात् यदि वहां मेडीकल कालेज खोला गया तो हमें विरोध केवल यही है आज यदि रेवेन्यु पर भी हम चर्चा करें तो केवल मात्र जे. के. प्रतिष्ठान सबसे ज्यादा एक्साइज कोटा की धरनी से देता है। सेन्ट्रल एक्साइज में भी रेवेन्यू में हम अग्रणी हैं ही, एक गलती हमारी जरूर है कि हम कांग्रेसी नेता नहीं दे पाते। शायद इसी के कारण 84 में तत्कालीन मुख्य मंत्री शिवचरण जी माथुर भरी सभा में घोषणा करके आये कि यहां पर मेडिकल कालेज खोलेंगे उसके बाद भी सात साल तक नहीं खुला और आज भी खुला है तो यह चर्चा की जाती है कि बजट इसकी अनुमति नहीं देता। मैं निश्चित रूप से माननीय ललित किशोर जी को और राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं. देर आयद दुरुस्त आयद, कि आज उन्होंने कोटा के बारें में इतनी चिन्ता तो की।

मेरी एक दूसरी मांग थी कि कम से कम जो एक्सपायरी डेट की मेडिसन हैं, उन्हें जो लोग खरीद कर बेचते हैं, कम से कम उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए जो आज तक नहीं हुई। आखिर एक व्यक्ति जो लोगों की जिन्दगी

(श्री अर्जुनदास मदान)

से खिलवाड़ करता हो, जो अपनी उदर-पूर्ति के लिए लोगों के स्वास्थ्य की चिन्ता नहीं करता हो, और एक्सपायरी डेट की दवाइयां लोगों को, मरीजों को देता हो, जो हृदय रोगी हैं, उस पर यदि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करेंगे तो विश्वास कीजिए, इस प्रकार की व्यवस्था समाज में बहुत समय तक चलने वाली नहीं है। हमें निश्चित रूप से सोचना होगा। मैं विश्वास करता हूं कि चिकित्सा मंत्री महोदय ऐसे लोगों पर एक्शन लेंगे ताकि इसकी पुनरावृत्ति न कर सकें। यह मेरी याचना और प्रार्थना है।

इसके बाद आज गहन चिकित्सा इकाई कोटा में नहीं है। 1985 में डी.सी.एम. ने इंटेंसिव केयर यूनिट खोलने के लिए 25 लाख दिये नगद तो नहीं किन्तु इसके लिए उपकरण मंगा कर दिये किन्तु आज सारे उपकरण या तो बांसवाड़ा की यूनिट में चले गये या थोड़े बहुत बचे हैं वह भी छत पर धूप खा रहे हैं, यह स्थिति है। आज कोटा के साथ निश्चित रूप से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आज से नहीं बल्कि पिछले काफी समय से कोटा अपने व्यक्तिगत विचारों पर जीवित है वह किसी का अपमान करके तो सम्मान की याचना नहीं करता, किसी का तिरस्कार करके तो सत्कार की चिन्ता नहीं करता, अपने स्वाभिमान में जीता है, अपनी मर्यादाओं में जीता है अपने विश्वास के साथ जीता है तो इसमें किसी को विरोध करने की आवश्यकता क्या है?

इसके बाद आज बाईपास सर्जरी के लिये हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। माननीय ललित किशोर जी गये, भैरोंसिंह जी गये, दूसरे लोग भी जाते हैं। आज कोई देश बाइ-पास सर्जरी कराता है तो एक लाख और विदेश में कराता है तो 3 लाख सरकार अनुदान देती है परन्तु यह कोई माननीय सदस्य वाकई राजकीय अधिकारी हैं उन्हीं को मिलते हैं। इसकी प्रोजेक्ट केवल तीन करोड़ मात्र की बनी है। कल्पना कीजिए, यदि इसके आंकड़े उपलब्ध किये जायं तो मेरी मान्यता है कि कम से कम डेढ़-दो करोड़ के बीच में री-एम्बर्समेंट होता हो तो यह तीन करोड़ की बाइपास सर्जरी....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरे को दस मिनट दिये हैं।

श्री सभापति : पहली घंटी 8 मिनट पर बज जाती है। आखिरी दस मिनट में बज जायेगी और आपका समय समाप्त हो जायेगा।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं दस की बजाय साढ़े नौ मिनट ही लूंगा। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि तीन करोड़ की लागत है, खर्चा नहीं। लागत और खर्च में फर्क होता है। हम कोई चीज लागत लगा कर लेते हैं उससे कितना उपार्जन होता है। तो यह खर्च करने चाहिए। मेरा निवेदन है कि बाईपास सर्जरी के लिए यह अवश्य करें। अभी जैसा माननीय नत्थीसिंह जी कह रहे थे कि गुर्दा प्रत्यारोपण की व्यवस्था राजस्थान में कहीं नहीं है। बहुत ही उपयुक्त हो यदि

(श्री अर्जुनदास मदान)

एस. एम. एस. हास्पिटल में इसकी व्यवस्था की जाय।

एक प्रशासनिक ढांचे में स्वास्थ्य मंत्री जी अन्तर ला रहे हैं लेकिन एक मेरा निवेदन है कि आदमी का व्यवहार दो चीजों पर आश्रित होता है एक उसका व्यक्तित्व और दूसरा वातावरण। यदि परिस्थिति बदलती है तो आदमी का व्यवहार भी बदलता है। एक सी. एम. को, एम. बी. बी. एस. डाक्टर को डी. एम. एण्ड एच. ओ. की उपाधि देंगे तो निश्चित रूप से दीजिए लेकिन उसके अण्डर में यदि जूनियर स्पेशलिस्ट, जो कि ज्यादा क्वालीफाइड है, यदि वह काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनमें मानसिक शोषण रहेगा। यदि समानान्तर स्थिति बनायी गयी, एक सी. एस. के अण्डर में, सी. एम. ओ. के अण्डर में एक डी. एम. ओ. को रखा गया और वह उसके नियंत्रण में रहे तो आप कल्पना कर लीजिये यह चलेगा कैसे ? क्योंकि वातावरण को यदि हमने नहीं बदला; फिर विशेष कर वह आदमी जो स्पेशल सर्जरी का है, मैं उनका कोई वकील नहीं, उनकी तरफ से कोई पैरवी नहीं कर रहा किन्तु यह वह आचार्य, प्राचार्य लोग हैं हड़ताल के वक्त इन्हीं लोगों ने सम्भाला था जब डेढ़ महीने तक सी. एस. के डाक्टरों ने हड़ताल की थी उस समय स्पेशलिस्ट लोग थे आज यदि उनको सत्कार नहीं दे सकते तो तिरस्कार भी नहीं दिया जाना चाहिये। यदि पुरस्कृत नहीं कर सकते तो अपमानित नहीं करना चाहिये यह मेरी याचना है इस पर निश्चित रूप से मनन करें नहीं तो आने वाले समय में आप निश्चित रूप से यह महसूस करेंगे यदि यही स्थिति चलती रही तो दोनों में विरोधाभास होगा और प्रशासन जिसको आप अच्छा करना चाहते हैं, हो सकता है उसमें कड़वाहट पैदा हो।

आज नर्सिंग स्टाफ की बात है। डब्ल्यू. एच. ओ. और उसके साथ-साथ मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया इस बात की स्वीकृति दे चुके हैं कि पांच मरीजों के पीछे एक नर्स होनी चाहिये। आज राजस्थान में 50 के पीछे एक का स्टाफ है। मैं जानता हूं कि आर्थिक बन्धन हमारे सामने हैं किन्तु उसके साथ यह भी देखना होगा आज उनकी सेवाओं की उपलब्धता यदि सही ढंग से चलाना चाहते हैं तो नर्सिंग स्टाफ पर 50 नहीं तो कुछ और संख्या बढ़ायी जाय ताकि कुछ लोगों को रोजगार भी मिल सके और नर्सिंग स्टाफ कुछ अच्छी सेवाएं भी दे सके।

एक और निवेदन करना चाहता हूं, आज एक मरीज पर 1200 रुपये साल के सरकार देती है यानि सौ रुपये महीना यानि 3.30 रुपये रोज के। इसी तरह आउट डोर पेशेंट पर डेढ़ रुपया देती है। क्या आज तीन साढ़े तीन रुपये में उपचार हो सकता है ? पांच रुपये खाने के लिए सरकार देती है। पांच रुपये में नाश्ता भी आयेगा और ढाई-ढाई रुपये में दोनों वक्त का खाना भी खायेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सदन का कोई भी सदस्य कह दे क्या पांच रुपये में खाना खाया जा सकता है और वह भी एक रोगी का खाना पांच रुपये में सरकार उपलब्ध करती है। आर्थिक बन्धन है किन्तु आर्थिक बन्धन में एनामलोज हैं

(श्री अर्जुनदास मदान)

उस पर थोड़ी चर्चा की जाय । इसके बाद मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता । दो सुझाव और हैं । एक तो सोनोग्राफी की सुविधा कम से कम "ए" ग्रेड हास्पिटल जितने राजस्थान में हैं, उनमें होनी चाहिए । केस्टल मशीन भी यदि मंगा सकते हैं एस. एम. एस. हास्पिटल में····

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कैस्टल मशीन जयपुर में है । एक तो है, दूसरी और मंगा रहे हैं ।

श्री अर्जुनदास मदान : अगर है तो मैं क्षमा चाहूंगा, मेरी नालेज में नहीं है । अब अन्त में एक बात निवेदन करता हूं कोटा के लिए आज जो मेरा क्षेत्र है उसके 18 वार्ड हैं ।

श्री सभापति : कृपया भूमिका नहीं, जो बात कहनी है, कह दें । आप बहुत टाइम से आगे जा चुके हैं ।

श्री अर्जुनदास मदान : मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि आज जितने मजदूर कल कारखानों में काम करने वाले लोग कोटा से चलते हैं तो विज्ञान नगर से डी.सी. एम. और जे. के. को जोड़ने वाली सड़क जो पुलिया के नीचे से जाती है वह एक किलोमीटर की सड़क बनवा दें, बन जायेगी, मुझे विश्वास है, यदि बहुत जल्द बन जाय तो कम से कम 3 हजार मीटर, साइकिल और स्कूटर तीन किलो मीटर ज्यादा चक्कर लगा कर जाते हैं उनको सुविधा हो सकती है ।

श्री सभापति : धन्यवाद । श्री राजपाल सिंह शेखावत । (अनुपस्थित) श्री नाथूराम अहारी ।

श्री नाथूराम अहारी : मान्यवर आज मांग संख्या 21 और 26 के बारे में चर्चा हो रही है । मैं भी सर्व प्रथम सड़कों और पुलियों के बारे में अपने विचार दूंगा । डूंगरपुर जिला आदिवासी बहुल जिला है । वहां की भौगोलिक स्थिति अन्य क्षेत्रों से भिन्न है । वहां सड़क बनाने और रेगिस्तान में सड़क बनाने में काफी फर्क है । इसमें मेरा जहां तक ख्याल है एक हजार की जगह हमें चार हजार खर्च करने पड़ें तब तक वहां सड़क बन नहीं सकती ।

डूंगरपुर में जो पक्की सड़कें बनी हैं उनके रख रखाव के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है । मैं यह भी कहूं कि पूर्व की सरकार या वर्तमान सरकार के मापदण्ड बने हुए हैं डामरीकरण के, इसमें मामूली सा डामर लगा कर कंक्रीट बिछा दी जाती है । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें फर्क को ठीक किया जाय । इसमें माल ठीक लगाया जाये तो मैं समझता हूं कि वह ठीक हो सकती है ।

डूंगरपुर से आसपुर रोड दो हिस्सों में हो करके जाता है । एक रोड जाता है वाया बनकोड़ा और दूसरा जाता है गणेशपुर । गणेशपुर रोड बहुत पुराना रोड है । उस रोड की दूरी बराबर होने के बाद भी अक्सर मैन गाड़ियां नहीं चलती हैं । चूंकि वह रोड बहुत ही टूट गया है उस रोड के पेच ठीक नहीं किये गये हैं, मैं तो

(श्री नाथूराम अहारी)

यहाँ तक कहता हूं कि गणेशपुर से आसपुर के बीच का जो पोर्शन है, वह पोर्शन इतना खराब हो गया है कि उसमें कहीं 6–6 इंच के, कहीं आधा-आधा फीट के खड्डे पड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उस रोड को यथाशीघ्र ठीक किया जावे ताकि उस पर चलने वाली गाड़ियां ठीक रहे। उस पर रोडवेज की गाड़ियां भी चलती हैं, प्राइवेट गाड़ियां भी चलती हैं, गाड़ियों का बहुत ही नुकसान होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस रोड को बहुत जल्दी ठीक किया जावे। इसके साथ ही पूनाली से फागवाड़ा वाया हड़मतिया जाने वाला रोड भी बिल्कुल टूट कर खत्म हो गया है, उस रोड को ठीक किया जावे। उस रोड में लम्बे समय से जो पेच हैं, वह ठीक नहीं हुए हैं। इसी तरह देवसोमनाथ रोड से डूंगरपुर तक की रोड है, देवसोमनाथ एक धार्मिक स्थान है, जो आधा ठीक हुआ है और आधा पेच से भरा हुआ है, उस रोड को ठीक किया जावे।

श्रीमन्, अकाल के समय में राजस्थान में स्थिति यह है कि यहां हर दूसरे-तीसरे साल अकाल पड़ते हैं। जब-जब भी अकाल पड़ते हैं, अर्थ वर्क से रोड बनायी जाती है लेकिन विभाग की यह गलती है। गलती इसलिए है कि हजारों, लाखों, करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद भी नालों पर, छोटे-छोटे पुलों पर थोड़ा सा खर्चा ज्यादा करके उस पर अगर पाइप लगा दिया जावे और दोनों मुंह बन्द कर दिये जावें तो मैं समझता हूं जो अर्थ वर्क की रोड है वह रोड टूटेगी नहीं और यथावत बनी रहेगी और जब कभी भी हमारी वित्तीय व्यवस्था ठीक हो, तब उन रोड्स को बहुत जल्दी से पूरा किया जावे। कई ऐसी रोड हैं जहां पर अकाल के समय काम किये गये लेकिन उनके जो नाले हैं, उनकी छोटी-छोटी गलियां हैं उन पर पुल नहीं बनने से वे रोड बिल्कुल कट गयीं, उसकी सारी की सारी मिट्टी खत्म हो गई। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि ऐसी जो भी सड़कें हैं, उन सड़कों के लिए, जब कभी भी वे बने, 6-6 इंच, 1-1 फीट या 2-2 फाट के पाइप मुहैया कराये जायें, उसमें पाइप गाड़ दिये जाये। इससे सरकार का जो पैसा बेकार जाता है वह पैस बेकार नहीं जायेगा और रोड साबुत रहेंगे।

श्रीमन् मैं आपके सामने कुछ रोड्स की लिस्ट बताना चाहता हूं जो रोड पहले मंजूर हुए थे, उन रोड्स को वर्तमान सरकार ने कैंसिल कर दिया और ठीक 2-3 महीने बाद बरसात नजदीक आने पर वापिस स्वीकृत किया गया। लेकिन आज तक उन रोड्स का काम शुरू नहीं हुआ है। मैं एक लिस्ट भी आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं इन रोड्स को जल्दी से जल्दी शुरू कराया जावे।

1. शंकर घाटी से सुराता वाया लोलकपुर

2. भचड़िया से गोकुलपुरा वाया रघुनाथपुरा, आड़ेवाड़िया, वर्सीपाल, खेमारू, माथुगामड़ा

3. इन्द्रखेत से मेताली वाया मभोला

(श्री नाथूराम ग्रहारी)

4. रामपुर से टाडी ग्रावेरी

5. हथाई से पालथूर

6. गणेशपुर से तोराणिया

7. देवसोमनाथ से खेमपुर

8. तिजवड़ से बनकोड़ा वाया ग्रासेला, उपरगांव, एन्दौड़ा, माटड़ा, मातारेबा, हड़मतिया, जोगीवाडा, कोलखंडा

9 खेड़ा कछवासा से वसी (करहांता)

10. पुनाली से भोजातों का ग्रोड़ा

11. मुनली से ग्रोड़ा (कोलखंडा)

12. फुटीतलाई से सवगढ़ वाया खजुरिया रघुनाथपुरा

13. हीरातां से डाबेला वाया बई पोड़ माटड़ा सीदड़ी

14. बोखला कनबई

15. देवसोमनाथ से टोकर वाया गुड़ा

16. देवल ग्रामड़ी से शिशोद

17. थाणा से घांटा वाया कलवाड़ा

देवसोमनाथ से टोकर वाया गुडा, ये उदयपुर में पड़ता है। चूंकि देवसोमनाथ तक रोड ग्रायी है, ग्रागे 10 किमी. का ऐसा रास्ता है जो कि उदयपुर को जोड़ता है इसलिए मैं ग्रापसे निवेदन करता हूं कि इसको ग्रगर बना दिया जावे तो डूंगरपुर से उदयपुर तक की दूरी कम से कम 20 किमी. तक कम हो जायेगी।

देवसोमनाथ से देवल गामड़ी शिशोद, थाणा से घांटा वाया बलवाड़ा। इसी तरह पुल जो हैं, बड़े-बड़े पुल हैं जिनको बनाते-बनाते पांच साल हो गये, जैसे-जैसे हम देरी करते हैं, वैसे-वैसे उसकी कीमत बढ़ती जाती है ग्रौर वह पूरा नहीं हो पाता। देवसोमनाथ का पुल भी ग्रभी तक पूरा नहीं हुग्रा है। उसका निर्माण ग्रभी चल रहा है लेकिन मन्द गति से चल रहा है। तो उसे बरसात के पहले पूरा किया जावे। डूंगरपुर में कुछ क्षतिग्रस्त पुल हैं जो मेन रोड पर हैं। खास कर के ग्रासपुर के ग्रागे ग्रासपुर में एक पुल है जो काफी लम्बे समय से टूटा हुग्रा है, मेन रोड है, उस पर सैंकड़ों गाड़ियां भी जाती हैं लेकिन वह पुल टूटा हुग्रा है। घावड़ी दोनदी पर, कहारी स्कूल के पास, देवल गामड़ी शिशोद रोड पर, जहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं वहां पर नये पुल बनाये जायें। डूंगरपुर से खैरवाड़ा रोड चलता है उस पर यह पुल पड़ता है, यह बहुत जरूरी है। लोलकपुर नदी पर यह रोड डूंगरपुर से जंगलों में होकर जाता है लेकिन एक नदी ऐसी है उस नदी के लिए पुल बनाना बहुत जरूरी है।

इस के साथ ही मैं चिकित्सालय के बारे में कुछ ग्रपने सुझाव दूंगा। माननीय सभापति महोदय, डूंगरपुर में बहुत लम्बे समय से जिला हैडक्वार्टर पर एक मुख्य चिकित्सालय चल रहा है लेकिन दो-तीन साल पहले ग्रकाल पड़ा था, तो यह महसूस किया गया था कि चूंकि यहां पर ग्रादिवासी बाहुल्य क्षेत्र है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूराम अहारी : माननीय सभापति जी, मैं दो मिनट ही तो बोला हूं। और वहां यह महसूस किया गया कि एक अन्य ग्रामीण अस्पताल कायम किया जावे। वहां पर शहर में अकाल की राशि नहीं लग सकती थी इसलिए पास में एक गांव था, उस गांव को नगरपालिका से अलग करके वहां पर अकाल में एक बिल्डिंग का निर्माण कराने का सोचा और तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जी जोशी ने वहां पर बिल्डिंग का निर्माण कराया उस बिल्डिंग में जन सहयोग से करोड़ों रुपया लगा लेकिन वर्तमान सरकार ने, अभी स्वास्थ्य मंत्रीजी वहां गये, शहर में जो अस्पताल चलता था, उनको करना तो यह चाहिये था कि वहां पर नये अस्पताल की स्वीकृति देते लेकिन वहां नये अस्पताल यानी पी. एच. सी. की कोई व्यवस्था नहीं करते हुए, आपने आव देखा न ताव, अस्पताल को भवन में बदल दिया। आप कहते हैं, आप अपने आप में यह गर्व करते हैं कि हम विकास करते हैं। आप यह विकास करते हैं ?

श्रीमन्, डूंगरपुर में 27–28 हजार की आबादी है और बहुत पहले से वह अस्पताल चल रहा था, आपने उस बिल्डिंग को बिल्कुल वीरान कर दिया और उसकी सारी सुविधाएं आपने अलग कर दीं जबकि वह भवन पूरा भी नहीं हुआ था। मैं आसन के मार्फत मंत्री महोदय जी और यहां तक कि मुख्य मंत्री जी को यह निवेदन करता हूं कि आप तत्काल डूंगरपुर शहर में अस्पताल जो हटाया गया था, आप वहां पर नये अस्पताल की स्वीकृति देकर के राहत पहुंचायें। वहां पर काफी आदमी उस समय से अनशन पर बैठे हैं, जिस समय से वह अस्पताल वहां से हटाया गया है और उनका यह प्रण है कि इस हास्पिटल में जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो, तब तक हम नहीं उठेंगे, तो मैं आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में यह आवाज करता हूं कि आप वहां पर यथा शीघ्र अस्पताल का नाम-करण करके वहां के स्टाफ की दूसरी राहत देने की कृपा करें। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री नाथूराम अहारी : स्वास्थ्य विभाग ने, जैसे कि डूंगरपुर जिले में आपने देखा है बिल्कुल पहाड़ी एरिया है। वहां पर दूर-दूर तक न पी. एच. सी. है, न डिस्पेंसरी है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, जैसाकि जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उसी तरह डूंगरपुर में भी है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूराम अहारी : अगर रात के समय में ऐसी कोई परिस्थिति आ गई तो डूंगरपुर जाने के लिए आदमी को न साधन मिले और न कोई इस तरह की व्यवस्था हो और वहां पर सुविधा मुहैया करने के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस मापदण्ड को बदला जावे और वहां ज़्यादा से ज़्यादा पी. एच. सी., डिस्पेंसरी और सब सेन्टर खोले जायं।

मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि परिवार नियोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम है। डूंगरपुर जिला इसमें फर्स्ट आया है। सरकार को

(श्री नाथूराम अहारी)

ध्यान देना चाहिये कि जो जिला फर्स्ट आता है वे ही राष्ट्रीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उस जिले को ज्यादा सुविधा देनी चाहिए लेकिन नहीं दी गई है और शहर का जो हास्पिटल था उसको आपने बदल दिया है उसको जल्दी से जल्दी स्वीकृति देकर लोगों को सुविधाएं मुहैया करवायें। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : डाक्टर सांवरलाल। (अनुपस्थित)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : मेरा नाम लिख कर दिया है फिर भी मेरा नाम नहीं बोला गया है, जबकि मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्याएं हैं।

श्री सभापति : आ जायेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, तो कितनी देर में आयेगा ? लिस्ट में मेरा नाम दिया है।

श्री सभापति : आ जायेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : कभी भी मेरा नाम पहले नहीं देते हो। मेरा नाम हमेशा सबसे पीछे रखा जाता है।

श्री सभापति : आ जायेगा। नाम दिये हैं उस हिसाब से ही आप बोलेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : नाम तो दिये हैं। कम से कम मेरा नाम तो बोल दीजिये। माननीय सभापति महोदय, कम से कम इतना तो ध्यान रखें।

श्री सभापति : आपके मुख्य सचेतक हैं जिन्होंने नाम भेजे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे क्षेत्र में भंयकर समस्याएं हैं चिकित्सा की, स्वास्थ्य की। माननीय दोनों मंत्री बैठे हैं।

श्री सभापति : अब आप बैठें। आपका नाम आयेगा। श्री नवनीतलाल।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : माननीय सभापति महोदय, किसी भी देश का, प्रदेश का विकास सड़क और सड़क निर्माण विभाग पर निर्भर है। मैं आपके माध्यम से मान्यवर, राजस्थान सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि गत 40 वर्ष में जो आजादी प्राप्त हुई है। इस आजाद देश में, राजस्थान प्रदेश में खास कर दक्षिणी राजस्थान के करोड़ों रुपयों की धूल सड़कों पर उड़ा दी लेकिन वे सड़कें आज भी कच्ची हैं। वहां पर आदिवासी और भूखे लोग ...(व्यवधान)

जो सड़कें बनायी जाती हैं वे बरसात के पानी में बह जाती हैं। मतलब यह कि सारा पैसा पानी में चला जाता है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि गत माह फरवरी में जनजाति क्षेत्र में हमें राजस्थान का दौरा करने का मौका मिला। हमारी सरकार ने यह निर्णय किया है कि डेढ़ से तीन हजार तक की जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ेंगे। मान्यवर, हमारी कमेटी गई। जहां पर पंचायत हैडक्वार्टर को जोड़ना चाहिये नहीं जोड़ा। जनसंख्या की बात तो छोड़ दीजिये आज ग्राम पंचायतों के जो मुख्यालय हैं उनको भी सड़क से नहीं जोड़ा गया है। अतः मेरी

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

मांग है कि पूरे राजस्थान में जो देहाती एरिया है जहां पर कार नहीं जा सकती, न जीप-गाड़ी जा सकती वहां सड़कें जरूरी होनी चाहिये। ऐसी व्यवस्था पर मेरी मांग है। मान्यवर, डामर न हो लेकिन मिट्टी की सड़कें जरूर होनी चाहिये। जहां छोटी नदियां व नाले हैं उन नालों पर पुल बनाया जाय। कम से कम विभागीय अधिकारी ऐसे गांवों की जांच और सर्वे के लिए गांवों में पहुंचे, ऐसी व्यवस्था सरकार करे। आज हमारे राजस्थान में, मान्यवर, मुख्य मंत्रीजी ने 62 पर्सेण्ट पैसा गांवों की ओर रवाना करने की योजना बनायी लेकिन हमें यह जानकारी मिली है कि अभी तक किसी भी अधिकारी ने गांवों में जाकर सर्वे नहीं किया है। इस प्रकार से यह पैसा नाजायज खर्च होगा। अतः इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, गत सरकारों ने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत छप्पर योजना, नीचे के तबके को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किये। हमारी कमेटी ने ऐसी रिपोर्ट मंगवायी और उन स्थानों पर जाने की तैयार की लेकिन जहाँ-जहाँ हम गये वहां गाड़ी जा नहीं सकी। उन गांवों के रहने वाले आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग को जनजाति को यह पता नहीं कि कोई जांच अधिकारी भी यहां आयेंगे। क्योंकि वहां पर आज तक कोई अधिकारी पहुंचा ही नहीं है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जिला बांसवाड़ा पंचायत खैरथलिया, यह मेरे पास सूची है, वहां पर विकास अधिकारी, सरपंच, प्रधान ने मिल कर हजारों रुपये हड़प लिये। वहां की पब्लिक कमेटी के सामने बयान देना चाहती थी लेकिन सड़क के अभाव में हम उन गांवों में नहीं पहुंच सके। मेरा यह निवेदन है कि गांवों की ओर विकास का जो निर्णय लिया है उस निर्णय के अनुसार मौके पर पहुंचने के लिए सड़क ही होना अनिवार्य है। गांव है सिम्बलिया जहां 19 किसान हैं, जहां पर 14 हजार 250 रुपये बिना किसानों की जानकारी के विकास अधिकारी, प्रधान, सरपंच के माध्यम से घपला हुआ है लेकिन सड़क के अभाव में आज दिन तक उन किसानों तक कोई अधिकारी निरीक्षण करने के लिए नहीं गया। अतः मेरी मांग है कि इस ओर विशेष ध्यान दें। मान्यवर, उदयपुर डिवीजन का दौरा करने पर देहाती इलाके की हमने जानकारी ली। नक्शा मेरे पास में आया है। बांसवाड़ा जिले की 196 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें से 32 ग्राम पंचायतें आज दिन तक सड़क से जुड़ी नहीं हैं। वहां पर विकास अधिकारी, जिला अधिकारी और जिला परिषद के अधिकारी .... (व्यवधान)

अतः मेरी मांग है कि इस प्रकार सर्वे करायी जाय। जो पैसा बहाया जा रहा है उन पैसों की निगरानी के लिए मौके पर सड़क के द्वारा पहुंचने की व्यवस्था की जाय या यह निर्णय लिया जाय कि सड़क की व्यवस्था नहीं होगी तो वहां पर उन जिलों में, उन देहाती गांवों में ऐसे अधिकारी नियुक्त करें जो बिना गाड़ी के वहां पैदल चलकर पहुंचे। वहां अधिकारी ऐसे नहीं रखे जो पैदल चल कर निरीक्षण नहीं कर सके। यह मेरा विशेष विचार करने लायक सुझाव है।

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

माननीय मैं बांसवाड़ा जिले की बात कहना चाहूंगा। बांसवाड़ा जिला दक्षिणी राजस्थान का जिला है। आधे जिले की भूमि समतल है और बांसवाड़ा से पूर्वी इलाका घाटियों और जंगल का है। लेकिन वहां पर आज दिन तक कोई सड़क सफल नहीं हो पायी है। मेरी मांग है जिला बांसवाड़ा नगर हैड क्वार्टर से लेकर के कोटेनेश्वर प्रतापगढ़ की ओर चित्तौड़गढ़ जिले की अरणोद तहसील से सम्पर्क सड़क वाया घण्टाली और सोडलपुर हर वर्ष सड़क की व्यवस्था की कमी के कारण पचास से साठ लोग एक्सीडेण्ट में मारे जाते हैं और वहां बिना सड़क गाड़ी चलाने का परमिट दे रखा है तो मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार और माननीय मंत्री महोदय या तो वहां सड़क बनायें या जो यात्रियों को बिना सड़क गाड़ी परमिट देकर मौत के घाट उतारे जा रहे हैं तो उन गाड़ियों के परमिट खारिज करें जिससे कम से कम उनकी जान तो बचे। यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री नवनीतलाल नीनामा : मान्यवर, निवेदन है कि जिला बासवाड़ा में सड़कों के अभाव में, मैं कुछ सड़कों के नाम लेना चाहूंगा ....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री नवनीतलाल नीनामा : जिला बांसवाड़ा में माही डेम बन जाने से....

श्री सभापति : समाप्त करना है। यदि आप चालू रखेंगे तो अंकित नहीं होगा। समय सीमा का ध्यान रखें।

श्री नवनीतलाल नीनामा : मैं मेरे समय का उपयोग कर रहा हूं। मैं बोलना नहीं चाहता था। समय तो मेरा ही उपयोग कर रहा हूं। लेकिन आपने मुझे टोक दिया।

श्री सभापति : सब पर एक ही बात है।

श्री नवनीतलाल नीनामा : आप कह रहे थे तो मैं सुन रहा था लेकिन उस समय मैं बोल रहा था वह बेकार न फिके ऐसी मेरी मान्यता थी।

श्री सभापति : समय सब के लिए बराबर है। कृपया समाप्त करें।

श्री नवनीतलाल नीनामा : तो मेरा निवेदन है कि बांसवाड़ा जिले में माही डेम बनने के बाद कांगदी नाम का नाला आया जो नगर से बहता हुआ कडाना डेम की ओर रवाना होता है। नाला रात और दिन बहता रहता है। अतः मेरी मांग है कि बांसवाड़ा तहसील, तहसील गढ़ी और घाटोल जहां जनता का आवागमन है वहां टूटा हुआ है। अतः इसरनाडा तहसील घाटोल गांव बोलाला तहसील बांसवाड़ा के बीच एक पुल का निर्माण कराया जाय जो तहसील का आवागमन टूटा हुआ है उससे जुड़ जायेगा। ऐसी मेरी मांग है। जय हिन्द।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री रामेश्वर दयाल यादव।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-21 और 26 के बाबत मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव दिये हैं। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष आपने जोर शोर से इस सदन में यह बताया था कि 10 वर्ष से जो सड़कों का काम हुआ उसमें जयपुर जिला सबसे पिछड़ा रहा है। आपने अपने मुखारबिन्द से यह बात कही थी कि 1500 की आबादी और पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने का काम जो राजस्थान में पिछली सरकार ने जैसा किया उसमें जयपुर जिले के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया। लेकिन आज मैं भी कह सकता हूं कि मंत्री महोदय इस साल जयपुर जिले में आपने भी वही काम किया जो पिछले 10 साल में पूर्व सरकार ने किया है। जयपुर जिले में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत, 1500 की आबादी वाले गांव आज भी ज्यादातर सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए मेहरबानी करके आप जयपुर जिले को मत भूलिए। जयपुर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, आपकी राजधानी भी है, इर्द-गिर्द आप घूमते भी हैं, इसलिए जो कहते हैं, कार्यप्रणाली में भी उसका अनुकरण करें।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तीन सड़कें हैं जो एम. एन. पी. के अन्दर स्वीकृत थीं। हस्तेड़ा से रींगस, ढाढसर से खेजरोली और उदयपुर मोड़ से लोपरवाड़ा, यह कई सालों से निर्माणाधीन है और इसके अन्दर पैसा स्वीकृत पड़ा है। मेरी समझ में नहीं आता है कि आपका विभाग इन सड़कों पर तीन बार टेण्डर करने के बाद वहां काम क्यों नहीं करता है। आपकी जानकारी के लिए टेण्डर होने के बाद भी वर्क आर्डर नहीं दिया। उस टेण्डर को वापस निरस्त कर दिया। कभी ठेकेदार भाग जाता है, कभी इन्जीनियर भाग जाता है, कभी निरस्त कर देते हैं और अन्तत: इस वर्ष इन तीनों सड़कों के कामों को जी. आर. वाई. में ले लिया। मैंने उस वक्त भी निवेदन किया था कि जे. आर. वाई. में यह वर्क कम्प्लीट नहीं हो पायेगा लेकिन विभाग ने कहा है कि हम जे. आर. वाई. में पैसा लगायेंगे और उसके बाद स्वीकृत अमाउण्ट में पूरा करेंगे लेकिन जिस गति से काम चल रहा है। मुझे लगता है कि शायद आपके इस साल तो होने का प्रश्न ही नहीं लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में भी पूरा कर दें तो यह अच्छा काम होगा।

एक मेरे क्षेत्र में गोविन्दगढ़ से घोंबलाई जहां पर डेढ़ किमोमीटर सड़क 75 की बनी हुई है और अर्थ वर्क उसका पिछले दो साल पहले पूरा कर लिया गया था। पंचायत मुख्यालय है। पन्द्रह सौ की आबादी का गांव है। मेरा विनम्र निवेदन है मात्र चार किलोमीटर के टुकड़े को अगर आप ग्रेवल रोड बनाते हैं तो कम से कम एक पंचायत मुख्यालय इससे जुड़ेगा जो नेशनल हाईवे से बिल्कुल नजदीक है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के हिसाब से मेरा विधान सभा क्षेत्र जयपुर जिले में काफी अच्छा सरकार को भी मदद करता है और जनता को भी मदद करता है। इसमें अगर छोटी-छोटी सड़कें देंगे तो मैं समझता हूं कि इससे

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

जनता को भी फायदा होगा और आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूसे से जो आमदनी होने वाली है उससे सरकार को भी मदद मिलेगी।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की तातेड़ा से बूतेड़ा हेतु सड़क का आपने सर्वे कराया लेकिन उसकी अभी भी स्वीकृति नहीं हुई है और न आपने इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में ही कोई इसको इंगित किया है। इसके अलावा मेरा आपसे एक निवेदन और है, आप अपने विभाग में चाहें तो जो टेण्डर्स होते हैं जो ठेकेदारों का वर्क अलाट करते हैं। इस प्रक्रिया में या तो सुधार करो या आपके विभाग में इंजीनियर हैं उनके कमीशन को नियमित कर दीजिए। ताकि आपके अलाटेड टार्गेट्स हैं वह पूरे हों। टार्गेट अलाट होते वक्त कोई इंजीनियर है और वर्क आर्डर होते वक्त में दूसरा आ जाता है तो 15-20 प्रतिशत के चक्कर में नतीजा यह होता है कि कई-कई वर्ष आर्डर नहीं देते हैं, कोई टेण्डर स्वीकृति नहीं करते हैं। नतीजा यह होता है कि जितने टार्गेट होते हैं वह पूरे नहीं होते हैं।

मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी कहना चाहूंगा कि आज से 9 माह पहले एक कालाडेरा बढ़ार सड़क के ऊपर बाई दी वे मैं गांव जा रहा था तो रात को, मुझे ऐसी घटनी लगी, मैंने पी. डब्ल्यू. डी. के इन्जीनियर्स को सूचना दी और उसमें यह पाया कि वहां डेढ़ किलोमीटर रोड पर जो कारपेट बननी थी उसमें 39 ट्रक चोरी ले गये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपके कहते ही पकड़ लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उसी में निवेदन कर रहा हूं। वह रिपोर्ट दर्ज करायी तो आपके विभाग के एस. ई. थे, अब तो आपने उनको बदल दिया। उन्होंने एक्स. ईएन., जे. ईएन. और ए. ईएन. से कहा कि यह ठेकेदार तो मेरा आदमी था आपने रिपोर्ट दर्ज क्यों करायी? आपकी जानकारी के लिए आपने निर्देश दिये थे, पकड़ लिया था, सारी बात हो गयी थी, आज 9 महीने तक मैटीरियल रोड पर पड़ा है और उसमें एक नये पैसे का काम नहीं हुआ तो इस तरह से कोर्ट में गया है या सैक्शन 192 में कार्यवाही कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया में सुधार कीजिए। किसी ठेकेदार के मातहत आपके टार्गेट्स पूरे नहीं हों, किसी इंजीनियर के मातहत आपके टार्गेट्स पूरे नहीं हों। इस प्रक्रिया में निश्चित तौर पर सुधार करें।

इसके साथ-साथ मैं चौमूं नगर की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जयपुर जिले में चौमूं कस्बे की आबादी 70 हजार की है आपने कई बार इसका विजिट भी किया है और वहां बस स्टेण्ड पर कितनी भीड़-भाड़ रहती है। चौमूं बाई पास का सर्वे हुआ, एस्टीमेट भी बना लेकिन अब तक काम चालू नहीं हुआ। मेरा विनम्र निवेदन है कि आबादी की बढ़ोतरी को देखते हुए और चौमूं बस स्टैण्ड पर जो भीड़-भीड़ रहती है। आप बाई पास को स्वीकृत करके उसका निर्माण करायें। साथ ही चौमूं नगर में रींगस चुंगी चौकी और जयपुर चुंगी चौकी के

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

बीच पुलिस वालों को और प्रशासन वालों को इतनी दिक्कत आती है कि उस रोड को चौड़ा करके उसमें डिवाइडर लगायें। इसका आपके निर्देश से एस्टीमेट भी बना है। मैंने पहले भी पत्र लिखा था। मेहरबानी करके इसको करायें ताकि आगे जाने वाले गंगानगर, बीकानेर जाने वाले लोग, यह नेशनल हाईवे है, उनको परेशानी न हो। हमेशा वहां एक्सीडेण्ट होते रहते हैं।

अब जयपुर जिले के दो भाग होने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने दौसा को जिला घोषित करने का एलान किया है। अब निश्चित तौर पर आपको कुछ सब डिवीजन क्रियेट करने हैं। हमारे यहां चौमूं और आमेर दोनों को मिलाकर एक सब डिवीजन बना रखा है और उसका हैड क्वार्टर आपने जयपुर रखा है। जयपुर जिले में कई तहसीलें तो ऐसी हैं जिनमें आपने तहसील के अन्दर एक-एक सब डिवीजन बना रखा है तो इसका कोई मापदण्ड तय करें कि इतने लम्बे रोड के लिए एक सब डिवीजन होना चाहिए. चाहे किलोमीटर के हिसाब से. दूरी के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, आप जो भी मापदण्ड करें, उसमें मेहरबानी करके आमेर और चौमूं दोनों में अलग-अलग सब डिवीजन क्रियेट करते तो मैं समझता हूं कि डिपार्टमेण्ट की वर्ग कैपेसिटी में मदद मिलेगी।

इसके साथ-साथ मैं आपको ध्यान चिकित्सा की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। सर्व प्रथम तो मैं चौमू अस्पताल में जो टार्गेट्स हैं उसके बारे में मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, मैंने पत्र भी लिखा था, मैं समझता हूं कि जयपुर जिले में ऐसी दुर्दशा किसी अस्पताल की नहीं होगी वहां जो एक्सरे मशीन पड़ी है वह काम नहीं आ रही है। वहां डाक्टर्स का जो हाल है वह बेहाल है। वहां पर एम्बूलेंस गाड़ी तीन साल से अलाटेड है, वह आपके जयपुर डिप्टी सी. एम. एच. ओ. के यहां काम कर रही है। तीन साल से ड्राइवर चौमूं से तनख्वाह ले रहा है और आपकी एम्बुलेंस गाड़ी जयपुर में काम आ रही है। मैं अभी 15 रोज पहले की घटना का जिक्र करना चाहूंगा। एक कलकत्ता का महाजन अग्रवाल था। खाटू श्यामजी दर्शन करने गया तो एक्सीडेण्ट में उसकी मौत हो गयी तीन आदमियों की मौत हुई। उनके छोटे-छोटे बच्चे थे और एक व्यक्ति की मौत इसलिए हुई कि वहां हास्पिटल के अन्दर एम्बुलेंस की गाड़ी नहीं थी। उनकी कोई जानकारी नहीं थी और चौमूं के नागरिक जो थे, उन्हें जो भी मिला, एक विक्रम गाड़ी करके, कैसे भी करके जयपुर लाये, और नतीजा यह हुआ कि हरमाड़ा के आसपास आकर उन्होंने दम तोड़ दिया। मेरा नम्र निवेदन है कि जब आपके हास्पिटल की स्वीकृत गाड़ी चौमूं की है, आपका ड्राइवर वहां से तनख्वाह उठा रहा है और तीस बैड का वह हास्पिटल है, तो आप क्यों नहीं उस ड्राइवर को और उस एम्बूलेंस को चौमूं स्थानान्तरण करते है ? मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि इस मामले में, चौमूं में काफी असन्तोष है। और जब असन्तोष ज्यादा बढ़ जाता है तो कई बार उसको कन्ट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है।

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

इसके साथ मेरा सुझाव है कि चौमूं हास्पिटल को अगर आप रेफरल का रूप देकर उसमें बीस तीस बैड्स और बढ़ाये, तो मेरे ख्याल से वह उचित होगा। मैं पिछली सरकार के बारे में यह नहीं कहता कि उन्होंने धौली में क्यों खोली, लेकिन जिस ढंग से कुछ हास्पिटल ऐसे खोले जहां फिजिबल भी नहीं था। मैं धौली के लिए नहीं कहता कि फिजिबल नहीं है, लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि चौमूं के मुकाबले में धौली में रेफरल हास्पिटल होना कोई माना नहीं रखता। धौली के अन्दर, जहां पंचायत हैड क्वार्टर है, वहां पर आपने रेफरल हास्पिटल खोल रखा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बन्द है साहब वह।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : मुझे मालूम है। बन्द नहीं है। आपने आदेश दिया था लेकिन हाई कोर्ट का स्टे है। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि जहां 17 हजार की आबादी है, जहां 12 महीनों में एक लाख इनडोर और आउटडोर पेशन्ट्स इलाज करते हैं, जिस कस्बे में करीब 35 प्राइवेट डाक्टर्स काम कर रहे हों, वहां पर बीस तीस बैड्स नहीं बढ़ा सकते ? मैंने पहले भी आपको पत्र लिखा था, आपने कहा इस चालू वित्तीय वर्ष में हम नहीं कर पायेंगे, तो क्या मैं यह मान लूं कि अगले वित्तीय वर्ष में आप बीस या तीस बैड्स चौमूं में बढ़ायेंगे ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ ही जहां आपके प्राइमरी हैल्थ सेन्टर हैं उनको आपने दो-दो डाक्टर्स को पोस्ट्स दे रखी हैं। अगर एक है, तो मैं कहना चाहूंगा कि उनमें एक लेडी डाक्टर की पोस्ट निश्चित करायें। लेडी डाक्टर की पोस्ट के बिना वहां पर महिलाओं को चिकित्सा के मामले में काफी असुविधा महसूस होती है। मेरे यहां काला डेरा के अन्दर सेठ रामेश्वर लाल सहरिया ने एक बड़ा लम्बा चौड़ा भवन बनवाकर आपको सुपुर्द कर रखा है। खजरोली के अन्दर वहां के सेठ ने आपको अच्छा भवन बनाकर दे रखा है लेकिन पिछले कई सालों से वहां डाक्टर नहीं है। काला डेरा में पहले लेडी डाक्टर थी। मेहरबानी हुई कमलाजी की, जब वह मंत्री थीं, तो इस पोस्ट को वह शाहपुरा ले गयीं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप गोविन्दगढ़, काला डेरा और खजरोली में महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 21 और 26 पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। भारत स्वतन्त्र होने के 43, 44 साल पश्चात् भी, 1947 के अन्दर राजस्थान में कुल 13,339 किलोमीटर सड़कें बनी हुई थीं और अभी का खाता दूंगा तो 31·3·90 तक 56,956 किलो-सड़कें बनी। मात्र चार गुना इजाफा हुआ इतने लम्बे अन्तराल के पश्चात्। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर ऐसे-ऐसे गांव

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

हैं जहां पर जीप कार तो क्या, बैलगाड़ी भी नहीं जाती। विशेषकर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भोजावास और कोरपुरा ऐसे गांव हैं जहां 43 साल के पश्चात् ग्रेवल सड़क भी नहीं हैं। आने जाने के अन्दर, अगर कोई गांव का व्यक्ति, अगर कोई गांव की माता को हास्पिटल में भर्ती कराना पड़े, तो वहां पर बहुत ही समस्या होती है और कई बार ऐसा होता है कि उनको अपनी जान से भी हाथ धोने पड़ते हैं।

प्राइवेट बसों के बारे में भी मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो प्राइवेट बसें चलती हैं, मैं यह नहीं कहूंगा कि इन प्राइवेट बसों से विभाग के अधिकारियों की मिली भगत है, परन्तु जो प्राइवेट बसें चलती हैं, अधिकांश जिस रूट पर वह चलती हैं, वह रोड डामर किया हुआ होता है, परन्तु कुछ पोर्शन, एक या दो किलोमीटर बीच में जानबूझ कर कम्प्लीट नहीं करते हैं ताकि वह रूट नेशनलाइज नहीं हो सके। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इसकी जांच कराये; इसका आंकलन कराया जाय और जो रोड्स एक या आधा या दो किलोमीटर अधूरा पड़ा हुआ है जिसमें डामर करना है, वहां पर डामर कराया जाय ताकि राज्य पथ परिवहन निगम के माफिक बसें चल सकें।

मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि राजस्थान में गत वर्ष जो बाढ़ से भयानक स्थिति हुई, बाढ़ के कारण जिस प्रकार से सड़कें नष्ट हो गई, जिस प्रकार से सड़कें टूट गई, तो इतने अन्तराल के बाद भी उन सड़कों पर आवागमन रूका हुआ है और लोगों को आने जाने में बहुत असुविधा होती है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन सड़कों पर, जो पूर्व में अच्छी थी, ठीक थी, उन सड़कों को तत्काल मेन्टीनेन्स एस. आर. के तहत करके बनाया जाय, उनको प्राथमिकता दी जाय ताकि आवागमन हो सके। कई ऐसे इन्टीरियर में गांव हैं जहां पर लोगों को भयानक असुविधा होती है।

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र सोजत की सड़कों के बारे में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। सोजत की सबसे पुरानी सड़क जो सोजत सिटी को जोधपुर की सड़क है वाया राजोल और छोपरा। पिछले विधान सभा सत्र में भी माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में मुझे आश्वासन दिया था कि वह इस सड़क पर तत्काल प्राथमिकता के आधार पर डामर करायेंगे। मात्र सात किलोमीटर है। अगर इन सात किलोमीटर्स सड़क पर डामरीकरण हो जाय, तो जोधपुर से सोजत आने में केवल डेढ़ घण्टा लगता है। इसलिये मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस सड़क को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल स्वीकृति प्रदान करें।

दूसरी मेरी सड़क है सोजत से बिलाड़ा जो चामड़िया, भिया और फरास होकर बिलाड़ा जाती है। अगर इस सड़क पर डामर हो जाय, तो एक घण्टे में हम बिलाड़ा जा सकते हैं।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

(6·00 सायं)

इसके अलावा जो जवाहर योजना के तहत और सड़कें ली गई हैं, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपके विभाग के अधिकारी, जो जवाहर योजना के तहत पी. डी. अधिकारी हैं, आपके वहाँ रहने वाले ए. ई. एन. हैं, उन सड़कों को तत्काल स्वीकृति करने के पश्चात् भी उसको पूरा करने में असमर्थ हैं। इस सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित करें कि वहां सड़कें, ग्रेवल सड़कें, जिस क्षेत्र के अन्दर 43 सालों के पश्चात् भी गांव में ग्रेवल सड़क नहीं है, आवागमन का कोई साधन नहीं है, अभी भी लोग पैदल जाते हैं, वहां सड़कें बने। अतः प्राथमिकता के आधार पर उन सड़कों को तुरन्त प्रारम्भ कराने की कार्यवाही करें।

अब मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अन्दर बाई पास सर्जरी के लिए ऐसी कोई यूनिट नहीं है, इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में बाई पास सर्जरी की कोई यूनिट नहीं होने के कारण और प्रतिवर्ष हमारे लाखों रुपये, राजस्थान सरकार के जो अधिकारी, या कोई नेता, या राज्य सरकार उनको बाई पास सर्जरी के लिए अन्यंत्र भेजती है, तो हमें लाखों रुपये की हानि उठानी पड़ती है। मेरा माननीय मंत्री महोदय और राजस्थान सरकार से आग्रह है कि 3 करोड़ के इस बजट प्रावधान के आधार पर अगर बाई पास सर्जरी की व्यवस्था राजस्थान और जयपुर के अन्दर कर दी जाये तो हमें बहुत फायदा होगा। दूसरा मेरा निवेदन है कि राजस्थान में गुर्दा प्रत्यारोपण की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां पर गुर्दों के आदान-प्रदान की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण कई मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय और राजस्थान सरकार से आग्रह है कि गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए कोई न कोई व्यवस्था की जाये। तीसरा निवेदन है कि प्रतिवर्ष प्रति शय्या के ऊपर बारह सौ रुपये खर्च होते हैं, जो प्रतिमाह सौ रुपये और प्रतिदिन के हिसाब से तीन रुपये तीस पैसे होते हैं। आज की महंगाई में, आज की औषधियों की महंगाई के कारण, आज की व्यवस्था नगण्य सी है। इसलिए मंत्री महोदय से आग्रह है कि इसके अन्दर बढ़ोतरी की जाये, ताकि गरीब, अनुसूचित और बेसहारा व्यक्तियों को सहायता प्राप्त हो सकें।

भोजन के लिए कहना चाहूंगा कि पांच रुपये प्रति मरीज के हिसाब से राज्य सरकार द्वारा गरीबों को, असहायों को नाश्ते और भोजन के लिए बजट में प्रावधान किया गया है और राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की जाती है, यह भी नगण्य है। आज की तारीख में एक समय का भोजन भी 5 रुपये में आराम से नहीं हो सकता, इसलिए मेरा मंत्रीजी से आग्रह है कि इसके अन्दर बढ़ोतरी की जाय, ताकि गरीब व्यक्ति, अनुसूचित जाति के और बेसहारा लोगों के भोजन की व्यवस्था अस्पताल में की जाये और उसके अन्दर बढ़ोतरी करवायी जाये। एक मेरा और निवेदन है कि एक रुपया 50 पैसे प्रति मरीज पर इण्डोर पेशेन्ट के लिए जो खर्च होते हैं,

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

यह बहुत ही कम है और दूसरा मेरा निवेदन है कि जिन दवाइयों की उपलब्धता राज्य सरकार की ओर से की जाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और उन गरीबों और वृद्धों को जो सप्लाई की जाती है, उसके ऊपर एटरेण्डम सैम्पलिंग होना चाहिये। उसकी तत्काल, जांच होनी चाहिये, ताकि वास्तव में गरीबों को, बेसहारा, असहाय व्यक्तियों को जिस प्रकार की सहायता देते हैं, चिकित्सा विभाग या चिकित्सक, वह गरीबों और असहायों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, इसकी तत्काल जांच सैम्पलिंग एटरेण्डम स्पाट पर की जानी चाहिये।

अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र सोजत के अन्दर राजकीय रघुनाथ चिकित्सालय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, सोजत विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा इलाका है, पश्चिमी इलाका है, आवागमन की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है और रायपुर पाली के अलावा सिर्फ सोजत ही ऐसा बड़ा चिकित्सालय है, जहां पर 90 बैडों की व्यवस्था थी, वहां आपने 15 बैडों की बढ़ोतरी की है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, परन्तु जैतारण, रायपुर के आस-पास में सोजत में ही सबसे बड़ा चिकित्सालय है, इसलिए आपको 100 शैय्याओं का चिकित्सालय घोषित करें। मैं अपेक्षा करूंगा माननीय मंत्री महोदय इसके ऊपर ध्यान देकर इसके क्षमादान के लिए कोई न कोई व्यवस्था करेंगे।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : और मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र हैं, ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिसके अन्दर चिकित्सकों की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, ए. एम. एम. की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, कम्पाउण्डर नियुक्त नहीं हैं, इसलिए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि जो रिक्त स्थान हैं, उसकी तत्काल पूर्ति की जाये।

श्री सभापति : पुनः धन्यवाद। श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति महोदय, मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग और पुलों के सिलसिले में आपके माध्यम से राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से यही निवेदन करना है कि उन्होंने जो पिछले वर्ष यहां सदन में घोषणा की थी, जिस तरह की उम्मीद जगी थी कि वह सारे प्रदेश के इंजीनियर्स को एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम में बांधकर प्रदेश में निश्चित रूप से सड़कों के निर्माण में कुछ प्रगति दिखायेंगे, मैं यह कह सकता हूं कि हमारा जिला गगानगर बड़ा संवेदनशील जिला है। पजाब और पाकिस्तान के बोर्डर पर, ऐसी परिस्थिति में बसा हुआ 25 लाख की आबादी का जिला है। इसकी जयपुर से जोड़ने वाली सड़क को चौड़ा करने का प्रोग्राम पिछले 5 सालों से चल रहा है। अभी तक भी 10-10 घण्टे तक उप रोड का ब्लोकेड होता है। गर्मियों में रोड चल नहीं पाती, पूरी तरह रेत से भर जाती है। लाखों रुपये पी. डब्लू. डी. का उसमें खर्च होता है, सफाई के लिए। मैं सार्वजनिक

(श्री हेतराम बेनीवाल)

निर्माण मंत्रीजी से कहूंगा कि इसका टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनायें और हाउस को आश्वस्त करें कि गंगानगर जिले को राज्य का एक हिस्सा बनायेंगे और जोड़ेंगे। हिस्सा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे 11 सदस्य जानते हैं कि क्या स्थिति है, किस तरह से ब्लोकेड हो रही है। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से कहूंगा कि एक बार कार में जाकर देखे, उन्हें पता लग जायेगा कि पल्लू से लेकर सरदारशहर तक के… गर्मियों में नहीं गये होंगे, मंत्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं गर्मियों में भी गया हूं, सर्दियों में भी गया हूं और बरसात में भी गया हूं। तीनों सीजन में गया हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : कितनी देर रुके होंगे। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी बड़ी उपेक्षा है। दूसरा मुझे कहना है कि अभी गंगानगर जिले में जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें हैं, वह ठप्प पड़ी हुई हैं और उसके ठप्प होने के कारण यह हैं कि वहां के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने यह मोनोपोली कर रखी है, लोकल ठेकेदारों ने कि वह कोई भी सड़क का निर्माण करने को तैयार नहीं हैं। हमने अपने विभाग के बारे में जो एक्सप्लेनेशन का क्लोज था, पहले कि प्राइसेस बढ़ेंगी, वह कीमत हम बढ़ा देंगे। इस वजह से किसी भी सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। मेरे क्षेत्र में तो ऐसी सड़कें हैं, जो पिछले 10 साल से टहरी हुई हैं। पांच साल से उस पर रोड़ी पड़ी है, पूरे तीन किलोमीटर पर और वहां पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ। मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरह के जो काम हैं, वह टाइम बाउण्ड प्रोग्राम के रूप में इंजीनियर्स से करवायेंगे। मुझे माननीय मंत्रीजी से इस सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार ने ऐलान किया था कि पंचायतों और बड़े-बड़े गांवों को जोड़ेंगे। मेरा क्षेत्र गंगानगर जिला बहुत बड़े-बड़े गांवों का क्षेत्र है और मेरे क्षेत्र में 6 पंचायतें ऐसी हैं, जिनकी पांच-पांच हजार की आबादी है और वह गांव आज तक पंचायत समितियों और शहरों से नहीं जुड़े। मैं उनके नाम भी बता दूं कालवासिया, अलीपुरा, ताखड़ाबाड़ी, फतेहपुर, रासूवाला और पल्लीवाली, यह बड़े-बड़े गांव हैं, जिनको अभी तक जोड़ा नहीं गया। ऐसे विकसित क्षेत्र जिसमें इतनी पैदावार होती है, तो इतना घना बसा हुआ है, उनको अगर हम नहीं जोड़ सकते तो निश्चित तौर से यह चिंता का विषय है। हमारे पास फंड्स हो, पैसे हों और हमारे इंजीनियर्स इस तरह की स्थिति पैदा कर दें, हम उस काम को बढ़ा न सकें, मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ-साथ जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है, उसके सिलसिले में कहना है। गंगानगर एक ऐसा जिला है, जो धन-धान्य से पूर्ण होते हुए भी, उस जिले का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, आज वह इस दुर्दशा में है कि वह अस्पताल एक गटर की तरह, गन्दगी के ढेर की तरह पिछले 5 वर्षों से सड़ रहा है। वहां एक नया अस्पताल बनाने के लिए हम गंगानगर के लोगों ने वहां स्वैच्छिक चन्दा करके एक करोड़ रुपया उस अस्पताल की बिल्डिंग के नये निर्माण पर लगाया है, चिकित्सा मंत्रीजी से मैं चाहूंगा कि जहां गंगानगर

(श्री हेतराम बेनीवाल)

की जनता ने एक करोड़ रुपया लगाया है, आप भी थोड़ी दरियादिली दिखाकर उसमें अपना योगदान दें और उस अस्पताल को शुरू करवायें। उसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने पिछले साल जो एक नीति लागू की थी, चिकित्सा के बारे में, कि हम हरिजनों, गरीब लोगों जो, गरीबी की रेखा से नीचे बसते हैं और 70 साल की उम्र के लोगों को अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा मुफ्त प्रदान करवा देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में राज्य सरकार ने जो काम किये हैं वे बड़े ही निराशाजनक हैं। मैं मेरे जिले का अनुभव कह सकता हूं कि मेरे जिले में जो डाक्टर्स हैं वे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उनके अपने नर्सिंग होम हैं। वे अस्पतालों में सिर्फ पर्चियां लिखने के लिए आते हैं। असल में अमीर आदमी तो नर्सिंग होम्स में, बड़े-बड़े प्राइवेट हास्पिटल में जाते हैं। और आजकल तो देश में एक रिवाज चल रहा है कि चिकित्सा सेवाएं प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के रूप में परिवर्तित हो रही हैं।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं निवेदन करूंगा, इस सिलसिले में मेरी उम्मीद है कि वास्तव में अगर आप कदम उठाना चाहते हैं तो जिस तरह से ग्रामीण चिकित्सा सेवाओं को आपने अलग करके एक प्रोग्राम बनाया है कि किस तरह से उनको व्यवस्थित किया जाय, उन लोगों को मजबूर किया जाय जो आज अपनी ड्यूटी नहीं देते, जो उस पर उपस्थित नहीं होते, उसी तरह उन डाक्टर्स को भी मजबूर किया जाय कि वे नर्सिंग होम नहीं चलायें। अगर हिम्मत से कोई कदम उठाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करे। सारे राजस्थान में प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने की हिम्मत कर लें तो इसमें....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री हेतराम बेनीवाल : निश्चित तौर पर सुविधाओं में सुधार होगा। एक शब्द कहूंगा कि इनकी जो शंका है इस प्राइवेट प्रैक्टिस को बन्द करने में, तो इनको बंगाल का एग्जाम्पल दूंगा कि आज हिन्दुस्तान में सबसे बढ़िया चिकित्सा बंगाल सेवा की है। उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस बिलकुल बन्द कर दी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप तो रूस और चीन का उदाहरण दो, वहां क्या हुआ।

श्री सभापति : माननीय उजला जी, कृपया बिराजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उजला जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए, आप किस चक्कर में पड़ गये।

श्री हेतराम बेनीवाल : किस की चिकित्सा सेवा अच्छी है, यह रिजल्ट बतायेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अच्छे एग्जाम्पल कहीं भी हों, उनको लें। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, इतनी हिम्मत दिखायें और प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करें।

श्री सभापति : धन्यवाद । श्री गुलाम मुस्तफा खान । (अनुपस्थित)

श्री रामकरण सिंह ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय सभापतिजी, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा । पिछली दफा बजट की मांगों के टाइम पर मैंने सब लोगों के लिए, जो नेशनल हाई-वे से गुजरते हैं. उनके फायदे के लिए वहां बजट और डाक्टर्स की इच्छा जाहिर की थी । माननीय मंत्रीजी और उनके विभाग के अधिकारियों ने उस बात को जायज माना और वह काम पूरा किया, बल्कि दो लाख का बजट सरप्लस, एक्सीडेण्ट्स वगैरह के लिए एक क्रेन और एक एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था की । उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । लेकिन, माननीय सभापतिजी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कोटपूतली में एक हास्पिटल पहले चलता था । उसकी बिल्डिंग आपके पास है, शहर के बिल्कुल सेण्टर में है, आपकी देखी हुई है अगर उन्हीं में से मैं स्टाफ अलग नहीं मांगता, धन भी अलग नहीं मांगता. वहां हास्पिटल चालू कर दीजिए वर्ना वह बिल्डिंग धीरे-धीरे खराब हो जायेगी । आपके अधिकारी अच्छी तरह जानते हैं उसको । बहुत पुरानी ठिकाने के टाइम की बिल्डिंग है, वह धीरे-धीरे अपने हाथ से कहीं न निकल जाय इसलिए उसमें एक डाक्टर रख दीजिए चाहे, लेकिन वहां जरूर एक डिस्पेंसरी चालू कर दें ताकि आने जाने वाले नेशनल हाई-वे से बाहर न आ सकें । एक्सीडेण्ट वगैरह का डर रहता है । राजनेता जब आप पधारे थे उस समय आपने आदेश दिये थे कि इसकी बिल्डिंग बना दो । बिल्डिंग हमने बना दी है, अब आपसे आग्रह है कि आप उसे खोल दीजिए । इसके अलावा प्रागपुरा में एक प्रसूति गृह है । बिल्डिंग बड़ी है, वहां एक डाक्टर और लेडी डाक्टर हो तो दोनों काम हो जाय, क्योंकि उसकी 10-11 हजार की आबादी है । आप अच्छी तरह से जानते हैं । तीसरा भूरीभडाज का एरिया है, जिसकी 8-10 हजार की आबादी है वहां सब सेण्टर है, उसको रेज करके आप डिस्पेंसरी बना दें । वह इण्टीरियर में है, उसके आसपास कम से कम 150-200 ढाणियां हैं । खुद बड़ा कस्बा भी है । उधर सुजातनगर, बैठलोदा, भैंसलाना बहुत बड़े गांव भी हैं, उनको भी अच्छा फायदा होगा, वर्ना वहां इण्टीरियर में होने से कोटपूतली के लिए भी दुविधा है । पालवास में पहली वाली डिस्पेंसरी जो मुद्दतों स्टेट के टाइम पर चलती थी, चलती है लेकिन आपसे आशा है कि रेफरल हास्पिटल जो मेड़ में है, जो दूसरी सरकार ने अन-नैसेसरी खोल दिया था आउट ऑफ वे जाकर, आप उसको वहां से पावटा वापस कर रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद । इसके लिए मैं आपको एडवांस में ही धन्यवाद दे दूं । इसके अलावा नांगल पण्डितपुरा है जो कोटपूतली से 8-10 किलोमीटर दूर पड़ता है । वहां सब सेण्टर है, डिस्पेंसरी या एड पोस्ट कर दें तो अच्छा रहेगा । इसी तरह नांगल पण्डित-पुरा कल्याणपुरा पंचायत हैडक्वार्टर है. पंचायत हैडक्वार्टर होने से दूर रहता है इसलिए इनको जरूर करने की कृपा करें । कोटपूतली तहसील में आपके और आपके विभाग के अधिकारियों की सूझबूझ से

(श्री रामकरण सिंह)

डाक्टर्स की संख्या ठीक ठाक है। गोनेड़ा में एक खाली जगह है, बाकी मेल नर्स और नर्सेज की बहुत कमी है। अकेले कोटपूतली में बी. डी. एम. की 20 की कमी है मेल नर्स और नर्सेज की। यह पूर्ति कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। देहात में आठ या दस तो हैं बाकी शायद 28 या 30 के करीब जगह खाली हैं। यह व्यवस्था अगर आप करवा दें तो बहुत ही मेहरबानी होगी। कोटपूतली के लिए शायद उस समय कहीं थी और मेरे ख्याल से यहां से डिपार्टमेण्ट ने भेज भी दिया कि वहां डाक बंगले में केवल दो कमरे हैं, रेस्ट हाउस जो नेशनल हाई-वे पर है। आप सबके काम आने वाली चीज है, देहली आते-जाते हैं तो वहां ठहरने के लिए, या भगवान न करे किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती तो वहां ठहरने के लिए लोगों को जगह नहीं मिलती है। उस समय हम मौजूद होते हैं तो हमें पर्सनली, जो अपने परिचित होते हैं उनको एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए वहां आवश्यक है। आपके डिपार्टमेण्ट ने सुझाव भेज दिये हैं लेकिन शायद फाइनेंस डिपार्टमेण्ट से उसकी मंजूरी नहीं आयी है। मैं चाहूंगा कि आप अपने लेवल से, अपने हिसाब से कोशिश करके वह ले लें ताकि टेलीफोन वहां मिल जाय और कम से कम 2-3-4 कमरे और बन जाय, ताकि आप सभी लोग, अधिकारी लोग, माननीय सदस्यगण और मंत्रीगण, जब भी दिल्ली-जयपुर जायें तो हम आप सभी का स्वागत कर सकें।

एक साहबी पुल जो मंजूर है, एक करोड़ 40 लाख मंजूर हैं। मंजूर शुदा पैसा है उस पैसे को लगाने में अगर आप अपने डिपार्टमैण्ट को आदेश दे दें तो वह जल्दी हो जाय। उसमें एक दिक्कत आ रही है, जैसा मैंने टेक्निकल लोगों से पूछा, कि वहां अब तो दो करोड़ 80 लाख होने चाहिए। उसके लिए जो आपने कूकस के पास बनाया है पाइप लगाकर, उसी तरह का बना दीजिए क्योंकि अब ज्यादा पानी तो आता नहीं है। उससे हमारे माननीय सभापतिजी को और हमको आपस में मिलने में जरा सहूलियत हो जायेगी। इसलिए इसको बनवाने की आप चेष्टा कीजिए। नेशनल हाई-वे से रघुनाथपुरा पहले सड़क बनी हुई थी वह करीब डेढ़-एक किलोमीटर है, बर्बाद हो रही है उसको बनवा दें। दूसरे पंचायत हैडक्वार्टर टापरी है तीन किलोमीटर, मोर्दा है तीन किलोमीटर। सुजातनगर, भैंसलाना पंचायत हैडक्वार्टर, इनको जुड़वा दीजिए। बुचारा पंचायत मुख्यालय है, यहां ट्राइबल और कास्ट की 80 फीसदी जनसंख्या है। इनमें सड़क बनाने में आपकी अपनी जो योजना है उसके हिसाब से यह ठीक रहेगा। इसी तरह जयसिंहपुरा और भालोजी है। भालोजी में तो सेण्ट पर्सेण्ट लोग ट्राइबल और कास्ट के रहते हैं। वहां विशेषता और है कि ग्रेनाइट की खान भी निकल आयी है। माइनिंग डिपार्टमेण्ट भी उसको चाहे तो बनवा दे वरना आप तो बनवा ही देंगे। वह भी दो-एक किलोमीटर की दूरी पर है उससे कम होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना हूं कि हालांकि ठेकेदारों की शिथिलता को दूर न आप कर सके, न आपके अधिकारी, क्योंकि उसका एक कारण है। कुछ

(श्री रामकरण सिंह)

ऐसे नियम बने हुए हैं, उन नियमों को आप सरपास तो कर नहीं सकते। उन नियमों में उलझ जाते हैं। मैं चाहूंगा कि नियम सरल बना दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी ठेकेदारों से अपने काम निकल जाय और प्रगति हो और कम से कम प्रगति हो तो यह शिथिलता दूर करने के लिये आप अवश्य अपने विभाग को आदेश दें, कोई भी ऐसा रास्ता पकड़ें कि तत्परता से काम हो जाय। इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, आपको और माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना हूं और अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रतनाराम चौधरी। (अनुपस्थित)

श्री हीरासिंह चौहान।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, जो बैठे हैं उनका नाम पुकारें। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत ईमानदारी से देना चाहता हूं कोई चापलूसी से नहीं कि इन्होंने अपने विभाग के काम को बहुत ही सुन्दर तरीके से सम्भाला और सम्भालने के बाद में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज तो आपकी सड़क मंजूर हो गई।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय कल्ला साहब सड़क तो रहने दीजिये, सड़क तो बनाने का काम ही विभाग का है लेकिन जहां पर अच्छा काम होता है, जिसको हम चाहते हैं, देखते हैं, जो हमारी नजरों में ठीक है तो कम से कम हमारा फर्ज भी बनता है कि इस बात की तारीफ और प्रशंसा करनी चाहिये।

इसी के साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय आपका ध्यान नेशनल हाईवे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। 1953 से ब्यावर से होकर नेशनल हाइवे आगे जा रही है, जहां भी, उदयपुर, अहमदाबाद, गुजरात। आज दिनतक एक भी वर्ष ऐसा नहीं रहा जिस दिन वहां काम नहीं चला हो। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस नेशनल हाईवे की ऊंचाई जमीन से 10 फीट हो गई है और लाखों करोड़ों रुपए आपका तकनीकी स्टाफ इस पर लगाता है। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि यह कौनसी पालिसी है मेरी समझ में नहीं आती, कि जहां पर एक रोड पर दो साल पहले डामर किया गया, दो साल बाद और उन्होंने कर दी और लगातार उस रोड को ऊंचा ले जाया जा रहा है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि भारत सरकार का पैसा होगा यह पैसा सारा हमारा है और जब किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो 10 फीट गहरे खड्डे में जाकर गिरती है, उसको निकालने में 5-10 दिन लग जाते हैं, सारी रोड ब्लाक हो जाती है। इसलिये आप इसकी सर्वे करवायें, जांच करवायें। आप कहते हैं कि मजबूत होगी, थिकनेस होगी, बाद में पैसा

(श्री हीरासिंह चौहान)

ज्यादा खर्च होगा। थिकनेस क्या होगी वह जगह इतनी हार्ड है, जमीन इतनी हार्ड है कि वह कहीं जा ही नहीं सकती है। उस पर आप कम से कम एक बार डामर कर दीजिये लेकिन उसे कितनी ऊंची ले जायेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि हम जब यह सारी चीजें देखते हैं तो आंसू आ जाते हैं हमारी आंखों में कि क्यों पैसे का सत्यानाश करते हैं।

इसी प्रकार से आपका जो टेंडर सिस्टम है, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उसको इम्प्रूव किया जाय। ठेकेदारों के हाथों में आपका सारा विभाग फैल रहा है। एक महीने तक टेंडर आते हैं, दो महीने तक नोटिस निकालते रहते हैं, बहुत हाई रेट्स पर टेंडर देते है और हमारा बहुत सारा समय सैटलमेंट करने के लिये कम्प्रोमाइज करने में लग जाता है। इसका कारण यह है कि आपके ए. ई-एन, जे.ईएन. हैं वह कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं। बी. एस. आर. आपके पास है, मजदूर हैं हर रोड्स पर ये क्यों नहीं करते हैं? केवल कमीशन के कारण से, कमीशन नहीं मिलता है और ठेकेदार कमीशन देते हैं। आप इस सिस्टम में इम्प्रूव कीजिये, आप कर सकते हैं। आप इसको इम्प्रूव करें क्यों लगातार इन ठेकेदारों के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं। क्या छोटे-मोटे काम, 2 लाख 5 लाख के काम आपका स्टाफ नहीं कर सकता है? मिस्त्री भी जगह-जगह रोड्स पर हैं।

दूसरा, मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय कि पुलियां बनती हैं, चाहे नेशनल हाइवे पर बनें चाहे स्टेट हाईवे पर बनवायें लेकिन इन पुलियाओं का 5 साल बाद में तो डिजाइन देते है, 5 साल बाद उस डिजाइन को चेंज करके उसको चौड़ा करते हैं। जबकि उनको मालूम है कि सड़क चौड़ी होगी, आबादी निरन्तर बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ेगा पर लगातार मोडिफिकेशन करते जा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का सत्यानाश कर रहे हैं। ऐसा यह क्यों करना चाहते हैं,इनकी मानसिकता ऐसी क्यों है? एक बड़ा राकेट है, सर्किल हैं इस सर्किल का आपको सामना करना पड़ेगा इस राकेट और सर्किल को तोड़ने के लिये उसके बाद में आपको कोई शुद्ध पालिसी बनानी पड़ेगी। यह क्या तमाशा है, क्या हम लोगों को ज्ञान नहीं है, चीफ इंजीनियर, एस. ई., एक्स. ईएन. ही टेक्निकल आदमी हैं, लेकिन सामान्य बुद्धि के माध्यम से कैसा काम कहां होना चाहिये, यह लोग एक्सपर्ट है. यह मान लें, एक्सपर्ट की ओपीनियन लीजिये लेकिन यह एक्सपर्टनेस नहीं है कि 5 साल पहले सड़क का इस प्रकार का डिजाइन बनायें और 5 साल बाद ट्रैफिक ज्यादा बढ़ेगा दूसरा डिजाइन बना रहे है।

एक निवेदन में यह भी करना चाहता हूं कि दूदू के आगे सड़क पिछली बरसात में बह गई, दुर्भाग्य की बात है कि यह सड़क कैसे बह गई, यह जांच का विषय बनता है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार से हमारे यहां पर बर का सब डिविजन है, 1965 से सब डिविजन

(श्री हीरासिंह चौहान)

है, आपने हुकुम दे दिया कि सब डिविजन वापस आयेगा लेकिन पता नहीं मेरी समझ में नहीं आता कि अधिकारियों की हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे यहां के सब डिविजन को तोड़कर दूसरी जगह ले गये। 1987 में तोड़ा एक बार तो मैं कांग्रेस के राज में वापस ले आया। 1965 का सब डिविजन है, सबसे पुराना है। सोजत बाद में बना, जैतारण बाद में बना मगर बर सबसे पुराना है. उसको तीन बार ले जाया गया। एरिया के लोग कहते हैं, क्या-क्या नहीं हमको सुनने को मिलता है। अगर वास्तव में सुमेरपुर के पास, पाली के पास फ्लड से डेमेज हुआ है तो बहुत सारा स्टाफ ऐसा बैठा हुआ था जहां पर डेमेज नहीं हुआ था। हमारे यहां तो काफी नुकसान हुआ है, हमारे यहां पर फ्लड से सड़कें डेमेज हुई है, जिनको ठीक करने के लिये टाइम दिया। एक तो मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे बर के सब डिविजन को पूरे स्टाफ सहित तत्काल लगाया जाय उसको वापस सचेत किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा खेड़ा में डाक बंगला बना हुआ है, जहां पर 3 जिलों की बार्डर है अजमेर है, पाली है, और उदयपुर, बहुत पुराना डाक बंगला बना हुआ है। पिछले दिनों श्री हरलाल सिंह खर्रा साहब और हम कोट किराने के टूयूर में गये थे। उस डाक बंगले में किसी प्रकार की कोई फेसेलिटी नहीं है। वहां पर केवल एक खाट है और किसी प्रकार का और कोई सामान नहीं है। यह डाक बंगला अजमेर एक्स. ईएन. के अण्डर में आता है। इसलिये निवेदन है कि इस डाक-बंगले की व्यवस्था ठीक करने के लिये कुछ आदेश फरमाने की कृपा करें।

माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र का यह दुर्भाग्य रहा है कि पहले माननीय श्री सुखलाल जी सैणचा उसका प्रतिनिधित्व करते थे, उन्होंने कोई तवज्जोह नहीं दी। मेरे क्षेत्र में केवल ब्यावर से पाली यह नेशनल हाईवे है बाकी इसके अलावा एक भी ग्रामीण क्षेत्र में सड़क नहीं है। एक सड़क 9 किलोमीटर कुशालपुरा जा रही है और एकाध सड़क आपने इस साल और दी है (व्यवधान)

इसलिये मेरा निवेदन है कि अब प्रशंसा तो करनी चाहिये जिसकी करनी पड़ेगी, माननीय श्री हीरालाल जी साहब।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरीपुर से जसाखेड़ा, रोड दो जिलों को मिलाती है और कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी कम करती है। यह रोड 1963 में मैटल रोड बनी थी उस रोड को डामर रोड बनायें ताकि ब्यावर नहीं होकर नहीं आवे और भीम जाना है तो सीधे चले जायं।

इसी प्रकार से ब्यावर बनेड़ा रोड है, ब्यावर बनेड़ा रोड से 50 हजार की आबादी प्रभावित होती है और 15 ग्राम पंचायतें हैं। मैंने कोशिश करके कृषि उपज मण्डी समिति से 4-5 किलोमीटर तो

(श्री हीरासिंह चौहान)

बनवाई है और भी मैं कृषि उपज मण्डी समिति से बनवाना चाहता हूं लेकिन हमारी कृषि उपज मण्डी समिति जैतारण रहती है उसकी माली हालत ठीक नहीं है। पहले भी 10 लाख रुपए उधार देकर कांग्रेस के राज में स्वीकार करवाई थी लेकिन उसके आगे ही बढ़ रहीं है। ब्यावर बनेडा रोड पर लाखों रुपया खर्च हुआ है अतः इस रोड को भी डामर रोड बनाने का मेरा निवेदन है।

इसी प्रकार कुछ पुलियाओं और जो जो डामर रोड बनानी हैं उनका कटमोशन्स में विवेचन किया है उन के सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कह कर इतना ही निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में जो रोड्स के बारे में बहुत पिछड़ा हुआ है, हमारे पड़ोस में ब्यावर है, ब्यावर का कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा है जो डामर रोड से नहीं जुड़ा हुआ हो। छोटे-छोटे राजस्व गांव भी जुड़े हैं। उसका मात्र कारण यहहै कि ब्यावर की जो कृषि उपज मण्डी समिति है उसकी माली हालत बहुत अच्छी है, लाखों करोड़ों रुपए की आय होती है उससे सारी बनती हैं और हमारे यहां बनती नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, थोड़ा सा चिकित्सा के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा सिर्फ 2 मिनट ही लूंगा, बहुत संक्षेप में निवेदन करूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप 15 मिनट बोलिये, कोई टोकेगा नहीं।

श्री हीरासिंह चौहान : एक तो मेरा निवेदन यह है कि परिवार कल्याण का जो कार्यक्रम है, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस परिवार कल्याण के कार्यक्रम में हमारे सारे अधिकारी सड़कों पर आ जाते हैं तो क्यों नहीं आप प्रोत्साहन राशि बढ़ा देते हैं। डीजल, पैट्रोल और गाड़ियों पर सारा पैसा तो खर्च होता ही है। यह आप प्रोत्साहन राशि 2 या 3 हजार एक-एक के लिये कर दें तो आपको और अधिकारियों को किसी प्रकार की कोशिश करने की जरूरत नहीं है अगर 3 हजार की राशि आप कर दें तो गरीब को भी कुछ लाभ होगा और अपने परिवार को नियोजित करने के लिये आपरेशन भी करवायेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसका कोई पहलू केवल मात्र आपके अधिकारी ही नहीं है, चिकित्सा विभाग के अधिकारी जाते हैं, जिला कलक्टर, एस. डी. ओ., तहसीलदार, बी. डी. ओ. ग्राम सेवक और पटवारी यह सब के सब उस काम में लग जाते हैं जिससे प्रशासन का सारा काम रूक जाता है इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोत्साहन राशि को बढ़ायें। मेरा बड़ा कन्स्ट्रक्टिव प्रपोजल है और इस पर आप सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए। आपका डीजल में और दूसरे जो खर्चे पड़ते हैं जगह-जगह आपको प्रचार करने जाना पड़ता है बहुत सारी राशि अन्यत्र खर्च होती है अगर इसमें आप लगा दें तो मेरा एक निवेदन है यह जो आपरेशन वाले केसेज हैं इनमें आबादी पर अपने आप नियंत्रण होगा और लोगों को इससे राहत भी मिलेगी।

(श्री हीरासिंह चौहान)

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, रेफरल हास्पिटल रायपुर में गत वर्ष खुल गया था। कांग्रेस के राज में खुल गया था। उस भवन का उद्‌घाटन भी कर दिया गया है। मेरा निवेदन है जो पहले का अस्पताल था उसमें दस या बाहर शैयाएं हैं इस साल बढ़ाकर के कम से कम; क्योंकि पूरे ही तहसील में एक ही मात्र यह अस्पताल है। यह गरीब और पिछड़ा क्षेत्र है इसलिए कम से कल 40 या 50 शैयाएं करने की कोशिश कीजिए। इसी प्रकार मेरे क्षेत्र में खुशालपुरा है रायपुर के पास सबसे बड़ा गांव दस हजार से ज्यादा आबादी का खुशालपुरा पड़ता है जहां पर मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोलने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसी प्रकार आप जिस समय दौरे पर पधारे ग्राम पंचायत काणुजा का क्षेत्र है, बिल्कुल इन्टीरियर बैल्ट में आया हुआ....

श्री सभापति : समय का अनुशासन भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना आप बता रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरे साथी ने भी कह दिया थोड़ा इनको बोलने दें। एक मिनिट और लेना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि काणुजा और सैंदरा डिस्पेंसरी जोधपुर महाराज के समय 1948 के पहले बनी हुई है और आज भी एड पोस्ट बनी हुई है जबकि वहां पर थाना है, हाई स्कूल हैं, 10-15 पंचायते आसपास में पड़ती है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मुख्यालय कैलवाद कोट किराना, खोडिया; यह बड़ी बड़ी पंचायतें हैं जहां पर चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। इन्टीरियर बैल्ट में आया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यहां पर आप उच्चीकृत उप केन्द्र, एड पोस्ट या कम्पाण्डर वाली पोस्ट लगा दीजिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र में आपके समय में इन लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल जाए।

अन्त में मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आपने जो जिले में दो प्रकार की व्यवस्था की है पहले वाले बजट भाषण में आपने कहा था कि सब डिविजन तक पहुंच जाऊंगा। आपने जिले में दो प्रकार की व्यवस्था की है। जैसी आपने पूर्व बजट भाषण में मांग के समय घोषणा की थी उसी के अनुसार चिकित्सा की जो भी व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्र गोयल :

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 21 और 26 पर चर्चा चल रही है। मैं निवेदन करूंगा किसी भी प्रदेश, किसी भी क्षेत्र में के विकास के लिए चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो वह सड़कों के ऊपर निर्भर करता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के अन्दर मार्बल, लाइम स्टोन, खडीन की बहुतायत है परन्तु जिस गांव में मार्बल व लाइम स्टोन निकलता है उस गांव तक सड़क नही है जैसे देवरिया, पावटा, निगोल, दीगरणा, पिंडला, सेवरिया, आज हजारों टन लाइम स्टोन और मार्बल निकलता

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

है परन्तु सडकें नहीं होने से एक महीने से ज्यादा ट्रकों के टायर नहीं चल सकते इसलिए ट्रकें नहीं चल सकती और मार्बल का वहां से आवागमन नहीं हो सकता। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप पंधारें और चलकर देखें सड़कों की हालत यह है कि आदमी पैदल भी नहीं चल सकता। दूसरा मेरा निवेदन है मंत्री महोदय कि जो भी बजट सड़कों के लिए यहां से जाता है जिले में और मेरा एक्स. ई. एन. हैड क्वार्टर सोजत लगता है। आप ताज्जुब करेंगे। 1989-90 के अन्दर 80 लाख रुपए सड़कों के ऊपर खर्च हुए जैतारण को सिर्फ सवा लाख रुपया मिला और 1990-91 में जवाहर रोजगार योजना के अन्दर 60 लाख का बजट सड़कों के ऊपर खर्च किया गया, मेरे जैतारण को सिर्फ 5 लाख रुपया मिला। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बजट का बंटवारा सभी कान्स्टीट्यूएन्सी को बराबर होना चाहिए मैं ऐसी आशा रखता हूं।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि जो भी नेशनल हाई वे के ऊपर गांव आते हैं उन गांवों के अन्दर सड़क के पास में अगर स्कूल है, औषधालय है या कोर्ट है तो वहां पर स्पीड ब्रेकर बनाइये जिससे होने वाली जो मौतें हैं वह कम से कम नहीं हों। मेरा यह भी निवेदन है कि जैतारण में जो डाक बंगले का 1985 से निर्माण कार्य चल रहा है परन्तु अभी तक वह पूरा नहीं हुआ है और न वह चालू हालत में है। अभी 13.2 को तीन लाख सैंतालीस हजार की रिवाइज स्वीकृति दी इसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। परन्तु मैं मंत्री महोदय से आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी उसका कार्य पूरा किया जा सके जिससे वहां पर सब डिवीजनल हैडक्वार्टर होने से लोगों को वहां रहने की सुविधा मिल सके।

अब मैं चिकित्सा के ऊपर दो बातें कहूंगा। मंत्री महोदय, जैतारण एक सब डिवीजनल हैडक्वार्टर है और सब डिवीजनल हैडक्वार्टर में रेफरल चिकित्सालय है वहां पर तीस बैड की व्यवस्था है इसलिए अगर आप इस साल में पचास बैड की व्यवस्था करेंगे तो मैं मानता हूं वहां लोगों को राहत मिलेगी। दूसरा मेरा निवेदन है कि आनन्दपुर कालू कम से कम 10-12 हजार की आबादी है वहां कम से कम एक मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोला जाए जिससे आस पडौस के गांवों में सुविधा मिल सके।

तीसरा मेरा निवेदन है कि जो दवाइयों का बजट है उस दवाइयों के बजट में थोडी बढ़ोतरी की जाए जिससे हर प्राइमरी सैण्टर में या रेफरल हास्पिटल में लोगों को सही ढंग से दवाइयां मिल सके।

एक मेरा निवेदन है कि जो दुकानें खोलने के लिए केमिस्टों को लाइसेन्स दिए जाते हैं लाइसेन्स तो जो केमिस्ट होते हैं उनको ही दिए जाते हैं परन्तु केमिस्ट क्या करते है उनके पास पैसा की व्यवस्था है नहीं, लाइसेन्स लेने के बाद किसी दूसरे आदमी को जो दुकान करता है उनको लाइसेन्स अपने नाम से दुकान चलाने के लिए आथोरिटी दे देते हैं....

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(6.37 सायं)

(श्रीबुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

केमिस्टों के लिए कम से कम एक लाख रुपए ब्याज से उनको देने की व्यवस्था करें जिससे वह कम से कम दुकान चला सके या ऐसे केमिस्ट जो दुकान नहीं करते है और दूसरों को लाइसेन्स देकर के दूसरों को दुकान डलवा देते हैं ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

चौथा मेरा निवेदन है कि मेरे यहां कम से कम 10 सब सेक्टर में ए. एन. एम. के पद खाली पड़े है तो दस पंचायतों के अन्दर छोटे-छोटे गांव हैं जहां 15-20 किलोमीटर तक कोई व्यवस्था नहीं है तो वहां ए. एन. एम. की व्यवस्था की जाए।

एक मेरा आखिर में निवेदन है, रास, लांबिया बहुत बड़े गांव हैं और वहां पर भवन बनाने के लिए भी जन सेवक तैयार हैं इसलिए वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की व्यवस्था करें। धन्यवाद ?

श्री सभापति : श्री रामकिशन जी।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : सभापति महोदय, समय के अभाव में मैं आज लम्बी बात नहीं कहूंगा केवल इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, हमारे पास साधन हैं कम और कम साधनों का उपयोग किस प्रकार से हो जिससे राज्य के विकास के अच्छे से अच्छे नतीजे आयें इस बात का मंत्री जी को ध्यान रखना चाहिए।

आज सार्वजनिक निर्माण विभाग निश्चित तौर पर कहीं-कहीं बहुत अच्छे काम कर रहा है लेकिन आपकी जानकारी है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार भी बहुत हैं और इस प्रकार का भ्रष्टाचार है। कुछ तो इनका ही तयशुदा भ्रष्टाचार, कमीशन वाला है इस मामले में आप ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकेंगे लेकिन जो दूसरे प्रकार के भ्रष्टाचार हैं, मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि आप उसे रोकने की कोशिश करें। मैं इस संबंध में आपसे इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जब यह सरकार संभाली थी तो कुछ इस तरह की हवा बनी थी कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और व्यक्तिगत तौर पर एक आध चीफ इन्जीनियर को आपने मुअत्तिल भी कर दिया। अब वहां क्या किया क्या नहीं किया उसका रिजल्ट क्या रहा उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने एक सड़क के मामले में आपके पास चिट्ठी भेजी थी। उस सड़क का नाम है चन्देलीपुरा से सरमथुरा तक। इस सड़क पर बड़ा घोटाला हुआ है। मेरे हिसाब से 20 लाख का पेमेन्ट इस एक सड़क में ज्यादा हुआ है। मैंने आपको चिट्ठी भेजी तो आपने केवल एक लाइन का जवाब दे दिया, मैं इस मामले को दिखवा रहा हूं। फिर मैंने कहा, शायद भूल गये होंगे, अतः दुबारा मंत्रीजी को एक चिट्ठी और लिखी। वह चिट्ठी दिनांक 22-10-90 को लिखी। उस चिट्ठी का जवाब भी नदारद हो गया। इससे पहले इस सड़क के सम्बन्ध में दूसरे लोगों ने भी शिकायत, की कोर्ट में दावा किया, एन्टी करप्शन के पास केस रजिस्टर्ड करवाया।

(श्री रामकिशन)

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जब ऐसे मामले को नहीं रोक सकते तो राजस्थान का विकास को कैसे करेंगे। आज सड़कों के मामले में राजस्थान में सबसे पीछे हैं। चाहे नेशनल हाई वे ले लें, चाहे हम राहत की सड़कें ले लें। आज हमारा औसत सबसे कम है। लेकिन मुश्किल यह है कि जो साधन हमारे पास हैं, जो पैसा हमारे पास है उसका हम सही उपयोग कर सकें तो राजस्थान को विकास के मामले में अन्य राज्यों के बराबर तो नहीं ला सकेंगे लेकिन दस एक साल में हम छठे, सातवें नम्बर पर आ सकते हैं। लेकिन आपने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की और इतना गम्भीर मामला है मैंने डिटेल में लिख कर भेजा था वहां पेड़ नहीं थे, पेड़ की कटाई का पेमेण्ट कर दिया, कटिंग के नाम पर पेमेन्ट कर दिया गया। यह पत्र इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि यह लम्बा है। मैं इसकी जानकरी दे चुका हूं।

यह करौली डिवीजन का है। चन्देलीपुर से सरमथुरा तक सड़कें है। पहले एक शिकायत की गयी थी फरवरी 89 में, पहली शिकायत आपके विभाग के पास आई। दूसरी बार शिकायत आयी अगस्त सितम्बर 89, 6 अक्टूबर 89 को इस्तगासा किया गया फिर मैंने चिट्ठी लिखी लास्ट चिट्ठी लिखी है 22-10-90 को। आपको पूरी चिट्ठी ले कर मेरे पास पूरी डिटेल है लेकिन समय के अभाव में इतना सा कहना चाहता हूं कि यह टेस्ट केस है कि इस मामले में क्या करते हैं।

एक दूसरा निवेदन मुझे यह करना है कि आपने खुद ने यह माना है कि हमारे यहां क्षेत्रीय असन्तुलन है। क्षेत्रीय असन्तुलन का कई बार जिक्र कर चुका हूं कि साधन जुटाने में भरतपुर सबसे ज्यादा साधन जुटाता है। लेकिन सड़कों की लम्बाई देख लें, प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट देख लें उसमें भरतपुर सबसे पीछे जा रहा है। आपने पार साल इस बात की खुद ताईद की थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप ग्रामीण सड़कों की लम्बाई देखें, राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की लम्बाई, तो आप पायेंगे भरतपुर जिला राजस्थान में सबसे पीछे है। वह सिरोही से भी पीछे है, बूंदी से पीछे है, धौलपुर से पीछे है। मेरे कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में सबसे कम ग्रामीण सड़कें बनी हैं तो भरतपुर में बनी हुई हैं। तो हम सिचाई में पीछे हैं, हम सड़कों में पीछे हैं, हम बिजली के विस्तार में पीछे हैं, इससे वह भावना पैदा हो रही है खास तौर से पूर्वी राजस्थान में कि अगर इस तरह से इम्बैलेंस बनता चला गया तो इस राज को दो हिस्सों में बांट देना चाहिए। एक हिस्सा तो वह जो विकास के अपने आप साधन जुटावे, एक हिस्सा वो हो जो केन्द्र से सहायता लेकर अपना विकास करे। इस इम्बेलेन्स को दूर नहीं किया गया तो हमारे क्षेत्र में कठिनाई खड़ी हो सकती है। मैं आपसे इतनी सी बात कह कर, आपसे यही चाहूंगा कि, मेहरबानी करके जो बात आपने पिछली साल कही थी उस पर अमल करने की कोशिश करें।

एक निवेदन, मुझे मेडिकल के बारे

(श्री रामकिशन)

में आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। हमारे पास जितने साधन हैं, हमारे पास जितना पैसा है, और जिस तरह की व्यवस्थाएं है। माननीय सदस्यों ने आपको सुझाव दिये हैं, दवाई के बजट बढ़ाने की बात कही है। इण्डोर पेशेन्ट के खुराक वगैरह की बात कही है लेकिन मेरी चिन्ता सबसे बड़ी यह है कि आप परिवार नियोजन विभाग को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से आबादी हमारे राज्य की बढ़ रही है राजस्थान हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा आबादी बढ़ाने वाला राज्य है, और चीजों में हम पीछे हैं लेकिन आबादी की रफ्तार में हम सबसे ज्यादा हैं। आखिर उसका कारण क्या है ? मैं इसके कारण पर विचार नहीं करूंगा कि यहां लोगों की आबादी बढ़ने के कारण क्या हैं। लेकिन एक कारण यह है कि यहां स्त्री शिक्षा का अभाव है और जब तक स्त्रियां पढ़ेंगी नहीं, लड़कियां पढेंगी नहीं, तब तक इसके लिए अनुकूल वातावरण नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मैंने स्त्री शिक्षा का बजट देखा है वह आपका इतना प्रभावशाली नहीं है जिससे परिवार नियोजन के काम में मदद मिल सके। एक निवेदन मेरा यह करना है कि अगर अपने राज्य का विकास करना है, अपने देश का विकास करना है तो यह हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्म है, सबसे बड़ा धर्म है इस पर आपको जोर देना चाहिए लेकिन इस मामले में मुझे एक शंका है कि आप जोर नहीं दे पायेंगे। आप लोगों के दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि मुसलमान तो चार बीवी रख लेता है इसलिए उनकी आबादी बढ़ जायेगी और हमने आबादी कम कर ली तो हम चुनाव में हार जायेंगे, हमारा राज नहीं रहेगा। एक कन्जरवेटिव हिन्दू के दिमाग में भावना है। तो इसके सम्बन्ध में, ललितजी, एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें स्त्री और पुरुषों की संख्या अन्य सब जगह ज्यादा है अगर एक मुसलमान चार बीवी रख लेता है तो तीन खाली रह जायेगी और आबादी बढ़ेगी कहां से ? तो इस वहम की वजह से जो वातावरण बनना चाहिए, जो हालात बनने चाहिए आप नहीं बना पायेंगे और इसका नतीजा है कि एक तो स्त्री शिक्षा का अभाव आपके मन में एक शंका है जिस प्रकार हमें चाहिए परिवार नियोजन के मामले में कार्यक्रम, वह आप नहीं अपना पा रहे हैं। मैं तो यह सुझाव दूंगा कि सभी राजनैतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में प्राथमिकता के आधार पर इस मामले को तय करें और स्वीकार करें। मैं कोई यह नहीं कहता हूं कि दबाव से स्वीकार करें लेकिन स्वीकार करें। सहमति से स्वीकार करने के साथ-साथ जैसे माननीय हीरासिंह जी ने कहा था कि आप प्रोत्साहन को बढ़ावा, मेरे तो यह सुझाव हैं कि प्रोत्साहन से काम नहीं चलेगा दण्डात्मक मामला आपको अपनाना पड़ेगा। अब हिन्दुस्तान में वह स्टेज आ गयी है। कि, आप विदेशों में घूम कर आये हैं, हमारी तरह पिछड़े देश थे, एशिया के देश है, यूरोप देशों की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं नार्वे की बात कर रहा हूं, आप गये थे दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में, जहां जन्म दर को शून्य ले आये हैं। मैं भी आज से दस साल पहले गया था।

(श्री रामकिशन)

मैंने सिंगापुर की हालत देखी थी," मैंने कोरिया की हालत देखी थी, मैंने थाईलैंड की हालत देखी थी जो बिल्कुल पिछड़े हुये राज्य हैं, पिछड़े हुए देश हैं वह आबादी पर कन्ट्रोल करते चले जा रहे हैं। हमारा जैसा देश आबादी पर नियन्त्रण नहीं कर पा रहा है। इस मामले में आप से सुझाव है कि आपके पास काम का भार बहुत है। पता नहीं आपको राजनैतिक विभागों का बंटवारा किस प्रकार से है कि परिवार नियोजन के लिए निश्चित तौर पर कोई अलग मन्त्रालय होना चाहिए, अलग मंत्री होना चाहिए। जिसकी आस्था भी हो और जिसमें साहस भी हो और जिसमें कम से कम लोगों को समझाने की क्षमता भी हो। आपके पास बीसों तरह के विभाग हैं। आबादी बढ़ने का कारण मैंने देखा है कि राजस्थान में, विभाग मैं याद कर रहा हूं, मेरे टाइम में ऐसे मंत्रियों के पास रहा है जिनकी कोई आस्था ही नहीं रही है। एक बार रहा श्रीमती सुमित्रा सिंह के पास, एक बार रहा बरकतुल्ला खां के पास, एक बार रहा आपके पास। ये तीनों ही वह लोग हैं जो परिवार नियोजन में ज्यादा निष्ठा से काम नहीं कर सकते। एक नहीं कर सकता धर्म की वजह से, एक नहीं करतीं मातृत्व की वजह से, आप नहीं करते भय की वजह से कि मुसलमानों की आबादी बढ़ जायेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि बी. जे. पी. के किसी उदारवादी को इस विभाग को दिलवा दो या जो आपके साथ नये लोग हैं उनमें से किसी को दिलादो।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि, माननीय नेताजी, आप कोई सुझाव दीजिए। एक तरफ क्यों बढ़ रहे हैं।

श्री रामकिशन : निवेदन यह है कि परिवार नियोजन के मामले में हिन्दू और मुसलमान में किसी प्रकार का फर्क नहीं होना चाहिए। चाहे चुनाव हारें चाहे चुनाव में हम कभी नहीं आयें लेकिन सख्ती से अमल करना चाहिए। वातावरण बनाना, दण्डात्मक प्रबन्ध करना और हवा बनाना यह तीन काम बहुत जरूरी हैं। तीनों काम नहीं होते हैं तो मैं समझता हूं आप इस कार्यक्रम को सफल नहीं कर पायेंगे। जहां तक आपके दूसरे कार्यकलाप है आज हीरासिंहजी ने आपकी तारीफ की, दो शब्द मैं भी आपको धन्यवाद के दे देता हूं कि अबकी बार भरतपुर के शहर की सड़कों की मरम्मत की कुछ व्यवस्था हुई है और दूसरे शहरों की सड़कों की भी व्यवस्था हुई है। लेकिन आपको इस मामले में भी जिस तरह सोचना चाहिए आप नहीं सोच रहे हैं। आज कई तरह के सुझाव आते हैं उन पर अमल करने का आपको समय नहीं है आपकी मजबूरियां है जिस प्रकार का प्रशासन और हमारे समाज का ढांचा बन गया है उस सब में मैं यह सम्भव नहीं मानता कि एक आदमी इतना बड़ा काम कर ले। आप सारे विभाग ले कर बैठे हैं। यही दो, तीन, चार बड़े-बड़े विभाग आप लोगों ने पकड़ रखे हैं। समय आपको मिलता नहीं और फिर साथ-साथ जिस तरह के कुछ काम निश्चित तौर पर इन दिनों में अच्छे हुए हैं, यह सही बात है कि आपने प्रशासन व्यवस्था को सुधारा है।

(श्री रामकिशन)

अस्पताल में जो जगह खाली थीं उनकी पूर्ति की गयी। यह निश्चित अच्छा काम है लेकिन साथ-साथ आपका जो दृष्टिकोण रहता है एक तरह से बड़ा कड़ा रहता है और अनुदार रहता है। कोई ऐसा सुझाव भी आपके पास देता है व्यक्तिगत कठिनाई का उसको भी शायद आप ख्याल नहीं कर पाते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो काम किया मैं इस मामले में आपसे निश्चित कह सकता हूं कि कुछ सुधार हुआ है। आपके विभाग में निश्चित तौर से हुआ है और इतनी मैं चर्चा सुनता हूं कि आपका आतंक भी है लोगों में डर भी है सरकारी अधिकारियों में लेकिन उस डर का आप इस्तेमाल कहा करते हैं। आप इस्तेमाल करते हो राजनैतिक दृष्टि से। इसलिए वह डर हो जाता है खत्म। एक आध बात हम जैसे लोग कभी कह देते हैं तो आप कहते हैं यह तो कांग्रेस का आदमी था। कौन था कांग्रेस का आदमी? कांग्रेस ने लड़ी है आजादी की लड़ाई। जिसकी मैंने बात कही थी उसका बाप रहा है ढाई साल मेरे साथ जेल में अगर वह आजादी नहीं होती तो आज कुर्सी पर नहीं बैठते। लेकिन आपका तो दृष्टिकोण कुछ इस तरह का हो जाता है कि मैं आपसे निवेदन करूं बिना जिक्र किये आप दृष्टिकोण को बदलें। जो आपने अच्छा काम किया उसकी तारीफ और अपने दिमाग को थोड़ा उदार बनायें। इस दिशा में बड़ा दिमाग बनाये बगैर न कोई राज कर सकता है, न कोई समाज का संचालन कर सकता है, न समाज को सुधार सकता है, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है।

समय के अभाव में मेरे पास बहुत मामले थे, एक मैंने सड़क का छोड़ दिया, एक मेडिकल में खरीद का उठाना चाहता था, पर आज उसका आपने जवाब दे दिया है। उसी मामले में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस कम्पनी ने टेण्डर दिए, टेण्डर देने की आपकी एक शर्त होती है, वह कम्पनी एक लिस्ट लगाती है कि उसकी कौन-कौनसी दवाइयाँ सफल रहीं, कौन-कौनसी दवाइयाँ असफल रहीं, क्या टेण्डर के साथ वो दवाई लगाई थी या नहीं। अगर नहीं लगी हुई थी तो उस कम्पनी के टेण्डर मंजूर किये जा रहे हैं उसका मतलब है कि इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी है। मैं आपकी बात नहीं करता बल्कि किसी न किसी स्टेज पर गड़बड़ी है। टेण्डर की शर्तों में लिखा हुआ है। तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि जो पूर्वी राजस्थान का इम्बैलेंस बढ़ता जा रहा है और विशेषकर भरतपुर का,....(व्यवधान) अब आपने तो पूरा कर लिया, इस साल आपने जिला भी बना लिया और कालेज भी खुलवा लिया, अब आपका कल्याण तो हो गया और चूंकि मंत्री पद का राजनीतिक लाभ मिले इसलिए सबसे पहले इम्बैलेंस बढ़ाने का काम आपने ही किया है। तो आपने अपने जिले का किया है लेकिन जब वास्तव में इम्बैलेंस है, किसी योजना में आप जरा जिलों के इन्वेस्टमेंट की लिस्ट देखिए। जैसलमेर में प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है और भरतपुर में प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। हमारे यहाँ कम हो रहा

(272)

(श्री रामकिशन)

है इसके कारण क्या है ? मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं जिन चीजों पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उन पर इन्वेस्टमेंट होता नहीं और कई कारणों से दूसरे इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगली बार यदि यह सरकार रहती है और आपके पास यह विभाग रहता है तो मेहरबानी करके मैं इतना जरूर चाहूंगा कि भरतपुर जिला जो ग्रामीण सड़कों के मामले में 27 जिलों में सबसे नीचे चला गया है उसे कम से कम सबके ऊपर नहीं तो उन जिलों के बराबर तो लाओ जिनकी आबादी और भौगोलिक स्थिति हमारे समान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खां।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, पंडित जी ने जो इशारा किया है उसके बारे में आप समझ गये होंगे ना।

श्री सभापति ठीक है, बैठिए आप।

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदय पश्चिमी राजस्थान में भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा के हित में डामर की सड़कें बनाईं जो अच्छी सड़कें हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अकाल राहत कार्यों के तहत आज से 5-7 वर्षों पूर्व और 15 वर्षों के बीच में जो सड़कें बनी थीं जिनसे गांव का आवगमन ठीक था और वहां स्थानीय ग्रेवल भी बहुत अच्छा निकलता था, इसलिए उस इलाके की ग्रेवल रोड भी कोई कम अच्छी नहीं है। उसमें बढ़िया रोड हैं। लेकिन पिछले 5-6 सालों में अकाल राहत कार्यों के तहत न सड़कों की मरम्मत हुई है और न नयी अप्रोच सड़क किसी प्रकार से हुई है। आंधी में जो जबर्दस्त रेता आता है या बरसात से टूट-फूट होती है तो, माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उन सड़कों की मरम्मत के लिए आज तक एक नया पैसा भी नहीं रखा जाता है जिससे यह बहुत बड़ी राष्ट्रीय सम्पत्ति खर्च हो चुकी है और जिन पर ग्रामीण लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं थीं, बसें चलती हैं ऐसी सड़कों की मरम्मत के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करना चाहिए। नहीं तो बड़े-बड़े गांव, पंचायत हैडक्वार्टर से जो सड़कें जुड़ी रहती हैं उन पर लोगों का आना-जाना बन्द हो गया है। हमारी उन सड़कों की हालत क्या है कि उन पर पर बसें बन्द हो गईं, बड़ी गाड़ियाँ चलना बन्द हो गईं। निशान गाड़ी करनी पड़ती है या 5 रुपए में अपना आवागमन करना पड़ता है तो उस जगह उनको 25 रुपया भरना पड़ रहा है। इसलिए गरीब ग्रामीण लोगों की इसकी मरम्मत नहीं होने के कारण से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इन सड़कों की मरम्मत का आपको इंतजाम करना चाहिए और जो पंचायत मुख्यावास की सड़कें बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं, गाड़ी कोई जा नहीं सकती है तो उन सड़कों को आपको जोड़ना चाहिए। जिन गांवों में सन् 1981 की जनगणना के अनुसार 1500 से ज्यादा की जनसंख्या है उनको सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए।

दूसरा, मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवे-

(श्री अमीन खां)

दन है कि आपके पास कुछ आपके कार्यकर्ताओं ने हमारी सड़क कहकर और एक जाति की सड़क कह करके सीमा सुरक्षा फण्ड्स के तहत जो सड़क स्वीकृत हुई थी एक करोड़ आठ लाख रुपयों की, उस सड़क को आपसे कैन्सिल करवा दिया। यह सड़क मेरे कहने से मंजूर नहीं हुई थी। न किसी जाति विशेष का लाभ था। यह सड़क हुई थी पुलिस थाना गिराफ जो जिला बाड़मेर का है और पुलिस थाना झिनयाली जो जिला जैसलमेर का है इनको सीधा सीमा के सुरक्षा पाइन्ट से जोड़ने के लिए. ऑफिसर लेवल की ओपीनियन के तहत यह सड़क स्वीकृत हुई थी जिसको हमारी सड़क कह करके कैन्सिल कर दिया गया है। यह राष्ट्रीय हित की बात नहीं है। इसमें आप गहराई से जाँच करें। मेरा कोई प्रस्ताव नहीं था। यह मेरे कहने से विभाग ने या सरकार ने मंजूर नहीं की थी। सरकारी स्तर पर देश हित में सड़क मंजूर हुई थी। मेहरबानी करके, राष्ट्रहित की सड़क पर ऐसा नहीं करना चाहिए और वह सडक 2 साल पूर्व स्वीकृत हुई थी आज उससे महंगाई ज्यादा बढ़ गई है अगर दुबारा स्वीकृत करायेंगे तो उससे डबल पैसा खर्च होगा। वहां कम से कम 50-60 लाख रुपया गरीबों को मजदूरी मिलती और 27 किलोमीटर सड़क बनती। यह वाजिब बात है, राष्ट्र हित की बात है इसलिए आप मेहरबानी करके उस सड़क को शुरू करें। अगर मेरे कहने से या मेरे नाम से सड़क हुई है तो नहीं करें।

अब मैं चिकित्सा के बारे में कहता हूं। मंत्री महोदय, यह बात बिलकुल सही है कि आपने चिकित्सा महकमे का इंतजाम ठीक किया। हम उस बात से जो अच्छी बात है नाराज नही होंगे लेकिन हमारे इलाको में अभी तक भी डाक्टर नहीं जाते। आपने यह भी ठीक किया है कि जिस डाक्टर का हमने आदेश किया है उसका कम से कम हम 3 महीने से पहले तो कैन्सिल नहीं करेंगे। इसके लिए आपका भी धन्यवाद जिससे कम से कम उन डाक्टरों में यह तो भय होगा कि जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे रेगिस्तानी इलाकों में बार्डर डवलमेंट प्रोग्राम के तहत जितनी भी डिस्पेंसरियां बनी हैं उनका भारत सरकार ने पैसा दिया है। पी. डब्ल्यू. डी. ने भवन तैयार कर दिया। दो-ढाई साल का समय बीत चुका है अभी तक उन डिस्पेंसरियों में डाक्टर नहीं हैं और पूरे सीमावर्ती इलाके में 40-50 किलोमीटर तक लोगों को डाक्टरों की सुविधा नहीं है। यह हमारे साथ ज्यादती है, अन्याय है इसको मेहरबानी करके दूर करें। पिछले सत्र में आपने वायदा किया था 147 सब सेण्टर जिला बाड़मेर में खाली हैं। उनको 16 अगस्त तक सारे सबसेण्टर भर दिये जायेंगे। तारांकित प्रश्न के उत्तर में आपने सदन में कहा था लेकिन उनमें अभी तक भी आधे से ज्यादा सब सैण्टर खाली हैं। मेहरबानी करके इन सब सेण्टरों का इंतजाम कीजिए।

अंत में, मंत्री महोदय, मेरी यही गुजारिश है कि हमारी शिव तहसील में एक हरसानी राजस्व गांव है जो चारों ओर से सीमावर्ती सड़कों से जुड़ा हुआ है जिसकी

(श्री अमीन खां)

1981 की जनगणना के अनुसार 6100 से अधिक आबादी है और उसके 25-30 किलोमीटर के एरिया में करीब 40 हजार की जनसंख्या पर कोई डिस्पेंसरी नहीं है। वहां मेहरबानी करके आप कि डिस्पेंसरी कायम करें और उस गांव में आज से पहले एक एड पोस्ट है।

मेरा एक खास गुजारिश है कि तहसील और पंचायत समिति हैडक्वार्टर शिव में 8 महीने से कोई डाक्टर नहीं है। जहां पी. एच. सी है तो मेहरबानी करके इनको आप सख्त हिदायत दें कि तहसील हैडक्वार्टर पर 8-8 महीनों से डाक्टर नहीं है। यह हमारे साथ अन्याय है उसको आप ठीक करें। मैं इतनी ही बात कह करके आपसे गुजारिश करूंगा कि वाजिब बात पर आप तत्परता से ध्यान दें और सही आदेश दें ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके।

श्री सभापति : माननीय चम्पालाल बांठिया।

(7.00 सांय)

श्री चम्पालाल बांठिया : (पचपदरा) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात के लिए कि पिछली बार जो भयंकर बाढ़ आई और उसने जो विनाश किया और उससे जो आशंका बनी थी महामारी फैलने की और कुछ हद तक बहुत अधिक बीमारियां फैली थी। लेकिन जिस तरह से इस विभाग ने कंट्रोल किया वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं। उनको मैं इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समय रहते हुए दवाइयों का और उपचार का पूरा प्रबन्ध किया, साधन जुटाये और इससे जो मौतें होने वाली थीं वो बच गईं। इसके लिए वहां की जनता आपको हमेशा याद करेगी। मैं इस बात के लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो क्षेत्र बहुत दूर-दूर गांवों में फैले हुए थे और वहां पर चिकित्सा नाम की कोई चीज नहीं थी वहां पर कोई ए. एन. एम. या एम. पी. डब्ल्यू. तक नहीं था वहां पर आज अनेक गांवों में वहां कोई न कोई एम. पी. डब्ल्यू., ए. एन. एम. पहुंची है। उसका कारण यह है कि ए. एन. एम. का जो डेपुटेशन शहरों के अन्दर था, आपने उसको समाप्त किया और मुस्तैदी से उसके ऊपर कंट्रोल किया। इसके लिए भी हम आपके बहुत-बहुत शुक्रगुजार हैं। आज हमारे ग्रामीण अंचल के अन्दर कोई न कोई बीमारी को सम्भालने वाला निश्चित रूप से पहुंच गया है। यह हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है।

अभी परिवार नियोजन के बारे में बहुत कुछ चर्चा हुई, माननीय सदस्यों ने इस पर चिन्ता प्रकट की। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, निश्चित रूप से इसके परिणाम अच्छे आने चाहिए। मेरे क्षेत्र की मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप दूर-दूर गांवों में कैम्प्स रखते हैं और रिजल्ट्स बहुत कम आते हैं। अनेक बार तो बिल्कुल खाली हाथ आते हैं और दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स अस्पताल के अन्दर हैं, पी. एच. सी. के अन्दर हैं, ब्लॉक पी. एच.

(श्री चम्पालाल बांठिया)

सी. में हैं, उनकी ड्यूटी कैम्प्स के अन्दर लगाई जाती है। लोग उम्मीद लेकर शहर के अन्दर जाते हैं और वहां पर उत्तर यह मिलता है कि डॉक्टर साहब कैम्प के अन्दर गये हैं। इसलिए इस व्यवस्था को आप समाप्त करें। आप इस प्रकार का प्रबन्ध करिये कि जहां पर बड़े अस्पताल हैं, वहां पर पूरी सुविधा है स्टरलाइजेशन की, डॉक्टर्स वहां पर रहते हैं, वहां पर मरीज को लाकर के आपरेशन करायें, उनको इन्सेन्टिव ज्यादा दें। वहां पर स्वयंसेवी संस्थायें भी निश्चित रूप से इस काम के अन्दर हाथ बंटायेंगी और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप इस प्रकार का रद्दो-बदल उस क्षेत्र के अन्दर, खास तौर से रेगिस्तानी इलाके के अन्दर, जहां पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है और आपको रिजल्ट्स बहुत कम मिलते हैं, इस तरह का प्रबन्ध करें तो निश्चित रूप से यह लाभ होगा, अधिक आपरेशन्स इसके सफल होंगे ज्यादा लोग आकर्षित होंगे। जो आप गांवों में नर्सेज, डॉक्टर्स, ए. एन. एम्स. और एन. पी. डब्लूज लगाते हैं वह गांवों के अन्दर इसलिए नहीं रहते हैं कि वहां पर रहने की सुविधा नहीं रहती, उनका और भी ज्यादा खर्चा रहता है। इसलिए उनको आकर्षित करने के लिए कि गांवों के अन्दर चिकित्सक रहें, निश्चित रूप से शहर के मुकाबले में आप उनको और अधिक सुविधायें दें, उनको इन्सेन्टिव दें, उनको ऊपर का खर्चा दें ताकि वह लोग वहां पर जायें और टिक कर लोगों का इलाज करें। यह इस प्रकार का मेरा निवेदन है।

एक मैं निवेदन और करना चाहता हूं कि एक्स-रे की जो मशीन है, पूरे प्रदेश के अन्दर जब भी खराब हो जाती है उनको ठीक करने की जो व्यवस्था है वह बहुत ही गड़बड़ है। एक ही कम्पनी है जिसकी मोनोपोली है और वह सरकार और विभाग के घुटने टिकाती है। पहले पैसा मांगती है, जब आप पैसे जमा करा दोगे फिर उनका आदमी आयेगा, फिर देख कर जायेगा, दोबारा फिर आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। इस तरह महीनों लग जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की जो डिस्पेन्सरीज हैं, जहां एक्स-रे की सुविधा है, वहां पर बहुत अधिक कठिनाई है। प्रायः देखा जाता है कि महीनों लग जाते हैं, मशीन खराब रहती है। प्राइवेट लोग, जिनके पास यह मशीन है वह इसका लाभ उठाते हैं। यह जो कम्पनी है, मेरा चार्ज है कि प्राइवेट एक्स-रे की मशीन वाले जो लोग हैं वह उनसे मिले हुए रहते हैं और उनका धन्धा चले, इस प्रकार का यह काम करते हैं। इस बात का खास तौर से आप ध्यान करें, इसके अन्दर सुधार की आवश्यकता है।

गांवों के अन्दर आपने औषधालय खोल दिये, स्थान-स्थान के ऊपर आपकी पी. एच. सी. हैं, ब्लॉक पी. एच. सी. हैं लेकिन वहां पर दवाई की दुकान का कोई प्रबन्ध नहीं है। हमारे पास क्वालिफाइड फार्मेसिस्ट बहुत कम हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी दुकानदार फार्मेसिस्ट हैं, उनके परिजनों को आप अनुभव के आधार पर केवल गांवों के अन्दर जो ग्रामीण डिस्पेन्सरीज हैं उनके ऊपर दवाई उपलब्ध करा सकें, इस प्रकार के लाइसेंस

(श्री चम्पालाल बांठिया)

की आप व्यवस्था करें। यह आप छूट देंगे तो निश्चित रूप से जो गांवों के अन्दर डिस्पेन्सरीज हैं लेकिन उनको दवाई के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है और इसका लाभ उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए आप यह प्रबन्ध करेंगे तो निश्चित रूप से यह लाभ उनको होगा।

मैं एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले के अन्दर नर्सेज की ट्रेनिंग का सेन्टर है लेकिन हर बार, जो टेन्डर नोटिफिकेशन करते हैं, उसमें गड़बड़ी रख देते हैं, इसलिए वह बार-बार वकील के चक्कर काटते हैं, हाई कोर्ट से किसी न किसी प्रकार का स्टे ले आते हैं। गत वर्ष का जो नोटिफिकेशन था उसके अन्दर बहुत कमियां रखी गईं इसलिए अनेक लड़कों को नोटिफिकेशन मिलने के बाद भी लेना पड़ा। कुछ लोगों को ट्रेनिंग मिल चुकी, दो-दो, तीन-तीन महीने जो लोग ट्रेनिंग के अन्दर रह गये, लेकिन बाड़मेर जिले के जो लड़के थे, जो साइंस बायोलोजी के लड़के थे, वह लड़के तो रह गये और एग्रीकल्चर के नाम पर असत्य सर्टिफिकेट लेकर प्रदेश के बाहर के लड़के इस आधार के ऊपर भर्ती कर दिये गये हैं, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में आप विचार करें और यह जो 35-36 लड़के रह गये है, जिनके भविष्य के सामने एक प्रश्न चिह्न लगा हुआ है, इनको भी आप वहां पर एडमीशन दें। पहले भी आपके सौ से अधिक लड़के इस प्रकार ट्रेनिंग में लिए जा चुके हैं। इसलिए इस बात पर भी आप विचार करें।

आपने डिस्पेन्सरीज गांवों के अन्दर खोली हैं, भवन बने हुए हैं लेकिन वहां पर बिजली का प्रबन्ध नहीं है। थोब और मडली के अन्दर, मडली आपकी ब्लॉक पी. एच. सी. है लेकिन उसके अन्दर बिजली का कनेक्शन नहीं है। आज बिजली का कनेक्शन नहीं है और उसके अन्दर टैटवेक इन्जेक्शन, लो एक रुपये से कम कीमत का आता है और जिससे आदमी का जीवन बच सकता है, उस इन्जेक्शन को वहां रखने की सुविधा नहीं होने के कारण अनेक लोगों की मौत हो जाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां पर आपके भवन हैं और डॉक्टर का निवास स्थान है, वहां पर आप विभाग की तरफ से इस बात को देखें कि उनके अन्दर बिजली का प्रबन्ध हो ताकि इस प्रकार की घटनायें न हो पायें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, पिछली बार आपने इस प्रकार की एक योजना बनाई थी कि स्थान-स्थान पर और खास तौर से राजस्थान के अन्दर एक मेडीसन का बैंक हो ताकि गरीब, असहाय लोग और विधवाओं को इस प्रकार से भटकना न पड़ें। आज दवाइयां बहुत महंगी हैं, शफाखाने के अन्दर वह दवाइयां पूरी मिलती नहीं, बाजार से लानी पड़ती हैं। इस प्रकार की आप योजना करें, लोग आपको सहयोग करने को तैयार हैं। बालोतरा के अन्दर हमने एक प्रयोग आपके आशीर्वाद से प्रारम्भ किया है और निश्चित रूप से उससे अनेक लोगों को लाभ

(श्री चम्पालाल बांठिया)

मिलेगा। इसी प्रकार आप प्रदेश स्तर पर कोई दूसरा कार्यक्रम लें, निश्चित रुप से इसका लाभ होगा।

मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में दो छोटी-छोटी बातें कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। लूणी नदी के ऊपर बालोतरा और जसवाल के बीच पुल का दो बार शिलान्यास हो चुका है—माननीय सुखाड़ियाजी के हाथ से और शिवचरणजी के हाथ से। जिस पुल का शिलान्यास हो चुका है उस पुल का निर्माण जाते-जाते कांग्रेस की सरकार उठा कर ले गई, बंद कर दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार की बाढ़ के अन्दर बाड़मेर जिले की आबादी आधी एक तरफ और आधी दूसरी तरफ रह गई। अनेक लोगों के घर उधर थे, काम इधर थे, इस प्रकार की हालत हो गई। दो महीने तक लोगों का आवागमन रुकता रहा। दूसरी बात इसके साथ में यह है कि बालोतरा कस्बे के बीच में होकर राजमार्ग जाता है, अनेक दुर्घटनाएं होती हैं और जब आपकी अप्रोच रोड्स के लिए सड़कों का निर्धारण हो चुका है, आपने 15 लाख रुपये तक खर्च कर दिये हैं, मैं समझ नहीं पा रहा कि इस पुल को आप हाथ में लेकर पूरा क्यों नहीं कर पाये हैं। आप इस बात की ओर गम्भीरता से विचार करें। यह बाड़मेर जिले का सबसे बड़ा अहम् प्रश्न है। बाड़मेर जिले में, जो गेमन कम्पनी के द्वारा बनाया हुआ था नेशनल हाइवे के ऊपर, केवल एक पुल है, दूसरा महत्वपूर्ण पुल यह बनना चाहिए था और इस पुल को राजनीति ने बहुत लम्बा कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसके बारे में कोई ठोस कदम उठा कर इसी वर्ष इस कार्य को आप पूरा करें।

मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि रेगिस्तानी इलाके के अन्दर, माननीय पूर्व विधान सभा अध्यक्ष श्री पूनमचन्दजी विश्नोई ने इस बात को कई बार यहां पर कहा है कि वहां पर हमको डामर रोड्स की जरूरत नहीं है, वहां पर आप ग्रेवल रोड बनाइये, वह बहुत ज्यादा उपयोगी रहती है। अकाल के अन्दर भी लोगों को काम मिल सकेगा, उनकी मरम्मत भी आसान है, वह सस्ती होती है इसलिए जो भी अब आप नई सड़कें लें उनको आप ग्रेवल रोड करें और जो मैटल रोड हैं उनके ऊपर डामर बिछायें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सन् 1939 की एक रोड है जो जोधपुर से बालोतरा-बाड़मेर को जोड़ती है, जो सबसे पुरानी रोड है। उसके ऊपर 5 पंचायत मुख्यालय हैं, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है, पुलिस स्टेशन है मण्डी का लेकिन उस रोड का आज दिन तक डामरीकरण नहीं हुआ। उस रोड की हालत जिस प्रकार की है मैं समझता हूं कि उस प्रकार की हालत राजस्थान के अन्दर और किसी रोड की नहीं होगी। लोग उस सड़क पर पैदल ही नहीं चल सकते। इसी प्रकार की दूसरी रोड पाटोली से गिड़ा तक की है। उसके अन्दर 5-6 मुख्यालय आते हैं और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर और जिले का पुलिस स्टेशन भी है। लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी? इस बात को मद्देनजर रखते हुए

(श्री चम्पालाल बांठिया)

आप यह जो दो महत्वपूर्ण सड़कें हैं, चाहे दूसरी सड़कें आप हाथ में लें या नहीं लें लेकिन इन दो सड़कों का काम निश्चित रूप से पूरा करें। यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री चम्पालाल बांठिया : और एक छोटी सी बात है। गांव-गांव के अन्दर और शहरों के अन्दर भी दानदाताओं ने स्कूल के और शफाखानों के बहुत आलीशान और अच्छे भवन बनाये हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि उन अनेक भवनों का जो पी. डब्ल्यू. डी. की देखरेख के अन्दर बनते हैं, नक्शे की माफिक बनते हैं लेकिन उनकी अभी तक देखरेख वह स्वयं मालिक करते हैं। अनेकों की मरम्मत नहीं हो रही है। उनकी सफेदी तक नहीं होती है। इसलिए जब आपकी देखरेख के अन्दर स्वीकृत नक्शे के हिसाब से जो बिल्डिंगे दानदाताओं ने बनाई हैं उनकी आत्मा को ठेस लगती है जब उस बिल्डिंग को वह देखते हैं। मेहरबानी करके इसके अन्दर आप सुधार करें और जैसे ही भवन तैयार हो, आपकी देखरेख के अन्दर तैयार होता है, उस भवन को पी. डब्ल्यू. डी. या जहां पी. डब्ल्यू. डी. का नहीं है, वहां पर विभाग उसको अपने हाथ में लें, इस प्रकार का प्रबंध होना चाहिए।

एक निवेदन और है कि रेलवे के फाटकों के ऊपर पुल को चौड़ा करने के राजस्थान के अन्दर अनेक ऐसे मामले पैण्डिंग पड़े हुए हैं वर्षों से लेकिन रेल्वे ध्यान नहीं देती। मेरे बालोतरा के अन्दर पी. डब्ल्यू. डी. ने पैसा जमा करा दिया लेकिन रेलवे इस ओर ध्यान नहीं देती। इसलिए मंत्रीजी से निवेदन है कि आप अपना व्यक्तिशः प्रभाव काम में लेते हुए केन्द्र सरकार से, रेलवे विभाग पर इस बारे में निरन्तर दवाब डालें ताकि यह जो हमारे समय पर जैसे जमा कराये हुए हैं, फिर समय आयेगा तो रेलवे कह देगी कि पैसे बढ़ गए, कीमत बढ़ गयी और फिर यह मामला खटाई के अन्दर पड़ जावेगा। इस प्रकार के जो भी मामले हैं उनको आप लें। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं स्वास्थ्य के संबंध में चर्चा करूंगा। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा जो इस समय सदन में नहीं हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं नोट कर रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा स्वास्थ्य के बारे में। आपने जो कुछ भी सुविधायें आपके आने के बाद बढ़ाई हैं वह कुछ कमियों के कारण नगण्य हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : नग्न हैं या नगण्य ?

श्री रामस्वरूप मीणा : आपकी मर्जी आये तो कहते रहो। मैं तो जो भी है वही कहूंगा।

श्री सभापति : मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि अपने स्थान पर जाकर बोलें। अपने स्थान के अलावा कहीं से नहीं बोलें और कृपया नियमों का पालन करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, जितने भी कार्य हुए स्वास्थ्य के बारे में, उन सब के पीछे एक ही बात है....

श्री सभापति : मंत्री महोदय जो भी बोलें आप अपने स्थान से बोलें।

श्री रामस्वरूप मीणा : कृपया आप मेरा समय बरबाद न करें। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। जनता के हित का मामला है कृपया आप इसका अमूल्य समय खराब न करे। सुनें ध्यान से। आपको सुनने में भी जोर आता है। नहीं तो पब्लिक आपको सुना देगी अभी 15 दिन बाद।

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के अन्दर और हमारे सवाई माधोपुर के अन्दर सबसे बड़ी अगर इस स्वास्थ्य के बारे में कोई बात हो रही है तो वह ट्रान्सफर्स का घोटाला है। हमारे जिले के अन्दर सबसे ज्यादा डाक्टरों के ट्रान्सफर किये गये हैं। आपने चाहे कितनी भी सुविधाएं दी हैं, पब्लिक के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं मगर हास्पिटल के अन्दर ही आपके डाक्टर बैठे नहीं मिलेंगे तो क्या वह जनता को लाभ देंगे। इसलिए 6-6 महीने तक डाक्टर लोग छुट्टियां लेकर बैठ गये। वह अपने ट्रान्सफर के चक्कर में डालते रहे। मंत्रियों के चक्कर लगाते रहे और अस्पताल खाली पड़े रहे। मरीज मर गए, परेशान हुए मरीज और 6-6 महीने के बाद बहुतों के ट्रान्सफर कैंसिल भी हुए। इसलिए सबसे बड़ी बात जो निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं अपने निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले एक नीति तय कर ली जाये कि डाक्टरों के ट्रान्सफर बार-बार इस तरह नहीं कराये जायें। महीने में, दो महीने में, चार महीने में और 6-6 महीने में बार-बार ट्रान्सफर होते हैं। आप इस तरह जब इनका ट्रान्सफर करते रहोगे तो आखिर में वहां इलाज कौन करेगा उस समय? कभी भी डाक्टर अपने स्थान से नहीं जाना चाहता है। वह लोग अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस भी करते हैं। यहां तक बहुत से डाक्टरों ने यह कह दिया कि आप हमारा ट्रान्सफर करेंगे तो हम नौकरी छोड़ने को तैयार हैं लेकिन जाने को तैयार नहीं हैं। इसका एक ही उपाय है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस बात के बारे में कि जिन डाक्टरों के लिए उस क्षेत्र का एम. एल. ए. चाहता हो और जिन डाक्टरों के लिए उस क्षेत्र का एस. पी. चाहता हो, जिन डाक्टरों के लिए वहां की पब्लिक चाहती हो वह डाक्टर अगर दस साल भी वहां रहता है तो उसको रहने दीजिए। क्या दिक्कत आ रही है आपको? जब वहां की पब्लिक खुश हो उसके लिए तो दो, दो और चार, चार बसें भरकर यहां आती हैं। कितना समय बरबाद होता है? क्यों बार-बार ट्रान्सफर करते हैं? सबसे बड़ा

280

(श्री रामस्वरूप मीणा)

ट्रान्सफर के पीछे अगर कोई बात नजर आती है तो वह +++ जनता यह कहती है कि बार-बार ट्रान्सफर इसलिए किये जाते हैं ट्रान्सफर के अन्दर पैसे मिलते हैं। चाहे आप नहीं लेते होंगे, मैं इस बात को नहीं कहता कि आप लेते हैं लेकिन जनता कहती है इस बात को कि बार बार ट्रान्सफर करने की वजह से पैसा मिलता है। इसलिए आप अपनी इस नीति को बदलें और डाक्टरों को आप कम से कम ट्रान्सफर करें ...

श्री भंवरलाल शर्मा : वह पुरानी बात है।

श्री रामस्वरूप मीणा : पुरानी बात हो या नयी बात हो। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं इस बात का।

श्री महावीरप्रसाद जैन : भूत की बात है।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं बहस इस समय कर रहा हूं। भूत के लिए बातें नहीं कर रहा हूं। वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं इस समय। भूत में कुछ भी किया होगा। आप इस बात को मानते हैं.... महावीरजी, आप बिराज जाओ। सुनो तो हमारी बात को....

श्री महावीरप्रसाद जैन : न कोई भूत का पता है, न भविष्य का पता है।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री रामस्वरूप मीणा : व्यवधान मंत्री जी बिराजे, व्यवधान मंत्री जी बिराजो। बहुत महत्वपूर्ण मामला है। माननीय सभापति महोदय, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव माननीय मंत्री महोदय को निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी नीति को तय करें कि आप जितना भी भला जनता के स्वास्थ्य का कर रहे हों, मैं मानता हूं लेकिन इस पर अगर कोई बात सामने है तो केवल मात्र डाक्टरों के ट्रान्सफर की है। इसलिए बहुत कम होने चाहिए डाक्टरों के ट्रान्सफर मेरा आपसे यह निवेदन है कि अगर इनकी अदलाबदली नहीं रोकी तो कितना ही चाहे आप जनता की भलाई की बात करते रहें, वह सफलता आपको नहीं मिलेगी। इसलिए कम से कम कृपया बहुत कम डाक्टरों के ट्रन्सफर किये जायें, यह मेरा आपसे प्रथम निवेदन है।

दूसरी बात, मैं कहना चाहूंगा, माननीय सभापति, महोदय, माननीय मंत्रीजी के पास परिवार कल्याण कार्यक्रम भी है। डाक्टर इन्होंने नियुक्त कर रखे हैं। किसी अस्पताल के अन्दर एक और वह परिवार कल्याण के अन्दर लगा रहता है वह डाक्टर तो। हास्पिटल के अन्दर रहता ही नहीं है। आप एक तरफ तो परिवार का कल्याण कर रहे हैं दूसरी तरफ डाक्टर हास्पिटल में इस बहाने रहते नहीं हैं, वह घूमते ही रहते हैं इसलिए कृपया कम से कम दो डाक्टर तो वहां रखो। एक डाक्टर ड्यूटी पर रहे जो बीमारों को रोजाना देख ले

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

और एक डाक्टर परिवार कल्याण के कार्यक्रम में लगा रहे। यह मेरा आपसे निवेदन है।

तीसरी बात परिवार कल्याण की बात हम बहुत ज्यादा करते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, राष्ट्रीय मसला है लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि एक आचार संहिता बना दी जाये चाहे वह एम.एल.ए. हो, उसके पास सबसे पहले कार्ड होना चाहिये कि उसका परिवार कल्याण हुआ या नहीं हुआ। दूसरे नम्बर पर आता है एम. पी., उससे भी कार्ड मांगा जाये कि उसका परिवार कल्याण हुआ या नहीं हुआ। वहां के जितने भी नेता हैं और माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी अपना परिवार कल्याण करायें। आप भी जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ायें, मेरा यह सुझाव है आपको। इसलिये माननीय सदस्य जितने भी बिराजमान हैं उन सब को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप सब लोग हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम जो परिवार कल्याण का है इसमें सहयोग करें ..

श्री अर्जुनदास मदान : मेरा यह निवेदन है कि एम. एल. ए. के स्थान पर....

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरी बात को सुन लें। उसके बाद अपने सुझाव दें। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। जितने भी माननीय सदस्य बिराजमान हैं जिनकी उम्र इस लायक है कि उसको परिवार कल्याण की आवश्यकता है कृपया चाहे मंत्री हो, चाहे एम. एल. ए. हो तमाम इस बात को ध्यानपूर्वक सुन लें कि एक आचार संहिता बना दी जाये और इनसे प्रमाण-पत्र मांगा जाये कि परिवार कल्याण हुआ या नहीं हुआ।

माननीय मंत्री जी, आप परिवार कल्याण मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हो गये और बच्चों की लाइन लगाते जा रहे हो। यह कौन सी बात है? इसलिए मेरी पहली मांग है कि परिवार कल्याण को कम्पलसरी कर दिया जाय। दूसरा सुझाव मेरा है स्वास्थ्य के बारे में···· (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कोई अपना वक्तव्य दे रहा हो तो बीच में कृपया व्यवधान न करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : बहुत ही गंभीर राष्ट्रीय मसला है, आप मजाक में ले रहे हैं। यह राष्ट्रीय मसला है कृपया इसे कम्पलसरी कर दें। चाहे कलक्टर हो, चाहे एस पी. हो, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी सी. एम. एच. ओ. एम. एल. ए., एम. पी. हो सब को यह अनिवार्य कर दिया जाय, परिवार कल्याण की ऑथोरिटी बतावें। आप स्वयं सही हो तो दूसरों के लिए कह सकते हो। हम स्वयं अपराधी हों तो दूसरों को क्या कहेंगे?

दूसरा महत्वपूर्ण मामला, सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सड़कों की तो आप सबने मांग की लेकिन मैं तो कहता हूं सरकार को दो बातों पर ध्यान देना चाहिये। एक तो कम से कम जितने भी रेलवे क्रासिंग हैं जो नगरों में हैं, जैसे सवाई

(श्री रामस्वरूप मीणा)

माधोपुर जिले में हिण्डौन को क्रासिंग है वहां 3-3 घंटे तक रुकना पड़ता है। मंत्री जी भी जाते रहते हैं और 3-3 घंटे तक उनकी गाड़ी खड़ी रहती है। इसलिए इस रेलवे क्रासिंग पर पुलिया बननी चाहिए। इसका मैं उपाय बताता हूं आप इन पर पुलिया बनायें और साथ में टैक्स भी लगायें। जनता बड़ी खुशी से टैक्स देगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसमें तो 75% रेलवे बोर्ड लगावे।

श्री रामस्वरूप मीणा : सुन लें उजला जी, आप भी खड़ी रही हैं कई बार हिण्डौन में जाकर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति जी को कह देते तो आपका बन जाता।

श्री रामस्वरूप मीणा : महावीर जी, आप भी, महावीरजी गये होंगे। हिण्डौन में आप भी दो घंटे खड़े रहे होंगे कई बार।

श्री किशनाराम नाई : आसन के सहारे से बात होनी चाहिए, डायरेक्ट बात कर रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप व्यवधान न करें। कृपया बिराजें। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि कोई भी स्पीच दे रहा हो तो बीच में कृपया व्यवधान न डालें। सभी को बोलने का मौका दिया जा रहा है। जिस-जिस की बारी आये, कृपया बैठे-बैठे न बोलें और और अपने स्थान से बोलें। (व्यवधान)

श्री किशनाराम नाई : अगर आसन को कहें तो आसन की गरिमा रहेगी।

श्री रामस्वरूप मीणा : सारी गरिमा रख रहे हैं।

श्री किशनाराम नाई : आप तो सौ प्रतिशत + + + बोले रहे हो।

श्री सभापति : यह + + + शब्द ऐक्सपंज किया जाय।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि जितनी भी सड़कें बनायी हैं उन पर अतिक्रमण हो रहा है। सड़कें तो आपने बना दी लेकिन उनके दोनों तरफ अतिक्रमण हो गये हैं। सड़क बनने से पहले दीवार तैयार हो जाती है। इसलिए कृपया कम से कम इन अतिक्रमणों को हटायें। मेरे क्षेत्र में जितनी सड़कें बनी हैं उनमें 95% पर अतिक्रमण कर रखे हैं। दूकान पहले पास में बना ली, उसके आगे तख्ता रख देंगे, उसके आगे मट्टी बना देंगे और कुछ बना देंगे और बस तक नहीं जा सकती ऐसी हालत हो गयी है।

तीसरी बात निवेदन करना चाहूंगा, सड़कों की साइडें, जो कच्ची मिट्टी डाल कर बनायी हुयी है, वह कट गयी हैं। कट चुकी हैं यह हालत हो गयी है। दो वाहन आमने-सामने आ जाते हैं तो बच नहीं

+ + + माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

सकते। इसलिए कम से कम जितनी भी लिंक रोड़ हैं, जो गांव से शहरों को मिलाती हैं ऐसी छोटी रोड्स की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। गड्ढे पड़ चुके हैं। मैं तो, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय को, चाहे किसी का भी राज हो, मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में 1980 के बाद सड़कें बनी हैं। जितनी भी सड़कें नयी बनी हैं, आज उनकी हालत देखी। कैसे गड्ढे हुए हैं, कितनी बेईमानी उन सड़कों पर हुयी है? आप जांच करवाइये उन सब की। घोटाले मिलेंगे। इसलिए जो भी सड़क बनी है चाहे किसी ने बनायी हो, आप निष्पक्ष जांच करवाइये उनकी, मेरा आपसे निवेदन है। इसलिए जो भी कार्य आपके समय में हो रहे हैं उनके लिए तो मैं आपकी प्रशंसा करता हूं लेकिन इसमें व्यवस्था की बहुत बड़ी कमी है। आप अपनी ईमानदारी के ढोल पीट रहे हो लेकिन कुछ कार्य ऐसे हो रहे हैं, छोटे-छोटे कार्य ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : इधर कब आ रहे हो?

श्री रामस्वरूप मीणा : एल.एफ.सी. हैं बहुत सी, हमारे खण्डार में एल. एफ. सी. है जिसका तीन-तीन बार ट्रांसफर हुआ फिर कैंसिल हो गया। एम. एल. ए. उसको चाहते, एम. पी. चाहते, पब्लिक चाहती, सबने दे रखा है उसके बाद भी एल.एफ.सी., बुढ़िया का बार-बार ट्रांसफर हो गया। तो कम से कम यह भी ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा कर्मचारी जो पब्लिक टच में रहता हो, जनता जिसको चाहती हो उस व्यक्ति को कम से कम उसी गांव में रखा जाय यह मेरा निवेदन है। इसलिए इन सारी बातों पर निवेदन करते हुए एक ही निवेदन करूंगा कि रेल्वे क्रासिंग पर पुलिया बनायी जाय महत्वपूर्ण कार्य है, जो सड़कें साइडों में टूट गयी हैं, कृपया उनको जल्दी से जल्दी सुधारा जाय।

तीसरी मेरी मांग है, महावीर जी से लेकर टोडाभीम तक अधूरी सड़कें पड़ी हुई हैं, इनको बनाया जाय ताकि हिण्डौन का बहुत बड़ा चक्कर बच जायेगा। आपकी पुलिया तो जाने कब तैयार होगी लेकिन पुलिया हम सीधे महावीरजी जा सकते हैं। महावीर जी, यहां बैठे हुए हैं। इसलिए आप कम से कम जो सड़कें अधूरी हैं, उन पर ध्यान देकर के, क्योंकि आपका पैसा लग चुका है, थोड़ा पैसा और लगा दीजिए, जनता को लाभ मिल जायेगा। इसलिए अधूरी सड़कें प्रायोरिटी के आधार पर लें और जो सड़कें मन्जूर होने के लिए राज्य सरकार में आयी हैं उनके लिए तुरन्त बजट दें ताकि कार्य हो सके।

मेरा आखिरी निवेदन है कि आप अपना पक्षपात भूल जाइये। जितने काम हों, क्योंकि काम से ही वोट मिलते हैं। इसलिए कृपया पक्षपात न करें। सारी सड़कों को आप कोटा में ले जाकर धर दें और हमारे विधान सभा क्षेत्र में आप सड़कों के लिए पैसा न दें तो यह जनता आपको माफ नहीं करेगी। हमारे मेहन्दीपुर बालाजी में हास्पिटल का पैसा मन्जूर हो गया है, पी. डब्ल्यू डी. से हास्पिटल बनाने की स्वीकृति मिल गयी है उसके बाद आज तक

(श्री रामस्वरूप मीणा)

बिल्डिंग नहीं बनायी गयी वहां पर । क्या हो रहा है, उसके बारे में मंत्री जी जवाब दें । महान् भारतवर्ष के धार्मिक तीर्थस्थल जिसके बाई-पास के लिए मैंने पहले कहा था, लगातार एक्सीडेंट वहां होते रहते हैं, 4-4 घंटे बसें खड़ी रहती हैं, वह बाई पास आज तक नहीं बनाया गया । मंत्री महोदय ने यहां पर बैठ कर घोषणा की थी कि वह बाई पास बना दिया जायगा, आज तक कुछ नहीं हुआ । धर्म का ढोंग रचते हैं । कभी गोरधन जी, कभी केलादेवी और कभी हनुमान जी के जाते हैं और हनुमान जी के बारे में सुनते कुछ नहीं ।

श्री किशनाराम नाई : बीस मिनट हो गये हैं ।

श्री सभापति : अब कृपया बिराजिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए सबसे बड़ी समस्या मेहन्दीपुर बाई पास की है, कृपया उसको बना दें । महावीरजी महान् तीर्थ स्थान है उसकी सड़क को पूरी करवा दें । केला देवी के पास जो क्रासिंग आता है हिण्डौन का, उस पर पुलिया बनवा दें । यह मेरी मांग है । आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल मेघवाल ।

श्री मांगीलाल मेघवाल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 21–सड़क और पुल तथा मांग संख्या 26 स्वास्थ्य सेवाओं पर जो सदन में चर्चा हो रही है, इस प्रसग में मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं । उनके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करके मांग करूंगा कि मेरे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करवायें ।

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र केशोरायपाटन से आता हूं वह सौभाग्य से चम्बल की नहरों का क्षेत्र है । चम्बल की नहरों की अव्यवस्था के कारण वहां सीपेज की बहुत भारी समस्या है और सर्वत्र साल 11–12 महीने पानी भरा रहता है जिससे आवागमन मोटर आदि वाहन तो दूर की बात रही, किसानों की बैलगाड़ियां और पैदल एक गांव से दूसरे गांव जाने में असमर्थ हैं । सड़कों का भारी अभाव है । मेरा विधान सभा क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र है, में 32 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें से 22 ग्राम पंचायतों में सड़क तो दूर रही, कोई गिट्टी और मिट्टी की सड़क भी नहीं है । 4-4 हजार की आबादी के गांव जो पंचायत मुख्यालय हैं, कोई उनमें बेटी देना भी पसन्द नहीं करता ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभी कुंवारे हैं क्या ?

श्री मांगीलाल मेघवाल : मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस उपेक्षित तहसील को विशेष रूप से सड़कों से जोड़ें । कम से कम ग्राम पंचायत मुख्यालय जो 4-5 हजार की आबादी के गांव हैं, उनको तो प्राथमिकता से जोड़े जाने का निवेदन है । मान्यवर, अभी जी. आर. वाई. के तहत छोटी-छोटी दो गिट्टी की सड़कें मन्जूर हुई है और दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो गिट्टी ट्रकों से आती है वह 50 कि. मी. दूर से आती है ।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

जो सड़कें बन रही हैं, इसके साथ 4 कि. मी. चम्बल का एरिया है, केवल मात्र 3-4 कि.मी. की सड़क बनने से वहां अथाह पत्थर का भण्डार है, वहां गिट्टी तोड़ने की क्वेरी खोली जा सकती है जिससे इन उपेक्षित क्षेत्र की सारी गिट्टी वहां आ सकती है। वे स्थान चम्बल के सहारे नोताड़ा और दीरज स्थान है जहां 50-50 कि. मी. दूर, माननीय मंत्री महोदय खुद जानते हैं, खटकड़ से रोतेड़ा के लिए जो गिट्टी आ रही है, वह प्रशासनिक दृष्टि से इतना भारी व्यय हो रहा होगा, इससे जो पैसा वाहनों पर खर्च हो रहा है, वह कम होगा। इसलिए मेरी मांग है कि नोताड़ा दीरज से केवल तीन-चार कि.मी. की सड़क जोड़ने से चम्बल का अथाह पत्थर लिया जा सकता है जिससे जो मेरा क्षेत्र उपेक्षित है, उसको सहूलियत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी के समय ही, आज से 12-13 वर्ष पूर्व झाली जी बाराना पर एक पुलिया बनी है। उसके बाद से कांग्रेसी सरकार ने उस पर एक रुपया भी खर्च नहीं किया है, आज वह क्षतिग्रस्त हो रही है। मेरी मांग है कि लाख-दो लाख रुपया खर्च करने के बाद वह महत्वपूर्ण पुल पुनः दुरुस्त हो जाय और जिससे आवागमन बना रहेगा।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 12 महीनों बहने वाली नदियां हैं, बड़े-बड़े खालें हैं। चम्बल का लोस्ट वाटर 12 महीनों बहता है जिससे कोई भी साधन नहीं जा सकता। इसलिए मेरी मांग है कि उन बड़े-बड़े खालों में 5-5, 7-7 लाख की पुलियाएं वहां पर प्राथमिकता से बनवायी जावे जिससे लोगों का आवागमन हो सके। रेबारपुरा ग्राम पंचायत से उतराणा ग्राम पंचायत के बीच में आज भी बरसात के दिनों में वहां तूंबे और ट्यूबों के सहारे तैरकर जाते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि वहां छोटी पुलिया बनायी जाये तो उन लोगों का आना-जाना हो सकेगा।

मान्यवर, बून्दी, जिले में जो पी.डब्लू. डी. का महकमा है जिसमें विशेषकर के केशोरायपाटन क्षेत्र में 'कोई सहायक अभियन्ता तो दूर रहा, कनिष्ठ अभियन्ता का दफ्तर भी नहीं है। एक तालेड़ा में ए.ईएन. है और एक नैनवा में है जो वहां से 35 और 70-80 कि. मी. दूर पड़ता है। मैं पुरजोर शब्दों में सरकार से मांग करूंगा कि उस उपेक्षित क्षेत्र में, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि 32 ग्राम पंचायतों में आज भी 22 ग्राम पंचायतें मुख्यालय उपेक्षित हैं। भविष्य में जब यहां सड़कों का काम होगा, आज नहीं कल होगा, साल-दो साल में होगा तो मेरी मांग है कि कापरेन में जो इन तहसील का मध्य है, वहां ए. ईएन. का कार्यालय खोला जाकर जनता को राहत दिलायी जावे। बहुत खुशी की बात है और मैं मंत्री महोदय को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि बूंदी जिले और विशेषकर केशोरायपाटन में पुरानी सड़कों का मरम्मत कार्य चल रहा है, उसको त्वरित गति से आगे बढ़ाया जावे, ऐसी मेरी मांग है।

मैं सड़कों के बारे में निवेदन करने के साथ ही मांग संख्या 26 जो कि चिकित्सा

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

की है, उसके बारे में निवेदन करूंगा। मान्यवर, बूंदी जिले का औद्योगिक नगर लाखेरी, जिसमें माननीय मंत्री महोदय ने शय्याओं वाले अस्पताल की घोषणा की थी, मैं मांग करूंगा और मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी 50 शय्याओं वाले अस्पताल की घोषणा शीघ्र क्रियान्वित की जाय।

मान्यवर, झालीजी का बाराना मेरे क्षेत्र में एक ऐसा गांव है, जो 7000 की आबादी का गांव है। वहां कोई भी ऐजेन्सी गोली या सुई देने वाली नहीं है, एक भी ए. एन. एम. सेन्टर वहां नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि झालीजी का बाराना में जो ग्राम पंचायत मुख्यालय है; मायजा जो ग्राम पंचायत मुख्यालय है और सारसला जो चम्बल के सहारे बीहड़ के बीच में बसा हुआ ग्राम पंचायत मुख्यालय है, जिसकी 2000 की आबादी है. यहां चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मेहरबानी करें।

मान्यवर, मेरे यहां ग्रामीण क्षेत्रों में जहां स्टाफ है, अब तक उनको कुछ महीनों से डेपुटेशन पर लगा रखा था। मैंने 19 जनवरी को जिला परिषद की मीटिंग में कुछ मुख्यालय के लिए उनमें कहा कि लोग बाग वहां नहीं रहते हैं। तो बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उनका ट्रान्सफर कर दिया और वह गांव उपेक्षित है चौहतरा खेड़ा विशेषकर के, आज भी सुबह लोग यहां आये थे, वह आज भी यह कहने आये कि उनका ट्रांसफर कर दिया और हम उपेक्षित रह रहे हैं। अब उनको रहने के लिए कहा तो ट्रांसफर कर दिया। इसलिए मेरी मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर मेरे यहां केशोरायपाटन में बार-बार 7-8 महीनों से कहने के बाद भी स्टाफ नहीं लगाया जा रहा है। हम लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि किसी नर्स के लिए कहते हैं क्या करें साहब, ये तो अविवाहित कुंवारी छोरी है, कैसे गांव में जायेगी? चलो भाई दूसरे को लगा दो तो फिर कहेंगे. नहीं साहब, यह तो विधवा है, गांव में कैसे जायेगी? जब विधवा की बात नहीं करेंगे तो कहने लगे यह तो बाल-बच्चों वाली है। तो विधवा जा नहीं सकती, कुंवारी जा नहीं सकती और बाल-बच्चों वाली जा नहीं सकती तो फिर क्या होगा? क्या वे गांव उपेक्षित रहेंगे। मैंने सड़क के लिए निवेदन किया था। सम्पूर्ण क्षेत्र बहुत उपेक्षित है और कहीं पर कोई बीमार हो जाये, कहीं पर डिलीवरी का मामला हो जाय तो कैसे जायेंगे? 24-24 घंटों में कहीं बूंदी जावो, लाखेरी में अस्पताल नहीं, कोटा जावो, कोई साधन नहीं। न आवागमन का साधन, न चिकित्सा सुविधाओं का साधन। जहां कहीं छोटे-मोटे कर्मचारी हैं, वे भी वहां नहीं रहते। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि स्टाफ को ग्रामीण क्षेत्रों में वहा मुख्यालय पर रहने की सुविधा दी जाय।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कापरेन में रैफरल अस्पताल है। वहां पर महिला डाक्टर नहीं है। मेरे कार्यकाल में 1985 से लेकर आज तक भी कोई महिला डाक्टर नहीं रही है। इसलिए मेरी मांग है कि उस उपेक्षित क्षेत्र में महिला डाक्टर की नियुक्ति की जावे ताकि वहां महिलाओं और

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

बच्चों को सहूलियत मिल सके। वहां जो मशीनें हैं, फर्नीचर्स है, मैंने उसके लिये चिट्ठी भी लिखी थी, आपने जवाब दिया कि दिखवा रहे हैं। बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां कोई भी सुविधा नहीं हो पायी है। इसलिए जहां-जहां अभाव है, स्टाफ का अभाव है, उसे अति-शीघ्र पूरा करवाया जावे।

मान्यवर, केशोरायपाटन तहसील मुख्यालय है। वहां अस्पताल का भवन बहुत उपेक्षित और जर्जर अवस्था में है। इसलिये मेरी मांग है कि तहसील मुख्यालय की जनसंख्या को मद्दे नजर रखते हुए वहां पर भवन बनाने को प्राथमिकता दी जावे।

मान्यवर, मैंने एक सन्तोष बाई पत्नी श्री गिर्राज शर्मा, केशोरायपाटन के बारे में निवेदन किया है। वह महिला नसबन्दी को लेकर बहुत उपेक्षित रही है। मैंने बार-बार निवेदन किया है, मेरी मांग है कि पीड़ित महिला को आर्थिक सहायता प्रदान की जावे।

मैं अपनी बात समाप्त करने के साथ ही यह निवेदन करूंगा कि यह जो आदि-वासी क्षेत्र में पति-पत्नी नौकरी करते हैं, उन ए. एन. एम. को पता नहीं बाड़मेर लगाया गया है या न जाने कहां-कहां लगाया गया है। जो राज्य सरकार के नियमानुसार पति-पत्नी को एक ही स्थान पर रखा जावे और विशेषकर के उन आदि-वासी छात्राओं और महिलाओं को, जो न बोली जानती है न रहन-सहन जानती है, वे उपेक्षित लोग है, उनको अपने क्षेत्र में ही रहने की सुविधा दी जाय।

मैं अपनी बात समाप्त करने के साथ-साथ मान्यवर मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह उपेक्षित क्षेत्र है, वहां विशेष-कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्टाफ को पाबन्द किया जावे। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कन्हैयालाल मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री बालचन्द आर्यवीर।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय सभापति महोदय, सदन में आज मांग संख्या 21 और 26, जो सड़क और चिकित्सा विभाग की है, उन पर चर्चा चल रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मुझे गर्व है कि यह पी. डब्ल्यू. डी. और चिकित्सा मंत्री राजस्थान में पहली बार हुए हैं जिन्होंने चिकित्सा विभाग में, पूर्व कांग्रेस की सरकार में जो भयंकर भ्रष्टाचार था उसको मिटाया।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने झालावाड़ जिले की और वहां की सड़कों की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पूर्व में भी आप पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री रहे हैं। मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में मेरे कार्यकाल में बहुत ही विकास हुआ है। भवानीमंडी से डग सड़क बनी है, गंगडार से नागेश्वर सड़क बनी है, चौमेला से पूंगला सड़क बनी है, इसके

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और साथ ही मुझे कुछ सुझाव भी देने हैं। झालावाड़ में जो सड़के हैं, वर्तमान में कुछ खराब हो चुकी हैं, उनकी मरम्मत करना आवश्यक है। भवानीमंडी और झालावाड़ सड़क, डग से भवानीमंडी सड़क, झालावाड़ से खानपुर सड़क, इन सभी सड़कों पर बजट देकर के इनकी मरम्मत करायी जावे ताकि जनता को सुविधा मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि लोग एक-दो पंचायत को छोड़ करके अन्य सभी पंचायतें हैं, भवानीमंडी से कुंडीखेड़ा, चौमेला से रानायरा, डग से डोबला, डग से जगदीशपुरा, जमुना का खेड़ा से तिसाई, डग से पीपल्दा खुर्द, ये सभी सड़कें 4-5 कि.मी. की ही पड़ती है।

मैं, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र डग पिछले 40 साल तक उपेक्षित रहा है क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र हमेशा ही विपक्ष में रहा है और जब सरकार में आने का सौभाग्य मिला है तो मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में अधिक बजट देकर के और सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाय।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि भवानीमंडी से पछवाड़ा सड़कों का ठेका एक ठेकेदार को दिये हुए साल भर हो चुका है लेकिन अभी तक उसका काम पूर्ण नहीं हुआ और जगह-जगह मिट्टी के ढेर पड़े हुए हैं, वाहनों, राहगीरों और जनता को भारी परेशानी का मुकाबला करना पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि तुरन्त प्रभाव से उस भवानीमण्डी से पछवाड़ा सड़क का डामरीकरण किया जाय।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : माननीय सभापति महोदय, यह सदन की गरिमा के खिलाफ है कि बार-बार मंत्री जी जाकर वहां मिलते हैं अधिकारियों से। सदन की गरिमा पर इसका बहुत असर पड़ता है।

श्री सभापति : ऐसा है, माननीय मंत्री-गण सलाह के रूप में पहले भी जाते रहे हैं इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री प्रेमसिंह दहिया : विपक्ष में थे, 1984 में थे····

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : यह नये हैं, शायद समझते नहीं होंगे।

श्री सभापति : आपके बोलने की जरूरत नहीं है। इनको आसन की तरफ से व्यवस्था दे दी गयी है।

श्री प्रेमसिंह दहिया : 1984 के अंदर माननीय भैरोंसिंह शेखावतजी ने खुद ने इस तरह का प्रश्न उठाया था।

श्री सभापति : विराजें, माननीय सदस्य। कृपया बीच में नहीं बोलें। जब आसन से व्यवस्था दे दी गयी है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि गरिमा बनाये रखें। यह गरिमा का ही कारण है। कृपया इन शब्दों को...... (व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसा है आप इस सदन के पुराने माननीय सदस्य हैं। कई बार पुराने लोग भी इस तरह के मुद्दे उठा लेते हैं। तो मैंने उसको समझा दिया। इससे सदन की कोई गरिमा नहीं घटी है। जानकारी के लिये कई बार आफिसर गैलेरी में जाते हैं, उनसे इन्फार्मेशन और जानकारी ले सकते हैं। ऐसी परम्परा रही है कि वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय सभापति महोदय, भवानीमण्डी से डग की सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग है। माननीय मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसको डबल किया जाय जिससे वाहन आसानी से आ जा सके। वर्षा ऋतु के समय में वाहन के निकलने में बड़ी कठिनाई होती है, वाहन वहीं फंस जाते हैं। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि डग-भवानीमण्डी सड़क के लिए अधिक बजट देकर उसको डबल किया जाय ताकि जनता को राहत मिल सके। माननीय सभापति महोदय मैं, मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंता हूं कि मेरे डग में अभी आपने रेफरल अस्पताल खोल कर जो पहले कम्पाउण्डर की डिस्पेन्सरीज थी उसको आपने डाक्टर की डिस्पेन्सरीज में क्रमोन्नत किया। इसी प्रकार जमोधारे में भी आपने लैडी डाक्टर की पोस्ट सृजित की। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं।

इसी के साथ मैं कुछ अपने सुझाव मेरे क्षेत्र के लिए देना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र एक बहुत ग्रामीण आंचल का क्षेत्र है। इसलिए पछवाड़ा गांव में 5-7 हजार की बस्ती है। आपने नगरपालिका चुनाव के समय वहां पर घोषणा की थी कि पछवाड़ा में जो कम्पाउण्डर डिस्पेन्सरीज हैं, उसको डाक्टर डिस्पेन्सरीज में क्रमोन्नत किया जायेगा। तो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पछवाड़ा में और डाक्टर डिस्पेन्सरीज को क्रमोन्नत करने की अनुकम्पा करें।

इसी प्रकार हरनावाड़ एक पंचायत केन्द्र है उसके आसपास 15-20 गांव लगते हैं वहां पर भी कम्पाउण्डर डिस्पेंसरीज खोली जाय जिससे ग्रामीण जनता को राहत मिल सकें। कुण्डला गांव बहुत बड़ा गांव है, पंचायत केन्द्र है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहाँ भी कम्पाउण्डर डिस्पेन्सरीज खोली जाय जिससे वहां के आसपास के 15-20 गांवों, जो लगते हैं, को राहत और उनका उपचार हो सकें। माननीय सभापति महोदय, मैं डग के अस्पताल की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रेफरल अस्पताल होने के बाद अभी भी वहां पर डाक्टरों का अभाव है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

कि डग में तुरन्त प्रभाव से डाक्टरों के अभाव को दूर करें। माननीय सभापति महोदय, डग विधान सभा क्षेत्र पिछड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि पीपल्दा खुंट और अडियां में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाय क्योंकि यह बहुत ग्रामीण आंचल होने की वजह से लोग शहरों में आकर के उपचार बरसात में नहीं करा सकते हैं। वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होने से उनको राहत मिल सकेगी, इसलिए मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उमरिया या बितलायी खुर्द में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले। आपने मेरे डग विधान सभा क्षेत्र और झालावाड़ जिले की सभी समस्याओं पर, सड़कों और जो अस्पताल हैं उनमें दवाओं का अभाव था, उस ओर आपने ध्यान दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय प्रेमसिंह दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान मेरे क्षेत्र की समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। मंत्रीजी के पास सड़क विभाग और चिकित्सा विभाग दोनों ही हैं। पहले मैं सड़क विभाग के ऊपर उनका मेरे क्षेत्र में जो समस्या है, उस ओर ध्यान दिला रहा हूं। हमारे जालौर जिले में इस बार अत्यधिक बारिश के कारण बाढ़ आयी है और उससे करीब-करीब पूरे क्षेत्र की सड़कें टूट गई हैं। पी. डब्ल्यू. डी. ने समय पर सड़कों की वापस मरम्मत करने का एक प्लान बनाया और उसमें 16 करोड़ रुपये की उन्होंने मांग की परन्तु खेद के साथ मंत्रीजी को कहना पड़ रहा है कि वह इतना पैसा नहीं दे पाये। अभी तक तो 6–7 करोड़ रुपया ही उन्होंने काम के लिए जारी किया है। इससे हमारे क्षेत्र की जो काफी सड़कें टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत नहीं हो पायी है। बाढ़ से टूटी हुई सड़कों पर जो स्वीकृति दी जानी चाहिये उसमें जो पुरानी सड़कें हैं जूनानी से दड़ाल वाया कालेटी सड़क, सेवड़ी से कालेटी वाया रावा सडक है, घासेली से रोयटा वाया काटवास सड़क, भीनमाल से भादड़ला सड़क, पंचायत मुख्यालय जो सड़कों की मरम्मत नहीं होने के कारण से कट गये हैं और ऐसी पंचायतें बहुत हैं जहां पर मरम्मत नहीं हुई है और पंचायत मुख्यालय कट गये हैं। इनके अन्दर सबसे बड़ी समस्या तो हमारे भावड़ी नामक गांव में आ रही है जहां सेवड़ी से वाया भावड़ी पंचायत मुख्यालय सड़क जाती थी। वह नदी से बिल्कुल कट गयी। उसकी स्थिति आज यह है कि ट्रैक्टर के पीछे ट्राली लगा कर न कोई गांव में आ सकता है और न कोई ट्रैक्टर-ट्राली के साथ भीनमाल शहर में आ सकता है। इस तरह से किसान काफी परेशान हैं, खाद, बीज और दूसरे सामान ले जाने के लिए उनको परेशानी हो रही है। इसी तरह जो फसल वहां हो गई, उसको यहां लाने में काफी परेशानी हुई। इसी तरह भावणी पंचायत समिति मुख्यालय की तीन सड़कें टूटीं उनको नहीं जोड़ा गया जिससे वहां बसों का आना-जाना बंद हो गया। काफी लोगों को पैदल आना-

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

जाना पड़ता है जिससे लोगों को परेशानी होती है। इसी तरह हमारे बाली गांव की सड़क है, बाली पंचायत मुख्यालय है, वह भी अभी तक ठीक नहीं हुई है और न उसकी स्वीकृति जारी हुई है। अतः मेरा निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान दें।

जहां तक सड़कों का सवाल है हमारे जालौर जिले में कुल तीन-साढ़े-तीन हजार किलोमीटर की ग्रेवल रोड है। परन्तु बडे खेद के साथ कहना पड़ता है कि एन्युअल रिपेयर के लिए केवल ढाई सौ-तीन सौ किलोमीटर का ही तकमीना बनता है और बाकी की सड़कों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। न पैसा दिया गया है और न उनकी तरफ कोई ध्यान देता है। इसलिए हमारा जिला तो सड़क बहुत कम बनने से पूरा इस मामले के अन्दर पिछड़ा हुआ है और पिछड़ गया है। मैं मंत्रीजी से उम्मीद करता हूं कि इसको छोटी समस्या नहीं समझकर के अधिकारियों को निर्देश दें कि जो-जो सड़क अव्यवस्था के कारण टूट गयी है, उनकी मरम्मत तो होनी चाहिए। इस बार प्लान वर्ग में हमारे जालौर जिले के लिए सुनते हैं कि कोई प्रावधान नहीं कर रहे हैं। प्लान वर्क तो सभी क्षेत्रों के विकास का आधार है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि बागोड़ा से लेकर रंगोड़ा तक रेतीला स्थान है जहां से बाड़मेर को जाने के लिए बोर्डर पड़ती है उसकी तो डामर का प्रपोजल रखा जाना चाहिए, स्वीकृति दी जानी चाहिए।

जहां तक जिले के अन्दर पुलों का सवाल है हमारे जालौर जिले के अन्दर चार नदी बहती हैं—लूणी नदी, जवाई नदी, सूकड़ी नदी और बांडी नदी तथा एक छोटी नदी और है साबी नदी। इस तरह से हमारे यहाँ पर पाँच नदियां हैं। इन्हीं नदियों से सड़कों को नुकसान होता है। इन नदियों पर जहां पर सड़क बनायी गयी है वहां पर रास्ता बिल्कुल रोका गया है। अतः सरकार के पास धन की कमी हो, पूरा धन उपलब्ध नहीं करा सकें तो इसके ऊपर रपट तो बनायी जानी चाहिए। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि बाखेड़ी रोड के ऊपर रपट बनायी जाय। उसके लिए मुख्य अभियंता महोदय भी जिले के अन्दर दौरा करके गये हैं। वह देखकर आये थे। भीनमाल से बागोड़ा वाया तूमडिया के बीच में नदी है, उसको भी रपट से बाँधा जाना चाहिए क्योंकि बागोडा पंचायत मुख्यालय होने के साथ-साथ तहसील हैड-क्वार्टर और भीनमाल से कटा हुआ है। प्रशासनिक दृष्टि से इस सड़क का काफी महत्व है। इसी तरह पाथेड़ी बोसाड़ा के बीच नदी आयी है—जवाई नदी, उस पर भी रपट बनानी चाहिए। भीनमाल पंचायत समिति की 12 पंचायतें जो सरसब्ज भी हैं, काफी अनाज पैदा करती हैं, फसल अच्छी पैदा करती हैं और भीनमाल कृषि मंडी में लाकर बेचने में काफी नुकसान होता है। अतः इसकी भी पुलिया बनायी जाय। वैसे तो आपका विभाग पी. डब्ल्यू. डी. प्लंडर विदाउट डेंजर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अन्दर हमारे यहां पर एक मिनी पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर भी जालौर के अन्दर हैं, जो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहां पर एक कर्मचारी ऐसा है जो कि एक्स. ई.एन. का ट्रान्सफर करा

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

सकता है। उसने अपने यहाँ पर 10 साल की सर्विस में 8–10 एक्स. ई एन. के ट्रान्सफर कराये हैं। एस. ई. का ट्रान्सफर भी करा सकता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नाम बताओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पुरानी बात है। 10 साल पहले की।

श्री प्रेमसिंह दहिया : एस. ई. का ट्रान्सफर भी कराया है, एडीशनल चीफ का भी कराया है। सब उससे भयभीत रहते हैं। उसकी कान्फीडेंशियल रिपोर्ट आपके पास आयी थी, आपने उसका स्थानान्तरण किया था। वह कर्मचारी आपकी कमजोर नस, जो आप कहते हैं कि मेरी एक कमजोर नस है, तो उस कमजोर नस को अधिकारी और कर्मचारी पहचान गये हैं। वह कर्मचारी वापस मेरे भीनमाल में लगा। वह भीनमाल में यू.डी.सी. है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नाम बता दो।

श्री प्रेमसिंह दहिया : नाम भी बता दूंगा। उसके कारनामे तो सुन लो। वह जितने भी टेण्डर हैं, ठेकेदारों के पुल के टेण्डर वही बनाता है, वह चाहता है उसी दिन टेण्डर होते हैं, वह नहीं चाहता तो उस दिन नहीं होते है, जितने ठेकों का बंटवारा है वही करता है, जिस दिन वह मना करता है कोई भी ठेकेदार टेण्डर लेने नहीं आता और वह टेण्डर की तारीख आगे निकल जाती है। उसके खिलाफ काफी शिकायतें आयी हैं उसकी काफी शिकायतें आपके यहां भी हुई हैं परन्तु हमारे क्षेत्र का, जिले का विधायक और मंत्री है और + + + और आपके नजदीक रहते हैं उनके मार्फत वह आये और आपने ट्रांसफर कैंसिल कराया। अब वह भीनमाल में लगा दिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नाम बताओ।

श्री प्रेमसिंह दहिया : नाम बताने की जरूरत नहीं हैं। वहाँ एक ही यू. डी. सी. है, आनन्दी लाल शर्मा उसका नाम है। मंत्रीजी, यहां कुच्छल साहब को सस्पेण्ड किया, उनको बहाल कराने के लिए आया था, 50 लाख रुपये लेकर आया था। आपने भी कई जगह चर्चा की है कि कुच्छल साहब वापस बहाल होने के लिए 25 लाख मुझे दे रहे थे और मैंने नहीं लिये। बहुत खुशी की बात है कि आपने नहीं लिये। परन्तु आशा नहीं कि वह 50 लाख हो जायं, एक करोड़ हो जायं कि कहीं सरकार डगमगा जाय। मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी का ध्यान रखें।

मेरा आपसे निवेदन है कि दानदाताओं द्वारा जो भवन बनाये जाते हैं उनको जो स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया है उसकी ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। भवन बनाने के बाद 6–7 साल तक उन

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

भवनों को न तो पी. डब्ल्यू. डी. हैंड ओवर करती है, न मरम्मत करती है। उसका एक जीता-जागता उदाहरण हमारे भीनमाल का रेफरल हास्पिटल है जो 25 लाख की लागत से दानदाताओं ने बनाया। काफी समय से भटकता रहा और अब जाकर उसको स्थानान्तरित किया है पर मरम्मत नहीं हुई है। वापस गिरने की स्थिति में है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कब से घूम रहे थे? हमने आते ही ले लिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आते ही ले लिया पर आपने मरम्मत नहीं करायी। आपके समय में सब डाक्टर और मरीज दबकर मर जायेंगे। आप इस ओर ध्यान दें।

श्री चम्पालाल बांठिया : आप इसके लिए तो धन्यवाद दे दो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बोले थे तो आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया था।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अच्छा, आपको पी. डब्ल्यू. डी. से तकलीफ होती है तो चिकित्सा पर आ जाता हूं।

भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में फ्लोराइड बहुत मात्रा में है। कई गाँवों के अन्दर फ्लोराइड का पानी है। उसको पीने से हड्डी का रोग होता है। यहां तक कि छोटे बच्चों के दाँत गिर जाते हैं। बड़ों के दाँत भी खराब हो जाते हैं। हमारे भीनमाल में हास्पिटल होते हुए भी, 50 बैड का हास्पिटल है, सब सुविधाएं हैं परन्तु एक भी डेंटिस्ट नहीं है। आप कनिष्ठ विशेषज्ञ डेंटिस्ट नहीं भेजेंगे तो डाक्टर भेज दीजिए। इसी प्रकार एक्सरे मशीन है वह दानदाताओं ने दी है और आपने नहीं दी परन्तु आपने वहां पर एक्सरे का जो कर्मचारी था उसको हटा दिया है। 6 महीने से मशीन खराब पड़ी है....(व्यवधान)....माननीय व्यवधान मंत्रीजी, जरा चुप रहें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : मेरा निवेदन है कि आप उसको वापस लगा दें। दानदाता ने 20 रुपये में एक स्लाइड देने की व्यवस्था की है। स्लाइड की जितनी भी कीमत हो वह 20 रुपये में देगा। इतनी सुविधा दानदाता देता है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दें। उसके दिल को तोड़ें नहीं। उसी हास्पिटल के अन्दर कनिष्ठ विशेषज्ञ एनस्थेशिया की कमी है। कनिष्ठ विशेषज्ञ नहीं होने से एक मरीज, जो एक अध्यापक था, हास्पिटल के अन्दर एडमिट हुआ, उसकी ज्यादा एनस्थेशिया देने से डेथ हो गयी। इसी तरह की दुर्घटनाए होती हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कनिष्ठ विशेषज्ञ लगा दें। इसी तरह से पैथोलोजिस्ट की जरूरत है। कनिष्ठ विशेषज्ञ पैथोलोजिस्ट लगा दें। आर्थोपेडिक्स अगर नहीं लगाया गया है तो वह भी लगा दें।

मंत्रीजी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। ट्रान्सफर की क्या नीति है, नियम हैं, जहाँ तक चिकित्सा विभाग का सवाल है, आपने जयपुर में एक ट्रान्सफर किया था।

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

एक अधिकारी जो यहां से चला गया था विदेश में लीव के ऊपर, आपने उसकी जगह श्याम सुन्दर चतुर्वेदी, जो रेडियोलोजी में था, को प्रोफेसर बना दिया था। अगर सीनियर से बना दिया, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है परन्तु प्रमोशन होने के बाद अधिकारी का स्थानान्तरण वहां से दूसरी जगह होता है। यह आम नियम है। आपने किन परिस्थितियों में उसको वापस जयपुर में लगा दिया? अच्छा जयपुर में लगा दिया, आपने क्या किया। जयपुर में आपने लगाया, आपका अगर कोई वह रिश्तेदार है या मिलने वाला है, आपने उसको आब्लाइज किया होगा। एक डाक्टर विनोद कुमार जो प्रोफेसर थे, उनका स्थानान्तरण जयपुर से जोधपुर कर दिया। आप उस ओर तो ध्यान देते कि वह हैण्डीकेप्ड डाक्टर है, उसको मैं कैसे बाहर भेज देता। अब श्याम सुन्दरजी चतुर्वेदी के कारनामे आप सुनना चाहें, तो सुन लीजिए। अलग से कह दें। अपन को भी पता लग जायेगा। जयपुर में अपने को कभी भी अस्पतालों के अन्दर जाना पड़ सकता है और किसी को साथ में लेकर कान्स्टीट्यूएंसी वालों को....

(8.00 रात्रि)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जाओ। हमें क्या जाना है?

श्री प्रेमसिंह दहिया : पहले रेडियोलोजी में केट स्केन यंत्र लगा हुआ होता था आज भी लगा हुआ है। उस यंत्र के ऊपर जो मरीज आते हैं, इमरजेन्सी केस होता था तो वह उसी दिन कर देते थे और अगर इमरजेन्सी केस नहीं होता था तो 7–8 दिन में उसका निपटारा करते थे।

श्री किशनाराम नाई : कहानी कह रहे हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : कहानी कह रहा हूं, मैं मेरे समय में, आप अपने समय के अन्दर कह देना।

श्री किशनाराम नाई : टाइम भी खूब ले लिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री प्रेमसिंह दहिया : इस केटस्केन यत्र के अन्दर अगर हास्पिटल में काम होता है तो वह सिर्फ साढ़े चार सौ रुपये में होता है और वह काम अन्दर नहीं करते। मरीज को एक-एक महीने तक बाहर भटकाते हैं। अगर वह बाहर जाता है तो उसको 18 सौ रुपये देने पड़ते हैं। उस एवज में एक मरीज के तीन सौ रुपये डाक्टर को दिये जाते हैं। अब आपके रहते हुए नीचे इस तरह की बात हो। इसी तरह से मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने....

श्री सभापति : मैं माननीय सचेतक महोदय को कहूंगा कि वह अपने पक्ष के लोगों को जो बार-बार रनिंग कमेण्ट्री करते हैं, उनको कृपया रोकें।

श्री प्रेमसिंह दहिया : केट स्केन मशीन की मरम्मत के लिए आपने एक व्यवस्था की है।

श्री किशनाराम नाई : टाइम का मामला है, हम इसलिए कह रहे हैं।

श्री सभापति : आप कृपया बिराजें।

श्री किशनाराम नाई : इस तरीके से तो कोई कह नहीं रहे हैं।

श्री सभापति : आप कृपया बिराजें। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अफसोसजनक स्थिति है।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आप बार-बार व्यवधान कर रहे हैं ?

श्री किशनाराम नाई : यह 20 मिनट से बोल रहे हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : हमारी पार्टी का जो समय है, वह कम होगा।

श्री किशनाराम नाई : 20 मिनट से बोल रहे हैं।

श्री सभापति : यह कितने मिनट बोलते हैं, यह आपका काम नहीं है। कृपया आप बिराजें।

श्री किशनाराम नाई : जो कहानी कहता है ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया बिराजें।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आपको भ्रष्टाचार के मामले कहानी लगते हैं क्या ?

श्री किशनाराम नाई : + + +

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

श्री किशनाराम नाई : 25 मिनट हो गये। हम भी तो कुछ बोलना चाहेंगे।

श्री सभापति : मैं नाम से पुकारूंगा।

श्री प्रेमसिंह दहिया : मेरी पार्टी के समय में से कम होंगे, अगर 20 मिनट हो गये तो। अभी तो ...

श्री सभापति : आप कृपया नहीं बोलें।

श्री प्रेमसिंह दहिया : यह केट स्केन की जो मशीन है, उसकी मरम्मत के लिए आपने ठेका दिया। ठेका किसको दिया ? ब्ल्यू स्टार कम्पनी को। ब्ल्यू स्टार वाले आपके विभाग की दलाली करते हैं और कहां-कहां तक आते हैं और बैठे रहते हैं, यह आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वह ठेका नहीं दिया जाता है तो आप उस पैसे में अपना एक इंजीनियर रख सकते हो, मशीन ठीक करने के लिए। आपके बारे में बातें तो काफी सारी हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं, पर इतने ही, आपको और चाहिये तो मैं और दे दूंगा। सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मदनलाल सैनी।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : सभापति महोदय, जो 21 और 26 की डिमाण्ड है, उसके सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान के समग्र विकास, चिकित्सा, सड़क निर्माण, पुल निर्माण के बारे में हो, उसमें

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदनलाल सैनी)

काफी साम्यता रखी गई है। यह बात अलग है कि कहीं-कहीं अधिकारियों ने उस चार्ट को शायद गांवों का ध्यान और स्थानों का ध्यान नहीं रहा है, इस कारण से कहीं-कहीं ऐसा मुझे भी लगता है कि वहां सुधार की आवश्यकता है। जब मैं इस ओर देखता हूं, झुन्झुनू जिले का काम और उदयपुरवाटी क्षेत्र को देखता हूं, तो सड़कों के बारे में जो दुर्दशा और उपेक्षा उस क्षेत्र की हुई है, माननीय मंत्रीजी आपका ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक पहाड़ी बैल्ट है इसका काफी बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी भी है। यह ऐसा क्षेत्र है, जो राजस्थान में सबसे अधिक सैनिक सेना में भेजता है और राजस्थान में सबसे अधिक धनाढ्य लोग इस क्षेत्र के हैं। मान्यवर, जो हम प्रवासी राजस्थानियों को आकर्षित करने की बात करते हैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि जब एक राजस्थानी प्रवासी अपने क्षेत्र से, इस एरिया में आता है एक सैनिक जब गठरी उठाकर रेलवे स्टेशन से चलता है, उस समय उसको रिक्शा और तांगा नहीं मिलता और अगर रिक्शा और तांगा मिलता है तो कच्चे रास्ते में नहीं जा सकता। इस प्रकार का मुकाबला उस क्षेत्र में करना पड़ता है। उस क्षेत्र में सड़कों के बारे में इस बजट में अभी प्रावधान होना है, माननीय मत्रीजी आपसे मेरा आग्रह है कि मैंने एक सूची प्रस्तुत की है, उस सूची पर विचार करके जो मेरे क्षेत्र में उपयोगी सड़कें हैं, पंचायत क्षेत्र जिला हैडक्वार्टर से जुड़ने चाहिये या मुख्य सड़क से जुड़ने चाहिये, उस बात पर आप विचार करेंगे। ऐसे काफी बड़े पंचायत क्षेत्र हैं जिनको सड़कों से जोड़ने की काफी आवश्यकता है। मजाऊ का सवाल हो, छऊ हो, टौंक, छीलरी, घुटानेवरी, टोड़ा, झुड़िया का सवाल हो, माटीवाड़ का सवाल हो, यह ऐसी पंचायतें हैं जो बड़ी पंचायतें हैं, लेकिन यह किसी मुख्य मार्ग से जुड़ी हुई नहीं हैं। इसी प्रकार से आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां पर एक बागोली और सूरपुरा सराय जाने वाली एक बड़ी सड़क है, पिछली बार मैंने उसकी शिकायत भी की थी। वहाँ सड़क के नाम पर एक प्रकार की पपड़ी जमा दी गई थी, डामर के नाम पर एक पपड़ी जमा दी गई थी, उसकी जाँच तो नहीं हुई लेकिन वह टूट गई, फिर बनी और फिर टूट गई। शायद दो बार वह सड़क टूट गई। मैंने वहां के स्थानीय अधिकारियों को लिखकर भी दिया। कार्यवाही क्या हुई, क्या नहीं हुई, लेकिन टूटी हुई सड़क मैं देखकर आया हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि नदी के क्षेत्र में होकर वह सड़क निकलती है, यदि दुबारा भी बनायी गई तो टेक्निकली शायद वह फिर टूट जाये। इसलिए उस सड़क पर रपटा बनना चाहिये ताकि वह स्थायी रूप से वहाँ चल सके।

मेरा यह भी निवेदन है कि यह इस प्रकार का क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, प्राकृतिक सौन्दर्य है, कई तीर्थ स्थान हैं, पर्यटन स्थान हैं। शाकम्भरी और लोहारगल जैसा स्थान है, जिसके कारण से यहां काफी पर्यटक आते हैं। उन पर्यटकों के विश्राम के लिए वहां किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यह तहसील हैडक्वार्टर है, वहाँ पर एक गैस्ट हाउस का होना आवश्यक है ताकि रात को ठहरने वाले यात्री दूरदराज जंगलों

(श्री मदनलाल सैनी)

में नहीं ठहर कर शहर के नजदीक ठहर सकें, उनके पानी और भोजन की भी व्यवस्था हो सके। इस प्रकार से वहाँ पर एक डाक बंगला और गैस्ट हाउस की बड़ी जरूरत है। वहां की सड़कें पी. डब्ल्यू. डी. के इंजीनियरों को ढूंढ़ती रहती हैं कि इंजीनियर वहां पर आयें और सड़कों को ठीक करें। उनके साइड में एक प्रकार के कटाव के कारण से दूसरी गाड़ियों के सामने से आने पर बचना बड़ा मुश्किल होता है। मेरा निवेदन है कि दोनों तरफ 3–3 फीट सड़कों की मरम्मत होनी चाहिये, उन पर डामर पड़नी चाहिये और जहां आज गिट्टी पड़ी हुई हैं, उन पर डामर पड़नी चाहिये। जहां गिट्टी नहीं है, उस कटाव को रोकने के लिए, दोनों तरफ, वहां सड़क का निर्माण होना चाहिये।

मेरी यह भी मांग है कि सीकर से नीमकाथाना-कोटपूतली होते हुए दिल्ली के लिए एक नेशनल हाइवे का निर्माण होना चाहिये। मान्यवर, यह इस प्रकार का क्षेत्र है जो दिल्ली के नजदीक है और यह नेशनल हाइवे घोषित होने से और यह सड़क के ठीक होने से काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। यह तहसील पहले से ही डार्क-जोन की पीड़ा से पीड़ित क्षेत्र है। यह क्षेत्र खेती के मामले में कभी बड़ा सम्पन्न क्षेत्र हुआ करता था, पानी का स्तर नीचे चले जाने से खेती कम होने लगी हैं। व्यापारी लोग भी यहां से छोड़कर जाने लगे हैं। यदि सड़क बड़ी हुई, यदि आवागमन बढ़ा, दिल्ली से सीधा रूट जुड़ा तो उसके कारण से यहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोग धन्धे के मामले में भी यहां ठहरेंगे अन्यथा लोगों के लिये पलायन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा।

मान्यवर, आपके सामने मैं मेडिकल के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी का कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक बात खड़ी हुई, सब लोगों ने चिन्ता प्रकट की कि डाक्टर गांवों में नहीं जाते। वास्तव में डाक्टर गांवों में नहीं जाते। जाते हैं तो हाजरी करके आ जाते हैं, 10-5 दिन की हाजरी लगा देते हैं। यह आम बात है। इस बात पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है कि इस प्रवृत्ति को कैसे रोका जा सकता है। आपकी कठोर ट्रांसफर नीति इस मामले को रोकने में कुछ सफल हो रही है, लेकिन यह पूर्ण रूप से सफल हो इस ओर कई आधार ढूंढे जा सकते हैं। मेरे विचार में यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले डाक्टरों को हाउस एलाउन्स दें, जैसे सिटी अलाउंस शहर में डाक्टरों को देते हैं, लेकिन गांवों में जाने वाले डाक्टरों को इस प्रकार का अलाउंस नहीं मिलता, उनको डैजर्ट अलाउंस दिया जा सकता है, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले डाक्टरों को हिल अलाउंस दिया जा सकता है, जिसके कारण डाक्टर की वहां रहने में रुचि हो। इस प्रकार की व्यवस्था यदि हमने डाक्टर्स के लिए की तो और भी अतिरिक्त अलाउंस उनको दिये जा सकते हैं ताकि वे गांवों में जायें। एक अन्याय तो, माननीय मंत्रीजी, हम कर ही रहे हैं। हम शहर के लोगों का एक मानस बन गया है कि सीनियर डाक्टर शहर में चाहिये और जूनियर डाक्टर है, नया डाक्टर है वह एक ढाणी में रहेगा। क्या ढाणी में डाक्टर और बीमारी में अन्तर

(श्री मदनलाल सैनी)

होता है। मान्यवर, आदमी उतना ही कीमती ढाणी का भी है जिसके लिए आप जूनियर डाक्टर भेज रहे हैं। शहर के आदमी में भी एक ही बात है। आदमी की जान के साथ, बीमारी के साथ यह पक्षपात करना ठीक नहीं है। यदि हमारी मजबूरी है, हम अधिकांश शहरी लोग सुविधाभोगी हैं, हम लोग भी उसमें हैं, तो इस प्रकार की मनोवृत्ति को छोड़ते हुए गांवों में थोड़े अनुभव वाले डाक्टर भेजे जाने चाहिए। जो नये डाक्टर आते हैं उनको शहरों में लगायें ताकि पुराने डाक्टरों के साथ रहकर वह कुछ सीखने लग जायें, दो-तीन साल तक उनका अनुभव भी हो जाय। उसके बाद आप भेजिये एक नये आदमी को गांवों में, जिसका अनुभव अभी होना है। इस प्रकार के डाक्टर गांवों में भेजकर, मैं समझता हूं, न्याय नहीं कर रहे हैं। रिक्त स्थानों को भरने की बात है, मेरे क्षेत्र में एक ऐसा स्थान है पचलंगी, जहाँ डाक्टर की जगह खाली है। अभी आप जो नयी व्यवस्था कर रहे हैं उसमें भरेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। मान्यवर, उदयपुरवाटी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हास्पिटल था। नयी व्यवस्था के अनुसार रैफरल हास्पिटल जब खोले गये राजस्थान में, उस समय उदयपुरवाटी में भी रैफरल हास्पिटल खोला गया। वह शहर से तीन किलोमीटर दूर होने और आवागमन के साधन नहीं होने के कारण मरीजों को वहां जाने में कठिनाई होती है। विशेष प्रकार के मरीज, जिनको वहां पर सेवा की आवश्यकता है, वहां जा सकते हैं। लेकिन छोटी-मोटी पट्टी के लिए, सर्दी, जुखाम, बुखार के लिए, टेबलेट्स लेने के लिए उनको दूर नहीं जाना पड़े इसके लिए पुरानी बिल्डिंग जो बेकार पड़ी है, आइडल पड़ी है, आपकी बिल्डिंग है वहां पर दो डाक्टरों की घोषणा आप अपनी स्पीच में करें। मान्यवर, चिकित्सा राज्य मंत्री जब गये थे वहां पर, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि मैं ऐसा प्रयास करूंगा। मैं समझता हूं कि आप तक वह चर्चा पहुंची होगी। नहीं पहुंची हो तो मेरी मांग है कि वहां पर एक छोटी डिस्पेंसरी घोषित की जानी चाहिए। वहां पर गुराढेर में भी, जहां 15–20 ढाणियां रहती हैं, आस-पास नजदीक कोई स्थान नहीं है जहां चिकित्सा के लिए लोग जा सकें। इसके साथ ही एक दुर्भाग्य इस क्षेत्र में टोकछीकरी पंचायत का भी है। यह तहसील की दृष्टि से नवलगढ़ में आती है और विधान सभा की दृष्टि से मेरे क्षेत्र में आती है। वहां न पानी की व्यवस्था होती है, न चिकित्सा की व्यवस्था होती है, न शिक्षा की व्यवस्था होती है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि भवन बना हुआ है, एक कम्पाउण्डर या कोई छोटी से छोटी व्यवस्था की वहां करेंगे तो वहां के लोगों को लगेगा कि सरकार बदली है, उनका जीवन भी जरा बदलेगा।

सभापति महोदय, मैं विशेष बात कहना चाहूंगा एन. पी. डब्ल्यू. के बारे में। सारे प्रान्त में एन. पी. डब्ल्यू. जो ट्रेनिंग किये हुए हैं, डाइरेक्टर ने आदेश निकाला है कि उनको उन जिलों में नौकरी पर लगा दिया जाय। लेकिन मैं दुर्भाग्य समझ रहा हूं इस जिले का कि झुन्झुनू जिले में जितने लोगों के नाम दिये गये कि इन लोगों को झुन्झुनू जिले में एन. पी. डब्ल्यू. के काम पर लगाया

(श्री मदनलाल सैनी)

जाना चाहिए, एक भी आदमी को नहीं लगाया गया नौकरी पर। मैंने आपको भी निवेदन किया है, डाईरेक्टर को भी लिखा है, सी. एम. एच. ओ. को भी लिखा है, लेकिन सी. एम. एच. ओ. किसी रूल को कोट कर रहे हैं कि मैं नहीं लगा सकता। हिन्दुस्तान में शायद कोई सी. एम. एच. ओ. समझदार नहीं है, यदि समझदार सी. एम. एच. ओ. है तो झुन्झुनू वाला है। राजस्थान में सारे सी. एम. एच. ओ. ने लोगों को नौकरी पर लगा दिया लेकिन यह सी. एम. एच. ओ. नहीं लगा रहा। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि वहां पर जो लोग बेकार फिर रहे हैं, इधर-उधर अर्जी दे रहे हैं, डाइरेक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, उन लोगों को राहत मिलेगी यदि उन लोगों को काम मिल गया। आज एक बड़ा टैण्ट बाहर लगा है। अभी पहले चर्चा हो रही थी, प्रान्तीय बेरोजगार स्वास्थ्य निरीक्षक यूनियन का एक आन्दोलन चल रहा है, कई दिनों से आन्दोलन चल रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उनकी हड़ताल का दूसरा दिन है; वे हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल पर बैठे हुए व्यक्ति का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ है। इस प्रकार के ढाई हजार लोग हैं, जिनको ट्रेनिंग दी है। उनको काम होना चाहिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हमने नहीं दी, अपने आप ही ले रहे हैं।

श्री मदनलाल सैनी : मांग तो करेंगे।

अपने यहां स्वास्थ्य विभाग में 772 पद रिक्त हैं इस प्रकार के। पद तो कम भी हो सकते हैं लेकिन जब हम उन्हीं लोगों को कभी लेने वाले हैं तो उस पर विचार करना चाहिए, यह भी मेरा कहना है। मेरा एक निवेदन और है कि गांवों में डाक्टर जाते नहीं, शिकायत है। लेकिन शहरों में भी सफाई की व्यवस्था नहीं है, दूसरी व्यवस्था नहीं है। मेरा एक सुझाव है कि एक फ्लाइंग स्क्वाड बनना चाहिए। वह फ्लाइंग स्क्वाड चैकिंग करे, उनका तय रहे कि पूरे महीने कितनी चैकिंग के दौरान बिस्तरों की व्यवस्था क्या थी, हास्पिटल की सफाई व्यवस्था क्या थी, उस समय जब वे गये डाक्टर ड्यूटी पर मिला कि नहीं मिला। इस प्रकार की सारी बातें देखकर कोई अनियमितता हो तो उस अनियमितता के लिये दण्ड दिया जाना चाहिये, टाइमबाउण्ड प्रोग्राम बनाकर उनको दण्ड दिया जाना चाहिये। इससे व्यवस्था सुधार की ओर बढ़ेगी, यह मेरा मानना है।

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि कुछ इस प्रकार के क्षेत्र हैं जहां मजदूरों के साथ हमको थोड़ा-सा संवेदनशील होगा पड़ेगा। सूरसागर का क्षेत्र जहां दस हजार खान मजदूर, पत्थर मजदूर काम करते हैं, हास्पिटल का समय वहां वह है जो जनरल समय राजस्थान में तय किया हुआ है, लेकिन वहां मजदूर जब ड्यूटी आफ करके आता है उस समय उसको सर्दी, जुखाम, बुखार की बात सामने आती है; या ड्यूटी पर जाता है उस समय आती है। मेरा नम्र निवेदन है कि वहां पर हास्पिटल में या तो जनरल समय के अतिरिक्त डाक्टरों की

(श्री मदनलाल सैनी)

व्यवस्था करें या समय का एडजैस्टमैण्ट करें कि मजदूर जब ड्यूटी से आता हो उस समय उसको डाक्टर मिल जाय और वह अपनी बीमारी दिखाकर उसका लाभ ले लें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। आप बहुत अच्छा बोले, कृपया समाप्त करें।

श्री मदनलाल सैनी : मुझे आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता तो नहीं है। मान्यवर सभापति महोदय....

श्री सभापति : बोलें या समाप्त करें।

श्री मदनलाल सैनी : इतनी उतावली क्या है ?

मैं माननीय मंत्री महोदय से आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि पिछले 10 वर्ष में कई बार जिस सड़क के प्रपोजल हुए, कई बार बिगड़े, उस पर कई बार मिट्टी डली, कई बार उड़ी, इस प्रकार की एक सड़क है जो सीकर से निकलती है और चैनपुरा, चारण का वास की तरफ जाती है। हमारे पंचायती राज मंत्री श्रीमान हरलाल सिंह खर्रा ने भी इस सड़क को देखा है। उनकी भी रिकमण्डेशन है, पी. डब्लू. डी. के एक्स. ई एन. की भी रिकमण्डेशन है। वह कहीं बीच में अटकी हुई है। क्यों अटकी है, यह तो मेरी जानकारी में नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वह जो सीकर से निकलने वाली सड़क है उस सड़क को एक बार दिखवाकर उसको प्रारम्भ करवायें। चार पंचायतों को वह सड़क जोड़ती है, 30 हजार मतदाता इस सड़क से प्रभावित हैं। सीकर नगर का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादन का क्षेत्र है, आने-जाने वालों लोगों को सब्जी लाने ले जाने में बड़ी कठिनाई होती है। यह सड़क बनने से काफी बड़ा लाभ होगा। धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति : (श्री रिखबचन्द मीणा। (अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल चौहान।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 21–सड़कें एवं पुल और मांग संख्या 26–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर सदन में चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान में पहली बार पुरानी सड़कों को हाथ में लेकर मरम्मत का काम कराया। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर-अजमेर जो राष्ट्रीय मार्ग है उस पर हर महीने हर रोज दुर्घटनायें होती हैं। इस राष्ट्रीय मार्ग को एक तरफा (वन-वे) कर दिया जाय तो जनता के लिये और वाहनों के आवागमन आदि के लिये उपयुक्त रहेगा। यह बहुत ही एक अहम मसला है। इस राष्ट्रीय मार्ग पर माननीय मंत्रीजी अवश्य विचार करे।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में स्टेट हाइवेज काफी जगहों पर हैं जोधपुर जिले में स्टेट हाइवे सिंगल-वे है. उदयपुर और अजमेर डिविजन में जो स्टेट हाइवेज

(श्री मोहनलाल चौहान)

हैं वह डबल रोड है। इस प्रकार का भेद-भाव कई वर्षों से चला आ रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर जिले में काफी स्टेट हाइवेज हैं जो सिंगल रोड हैं, और जोधपुर जिले में भी स्टेटे हाइवेज हैं वह भी सिंगल रोड हैं उन स्टेट हाइवेज को डबल रोड बनाये जाने का काम हाथ में लिया जाना चाहिये, यह बढ़ती हुई वाहनों की संख्या एवं आबादी को देखते हुए बहुत ही उपयुक्त रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान जो सड़कें बनाये जाने का तौर-तरीका है उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कौनसी सड़कें जन-उपयोगी हैं और कौनसी नहीं है। पिछले 40 साल के शासन में कई सड़कें ऐसी बन गयी हैं जहां पर ऊंट और बैलगाड़ी चलती थी, वहां पर डामर रोड बन गई हैं और कई जगह आज भी ऐसी हैं जहां पर बसें चलती हैं उनका डामरीकरण नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अपने विभाग को राजस्थान में सबसे पहले तो सड़कों का मास्टर प्लान बनाये जाने के लिये आदेश दे देवें, और मास्टर प्लान बनाया जाकर ही जन-उपयोगी सड़कें पहले हाथ में ली जाय।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत के अन्दर वर्ष 1986–87, 1987–88 में काफी सड़कें बनाई गई थी और उन सड़कों पर काफी पैसा भी खर्च हो गया था। नागौर जिले में अकाल राहत के अन्दर कई मैटल रोड्स बनाई गई थीं, काफी खर्चा भी हुआ है, दो-दो लहर की कुटाई भी हो चुकी है वह डामरीकरण की वजह से बेकार पड़ी हैं। उन सड़कों पर सरकार का जो खर्चा हुआ है, वह डामरीकरण नहीं कराये जाने के कारण बेकार हो जायेगा। यदि उनका डामरीकरण हो जायेगा तो वह काफी उपयोगी रहेगी।

मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर में मोगा की ढाणी से पुनियास घाटा तक 30 किलोमीटर तक की सड़क है, वह मैटल रोड बनी हुई है और जोधपुर से बरना होते हुये जयपुर-किशनगढ़ के लिये मार्ग बनने वाली सड़क है। उसका डामरीकरण कर दिया जाय तो जोधपुर, मेड़ता और जयपुर के लिये एक अच्छा मार्ग बन सकता है क्योंकि गाड़ियों में आने-जाने के लिये काफी दिक्कत होती है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर में एक बहुत ही जन-उपयोगी सड़क है उसके सम्बन्ध में काफी वर्षों से विधान सभा में यह मसला रखता आया हूं कि किनसरिया से बिजार, जो औद्योगिक क्षेत्र है, यह 9 किलोमीटर सड़क है। हजारों मजदूर, व्यापारी गांवों के दूर-दराज के उस रोड से जाते हैं पर वह 9 किलोमीटर की सड़क आज तक पूरी नहीं हो रही है। इसके क्या कारण हैं? या तो विभाग के वह ध्यान में नहीं है या विभाग द्वारा आपके ध्यान में यह नहीं लाई गई है। मैं माननीय मंत्रीजी से बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री मोहनलाल चौहान)

यह औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें हैं इसको पूरा कराया जाये। जो भी मैटल रोड बनी हुई है उनको पहले हाथ में लिया जाय या तो एस. आर. वर्क में कराई जाय या दूसरी योजना के अन्तर्गत उन सड़कों को पूरा कराया जाय।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर में दो पुलियां बनाई गई थीं, वह दोनों पुलियां अधूरी पड़ी हुई हैं। लाखों रुपया इन पर सरकार का खर्च हो चुका है। एक तो राबियास गांव की पुलिया अधूरी पड़ी हुई है। वहां पर विभाग के पाइप भी पड़े हुए हैं, उन पाइपों को दूसरे लोग उठा कर ले जायेंगे। गुजरात के पास में एक पुलिया बनाई हुई है, लाखों रुपये उसमें लगे हुए हैं। इन दोनों पुलियाओं का काम हाथ में लिया जाय ताकि सरकार का जो पैसा लगा हुआ है उसका पूरा उपयोग हो सके।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो आपके सब-सेंटर्स हैं, गांव के लिए सब-सेंटर्स में यदि नर्स मिल जाती है तो प्राथमिक उपचार के लिये, इंजेक्शन लगाने के लिये, बुखार आदि में गोली देने के लिये, राय देने के लिये मरीज को सुविधा रहती है। वह सब-सेंटर्स आज खाली पड़े हैं, वह भरे नहीं गये हैं। तो मेरा निवेदन है कि सबसे पहले सब-सेंटर्स में स्टाफ लगाये जाने का प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में केरल और मद्रास की लड़कियों को लाकर ट्रेनिंग देते हैं। राजस्थान में भी लड़कियां पढ़ी-लिखी है, इन पढ़ी-लिखी लड़कियों को आप ट्रेनिंग दें तो ए. एन. एम. की तो हमारे यहां की लड़कियों को भी नौकरी मिल जायेगी और सब-सेंटर्स जो खाली पड़े हुए हैं वह भी भर जायेंगे। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे डाक्टर्स तो ग्रामीण इलाकों में जाना ही नहीं चाहते हैं। सब-सेंटर्स में जरूर नर्सेज हमें मिल जाती हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी राजस्थान में सब-सेंटर्स खाली पड़े हैं उनको प्रायोरिटी के आधार पर भरने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, डाक्टर्स गांवों में जाते नहीं हैं और मंत्री महोदय ने काफी स्ट्रिक्ट कदम भी उठाया है फिर भी वह जाने की कोशिश नहीं करते हैं, भागते रहते हैं। गांवों में चिकित्सा की दशा खराब है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो भी डाक्टर्स ट्रेनिंग करके आते हैं, उनको 2 साल के लिये ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण डिस्पेंसरीज में या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पाबन्द कर दें तो हमारी ग्रामीण जनता को उसका लाभ मिल सकेगा। आपने मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा (फागी) : माननीय सभापतिजी, मैं मांग संख्या 21 और

(श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा)

26 के सम्बन्ध में मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो कमियां हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अभी सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि इस सरकार के आने के बाद गांवों का समग्र विकास हुआ है। इस समग्र विकास की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि फागी जयपुर से मात्र 35 किलोमीटर से शुरू हो जाती है। फागी विधान सभा क्षेत्र में फागी और चाकसू दो तहसीलें आती हैं लेकिन मुझे बड़े ही अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि काफी लम्बे समय से इस क्षेत्र की ओर यहां के किसी भी स्थानीय जन-प्रतिनिधि या किसी भी अधिकारी या किसी भी उच्च नेता का ध्यान नहीं गया है। यहां पर····

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : कहां पर ?

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : फागी।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपसे पहले एम. एल. ए. कौन थे ?

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : श्री लादूरामजी। हमेशा से ही विरोध पक्ष के एम. एल. ए. रहे हैं, केवल एक बार सत्ता पक्ष का रहा है। आजादी के बाद हमेशा विरोध का एम. एल. ए. रहा है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : कामना करें कि अगली बार भी विरोध का रहे।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : इसलिये अभी कर रहे थे कि सभी गांवों में इस सरकार के द्वारा विकास के कार्य करवाये जा रहे हैं। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर, दोनों तहसीलों के अन्दर पी. डब्ल्यू. डी. की ओर से एक किलोमीटर रोड स्वीकृत नहीं हुई। न तो जे. आर. वाई. के अन्दर, न और कोई दूसरी योजनाओं के तहत और न ही प्लान के तहत एक किलोमीटर रोड भी वहां नहीं बन रही है और न स्वीकृत हुई है।

मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जनवरी, 1990 में एक रोड मंडोर से बगरु के बीच स्वीकृत हुई थी जिसमें साढ़े चार लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। उनकी स्वीकृति होने के बाद उसके टेंडर काल कर लिये गये पर मालूम नहीं है कि वह कौनसे कारण हैं जिनकी वजह से उस रोड के टेंडर कैंसिल कर दिये गये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मंत्री) : कहां के ?

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : मंडोर से बगरु. जिसके लिये साढ़े चार लाख रुपये को जनवरी, 1990 में स्वीकृति हुई थी, जिसके टेंडर काल कर लिये गये, मालूम नहीं है कि कौनसे कारण हैं जिनकी वजह से इस रोड के टेंडर कैंसिल कर दिए गए। एक वर्ष से ऊपर हो गया, स्वीकृत शुदा रोड है, स्वीकृत शुदा पैसा है उसको नहीं लिया जा रहा है।

मैं इस बात की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मैंने गत विधान सभा में एक प्रश्न लगाया था 28·5·90 को और मुझे इसका उत्तर मिला है कि जयपुर

(श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा)

जिले में 244 सड़कें बनी हुई हैं। अब मैं आपको उन सड़कों का विवरण और नक्शा इस डिपार्टमेंट से दिया हुआ बताना चाहता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 4·1·90 की चुनावी घोषणा होगी।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : नहीं 28·5 90 की बात कह रहा हूं मैं। उसके अन्दर दो ऐसी सड़कें है, सरकार का जो जवाब आया है, दो सड़कें जयपुर जिले की जो पी. डब्ल्यू. डी. डिपार्टमेंट की पूर्ण सड़कें हैं, उसमें पूर्ण दिखाई हुई है। नम्बर 58 और 59। कादेड्या से ताम्बड्या, तीतरया से पीपला दो सड़कें कम्पलीट दिखाई हुई है। आज भी अगर आपका कोई अधिकारी वहां मौके पर जाकर देखे तो मेरा चेलेन्ज है इस बात का और आपको स्वयं को मौका दिखाना चाहता हूं कि वहां पर एक पत्थर नहीं है, एक मिट्टी की परात भी नहीं पड़ी है। कुछ भी नहीं है।

(8·33 रात्रि)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

आप चाहे तो नक्शा आपके डिपार्टमेंट के द्वारा दिया हुआ मेरे पास मौजूद है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कब बनीं?

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : इसमें यह नहीं दिया कि कब बनी थीं, कब नहीं बनी लेकिन यह दोनों सड़कें इसमें दी हुई हैं और नक्शे में पूर्ण दिखाई हुई हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि चाहे इसी सरकार ने बनाया हो यह नक्शा और यह उत्तर या पिछली सरकार ने लेकिन जो इसमें फर्जीवाड़ा दिखा रखा है, इसकी आप जांच करवाये, और जांच कराकरा पूर्ण करवाने की व्यवस्था कराई जाय (व्यवधान)

दूसरी बात मेरे क्षेत्र में मैंने 11 मार्च 1990 को चुनाव जीतने के बाद माननीय मन्त्री जी को यह सड़कों का प्लान दिया था। मेरे क्षेत्र में बीस साल पुरानी 26 सड़कें बनी हुई हैं, बीस साल पुरानी और जिन पर सरकार का लाखों रुपया खर्च हुआ है और सरकार का जवाब भी आया है कि यह सड़कें अधूरी हैं। मैं आपको नाम सुनाना चाहता हूं उनके। आज भी अगर उन 26 सड़कों पर थोड़ा-थोड़ा पैसा लगा दिया जाय या खर्च कर दिया जाए तो वह पूरी हो सकती है ··· (व्यवधान)

मैंने मंत्रीजी को 26 सड़कों के बारे में जो लैटर दिया था, एक्स. ईएन. साहब ने उसकी कम्पलीट रिपोर्ट बनाकर के चीफ इन्जीनियर साहब को भिजवा दी कि कितनी सड़कें बनी हुई है, इतना-इतना इन पर इन्वेस्ट हो चुका है और सारी यह सड़कें हैं, माधोराजपुरा से चानमाकलां, बिसालू टोंक को जोड़ती है राणोली तक वह रोड़ बन चुकी है और चानमां तक भी बन गई केवल तीन या चार किलोमीटर बनने से जयपुर से सीधा टोंक क्षेत्र को यह जोड़ती है। राणोली तक कम्पलीट डामरी हो गई और फागी की तरफ से माधोराजपुरा तक सड़क बनी हुई है।

(श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा)

माधोराजपुरा से दस किलोमीटर रोड़ बीस साल पुरानी बनी हुई है, अर्थ वर्क उसमें कोई बाकी नहीं है, रोड़ी उसमें कुटी हुई है लेकिन डामर का काम नहीं है और इस रोड़ के ऊपर खेडा हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मन्दिर है। मैं तो यह कहूंगा कि राजस्थान का शायद ही कोई मंत्री या कोई अधिकारी होगा जो उस रोड़ से नहीं गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस रोड़ का प्राथमिकता के आधार पर दस किलोमीटर तक स्वीकृत करवाने की व्यवस्था करें। माननीय अध्यक्षजी, मेरे क्षेत्र फागी और चाकसू में जो आपने मेरे साथ भेद-भाव किया है सड़कें स्वीकृत करने में तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो नक्शे में दिखाई हुई फर्जी सड़कें है, इनको आप पूरी करवायें।

इसके साथ ही मैंने जो 26 सड़कों का, अधूरी सड़कों का मास्टर प्लान दे रखा है उनमें से सभी सड़कों को, जो आधे पैसे में तैयार हो सकती हैं, उनको पूरा बनवाने की व्यवस्था करेंगे।

मैं इसी के साथ पुलियाओं के बारे में कहना चाहता हूं कि फागी स्टेट हाइवे नम्बर दो पर एक सरमथुरा से फलौदी रोड़ जा रही है, इस रोड़ के ऊपर दो नदियां हैं बांडी और डूंड। इन दोनों नदियों पर अगर पुलिया हो जाती है तो जयपुर का ट्रेफिक जो आगरा से अजमेर की तरफ जाता है आधा ट्रेफिक इधर से कम हो जाएगा, बंट जाएगा। केवल जयपुर की तरफ आने वाला ही इधर आएगा, कोई शहर, कोई इनके चैक करने वाले, कोई आबादी का, कोई टंटा नहीं। सीधा बाई पास अगर बन जाता है, अगर सरमथुरा से फलौदी के बीच दोनों पुलियाएं बन जाती हैं तो क्षेत्र का और जनता····

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिए। श्री किशनाराम।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : इसके साथ ही मैं नम्बर 26 पर····

श्री अध्यक्ष : आपका टाइम समाप्त हो गया। दस मिनिट हो गए। दस मिनिट का समय तय था, दस मिनट पूरे हो गए।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर दो रैफरल अस्पताल हैं। दोनों अस्पतालों की यह हालत है कि अभी डकैती काण्ड के अन्दर एक आदमी मरा और 6 आदमी घायल हुए परन्तु कोई डाक्टर रेफरल अस्पताल में मौजूद नहीं था।

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है····

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : आप बैठ जाइए। आप नहीं हैं मेरे अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात जारी रखो वरना आपका टाइम इसी में चला जाएगा। कितना बोलेंगे आप ? एक मिनट ?

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : हां, एक मिनट। दूसरी बात, रैफरल अस्पताल के अन्दर डाक्टर्स नहीं रहते। फागी और चाकसू दोनों में एक भी डाक्टर रात में

(श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा)

वहां नहीं मिलता जबकि वहां पर 8–8 डाक्टरों की व्यवस्था है। सब सही है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि दो वर्ष से वहां से तनख्वाह उठाते हैं और डेपुटेशन पर लगे हुए हैं। जयपुर में काम करते हैं और फागी से तनख्वाह उठाते हैं, उनके नाम भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एन. के. न्वाल जो फागी में लगा हुआ है जो लोंग लीव पर है और आज तक अस्पताल में नहीं गया। मण्डावरी एक ऐसा पी. एच. सी. सैण्टर है जब से वह खुली है तब से आज तक कोई डाक्टर वहां नहीं गया और वहां डा. आर. के. सक्सैना की पोस्टिंग कर रखी है लेकिन जब से वह पी. एच. सी. बनी है तब से आज तक वह डाक्टर वहां पर नहीं गया। आज भी वहां कोई डाक्टर नहीं है। चूरू के अन्दर निर्मल मुद्गल है वह भी पी. एच. सी. है उसके अन्दर भी कोई डाक्टर नहीं, केवल एक नर्स और कम्पाउण्डर बैठता है। आज तक वहां भी कोई डाक्टर नहीं गया। इसके अलावा जितने भी पी. एच. सी. के सैण्टर हैं, एड पोस्ट हैं सब-सैण्टर हैं, उनमें नर्स नहीं हैं। मैंने सरकार से जवाब भी किया था कि इनकी कब तक पूर्ति कर दी जाएगी, जिसमें करीब 15 रिक्त स्थान बताए हैं लेकिन पूर्ति के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया कि कब तक पूर्ति कर दी जाएगी।

मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन सारी बातों की ओर ध्यान देते हुए इनकी पूर्ति करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम नाई।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से सार्वजनिक निर्माण मंत्री व चिकित्सा मंत्री का आभार प्रकट करता हूं और मेरे चूरू जिले के लिए कुछ सुझाव पेश करूंगा। प्रजातन्त्र में, हिन्दुस्तान की सभी विधानसभाओं में हां पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य किसी मांग पर पक्ष में बोलते हैं, विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य विपक्ष में बोलते हैं लेकिन माननीय विपक्ष में बैठने वाले सदस्यों ने सच्चाई को बिल्कुल छिपा लिया है, सच्चाई को 100 किलोमीटर दूर ले गए हैं और राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि नमक की रोटी इन्होंने पोई है, लेकिन आटे का इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा मैं कह देना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता इनको समझ चुकी है और इनसे धाप चुकी है। इनका राजस्थान में पैर नहीं टिकेगा यह मेरा मानना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू जिला राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। मेरा जिला एक रेतीला जिला है और पूर्व सरकार ने दस साल में चिकित्सा व्यवस्था को, सड़क की व्यवस्था को बिल्कुल ही अव्यवस्थित रूप से रखा है। अस्पतालों की तो यह हालत थी कि अस्पताल के अन्दर कोई भी कर्मचारी नहीं होते थे, डाक्टर समय पर नहीं आता था। कर्मचारी समय पर रहते नहीं, दवाइयां मिलती नहीं और चूहे अस्पताल के अन्दर अपने बाजार को गरम करते थे। अब आज दुहाई देने लगे हैं कि किसानों के हम हितैषी है। ये हितैषी किसी के नहीं है। ये हितैषी थे अपनी जेब

(श्री किशनाराम नाई)

मरने के। जनता इसको भली-भांति जान चुकी है। मेरे जिले में बहुत बढ़िया अस्पताल भरतिया अस्पताल के नाम से पुकारा जाता है। रतनगढ़ में बड़ा अच्छा अस्पताल है, डूंगरगढ़ में बहुत बड़ा अस्पताल है। उसमें मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से, कि डूंगरगढ़ अस्पताल के अन्दर जो पिछला पोर्शन है वह बहुत ही गिरी हुई हालत में है और पिछले दस वर्षों से बन्द पड़ा है। कृपा करके इस पर ध्यान देवें। डूंगरगढ़, डूंगरसिंहजी के नाम से बसा हुआ एक बहुत अच्छा कस्बा है। सड़कें बहुत चौड़ी हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर बड़ी गम्भीरता से ध्यान दे कर मुझे राहत दिलायेंगे। एक्स-रे मशीन पिछले दस साल से खराब पड़ी थी मेरे सुझाव पर आठ हजार रुपये मन्जूर हुये हैं लेकिन अभी तैयार नहीं हुई है। इसको तैयार कराने की व्यवस्था करें।

मेरे क्षेत्र में एक तहसील सुजानगढ़ है जिसकी मेरे क्षेत्र में 8 पंचायत हैं। पंचायत में एक बीदासर गांव है, बहुत बड़ा कस्बा है। पहले दरीबा गांव था वह पंचायत हैड क्वार्टर था, उसको नगरपालिका बीदासर में शामिल कर दिया जिससे उनकी जन-संख्या करीब तीस हजार से ऊपर हो चुकी है। वहां स्टेट के टाइम से एक डिस्पेन्सरी चल रही है। वह डिस्पेन्सरी थानमल मणोद के नाम से चल रही है। उसमें ओसवाल पंचायत की तरफ से दस लाख रुपये खर्च करने को तैयार हैं। इसमें रैफरल अस्पताल के नाम यदि कर दिया जाय तो अति उत्तम होगा। मेरे क्षेत्र में एक लालगढ़ गांव है। लालगढ़ गांव बहुत ही अच्छा बसा हुआ गांव है, बड़ा सुन्दर गांव है। जिसकी सड़क कातर से नागौर जाती है। और बड़ा सुन्दर कस्बा होने की वजह से वहां पर एक डिस्पेन्सरी की अति आवश्यकता है क्योंकि उसके आस-पास काफी गांव हैं। दस साल तक जब मैं चुनाव में गया था, चुनाव के बाद भी गया तो लोगों ने बड़ी शिकायत की कि इतना सुन्दर गांव, इतना बड़ा गांव है, इसके ऊपर कांग्रेस के लोगों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, एक डिस्पेन्सरी, ये खुला नहीं सके और आज दुहाई दे रहे हैं कि हमने यह किया है, वह किया है। चूरू जिले में हैडक्वार्टर पर 24 ग्राम पंचायतें हैं। कुल आठ पंचायतें सड़क से जुड़ी हुई हैं, 16 पंचायत बिल्कुल यूं ही हैं। इसके लिए मन्त्रीजी से मेरा निवेदन है कि वह इस पर ध्यान दें और चूरू जिला हैड क्वार्टर है, इस पर विशेष ध्यान दें। धण्डेल से पीटीसर सड़क स्वीकृत की जाये तथा इसी पंचायत हैड क्वार्टर की 1971 में आबादी 15 सौ से अधिक थी। चूरू तहसील बहुत अच्छी तहसील है। इसमें मैं चाहूंगा कि चूरू की तरफ एक बैकवर्ड जिला होने के नाते पूरा पूरा ध्यान दें। मैं ऐसी आशा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभूलाल पटेल।

श्री प्रभूलाल पटेल (सपोटरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 21 और 26 के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे सपोटरा क्षेत्र में सड़कों की बड़ी अव्यवस्था है और मैं समझता हूं सड़कों के हिसाब से मेरा सपोटरा क्षेत्र और जिला सवाई माधोपुर राजस्थान में सबसे पीछे हैं। सपोटरा क्षेत्र के लिए गुड़गांव से सपोटरा तक एक 25 कि. मी. सड़क जोड़ती है

(श्री प्रभूलाल पटेल)

जिसकी दशा यह है कि आज उस सड़क के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का साधन 25-30 कि. मी. से ऊपर नहीं चल सकता है क्योंकि उसकी स्थिति इतनी गई बीती हो चुकी है। उस पर किसी प्रकार का कार्य काफी समय से नहीं किया गया है। तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस टुकड़े को जो कि मात्र एक ही टुकड़ा है सपोटरा को मिलाने वाला, उसका रिपेयरिंग कार्य किया जावे जिससे समय भी कम लगे और आने-जाने में सुविधा हो सके।

दूसरा यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सपोटरा क्षेत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण एरिया है—हाड़ौती से कैलादेवी, इस रोड के बारे में मैं भी काफी निवेदन कर चुका हूं और दस साल से ये रोड का मामला चल रहा है। इसमें करीब 11 लाख रुपये विभिन्न योजनाओं में खर्च हो चुके हैं। कभी अकाल के तहत, कभी आर.एल.ई.जी.पी. योजना के तहत। अमुक-अमुक योजनाओं के तहत, मैंने मालूम किया, अब तक उसमें 11 लाख रुपये का एस्टीमेट है। इस रकम से उस रोड के ऊपर कच्चा काम हुआ था, मिट्टी का काम हुआ था। बरसात से पहले काम होता था, बरसात आने के बाद में सारी मिट्टी यथा-स्थान पहुंच जाती थी। इसमें सरकार के पैसे का दुरुपयोग हुआ है और रोड बिल्कुल भी नहीं बन पायी है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह महत्वपूर्ण सड़क, हाड़ौती से कैलादेवी, 10 पंचायतों को जोड़ती है और 50 गांवों को ये साधन-सुविधा करती है। ऐसी महत्वपूर्ण सड़क को शीघ्र से शीघ्र बनवाने का अपना मानस बनायें।

दूसरा निवेदन करना चाहूंगा जो एण्टीडकौती की रोड जो मण्डरा एरिया में सैंक्शन है उसकी गति धीमी है। इस गति से उस रोड का बनना असम्भव है। उस रोड में भारत सरकार का पैसा लगा हुआ है। करोड़ों रुपयों की लागत अब तक हो चुकी है और उसका अभी उपयोग नहीं हो पाया है। उसमें दो घाटियों पर मण्डरायल घाटी, गन्देलीपुरा घाटी, कर्णपुर घाटी इस पर फॉरेस्ट विभाग का स्टे है इस वजह से उसका कार्य रूका हुआ है। आगे चल कर उस रोड पर जो नदी-नालों का काम हुआ हैं, यदि वह जल्दी नहीं किया गया तो वह बरसात के दिनों में सारा खराब हो जायेगा। इसलिए उस रोड के ऊपर विशेष ध्यान देकर उस रोड को बनाया जाय जिससे हमारे इलाके की समस्या खतम हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निम्न सड़कों के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में निम्नलिखित सड़कों को बना दिया जाय तो इस क्षेत्र की साधन सुविधा बढ़ सकती है। इसमें कैलादेवी से हाड़ौती सबसे पहला रोड है। धरणपुर से नचेड़ा, गेरगंज से गुड़गांव, ताजपुर से तहवाड़ा और सपोटरा से वारेल इन चार पांच सड़कों को यदि सरकार बना देती है तो इस इलाके की सारी साधन सुविधा हो जायेगी और यहां की जो डकैती समस्या है वह भी हल हो जायेगी।

(श्री प्रभूलाल पटेल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलों के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में सिर्फ दो पुल अगर बन जाते हैं, एक पुल जो मण्डरायल का जो इन्टर स्टेट पुल है यदि यह पुल पक्का हो जाता है जो आज कल ड्रमों का पुल है, उसमें साधन का आवागमन कम है, यदि उस पुल को बना दिया जाता है तो एम. पी. और राजस्थान की दूरी बहुत कम हो जायेगी करीब दो कि. मी.। अब जो साधन आगरा, धौलपुर होते हुये जाते हैं तो करीबन सौ-सवा सौ कि. मी. की दूरी तय करके लम्बा रास्ता पड़ता है, यदि हमारे यहां जो खनन सम्पदा है उसको यू.पी., एम. पी. जाने में बहुत ही कम रास्ता तय करना पड़ेगा और वहां से आने में सारी सुविधा हो जायेगी। गवर्नमेंट को इसलिये चाहिये कि इस पुल को शीघ्र से शीघ्र बनाया जाय। दूसरा पुल लोहड़ा है। यदि वह पुल बन जाता है तो यह हाड़ौती-कैलादेवी रोड बिल्कुल आसान बन जायेगा। जो काली नदी बहती है, उसमें बरसात के दिनों में आवागमन सारा बन्द हो जाता है। बरसात के दिनों में कम से कम दस कि. मी. चक्कर लगा करके उस नदी को पार करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सपोटरा क्षेत्र में जो छोटे-मोटे अस्पताल हैं, एक भी रेफरल अस्पताल नहीं है। सपोटरा और मण्डरायल इस क्षेत्र के सबसे बड़े कस्बे हैं इनमें रेफरल हास्पिटल खुलवाये जावें। जिससे चिकित्सा सुविधा सुलभ हो सके। पहाड़ी एरिया है, साधन सम्पन्न नहीं है। वहां की पब्लिक करौली या जयपुर आने में असमर्थ रहती है। इसलिये सपोटरा और मंडरायल दो जगह रैफरल अस्पताल खोले जाय तो वहां पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो 47 पंचायतें हैं उन पंचायतों के हैडक्वार्टर पर औषधालय या सब-सैन्टर खोले जाय तो वहां की पब्लिक अपना इलाज करा सकेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सपोटरा के लिए मैं चिकित्सा मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, मैंने पहले भी निवेदन किया है, वहां स्टाफ की बहुत कमी है। वहां एक डाक्टर है, एक कम्पाउण्डर है और शायद एक नर्स है। तो वहां जब तक आप रेफरल अस्पताल नहीं करें तब तक आप डबल डाक्टर का इन्तजाम कर दें। अगर डाक्टर इधर-उधर भी जाय तो वहां कोई भी रहे वह इलाज कर सके। डाक्टर की अनुपस्थिति में काफी केस खराब हो चुके हैं। वे छुट्टी चले जाते हैं। तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वहां कम से कम डबल डाक्टर की सुविधा कर दी जाय।

मैं अन्त में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा और उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि हमारे सवाई माधोपुर जिले से सरकार ने 50 डाक्टरों का ट्रांसफर कर दिया था और उनके विशेष निवेदन पर और 6 महीने के चक्कर लगाने पर माननीय मन्त्री महोदय को रहम आया और उनके ट्रांसफर कैन्सिल कर दिये गये। तो मेरी राय में यह कृत्य बड़ा गलत है। यदि ट्रांसफर भी किया गया तो उनको केन्सिल नहीं किया जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री प्रभूलाल पटेल)

आपने समय दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हुए निवेदन करना चाहूंगी कि उन्होंने चिकित्सा व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था दोनों में ही सुधार किया है।

मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि सवाई मानसिंह अस्पताल जो कि विशेष योग्यता प्राप्त डाक्टरों की विशेषता रखता है, इसको आल इण्डिया इंस्टीट्यूट का दर्जा दिलाने के लिए जो भी कार्यवाही की जा सकती है, करें।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यहां पर हम यह सोचते हैं कि अस्पताल में सफाई होनी चाहिए और सब काम सुचारु होना चाहिये लेकिन सबसे पहली कड़ी जो स्वीपर हैं उनकी संख्या इतनी कम है कि 3-3 वार्डों में एक-एक स्वीपर है। माननीय मंत्री महोदय, इसके लिये आप अहम मुद्दा मानें और इसको अप-टू-डेट करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि लिफ्टों पर कोई आदमी नहीं है। वहां पर लिफ्टमैन का कोई पद नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सभी लिफ्ट बराबर चलें उनके लिये लिफ्ट-मैन के पदों की आप प्राप्ति करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि रात्रिकालीन सेवाओं में उपभोक्ता भण्डारों की दुकानें नहीं खुलती हैं। जयपुर बहुत बड़ा नगर है इसलिए इस व्यवस्था को आप करा सकते हो तो निश्चित रूप से करें। मेरा निवेदन है कि मानसिक चिकित्सालय में अन्य अस्पतालों की भांति ही स्टाफ है जबकि एक-एक पागल पर ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ती है। आप उस व्यवस्था को देखेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में उप-केन्द्र बहुत कम हैं इनकी भी आप व्यवस्था करेंगे।

मैं बहुत लम्बी-चौड़ी बात तो नहीं कहना चाहती लेकिन इतना जरूर कहती हूं कि जो अच्छा कार्य करते हैं उनको आप प्रोत्साहित करेंगे जिससे गलत काम करने वालों को गलत काम करने के प्रति अरुचि होगी।

साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि देशी चिकित्सा पद्धति के लिए सरकार ने बजट बहुत कम रखा है। हमारे इस देश के लिए, प्रदेश के लिए देशी चिकित्सा पद्धति की बहुत जरूरत है चाहे वो यूनानी पद्धति हो, आयुर्वेद पद्धति हो या होम्यो-पैथिक पद्धति हो। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हम सुचारू व्यवस्था की बात करते हैं लेकिन दवाएं तो हैं ही नहीं। गांवों के अस्पतालों में चिकित्सकों के बैठने की बहुत परेशानी है। वे चिकित्सक बैठें कैसे ? वहां दवाई ही नहीं है। रसायनशालाओं में यदि दवाई उपलब्ध करा दी जाय, दवाई समय पर बनायी जाय, पूरी मिले इस तरह की कमेटी बनायें जो कि वह दवाई क्रय कर सके। इस सारी व्यवस्था को अगर आपने सुचारू कर लिया तो निश्चित बात है कि हमारे औषधालय पर्याप्त सेवा कर सकेंगे, ऐसी सेवा जो ग्रामीण क्षेत्रों में चाहिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि इस बजट का तुलनात्मक अध्ययन करें। 5 प्रतिशत बजट देशी चिकित्सा पद्धतियों को कैसे उन्नत कर सकेगी ? कैसे इस पर रिसर्च हो सकेगी ? कैसे ये चिकित्सा कर सकेंगे ? इसमें आप निश्चित रूप से सुधार करें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आपने पदों को भरा है और इस पर सुधार किया है, उसके लिए आप, माननीय चिकित्सा मंत्री जी, बधाई के पात्र हैं। ऐसी बधाई मैं माननीय आयुर्वेद मंत्री जी को भी देना चाहती हूं। मुझे आशा है कि शीघ्र ही वे भी इस ओर कदम बढ़ायेंगे।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सड़कों के बारे में 5 वर्ष का आप प्लान बना लें। बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्रों में आप कैसे बराबर का बजट दे पायेंगे, इसकी व्यवस्था आप करें। ठेकेदारों से आप भी दुःखी हैं और हम भी दुःखी हैं। 13-14 साल से जो पिछली बार सड़कें मंजूर हुयी, ठेकेदारों की गलती से या बार-बार उनके काम न करने से और आपका उनके खिलाफ पूरा एक्शन न लिये जाने से सड़कें नहीं बन पा रही हैं और आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय, ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करें। मेरे क्षेत्र में कोई ग्यारसीलाल ठेकेदार रहता है। उसके 13 रिश्तेदारों ने और बेनामी रिश्तेदारों ने ठेके ले रखे हैं और वह ठेका लेने के बाद काम करता ही नहीं है। शहर की सड़कें भी उसके पास है और गांव की सड़कें भी उसके पास है। मैं नहीं समझ पाती हूं कि किस प्रकार से आप इसको ठीक करेंगे लेकिन मेरा आग्रह है कि आप इसको ठीक करें। मेरा निवेदन है कि सड़कों के बीच में सीधा वर्क आता है लेकिन पूरा काम हो नहीं पाता। मेरे क्षेत्र में लालीपापड़-नायला सड़क के बीच में 3 पी. डी. वर्क्स हैं और वो न होने से उस सड़क का होना या न होना व्यर्थ है। 13 साल पहले की बनने वाली सड़क आज तक पूरी नहीं हो पायी। तो आप इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए कार्य करने का प्रयास करें।

इसी प्रकार चावड़ के मठ से नायला रोड पर डूंड नदी का पहाड़ पड़ता है और डूंड नदी जब बहती है तो उधर से निकल नहीं सकते। यदि निकल नहीं सकते तो करीब 30 किलोमीटर जयपुर होकर नायला पहुंचने में देर लगती है। इस सड़क पर आप कोई रपट बनायें, कलवर्ट बनायें या पुल बनायें यह मेरा आपसे आग्रह है। मेरे इलाके में एक ऐसा गांव है जो रोडा नदी के पास पड़ता है उस गांव का नाम साहू है और साहू भी 7 हैं। कोई पठानों के साहू, कोई पीरों के साहू, कोई पटेल जी के साहू। इस तरह की जो जगह है एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ रेतीले टीले हैं बीच में नदी बहती है लोगों को आने-जाने में बहुत असुविधा होती है। कोई बीमार पड़ जाये तो कन्धे पर भी उसको उठाकर लाना असंभव सी बात लगती है। यदि जमवा रामगढ़ के पास से जो बिजली का ग्रिड स्टेशन है, वहाँ 7 किलोमीटर की सड़क से उन 7 हजार आदमियों को सुवि[illegible] सकेगी जो वहाँ रहते हैं, खेती क[illegible]

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

दैनिक रूप से जयपुर में दूध लाने का धन्धा करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस साहू नामक गांव की, जो पापड़ पंचायत में पड़ता हैं, सड़क का निर्माण करने के लिए आवश्यक आदेश, जो भी आपकी प्रक्रिया में हैं दें।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कुण्डा-नडाटा-रायसर-निंदी रोड पर जो 1980 में नडाटा के पास से ढह गयी वह उस कूकस बांध से आने वाले पानी से टूट गयी थी। आज तक उसका उपचार नहीं हुआ। यह 3 फर्लांग का पुल है, यहाँ रपट बनें, कलवर्ट बनें, पुल बनें या इसमें किसी भी प्रकार एक-दूसरी तरफ आने-जाने का रास्ता बनें। मैं बहुत चिन्तित हूं, अभी पूर्णिमा के दिन वहाँ मेला लगने वाला है लेकिन आने-जाने का रास्ता नहीं है। मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि इस रास्ते का सुधार करें। इससे निश्चित रूप से वहाँ के आवासियों को जो 40,000 मीणा जाति के लोग वहाँ आयेंगे, जो देश प्रसिद्ध मेला लगता है टीबा माटी का, उनको असुविधा नहीं होगी। इस काम को भी आप अपने हाथ में लेना चाहेंगे।

एक निवेदन और करना चाहूंगी तथा यह मेरा सुझाव है कि जो रोड नेशनल हाईवे बाई पास है दिल्ली वाला उसका अगर सर्वे करायेंगे, एक बार आगरा रोड का सर्वे हो भी चुका है, जयसिंहपुरा खोर के पीछे से एक सड़क बनायें तो यह बात निश्चित है कि कुल रास्ता 5 किलोमीटर का पड़ेगा। उनको जयपुर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली-आगरा रोड पर जो जाने वाले हैं, जयपुर शहर के बाहर-बाहर होकर सीधे निकल जायेंगे तो जयपुर में आवागमन की भी ठीक स्थिति होगी। उधर का सर्वे कराने से मार्ग बहुत व्यवस्थित हो जायेगा। तो इस आगरा-दिल्ली बाई पास को आगरा रोड से जोड़ें जाने के लिए व्यवस्थात्मक कदम आप बढ़ायेंगे, ऐसा मेरा मानना है।

दो साल पहले लक्ष्मीनारायणपुरी हीदा की मोरी से नेशनल हाईवे बाई पास के लिये रोड मंजूर हुई, अभी तक बनी नहीं। वह कहाँ अटकी पड़ी है, कृपया आप उसे देखें। रामगंज चौपड़ से चार दरवाजा होते हुए गंगापोल के बाहर तीन नसियां तक रोड बनने वाली थी, लेकिन वह बीच-बीच में बाहर और अन्दर के हिस्सों में जगह-जगह अटक गई है। मेरा यह निवेदन है कि आप सड़कों का एक ही महकमा बनायें, मुख्य मंत्री जी, ताकि सभी सड़कें सुचारू रूप से एक विभाग देख सकें। मेरे यह कुछ सुझाव थे, मैने आपको दिये, मैं धन्यवाद देती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनगोपाल कोगटा।

(9.00 रात्रि)

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 21 व 26 पर चर्चा हो रही है, उसमें भाग लेते हुए मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दूंगा।

सबसे पहले मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। पूरे राजस्थान की तरफ से बहुत आभारी हूं कि उन्होंने सार्वजनिक निर्माण में एक व्यवस्था कायम की, योजना की क्रियान्विति की और एक निश्चित समय का पक्ष तय करके सारे राजस्थान में सड़कों के निर्माण के लिये व्यवस्था करने की योजना बनायी। सर्वप्रथम उन्होंने, जो सड़कें टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत के लिये पूरे राजस्थान में कार्य चलाया और जो 10-20 साल से टूटी पड़ी थी, तकलीफ पा रही थी जनता, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता, उनको राहत दी, उसके लिये पूरे राजस्थान की जनता उनकी बहुत-बहुत आभारी है। इसके साथ ही उन्हें प्रशासन में चुस्तता लाकर, भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण करके जो पैसा बचाया और उससे सड़कें बनाने में जो विस्तार किया, उसके लिए जो उन्होंने योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाया है, उसके लिये हम बहुत-बहुत आभारी हैं। मेरा क्षेत्र सड़कों की दृष्टि से पिछले चालीस साल से बहुत पिछड़ा हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र है, मगरा क्षेत्र कहलाता है। वहां की 41 पंचायतों में से 5 पंचायतें सड़क से जुड़ी हुई हैं, 36 पंचायतों में आज तक सड़क नहीं है। सड़क ही नहीं, पैदल जाना भी दुष्कर होता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक कार्यक्रम इस प्रकार का बनायें कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग से कुछ न कुछ सड़कें हर साल बने और जो पिछड़ा क्षेत्र है, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र है, उसमें निश्चित रूप से सड़कें बननी चाहिये। सड़क बनेगी तभी उस क्षेत्र का विकास होगा। पिछले चालीस साल से जो अव्यवस्था चल रही है, राजनैतिक स्तर पर निर्णय करके जो सड़कें बनायी गयी, काफी क्षेत्र ऐसा रह गया जिसमें सड़कों का विकास नहीं हो पाया। मैं आशा करता हूं वर्तमान सरकार और माननीय मंत्री जी से कि वह सभी क्षेत्रों के साथ न्याय करते हुए सड़कों के निर्माण में ध्यान देंगे।

मेरे क्षेत्र में, खासकर पहाड़ी क्षेत्र में टमाटर मंडी से नया गांव होते खीमपुरा तिबारा तक एक सड़क पन्द्रह साल पहले अकाल राहत के तहत चौदह किलोमीटर बनी थी, उसमें मिट्टी डाल कर केवल ग्रेवल सड़क बनी थी, उसका सारा मैटेरियल पड़ा हुआ है लेकिन आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उस क्षेत्र के विकास के लिए वह बहुत आवश्यक सड़क थी लेकिन केवल मिट्टी की सड़क बनायी, गिट्टी वगैरह पड़ी है लेकिन उस पर कार्य प्रारम्भ किस विभाग का हो, यह तय नहीं। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह अब इस सड़क को हाथ में लें और यह जो पहाड़ी क्षेत्र है, मगरा क्षेत्र है, अगर यह चौदह किलोमीटर की सड़क बन जाती है तो इस क्षेत्र के विकास के लिये बहुत लाभप्रद होगी। इसी प्रकार मेरे क्षेत्र में एक नन्दवाड़ा पंचायत केलू से होते हुए लुधियाना होते हुए चौदह किलोमीटर सड़क और है, उसको बनाने की भी मैं मांग करता हूं। अगर वह सड़क बनती है तो कृषि उपज मंडी विजय नगर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से जो उपज तैयार होकर आती है उसको लाने में किसानों को आसानी होगी और उस क्षेत्र के विकास में सहायक होगी।

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

इसके साथ-साथ मांग संख्या 26, चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभारी हूं और मैं ही नहीं, सारे राजस्थान की जनता, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता बहुत आभारी है कि आपने यह विभाग सम्भालते ही, आपके मन में एक टीस थी, एक इच्छा थी कि ग्रामीण क्षेत्र की, खासकर गरीब जनता की सेवा के लिये चिकित्सा सुविधाएं ठेट ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचायी जाय, उसके लिये सारे राजस्थान की जनता बहुत-बहुत आभारी है। आपने डॉक्टरों की नियुक्ति में खासकर ग्रामीण क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा और ठेट सुदूर दूर तक डॉक्टर, जिनकी पोस्टिंग हो जाती थी पूर्व सरकार में, वह अगेन्स्ट पोस्ट या डेपुटेशन शहर में करा लेते थे, तनख्वाह गांव के पी. एच. सी. या रेफरल अस्पताल से उठाते थे और ड्यूटी शहर में करते थे, आपने यह प्रथा समाप्त करके एक बहुत अच्छी व्यवस्था कायम की। उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों की इतनी अनिवार्यता की कि सात साल तक आप ग्रामीण क्षेत्र में ड्यूटी देंगे उसके बाद शहर में कहीं लगायेंगे, यह व्यवस्था भी बहुत स्वागत योग्य है।

मेरे क्षेत्र में, खासकर मसूदा और विजय नगर में रेफरल अस्पताल है लेकिन पूर्व की सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। रेफरल अस्पताल की घोषणा मसूदा में की, आपके सहयोग से आज वहां सब डॉक्टर हैं पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वहां बाकी कोई सुविधा नहीं पहुंचायी। रेफरल अस्पताल की जो सुविधा होनी चाहिये एक पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर, वह दस प्रतिशत भी नहीं है। न तो बिल्डिंग है, न एक्स-रे मशीन है, न स्टाफ वहां पर है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पंचायत समिति हैड क्वार्टर और विधान सभा हैड क्वार्टर होने की वजह से महत्वपूर्ण स्थान है और रेफरल अस्पताल के जो नोर्म्स हैं, उतनी सुविधाएं तो उस पंचायत समिति हैड क्वार्टर के रेफरल अस्पताल में मिलनी चाहिये। मेरे विधान सभा क्षेत्र मसूदा में विजयनगर नगर पालिका है उसमें सन् 1955 में अस्पताल बना था। आज भी वही स्थिति है। कोई सुधार नहीं हुआ। मैं एक बात के लिये आपको धन्यवाद दूंगा कि वहां पर डॉक्टर की पिछले पांच साल से जगह खाली थी आपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट और लेडी डॉक्टर, जो साढ़े तीन साल से नहीं थी, आपके प्रयत्न से वह पहुंच गयी। विजय नगर की जनता आपकी बहुत आभारी है। साथ ही वहां बीस साल पहले सब लोगों के सहयोग से एक एक्स-रे मशीन लगायी गयी लेकिन वह इतनी खराब और जर्जर हो गई कि आगे चल नहीं सकती। विजय नगर एक बहुत बड़ा कस्बा है, आसपास में औद्योगिक क्षेत्र है, मैं आपसे आशा करता हूं और मांग करता हूं कि एक्स-रे मशीन वहां लगायी जाय।

मेरा एक सुझाव और है, आपने ग्रामीण क्षेत्र को सुविधाएं और तत्परता से लागू करने के लिये सी. एम. एच. ओ. ग्रामीण क्षेत्र की जो पोस्ट क्रियेट की है उसके लिये भी ग्रामीण जनता आपकी बहुत-बहुत आभारी है। इससे प्रशासन में चुस्तता आयेगी लेकिन इसमें मेरा एक सुझाव है कि

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

डिवीजन लेवल पर जैसे अन्य विभागों–पी. एच. ई. डी. एजूकेशन और पी डब्ल्यू. डी. में ज्वाइन्ट डाइरेक्टर की पोस्ट है, वहां का काम वहीं ही जाता है, इसी प्रकार से डिवीजन लेवल पर अगर आप ज्वाइन्ट डाइरेक्टर की पोस्ट क्रियेट करेंगे तो वहां के डॉक्टर्स और अन्य लोग, कम्पाउण्डर, जयपुर के धक्के नहीं खायेंगे और वहां का काम वहीं हो जायेगा। उनका समय भी बचेगा और प्रशासन में चुस्तता आयेगी। इसी प्रकार जिस प्रकार आपने ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों को लगाया है उसके लिए भी मुझे यह कहना है कि डॉक्टर्स बहुत दूर तक गांवों में रहते हैं, पर्चियां भी लिखते हैं, प्रिसक्रिप्शन भी लिखते हैं लेकिन मेडिसन उपलब्ध नहीं होती है। मेरा यह आग्रह है कि स्टोर पर्चेज कमेटी को आप निर्देश दें कि साठ प्रतिशत दवाइयां वह खरीदें जो ग्रामीण क्षेत्र में लिखी जायें, वह वहां अस्पताल से सुलभ हो सकें क्योंकि दवाइयां वहां उपलब्ध होंगी तो शहर में 15–20 किलोमीटर दवाई लाने के लिये नहीं जाना पड़ेगा।

अन्त में मेरा एक सुझाव है कि हमारे जवाहरलाल नेहरू हास्पिटल में लिफ्ट बड़े अरसे से खराब है। उसके लिए आपको कई बार लिखा भी है और सुझाव भी दिया है और आपको भी लिखा है तो आप आज ही घोषणा करें कि वह लिफ्ट व्यवस्था ठीक हो जायेगी।

एम्बुलेन्स की व्यवस्था हर रेफरल हास्पिटल में और बड़े हास्पिटल में अनिवार्य रूप से होनी चाहिये। मेरे विजय नगर में आपके डिपार्टमेन्ट ने एम्बुलेन्स व्यवस्था सुलभ कराई है लेकिन आज तक वह विजयनगर में नहीं आयी है और वह एम्बुलेन्स पता नहीं कहां चल रही है। वहां का ड्राइवर है वह तनख्वाह उठा रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दें और ग्रामीण क्षेत्र में एम्बुलेन्स की सुविधा अनिवार्य रूप से करें क्योंकि अगर कोई सीरियस केस हो तो डाक्टर उसे रैफर करे और वह मरीज बड़े अस्पताल में पहुंच सके।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री घासीलाल चौपड़ा।

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल और मांग संख्या 26—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सन्दर्भ में आपके माध्यम से अपने विचार माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। मैं खास तौर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र टोडा-रायसिंह की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने धन्यवाद दिया और मैं भी चाहता हूं कि धन्यवाद दूं लेकिन जब मैं मेरे क्षेत्र की तरफ नजर डालता हूं तो मेरी इच्छा मर जाती है। इसका कारण क्या है, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री महोदय जो कि मुख्य मंत्री भी हैं उन्होंने कहा कि हम 62 प्रतिशत बजट ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करते हैं वह चाहे प्राइमरी स्वास्थ्य हो, सड़कें हों, हर मद में, पिछली साल भर से 62 प्रतिशत चल रहा है। मेरे क्षेत्र में एक किलोमीटर सड़क नहीं बनी है। कच्ची सड़कें जरूर

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

बनी हैं लेकिन वह सड़कों की परिभाषा में नहीं आती हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र टोडारायसिंह से बोटूंदा. टोडा रायसिंह से बरबास जो कि टोडारायसिंह से डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर को जोड़ती है अगर यह सड़क बना दी जाये तो तहसील हैड क्वार्टर की दूरी मात्र 35 किलोमीटर हो जायेगी। अभी जो है इस सड़क के अभाव में 70 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। आम गरीब आदमी को, आम किसान को, मजदूर को, छोटे आदमी को जिला हैड क्वार्टर जाना पड़ता है। इसकी सेफ्टी के लिये, उनका किराया बचाने के लिये, गरीबों की रक्षा के लिये और टोडारायसिंह से बरबास सड़क इस साल में आप मन्जूर कर दें तो बहुत बढ़िया होगा। वह बजट के अनुसार खर्च कीजिये। इस साल 5 किलोमीटर होगा, अगली साल 5 किलोमीटर हो जायेगा लेकिन बजट में आप स्वीकृति दिलवायें। मेरा आपसे यही निवेदन है।

दूसरी रोड है बासू से पोगलिया जो पिछली साल 5 साल में फेमिन में बनी है। अच्छी रोड है। अभी मिट्टी की रोड बनी हुई है। अगर उसके ऊपर तत्काल कोई खर्चा नहीं किया गया तो पिछली साल में जो खर्चा आपने किया है आपके विभाग द्वारा जो खर्चा हुआ है वह वेस्ट हो जायेगा। इस सड़क को पक्का करवाइये। एक मेरे क्षेत्र में रोड है जो कि पिछले पांच सालों से डामर रोड मन्जूर शुदा पड़ी है मोर से सवारिया, वह 22 किलोमीटर की दूरी है। 17 किलोमीटर दोनों तरफ से बन चुकी है। 5 किलोमीटर के लिये गत वर्ष टेण्डर हो चुके थे लेकिन पता नहीं ठेकेदार की या आपके अधिकारियों की लापरवाही से वह काम अभी तक नहीं हो पाया है। 5 किलोमीटर शेष और डामर रोड हो जाये तो यह 22 किलोमीटर का डामर रोड हो जायेगा और उससे तीन पंचायतें प्रभावित होंगी। सरकार की यह नीति है कि हर पंचायत हैड क्वार्टर को सड़कों से जोड़ा जाये। मैं मानता हूं कि हमारे पास सीमित साधन है लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि पंचायत से पंचायत को आप नहीं जोड़ सकते तो हर पंचायत को कम से कम डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से जोड़ दीजिये ताकि आने-जाने में सुविधा हो। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हो सकता है आपको मेरे से कोई नाराजगी हो, लेकिन अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में दीजिये जहां सड़कें हों और किसान भी इस बात को समझे कि किसानों के प्रति संवेदनशील सरकार, आम आदमी के प्रति संवेदनशील सरकार आयी है और सड़कें दे रही है। ऐसा नहीं हो कि आप सारा पैसा 20 प्रतिशत लोग जहां रहते हैं वहां सड़कों पर खर्च कर दो। आज जयपुर की सड़कों को देखिये कोई दचका नहीं लगता है। एक टोडारायसिंह से बघेरा जो इन्टर-स्टेट रोड है उसकी आप हालत देखिये। अगर मान लो कोई आदमी अपनी गर्भवती किसी महिला को लेकर टोडारायसिंह से केकड़ी जाता है तो उसको डॉक्टर के पास पहुंचने की जरूरत नहीं है। उसको डिलीवरी रास्ते में हो जायेगी। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि सड़क की हालत इतनी खस्ता है, इतनी खराब है कि गड्ढे ही गड्ढे पड़े हुए हैं। अब तक उस सड़क

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

उस सड़क की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आप नोट फरमायें, उस सड़क की रिपेयरिंग करवायें। हो सकता है आप नयी सड़कें नहीं बनवायें, तो कम से कम जो पुरानी सड़कें हैं, जो कांग्रेस सरकार ने बनाई उनकी ही मरम्मत करा दो उससे ही हम तसल्ली कर लेंगे।

अब मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ दिलाना चाहता हूं मांग संख्या 26 की तरफ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री जी को यह विभाग मिला, शुरू-शुरू में बड़ा हव्वा बना। बड़ा टेरर पैदा हुआ डाक्टरों में। डाक्टर सीरियस हो गए कि कभी भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी दौरा करेंगे और डाक्टर को गाड़ी में बैठाकर जयपुर ले आयेंगे बड़े डरे हुए थे लेकिन वह आपका अल्पकालीन ही डर था। जो ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, ब्यूरोक्रेसी तो आफिसर्स लाइन में होती है आई. ए. एस. आफिसर जहां नयी सीट पर जायेंगे 4 महीने, 6 महीने उसका डर रहेगा लेकिन फिर वह डर मिट जायेगा। आपका खौफ प्रजातांत्रिक तरीके से होना चाहिए। वह नहीं रहा। अब डाक्टर निश्चित हो गए। परवाह नहीं करते हैं। मैं मेरे क्षेत्र की बात बताता हूं कि पिछली साल टोडारायसिंह कस्बे में रेफरल हास्पिटल क्रमोन्नत कर गये। आज वहां की जनता ने जनसहयोग से 6-7 कमरे और 2-3 हाल बना दिये लेकिन आपके विभाग से अभी तक एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। आपने अपने विभाग से वहां एक भी भवन नहीं बनाया है। अब तक जो भी निर्माण कार्य हुआ है वह सिर्फ जनसहयोग से हुआ है। मैं आपसे यह आकांक्षा करता हूं कि वहां डाक्टरों की कमी है। रेफरल हास्पिटल का जो भी स्टाफ है वहां एक तो सबसे ज्यादा अभाव है लेडी डाक्टर का। महिलायें जब प्रसव पीड़ा में रहती हैं तो लेडी डाक्टर के अभाव में उनको वहां नहीं जाकर अन्यत्र जाना पड़ता है। बड़ी तकलीफ होती है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कल पोस्टिंग कर दी।

श्री घासीलाल चौपड़ा : अभी तक पहुंची ही नहीं। यह कागजों का मामला है। पहुंच जायेगी तो मैं आपको धन्यवाद दे दूंगा।

दूसरा मैं आपसे निवेदन करूं कि मेरे ग्रामीण क्षेत्र में मांदोलाई एक पी. एच. सी. है जहां 3 डाक्टरों की पोस्टिंग है। मैं आपके शासन की बात नहीं कर रहा हूं। पिछले पांच साल से वहां एक डाक्टर चला आ रहा है। एक जाता है कभी उसका ट्रान्सफर होता है। वह डाक्टर महोदय भी महीने में जिस दिन स्टाफ मीटिंग होती है उस दिन जाते हैं। वेतन लेकर और पूरे महीने की हाजरी एक दिन करते हैं। मैं स्वयं एक दिन वहां पी. एच. सी मांदोलाई में पहुंचा। मैंने डाक्टर साहब से निवेदन किया तो डाक्टर साहब तोलिया बांधे हुए और दारू पीये हुए मस्त घूम रहे थे। सही है यह बात। मैंने डाक्टर साहब से निवेदन किया कि डाक्टर साहब डाक्टर का संबंध पब्लिक से अच्छा होना चाहिए। तो बोले क्या मेरा संबंध

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

खराब है। आपको अच्छा नहीं लगा ? आप लोगों को अच्छा नहीं लगे तो ट्रांसफर करादो। मैंने कहा ट्रांसफर के लिए कहूंगा तो स्वास्थ्य मंत्री जी इसे और ले जायेंगे। यह डाक्टर गांव के छोरों को दारू पीकर बिगाड़ता है। आप इसको तुरन्त हटा दीजिए और किसी अच्छे डाक्टर को लगाइये। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपने जो पालिसी बनाई है इस प्रकार की, कि सात साल ग्रामीण क्षेत्र में रहने के बाद डाक्टर वापिस शहर की तरफ मुंह करेगा। यह जो नीति आपने बनाई क्रियान्वित हो जाय तो बहुत बढ़िया है। डिस्पेंसरी टोडाराय, बरवास और खरेड़ा यह दो डिस्पेंसरीज हैं जहां कोई डाक्टर नहीं है, नर्सिग स्टाफ नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि जरुरत मंदों को दवाई मिले। अभी हमारे पूर्व माननीय सदस्य ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेडीकल स्टोर नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

प्लीज, मैं बहुत कम बोलता हूं इसलिए आज मौका दिया जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में मेडीकल स्टोर न हो तो ज्यादा से ज्यादा दवाई उपलब्ध करवायेंगे ताकि गरीब आदमी को दवा मिले वहां से प्रेस्क्रिप्शन डाक्टर लिखता है खरेड़ा में और जाना पड़ता है 30 कि.मी. दूर दवा लेने तो क्यों नहीं टोडारायसिंह डाक्टर के पास दवा उपलब्ध करावें। मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं मेरे वहां बडी तकलीफ है, समझ कर सुनें। यह मेरे क्षेत्र की तकलीफ है। वहां दवा के लिए 30 कि.मी. दूर जाना पड़ता है मेडिकल स्टोर के अभाव में। या तो लाइसेंस दे दें, कोई मेडिकल स्टोर खुल जाय। यह भी प्रक्रिया क्रिटीकल है, लाइसेंस नहीं मिलता, इसलिए मेडिकल स्टोर नहीं खुल सकता अतः दवाई ज्यादा से ज्यादा मुहैया करवावें और अच्छे से अच्छे सीनियर डाक्टर को पी. एच. सी. मान्दोलाई, डिस्पेंसरी टोडारायसिंह, खरेड़ा और बरवास में लगाइये और जो वर्तमान में डाक्टर साहब हैं उनको आप यहां बुला लीजिए, मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, अभी दो विधेयक और पास करने हैं इसलिए इसको ध्यान में रख कर अपना भाषण देंगे।

श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में 5 मिनट में निवेदन करूंगा। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में रोड के मामले में 1977 से लेकर आज तक 43 कच्ची सड़कें बनी हुई हैं मिट्टी की और गांव में कोई यह नहीं कह सकता कि बनी हुई नहीं हैं, लेकिन आधी मिट्टी तो गत बार उड़ गई और थोड़ी बहुत बची है वह गर्मियों में और उड़ जायेगी। कई जगह रोडी डाली हुई है लेकिन वह भी कट-कट कर बिखर गई है सब्जी का इलाका है लेकिन जयपुर तक सब्जी लाने के लिए लोग-बाग वेलाड़ा से सामरिया, कानोता गोनेर होते हुए यहां आने के लिए कम से कम उनको 65 कि.मी. पार करने पड़ते हैं। मेरे विधान

(श्री कन्हैयालाल)

सभा क्षेत्र में सामरिया से बिलाड़ा वाया कोट खावदा एक रोड दे दें और एक रोड टाडामाटा से गोनेर तक जो सीधी मालवीय नगर में सब्जी मण्डी में काश्तकार वहां आ सकते हैं इन 43 रोडों में से कम से कम आधी पर तो कार्य चालू होना चाहिए था उनमें घरडवासी, घरड़वासी से दौलतपुरा और बस्सी से नाईकीना जिसमें 20 गांव मिलते हैं और तीन पंचायत हैड क्वार्टर इसमें जुड़ जाते हैं सामरिया से बेलाड़ा में 13 पंचायत हैडक्वाटर मिलते हैं, साथ ही कोट खावदा और चाकसू के बीच में ढूंढ नदी पडती है उसमें ,बारिश में चाकसू कृषि उपज मण्डी में कोई भी सामान लाने के लिए या चाकसू जाने के ले लिए लिए काश्तकार पूर्व से पश्चिम की तरफ और पश्चिम से पूर्व की तरफ रह जाती है उनके आने जाने के लिए पुलिया निर्माण के लिए पूर्व में भी कहा गया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। दूदू से दौसा बाई-पास भी उधर से शुरू हो चुका है। और वह पुलिया अगर बन जाती है तो उसमें 33 कि. मी. चक्कर लालसोट दौसा से आने वालों को पड़ता है और सीधा अजमेर रोड से मिल जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के सैकड़ों गांवों को भी उस पुलिया से फायदा मिलेगा काश्तकारों को।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा पूरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र एक सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र है उसमें भी मातृ शिशु कल्याण केन्द्र नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है कि मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोला जाय। साथ ही एक्स-रे मशीन की सुविधा कहीं भी नहीं है। न कोट खावदा प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र में और न सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में, 1977 में इसकी स्वीकृति हुई थी लेकिन आज तक नहीं लगाई गई। मेरा निवेदन है कि वह एक्सरे मशीन लगाई जाय। चाकसू कोट खावदा रोड पर देलाणा में एक पी. एच. सी. की स्वीकृति दी जाय। साथ ही सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र बस्सी में है वहाँ पर जो डाक्टरों को नियुक्त कर रखा है, कागजों में तो वहां दिखा रखा है और उन चारों डाक्टरों की नियुक्ति आन डेपूटेशन जयपुर में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूर्व में भी व्यक्तिगत मिल कर और लिखित में आपको शिकायत कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके पांच मिनट पूरे हो गये।

श्री कन्हैयालाल : अभी तक डॉक्टर वहां लगे नहीं हैं, मात्र दो डॉक्टर आज वहां ड्यूटी पर हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के 29 माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत आभारी हूं:—

(9.28 रात्रि)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति पदासीन)

जिन्होंने अपने अमूल्य 6 घंटे और 10 मिनट में सड़कों और पुल और चिकित्सा

(320)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

के क्षेत्र में बहुत कुछ सुझाव दिये। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत बताना चाहता हूं कि जो सुझाव यहां दिये गये हैं उन पर निश्चित रूप से विभाग अमल करने का पूरा प्रयास करेगा। कुछ इस प्रकार की बातें भी कही जिनमें विभाग की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। मैं निवेदन करता हूं विभाग के अधिकारियों को बिठा कर इन सब बातों को नोट किया गया है और इस प्रकार की जो कमियां हैं उनको दूर करने का विभाग निश्चित रूप से प्रयास करेगा। अपनी बात प्रारम्भ करने के पहले टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि एक डाक्टर हमारे यहां है जो आता नहीं यह शिकायत की है और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं यह सूचना आपके पास पहुंचा देता तो आप उसी को रख लेते। मैं आपके माध्यम से पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, हमने विभाग में एक सैल बनाया है जो सैल तुरन्त जांच करता है। किसी भी माननीय सदस्य का कोई पत्र शिकायत के संबंध में आयेगा, सामान्य रूप से प्रक्रिया कर जांच की जाती है। इस प्रकार की शिकायतें अगर डाक्टर बन्धुओं के संबंध में पैरा मेडिकल स्टाफ के संबंध में, आयेगी तो हमने निदेशालय में एक ऐसा सैल कायम किया है, उस सैल के डाक्टर तुरन्त जाकर एक दो दिन में इस बात की रिपोर्ट हम तक पहुंचाते हैं।

मैं सभी सदस्य बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कभी भी पत्र लिखें, चिकित्सा व्यवस्था में व्यवधान किसी कारण से पड़ रहा हो तो विभाग उसका तुरन्त काग्नाइजंस लेकर अविलम्ब जांच करके उस पर निर्णय लेगा, किसी प्रकार की खामी नहीं आयेगी और राजनैतिक रूप से इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जायेगा।

माननीय सभापति महोदय 1990-91 का जो वर्ष रहा है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप पत्र का उत्तर देते हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां, मैं प्रत्येक पत्र का उत्तर देता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरे पत्र आपको मिले ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपका कोई पत्र नहीं मिला मुझे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कमाल कर दिया आपने। मैं आपको रसीद पेश कर दूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां, मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं प्रत्येक पत्र का उत्तर निश्चित रूप से देता हूं। यह बात सच है कि कभी दौरे में रहूं तो पत्र का उत्तर देने में देरी हो सकती है। जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिये कि जिस जिसने पत्र दिया होगा.... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, इसलिये फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

प्रकार की चिकित्सा सुविधा को ठीक करने के लिए या और भी कोई सुझाव आयेंगे, कोई राजनैतिक विचार नहीं किया जायेगा, न पक्ष का और न विपक्ष का। पत्र पढ़े जायेंगे उत्तर दिया जायेगा, काम होगा तो बताया जायेगा, अगर करने की सम्भावना नहीं है तो क्यों नहीं हो सकता, इसका जिक्र पत्र में निश्चित रूप से किया जायेगा।

माननीय सभापति, महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 1990-91 के वर्ष को चिकित्सा के क्षेत्र और सड़कों के क्षेत्र में हमने एक माइल स्टोन के रूप में रखने का प्रयास किया है। मैं पहले चिकित्सा की दृष्टि से चर्चा करना चाहूंगा।

चिकित्सा के क्षेत्र में दो बातों का बड़ा प्रभावी रूप से इस बार प्रयत्न किया गया है। मैंने पिछले भाषण में इस बात की चर्चा की थी कि हमारी प्रथम वरीयता ग्रामीण चिकित्सा सुविधा है और हमें यह लगा कि ग्रामीण चिकित्सा सुविधा देने की दृष्टि से जो हमारी चिकित्सा का ज़िला प्रशासन है, वह पूरा सुदृढ़ नहीं है, उसको प्रभावी बनाया जाना चाहिये। दूसरा हमको यह लगा कि प्रीवेन्शन की दृष्टि से चिकित्सा शिक्षा का लोगों को ज्ञान देना और प्रचार करना आवश्यक है। इसीलिए हमने इस वर्ष में एक संस्थान की स्थापना की है जो सारी शिक्षा की गतिविधियों को देखता है और प्रचार की गतिविधियों को देखता है।

माननीय सभापति महोदय, जिस जिला प्रशासन को सुदृढ़ करने की बात मैंने आपसे कही, जो सी. एम. एच. ओज. हैं, वे सीनियर स्पेशलिस्ट रहते हैं, जिला केन्द्र पर रहते हैं। सीनियर स्पेशलिस्ट अपने क्षेत्र में स्पेशिलाइज होने के कारण उन पर मरीजों का बहुत बड़ा भार रहता है। इस कारण से उनका जिला क्षेत्र में दौरा करना, हमारे आर्डर देने के पश्चात भी पूरी तरह से सम्भव नहीं हो पाता है। इसीलिए पिछली बार हमने कहा था कि रूरल सी. एम. एच. ओज. का निर्माण करेंगे। हमने इस वर्ष में अभी तक तो 27 रूरल सी. एम. एच. ओज. बनाये हैं, तीन नये जिले बनायेंगे, तो 30 की हमने नियुक्ति कर दी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो हमने लगाये हैं, ये नोन स्पेलिस्ट हैं। लाडपुर से आने वाले माननीय सदस्य इस बात की चर्चा कर रहे थे कि स्पेशलिस्ट तो यहां रहेंगे और ये जूनियर लोग वहां पहुंच जायेंगे तो कैसा रहेगा। माननीय सभापति महोदय, ऐसी बात नहीं है हमारे यहां दो चैनल हैं। एस. एम. ओ. से एडमिनिस्ट्रटिव क्लास में व्यक्ति चला जाता है। दूसरी चैनल है एम. ओ., से एस. एम. ओ. जूनियर स्पेशलिस्ट, सीनियर स्पेशलिस्ट इस क्षेत्र में चले जाते हैं। ये रूरल सी. एम. एच. ओ. लगाये हैं, ये जो जूनियर बंधु नहीं है, ये सीनियर एस. एम. ओज. हैं, वे लोग हैं जिनकी सीनियरटी के हिसाब से, जूनियर स्पेशलिस्ट तो सीनियर स्पेशलिस्ट के कम्पेरेजन में आकर बनते हैं। इसीलिये उनके मन में जो शंका पैदा हुई है, मैं उसको दूर करना चाहता हूं और इसीलिये जिला प्रशासन को सुदृढ़ करने

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

की दृष्टि से रूरल सी. एम. एच. ओज. की स्थापना की गई है, जिनका ट्रेनिंग कोर्स अभी चल रहा है, उनको सब प्रकार का ज्ञान अभी दिया जा रहा है, सब प्रकार कानूनों से उन्हें अवगत कराया जा रहा है और एस्टेब्लिशमेंट की व्यवस्था की जा रही है। इसके पीछे प्रयोजन यही है कि ये जो नोन स्पेशलिस्ट रहेंगे, वे सारे क्षेत्र में लगातार दौरा कर सकेंगे, प्रवास कर सकेंगे,।

इसके उपरान्त एक शंका और लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रकट की थी कि पी. एम. एच. ओ., सी. एम. एच. ओ. के अण्डर हो जायेंगे। ऐसा नहीं है। पी. एम. एच. ओ. की जो व्यवस्था है वह जिला केन्द्रों पर है, वह अलग व्यवस्था है जिला केन्द्र के जितने इंस्टीट्यूशन्स हैं, उनका काम देखेंगे। ये रूरल सी. एम. एच. ओज. हैं जिनको हमने सी. एम. एच. ओ. कहा है, इनका कार्य क्षेत्र जिला केन्द्र को छोड़कर, जिले में जितनी भी इंस्टीट्यूशन्स हैं उनकी देखभाल करना होगा, मोनेटरिंग करना होगा, इंसपेक्शन करना होगा, डाक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ ठीक स्थान पर समय पर पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, वहां रहता है या नहीं रहता है, लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराता है, या नहीं कराता है इस बात की चिन्ता करना होगा। इसके कारण एक फायदा और हुआ। जिन स्पेशलिस्ट को हमने पी. एम. एच. ओज. बनाया है, उनके स्पेशलिटीज का पूरा उपयोग जिला केन्द्र की जनता को लगातार होता रहेगा। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो इस बात की प्रशंसा की है, कुम्हेर से आने वाले माननीय विधायक महोदय हैं, लाडपुरा से आने वाले माननीय विधायक हैं, उन्होंने इस बात की तो चिन्ता प्रकट की थी, हमारे मन में भी यह ध्यान था कि डिप्टी. सी. एम. एच. ओ. को भी हम जिला केन्द्र से हटाकर एस. डी. एम. क्षेत्र पर ले जावें किन्तु मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि यह वर्ष बीच में है, तीन महीने बाद नया वर्ष प्रारम्भ होने वाला है, उनको अपना स्थान शिफ्ट करने के कारण कई कठिनाइयां आ सकती है, इसलिए राज्य सरकार ने विचार किया है कि दूसरे कदम के रूप में जो डिप्टी सी. एम. एच. ओज. है, जो आज विभिन्न प्रकार के कामों को देखते हैं, एक डिप्टी सी. एम. एच. ओ. देखता है मलेरिया, एक देखता है टी. बी., एक देखता है नारू उन्मूलन, एक देखता है परिवार कल्याण। वे सारे जिले में नहीं जा पाते, इसलिए इन डिप्टी सी. एम. एच. ओज. को हम जिला केन्द्र से स्थानान्तरण करके सब डिवीजनल केन्द्र पर ले जावेंगे और वहां अपने छोटे क्षेत्र की इन सभी गतिविधियों को देखता हुआ उस क्षेत्र में चलने वाले मेडिकल इंस्टीट्यूशन्स की लगातार मोनेटरिंग करता रहेगा।

ग्रामीण चिकित्सा सुविधा की दृष्टि से ये दो कड़े कदम सरकार ने उठाये हैं। एक उठा लिया है और दूसरा जुलाई में उठाने का हमारा विचार है। माननीय सभापति महोदय, मैंने जो दूसरी बात आपको कही है, prevention is better

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

than cure. सर्वे सन्तु निरामया:, आज जिस बात को लेकर हम चले हैं, उसके अनुरूप स्वास्थ्य की शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यक्रमों, परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सब प्रकार की सूचना लोगों को दी जाती रहे, यह बात अत्यन्त आवश्यक है और इसलिये एक संस्थान का निर्माण किया गया है जिसमें एक वरिष्ठ अधिकारी आई. ए. एस. अधिकारी निदेशक के रूप में लगाया गया है और इनके अन्तर्गत यह सब काम है कि प्रचार प्रसार की इकाइयों का एकीकरण, राज्य स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार, सूचना एवं संचार साधनों को लगातार कार्यान्वित करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहूंगा कि एक "निरामया" नाम की त्रैमासिक पत्रिका का हमने आरम्भ किया है। जिसको हम पंचायत केन्द्रों तक पहुंचाते हैं, इस पत्रिका में शिक्षा प्रसार की दृष्टि से सब बातें हो चुकी हैं। तीन अंक इसके निकल चुके हैं और चौथा अंक निकलने वाला है। जब से हम आये थे, तब से इस प्रकार की व्यवस्था की थी और हम यह चाहते हैं कि परिवार कल्याण और स्वास्थ्य के लिये प्रिवेन्शन की दृष्टि से सारी सूचनाओं को लोएस्ट लेवल तक पंचायत केन्द्रों तक हम पहुंचा सकें, इस प्रकार की व्यवस्था करने का हमने प्रयत्न किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं, मैं जानता हूं, मन की अत्यन्त तीव्र इच्छा होते हुए भी कई सालों की बनी हुई परम्परा है, कई सालों की बनी हुई आदतें हैं कई सालों से बना हुआ स्वभाव है, उसमें परिवर्तन करने में कठिनाई हो रही है मैं कठिनाई को समझता हूं और मैं विधायक महोदय का भी इस कठिनाई को हल करने में सहयोग लेना चाहता हूं। राज्य सरकार ने जहां ग्रामीण चिकित्सा सुविधा को प्रथम वरीयता के रूप में रखा था, वहां हमने यह भी निश्चय किया है कि आगामी समय में हम प्रयास करें कि अच्छी चिकित्सा और सस्ती चिकित्सा मिले। मैं जानता हूं यहां एस. एम. एस. अस्पताल में लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने घर के कपड़े बेचकर, अपने घर के गहने बेचकर, अपने परिवारजनों की चिकित्सा कराते हैं। रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, बजट बड़ा लिमिटेड है। दवाई का कहा माननीय सदस्य ने, मेरी उनके साथ सहमति है। मैं जानता हूं कि सरकार कितना भी प्रयास करके इस प्रावधान को बहुत अधिक नहीं बढ़ा सकती। किन्तु राज्य सरकार ने एक प्रकार का विचार किया और जिसका एक्सपेरिमेण्ट हमने एस. एम. एस. अस्पताल से शुरू किया है। हमने अब निश्चित किया है कि एस. एम. एस. अस्पताल के बाद सारे मेडिकल कालेजेज, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल और पी. एच. सी. लेवल तक यह व्यवस्था ले जाना चाहते हैं। इन्डोर पेमेण्ट इन सारे अस्पतालों में जब बिलो पावर्टी लाइन होगा नम्बर 1, 70 साल से बूढ़ा होगा नम्बर 2, विधवा महिलाएं होंगी नम्बर-3, कहीं से भी करेंगे, कुछ भी करेंगे और सारा प्रयत्न करेंगे, इनको सारी दवाएं इन्डोर पेमेण्ट को मुफ्त में देने की व्यवस्था की

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

जा रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं जानता हूं, बजट आज बहुत लिमिटेड है और इस बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा केबिनेट में हुई है। लोगों से हुई हैं और लगातार यह भावना बन रही है। मैं सारे विश्व की बात बताना चाहता हूं। बिलो पावर्टी लाइन तक कुछ क्षेत्र में तो उनके लिये विचार करना पड़ेगा किन्तु जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके बारे में भी विचार करना पड़ेगा। धीरे-धीरे यह बड़े-बड़े संस्थान केवल मात्र दवा लिख कर उसको दिशा बताने के लिए होंगे। लेकिन हमको बिलो पावर्टी लाइन के लोगों के लिये तो सब प्रकार दवाइयां सस्ती उपलब्ध करवाने का प्रयास करना पड़ेगा। मैं जानता हूं, मुझे जानकारी है, मैं बताने में संकोच नहीं करुंगा, इनडोर पेमेण्ट में आज 1/3 दवाएं वी. आई. पीज. के फोन जिनके आते हैं, मिलती हैं, 1/3 दवाएं जो डाक्टरों के पहचान के लोग है उनको मिलती हैं, और 1/3 केवल वो दवाएं हैं जो जनता में बंटती है और बिलो पावर्टी लाइन के पास तो 10 पर्सेण्ट और 15 पर्सेण्ट आकर रह जाती हैं। हमको विचार करना पड़ेगा कि कुछ सैक्शन के लिए हम दवाई लिख दें और बाजार से ले आवें जो इसको लाने की स्थिति में हैं। किन्तु जो निम्न कैटेगिरी के लोग हैं, जो आज डाउनट्रोडन लोग हैं उनके बारे में शनैः शनैः राज्य सरकार विचार कर रही है और उस दृष्टि से पहला कदम उठाने का विचार हमने किया है।

माननीय सभापति महोदय, प्रतिनियुक्तियों की बात आई। क्या जिक्र करूं मैं आपके सामने, 300 से अधिक डाक्टर प्रति-नियुक्तियों पर थे। गांवों में पोस्टिंग था और काम करते थे शहरों में, तनख्वाह उठाते थे गांवों से। ए. एन. एम. थी 900 की संख्या में, आपको सुन कर आश्चर्य होगा, वे डेप्युटेशन पर थीं। अभी बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य शिकायत कर रहे थे, मैंने जानकारी की है। यह कह दिया कि वहां ऐसा डाक्टर नियुक्त करो जिसको वहीं जाकर रहना होगा, कोई भी प्रति-नियुक्ति पर नहीं रहेगा। शनैः शनैः 90 पर्सेण्ट प्रति-नियुक्ति खत्म कर दी हैं और 10 पर्सेण्ट प्रति-नियुक्तियों को भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उनको खत्म किया जाय। इस बारे में मैं ए. एन. एम. की प्रति-नियुक्ति के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। मैंने कहा कि 900 थीं। बड़ी कठिनाई हुई उनको। आकर ए. एन. एम. बहन कहती थी कि मैं बारह साल से काम कर रही हूं, कहां भेज रहे हो मैंने उनसे पूछा कि ए. एन. एम. का शहरों में काम क्या है। उनकी ड्यूटी ही नहीं। ए. एन. एम. तो सब सैन्टर के लिए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में है। मेरी समझ में नहीं आता कि 900 ए. एन. एम. को कैसे प्रति-नियुक्ति पर लगा रखा है। अब तक उनको कैसे लगा रखा था। मुझे बहुत कठिनाई हो रही, मैं जानता हूं। डाक्टर सब की नाड़ी पकड़ते हैं कैसे-कैसे दबाव और कहां-कहां से आते हैं उसकी चर्चा मैं आपके सामने नहीं करना चाहता। मुझे कुछ अन-पोप्युलरिटी भी मिली है। यहां

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

बन्धु चर्चा कर रहे थे. तबादलों की। तबादलों के बारे में आज शिकायत है मेरे दल के कई लोगों को कि यह तबादले नहीं करते हैं हमारे कहने से। मैं हाथ जोड़ता हूं और आज चूंकि एक वर्ष पूरा हो रहा है और आज बजट का सत्र है इसलिए मैं सब विधायक बन्धुओं से मांफी मांगना चाहूंगा कि इस वर्ष में तबादले के विषय को लेकर अगर किसी की भावनाओं को मैंने ठेस पहुंचायी है तो किसी एक उद्देश्य विशेष के कारण पहुंचायी है। कभी मन में यह बात नहीं आयी कि मैं आपके काम का पालन नहीं कर सका। इसलिए मैं आज पब्लिक से क्षमा मांगना चाहता हूं इस बात के लिए। संकोच नहीं करूंगा.... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डाले। आप बिराजें। आप आसन ग्रहण कीजिये। कृपया बिराजे। व्यवधान नहीं डालें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, मेरे जिले सवाई माधोपुर में सब से ज्यादा तबादले हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आसन ग्रहण करें। कृपया बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : सबसे ज्यादा ट्रान्सफर जिला सवाई माधोपुर में सब से ज्यादा एस. टी. के लोगों के तबादले हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। बैठिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि इस वर्ष में 1370 डाक्टरों की हमने नियुक्ति की है। मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि जितने पंजीकृत चिकित्सक राजस्थान के सभी नियोजन कार्यालय में थे उसमें से एक-एक को नौकरी दे दी गई है। एक डाक्टर बेकार नहीं है राजस्थान की धरती पर आज। माननीय सभापति महोदय, मैंने 13 मार्च के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 31 मार्च तक सारे डाक्टरों के रिक्त पद भर दिये जायेंगे। मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि 31 मार्च का वेट नहीं किया मैंने आज 21 मार्च को प्रातः काल ही जो सारे प्रार्थना पत्र हमको प्राप्त हुए थे गांवों की सारी जगह भर दी गई हैं। कुछ डाक्टर नहीं पहुंचेगे मैं जानता हूं। उसको भी मैं देखूंगा किन्तु डाक्टर का एक-एक ग्रामीण पद भर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बैठिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं तो आज की बात कर रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा और इसके बाद भी 341 पद रिक्त हैं। जबकि सारे डाक्टरों की लिस्ट एग्जास्ट हो चुकी है। किन्तु ये पद या तो डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स में खाली हैं या नगरपालिका क्षेत्रों में खाली हैं। ग्रामीण क्षेत्र का आज एक भी पद रिक्त नहीं हैं हमारे अनुसार, मैं यह कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, 341 पद

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के पदोन्नति से भरे गये हैं। 139 पद कनिष्ठ विशेषज्ञों की पदोन्नति से भरे गये हैं। अब एलीजीबल नहीं है हमारे पास। इसलिए उन स्थानों पर हमने जो एम. एस. और एम. डी. लोग थे उनको लगाया। हम आर. पी. एस. सी. के पास जा रहे हैं। हम नयी सूची बना रहे हैं, सूचना ले रहे हैं और डी. ओ. पी. हमको अलाउ कर देगा तभी इन कनिष्ठ विशेषज्ञों के प्रमोशन्स हम करेंगे। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा उन कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद पर सी. एस. ओ. लग गये किन्तु कनिष्ठ विशेषज्ञ नहीं हैं। किन्तु आगामी तीन महीने में 30 जून तक इन कनिष्ठ विशेषज्ञों के प्रमोशन भी निश्चित रुप से कर दिये जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, गत वर्षो में प्रवृति देखी जा रही है कि चिकित्सक अन-इच्छित स्थानों पर स्थानान्तरण होने के कारण वहां जाते नहीं। यह एक बड़ी कठिनाई है। यह आदत पड़ी हुई है। मैंने जैसा निवेदन किया था उस समय, फिर मैं दोहराना चाहूंगा, हमने निश्चय किया है एक भी डाक्टर का तबादला होने के बाद तीन महीने तक सेटिस्फेक्टरी काम करने की रिपोर्ट स्थानान्तरण के स्थान से नहीं आ जाती तब तक कोई वेलिड कारण भी होगा उसके प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। मैं यह जानता हूं कि इसके बाद भी लोग एक-एक साल से छुट्टी लिये हुए बैठे हैं। उनके विरुद्ध डिसिप्लेनरी एक्शन शुरु कर दिये हैं। मैं फिर आज दोहराना चाहूंगा सदस्य महोदयों से कि डाक्टर सब की नाड़ी पकड़ते हैं, वह दबाव डालते हैं। कृपा करके ग्रामीण चिकित्सा सुविधा को प्रदान करने के लिए तीन महीने का जो मैंने निश्चिय किया है उसमें आपका भी सहयोग उसी प्रकार निश्चित रुप से मिले ताकि हम आगे बढ़ सकें।

माननीय सभापति महोदय, जिस गति से चिकित्सा सुविधा का प्रसार हुआ है, पेरा मेडिकल स्टाफ का नहीं कर सके। यहां चर्चा की ए. एन. एम. की। जितनी ए. एन. एम. ट्रेन्ड थीं सबको लगा दिया है। उसके बाद भी 668 की नियुक्ति की जा चुकी है। बहुउद्देशीय कार्यकर्ता जो एम. पी. डब्ल्यू मेल ए. एन. एम. हैं उनके 461 पद नव सृजित करके पद स्थापित कर दिया है। एम.पी.डब्ल्यू. की समस्या बहुत दिनों से चली आ रही थी। नये पदस्वीकृत कर दिये, लगा दिये, 661 ए.एन.एम. लगा दी। उसके बाद 2461 पद रिक्त हैं और मैं जानता हूं कि जो अगला बैच आ रहा है उसमें 1360 ए. एन. एम. ट्रेन्ड होंगे। उस बैच के बाद भी 800 पद रिक्त रहेंगे। यहां माननीय सदस्यों ने चर्चा की है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सब सेंटर्स में ए. एन. एम. नहीं हैं। जो विरासत में संस्था मिली हम को, जो वेकेंट पोस्ट मिली हैं हम और पदों को तो भर सके लेकिन ट्रेण्ड स्टाफ नहीं तो लाउंगा कहां से ? मैं क्षमा मांगना चाहूंगा मेडिकल मिनिस्टर होने के बाद भी, अपने मन की पूरी इच्छा होने के पश्चात् भी, आज 2400 पद भरने की स्थिति में नहीं हूं। इस वर्ष में तो ए. एन. एम. के पद नहीं आये किन्तु अगले सालों में आयेंगे तो और पद रिक्त रह जायेंगे। अब योजना

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

के अन्तर्गत पिछले 10 सालों में जो इम्बेलेंस रहा है उसको ठीक करने के लिए मैं सब प्रकार के प्रयत्न करने के पश्चात् भी इसमें सफल नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं चिकित्सा विस्तार की दृष्टि से 1990-91 में हम ने 15 सामुदायिक केन्द्र खोले, 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले। 100 उच्चीकृत उप केन्द्र खोले। 26 स्थानों पर प्रसूती सुविधाएं दीं। 7 शहरी डिस्पेंसरियां दीं, 225 ग्रामीण डिस्पेंसरियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उच्चीकृत किया है। योजना बनायी है। जैसा कहा गया है आज इण्टरनेशनल लेवल पर तय हुआ है कि सन् 2000 तक चिकित्सा सुविधा सब को पहुंचा दी जाय। यह विचार है। एक तीव्रगामी योजना राज्य सरकार ने बनायी है। प्रत्येक पंचायत समिति में 30 हजार की आबादी पर सामान्य पंचायत समिति में, और जो पहाड़ी, और रेगिस्तानी इलाका है वहां 20 हजार पर हम एक-एक सामुदायिक विकास केन्द्र, जिसको रेफरल हास्पिटल बोलते हैं, खोलें। आपकी सूचना के लिए बता दूं कि 236 में से 200 पर सामुदायिक विकास केन्द्र खोले गये हैं। 36 स्थान हैं जहां सामुदायिक विकास केन्द्र खोलने हैं। उनको रेफरल हास्पिटल कहा जाता है। यहां बहुत मांग की है, मैं पूरी मांगों को पूरा नहीं कर सकता हूं किन्तु हम ने विचार किया है प्रत्येक पंचायत समिति में एक सामुदायिक विकास केन्द्र होना चाहिए। एक प्लान की व्यवस्था पहले से की जा रही है। नियम यह भी है कि जिस पंचायत समिति की आबादी 1 लाख 50 हजार से ज्यादा हो वहां दो सामुदायिक विकास केन्द्र हों तो हमारी प्लानिंग है, विचार है, योजना है; इस प्रकार की कि जिन-जिन पंचायत समितियों में सामुदायिक विकास केन्द्र नहीं हैं वहां पर खोले जायें इसके बाद भी सामुदायिक केन्द्र बचेंगे तो 1 लाख 50 हजार की आबादी पर एक से दो सामुदायिक विकास केन्द्र कर दिये जायेंगे। पर हम ने हर पंचायत समिति में 30 हजार की आबादी पर जनरल में और 20 हजार की आबादी पर पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्र में एक सामुदायिक सेण्टर और उनमें प्राईमरी हैल्थ सेण्टर कायम करने का प्रावधान किया है। पांच साल की योजना है। पांच साल का विचार किया है कि इन 30 हजार और 20 हजार की आबादी पर जो 2000 ए. डी. तक सब को स्वास्थ्य की कल्पना है उसमें अभी पंचवर्षीय योजना के बीच में तय किया है और ऐसे सब स्थानों पर प्लान बनाया गया है। कई जगह खुल चुकी हैं और जो बच गयी है उनको डोट लगा दिया है कि खोलनी आवश्यक है। योजना आयोग के अनुसार पांच हजार की आबादी पर एक सब सैण्टर खोलना है। एक पंचायत समिति में 6 सब सेण्टर होंगे। हम ने इसका भी मैपिंग कर लिया है कि कौन-कौन से ऐसे स्थान हो सकते हैं कि सारी पंचायत समिति कवर कर लें। इन मेप्स को बनाने के पीछे एक प्रयत्न और है। राजस्थान के प्रवासी राजस्थानी भाई हैं, हम उनसे कॉण्टेक्ट कर रहे हैं, हम पत्र लिख रहे हैं, पिछली बार जब मैं बम्बई गया था तो लोगों ने कहा हम अपने गांव में खोलना चाहते हैं।]

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

मैंने कहा गांव में खोलना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि पंचायत समिति पर चिकित्सा सुविधा पहुंचानी है. इसलिए उन्हीं पाइंट्स पर करना होगा। उन व्यक्तियों को ढूंढते हैं जो उन स्थानों पर भवन का निर्माण कर सकें और उसके लिए मैं आपका भी सहयोग चाहता हूं। यहां कई माननीय सदस्य ऐसे बैठे हैं जिनके प्रवासी राजस्थानी भाइयों से संबंध हैं। जो सूची हमारी पंचायत समिति के हिसाब से बनी है, जो स्थान निश्चय किये हैं, जिन गावों से संबंध रखने वाले प्रवासी भाई कलकत्ता, बम्बई, बंगलौर में हों उनसे सम्पर्क स्थापित करके भवन बनाने की बात आप उनसे करें ताकि जनता और सरकार दोनों मिलकर ही इस पवित्र कार्य को करने के लिए आगे बढ़ सकें। इस प्रकार का विचार करने की हम ने कोशिश की है। माननीय सभापति महोदय, इसमें हम को सफलता मिली है। इस विषय में काफी माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि भवन बन गये, भवन लिये नहीं जाते हैं। स्थानान्तरित नहीं करते हैं। मैं सारे माननीय सदस्यों को आश्वश्त करना चाहता हूं यह बात होगी कभी 10 साल पहले की, अब बनने के पश्चात् तुरन्त ऐसे भवनों को लेने की व्यवस्था की जायेगी। कोई भी सदस्य जब कभी जानकारी देंगे कि भवन बना है और इसका एग्रीमेण्ट सरकार से पहले हो चुका है। कुछ ऐसे भवन बन गये हैं जो अपने आप बना लिये हैं कोई भूतपूर्व मंत्री पहुंचा उसने घोषणा कर दी, कहीं फाइल पर लिखा नहीं, हमारी योजना में भी नहीं, वह आते हैं और कहते हैं कि वहां भवन बन गया....

श्री सुनील कुमार बिश्नोई : मंत्री महोदय, आपकी जानकारी के लिए, विजयनगर में भवन बने करीब 6 महीने हो गये हैं।

श्री सभापति : व्यवधान न डालें। पहले सुनें। क्या आवश्यक है बीच में बोला ही जाय ? आप बाद में प्रश्न पूछ लेना।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक है। मैंने उनसे निवेदन किया आप भवन दे दीजिए। हम ले लेते हैं। तो कहा कि वहां उद्घाटन करने के लिए आप आइये, आप लीजिए। बड़ी मुश्किल है, आखिर मेरा दौरा करने की सीमा है। वैसे मैं घुमक्कड़ मंत्री जाना जाता हूं। सबसे ज्यादा घूमता हूं स्वभाव भी है। पर हार्ट का मरीज हूं, बाई-पास सर्जरी करायी है। सब जगह जाना सम्भव नहीं होगा। इस विजयनगर के बारे में आश्वश्त करना चाहूंगा। आप वहां के विधायक हैं आप ले लीजिए। उसी दिन ले लेंगे। वहां का बनाने वाला या जनता यही चाहे कि आप आओ या मुख्यमंत्रीजी आये तब ही दें. तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मै आ जाऊं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ध्यान है मुझे। अब प्रोग्राम भी तय हो गया है उनके साथ। इसलिए माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि जो सरकार के एग्रीमेण्ट

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

से भवन बने हैं, आपके ध्यान में आता है, ऐसा पत्र आप विभाग को लिखकर एक कापी मुझे दे दीजिए । उसको तुरन्त सरकार अपने हाथ में लेगी, कोई दबाव की बात, जैसी पहले चलती रहती थी, यह बातें चलती होंगी, इस वर्तमान सरकार में इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी प्रकार की कोताई नहीं होगी ।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण चिकित्सा के साथ-साथ आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि हमने शहरों को भी अनदेखा नहीं किया है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। सारे जहां के मरीज यहां आते हैं। राजस्थान के ही नहीं, आज यहां पर डाक्टरों की ऐसी प्रतिभा है, इतनी ख्याति है कि हरियाणा, पंजाब, गुजरात से मरीज एस. एम. एस. अस्पताल में आते हैं। हम को इस बात का फख्र है, हम को इस बात का गौरव है कि हमारे यहां इस प्रकार के डाक्टर हैं जो आज देश के विभिन्न भागों से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। जिस समय यह विचार आया तो 10 साल से चल रहा था मामला जिला अस्पताल का । मैंने पिछली बार घोषणा की थी जिला अस्पताल बनायेंगे और बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी । मैं नहीं जानता कौन बंधु थे जो अदालत में पहुंच कर स्टे ले आये। मैं आज ही सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को स्पष्ट करना चाहता हूं कि दो इण्ट्रेस्ट हैं । एक तो वह इण्ट्रेस्ट हैं जो मेडिकल कालेजेज में लगे हुए हैं। उनको लगता है कि कई यूनिट कम हो जायेंगी मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह जो सांगानेरी गेट पर है जनाना अस्पताल रहेगा। इस जनाना अस्पताल में 200 बैड्स की व्यवस्था है। पांच यूनिट हैं। पांच यूनिट यहां पूरी काम करेंगी । किसी का भी रिट्रेंचमेण्ट नहीं होगा। उनको आश्वस्त करना चाहूंगा । फिर मन में शंका रहती है कि महिलाओं के बैड्स कम हो जायेंगे । वही दो सौ रहेंगे । वहां जिला अस्पताल बनाना चाहते हैं, उसमें तब तक जो दोनों का योग है उतने महिलाओं के बैड रहेंगे जब तक दूसरी व्यवस्था नहीं हो । जैसे-जैसे ऐलडजेस्टमेण्ट होगा बैड्स का ट्रान्सफर करेंगे। न बैड्स में कमी होगी, न यूनिट्स पर किसी प्रकार की बात आयेगी । मैं जानता हूं हमारे कई डाक्टर भाई और यूनिट्स में रीडर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, लगातार माननीय सदस्यों को ब्रीफ करते रहते हैं। यह क्या हो गया ? इसका दुष्परिणाम यह हो गया कि लोग अदालत में स्टे लेकर पहुंच गये । जिला अस्पताल योजना की जयपुर में सबसे बड़ी आवश्यकता है। पिछले 10 सालों से विचार चल रहा था। वर्तमान सरकार ने साहस करके कदम उठाया और कोशिश की तो कठिनाई पैदा हो गयी। हम प्रयास कर रहे हैं कि अदालत मे स्टे खारिज हो जाय । मेरा आपसे निवेदन है कि भ्रांति को दूर करें और जिनके मन में यह बात पैदा हो गयी है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करें।

(10.00 रात्रि)

माननीय सभापति महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने गये थे, मैं भी वहां गया था। 25 लाख देने की हम ने वहां घोषणा की थी क्योंकि उसमें लिखा है कि आधा या 25 लाख देना होगा। 50 लाख दे चुके हैं। 25 लाख की घोषणा की थी, उस समय कृषि मंत्रीजी भी बैठे थे। उन्होंने कहा 26. 25 लाख की घोषणा हुई वहां पर। और 26. 25 लाख का अमाउंट सैंक्शन होकर भरतपुर के लिये पहुंच गया है। इतना ही नहीं, इसी प्रकार था प्रतापगढ़। वनवासी क्षेत्र है, वहां पर अस्पताल है। मुझे पता नहीं, फाइल पर तो जिक्र नहीं है किन्तु प्रतापगढ़ के बन्धु मिले थे, उन्होंने कहा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कहा था आधा पैसा देंगे। हमने अपना बजट देखा तो उसमें पैसा भी नहीं था। किन्तु हमने कह दिया कि अगर उनका कमिटमेंट है, चाहे जितना भी होगा, फाइनल ही होगा। तो 26. 25 लाख रुपये प्रतापगढ़ के लिये जो वनवासी क्षेत्र में है, सैंक्शन करके पैसा वहां भिजवा दिया गया है।

सभापति महोदय, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। जिस समय चुनाव लड़ रहे थे, मैंने कोटा की जनता को कहा था रीजनल इम्बैलेन्सेज हैं। राजस्थान के सारे सम्भागों में मेडीकल कालेज हैं। हमारा दूसरे नम्बर का शहर है, जयपुर और जोधपुर के बाद हमारा स्थान आता है। उदयपुर छोटा है, अजमेर छोटा है, बीकानेर छोटा है किन्तु पता नहीं कौन से राजनैतिक कारण थे। आज भाषण में बहुत चर्चा हुई है राजनैतिक भेदभाव की। बहुत चर्चा की गई। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि राजनैतिक भ्रष्टाचार और राजनैतिक पक्षपात का अगर नमूना देखना हो तो कोटा में मेडीकल कालेज नहीं बना, यह उसका नमूना है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोटा में इन्जीनियरिंग कालेज खुला। बीकानेर में आपने क्या खोला ?

श्री सभापति : कल्लाजी, व्यवधान न डालें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई व्यवधान नहीं डाल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : राजनैतिक पक्षपात कांग्रेस के शासन में कभी नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप मुझे सुनने की कृपा करें। बीच में न बोलें। कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। माननीय मंत्री जी।

श्री हीरासिंह चौहान : बीकानेर को एक मेडीकल कालेज डबल दे दो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राजनैतिक पक्षपात इस प्रकार से किया गया है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : तकलीफ हो रही है आपको।

श्री सभापति : कृपया बिराजें। क्या बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। कृपया तशरीफ रखें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी यहां पधारे आये हैं। मैं जानता हूं कि मेडीकल कॉलेज खोलने में कितनी कठिनाई होती है। पैसे की बहुत भारी कमी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का किन शब्दों में आभार प्रकट करूं, कि इम्बैलेन्स जो इस प्रकार का था, उसको दूर करने में अथक प्रयत्न करके हाड़ौती की जनता पर बहुत बड़ा उपकार उन्होंने किया है।

श्री रामकिशन : माननीय मंत्रीजी, क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो ? इस प्रकार की बात कह करके आप जानते हैं कहां फंसेंगे आप जाकर ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अगर आपके खुद के विचार होते, तो भरतपुर में भी कोई न कोई काम करते।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी पधार आये हैं, इसलिए इसके रेफरेन्स में निवेदन और करना चाहता हूं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े काम राजस्थान में हुए हैं। एक कदम अभी बाकी है। पिछली बार तीन आधे अधूरे विश्वविद्यालय राजस्थान में स्थापित कर दिये जिसमें एक अजमेर से सम्बंधित विश्वविद्यालय, कोटा की ओपन यूनिवर्सिटी बीकानेर में केवल कृषि विश्वविद्यालय है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, केवल दफ्तर है वहां।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : और इन सभी बातों के कारण मन में पीड़ा हुई कि हिदुस्तान के नक्शे में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, पूरे डिपार्टमेंट्स राजस्थान में नहीं हैं। एक साहसी कदम आपने सूझबूझ से, प्रयत्न से, आग्रह से, सम्पर्क से कर दिया है।

दूसरी जो शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ी कमी है कि कोटा में ओपन यूनिवर्सिटी, जयपुर में भी क्षेत्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर का क्षेत्रीय विश्वविद्यालय, बीकानेर का क्षेत्रीय विश्वविद्यालय, और उदयपुर का क्षेत्रीय विश्वविद्यालय, फुलफ्लेज्ड बने। इस नमूने पर जिन-जिन को हटाकर पूरा विश्वविद्यालय, मिल सके, यह मैं अपील करना चाहता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय मंत्री जी, आप जवाब दे रहे हैं या अपनी मांग रख रहे हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, अंधता निवारण की दृष्टि से इस बार सौभाग्य से इन्टरनेशनल स्तर पर अंधता निवारण का बहुत बड़ा प्रोग्राम कर लिया है। राजस्थान की धरती पर हमने यह तय किया कि प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम एक नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर लगे। आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत समिति में तो हुआ ही, किन्तु वह 236 तक सीमित नहीं रहा, 400 इस प्रकार के नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर राजस्थान की धरती पर लगे। हमारी कोशिश है कि जो बजट में प्रावधान किया है नेत्र ज्योति कार्यक्रम का, उसके अन्तर्गत इस योजना को हम हर वर्ष चलायेंगे। प्रत्येक

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

पंचायत समिति के अन्दर तो कम से कम यह नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर लगेगा ही, और 500 शिविर इस प्रकार के स्थापित हों इस प्रकार का विचार हमने किया है।

सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत चिन्ता व्यक्त की कि देहली से अजमेर की जो सड़क है, परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा था और कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी जिक्र किया था कि इन रोड्स पर बहुत एक्सीडेन्ट होते हैं। तो राज्य सरकार ने इस बार तय किया है कि....

एक माननीय सदस्य : यह बात समझ में नहीं आई। केवल आडवानी जी की वाहवाही लेनी थी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इस प्रकार का चल चिकित्सालय, जिसमें एम्बूलेन्स हो, जिसमें एक्सरे हो, जिसमें वायरलैस सेट फिट हो, दिल्ली से लेकर कोटपूतली, बहरोड़ से लेकर और अजमेर के क्षेत्र में, स्थान तो अभी तय नहीं किये हैं, तय हो जायेंगे, ऐसे दो चल चिकित्सालों का स्टेशन नियुक्त करेंगे, ताकि कहीं भी कोई एक्सीडेण्ट हो जायें तो इन दोनों को सूचना मिल जाये और यह तुरन्त पहुंच जायें और लेकर यह एस. एम. एस. अस्पताल में चले आयें। माननीय सभापति महोदय, इस बात की भी चर्चा की थी कि हृदय रोग और मूत्र रोग, दो ऐसे रोग हैं, जो राजस्थान की धरती पर बहुत प्रिवीलेण्ट हो रहे हैं। अभी तक एस. एम. एस. अस्पताल में इनकी व्यवस्था थी, हमने विचार किया है राजस्थान के पांचों मेडिकल कालेजों में इन दोनों प्रकार की स्पेशलिटीज का फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेण्ट बनाकर मूत्र रोग और हृदय रोग के कार्य की दृष्टि से कार्य प्रारम्भ किया जाये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ऐसा काम भरतपुर में भी चालू कर दो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, 1990–91 में गेस्ट्राइण्टरलोजी की नयी स्पेशलिटी एस. एम. एस. अस्पताल में चालू कर दी गई है। हृदय रोग के लिए, एन्जोग्राफी के लिए। 1 करोड़ 50 लाख रुपये सैंक्शन कर दिये गये हैं। एन्जोग्राफी की मशीन की खरीद की प्रक्रिया चालू हो गई है। हमको जानकारी है कि हमारे राज्य कर्मचारियों के ही इलाज के लिए 30 लाख रुपये का भार राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष आता था और इसीलिए इस बार 1 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति कर दी है और द्वितीय चरण में, हमारा स्टाफ इस नाते से पूरा है, यह भी विचार करेंगे कि एन्जोग्राफी की मशीन के साथ-साथ बाई-पास सर्जरी की व्यवस्था भी अगले वर्ष यहां प्रारम्भ हो जाये।

सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की थी गुर्दा प्रत्यारोपण की, अभी गुर्दा प्रत्यारोपण पर एक आल इण्डिया सेमिनार हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करने गये थे, उन्होंने उनकी बात सुनी और उन्होंने कहा कि हमारा स्टाफ इस नाते से उपलब्ध है, खर्च थोड़ा सा करना है, आप चिन्ता मत करो,

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

पूरा प्लान बनाकर मुझे दो और जिस दिन प्लान दे दोगे, गुर्दा प्रत्यारोपण की व्यवस्था भी एस. एम. एस. अस्पताल में प्रारम्भ कर दी जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गुर्दा डोनेट करने के लिए माननीय सदस्यों से अपील तो करो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय मुख्यमंत्री ने ठीक कहा है। मैं कहना चाहूंगा चाहे नेत्रदान का सवाल हो, चाहे गुर्दे का हो एक बार सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिये, ताकि उस सर्टिफिकेट के आधार पर जब कभी इस प्रकार का अवसर आयेगा, भगवान वह दिन जल्दी नहीं लाये, तब आपके शरीर से उन चीजों को लेकर उनका प्रयोग किया जा सकेगा।

सभापति महोदय, नकली दवाओं की भी यहां कुछ चर्चा हुई। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस नाते बहुत कटिबद्ध है। माह नवम्बर, 1990 में पकड़े गये कुछ स्केण्डल का मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूंगा। आर. डी. सी. एल. की लेबल लगी औषधि, जिसके नाम से जयपुर से खरीदी गई थी, स्पष्टतयाः वह आर. डी. सी. एल. की नहीं थी। फलस्वरूप हमारा डिपार्टमेण्ट एक्टिव हो गया। पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, एक बड़े स्केण्डल का पर्दाफाश हो गया और आर. डी सी. एल. के अतिरिक्त अन्य पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग की भी कई नकली दवाइयां पकड़ी गई हैं। सभापति महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने परिवार कल्याण के बारे में बड़ी चिन्ता प्रकट की थी। सचमुच परिवार कल्याण किये बिना हमारी कोई योजना सफल नहीं हो सकती। हिन्दुस्तान में इन जेनरल और राजस्थान के इन पर्टिक्यूलर जो आंकड़े हैं, वह बड़े चौंकाने वाले हैं। जिस गति से यह पोपूलेशन बम्बारमैण्ट हो रहा है, कोई भी योजना बना लीजिए, पूरी नहीं होगी। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, थोड़ा दिल चौड़ा करो। आप सोचते होंगे कि एक मुस्लिम भाई के लड़के चार-चार बीवी रखते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश और प्रदेश का नागरिक हूं, मैंने पहले-पहले शुरू किया है कि पब्लिक मीटिंग्स में जहां भी बोला, परिवार कल्याण की निश्चित रूप से ओपनली चर्चा करता हूं, संकोच नहीं करता। मैं जानता हूं पूर्व सरकार ने इमरजेन्सी के समय में इतने अच्छे राष्ट्रीय कार्यक्रम को जिस भौंडे तरीके से चालू किया था, उसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के सब कोन्शियस माइण्ड में अभी तक वह बात घर करके बैठी हुई है, उस बात को दूर करने के लिए बड़े प्रयत्न करने होंगे, शिक्षित करना होगा। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि मुझे अभी अवसर मिला था, विदेश में जाने का। मैं इण्डोनेशिया और मलेशिया गया। मेरे साथ चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, स्पेशल सेक्रेटरी मेडिकल भी थे, जो स्थिति हमने देखी है, हम आश्चर्यचकित रह गये। इण्डोनेशिया तो प्योरली मुस्लिम कण्ट्री है। एक बात हमें देखने के लिए

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

और मिली है, जहां हम समझते हैं स्टूलाइजेशन के कारण ही परिवार कल्याण होता है, यह बिल्कुल गलत है। आज इसके लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार की बड़ी आवश्यकता है। कुछ माननीय सदस्यों ने इन्सेंटिव की चर्चा की थी, उसका एक्सपरिमैण्ट भी हमने करके देखा है। व्यक्तिगत इन्सेंटिव कभी भी योजना को सफल नहीं कर सकते हैं, किन्तु राज्य सरकार ने विचार किया है, कलैक्टिव इन्सेंटिव देने का। जो भी पंचायत, हमारे क्राइटेरिया के अन्दर परिवार नियोजन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी, राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपये उस पंचायत के विकास के लिए दिया जायेगा। एक पब्लिक इन्सेंटिव देने की कोशिश की है, और आज वह सारी बातें हमने देखी हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : पंचायत समिति या पंचायत को।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पंचायत को, नहीं पंचायत समिति को। मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूं कि इस विषय में हमको कई प्रयत्न करने होंगे। शिक्षा का प्रचार, प्रसार करना होगा, मन बनना होगा, विचार देने होंगे, भावना बनानी होगी। चुनाव आ गये, चुनाव पर विचार करें। परिवार कल्याण के बारे में प्रत्येक राजनीतिज्ञ को आना चाहिये। संकोच करने वाली कोई बात नहीं है। राजस्थान की तो ऐसी मूलभूत समस्या है। यह किसी दल से सम्बन्ध रखने वाली नहीं है। और मैं भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य के तो चरणों में अपील करना चाहूंगा कि उन्होंने, जो भावना मेरे बारे में प्रकट की है, मेरी बिल्कुल इस प्रकार की भावना नहीं है। मैं इस प्रदेश का नागरिक हूं और मुझे लगता है कि योजना उसके बिना चल नहीं सकती और इसीलिए लगातार कुछ कदम उठाने के लिए विचार करने का निश्चय किया है। मैं आज उन कदमों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैंने तो जैसा देखा है, उसी नाते से कह रहा हूं कि कोई टीम बन रही है विधान सभा का सत्र आ गया इसलिये वहां के और उसके नोट्स के आधार पर सारा कार्यक्रम हम नहीं बना सके। अजमेर में इस नाते से बहुत अच्छा प्रयत्न करने की कोशिश की है। शिशु मृत्यु दर को कम करने की दृष्टि से भी दूसरा प्रोग्राम जिसके द्वारा इस साल जोर दिया गया है वह है टीकाकरण जब तक बच्चों का टीकाकरण नहीं होगा, माताओं का टीकाकरण नहीं होगा, तब तक परिवार कल्याण के बारे में इस प्रकार की सफलता मिलना असंभव है। इस बार 90 प्रतिशत लोगों का टीकाकरण राजस्थान सरकार के सारे विभागों ने किया है। आगामी वर्ष में भी इस नाते से हम इसको सेंट-परसेंट करने का विचार रखते हैं। उसकी व्यवस्था बनाई है। पिछले साल बजट में मैंने कहा था कि शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम चालू किया जायेगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 172353 छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण हमने किया जिसमें से 25892 छात्र रोगी पाये गये और 24835 बच्चों का इलाज किया गया और अजमेर में तो जो

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

विशेष योजना चल रही है, उसमें 1125 प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत एक लाख छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए राजस्थान का विभाग सहयोग कर रहा है और जितने दिन की उनकी योजना है, हमारा निश्चित मत है कि उन एक लाख लोगों का हम निश्चित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कर सकेंगे। सभापति महोदय, क्षय रोगों के रोकथाम भी बहुत आवश्यक है, जिसकी चर्चा पिछली बार की थी, 43 हजार नये रोगियों को खोजने का लक्ष्य था। उसके विरूद्ध 44600 रोगियों को खोजा गया, उनका उपचार प्रारम्भ किया गया। एक नयी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष संरक्षण करना प्रारम्भ कर दिया 500 पुलिसकर्मियों का परीक्षण किया है क्योंकि उनमें यह टी. बी. बीमारी काफी परिमाण में है। इसी प्रकार रिक्शा-चालकों में बहुत अधिक है, खान के मजदूरों में है। इस वर्ष हमने योजना बनायी है, एक विशेष अभियान चलाकर खानों में काम करने वाले खदान के श्रमिक बन्धुओं और रिक्शा चालकों का विशेष इस प्रकार का परीक्षण करने का प्रयास किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, मैं नारू रोग के विषय में भी आप से कुछ कहना चाहता हूं। 1986 में 10500 नारू रोगी राजस्थान में थे, वे 1990-91 में घटकर 3376 रह गये। इस रोग को दो वर्षों में समाप्त करने की योजना हमने बनायी है। हमने एक योजना बनायी है कि जो व्यक्ति राज्य सरकार को नारू रोगी की सूचना देगा कि यह व्यक्ति नारू से ग्रस्त है, उसका उपचार तो करेंगे ही, उस सूचना देने वाले व्यक्ति को 50 रुपए का इनाम दिया जायेगा यह बताने के लिए ताकि इस नारू रोग पर विशेष काबू पाया जा सके। चार जिले झालावाड़, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर के लिए 27 करोड़ रुपए की परियोजना बनाकर भेजी गयी है यूनिसेफ के पास यूनिसेफ ने सहायता हेतु सहमति प्रदान कर दी है। 27 करोड़ की इस परियोजना की क्रियान्वित आने वाले वर्ष में शुरू हो जायेगी। अपने यहां इतनी बड़ी योजना को यूनिसेफ से हम लाने में सफल हुए, अब हम इस नारू रोग का मुकाबला कर सकेंगे। यह बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अकाल की दृष्टि से प्रारम्भ के दिनों में जुलाई के पहले जालौर, बाड़मेर, जोधपुर और चूरू जिलों में 32 चिकित्सा दल दूसरे स्थानों से भेजकर उनका उपचार कराया जा रहा है। वहां के तो थे ही। बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, यह पहला मौका है सचमुच, जब बरसात की भयंकरता आकर खड़ी हो गयी, चार जिले जलमग्न हो गये। 12 वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश देकर वहां भेजा गया। उन 32 दलों के अतिरिक्त 25 चिकित्सा दल प्रचुर मात्रा में दवाइयां, ब्लीचिंग पाउडर हैलोजन गोलियां और वाहन सहित भेजे गये। 166460 रोगियों का उपचार किया गया, 35.75 लाख रुपए की दवाईयां वितरित की गयी, 32 लाख हैलोजन गोलियां और चार हजार कट्टे ब्लीचिंग पाउडर जल शुद्धिकरण की दृष्टि से भेजा

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

गया। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इतनी भयंकर बाढ़ आने के पश्चात् भी दूषित जल से एक भी मृत्यु सारे इलाके में नहीं हुई। मलेरिया की हुई होगी, किन्तु दूषित जल से, डायरिया से, एक भी नहीं हुई, यह हमारी जानकारी में है।

श्री प्रेमसिंह दहिया : यह आप गलत कह रहे हैं। एक हजार मरीज मरे हैं हमारे यहां पर।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन ग्रहण कीजिए, व्यवधान नहीं डालिये।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : मंत्रीजी असत्य बोल रहे हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : रिकार्ड तो हमारे पास है।

श्री प्रेमसिंह दहिया : इससे बड़ा असत्य कुछ हो नहीं सकता।

श्री सभापति : कृपया बिराजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, 3564618 बुखार के रोगियों की रक्त पट्टिकाएं ली गयीं, 113395 मलेरिया के रोगी पाये गये, एक करोड़ 59 लाख क्लोरोक्वीन और 13 लाख प्राइमाक्वीन गोलियां वितरित की गयीं। बाढ़ का पानी एकत्र होने के कारण मलेरिया की संख्या में वृद्धि अवश्य हुई थी। मैं जानता हूं, मैं उस क्षेत्र में तीन बार गया हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गये, जब मैंने देखा कि 32-32 दिन, दीपावली के दिन चूरू, गंगानगर क्षेत्र से अपने-अपने घर छोड़कर डाक्टर उपचार करने के लिए बाड़मेर के इलाके में बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार तीन बड़ी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन घटनाओं से डाक्टर का दिल कैसा होता है, वह किस हद तक जा सकता है लोगों की सेवा करने के लिए, इसका उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत किया। हमारे टौंक से आने वाले माननीय विधायक बैठे हैं। एक भोज हुआ था, फूड पाइजनिंग हो गया। फूड पाइजनिंग के लोग मालपुरा पहुंचे, कुछ टोडारायसिंह पहुंचे निवाई शाम को। रात को खबर आयी कि 600 लोग बीमार हो गये हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैंने जिस समय बाई-पास सर्जरी करायी उस समय के हमारे निदेशक ए. क्यू. खान थे। रात्रि के 12 बजे टोलियां लेकर उस सारे क्षेत्र में पहुंच गये, चार दिन रहे और एक भी व्यक्ति फूड पाइजनिंग के कारण नहीं मरा। मैं आपके माध्यम से और बताना चाहता हूं कि दंगे हुए थे जयपुर में। उन दंगों के समय 24 घण्टे लगातार काम करके हमारे यहां के डाक्टरों ने पैरा मेडिकल स्टाफ ने जिस प्रकार की सेवा की है, जिस प्रकार बाढ़ के इलाके में पहुंचकर घर छोड़कर 30–30 दिन दूर रहकर, त्यौहारों को छोड़कर जिस परिमाण में सेवा करने का प्रयास किया है, सचमुच राजस्थान की जनता के साथ अपना दिल से दिल मिलाकर डाक्टरों ने सेवा करने का प्रयत्न किया। यह एक फेज है। मैं यह जानता हूं कि जिस ग्रामीण चिकित्सा सुविधा के

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

लिए हम प्रयत्नशील हैं उसमें हमको कठिनाइयां पैदा हो रही हैं अप-डाउन की। कोई दफ्तर में काम करता है, दस से चार तक दफ्तर का काम खत्म हो जाता है किन्तु बीमार पड़ने का कोई समय नहीं होता। रात्रि के वक्त बीमार हो जाता है, इसलिए डाक्टर का उस स्थान पर लगातार रहना आवश्यक है।

(10.27 रात्रि)

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

मेरी जानकारी है 60-60 किलोमीटर शहर से दूर चलकर डाक्टर अप-डाउन कर रहे हैं। राज्य सरकार कड़े कदम ले रही है....

श्री अध्यक्ष : आयुर्वेद मंत्रीजी भी बोलेंगे क्या इसमें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अप-डाउन वालों के लिए सड़कों के काम पर आ जाओ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनका जवाब दिया हुआ मान लिया जाय।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आपके सब आंकड़े हैं मेरे पास।

श्री अध्यक्ष : आयुर्वेद मंत्रीजी भी बोलेंगे क्या इसमें ? आप जल्दी करिये, एक घण्टा हो गया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस टीबी की चर्चा कर रहा था, अभी तक 30 जिले हैं, उन जिलों पर हमने सोचा था कि टीबी सेण्टर खोले जायें, किन्तु आपको जानकारी है आप रतनगढ़ के विधायक हैं कि क्योंकि सी. एम. एच. ओ. का दफ्तर रतनगढ़ में है इसलिए इस योजना से चूरू अछूता रह गया, प्रतापगढ़ में दफ्तर है चित्तौड़ अछूता रह गया, करौली में दफ्तर है सवाईमाधोपुर अछूता रह गया। राज्य सरकार ने विचार किया है कि इन तीनों स्थानों—सवाई-माधोपुर, चूरू और चित्तौड़ में भी टीबी क्लीनिक खोले जायें।

श्री अध्यक्ष : इनका झगड़ा सुलटाना पड़ेगा आपको। वहां आपने प्रिंसिपल मेडिकल अफसर बना दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टीबी के मरीज लड़ते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : टीबी का सवाल नहीं है, वहां जो आप अलग से बना रहे हो, ये जांच करेगा और उधर सी. एम. एच. ओ. जांच करेगा। यह होगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सदस्यों को। वर्ना डी. डब्ल्यू. डी. पर और मेडिकल पर जब-जब चर्चा आती थी तो शायद बोलने वाले अधिक समय भ्रष्टाचार के विषय में बताते थे। मेडिकल के विषय में चर्चा केवल एक बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने की है....

श्री अध्यक्ष : तो अब आप इन्वाइट क्यों करते हो ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उन्होंने कहा कि नेपाली नौकर की हत्या हो गयी और उसके अन्दर चिकित्सा मंत्री महोदय ने....(व्यवधान)

रिकार्ड में है, बताऊंगा मैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। इस चर्चा को शुरू करने के बाद हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि हमने सब्सटैंण्टिव मोशन दिया है, तो उस चर्चा को वहीं रोक दिया था। सब्सटैंण्टिव मोशन आयेगा तब हमको बोलने का मौका दे दें, इनको प्रत्युत्तर का मौका दे दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बिराजिये, आपने एक बात कही वही कह रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने अभी + + + कहा था कि मेरे को मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मेरा सब्सटैंण्टिव मोशन है। मेरा भी एड-जार्नमेण्ट मोशन दिया हुआ था। इस विषय को अभी हमने खोला नहीं है। यदि ये खोलना चाहते हैं तो फिर हमको सुनें और उसके बाद प्रत्युत्तर दें। इसलिए सब्सटैंण्टिव मोशन जिस समय आप अलाउ करें....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपको भी सुनेंगे, साहब, कोई बात कहनी होगी तो। आपने प्रचार किया है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : जितना आप बोले उतना तो बोलने दें इनको।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने केवल + + + ही कहकर उसको रोक दिया था....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं बता रहा हूं, है रिकार्ड में। रिकार्ड में बोलता हूं, मैं बोलता हूं इधर-उधर तो बता दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काहे को बोलते हो, उनको जानकारी है नहीं। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बताया वही बोल दिया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नहीं, नहीं, शब्द आ गये उसमें तो वापस ले लिये जायं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं आया, नहीं आया। तभी टोक दिया था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : लेट मी कम्प्लीट, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड देख लीजिये, उसमें यह कहा गया है कि चिकित्सा मंत्री महोदय ने मेडिकल रिपोर्ट को खुर्द-बुर्द करने की....

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वापस ले लीजिये, हटा दीजिये। कल कर लेंगे बात।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है आप रिकार्ड देख लेना। आपने क्या किया है

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

वह तो सब्सटेण्टिव मोशन पर बोलेंगे। आपने तो ऐसा किया है जो कोई कर ही नहीं सकता।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सिलसिले में आपसे एक स्पष्टीकरण लेना है कि मांग पर चर्चा हो रही है, मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं। चर्चा इन्होंने अगर की है मंत्रीजी के आचरण की तो वह अलग विषय है। डाक्टर्स के भ्रष्टाचार की नहीं की है। इसलिये डाक्टर्स के भ्रष्टाचार का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : चर्चा तो इन्होंने की है, उत्तर तो देना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरा सेंसर मोशन लगा हुआ है, मैं प्रेस कान्फ्रेंस कर चुका हूं, माननीय मंत्रीजी प्रेस कान्फ्रेंस कर चुके हैं। फैक्ट्स पर मंत्रीजी बात नहीं करना चाहते हैं। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि + + + यहां पर माननीय सदस्य सुबह चर्चा करना चाहते थे। मैंने उनसे आग्रह किया, मुझे अनुभव रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अन्यथा नहीं लें, फिर आप वही बात कहेंगे कि मैं आसन की व्यवस्था की चुनौती देता हूं, मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं। पर मैं आसन की उस बात से कि मैंने एक सेंसर मोशन रखा था, वह पूरी तरह से एडमिसीबल था, नियम 295 में एक दूसरे माननीय सदस्य ने चर्चा कर दी और आपने जो व्यवस्था दी वह व्यवस्था शिरोधार्य है कि वह मोशन एडमिसीबल नहीं है। आपने आज तक उस मोशन के बारे में व्यवस्था नहीं दी कि एडमिसीबल है या नहीं है। अगर मंत्रीजी कहना चाहें तो अभी कहें, मुझे कतई आपत्ति नहीं है लेकिन मेरा जो सेंसर मोशन है उस पर डिबेट कर लें। पर यह नहीं हो सकता, अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : या तो फिर कल्लाजी को शुरू नहीं करना चाहिये था....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं किया, नहीं किया, जहां तक, अध्यक्ष महोदय....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री महावीरजी आप बैठिये। ऐसा है कि जितना उन्होंने कहा है उतना उसमें से निकाल दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : निकाल दीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चलिये, कल्लाजी ने जो कहा है वह निकाल देना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, जो आप उचित समझें वह सब निकाल दीजिये....

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी सहमति से कर रहा हूं यह।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पर राजस्थान की जनता के मानस पर पूरी तरह से प्रेस छाप चुकी है, सब लोगों को मालूम पड़ चुका है....

श्री अध्यक्ष : आप फिर बोल रहे हैं, आप बैठ जाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : राजस्थान की जनता का आइना आप नहीं हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : कल्लाजी को निकाला है या कल्लाजी के शब्दों को निकाला है ?

श्री अध्यक्ष : शब्दों को ही निकाला है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं टोपिक पर बोल रहा था, उसका केवल हैडिंग पढ़ा था फिर इन्होंने कहा कि आप इसकी बाद में चर्चा करें तो मैंने कहा कि बाद में कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सेंसर मोशन लगने देवो आप चतुर्वेदीजी को निकालते नजर आयेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस-किस को निकालना पड़ेगा यह तो मुझे पता नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो चर्चा क्यों नहीं करवाते, मुख्य मंत्रीजी चर्चा क्यों नहीं करवाते हैं, चर्चा करवाओ ना, चर्चा करने से क्यों डरते हो ?....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : चर्चा कर ली तो मैंने शुरू कर दी....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप किसी बात की चर्चा नहीं कर सकते हैं, आप फैक्ट्स पर बात ही नहीं कर सकते हैं। मुख्य मंत्रीजी आप फैक्ट्स पर बात ही नहीं कर सकते हैं, आप पालिटिकल भाषण दे सकते हैं, आप + + + भाषण दे सकते हैं, आप फेक्ट्स पर बात नहीं कर सकते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे भाषण देने का तरीका आपसे तो सीखना नहीं है। मेरी सुन लीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरे को भाषण देना आता भी नहीं है, मैं सिर्फ फेक्ट्स पर बात करता हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे भाषण देना आपसे तो सीखना नहीं है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आता ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कोई चार्ज लगाओ....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं चार्ज नहीं लगाता, मैं फैक्ट्स रखता हूं। चार्ज नहीं लगाता, चार्ज तो बनता है उससे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चार्ज बनता नहीं, चार्ज तो बना लिया आपने।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं सिर्फ फैक्ट्स रखता हूं और + + + मुख्य मंत्रीजी आप चर्चा करवा लीजिये, आप कोई भी

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

फैक्ट्स पर चर्चा करवा लीजिये, जो फैक्ट्स में रखता हूं, मैं फैक्ट्स के बीयोंड कोई चार्ज नहीं लगाता हूं +++

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप फैक्टस देखो, फैक्ट्स पर बोलें इसमें क्या आपत्ति है ? कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, आप फैक्ट्स पर चर्चा करवाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप फैक्ट्स के ऊपर ही बोलेंगे ना ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : केवल फैक्ट्स, मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करता हूं मैं आपको निश्चित रूप से वचन देता हूं कि मैं फेक्ट्स के बीयोंड एक शब्द नहीं बोलूंगा। +++ (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर आपत्ति क्या है जब आपने चार्ज नहीं लगाया तो ?

श्री अध्यक्ष : फिर आप वही कर रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : फिर, अध्यक्ष महोदय, आप एक्सपंज करेंगे।

श्री अध्यक्ष : Mr. Vyas, you are ag in inviting the debate.

श्री सुरेन्द्र व्यास : I am not inviting the debate.

श्री अध्यक्ष : No, these are the ways. Either keep quite or you are inviting the debate.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Why should not you ask the minister ?

श्री अध्यक्ष : मैं मंत्रीजी को बोलने से नहीं रोक सकता—

You may start or you may not start, but it is his will.

श्री सुरेन्द्र व्यास : No, no. He cannot refer.

श्री अध्यक्ष : वह क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे—

श्री सुरेन्द्र व्यास : No, I have no service pending.

श्री अध्यक्ष : May be, but you are again inviting the debate.

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह विषय बन्द कर दिया गया है तो माननीय मंत्रीजी आगे चलें।

श्री अध्यक्ष : देखिये, विषय बन्द करने के बाद....एक मिनट देखें आप। आप शुरू नहीं करना चाहते हैं मत करिये, मगर शुरू करने के बाद मंत्रीजी को मैं नहीं रोक सकता ...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैं उनको इस पर नहीं रोक सकता। आप अपना भाषण दे रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट का दे रहे हैं। आप बाहर सारी डिबेट कर रहे हैं....

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप तो मुझे रोक सकते हैं, आप तो मुझे ही + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आपने सदन के बाहर प्रेस में चार्ज लगाये उनका वह यहां जवाब दें तो मैं उनको कैसे रोक सकता हूं, कैसे रोकूंगा—How can I prevent him ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा मोशन पड़ा हुआ है....

श्री अध्यक्ष : पड़ा है तो पड़ा है— Law will take its own course.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नो, नो। मेरे प्रेस कान्फ्रेंस का वह जवाब दे चुके हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनको बुलायेंगे तो फिर हमको भी बुलाना पड़ेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरे प्रेस कान्फ्रेंस का जवाब दे चुके हैं वह, प्रेस कान्फ्रेन्स कर चुके हैं....

श्री अध्यक्ष : फिर क्या है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नियम सबके लिये बराबर है....

श्री हीरासिंह चौहान : सवाल जवाब नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, it is my right and you must protect it.

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मंत्रीजी, बोलिये आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान यह कहा कि नेपाली की जो मृत्यु हुई.... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप मंत्रीजी को कैसे रोक सकते हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इस पर नहीं बोल सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि या तो मुझे नियम बता दें जिस नियम के अन्तर्गत मैं उन्हें बोलने से रोक सकता हूं। आप नियम बता दीजिये, कौनसे नियम हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है कि सदन की यह परम्परा रही है—

श्री अध्यक्ष : आप परम्परा की बात मत करिये, आप तो मुझे नियम बताइये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, परम्परायें भी नियमों के अन्तर्गत आती है। आप सुन तो लें, अध्यक्ष महोदय, जब डिमाण्ड पर बहस होती है, जो माननीय सदस्य कोई भी प्रस्ताव, एडजोर्नमेंट मोशन अथवा कालिंग-अटेन्शन मोशन देते हैं उनको माननीय अध्यक्ष द्वारा, आसन के द्वारा व्यवस्था देकर यहां पर बुलाने के लिये कहा

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

गया है। जब मैं यह कह रहा हूं कि इस विषय के बारे में मैंने केवल टोपिक बोला था, उसको आप एक्सपंज कर दीजिये, बात खतम हुई। फिर जब आप इनको अलाऊ करते हैं तो पहले आप हमको सुनिये। क्योंकि मेरा भी यह मोशन है।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको बोलने के लिये डिस-अलाउ नहीं किया है, मैंने आपको मना नहीं किया। आप अपनी मर्जी से नहीं बोले, आसन से आपको किसी ने रोका नहीं, आप चाहते तो बोल सकते थे, आसन ने तो नहीं रोका आपको। या आसन से व्यवस्था दी गई थी?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हमारे माननीय सदस्य ने ..

श्री अध्यक्ष : आप पहले नियम बताइये ना, बहस क्यों कर रहे हैं आप? जो नियम हो वह बता दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं बता रहा हूं ना कौनसे नियम पूछ रहे हैं आप....

श्री अध्यक्ष : आपका कथन ही नियम मान लूं क्या? आपका कथन ही नियम या परम्परा हो गई?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप मुझे बोलने तो दें, पहले आप एक मिनट सुन तो लें।...

श्री अध्यक्ष : हां, आप नियम बताइये पहले। बोलिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने सेंसर मोशन दिया हुआ है, जो आपके पास विचाराधीन है, उसके ऊपर जब तक आप फैसला नहीं दे, तब तक उस विषय के बारे में चर्चा करना उचित नहीं है, मैंने इस विषय को उठाया नहीं है। फिर यह मेरे नाम से कैसे गलत कह रहे हैं....।

श्री अध्यक्ष : इसलिये नियम बता दीजिये ना कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती है, जिसका सेंसर मोशन लगा हुआ है उस विषय पर यहां पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। यह बता दीजिये नियम।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले हमको सुनना पड़ेगा....

श्री अध्यक्ष : फिर वही बात, इसकी चर्चा आपने शुरू की, आपमें से किसी ने —

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने कोई चर्चा नहीं की, आप पूरे सदन से पूछ सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : आपने इसका उल्लेख किया तब आसन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुई कि आप मत बोलिये। आपने अपनी मर्जी से....(व्यवधान)

अब आप मेरी भी सुनेंगे....

श्री सुरेन्द्र व्यास : कार्यवाही से निकलवा दीजिये....

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी मर्जी से बोलना उचित नहीं समझा। आपने बोलना

(श्री अध्यक्ष)

शुरू कर दिया, आसन ने तो आपको रोका नहीं। आप यदि बोलना चाहते तो बोलते, आसन की तरफ से तो रुकावट आती भी नहीं। अब आप यह कह रहे हैं कि जो सब्सेंटिव मोशन पेंडिंग है उस विषय पर यहां चर्चा नहीं हो सकती है या मंत्रीजी को नहीं बोलने दिया जा सकता। इसका नियम बता दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नियम बता रहा हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नियम बताइये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह बार-बार चैलेंज की बात आप मत करिये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : नियम बताइये। कौनसे नियम हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप चैलेंज की बात मत करिये। आप चैलेंज मत करिये। मैं नहीं बोलने दूंगा तो नहीं बोलने दूंगा। आप बार-बार मेरे को यह कहते हैं कि मुझे नहीं बोलने देंगे।····(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : +++

श्री अध्यक्ष : देखिये, अन-काल्ड फोर इन्टरफियरेंस कर रहे हैं आप। न आपको रोका गया, जो आपको बोलना था आपने बोला, अब मंत्रीजी की मर्जी होगी वह मंत्रीजी बोलेंगे। अब आप उनको कैसे रोकेंगे ? वह भी नहीं रुकेंगे ...(व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर है, आप बिराजिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी सारी बहस का जवाब दे रहे थे, जवाब देते समय उन्होंने एक मुद्दा छेड़ने की कोशिश की। जिस समय वह मुद्दे को छेड़ रहे थे विरोध की ओर से इस प्रकार की चर्चा उठाई कि उन्होंने कोई सब्स्टेंटिव मोशन दिया हुआ है और इस कारण से इस पर चर्चा नहीं हो सकती। आसन से भी व्यवस्था हुई है कि कोई भी इस प्रकार का रूल नहीं है जो इस प्रकार की चर्चा को रोकता हो कि जब सब्स्टेंटिव मोशन रखा हुआ हो तो उस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। इसके अलावा आप यह कन्वेन्शंस की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कन्वेन्शन बता दीजिये पढ़कर, आपके कहने से कन्वेन्शन नहीं होगा। कन्वेन्शन पर कोई व्यवस्था हुई हो तो वह बता दीजिये और आज जब स्वास्थ्य मंत्रीजी ने उस विषय को छेड़ दिया, उस पर चर्चा करना चाहते हैं तो उन्हें पूरा अधिकार है। उनके अधिकार की रक्षा की जाए और उनको बोलने दिया जाए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना कर रहा था कि आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिये।

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे उत्तेजित की बात कह रहे हैं, कौन हो रहा है उत्तेजित ? (व्यवधान)

आपने यह भी मर्यादा नहीं रखी कि सदन के नेता जब बोल रहे थे तब भी आपने मर्यादा नहीं रखी और आप मुझे उत्तेजित होने की बात कह रहे हो, "You never limit yourself within the limits, You always cross the limit, always go on challenging the chair. यह कोई तरीका नहीं है। बोलिये ना आप क्या कह रहे हैं। (व्यवधान)

दो मिनिट बोलने दीजिए क्या कह रहे हैं····(व्यवधान)

अब नहीं बोलने देंगे मैं क्या करूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिए हम बोलते हैं तो वह खड़े क्यों होते हैं····

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस हाउस को अध्यक्ष चला रहे हैं या सदस्य चला रहे हैं ? आपने बोलने का समय दिया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय आप हमें व्यवस्था दीजिए।

श्री अध्यक्ष : हां बोलिए, बोलिए आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनिट के लिए आपने स्वयं ने कहा है। अध्यक्ष जी, उनको आप बैठाइए दो मिनिट बोलने दें बाद में आगे चर्चा हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : + + + (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि कोई सब्स्टेंटिव मोशन विचाराधीन सदन में है····

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सदन में नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सदन में नहीं, कहीं पेण्डिग है अध्यक्ष महोदय, और सदन के किसी माननीय सदस्य ने सदन में उस बारे में चर्चा नहीं की है····(व्यवधान) आप सुनने की क्षमता तो रखिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या है, पेण्डिग भी है तो भी नहीं है। रूल तो कोट करिए। खड़े हो रहे हैं बैठ रहे हैं····

श्री अध्यक्ष : आप उनको बोलने तो दीजिए कि उनका पाइन्ट आफ आर्डर क्या है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष, महोदय, मेरा निवेदन यह है कि सदन में न सही आपके पास अगर कोई मामला विचाराधीन है और उस सम्बन्ध में सदन के किसी माननीय सदस्य ने कोई चर्चा सदन में नहीं की है और मंत्री महोदय का इम्प्रेशन यह था कि इन्होंने कुछ चर्चा की

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

शुरूआत की है और उस बारे में आपने यह व्यवस्था दे दी कि माननीय कल्ला साहब ने जो शुरूआत की उसको एक्सपंज करा दिया। अब यह बहस का मुद्दा नहीं रह जाता है। डिमाड्स के बारे में माननीय मंत्री महोदय को आगे प्रोसीड करना चाहिए। इस स्टेज के ऊपर अगर हम इस पर चर्चा करते हैं तो मैं समझता हूं यह उचित नहीं होगा। आज तक के जो ट्रेडिशन्स रहे हैं उनके अनुसार न सदन के लिए उपयुक्त होगा, न माननीय अध्यक्ष जो इस तरह अलाऊ करते हैं उनके लिए उपयुक्त होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी जो इस सदन में पुराने नेता रहे हैं वह भी अगर यह बता दें कि ऐसा हो सकता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो मालपुरा से आए हैं उन्होंने प्रेस कान्फेंस में क्या चार्ज लगाए हैं मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता। प्रेस कान्फेंस में इन्होंने उनका क्या उत्तर दिया उसका भी मैं इस समय कोई उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन एक मैम्बर का राइट है पर्सनल एक्सप्लेनेशन का और वह राइट जो है राइट एक होता है यदि हाउस में किसी प्रकार के चार्ज लगाए तो। प्रोसीडिंग्स अगर आप निकालकर देखेंगे तो अभी-अभी पांच मिनिट पहले एक बात कही कि मैंने जो बाहर चार्ज लगाए हैं वह ठीक हैं, वह सही हैं, वह तथ्यों पर आधारित हैं यह आपने लगाया है तो क्या उनको राइट नहीं होता है अपने ऊपर आरोपों का खण्डन करने का? इसलिए मैं पूछना चाहता हूं ट्रेडिशन्स की बात न करें। यह तो अभी-अभी अपने सामने हुआ है, इन्होंने सब तरह के आरोप लगाए हैं और इन्हीं रूल्स में जहां पर आप परम्पराओं की बात करते हैं, मैं परम्पराओं पर नहीं जाता, मैं रूल्स के आधार पर जाता हूं। रूल 272 आप देख लें उसमें लिखा हुआ है

"A member while speaking shall not-make a personal charge against a member;"

और उसके बाद में लिखा हुआ है

"Persons in high authority;"

तो इनको जवाब देने का उसी रूल के अन्दर अधिकार है। आप कल की बात छोड़िए, परसों की बात छोड़िए। अभी हाउस में कहा जो मैंने कल हाउस के बाहर कहा था यह बिल्कुल सही है, तथ्यपूर्ण है, उसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है तो क्या इनका उत्तर नहीं देना पड़ेगा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस परिस्थिति के अन्दर अन्दर जब डिमाण्ड्स के बारे में जवाब दे रहे हैं माननीय मंत्रीजी और इस स्टेज पर माननीय व्यास जी ने जो चार्ज वाली बातें कही वह सत्य है मेरा निवेदन है कि इस वातावरण को शान्त करने के लिए, काफी टाइम हो गया है, मेरा सुझाव है कि माननीय व्यास जी ने जो कुछ कहा है उसको भी एक्सपंज कर दिया जाए— (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। एग्रीड।

श्री अध्यक्ष : व्यास जी का चार्ज लगाना भी एक्सपंज कर दो। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. के लिए माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं और अपनी ओर से जो कुछ मुद्दे यहां उठाए गए हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें तो ठीक रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बीकानेर की सड़कों का तो विस्तार से उल्लेख करना पड़ेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय 1985 तक योजना आयोग ने जो मापदण्ड निर्धारित किए थे उसके अनुसार राजस्थान और हिन्दुस्तान में 1971 की जनगणना के अनुसार 1500 से ऊपर आबादी के जो गांव थे उनको सड़कों से जुड़ जाना था। यह तो नई सरकार का दुर्भाग्य है कि 1990 में जब विरासत में हम आए तो 1985 तो छोड़ दीजिए, एक पंचवर्षीय योजना और बीते जाने के पश्चात् भी 3300 गांवों में से जो 1971 के जनगणना के आधार पर 1500 से बड़ी आबादी के बनते थे, 237 गाँव कनेक्ट किए हुए नहीं हैं। अगर 1981 की जनगणना का विचार लें तो राजस्थान में 4455 गाँव होते हैं जिसमें से 618 गाँव जुड़े हुए नहीं हैं। अगर पंचायत केन्द्रों का सवाल लें तो राजस्थान में 7,300 पंचायत केन्द्र हैं जिनमें से 1741 पंचायत केन्द्र जुड़े हुये नहीं हैं। अगर 1971 की जनगणना के अनुसार भी 237 गाँवों को जोड़ना हो तो पचास करोड़ रुपयों की आवश्यकता होती है। अगर 1981 की जनगणना के अनुसार 618 गांवों को जोड़ना हो तो 250 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है। अगर पंचायत केन्द्रों को जोड़ना हो तो 1,741 हैं, तो 700 करोड़ रुपये चाहिए। यहां चर्चा की गयी कि पंचायत केन्द्रों को जोड़ दें। विरासत में जो हमको कण्डिशन दी है वो मैंने आपको बताई। आज हमारा उद्देश्य प्राथमिक रूप से यह है कि जो गांव 15 सौ की आबादी के 1971 की जनगणना के 237 बचे हैं उनको सड़कों से जोड़ा जाय। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि 102 गांव उसमें से इस बार ले लिये गये हैं। 12 करोड़ रुपये उसके लिए और चाहिए अगले वर्षों के लिए। इन 102 गांवों को आगे तीन वर्ष में हम जोड़ने की चर्चा कर सकते हैं क्योंकि योजना आयोग भी कहता है कि केवल 50 गांव एक साल में जोड़ो जितना पैसा उन्होंने निर्धारित किया है उसके अनुसार। आर्थिक संसाधन इतने कम, विशिष्ट परिस्थिति इस प्रकार की और उस परिस्थिति में किस प्रकार से सड़कों का ज़िक्र यहां किया गया है। तत्कालीन सरकार ने चुनाव को सामने देख कर 306 गांव स्वीकृत कर दिये। जिनके आन गोइंग काम करने के लिए इस साल हमको 20 करोड़ 65 लाख 25 हज़ार रुपये चाहिये थे। हमारे बजट में वह 10 करोड़ 65 लाख रुपया····(व्यवधान)

नई सड़क मन्जूर नहीं कर सकते थे। पुरानी सड़कों में हमको आधी कटौती करनी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पड़ी। मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं उस 10 करोड़ 25 लाख रुपये में ही 20 करोड़ 65 लाख में काम लगातार चलते रहे। कोई काम में कमी नहीं की, इसलिए चर्चा की गयी है एक साल में ये खोल लिया वह खोल लिया, विधान सभा उपेक्षित हो गयी, कोई नई सड़क का सवाल ही नहीं आया। तो इसलिए अब मैं बताना चाहता हूं कि पहली प्रायोरिटी जो हमने रखी है इन तीन वर्षों में 237 गांवों को जोड़ने की योजना बनी है। उसी प्रकार यह हमारा प्रयास है। सैकण्ड प्रायोरिटी के रूप में, दूसरी वरीयता मिसिंग लिंक्स की है। सड़क बन गयी है, कहीं आधा कि. मी. बाकी है कहीं एक कि. मी. बाकी है। कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की थी कि बीच में एक कि. मी. छोड़ दिया ताकि नेशनल हाई वे नहीं हो और प्राइवेट बसें चलाते रहें। तो राज्य सरकार ने दूसरी वरीयता के नाते किया है कि जहां कहीं मिसिंग लिंक दो कि. मी. होगी तो उसको पूरा करके पूरी सड़क बनाई जायेगी, यह हमारी सेकिण्ड प्रायोरिटी है।

यहां चर्चा की थी सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने। उस वक्त सुन रहा था कि वर्क्स नहीं होते तो छोटे-छोटे पुल नहीं बनाये जाते। हमने यह तय किया इस बार कि छोटे-छोटे पुल जिनमें पानी जाने के कारण सड़क रुक जाती है उन सारे सीडी वर्क्स को कम्पलीट किया जाय। यह हमारी तीसरी वरीयता है। और चौथी वरीयता, जो विशिष्ट वरीयता है, वह यह है कि कोई भी मन्दिर, कोई भी मस्जिद कोई भी गुरुद्वारा जहां विभिन्न प्रकार के मेले पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं उसको जोड़ने की प्रक्रिया हम प्रारम्भ करेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। सारे राजस्थान की वरीयतायें आ रही हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के स्टेट हाई वेज पर बड़े पुलों का बहुत अधिक निर्माण बाकी है। सवाई माधोपुर जिला, कोटा जिला, झालावाड़ जिला, भरतपुर थोड़ा सा, टोंक थोड़ा सा, धौलपुर, इन जिलों में कई बड़े पुल हैं। एक-एक पुल के लिए बहुत पैसा चाहिए। किन्तु हमने यह तय किया है कि हम फाइनेन्स डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं ताकि हमारे यहां जो ब्रिज कार्पोरेशन है उनको इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स की इजाजत दी जाय और हमने यह भी निश्चय किया है कि 1991-92 में और 1992-93 में राजस्थान के जो बड़े पुल बन सकते हैं उनका सर्वे करा कर सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट तैयार कर लिया जाय। ताकि एक-एक प्रोजेक्ट के लिए सरकार जैसे-जैसे हमको गारण्टी देगी आर. बी. सी. सी. को उन पुलों को बनाने की प्रक्रिया की जाय और कानून में थोड़ा सा संसोधन करके टोल टेक्स के माध्यम से उनको पैसा उगाने का अधिकार दे दिया जाय। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात का निवेदन किया था कि 10-10, 15-15

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

साल से कई ऐसी सड़कें थी जिनके पेच वर्क नहीं हुई, मास स्केल पर पेच वर्क कराये गये। 15 जनवरी तक उनको पूरा करने का कहा था। मैं जानता हूं पेच वर्क एक निरन्तर प्रतिक्रिया है। यहां कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ सड़कों का जिक्र किया है जिनमें पेच वर्क नहीं हुये। मैं उन सभी सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो-जो हमारी प्रोसीडिंग्स में हैं और जिन-जिन की चर्चा की है कि पेच वर्क परिमाण में नहीं हो पाये जिस-जिस क्षेत्र के जिस-जिस अधिकारी के अन्तर्गत वह आते हैं उन अधिकारियों के विरुद्ध जांच करके एक्शन निश्चित रूप से लिया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)

हमने यह तय किया है कि 30 जून तक बरसात आने से पहले उस पेच वर्क के साथ-साथ एक काम और किया जाय जिसके कारण सड़क कुछ ऐसी बन जाय कि पानी बरसे तो ठहरे नहीं, क्योंकि पानी सड़क का बड़ा भारी दुश्मन होता है। जैसे पानी सड़क पर आ जाता है तो सड़क की हालत खराब हो जाती है। मैं जानता हूं कि डब्ल्यू. बी. एम. की जो सड़कें हैं, हमारे नक्शे में 6 हजार कि. मी. की ऐसी डब्ल्यू. बी. एम. की सड़कें है, मैं सबका डामरीकरण नहीं कर सकता, करना सम्भव भी नहीं है। उसके कितना करोड़ रुपया देओ यह बात अलग है। किन्तु हमने प्रायोरिटी रखी है। मरु क्षेत्र को छोड़ कर जहां जो सड़क बनानी हो वह ठेट डामर की ही बनाई जाय, उसमें डब्ल्यू. बी. एम. नहीं जोड़ा जाय। और मरु क्षेत्र में, जैसा फलौदी से आने वाले माननीय विधायक कह रहे थे, ग्रेवल की भी सड़कें वहां उपयोगी हो सकती हैं। इसलिए वर्तमान में जो हमारी फाइनेन्शियल स्थिति है उसके कारण इस प्रकार की बात-चीत की गई है।

श्री अध्यक्ष : मरू क्षेत्र से क्या मतलब है आपका ? इन्होंने कहा वह केवल जोधपुर तक ही सीमित है।

चूरू में वह ग्रेवल है ही नहीं। वह ग्रेवल नहीं है वहां।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूंगा कि पी. डब्ल्यू. डी. विभाग आने के पश्चात् हमने यह कोशिश की थी कि प्रत्येक तीन महीने का एक्स. ईएन. अधिकारी तक फिजिकल और फाइनेन्शियल टार्गेट क्या हो यह तय हो और यह पूरा हो सकता है कि नहीं इस बात की लगातार डी. पी. सी. की जाय। आपकी जानकारी के लिए, अपने स्तर पर राजस्थान के प्रत्येक एक्स. ईएन. की बैठक बुलाई जो 12-12 घंटे चली है सुबह आठ बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक। एक-एक काम मानीटरिंग किया गया। मैं यह बात जानता हूं कि गंगानगर और भरतपुर दो जिले ऐसे थे कि जिन जिलों में बहुत जोर लगाने के पश्चात् भी फिजीकल और फाइनेन्शियल टारगेट पूरे नहीं किये जा सके। मैं कमी स्वीकार करता हूं और उस कमी के कारण मैं एक्शन ले रहा हूं। यह बात सच है कि कई सालों की जो बनी हुई परम्परा है उसको बदलने में बहुत समय लगता है। किंतु मैं आपके माध्यम से

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

निश्चित रूप से सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि इस त्रैमासिक बैठक को, मानिटरिंग की बैठक को हम लगातार चालू रखेंगे और आगे से हम जिम्मेदार ठहरायेंगे। एक्स. ईएन. अपने डिवीजन में फिजीकल और फाइनेन्शियल टार्गेट तय करता है, हम तो तय उससे करवाते हैं, हम कहते हैं कितनी सड़कें बननी हैं तय करो। पहले तीन महीने में कौनसे की, इसी कारण से हमने तय किया है 15 अप्रेल तक सारी सैंक्शन अधिक से अधिक निकालने की व्यवस्था इस बजट के बाद करेंगे ताकि पहले सत्र का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सके और जो टार्गेट पूरे नहीं करेगा वह रेस्पोन्सिबल होगा। इस बार...

श्री अध्यक्ष : रतनगढ़ तो आपकी जिम्मेदारी है ना ? अध्यक्ष की कांस्टीट्युअन्सी की जिम्मेदारी सरकार की है।

(11.00 रात्रि)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस सारे वर्षकाल में डामर की चोरी, सीमेन्ट की चोरी की कई शिकायतें आई हैं। मेडिकल विभाग में हमने जाँच करने के दो तरीके बना रखें हैं। कुछ ऐसी जाँच होती हैं जिनमें समय, लगता है, देर होती है। कुछ इमिजिएट जाँच के लिये कुछ अधिकारी यहाँ तय किये हुये हैं। जैसे सूचना आती है तुरन्त आन दी स्पॉट जाते हैं जाँच करके रिपोर्ट करते हैं। डामर की चोरी के तीन केसेज आये। तीनों पर अविलम्ब कार्यवाही होने के कारण पिछले 8 महीनों में डामर की चोरी का एक भी केस नहीं आया है। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने लीली और उसकी चर्चा की थी, मैं अभी इन्वेस्टीगेशन के केस में चर्चा नहीं करना चाहता। किन्तु जैसे सूचना आई वैसे के वैसे उसकी जाँच करने के लिए व्यक्ति भेजा गया। एक तरफ तो जगह की मरम्मत नहीं हो रही है और वो कौनसा लीली पुल का काम है। 2 फीट चौड़ी है जिसमें पानी रोकने के लिए सामान्य मिट्टी डालकर काम चलाया जा सकता है। बड़े-बड़े भवनों का तो सुधार नहीं हो रहा है और 16 लाख रुपये वहाँ लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई यह बड़ा मार्क आफ इन्टरगेशन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बीकानेर में में आदत पड़ गई है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपके वक्त भ्रष्टाचार हुआ है। हम तो उसकी शिकायत कर रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फिर कहना चाहता हूं 102 सड़कों पर अभी जे.. आर. वाई. में काम चल रहा है। इन्हीं सड़कों को हम अगले वर्ष प्लेन में लेंगे। 3 वर्ष में उनको पूरा डामर करने की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। अध्यक्ष महोदय, पिछले बार 38 करोड़ रुपया राज्य की योजना के अन्तर्गत था। 1991-92 में बढ़ाकर वह 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। सबसे बड़ी आवश्यकता जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत है और उस कारण से 22 करोड़ रुपया इस बार रखा गया है। 19.50 करोड़ राजस्थान में और 2.50 करोड़ रुपया ट्राइबल के क्षेत्र में रखा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

गया है। मैं जानता हूं कि शायद 14-15 करोड़ या इससे अधिक अभी तो ऑन गोइंग काम पर चलेगा लेकिन जो थोड़ी राशि मिली है उसमें हमने योजना बनायी हैं। उसको पूरा करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। माननीय सदस्य वर्ल्ड बैंक की चर्चा कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि विश्व बैंक की सहायता से 868 किलोमीटर राजमार्गों के 10 कार्य स्वीकृत हुए। फिर थोड़ी सी नाराजगी हो जायेगी, यह योजना चल रही है पिछले 4 वर्षों से और शायद उस समय के पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर भी यहां बैठे हों, वह योजना पता नहीं कौनसी गति से रेंग रही थी। यह पहला साल है पिछली बार दो बड़े काम शुरू हुए हैं और उनको पूरा करने की प्रक्रिया जारी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, डाकू उन्मूलन क्षेत्र में वन की कुछ ऐसी समस्याएं आ गयी हैं कि जिन समस्याओं के कारण उन सड़कों का कार्य रूक गया है। ये फाइलें लगातार केन्द्र तक जाती हैं। राज्य सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है कि इन सब क्षेत्रों की जल्दी से क्लीयरेंन्स मिल जाय ताकि डाकू उन्मूलन क्षेत्र में जो 26.7 करोड़ रुपये की स्वीकृति हमने दी थी और 250 लाख रुपये व्यय करने का संशोधित प्रस्ताव था उसको निश्चित रूप से आगे पूरा करने की कोशिश की जाय। मैं सामरिक महत्व की चर्चा, जो शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने की थी, उसके बारे में आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस सड़क की जानकारी आपने दी है उसकी विभाग से पूरी जानकारी करूंगा। क्योंकि सेन्ट्रल रोड फण्ड से आती है इसलिये वहाँ क्या बात हुयी, कैसे हुयी, कैसे कैन्सिल हुई इस पर विचार किया जायेगा और मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान हमारा है। सड़कों की दृष्टि से हम बहुत पीछे हैं। हम चाहते हैं कि सड़कें जल्दी से जल्दी बनें, प्रक्रिया भी चालू है किन्तु फाइनेन्सियल रिसोर्सेज की कठिनाई है। उसकी जो स्थिति है राज्य सरकार ने विनिश्चय किया है कि जितने नेशनल हाइवेज् हैं उन पर प्रत्येक काम फेवर से किया जाय। अब हमने घोषणा कर दी है। हम चाहते हैं आगामी 5 वर्ष के बाद राजस्थान के नेशनल हाइवे की हालत ऐसी हो जाय जैसे गुजरात की है। अब आपने थोड़ी सी शंका प्रकट कर दी। मैं तो इसलिये आपसे कहना चाहता हूं एक वर्ष से यह विभाग हमारे पास आया है। एक वर्ष से इस प्रकार की कार्यवाही हुयी है, हमने प्रयत्न किया है फिर भी स्थानान्तरणों के बारे में मैं कहना चाहूंगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य हाथ ऊंचा करेंगे।

बीकानेर के ओवर ब्रिज की दृष्टि से 4-4-90 को मैंने पत्र लिखा था। उसके बाद 15-1-91 को पत्र लिखा है माननीय मुख्य मंत्री ने तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर श्री जनेश्वर मिश्रा जी को। मैं स्वयं मिल कर आया हूं। ऐसी फ्ल्यूड स्थिति है केन्द्र में इसलिये वहाँ किससे तो बात करें, कितनी बात करें और बात करें तब तक वे बदल गये और इसलिये मन की तीव्र इच्छा होते हुए भी और पूरा प्रयास करने के पश्चात्

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

भी इसमें सफलता नहीं मिली है यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26—चिकित्सा''''

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह तो गलत परम्परा हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके इस निर्णय के खिलाफ वाक आउट करता हूं। हमेशा यह सदन की परम्परा रही है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपके इस निर्णय के खिलाफ वाक आउट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है।

(कांग्रेस (आई) पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

मांग संख्या 26 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,69,24,93,000/– (दो अरब उनहत्तर करोड़ चौबीस लाख तिरानवें हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 26 पारित की गयी।

मांग संख्या 21 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21—सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,90,91,41,000/– (एक अरब नब्बे करोड़ इक्यानवे लाख इक्तालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 21 पारित की गयी।

विधायी कार्य ; विधेयक पर विचार

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी।

विधेयक पर विचार

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय. मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन), विधेयक 1991 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा एक ही सुझाव है। (व्यवधान) मुझे कहना चाहिये।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला, आप संशोधन प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत करेंगे क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मेरी बात तो कह लूं ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, बात कहने की जरूरत ही नहीं है। पहले तो प्रस्ताव मूव करिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिस कारण से मैंने प्रस्ताव रखा उस पर बात तो करूं।

श्री अध्यक्ष : हां करिये। (व्यवधान) श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में धारा 10 की उपधारा 1 के परन्तुक में रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर जो फैसला दे देते हैं, उस फैसले को उसी की स्वीकृति के बाद उसको विचारार्थ या अपील के लिये प्रस्तुत किया जाता है। उसके बारे में जो संशोधन लाया जा रहा है निश्चित रूप से इससे रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर, जो रिटायर हो गये हैं या स्थानान्तरित हो गये हैं, उसके कारण किसानों को जो असुविधाएं हो रही थी उससे तो मुक्ति मिलेगी।

लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि अपील का राइट जिस तरह से हाई कोर्ट में है कि सिंगल बैंच के फैसले को डबल बेंच में अपील के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है, उसी तरीके से इसमें किसी भी प्रकार की इजाजत की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं समझता हूं कि रखनी चाहिये। जो भी सिंगल बैंच का फैसला हो, यदि किसान या सम्बन्धित पक्ष अपील करना चाहे तो वह डबल बैंच में कर सकता है और इसके लिए किसी भी फैसला देने वाले कोर्ट के मेम्बर की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। चूंकि राजस्थान भू-राजस्व संशोधन अधिनियम, 1956 में संशोधन किया जा रहा है तो मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। रेवेन्यू बोर्ड की बैंचेज सम्भागीय मुख्यालय पर आपको बनानी चाहिये। राजस्थान का किसान दूर-दराज से आता है और अजमेर में कई दिनों तक उसे फैसले के लिये इन्तजार करना पड़ता है। इसके लिये यदि सम्भागीय मुख्यालयों पर रेवेन्यू बोर्ड की बैंचेज स्थापित कर दी जायं तो जो पेन्डिग मामले हैं उनका निपटारा बहुत जल्दी हो सकेगा।

दूसरा, प्रत्येक गांव में जो गोचर भूमि है, उस गोचर भूमि के ऊपर नाजायज कब्जे हो रहे हैं, कुछ जगह लोग उसको सार्वजनिक उपयोग में ले रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जा रहे हैं और उसकी एवज में नयी गोचर भूमि आवंटित नहीं हो रही है जिसके कारण पशु धन को और खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में और राजस्थान के अन्य हिस्सों में, जहां पर पशुपालकों के पास स्वयं की अपनी जमीन नहीं है, उनकी गायों को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

अतएव गोचर भूमि के ऊपर अतिक्रमण न हो और यदि कोई सार्वजनिक काम भी किया जाता है तो उसकी एवज में उतनी ही भूमि गोचर के लिए आरक्षित की जाय, इसका प्रावधान इस बिल में किया जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण निरन्तर बढ़ रहे हैं, इसको रोकने के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए। कांग्रेस के शासन के वक्त में टेनेन्सी एक्ट और भू-राजस्व अधिनियम में काफी परिवर्तन करके किसानों के हित की बात की गई थी। मैं चाहता हूं कि जब यह विधेयक लाया जा रहा है तो इस अधिनियम से सम्बन्धित अन्य पहलुओं के ऊपर व्यापक विचार-विमर्श करके इसके बारे में विधान सभा को निर्णय लेना चाहिये। अतएव मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका जवाब देने की जरूरत ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सब का बोलना जरूरी नहीं है, एक लाइन....

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपका इसमें है नहीं—

श्री प्रेमसिंह दहिया : यह भू-राजस्व संशोधन विधेयक, 1991 जो रखा गया है....

श्री अध्यक्ष : इसमें नहीं है आपका, आगे आयेगा, बोल लेना।

श्री प्रेमसिंह दहिया : इस संशोधन में कुछ और संशोधन जोड़े जाने चाहिये थे। इस विधेयक की धारा 91 के अन्तर्गत जो तहसीलदार को पावर दी हुई है कि एक महीने के कारावास की सजा दे दी जाय, इसका मिसयूज होता है, तहसीलदार तक यह अधिकार नहीं होना चाहिये। उससे ऊपर वाले अधिकारी को यह अधिकार होना चाहिये, तहसीलदार अगले की परमिशन लेकर करे। इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, धारा 42(1) के तहत किसान जो अपनी जमीन के पास वाली जमीन का कोई टुकड़ा लेना चाहता है तो उसके लिए प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। इसी तरह श्मशान की भूमि, जो आबादी क्षेत्रों में आ गयी है तो उसको श्मशान से हटा देना चाहिये और उसकी किस्म परिवर्तित कर दी जानी चाहिये। इसी तरह तालाब पेटे की भूमि भी अगर आबादी में आई है तो उसकी भी किस्म परिवर्तित हो जानी चाहिये। हमारे यहां नदियों का बहाव चेंज होने के बाद कई जमीन बच जाती हैं तो नदी पेटे की भूमि, जो खेती योग्य है उसको खेती के लिए परमानेन्ट अलॉट करना चाहिये। अतएव इस संशोधन विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : हो गया, विराजिये। प्रभारी मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल की आवश्यकता इसलिए पड़ गई थी कि रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर ने अभी 1989 में एक फैसला

(श्री गंगाराम चौधरी)

किया था राधेश्याम बनाम सरकार में, एक छोटी सी दिक्कत पैदा हो गई थी, धारा 10 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में जो विशेष अपील का प्रावधान था पहले, उसमें यह बात रख दी गयी थी 1964 में जब संशोधन किया था, कि जो मेम्बर फैसला करे वही सुन कर के अगर केस को फिट समझे तो स्पेशल अपील के लिए वह इजाजत दे सकता है। जब यह मामला रेवेन्यू बोर्ड में आया तो रेवेन्यू बोर्ड की लार्जर बैंच ने यह फैसला किया कि पहले जो शब्द इसके अन्दर है, उसमें यह दिक्कत आ गई है कि अगर कोई मेम्बर स्थानान्तरित हो जाय तो उसकी जगह दूसरा मेम्बर अगर यह इजाजत देता है तो नियमों के अनुसार उसमें बाधा है और नियमों का उल्लंघन होता है। इसलिए उन्होंने यह सुझाव दिया था उस फैसले के अन्दर, इसलिए एक आॅर्डिनेन्स लाया गया था, अभी दिसम्बर में आॅर्डिनेन्स जारी किया गया था और उस आॅर्डिनेन्स का स्थान लेने के लिए यह बिल लाया गया है। बहुत छोटा सा बिल है और बहुत आवश्यक है। इसलिए इसको पारित किया जाय। कुछ माननीय सदस्यों ने दूसरे ...

श्री अध्यक्ष : हो गया वह तो, बिराजिये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व संशोधन विधेयक, 1991 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व संशोधन विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : इसके बाद बोल लीजिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : नहीं, विचारार्थ लेने पर....

श्री अध्यक्ष : इसके बाद बोल लीजिये, और आयेगा समय, आपको मौका दे दूंगा। हां, बोलिये।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1991 का पारण

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व संशोधन विधेयक, 1991 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : अब बोलिये, आप।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी का ध्यान थोड़ा सा इस सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहूंगा। मुख्य मंत्री जी बिराज रहे हैं, वैसे यह सब्जेक्ट इस संशोधन

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है लेकिन प्रान्त में जो मुकदमों की संख्या है और उनके डिस्पोजल की जो व्यवस्था है, उसके लिये हम इस लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में या राजस्थान टैनेन्सी एक्ट में कोई इस तरह का संशोधन करें कि सूट से फर्स्ट अपील, सैकण्ड अपील, रिवीजन और रिव्यू का डिस्पोजल किसी एक निश्चित अवधि में होना चाहिए। यह व्यवस्था हमारे कानून में नहीं है और इसकी वजह से एक-एक मामले में बीस-बीस, तीस-तीस साल तक रेवेन्यू मैटर्स पेन्डिग रहते हैं। इससे काश्तकार भयंकर परेशानी में है, एक तो मेरा यह सुझाव है।

दूसरा, माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि जनता शासन में जब आपने राजस्थान टैनेन्सी एक्ट की धारा 15एएए और धारा 19एएए में जनहित को मानते हुए एक संशोधन किया और उसको जब केन्द्र सरकार को भेजा तो उसको सिलिंग लॉ में डिफिट देने के कारण वापिस रिटर्न कर दिया था और फिर आपने वापिस उसमें प्रोविजो लगाकर जब केन्द्र सरकार को भेजा था तो 26 दिसम्बर, 1979 को प्रेसीडेन्ट ने उसकी असेन्ट दी और 29 दिसम्बर, 1979 को गजट नोटिफिकेशन उसका हुआ। लेकिन दुर्भाग्य था कि हम शासन से दूर चले गये। और हमारे जो पड़ौसी माननीय सदस्यगण हैं, यह शासन में आ गये। धारा 19एएए से करीब पांच लाख किसानों को राजस्थान में लाभ होने वाला था, धारा 15एएए से गंगानगर, बीकानेर जिलों के समस्त किसानों को जो लाभ होने वाला था, उसका प्रचार-प्रसार नहीं हुआ और इन लोगों ने उस कानून के जरिये जो ऑन एन एप्लीकेशन और सूओ-मोटो एप्लीकेशन जो लाभ मिलने वाला था वह नहीं मिला। मेरी गुजारिश है कि धारा 15एएए और धारा 19एएए में अगर एक साल की अवधि बढ़ा दी जाय तो मैं समझता हूं कि लाखों किसानों को लाभ होगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी, जवाब देंगे ?

***श्री गंगाराम चौधरी** : बिल से तो सम्बन्ध है नहीं, बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है। आपने कहा है....

श्री अध्यक्ष : अच्छा, ठीक बात है।

श्री गंगाराम चौधरी : उसके ऊपर विचार कर लेंगे।

श्री नत्थी सिंह : इसमें संशोधन करने के लिए बहुत से प्रस्ताव हैं और रेवेन्यू सचिवालय ने तैयार भी किये हैं आप उन सबको करिये, उनमें कई बहुत महत्वपूर्ण हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहूंगी कि आप जब परमिशन देने चले हैं तो परमिशन का प्रावधान रहना चाहिये, जिन्होंने निर्णय दे दिया उनके माध्यम से ही आगे वह अपील स्वीकृत की जाय, मैं समझती हूं कि कोई भी फैसला देने वाला अपने फैसले को गलत नहीं बतायेगा, जो फैसला दे चुका वह अपील के लिए क्यों आग्रह करेगा ? तो जब आप परमिशन देने चले हैं तो आप परमिशन का प्रावधान रखिये लेकिन वही दे, यह

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

ठीक नहीं। जिस तरह से अपील का सीधा प्रावधान है, उस तरह से प्रावधान रखिये। इतना सा मेरा सुझाव है।

विधेयक का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्ला।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो इस बात का एतराज करता हूं कि इस सदन में कई बार माननीय सदस्य, जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं वे जब विपक्ष में थे, तो यह कहते थे कि अध्यादेशों के माध्यम से सरकार को काम नहीं करना चाहिये। इस बिल को यह जो लेकर आये हैं परन्तु अध्यादेश इन्होंने जारी किये हैं। बीच में कई बार विधान सभा आयी। उस विधान सभा के एक दिन के सत्र को बढ़ाकर इसको पारित करवाना चाहिये था क्योंकि बिहार के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट की यह रूलिंग रही है कि बारबार अध्यादेश लागू करके वहां की सरकार....

श्री अध्यक्ष : कौन से साल में हुई यह रूलिंग ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है कि मुझे एग्जेक्टली याद नहीं है लेकिन दो-तीन साल पहले....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भी याद नहीं है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की थी ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है कि किसी की भी हो यदि कोई अच्छी रूलिंग है तो उसे कोट करने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : मैं तो साल पूछ रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यादेश के माध्यम से और बीच-बीच में असेम्बली आ गयी उसको इग्नोर करके, यह बारबार अध्यादेश लागू किये हैं इसकी मैं भर्त्सना करता हूं।

दूसरी बात धारा 35 में इन्होंने 35(क) को जोड़ा है और आगे उन्होंने उसमें सरकारी कर्मचारी को धारा 36 में एक वर्ष से ज्यादा की अवधि नहीं है, उसके लिए प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान किया है। मैं समझता हूं कि यह अवधि

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

अवधि बहुत ज्यादा है। इस अवधि को 6 महीने से ज्यादा नहीं रखा जाना चाहिए। जो दण्ड की व्यवस्थायें आगे की धाराओं में की गयी हैं वह भी मैं समझता हूं कि उचित नहीं हैं इसके बारे में व्यापक विचार करके निर्णय लिया जाना चाहिए इन्होंने 1965 के राजस्थान अधिनियम संख्या 13 की धारा 131 का संशोधन कर मूल अधिनियम की धारा 131 में (क) और (ख) के स्थान पर कुछ धारायें जोड़ने का प्रावधान किया है जिसमें अलग-अलग दण्ड और जुर्माने की व्यवस्था की है उसका व्यापक विचार विमर्श करके तय किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो तीन बातें और इस विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। बीकानेर जिले में सहकारिता उपभोक्ता भण्डार के प्रथम चरण के चुनाव हो गए और चुनाव होने के बाद इस एक्ट में किसी भी प्रावधान के न होते हुए भी चुनाव की प्रक्रिया जब भी शुरू हो जाती है उसके बाद में किसी भी स्टेज पर हाई-कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी व्यवस्था नहीं देता है कि चुनाव रोक दिया जाये। लेकिन इस एक्ट की धज्जियां उड़ा दीं हमारे माननीय सहकारिता मंत्री जी ने और बीकानेर सहकारी उपभोक्ता भण्डार के चुनाव इन्होंने मेरे से हारे हुए माननीय सदस्य के कहने पर, उनके दवाब पर और सहकारिता सचिव के कहने पर उस चुनाव को स्थगित कर दिया। रजिस्ट्रार ने इस चुनाव को स्थगित कर दिया। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र का इन्होंने एक तरह से गला घोटा है। प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं और इस फैसले के ऊपर इनको पुनर्विचार करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि आप एक तरफ तो चुनाव की बात करते हैं दूसरी तरफ प्रथम चरण का चुनाव हो जाये. निर्विवाद लोग घोषित होकर चुन लिये जायें उसके बाद द्वितीय चरण के चुनाव का कार्यक्रम भी डिक्लेयर कर दिया जाये आपके सक्षम अधिकारियों के द्वारा और उसके बाद उस चुनाव को रोका जाना उचित है क्या ? मैं समझता हूं कि उचित कदम नहीं है इसके बारे में आप पुनर्विचार करें।

ऐसा सुना जा रहा है कि सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक को समाप्त किया जा रहा है। केवल अपेक्स बाडी ही के बारे में आप चुनाव करने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यदि आप ऐसी कोई बात करेंगे तो यह जनहित में नहीं रहेगी और यह "एक, सब के लिए और सब एक के लिए" जिसके लिए को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट चला है उस को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट की हत्या हो जायेगी। सहकारिता मंत्री सह-कारिता के अपने आपको बहुत मर्मज्ञ विद्वान समझते हैं लेकिन सहकारिता के बारे में जितने गलत आदेश इन्होंने किये मैं समझता हूं कि इससे भैरोंसिंह जी की सरकार को इन्होंने बदनाम किया है। आप इनके निर्णयों को बदलिये और जो-जो गलत निर्णय इन्होंने किये हैं हाईकोर्ट तो इसके बारे में इनके खिलाफ स्ट्रिक्चर निश्चित रूप से पास करेगा लेकिन समय रहते आपको भी इनको रोकना पड़ेगा और इनके

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

गलत आदेशों को आपको समाप्त करना होगा। मैं इन्हीं विचारों के साथ यह प्रस्ताव करता हूं कि जो संशोधन इन्होंने सहकारिता सोसाइटी एक्ट में किया है उसको जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक, 1991 जो रखा है उसकी धारा 35 (ए) में यह प्रावधान रखा है कि 2 लाख और उसके अधिक की निधि होने पर सहकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति सरकार करेगी और उसकी। तनख्वाह का खर्च सोसाइटी की निधि से दिया जायेगा। इस प्रावधान से तो कोई भी सोसाइटी अपनी निधि को बाढायेगी नहीं और यह उचित नहीं होगा कि यह तनख्वाह के नाम पर किसी अधिकारी को सोसाइटी के ऊपर थोपा जाये। उससे तो यह जो सोसाइटीज हैं जिनमें यह अधिकारी आयेंगे सरकार की तरफ से यह अपनी चारागाह बना देंगे उसको। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, धारा 130 के अन्दर जुर्माने और सजा के प्रावधान हैं। इससे पहले भी कई सजा के प्रावधान हैं उनका उपयोग कब हुआ? अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में 265 सोसाइटियां हैं उनकी जो 3500 शिकायतें थीं जिनके लिए मंत्री जी ने कहा कि मैं 3 महीनों में इनकी शिकायतें मिटा दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा नहीं तो त्यागपत्र दे दूंगा। 3 महीने के मामले को उन्होंने 6 महीने में बदल दिया। 6 महीने में या तो भ्रष्टाचार मिटा दूंगा नहीं तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। और फिर अब यह त्यागपत्र वाली बात तो छोड़िये, इन्होंने क्या किया कि यह जो 3500 शिकायतों के मामले थे इनको चाहिए था कि धारा 75 के तहत यह इनका निपटारा करते तो जुडीशियल आदेश होते, यह तो उनको मानना पड़ता और जो शिकायतकर्ता हैं उनको राहत मिलती इसके लिए, परन्तु इन्होंने क्या किया कि धारा 30 के अन्तर्गत यह वापिस उन्होंने सोसाइटीज को दे दिये। अब वह सोसाइटीज जिनको 600 गज का प्लाट दिया गया था वह कहते हैं कि 250 गज का ही लो। यह तुम्हारी शिकायत मूल शिकायत मेरे पास आ गयी। यह तो स्थिति यह हुई कि किसी बकरी को कसाई से छुड़ाकर किसी शेर के आगे दे देने का। आप यह शिकायतों का इस तरह से करोगे तो आपकी यह भ्रष्टाचार मिटाने की केवल बात थी। आपके भ्रष्टाचार के नाम पर इस तरह से सोसाइटीज के अन्दर घोटाले हो रहे हैं उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए नहीं तो आप त्यागपत्र दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जवाब देना है आपको?

श्री चतुर्भुज वर्मा : वह अगर चाहे तो जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1991 को जनमत जानने हेतु प्रचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

जनमत जानने हेतु प्रचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाये ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 22 मार्च, 1991 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्नतर सदन की बैठक रात्रि 11.30 बजे शुक्रवार दिनांक 22 मार्च, 1991 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 389 का विवरण

राज्य सरकार के उपक्रमों में घाटा एवं उसके कारण

(क) राजकीय ऊनी मिल, बीकानेर में अधिस्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग किये जाने, ऊंची उत्पादन लागत, अपर्याप्त विपणन व्यवस्था तथा सही अर्थों में सक्षम स्पीनिंग मास्टर की सेवाएं न प्राप्त करना आदि हानि के मुख्य कारण हैं। इसके अतिरिक्त जनवरी, 1974 से कालीन धागे की कीमतों में लगातार गिरावट के कारण मिल के पास रु. 65 लाख का धागा इकट्ठा हो गया था जिसका मुख्य कारण विश्व-व्यापी मंदी की वजह से अमेरिका व यूरोप दोनों को ही अच्छी किस्म की कालीनों का निर्यात् कम हो गया था, साथ ही अन्य मिलों से प्रतिस्पर्धा जिसमें डी. सी. एम. अमृतसर, जोधपुर वूलन मिल, राजस्थान वूलन मिल, पानीपत के द्वारा लगभग प्रत्येक महिने कीमतों में कमी की जा रही थी।

वर्ष	हानि (लाख रु. में ब्याज सहित)
1969–70	11.05
1970–71	14.51
1971–72	16.11
1972–73	13 02
1973–74	10.30
1974–75	26.07
	91.06

इस मिल को जून 1976 में मैसर्स जे. जे. वूलन मिल्स प्रा. लि. को पट्टे पर दिया गया था। पट्टे की शर्तों के अनुकूल भुगतान न किये जाने के कारण अप्रेल, 1986 में इसे वापिस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया था। पट्टे की राशि की वसूली की कार्यवाही न्यायालयों में चल रही है। अब इसके विक्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं, जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ख) सोडियम सल्फेट संयंत्र, डीडवाना में हानि के मुख्यतया निम्न कारण थे:—

1. विद्युत् की अनियमित सप्लाई एवं असामान्य व्यवधान। विद्युत् की कमी के कारण उत्पादन 40% से 50% तक प्रभावित हुआ।

2. रेल्वे वैगन्स एवं कोयले की प्राप्ति न होने के कारण भी उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

3. पुराने संयंत्र के पुराने पार्टस को बदलने हेतु संयंत्र का बन्द रहना।

(क) ग्रीष्मकाल में संयंत्र की कार्यक्षमता को कम किया जाना।

5. इकाई को विभागीय प्रतिष्ठान के रूप में चलाने में कठिनाइयां। इस इकाई को वर्ष 1970-71 में वाणिज्यिक संस्थान घोषित किया गया। तब से लाभ/हानि का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	लाभ/हानि (लाख रु. में)
1970–71	(–) 5.60
1971–72	(–). 13 27
1972–73	(–) 6.89
1973–74	(+) 8.07
1974–75	(–) 6.88
1975–76	(–) 39.34
1976–77	(–) 13.90
1977–78	(–) 23.25
1978–79	(–) 12.00 (अनुमानित)
	(–) 113.06

(ग) राजस्थान स्टेट टैनरीज लि. में इसकी स्थापना से लगातार हानि के मुख्य कारण:—

1. राजस्थान में बड़ी साइज की भेड़ व बकरी की खालों की अनुपलब्धता के कारण इकाई को 6.25 लाख खालें प्रति वर्ष उत्पादन करने की क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना।

2. फैक्ट्री पिछड़े इलाके में स्थित होने के कारण एवं आधुनिक सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण अच्छे टैक्नीशियन उपलब्ध नहीं होना, जिस कारण से अच्छी किस्म का चमड़ा नहीं बना पाया जाना।

3. सम्पूर्ण निर्यातक इकाई तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पहले दस वर्ष में मंदी रहने से क्षमता का उपयोग न होना।

4. निर्यातक इकाई होने के उपरान्त भी इकाई का रेल/वायु मार्ग से न जुड़ा होना तथा संचार की भी समुचित सुविधा न होना।

राजस्थान स्टेट टैनरीज लि. में हुई हानि का विवरण :

वर्ष	हानि (लाख रु. में)	
1975--76	20.92	
1976--77	17.04	
1977--78	20.63	
1978--79	25.26	
1979--80	18.27	
1980--81	37.22	
1981--82	11.09	
1982--83	25.57	
1983--84	62.66	
1984--85	51.69	
1985--86	49.49	अंकेक्षण नहीं हुआ है।
1986--87	53.70	
1987--88	58.50	
	452.00	

(घ) सोडियम सल्फाईड फैक्ट्री में हानि रहने के मुख्तया निम्न कारण हैं:—

1. इकाई का कुल उत्पादन क्षमता से कम होने से कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतनमानों के कारण, उत्पादन लागत का अधिक बढ़ जाना, वर्ष 1984--85 में देय वेतन रु. 4.70 लाख के विरूद्ध 1989--90 में देय वेतन रु. 8.01 लाख वार्षिक हो गया।

2. एक टन सोडियम सल्फाईड बनाने हेतु औसतन 4 टन कोयले की खपत होती है। कोयले के मूल्य में 1984--85 के विरूद्ध दुगुनी वृद्धि हो चुकी है। हालांकि कोयले की खरीद में दूसरी अनियमितताओं से बचने के लिए राजकीय इकाई राजसीको से प्राप्त करने का प्रयास किया गया है परन्तु कोयले की ग्रेड उपयुक्त नहीं मिलना और इकाई की मारवाड़ बलिया स्थित साईडिंग पर कोयला रेल से नहीं पहुँच पाना।

3. विक्रय मूल्य में उत्पादन मूल्य की वृद्धि के अनुकूल वृद्धि नहीं होना।

इस इकाई में 1985--86 से हानि की स्थिति रही जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	हानि (लाख रु. में)
1985--86	3.57
1986--87	4.71
1987--88	14.27
1988--89	14.83
1989--90	13.00 अनुमानित
	50.38

(क) राजकीय ऊनी मिल, बीकानेर

इस मिल को जून 1976 में मैसर्स जे. जे. वूलन मिल्स प्रा. लि. को पट्टे पर दिया गया था। पट्टे की शर्तों के अनुसार लीज की राशि प्राप्त न होने के कारण मिल का कब्जा वापिस अप्रेल, 1986 में विभाग द्वारा ले लिया गया। मिल के विक्रय हेतु कई बार प्रयास किये गये लेकिन कोई सन्तोषजनक निविदा प्राप्त नहीं हुई। अब विक्रय हेतु पुनः निविदाएँ आमंत्रित की गई है।

(ख) सोडियम सल्फेट संयंत्र डीडवाना

इस इकाई को मैसर्स डीडवाना केमिकल्स प्रा. लि. को जनवरी, 1981 में लीज पर दिया गया। पट्टेधारक से पट्टे की शर्तों के अनुरूप लीज राशि प्राप्त न होने के कारण दिनांक 10-2-87 को पट्टा समाप्त कर दिया गया, परन्तु पट्टेधारक ने अभी तक इकाई का चार्ज राज्य सरकार को नहीं दिया है तथा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है तथा वाद न्यायालय में विचाराधीन है अतः निर्णय होने के पश्चात् अन्य कार्यवाही संभव हो सकेगी।

(ग) राजस्थान स्टेट टेनरीज लि.

इस इकाई को मैसर्स श्री कृष्ण कौशल अप्रवासी भारतीय को हस्तान्तरण करने के लिए दिनांक 12-3-91 को अनुबंध किया गया है जिनके द्वारा पट्टे की शर्तों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। पार्टी के द्वारा 6 माह तक पट्टे की शर्तों के अनुरूप कार्यवाही करने पर एवं इकाई को चलाने के उपरान्त अमानत राशि रुपये 50,000/– उन्हें वापिस कर रुपये 1000/-- की टोकन राशि पर 194.16 लाख रुपये के अंश स्थानान्तरित किये जावेंगे।

(घ) सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री

इस इकाई को लीज पर देने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जा चुकी है एवं निविदादाताओं से दिनांक 5-3-91 को वार्ता (नेगोशियेशन) कर प्राप्त अन्तिम प्रस्ताव निर्णयार्थ राज्य सरकार के विचाराधीन है।

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 391 की सूची

बाई नहर पर किये गये मिट्टी सफाई कार्य की सूची वर्ष 89–90

क्र. सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	संविदा सं.	राशि
1.	बा. न. की माण्डवी माइनर चैन. से 10 पर मिट्टी निकालने कार्य।	श्री निर्मलकुमार जैन	5-89-90	3637.00
2.	-एजन- 113 से 116 और	-एजन-	13-89-90	4891.00
3.	-एजन- 98.6 से 105.6	-एजन-	12-89-90	4555.00
4.	-एजन- माण्डवी वितरिका आर. डी 31480 से 72	-एजन-	1-89-90	4682.00
5.	सियाड़ माइनर, सेहपुरा माइनर माण्डला माइनर।	-एजन-	17-89-90	2086.00
6.	माण्उडी वितरिका 0 से 14	-एजन-	2-89-90	4690.00
7.	आर. डी. 10 से 31.80	-एजन-	3-89-90	3804.00
8.	सेमलिया माइनर, करसेलिया मा.	श्री आरमुगम	4-89-90	4029.00
9.	चितोड़िया सबमाईनर, नटेला	श्री निर्मलकुमार	6-89-90	3777.00
10.	आर. डी. 71 से 80	श्री सतीशमालपानी	19-89-90	4498.00
11.	-एजन- 29.70 से 43	-एजन-	16-89-90	4351.00
12.	-एजन- 43 से 68.20	-एजन-	18-89-90	4484.00
13.	-एजन- 0 से 17	-एजन-	14-89-90	4677.00
14.	-एजन- 17 से 29.70	-एजन-	15-89-90	4612.00
15.	-एजन- 178.40 से 179.05	हिरालाल मेघवाल	22-89-90	4767.00
16.	-एजन- 170से 178.40	-एजन-	21-89-90	4612.00
17.	-एजन- 156 से 223	-एजन-	20-89-90	3029.00

(366)

1	2	3	4	5
18.	-एजन- 260 से 263	श्री सूरजमल	25-89-90	4659.00
19.	-एजन- 250 से 260	-एजन-	24-89-90	4413.00
20.	-एजन- 263 से 270.5	-एजन-	26-89-90	4633.00
21.	-एजन- 223 से 250	-एजन-	23-89-90	4656.00
22.	-एजन-	श्री सतीशमालपानी	29-89-90	3447.00
				93000.00

बाई, नहर पर किये गये मिट्टी सफाई कार्य की सूची वर्ष 1990-91

क्र. सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	संविदा, सं.	राशि
1.	बा. मु. न. ग्रार.डी. 82 से 96	मो. हनीफ	30-90-91	9299.00
2.	-एजन- चितोडीयास सब माइनर	मो. इकबाल	10-90-91	3730.00
3.	-एजन- चैन 135 से 155	-एजन-	29-90-91	8604.00
4.	भाण्डला एवं सेहूपुरा माइनर	केसरीमल	27-90-91	9184.00
5.	माण्डवी वितरिका 50 से 72	मो. हनीफ	14-90-91	3775.00
6.	चरपोटिया एवं करसेलिया माइनर	श्री वीरेन्द्र कुमार	10-90-91	4253.00
7.	माण्डवी वित. 31.80 से 50	श्री घनश्यामपुरी	13-90-91	7001.00
8.	बा. मु. न. 96 से 114	मे. जय भवानी कन्स.	28-90-91	9249.00
9.	माण्डवी वित. 00 से 14	श्री लक्ष्मीलाल	11-90-91	8591.00
10.	,, 14 से 31	श्री हिम्मतसिंह	12-90-91	7239.00
11.	मुख्य, नहर 114 से 135	श्री हिरालाल	18-90-91	9970.00
12.	माण्डवी माइनर	श्री हिम्मतसिंह	15-90-91	8722.00

1	2	3	4	5
13.	टाडा, नटेला सब माइनर	श्री हिरालाल	17-90-91	8033.00
14.	खूता वितरिका	केसरीमल जैन	39-90-91	9670.00
15.	हिरावास, सराडा माइनर	-एजन-	40-90-91	8081.00
16.	पिपलाखेड, भरकुण्डी माइनर	-एजन-	38-90-91	3090.00
17.	बा. मु. न. 0 से 20	श्री विरेन्द्रकुमार	19-90-91	11001.00
18.	-एजन- 60 से 82	श्री सतीश मालपानी	30-90-91	10265.00
19.	-एजन- 20 से 40	श्री हिम्मतसिंह	21-90-91	9442.00
20.	-एजन- 223 से 240	श्री लक्ष्मीलाल	24-90-91	8711.00
21.	-एजन- 197 से 223	-एजन-	20-90-91	9060.00
22.	-एजन- 240 से 260	श्री विनोदकुमार	25-90-91	10432.00
23.	-एजन- 260 से 272.50	श्री गुरुचरणसिंह	28-90-91	7747.00
24.	-एजन- 159 से 173	श्री घनश्यामपुरी	32-90-91	10240.00
25.	-एजन- 173 से 182	श्री सतीश अग्रवाल	22-90-91	11013.00
26.	-एजन- 182 से 197	-एजन-	23-90-91	10644.00
27.	पारसोला वितरिका, श्राड	श्री डालचन्द	10-90-91	9670.00
			नहर खण्ड	
28.	हजारीगुडा माइनर 0 से 27	श्री महावीर कोन्टे.	11-90-91	2440.00
29.	रामगढ़, सेवानगर, बोरदामाई	श्री वीरेन्द्रकुमार	12-90-91	6573.00
30.	बंडावा माइनर 0 से 39	श्री महावीर को.	13-90-91	3916.00
31.	कडामगरी, मियाला माइनर	श्री डालचन्द	14-90-91	5450.00
32.	कोटडी माइनर 0 से 39	श्री महावीर कन्स.	15-90-91	2440.00
33.	लिम्बरवाड़ा माइनर	श्री डालचन्द	16-90-91	1557.00
34.	नाड माइनर	श्री मो. हनोफ	17-90-91	1640.00
35.	लिम्बरवाड़ा वितरिका 85 से 115	श्री डालचन्द	18-90-91	2774.00
36	मुगाणा माइनर एवं सब माइनर	श्री मोहनलाल	19-90-91	3774.00
37.	पंडावा वितरिका 90 से 117	श्री मो. हाफीज	20-90-91	6411.00

1	2	3	4	5
38.	लिम्बरवाडा डिस्ट्री 00 से 85	श्री महावीर कन्सट.	पीए1-90-91	15852.00
39.	पारसोला वितरिका 70 से टेल	श्री डालचन्द	पी2-90-91	13403.00
40.	पंडावा वितरिका 0 से 40	श्री लक्ष्मीलाल	3-90-91	19197.00
41.	पंडावा वित. लिकनिया माईनर	श्री नूरमोहम्मद	4-90-91	18625.00
42.	पंडावा 70 से 90	नवदुर्गा कन्सट.	5-90-91	18716.00
43.	बा. न. 305 से 322	श्री सूरजमल	6-90-91	18269.00
44.	गोपालपुरा, आकोयाखेडा	श्री नूरमोहम्मद	8-90-91	12175.00
45.	बा. म. न. 332 से 361	सांवरिया कन्सट.	9-90-91	18677.00
46.	,, 272 से 305	श्री नूरमोहम्मद	10-90-91	18591.00
47.	लोदीया, उजाडखेडा	श्री मो. इकबाल	11-90-91	12108.00
48.	बा. मु. न. 361 से 399	जयभवानी कन्स.	12-90-91	15250.00
49.	मानपुर माईनर	श्री प्रहलादसिंह	13-90-91	19565.00
50.	पारसोला वितरिका 0 से 70	नवीन कन्स ट्र.	14-90-91	15310.00
				4,79,000.00

दाई नहर पर किये गये मिट्टी सफाई के कार्यों की सूची
वर्ष 1990–91

क्र. सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	संविदा सं.	राशि
1.	जा. दा. न. से मिट्टी निकालने का कार्य ।	श्री लक्ष्मीलाल	22-90-91	2277.00
2.	दा. न. चैन 387 से 424	-एजन-	41-90-91	9131.00
3.	दा. न. चैन 352 से 387	श्री मो. ईकबाल	23-90-91	8384.00

1	2	3	4	5
4.	-एजन- 424 से 460	-एजन-	42-90-91	9173.00
5.	दासगुड़ा डि. चैन 100 सेटेल	श्री वस्तुपाल	24-90-91	4526.00
6.	साठपुर डि. चैन 10.20 से 13	निर्मलकुमार	25-90-91	7710.00
7.	-एजन- 0 से 10.20	-एजन-	64-90-91	6249.00
8.	धरियावद माईनर चै. 120 से 166	श्री विनोदकुमार	20-90-91	8498.00
9	-एजन 40 से 60	-एजन-	48-90-90	9695.00
10.	वन्दाना माइनर 0 से टेल	श्री केसरीमल जैन	27-90-91	3703.00
11.	विलकावास माइनर 0 से 62	-एजन-	34-90-91	8430.00
12.	धरसोला पाइनर 0 से 67	-एजन-	35-90-91	4040.00
13.	केसरपुरा माइनर 0 से 30 व रिछडी माइनर 0 35	-एजन-	38-90-91	8223.00
14.	दा. न. चैन 514 से 580	-एजन-	73-90-91	6656.00
15.	साठपुर डि. चैन 180 से 580	-एजन-	28-90-91	8571.00
16.	-एजन-चैन 160 से 180	जाकीर हूसैन	29-90-91	9886.00
17.	धरियावद माइनर चै. 0 से 40	सतीश अग्रवाज	30-90-91	7035.00
18.	-एजन- 60 से 86	-एजन-	31-90-91	7716.00
19.	-एजन- 86 से 120	-एजन-	32-90-91	6797.00
20.	गांगागुडा माइनर 0 से 65	सोमनाथ कन्स.	33-90-91	7562.00
21.	साठपुर डि. चै. 13 से 160	नवदुर्गा कन्स.	36-90-91	5142.00
22.	केसरपुर माइनर 30 से 120	घनश्याम पुर	37-90-91	9025.00
23.	दा. न. चैन 170 से 172	-एजन-	51-90-91	8894.00
24.	करमोई कैनाल 0 98	-एजन-	68-90-91	7001.00

1	2	3	4	5
25.	जवाहरनगर माइनर 0 से 44	श्री सतीश मालपानी	39-90-91	2910.00
26.	दा. न. चैं. 330 से 332	-एजन-	43-90-91	10581.00
27.	पारेल डि. चे. 0 से 227	-एजन-	70-90-91	8833.00
28.	डाबीयागुड़ा चेंन 0 से 45	मो. हनीफ	44-90-91	7752.00
29.	दास का गुड़ा चे. 0 से 100	-एजन-	52-90-91	5532.00
30.	दा. न. चे. 0 से 70	श्री सूरजमल	45-90-91	7633.00
31.	भटवाडा माइनर	-एजन-	71-90-91	8147.00
32.	दा. न. चे. 470 से 514	श्री गुरूचरणनसिंह	65-90-91	700100
33.	-एजन- 580 से 665	-एजन-	72-90-91	7147.00
34.	665 से 732	श्री महावीर कोन्टे.	78-90-91	8190.00
35.	-एजन- 732	-एजन-	81-90-91	8349.00
36.	केसरीयावाद माइनर 0 से 177	श्री दिलीप पटवा	79-90-91	8503.00
37.	पारेल व नलवा माइनर	-एजन-	80-90-91	8666.00
				2,74,571.00

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 398 की सूची

वर्ष 1990–91 के दौरान जैसलमेर जिले में पशु पालन सम्बन्धी कार्यों पर किये गये व्यय की मदवार सूची—

क्र सं.	कार्य का नाम	1990-91 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि	वर्ष के अन्त तक सम्भावित व्यय
1.	भवन निर्माण	4.75 लाख	4.75 लाख
2.	पानी एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य	1.35 लाख	1.35 लाख
3.	मशीनरी एवं साज-सामान का क्रय	0.75 लाख	0.75 लाख
4.	टंकण यंत्र क्रय	0.06 लाख	0.06 लाख
5.	अन्य व्यय	0.75 लाख	—
		7.66 लाख	6.91 लाख

परिशिष्ट–4

समयाभाव के कारण सदन में लिए जा न सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

श्री रघुनाथाराम विश्नोई, व्याख्याता, राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल सांचौर का स्थानान्तरण प्रकरण

403. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि श्री रघुनाथाराम विश्नोई, व्याख्याता, राजकीय सीनियर हायर सैकण्ड्री स्कूल सांचौर का विद्यार्थियों को बरगला कर कन्या पाठशाला भवन बनवाने में रोडे अटकाने के कारण जिला कलक्टर के लिखने पर स्थानान्तरण रामगढ़ जिला जैसलमेर में किया गया ? स्थानान्तरण होने के बाद सांचौर से दिनांक 16-8-1990 को कार्यमुक्त भी कर दिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि स्थानान्तरण करने के बावजूद भी उसे वापस सांचौर लगाने के आदेश दिये गये ? यदि हां, तो क्यो ?

(3) क्या यह भी सही है कि व्याख्याता द्वारा स्वयं की इच्छा पर स्थानान्तरण निरस्त करवाने के लिये भी उसे आने-जाने का यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता दिया गया ? यदि हां तो किन नियमों के अन्तर्गत ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) स्थानान्तरण आदेश निरस्त न कर प्रार्थी द्वारा जांच कराये जाने की प्रार्थना पर स्टे दिया गया।

(3) उप निदेशक (पुरुष) जोधपुर द्वारा किन कारणों से यात्रा भत्ता दिया गया है इसकी जाँच की जा रही है।

झुन्झुनूं में अतिरिक्त कलक्टर के पद का सृजन

404. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं में अतिरिक्त कलक्टर का पद सृजित किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या झुन्झुनूं व चिड़ावा तहसीलों में चालू वित्त वर्ष में कोई नये राजस्व ग्राम घोषित किये जाने का विचार है ? यदि हां, तो कौन-कौन से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रोजेक्ट डाइरेक्टर डी. आर. डी. ए. झुन्झुनूं को दण्डनायक की शक्तियां दिये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

(राजस्व मंत्री)

(2) तहसील चिड़ावा, झुन्झुनू में चालू वित्तीय वर्ष में नये राजस्व ग्राम घोषित करने के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के सुरक्षा कर्मी

405. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड ने निजी सुरक्षा कर्मियों के अलावा स्टेट से भी पुलिस ले रखी है? क्या उसी के साथ ठेकेदारों के भी सुरक्षा प्रहरी लगे हुए हैं? यदि हां, तो इनकी कुल संख्या कितनी है? इन पर प्रतिवर्ष कितना खर्चा कम्पनी किस-किस मद से व्यय करती है?

(2) पिछले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष, कितनी चोरी की वारदातें हुई हैं? इनमें से कितनी चोरियां पकड़ी गई? कितना माल बरामद किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इन चोरियों के सम्बन्ध में किन सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कम्पनी द्वारा कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इनकी कुल संख्या 13 है। इन पर प्रति वर्ष रुपये 1,34,786/– व्यय होता है, जो कम्पनी के ठेकेदारों को भुगतान मद से व्यय होता है।

(2) पिछले पांच वर्षों में चोरी की वारदातें उनका पकड़ा जाना तथा माल बरामदगी का विवरण संलग्न है।

(3) इन चोरियों के संबंध में सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कार्यवाहीं नहीं की गई इसका कारण यह था कि इन चोरियों में सुरक्षा कर्मियों की कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिली-भगत नहीं थी तथा चोरी की वारदात की तफ्तीश में भी पुलिस द्वारा संस्थान के किसी सुरक्षा कर्मी को दोषी नहीं ठहराया गया।

पिछले पांच वर्षों में चोरी की वारदातें उनका पकड़ा जाना तथा माल बरामदगी का विवरण

वर्ष	चोरी की वारदातें	पकड़ी गई चोरियां	चोरी गये माल का मूल्य	बरामद किये गये माल का मूल्य	विशेष विवरण
1986	9	4	रु. 9150/–	रु. 5650/–	—
1987	4	1	रु. 16250/–	रु. 10000/–	—
1988	–	–	—	—	—
1989	8	7	रु. 65245/–	रु. 65245/–	ऐसे मामले में चोरी करने का प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ पर कोई माल चोरी नहीं हुआ था ।
1990	1	–	रु. 50/–	—	—
कुल	22	12	रु. 90695/–	रु. 80895/–	—

उदयपुर जिले के अनुसूचित जन जाति के छात्रावास

406. श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल)—क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर में अनुसूचित जन जाति छात्रावास टीडी, बाया भील, ऋषभदेव, चावण, बनवासी छात्रावास उदयपुर को राज्य सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त छात्रावासों में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य पर राज्य सरकार क्या विचार कर रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त छात्रावासों को बन्द करने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) इन संस्थाओं द्वारा निर्धारित सुविधायें उपलब्ध नहीं कराने पर इनकी मान्यता रद्द करने के आदेश दिये गये थे किन्तु छात्रों की कठिनाइयों को देखते हुए इन संस्थाओं को इस शैक्षणिक वर्ष तक चलाये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

(2) वर्तमान में संस्थायें बन्द नहीं हैं ।

चूरू जिले के पशु चिकित्सालय

407. श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि पशु चिकित्सालयों की दशा बहुत ही दयनीय है तथा उनमें फर्नीचर, दवाइयां एवं उपकरण समुचित नहीं हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं एवं इन कमियो को दूर करने के लिये राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में चूरू जिले में नये पशु चिकित्सालय खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं कहां-कहां ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में कुल 19 पशु चिकित्सालय हैं । तहसीलवार चिकित्सालयों की सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) चूरू जिले में पशु चिकित्सालयों की दशा दयनीय नहीं है एवं उनमें फर्नीचर, दवाइयां एवं उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं ।

(3) चालू वित्तीय वर्ष एवं आगामी वित्तीय वर्ष (1991–92) के दौरान राज्य में कहीं भी नये पशु चिकित्सालय नहीं खोले जाने हैं ।

सूची "क"

चूरू जिले के पशु चिकित्सालय की तहसीलवार सूची :—

क्र.सं.	नाम तहसील	पशु चिकित्सालय
1.	सुजानगढ़	सुजानगढ़
		बीदासर
		सालासर
		लालगढ़
2.	श्री डूंगरगढ़	श्री डूंगरगढ़
		बिग्गा
		मोमासर
3.	सरदारशहर	सरदारशहर
4.	रतनगढ़	रतनगढ़
		राजलदेसर
5.	तारानगर	तारानगर
		साहवा
		धीरवास बड़ा
6.	सादुलपुर	सादुलपुर
		सिधमुख
		चांदकोठी
7.	चूरू	चूरू
		खण्डवा पट्टा
		सेहजुसर

सहकारिता विभाग का अंकेक्षण

408. श्री रमाकान्त शर्मा(थानागाजी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग द्वारा सम्पादित अंकेक्षण का कार्य सहकारी विभाग से हटाकर वित्त विभाग के अधीनस्थ ऑडिट पार्टी से कराने का राज्य सरकार के पास प्रस्ताव काफी दिनों से विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसके विलम्ब के क्या कारण हैं ? अब कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। सहकारी विभाग की कार्यकारी विंग व ऑडिट विंग को रजिस्ट्रार के अधीन ही अलग-अलग करने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है। विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से इन दोनों विंगो में से किसी एक विंग में रहने हेतु विकल्प मांगे गये हैं। इनसे विकल्प प्राप्त होने व इस सम्बन्ध में नियम बनाने के बाद यथोचित कार्यवाही की जावेगी।

पंचायत समिति सीमलवाड़ा में वातरक नदी का अधूरा एनीकट

409. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में ग्राम पंचायत मांडली, पंचायत समिति, सीमलवाड़ा में वातरक नदी पर 22 लाख रुपये की लागत का एनीकट अधूरा है? यदि हां तो वह कब तक पूर्ण हो जायेगा तथा उस पर और कितनी धन राशि खर्च होने का अनुमान है?

उत्तर

(1) जी हां। यह एनीकट निर्माणाधीन है। वर्तमान प्रगति के अनुसार इसके जून 91 तक पूर्ण होने की संभावना है। इसकी अनुमानित लागत 29.49 लाख रुपया है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में निर्मित टिन शैड्स

410. श्री घासीलाल (टोडारायसिंह), एंव **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत टिन शैड्स किस-किस क्षेत्र में कितनी-कितनी लागत से बनाये गये एवं किस के आदेश से निर्मित कराये गये? सूची मय लागत सदन की मेज पर रखें।

(2) विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जो चीजें वितरित की जाती हैं उनसे प्राप्त होने वाली राशि इन्दिरा गांधी नहर मण्डल के पास कितनी मात्रा में जमा है तथा इसके उपयोग के बारे में क्या योजना है?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्थलों पर बनाये गये टिन शैड्स व इनकी लागत प्रपत्र "क" के अनुसार है। इनकी प्रशासनिक स्वीकृति विश्व खाद्य कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गई है व तकनिकी स्वीकृति परियोजना के सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई है।

(2) इन्दिरा गांधी नहर परियाजना में विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त खाद्य सामग्री को श्रमिकों को वितरित करने से माह जनवरी, 91 के अंत में 329,36 लाख रु. जमा हैं। इस राशि का उपयोग श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं तथा परियोजना क्षेत्र में विकास कार्यो पर किये जाने की योजना है।

प्रपत्र "क"

टिन शैड्स का विवरण

क्रम सं.	स्थान	संख्या	लागत (रु. लाख में)
1	2	3	4
1.	आरडी 35 सागरमल गोपा शाखा	10	1.79
2.	आरडी 52 सागरमल गोपा शाखा	10	1.80
3.	आरडी 70 ,,	10	1.80
4.	आरडी 90 ,,	10	1.83
5.	आरडी 97 ,,	10	1.79
6.	आरडी 105 ,,	10	2.33
7.	आरडी 105 I ,,	10	1.28
8.	आरडी 105 II ,,	10	2.34
9.	आरडी 105 III ,,	10	1.90
10.	आरडी 105 I ,,	10	1.87
11.	आरडी 105 II ,,	10	1.33
12.	आरडी 125 सागरमल गोपा शाखा	10	1.55
13.	आरडी 135 ,,	10	1.57
14.	आरडी 139 ,,	10	1.61
15.	आरडी 149 II ,,	10	1.83
16.	आरडी 125 II ,,	10	1.76
17.	आरडी 125 I ,,	10	1.77
18.	आरडी 115 I ,,	10	1.09
19.	आरडी 115 II ,,	10	1.88
20.	आरडी 40 शहीद बिरबल शाखा	10	1.83

1	2	3	4
21.	आरडी 149 सागरमल गोपा शाखा	10	1.82
22.	आरडी 135 II ,,	10	1.88
23.	आरडी 135 I ,,	10	1.91
24.	आरडी 133 I ,,	10	1.80
25.	आरडी 133 II ,,	10	1.84
26.	आरडी 40 शहीद बिरबल शाखा	10	1.81
27.	आरडी 40 ,, (वर्कशॉप II के पास)	10	1.81
28.	आरडी 40 शहीद बिरबल शाखा	10	0.81
29.	आरडी 90 सागरमल गोपा शाखा	10	1.90
30.	आरडी 90 ,,	10	1.91
31.	आरडी 30 ,,	4	0.37
32.	आरडी 45 ,,	4	0.67
33.	आरडी 50 ,,	4	0.64
34.	आरडी 60 ,,	4	0.63
35.	आरडी 54 ,,	6	0.61
36.	आरडी 35 ,,	6	0.92
37.	आरडी 14,9,22 सा. गो. शाखा	6	(–) 0.02
38.	आरडी 24 व 25 ,,	6	0.62
39.	आरडी 40 ,,	4	0.44
40.	आरडी 47 ,,	4	0.62
41.	आरडी 86 सागरमल गोपा शाखा	6	0.66
42.	आरडी 90 ,,	5	0.79
43.	आरडी 92 ,,	4	0.68
44.	आरडी 94 ,,	6	0.10

1	2	3	4
45.	आरडी 97 सागरमल गोपा शाखा	6	0.94
46.	मोहनगढ केनाल कॉलोनी	6	0.99
47.	मोहनगढ केनाल कॉलोनी	6	0.98
48.	सुलताना गांव	6	0.99
49.	आरडी 30 सागरमल गोपा शाखा	6	0.52
50.	आरडी 35 ,,	6	1.32
51.	आरडी 52 ,,	6	1.15
52.	आरडी 70 ,,	6	0.57
53.	आरडी 1427 इ. गा. मुख्य नहर	6	—
54.	आरडी 133 सागरमल गोपा शाखा	4	0.38
55.	आरडी 149 ,,	4	0.44
56.	आरडी 250 ,,	2	0.03
57.	आरडी 310 ,,	6	0.55
58.	आरडी 100 ,,	3	0.35
59.	आरडी 75 ,,	6	0.67
60.	आरडी 72 ,,	6	0.67
61.	आरडी 65 ,,	4	0.49
62.	आरडी 105 ,,	3	0.36
63.	आरडी 16 से 35 शहदी विरपत शाखा	6	0.71
64.	आरटी 0 से 15 ,,	6	0.61
65.	बुर्जी 80 I चारणवाला शाखा	6	1.23
66.	बुर्जी 80 ,,	6	1.06

1	2	3	4
67.	बुर्जी 24. 550 चारण वाला शाखा	6	0.07
68.	बुर्जी 24. 550 ,,	6	1.07
69.	बुर्जी 46 चारणवाला शाखा	6	1.07
70.	किमी. 68-89 साहवा लिफ्ट नहर	6	0.99
71.	किमी. 70-71 ,,	6	0.96
72.	किमी. 78-79 ,,	6	0.96
73.	किमी. 81-82 ,,	6	0.81
74.	किमी. 83-89 ,,	6	0.87
75.	किमी. 104-105 ,,	6	0.46
76.	किमी. 106-107 ,,	6	0.47
77.	किमी. बीकानेर कॉलोनी	2	0.67

सांवलिया (चाकसू) में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सवर्ण जाति को भूमि का आबंटन

411. श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम सांवलिया तहसील चाकसू में 1972 में कितने अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सवर्ण जाति के भूमिहीन किसानों को किस-किस खसरा नं. में कितनी-कितनी जमीन आबंटित की गई थी ?

(2) क्या उपरोक्त जमीन पर सभी आबंटियों का कब्जा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किस-किस का कब्जा है ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ अनुसूचित जाति के आबंटियों की जमीन बिना पूर्व सूचना के चरागाह में परिवर्तित कर दी गई है ? यदि हां, तो कब व क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सवर्ण जाति के किसानों की जमीन तो वापिस आबंटियों को दे दी गई, लेकिन अनुसूचित जाति के आबंटियों को नहीं दी गई ?

(5) क्या सरकार उन अधिकारियों के विरूद्ध जिन्होंने अनुसूचित जाति के हरिजन किसानों को भूमिहीन बना दिया, कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम सांवलिया तहसील चाकसू में दिनांक 4 6·1972 को तीन अनुसूचित जाति एवं एक सवर्ण जाति के भूमिहीन व्यक्तियों को निम्नानुसार भूमि आबंटित की गई थी :—

क्र. सं.	आबंटित का नाम	खसरा नं.	आबंटित (रकबा)
1.	श्री रामकरण पुत्र लादू बैरवा	3 मिन	2 बीघा 11 बिस्वा
2.	श्री छीतर पुत्र सूज्या खटीक	3 मिन	2 बीघा
3.	श्री रामप्रसाद पुत्र रामधन बैरवा	3 मिन व 229 मिन	2 बीघा 6 बीघा 14 बिस्वा
4.	श्री प्रहलाद सिंह पुत्र मदनसिंह गुर्जर	3 मिन	5 बीघा

(2) उपरोक्त जमीन पर आबंटियों में से छीतर पुत्र सूजा खटीक, रामप्रसाद पुत्र रामधन बैरवा एवं रामकरण पुत्र लादू बैरवा का कब्जा अतिक्रमियों की हैसियत से है क्योंकि उपरोक्त आबंटित भूमि चरागाह होने से आबंटन निरस्त किया जा चुका है। प्रहलाद सिंह पुत्र मदनसिंह गुर्जर का कोई कब्जा नहीं है।

(3) जी नहीं। आबंटित भूमि बन्दोबस्त के समय से ही चरागाह में है। अत: आवंटितियों को सूचना देने तथा चरागाह में परिवर्तित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) जी नहीं। आबंटित भूमि चरागाह होने के आबंटन निरस्त किया जा चुका है।

(राजस्व मंत्री)

अतः किसी को वापिस देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(5) जी, नहीं। आबंटन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) जयपुर के आदेश दिनांक 16.6.84 के द्वारा निरस्त किया गया है। अतः किसी अधिकारी के द्वारा अनुसूचित जाति के हरिजन किसानों को भूमिहीन बनाने का प्रश्न नहीं उठता है और ना किसी के खिलाफ कार्यवाही की आवश्यकता है।

रामनिवास बाग, जयपुर के चिड़िया घर का चिम्पेन्जी

412. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) एवं **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रामनिवास बाग, जयपुर के चिड़िया घर में मैक्स चिम्पेन्जी कब व कहाँ से लाया गया और इस पर लाने आदि पर कुल कितना खर्च वन विभाग को उठाना पड़ा ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर चिड़िया घर के दुर्लभ वन्य जीव चिम्पेन्जी की बिजली के तारों से चिपक जाने से मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो क्या इसकी मृत्यु के कारणों की जाँच के लिए कोई कमैटी गठित की गई है ? यदि हां, तो क्या कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है ? रिपोर्ट में इसके लिए किन-किन को दोषी पाया है ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर चिड़िया घर के अधिकारियों द्वारा इस चिम्पेन्जी के पिंजरे की मरम्मत आदि के बारे में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को बार-बार लिखा गया ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत आदि न करवाने के क्या कारण थे ? इस सम्बन्ध में लापरवाही बरतने के लिए कौन-कौन दोषी पाये गये।

(4) जयपुर चिड़िया घर में पिछले लम्बे अर्से से नर चिम्पेन्जी व मादा चिम्पेन्जी एक साथ रखे हुए हैं लेकिन वर्षों गुजर जाने के बाद भी इनके कोई बच्चा नहीं हुआ इसके लिये वन अधिकारियों ने कब-कब क्या-क्या प्रयास किये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रामनिवास बाग, जयपुर के चिड़िया घर में मैक्स चिम्पेन्जी दिनांक 1-5-88 को देहली चिड़िया घर ले जाया गया था। चिम्पेन्जी (मैक्स) को विभागीय वाहन से लाया गया था इस पर कुल 934 रुपये 45 पैसे का खर्च वन विभाग को उठाना पड़ा था।

(2) जी हां, चिम्पेन्जी की मृत्यु बिजली के तारों को छू जाने से हुई है। इसकी मृत्यु के कारणों की जांच किसी कमेटी द्वारा नहीं की जा रही है। जांच वन संरक्षक, (वन्यजीव) द्वारा की जा रही है। रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी नहीं। चिड़िया घर के अधिकारियों द्वारा इस चिम्पेन्जी के पिंजरे की मरम्मत आदि के बारे में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को नहीं लिखा गया। पिंजरों की मरम्मत आदि करवाने की कार्यवाही

(वन मंत्री)

चिड़िया घर के अधिकारी आवश्यकतानुसार समय-समय पर स्वयं ही करवाते हैं। इस सम्बन्ध में कोई लापरवाही नहीं बरती गई।

(4) यह एक प्राकृतिक मामला है। पुराने नर चिम्पेन्जी को मादा के साथ रखने पर भी प्रजनन न होने पर पुराने नर के स्थान पर नया नर चिम्पेन्जी देहली चिड़िया घर से लाया गया था पर फिर भी प्रजनन नहीं हुआ।

खनन विदोहन में आयी भूमि के परिवार के सदस्यों को रोजगार

413. श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिस खातेदार की भूमि खनन विदोहन में आती है उस परिवार के एक सदस्य को संविदा के मुताबिक विभाग/निगम या कम्पनी जिसके द्वारा विदोहन किया जाना है, सेवा में रखना अनिवार्य होता है? यदि हां, तो झामर कोटड़ा, मदून के कितने खातेदारों के परिवार के व्यक्तियों को सेवा का अवसर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज. स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड संस्थान में खनन विदोहन के लिये अवाप्त भूमि के खातेदार के परिवार के सदस्य को सेवा में रखने सम्बन्धी कोई संविदा नहीं है। अतः शेष सूचना शून्य समझी जावें।

राज्य में उद्योगों का विकास

414. श्री शिवजी राम (जहाजपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में उद्योग विकसित करने के लिये सरकार ने औद्योगिक नीति में सुविधायें एवं रियायतें दिये जाने की घोषणा की है? यदि हां, तो क्या-क्या? क्या सभी घोषित सुविधाएँ एवं रियायतें लागू की जा रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या घोषित रियायतों में सभी उद्योगों में विनियोजन अनुदान लागू है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ब्यूरो ऑफ इण्डीस्ट्रयल प्रमोशन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? क्या इसमें उद्योग विभाग के अनुभवी अधिकारी लगाया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवन हेतु कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियता के विकास के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या निदेशालय स्तर पर इनके विकास के लिए विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, जांच उपकरण अनुदान योजना, लघु उद्योग को डी. जी. सैट स्थापित करने पर अनुदान योजना लागू की गई है एवं विक्रय कर प्रोत्साहन योजना को अधिक उदार बनाया गया है। जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रोनिक इकाइयों तथा 100 करोड़ या इससे अधिक विनियोजन वाली इकाइयों को 90% तक विक्रय कर मुक्ति प्रदान की गई है। साथ ही उद्योग स्थापना हेतु आयातित मशीनरी पर विक्रय कर मुक्ति, नयी इकाइयों, विस्तारित इकाइयों द्वारा मशीनें क्रय करने व कच्चे माल पर चुंगी मुक्ति की सुविधा प्रदान की गई है। उपरोक्त सभी सुविधाएं लागू की जा चुकी हैं।

(2) नये उद्योग के लिए राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना 1990 सूची 'क' में अंकित उद्योगों के अतिरिक्त सभी उद्योगों में लागू है।

(3) जी हां। ब्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रियल प्रमोशन की स्थापना हो चुकी है। ब्यूरो में पदस्थापित किये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विषय में निर्णय ब्यूरो द्वारा ही लिया जायेगा। ब्यूरो उद्योग विभाग रीको, राज. वित्त निगम या अन्य विभागों/निगमों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी/कर्मचारी अथवा नयी नियुक्ति करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

(4) रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन/पुनर्चालन पैकेज को प्रचारित किया जा चुका है। पैकेज के विवरण की सूची "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है। इसके अतिरिक्त उद्योग निदेशालय में एक पृथक रुग्ण प्रकोष्ठ की स्थापना एवं जिला स्तर पर रुग्ण इकाइयों की देखरेख के लिये उप समिति के गठन आदि कार्य सम्पादित किये जा चुके हैं। रुग्ण इकाईयों को चिह्नित करने व रुग्णता के कारणों की जानकारी हेतु सर्वेक्षण कार्य चालू है।

(5) अनुसूचित जाति, जन जाति एवं महिला उद्यमियों को उपलब्ध सुविधाएं/सहायता के विवरण की सूची "ग" सदन के पटल पर रख दी गई है। उद्योग निदेशालय में महिला उद्यमियों के विकास हेतु विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

सूची–"क"

उन उद्योगों की सूची जो राज्य पूंजी विनिधान सहायकी के लिए पात्र नहीं हैं :—

1. रोलर आटा मिलों से भिन्न आटा और मसाला मिले, यदि 1981 की जनगणना के अनुसार 20,000 या अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में स्थापित की गई हो।

2. आइस, आइस-क्रीम, कुल्फी, आइस-कैण्डी, आइस-फ्रूट्स, मीठी गोलियां, और ऐरिएटेड वाटर का विनिर्माण।

3. उर्वरक मिश्रण।

4. दर्जीगिरी।

5. औषधि, औषध, टायलेट सामान, कीटनाशी, शाकनाशी, खाद्य उत्पादों और रसायनों को सम्मिलित करते हुए किसी भी माल की रिपैंकिंग।

6. जलाने की लकड़ी और लकड़ी के कोयले का उत्पादन।

7. आरा मिलें, लकड़ी के फर्नीचर की मदें और मुख्य कच्ची सामग्री के रूप में लकड़ी पर आधारित उद्योग।

8. डेयरी दुग्ध चूर्ण और अन्य दुग्ध उत्पादन सिवाय तब के जब इकाइयां सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गयी हों।

9. शराब/अल्कोहल का आसवन, भण्डारण, बोतलीकरण, समिश्रण या निर्माण करने वाली इकाइयां।

10. फ्लाई-एश से बनी ईंटों को छोड़कर सामान्य ईंट और चूना-भट्टे।

11. वस्त्र रंगाई और छपाई।

12. फोटोग्राफिक स्टूडियों।

13. लाउण्ड्री।

14. ब्रेड, बिस्कुट और यंत्रीकृत बेकरी से भिन्न बेकरी उत्पाद तैयार करना।

15. रेस्टोरेन्ट या खान-पान या भोजन के स्थान ।

16. विद्युतोन्मुख इकाई जहां कुल विद्युत उपेक्षाएं संविदा भार के 2500 के. वी. ए. से अधिक हो और जहां विद्युत की लागत विनिर्माण की मदों के उत्पादन की लागत के 25% से अधिक हो ।

17. निम्नलिखित को छोड़कर सेवा इकाइयां:—

(क) इलेक्ट्रो-प्लेटिंग इकाइयां,

(ख) प्रयुक्त स्नेहक तेलों और प्रयुक्त इंजन/मशीन तेलों का परिष्करण/पुन: प्रसंस्करण,

(ग) हीट ट्रीटमेंट/सरफेस ट्रीटमेंट,

(घ) टेस्ट हाउस ।

18. कपास ओटाई और दबाई उद्योग ।

19. राज्य या केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रम ।

सूची–"ख"

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के द्वारा रुग्ण इकाईयों को न्यूनतम चार्जेज एवं विद्युत कटौती के सम्बन्ध में छूट प्रदान की गई है। इकाई को रुग्ण इकाई घोषित करने का प्रमाण-पत्र राज्य सरकार, रीको, राजस्थान वित्त निगम अथवा बी. आई. एफ. आर. द्वारा अनुमोदिन पुनर्जीविकरण सहायता कार्यक्रम के आधार पर दिया जाता है। अब बैंकों एवं केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुमोदित पुनर्जीविकरण सहायता कार्यक्रम के आधार पर भी यह सुविधा देय होगी। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था पर भी विचार करेगी जिससे कि लघु उद्योग इकाइयों को इस प्रकार का प्रमाण-पत्र जिला स्तर पर ही प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त रूग्ण इकाइयों को दो वर्ष तक विद्युत कटौती (पावर कट) से मुक्त रखा जायेगा।

(2) राज्य में रूग्ण इकाइयों का सर्वे कराया जावेगा और प्राप्त नतीजों के आधार पर ऐसी इकाइयों को पुनः स्थापित करने के प्रयास किये जावेंगे तथा रूग्णता के कारणों का पता लगाकर उन्हें हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

(3) जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जायेगा जो कि छोटी औद्योगिक इकाइयों में रूग्णता और उसके निराकरण के सम्बन्ध में योजना बनायेगी और उसकी क्रियान्विति करेगी। यह कमेटी जिला स्तरीय औद्योगिक सलाहकार समिति की सहायक कमेटी के रूप में होगी। राज्य स्तर पर उद्योग निदेशालय में एक पृथक से प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी जो कि रूग्ण इकाईयों की समस्याओं का पता लगायेगा और उनका निराकरण करेगा।

(4) जिन रूग्ण इकाइयों के मामले बी. आई. एफ. आर. में विचाराधीन हैं, उन्हें निम्न सुविधायें स्वीकृत पैकेज के अनुसार पृथक-पृथक मामलों (केस टु केस बेसिस) में गुणाव-गुण के आधार पर दी जायेगीः—

(क) विद्युत शुल्क (इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी) की वसूली पुर्नसंस्थापन/पुन-स्थापन अवधि में 5 वर्ष के लिये स्थगित/स्थगित राशि पर ब्याज जुर्माना व दण्डनीय ब्याज की वसूली से मुक्ति।

(ख) पुनचालन के पूर्व विक्रय कर/क्रय कर/विद्युत शुल्क की बकाया राशि के भुगतान का पुननिर्धारण व ब्याज/जुर्माना दण्डनीय

ब्याज से मुक्त पुनर्स्थापना अवधि में स्थगित राशि पर ब्याज से मुक्ति।

(ग) रुग्ण इकाइयों के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि (सरप्लस लैण्ड) को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत/अधिकारी/संस्था/समिति के माध्यम से बेचान कर प्राप्त धनराशि में से रूग्ण इकाई के पुनर्संस्थापन हेतु अनुमोदित पैकेज के आधार पर ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) रूग्ण औद्योगिक इकाई की भूमि को वित्तीय संस्थानों/बैंकों जिनसे इकाई द्वारा ऋण प्राप्त किया गया है के पास गिरवी रखने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जावेगी।

(ङ) रूग्ण औद्योगिक इकाइयों पर राजकीय विभागों/निगमों की बकाया का भुगतान करने के सम्बन्ध में बैंकों/वित्तीय संस्थानों की प्रत्याभूति दिये जाने पर बल नहीं दिया जायेगा।

(च) रूग्ण औद्योगिक शान्ति निर्बाध आर्थिक विकास हेतु प्रबन्धकों एवं श्रमिकों के मध्य राज्य सरकार (श्रम विभाग/विधि विभाग) के माध्यम से उचित समझौता कराने में सहायता प्रदान की जायेगी।

(5) छोटी रुग्ण इकाइयों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिसे राजस्थान वित्त निगम द्वारा एक एकल सहायता स्कीम तैयार की गई है। जिसमें 5 लाख रुपये तक स्थायी विनियोजन की इकाई में 2·5 लाख रुपये तक स्थाई कार्यशील पूंजी आवश्यकतानुसार रुग्ण इकाइयों को दिलाने का प्रावधान रखा गया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अनुमोदित यह योजना लागू की जाना प्रस्तावित्त है।

(6) रुग्ण इकाइयों को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ यथावत रहेगा।

(7) छोटी रूग्ण इकाइयों के पुनर्वास हेतु मार्जिन मनी ऋण योजना पूर्व में ही लागू है इसके अन्तर्गत और अधिक इकाइयों को लाभ पहुंचाया जायेगा। इसके लिये अधिक धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

सूची "ग"

(क) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों को उद्योग लगाने के लिये विशेष सुविधायें दी जा रही है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम द्वारा अपने क्षेत्रों में 4,000 वर्गमीटर तक के प्लाटों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को 50 प्रतिशत तक की रियायत दी जाती है। इस श्रेणी के उद्यमियों को राजस्थान वित्त निगम द्वारा 1 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज में 2 प्रतिशत तक की रियायत दी जाती है और मार्जिन मनी भी 25 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत रखी जाती है अपनी प्रोसेसिंग फीस में भी राजस्थान वित्त निगम इस श्रेणी के उद्यमियों को 50 प्रतिशत तक की रियायत देता है। स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के लिये 30 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है। इसी प्रकार गृह उद्योग योजना में भी इस श्रेणी के उद्यमियों को प्राथमिक दी जाती है।

(ख) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ऐसी श्रेणी के उद्यमियों की बिजली का कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायेगी।

(ग) जन जाति उपयोजना क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों में उद्योगों को राजस्थान वित्त निगम द्वारा ब्याज की दर में 0·5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ब्याज की यह छूट राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम द्वारा विकसित क्षेत्रों में लगने वाले उद्योगों को भी देय होगी।

(घ) जन जाति उपयोजना क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों में औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम 10 प्रतिशत तक हिस्सा पूंजी देता है।

(ङ) अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा लगाये जाने वाले उद्योगों में 10 प्रतिशत तक हिस्सा पूंजी विनियोजन हेतु एक पृथक से हिस्सा पूंजी कोष की स्थापना की जायेगी।

(च) अधिक से अधिक महिला उद्यमियों को स्त्री शक्ति एवं महिला उद्यमी निधि योजनाओं एवं गृह उद्योग योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा। महिला उद्यमियों के लिए पृथक से उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाये जायेंगे और ऋण स्वीकृति व औद्योगिक भूखण्ड आबंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षित महिला उद्यमियों को विशेष गुण सुविधा दी जायेगी। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम महिला उद्यमियों को भूमि की कीमत में छूट देने पर विचार करेगा।

एन्टी रेबिक वेसाइन (ए. आर. वी.) का प्रदाय

415. श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि एन्टी रेबिक वेसाइन (ए. आर. वी.) पशु चिकित्सालयों व पॉली क्लीनिक में सप्लाई नहीं होते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वेक्सीन-पशु चिकित्सालयों व पोलीक्लीनिक में निःशुल्क सप्लाई होनी चाहिये ? यदि हां, तो इनके सप्लाई की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

(3) किस जिले में कौन-कौन से पशु, कितनी संख्या में रेबीज से मरते हैं ?

(4) क्या यह सही है कि पिछले 2-3 वर्षों में पशु चिकित्सालयों पोलीक्लिनिक व सब डिवीजन मोबाइल सर्जिकल यूनिटों में बढ़ोतरी हुई है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस वृद्धि से पहले इन्हें दवाइयों हेतु राशि अधिक आवंटित होती थी ? यदि हां, तो औसतन कितनी-कितनी राशि और अब कितनी आवंटित होती है ?

(6) क्या पशु चिकित्सालयों आदि की वृद्धि के अनुसार दवाइयों के बजट में वृद्धि की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भविष्य के लिये सरकार की क्या अभिमंशा है ?

(7) क्या यह सही है कि चल पशु चिकित्सालय व पशु चिकित्सालय को समान मात्रा में मेडिसन उपलब्ध कराई जाती है जबकि चल चिकित्सालय के अन्तर्गत उप-केन्द्र भी आते हैं ? यदि हां, तो चल चिकित्सालयों को उनके उप-केन्द्रों की संख्या के आधार पर अधिक मात्रा में दवाई वितरण के निर्देश सरकार देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मांग प्राप्त होने पर एन्टी रेबिक वैक्सीन पशु चिकित्सालयों व पोलीक्लिनिकों को भी सप्लाई किये जाते हैं।

(2) जी नहीं। केवल पशु चिकित्सालय पोलीक्लिनिक जयपुर व अजमेर नगर पालिका क्षेत्र में निःशुल्क देने का प्रावधान है जहां रेबीज नियंत्रण योजना केन्द्रीय वित्तीय सहायता से चल रही है।

(3) उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्य में रेबिज से कुल 113 पशुओं के मरने की सूचना प्राप्त हुई है। पूर्ण विवरण संलग्न सूची "क" में दर्शाया गया है।

(4) जी हां। गत तीन वर्षों में 399 पशु चिकित्सालय, 2 पोलीक्लिनिक, 10 सब-डिवीजनल मोबाइल यूनिट एवं 6 भ्रमणशील शल्य चिकित्सा एवं बांझ निवारण इकाई की वृद्धि हुई है।

(5) केवल पशु चिकित्सालयों के दवाइयों के बजट में कमी हुई, अन्य संस्थाओं में नहीं। पूर्व में प्रत्येक चिकित्सालय को

(पशुपालन मंत्री)

औषधि क्रय हेतु औसतन 8000/- रुपयों का बजट दिया जाता था जो कि वर्तमान में 4000/- रु. रह गया है।

(6) जी हां। पशु चिकित्सालयों की संख्या में वृद्धि के साथ दवाइयों के बजट में भी वृद्धि हुई है।

(7) जी, नहीं। चल पशु चिकित्सा इकाई का मुख्य कार्य केवल टीकाकरण ही होने के कारण चिकित्सालय के मुकाबले दवाइयों हेतु इस इकाई को अधिक बजट दिया जाना सम्भव नहीं है।

सूची "क"

रेबीज से मृत पशुओं की जिलेवार एवं किस्म वार सूची

क्र. सं.	जिला	ग्राम का नाम	पशु की किस्म				कुल योग
			कुत्ते	ऊंट	गाय	भैंस	
1.	जयपुर	महापुरा, झाई	2	—	—	—	2
2.		नागल, कोजू	1	—	—	—	1
3.		दौलतपुरा	1	—	—	—	1
4.	चूरू	खेजड़ा	22	21	1	1	45
5.		आसपालसर	2	5	2	1	10
6.	झालावाड़				54		54
							113

तारांकित प्रश्न संख्या 416

(स्थगित)

राजस्थान टेनरीज, टौंक के श्रमिकों का समायोजन

417. श्री रामनारायण बैरवा (निवाई): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजस्थान टेनरीज उपक्रम, टौंक को रुग्ण इकाई घोषित कर दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार अब इस यूनिट को प्राइवेट सैक्टर में देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि रुग्ण इकाई के समस्त कार्यरत स्टाफ को समायोजित करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इकाई को रुग्ण, घोषित नहीं किया गया है।

(2) जी हां। इकाई को एक अप्रवासी भारतीय श्री कृष्ण कौशल को दिये जाने का अनुबन्ध दिनांक 12-3-91 को सम्पन्न किया जा चुका है। इकाई का सम्पूर्ण हस्तांतरण 6 माह में हो सकेगा।

(3) इकाई के कार्यरत 151 कर्मचारियों में से 22 कर्मचारियों को अन्य विभागों/राजकीय उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति/समायोजन पर भेजा जा चुका है जिसकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। शेष सभी कर्मचारियों को उनकी वर्तमान सेवा शर्तों तथा वेतनमानों पर अप्रवासी भारतीय श्री कौशल इसी कम्पनी में नियुक्ति देंगे। जो कर्मचारी इस कम्पनी में कार्य के इच्छुक नहीं होंगे, राज्य सरकार द्वारा निर्देशित छंटनी भुगतान कर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

परिशिष्ट "क"

राजस्थान स्टेट टेनरीज़ लि. के कर्मचारी जिनका समायोजन/प्रतिनियुक्ति, अन्य उपक्रमों/विभागों में हुआ।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	विभाग का नाम जहां समायोजन हुआ
1	2	3
1.	श्री एस. एल. खण्डेलवाल, सहायक प्रबन्धक (लेखा)	रीको, जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर।
2.	श्री अमिताभ बोहरा, प्रोडक्शन सुपरवाइजर	जिला उद्योग केन्द्र, जैसलमेर प्रतिनियुक्ति पर।
3.	श्री जोसिफ जोन, स्टेनोग्राफर	सेंटर फार एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जयपुर प्रतिनियुक्ति पर।
4.	श्री राजन एस., स्टेनोग्राफर	राजस्थान स्टेट वाटर रिसोर्सेज डवलपमेंट कारर्पोशन, जयपुर।
5.	श्री पी.सी. मल्होत्रा, स्टेनोग्राफर	राजकीय उपक्रम विभाग में प्रतिनियुक्ति पर।
6.	श्री एस. एम. वर्मा, कैशियर	राजस्थान पुल एवं निर्माण निगम, टौंक में प्रतिनियुक्ति पर।
7.	श्री बी. आर. सचदेवा, जूनियर असिस्टेन्ट	राजस्थान पुल एवं निर्माण निगम, जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर।
8.	श्री सी. आर. प्रेमानन्दन, स्टेनो-टाइपिस्ट	राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ लि., जयपुर।
9.	श्री टी. एम. बुडानिया, सहायक टाइमकीपर	राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ लि., जालौर।
10.	श्री डी. सी. भोमिक, जूनियर असिस्टेंट	राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ लि., जयपुर।

1	2	3
11.	श्री एल. के. सक्सेना, जूनियर असिस्टेंट	राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ लि., जयपुर।
12.	श्री आर. एस. यादव, जूनियर असिस्टेन्ट	राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ लि., गंगानगर।
13.	श्री ए. एस. राजावत, जूनियर असिस्टेन्ट	राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ लि., गंगापुर सिटी।
14.	श्री एस. एस. सिमलोट, जूनियर असिस्टेन्ट	गंगानगर शुगर मिल्स लि. अजमेर।
15.	श्री छोटूलाल, वाहन चालक	जवाहर कला संस्थान, जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर।
16.	श्री एस. डी. नाई, च. श्रे. क.	राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ लि., गंगापुर सिटी।
17.	श्री गगन कुमार, च. श्रे. क.	सेन्टर फार एग्रीकल्चर मार्केटिंग सेन्टर, जयपुर।
18.	श्री मोहनलाल, च. श्रे. क.	सेन्टर फार एग्रीकल्चर मार्केटिंग सेन्टर, जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर।
19.	श्री मदनलाल, च. श्रे. क.	सेन्टर फार एग्रीकल्चर मार्केटिंग सेन्टर, जयपुर।
20.	श्री आर. के. सक्सेना, च. श्रे. क.	राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ, बीकानेर।
21.	श्री प्रभुदयाल, च. श्रे. क.	राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ, गंगानगर।
22.	श्री सीताराम, च. श्रे. क.	राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ, गंगानगर।

सिंचाई हेतु प्रस्तावित नर्मदा परियोजना

418. श्रीमती रमा पायलट (हिण्डौली), **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या सिंचाइ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

बाड़मेर व जालौर जिले में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने हेतु प्रस्तावित नर्मदा परियोजना की क्या प्रगति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रस्तावित नर्मदा परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग से अभी अपेक्षित हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 7 मार्च, 1991)

कोटा व बून्दी जिले के वन क्षेत्र में अवैध खानें

208. श्री हुक्माराम मेघवाल (सिवाना), **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) क्या यह सही है कि कोटा एवं बून्दी जिले के वन क्षेत्र में कई अवैध खानें चल रही हैं ? यदि हां, तो विवरण निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखें।

वन क्षेत्र का नाम, खनन करने वाले का नाम, क्षेत्रफल, कब से, किसकी सहमति से।

(2) क्या उक्त अवैध खनन को रोकने हेतु सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कोटा एवं बून्दी जिले के वन क्षेत्रों में चल रही खानों का वांछित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

फलौदी लिफ्ट सिंचाई योजना

419. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) क्या यह सही है कि सन् 1984 में फलौदी लिफ्ट सिंचाई योजना का राज्य सरकार ने निर्माण हेतु शिलान्यास किया था ?

(2) इस शिलान्यास के पश्चात् इस लिफ्ट नहर पर क्या कार्य किया गया और इस पर कितना व्यय हुआ ?

(3) वर्ष 1990-91 में इसके निर्माण हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान था ?

(4) क्या सरकार इस अकाल ग्रस्त क्षेत्र को इस संकट से मुक्ति दिलाने हेतु इस निर्माण कार्य को उच्च प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) माह फरवरी 91 तक इस लिफ्ट नहर पर निम्न कार्य किये गये हैं—

(अ) मिट्टी का कार्य 885.76 हजार घन मीटर।

(ब) नहर निर्माण हेतु सड़क का निर्माण–33 कि.मी.।

(स) कुल व्यय–458.86 लाख।

(3) वर्ष 1990-91 में फलौदी लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण हेतु 100 लाख रुपये की धनराशि का बजट प्रावधान था।

(4) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण कार्यों को गति प्रदान करने हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निर्माण कार्य सम्पादित किया जाता है।

रेलमगरा, सकरावास एवं कुरज (रेलमगरा) पटवार सर्किलों की गोचर भूमि पर अनधिकृत कब्जे

420. श्री शान्तीलाल (राजसमन्द): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) रेलमगरा तहसील के पटवार सर्किल, क्षेत्र रेलमगरा, सकरावास एवं कुरज में दिनांक 1-4-1985 से गोचर भूमि पर बिलानाम किन-किन लोगों ने अनधिकृत कब्जा किया है?

(2) किस व्यक्ति ने कब-कब कितनी-कितनी आराजी काश्त भूमि पर कब-कब कब्जा किया? तीनों ही पटवार सर्किल क्षेत्र में कितनी भूमि गोचर हेतु उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रेलमगरा तहसील के पटवार सर्किल क्षेत्र में रेलमगरा, सकरावास एवं कुरज में दिनांक 1-4-85 से बिलानाम, गोचर भूमि पर जिन-जिन लोगों ने अनाधिकृत कब्जा किया है उनकी सूची (परिशिष्ट "क") सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिन-जिन व्यक्तियों का जब से जितने क्षेत्र में बिलानाम/गोचर भूमि पर कब्जा है, उनका विवरण (परिशिष्ट "क") के साथ संलग्न सूची में अंकित है। तीनों पटवार सर्किल में उपलब्ध गोचर का विवरण दर्शाने वाली सूची (परिशिष्ट 'ख') सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

उदयपुर जिले के रासायनिक उद्योगों से प्रदूषण

421. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) उदयपुर जिले में कौन-कौनसी फैक्ट्री कब-कब से रसायन पैदा कर रही है, तथा कौन-कौनसी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं?

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

(2) क्या उक्त रसायन फैक्ट्रियों से जल प्रदूषण, कैंसर, अस्थमा इत्यादि बीमारियों से व्यक्ति पीड़ित हुए हैं, तथा कृषि भूमि भी प्रदूषण युक्त हो गई है ?

(3) उक्त रसायन फैक्ट्रियों को राजस्थान प्रदूषण निवारण मण्डल ने कब-कब स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया ?

(4) राज्य सरकार ने उक्त रसायन फैक्ट्रियों से फैले प्रदूषण की रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त फैक्ट्रियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल से प्राप्त सूचना के अनुसार उदयपुर जिले में 13 वृहत्/मध्यम श्रेणी के उद्योग रसायन उत्पादन करते हैं जिनमें से 2 उद्योग वर्तमान में बंद पड़े हैं। उद्योगों के उत्पादनरत होने का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उदयपुर जिले में बिछड़ी गांव के समीप पूर्व में कार्यरत दो रसायन उद्योगों जो कि एच. एसिड का निर्माण कर रहे थे एवं वर्तमान में बंद है के उच्छिष्ठ के कारण आस-पास के कुओं का जल प्रदूषित हुआ है। उक्त रसायन फैक्ट्रियों से कैंसर, अस्थमा इत्यादि बीमारियों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है। केवल बीछड़ी ग्राम की कृषि भूमि प्रदूषण युक्त हुई है।

(3) परिशिष्ट "अ" पर दिये गये विवरणानुसार 13 उद्योगों में से 4 उद्योगों को मण्डल द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था की उपयुक्तता के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया एवं उनमें से एक उद्योग (मैसर्स ज्योति केमिकल्स) का अनापत्ति प्रमाण-पत्र मंडल द्वारा, उत्पाद बदलने के कारण बाद में निरस्त कर दिया गया। जबकि आठ उद्योग सरकार द्वारा मंडल को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के अधिकार देने से पूर्व से ही कार्यरत थे एवं शेष एक उद्योग ने उत्पादनरत होने से पूर्व मंडल से प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की उपयुक्तता के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया।

(4) जल प्रदूषण करने वाले मध्यम/वृहत् श्रेणी के 5 उद्योगों ने पूर्ण उपचार व्यवस्था स्थापित कर ली हैं एवं 3 उद्योगों में उपचार की आंशिक व्यवस्था है तथा 3 उद्योगों ने शून्य निस्त्राव की स्थिति प्राप्त कर ली हैं। शेष दो उद्योग बन्द पड़े हैं। इसी प्रकार वायु प्रदूषण करने वाले 8 उद्योगों ने वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पूर्ण व्यवस्था कर ली हैं व दो उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण की आंशिक व्यवस्था है। तथा एक उद्योग ने अभी अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है उत्पादन शुरू करने के बाद नियंत्रण उपकरणों की सार्थकता की जांच की जायेगी शेष दो उद्योग बन्द हैं। मण्डल द्वारा उद्योगों का समय-समय पर निरीक्षण कर प्रदूषित जल एवं वायु के नमूने एकत्रित किये जाते हैं एवं इन नमूनों की मण्डल प्रयोगशाला में

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

जांच की जाती है। जांच के निष्कर्ष के आधार पर उद्योगों को उचित दिशा-निर्देश किये जाते हैं। एवं परिशिष्ट "अ" के अनुसार कानूनी कार्यवाही की गई।

(5) जी हां। मण्डल जल एवं वायु प्रदूषण फैलाने वाले दोषी उद्योगों के विरुद्ध जल अधिनियम 1974 एवं वायु अधिनियम 1981 के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहा है। जल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत मैसर्स सिल्वर केमिकल्स के विरुद्ध एक परिवाद एवं एक प्रार्थना पत्र मुख्य दण्डनायक, उदयपुर के समक्ष दायर किये गये हैं। इसी प्रकार वायु अधिनियम 1981 के अन्तर्गत दो उद्योगों के विरूद्ध परिवाद दायर किये गये हैं।

(400)

परिशिष्ट 'अ'

उदयपुर जिले में रसायन पैदा करने वाली वृहत मध्यम श्रेणी की फैक्ट्रियों का संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	उद्योग का नाम	उत्पादन/स्थापित क्षमता	प्रारम्भ होने का वर्ष	अनापत्ति प्रमाण की स्थिति	प्रदूषण नियन्त्रण उपचार संयन्त्र की स्थिति		टिप्पणी
					जल प्रदूषण	वायु प्रदूषण	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मै. हिन्दुस्तान जिंक लि., जिंक स्मेल्टर, देबारी, उदयपुर	फास्फोरिक एसिड 2167 मै. टन/माह, सल्फ्यूरिक एसिड 7250 मै. टन/माह सिंगल सुपर फास्फेट 6050 मैं. टन/माह, जिंक इन्गोट्स 4084 मै. टन/माह, केडमियम 21 मैट्रिक टन/माह, सिल्वर 700 कि.ग्रा./माह	1968	प्राप्त नहीं किया (×)	स्थापित	स्थापित	उच्छिष्ठ उपचार संयन्त्र की दक्षता, रख-रखाव ठीक नही होने के कारण उद्योग की जल सम्मति मण्डल आदेश दिनांक 12-11-90 द्वारा निरस्त कर दी गई है। सम्मति निरस्ति आदेश के विरुद्ध उद्योग ने अपीलेट प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर दी जो लम्बित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	मै. हिन्दुस्तान एग्रो केमिकल लि. (एसिड प्लाण्ट) बिछडी, उदयपुर	सल्फ्यूरिक एसिड 125 मैट्रिक टन/दिन	1986	प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणों की उपयुक्तता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मण्डल द्वारा दि. 30-10-85 को दिया गया	स्थापित	स्थापित	उचारित उच्छिष्ठ के कुछ प्रदूषक तत्व मण्डल मानकों की सीमा से अधिक पाये जाने के कारण उद्योग को जल अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है। वायु प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणों का रख-रखाव उचित नहीं होने के कारण एसिडमिस्ड मण्डल मानकों से अधिक पायी गयी जिसके लिए उद्योग को उचित व्यवस्था हेतु निर्देश दिये गये हैं।
3.	मै. उदयपुर फास्फेट एण्ड फर्टीलाईजर्स लि. खेमली, उदयपुर	सल्फ्यूरिक एसिड 100 मै. टन/दिन, सिंगल सुपर फास्फेट 200 मैटिक टन/दिन	1983	प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया (×)	स्थापित	स्थापित	वायु प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणों के पूर्व में मण्डल मानकों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उद्योग के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा वायु अधिनियम, 1981 की धारा 22-अ के अन्तर्गत दायर किया गया। न्यायालय ने सम्मति शर्तों की पालना हेतु निषेधाज्ञा जारी कर दी। वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, सुधार के बाद सही कार्य कर रहे हैं।

(५०२)

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	मै, राजस्थान ग्लेक्सोल लि., एम. आई. ए., उदयपुर	ग्लेक्सोल 40% 100 मै. टन/माह, 2–एम. आई. 20 मै. टन/माह, 2-एम 5-एन. आई. 15 मैट्रिक टन/माह	1980	प्राप्त नहीं किया (×)	आंशिक रूप से स्थापित	स्थापित	उच्छिष्ठ में प्रदूषण तत्व मण्डल मानकों की सीमा के अनुरूप न पाये जाने के कारण उद्योग की जल अधिनियम के अन्तर्गत सम्मति मंडल पत्र दि. 15-3-91 द्वारा निरस्त की गयी। उद्योग के विरुद्ध जल अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।
5.	मै. पेस्टीसाइड्स इंडिया लि., उदयपुर	फोरेट टेक्नीकल 600 मै. टन/वर्ष, इथीयोन टैक्नीकल 50 मै. टन/वर्ष, पेस्टीसाइड फोरमुलेशन 1355 मै. टन/वर्ष	1961	प्राप्त नहीं किया (×)	स्थापित	स्थापित	पेस्टीसाइडस मैन्यूफेक्चरिंग एवं फोरमूलेशन उद्योगों से उत्पन्न उच्छिष्ठ के मानकों का पुनर्निधारण अभी हाल में केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा किया गया है। उद्योग को मण्डल पत्र दिनांक 14-2-91 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि वह तुरन्त अपने औद्योगिक उच्छिष्ठ का उपचार उपरोक्त संशोधित मानकों के अनुरूप करने हेतु उचित उपचार व्यवस्था अपनाये। मुख्य समस्या उद्योग से निकलने वाली बदबू से है। जिसको नियन्त्रित करने के

1	2	3	4	5	6	7	8
							लिए चारकोल बैड ऐनजारवर लगा रखे हैं, परन्तु इनके प्रभावी ढंग से काम न करने के कारण उद्योग को मण्डल पत्र दिनांक 15-11-90 द्वारा उचित व्यवस्था करने हेतु निर्देश दिये गये हैं तदुपरान्त उद्योग ने बदबू नियन्त्रण हेतु एक नई योजना प्रस्तुत की है जिसे क्रियान्वित करने के लिए जून, 1991 तक का समय मांगा गया है।
6.	मै. उदयपुर कैमिकल इण्डस्ट्रीज, रेबारी, उदयपुर	फेरिक एलुमिना 300 मै. टन/माह, सोडियम हेक्सामेटाफास्फेट 10 मै. टन/माह, ट्राई सोडियम	1971	प्राप्त नहीं किया (×)	आंशिक	आंशिक	जल अधिनियम 1974 के अन्तर्गत उद्योग की सम्मति मण्डल पत्र दिनांक 4-2-91 द्वारा उच्छिष्ठ की अपर्याप्त उपचार व्यवस्था होने के कारण निरस्त कर दी गई। उद्योग को जल अधिनियम, 1974 के तहत अभियोजित करना प्रस्तावित है।
7.	मै. जौल इण्डिया लि. उदयपुर	2 मिथाइल एमिडेंजोल 17 मै. टन/माह	1988	उद्योग को प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था की	आंशिक	स्थापित	अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों के अनुसार जल प्रदूषण नियन्त्रण हेतु रिवर्स

(403)

1	2	3	4	5	6	7	8
				उपयुक्तता हेतु मण्डल द्वारा दि. 22-5-87 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया			ओस्मोसिस यूनिट लगाना शेष है। वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु इसमें बायलर से होने वाले प्रदूषण को निर्धारित मानकों के अनुसार उचित चिमनी की ऊंचाई से विस्थापित किया जाता है।
8.	मै. लिबर्टी पेस्टी-साइड्स, एण्ड फर्टीलाइजर्स, लि., उदयपुर	सिंगल सुपर फास्फेट 2500 मै. टन/माह	1978	प्राप्त नहीं किया (×)	शून्य निस्त्राव	स्थापित	वायु प्रदूषण तत्व मण्डल मानकों की सीमा से अधिक होने के कारण उद्योग के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा वायु अधिनियम, 1981 की धारा 22-अ के अन्तर्गत दायर किया गया। न्यायालय ने आदेश जारी कर उद्योग को रुपये 4000/- का आर्थिक दण्ड से दण्डित किया और आर्थिक दण्ड अदा नहीं करने की दशा में 7-7 दिवस के कारावास के आदेश पारित किये। वर्तमान में उद्योग द्वारा पूर्ण वायु प्रदूषण नियन्त्रण प्रणाली स्थापित कर ली गई है।

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	मै. मधुवन कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स, डबोक, उदयपुर	सिंगल सुपर फास्फेट 6000 मै. टन/माह	1982	प्राप्त नहीं किया (×)	शून्य निस्त्राव	आंशिक	उद्योग को वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत अभियोजित करना प्रस्तावित है ।
10.	मै. फास्फेट इण्डिया, बिछड़ी, उदयपुर	सिंगल सुपर फास्फेट 200 मै. टन/दिन	1982	प्राप्त नहीं किया (×)	स्थापित	स्थापित	उद्योग ने वायु अधिनियम, 1981 एवं जल अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत सम्मति हेतु आवेदन किया है जिस पर उद्योग को सम्मति आवेदन-पत्र में पायी गयी कमियों के बारे में सूचित कर दिया गया है ।
11.	मै. श्रुवि कलर-लि., उदयपुर	सिंगल सुपर फास्फेट 1,500 मै. टन/माह	परिक्षण उत्पादन	उद्योग को प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था की उपयुक्तता के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र मण्डल दिनांक 8-4-88 द्वारा दिया गया ।	शून्य	स्थापित (परीक्षण उत्पादन)	उद्योग ने सूचित किया है कि फ्लोराइड स्क्रेबर से उत्पन्न तनु हाइड्रो फ्लोरो सिलिसिस एसिड का कुछ भाग पुनः चक्रण द्वारा काम में लिया जायेगा व शेष को 15% सान्द्रता के बाद अन्य उद्योगों को बेच दिया जायेगा । वायु प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणों की क्षमता की जांच उद्योग के व्यावसायिक उत्पादन में आने के बाद ही की जा सकेगी ।

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मै. सिल्वर कैमिकल्स, बिछड़ी, उदयपुर	एच. एसिड 40 मै. टन/माह	1988	प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया	उद्योग वर्तमान में बन्द		उद्योग वर्तमान में बन्द है। उद्योग के विरुद्ध जल अधिनियम, 1974 की धारा 33 एवं 43, 44 के अन्तर्गत मुकदमें मुख्य दण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर के समक्ष दायर किये गये। न्यायालय द्वारा धारा 33 के अन्तर्गत दायर मुकदमें में आदेश दिनांक 15-6-89 जारी कर जल प्रदूषण पर रोक लगाते हुए निषेधाज्ञा जारी कर दी है। धारा 43–44 के अन्तर्गत दायर परिवाद अभी लंबित है।
13.	मै. ज्याति कैमिकल्स बिछड़ी, उदयपुर	एच. एसिड 20 मै. टन/माह	1988	उद्योग को प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था की उपयुक्तता के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र मण्डल पत्र दिनांक 8-4-88 द्वारा दिया गया जिसको बाद में	उद्योग वर्तमान में बन्द		उद्योग वर्तमान में बन्द है।

1	2	3	4	5	6	7	8
				उद्योग द्वारा उत्पादन बदलने के कारण मण्डल पत्र दिनांक 30-5-88 के द्वारा निरस्त किया गया।			

(×) चिन्हित वह उद्योग हैं जो कि सरकार द्वारा मण्डल को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के अधिकार देने के पूर्व से ही कार्यरत थे।

परिशिष्ट–5

तारांकित प्रश्न संख्या 394 की सूची

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर वर्ष 1990–91 में प्राप्त सीमेन्ट का
का माहवारी विवरण

क्र.सं.	माह	प्राप्त सीमेन्ट (मैट्रिक टन में)	शेष मात्रा (मैट्रिक टन में)
	वर्ष 1989–90 की शेष उपलब्ध मात्रा		18,432.93
1.	4/90	7,684.85	19,922.18
2.	5/90	3,573.20	18,670.78
3.	6/90	841.10	16,609.08
4.	7/90	125.80	15,360.78
5.	8/90	—	14,125.33
6.	9/90	3,482.30	16,148.13
7.	10/90	7,806.10	23,152.28
8.	11/90	2,955.15	24,978.68
9.	12/90	56.30	19,315.83
10.	1/91	3,175.60	16,270.85
		29,700.40	—
11.	2/91 एवं 14 मार्च, 91 तक	19,535.60	—
	कुल :	49,236.66	

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 745 की सूची

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में विद्यमान पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	पशु चिकित्सालय	रिक्त पदों की स्थिति
(1)	पशु चिकित्सालय, सिणधरी	कोई पद रिक्त नहीं है
(2)	पशु चिकित्सालय, सिवाना	1 पद पशुधन सहायक
(3)	पशु चिकित्सालय, मोकलसर	1 पद वी. ए.
(4)	पशु चिकित्सालय, समदड़ी	कोई पद रिक्त नहीं है

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 758 की सूची

वर्ष 1975 से अब तक फलोदी तहसील जिला जोधपुर में निमित्त कार्यों की सूची लागत एवं लाभान्वित भूमि

क्र.सं.	कार्य का नाम	लागत लाखों में	लाभान्वित भूमि बीघों में
1	2	3	4
	सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत निमित्त		
1.	कानजी की सिड़ खडीन	1 475	180.00
2.	लोरड़िया खडीन	1.53	222.30
3.	नाईयावाला खडीन द्वितीय	2.05	147.40
4.	बाप खडीन	2.02	252.37
5.	मदूरवा खडीन	1.29	131.71
6.	मनचिलिया खडीन	1.333	142.00
			1075.78
	मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निमित्त		
1.	राणेरी खडीन	1.40	184.94
2.	लोरडिया खडीन द्वितीय	1.60	154.38
3.	शेखासर खडीन तृतीय	1.693	154.38
4.	ढेलाना खडीन	2.45	231.56
5.	बडीसिड खडीन द्वितीय	6.93	747.18
6.	कुंडल खडीन	5.83	438.43
7.	इन्दो की ढाणी खडीन	3.26	364.25
			2275.12

1	2	3	4
	मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगतिगत कार्य वर्ष 1990–91		
1.	केरला बांध	3.15	337.65
2.	बड़ीसिड खडीन प्रथम	2.19	351.98
3.	खाखटी एनीकट	4.70	271.45
4.	नया गांव बांध	4.70	201.00
5.	बेगटी कला खडीन	4.30	265.53
			1427.61

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 762 की सूची

MINOR IRRIGATION SCHEMES IDENTIFIED FOR FURTHER SURVEY & INVESTIGATIGN THE BASIS OF G.T. SHEET OF JHALAWAR DISTRICT

Sn.	Name of Scheme	Tehsil	Probable Irrigation in ha.	Probable Estimated Cost (Rs. Lacs)	Re-marks
1	2	3	4	5	6
1.	Parlia	Aklera	101	35.00	Scheme
2.	Khanpura	,,	421	147.00	already
3.	Akved Kalan	,,	321	112.00	included
4.	Devkola	,,	83	29.00	Anner 3(6).
5.	Khempura	,,	154	54.00	deleted
6.	Pipaliya	,,	218	76 00	
7.	Pipladi	,,	458	160.00	
8.	Richri	,,	200	70.00	
9.	Ladpuriya	,,	128	45.00	
10.	Rampuriya	,,	193	68.00	
11.	Choldiya	,,	340	119.00	
12.	Bhudwara	,,	142	50.00	
13.	Meraw	,,	142	50.00	
14.	Ankh Kheri	,,	301	105 00	
15.	Pinchola	,,	397	139.00	
16.	Mawasa	,,	206	72 00	
17.	Pachata	,,	741	260.00	
18.	Sehat Kheri	,,	514	180.00	

1	2	3	4	5	6
19.	Laxmipura	Aklera	285	100.00	
20.	Juna Parix	,,	239	84 00	
21.	Tharoli	,,	110	38.00	
22.	Barara	,,	352	123.00	
23.	Thanawad	,,	450	157.00	
24.	Rpmpura	,,	454	159.00	
25.	Patli	,,	210	75.00	
26.	Saruna	,,	469	164.00	
27.	Gadiya Mahesh	,,	341	119.00	
28.	Parliya II	,,	133	47.00	
29.	Manpura	,,	81	28.00	
30.	Amarpura	,,	81	28.00	
31.	Udaipur	,,	81	28.00	
32.	Narapanpura	,,	40	14.00	
33.	Ghalsarax	,,	133	47.00	
34.	Madanpura	,,	40	14.00	
35.	Pipladi	,,	81	28.00	
36.	Gehrekheri	,,	81	28 00	
37.	Balanpura	,,	214	75.00	
38.	Bnerband	,,	40	14.00	
39.	Baroda	,,	173	61 00	
40.	Banskheri	,,	300	105.00	
41.	Bonheri	,,	173	61.00	
42.	Asalpur	,,	81	28.00	
43.	Dadlai	,,	40	14 00	
44.	Baria	,,	133	47.00	

1	2	3	4	5	6
45	Nayagaon	Aklera	40	14 00	
46.	Pirthipura	,,	173	61.00	
47.	Dhinkariya Kheri	,,	288	104 00	
48.	Debli	,,	133	47.00	
49.	Motipura	,,	172	60 00	
50.	Goriya Khera	,,	48	14.00	
51.	Dhamota	,,	40	14.00	
52.	Jhiri	,,	214	75.00	
53.	Jamuniya	,,	173	61.00	
54.	Rupahera	,,	81	28.00	
55.	Khankra	,,	214	75.00	
56.	Khuri	,,	173	61.00	
57.	Bhumriya	,,	133	47.00	
58.	Bandha	,,	469	164.00	
59.	Chachori	,,	469	164.00	
60	Khanpuriya	,,	341	119.00	
61.	Khajuri	,,	214	75.00	
62.	Kangya Kheri	,,	40	14.00	
63.	Rampura II	,,	133	47.00	
64.	Chandipur	,,	81	28 00	
65.	Shorti	,,	81	28.00	
66.	Arjunpura	,,	81	28.00	
67.	Pbut Barod	,,	28	10.00	
68.	Kacharia Khurd	,,	232	81.00	
69.	Borkheri I	Pirawa	28	10.00	

1	2	3	4	5	6
70.	Borkheri II	Pirawa	28	10.00	
71.	Rashulpura	,,	137	48.00	
72.	Chitawa	Khanpur	741	259.00	
73.	Kanwanpura	,,	302	106.00	Deleted
74.	Harigarh	,,	173	61.00	as as
75.	Chandpura	,,	565	198.00	included
76.	Borda	,,	173	61.00	4 Annex
77.	Kakwasa	,,	545	191.00	3(6)
78.	Brank Kheri	,,	204	71.00	
79.	Thikariya	,,	234	82.30	
80.	Chandkera	,,	247	86.00	
81.	Piploda	,,	459	161.00	
82.	Dhanod Khurd	,,	276	97.00	
83.	Dhanod Kalan	,,	567	198 00	
84.	Dundi	,,	151	53.00	
85.	Mayakheri	,,	545	191 00	
86.	Parhaladpura	,,	705	247.00	
87.	Piplod	J. Patan	231	81.00	
88.	Dhawdi	,,	196	69 00	
89.	Girdharpura	,,	93	33.00	
90.	Sati	,,	110	38.00	
91.	Sohankheri	,,	132	64.00	
92.	Anantpura	,,	339	119.00	
93.	Bhawanipura	Pirawa	200	70.00	
94.	Hatiyagor	,,	81	28.00	
95.	Harsinsh ka Khora	,,	856	300.00	
96.	Guroriya Kalan	,,	127	44.00	

1	2	3	4	5
97.	Jajni	Pirawa	40	14.00
98.	Morokheri	,,	40	14 00
99.	Silan Garh	,,	127	44.00
100.	Sarwar	,,	81	28.00
101.	Rampuriya	,,	81	28.00
102.	Kirariya	,,	254	99.00
103.	Develi	,,	127	44 00
104.	Kachro Kheri	,,	294	103 00
105.	Phateh Garh	,,	81	28.00
106.	Mokhampura	Pachpahar	127	47.00
107.	Taika Khera	,,	254	89 00
108.	Deneahya	,,	127	44 00
109.	Lolra	,,	254	89.00
110.	Malikhera	,,	387	135.00
111.	Narayan Khera	,,	641	224.00
112.	Taliya Kheri	Pirawa	214	75.00
113.	Ason Diya	,,	127	44.00
114.	Dhaniya	,,	81	28.00
115.	Dobra	,,	214	75 00
116.	Guraara	,,	254	89.00
117.	Bijrangpura	,,	81	28.00
118.	Palkhanda	,,	173	61.00
119.	Deoli	J. Patan	110	38 00
120.	Semil Kalan	,,	110	38.00
121.	Jitapura	,,	76	27.00
122.	Moliya Kalan	,,	34	12.00
123.	Barkhera Khurd	,,	76	27.00
124.	Ganeshpura	,,	110	38.00

1	2	3	4	5	6
125.	Raipta	Pirawa	214	75.00	
126.	Khejariya Khal	Pachpahar	1451	508.00	
127.	Semrai	Aklera	179	63.00	
128.	Nalodiya	,,	148	52.00	
129.	Lakhariya	J. Patan	76	27.00	
130.	Kutikya	,,	260	91.00	
131.	Salawad Khurd	,,	76	27.00	
132.	Nala	,,	34	12.00	
		G. Total of	29426	10312.00	
			—576	—202.00	
		129 Schemes	28850	10110.00	

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 768 की सूची

संस्थावार सूची

हिस्सा पूंजी राशि मार्च, 1991

1.	राजस्थान क्रय-विक्रय संघ	—	20,000.00
2.	राज्य सरकार	—	23,481,400.00
3.	अजमेर भंडार	—	26,000.00
4.	अलवर भंडार	—	42,000.00
5.	बीकानेर भंडार	—	39,000.00
6.	भरतपुर भंडार	—	39,000.00
7.	ब्यावर भंडार	—	34,000.00
8.	भीलवाड़ा भंडार	—	48,000.00
9.	चूरू भंडार	—	31,000.00
10.	पाली भंडार	—	15,000.00
11.	जोधपुर भंडार	—	46,000.00
12.	सवाई माधोपुर भंडार	—	6,000.00
13.	कोटा भंडार	—	60,000.00
14.	उदयपुर भंडार	—	62,000.00
15.	श्री गंगानगर भंडार	—	30,000 00
16.	श्री विश्वविद्यालय भंडार	—	13,000.00
17.	सीकर भंडार	—	11,000.00
18.	चित्तौड़गढ़ भंडार	—	24,000.00
19.	बूंदी भंडार	—	25,000.00
20.	झुन्झुनू भंडार	—	12,000.00
21.	टौंक भंडार	—	54,000.00
22.	जालोर भंडार	—	5,000.

23.	अजमेर क्रय-विक्रय	—	5,000.00
24.	धोलपुर क्रय-विक्रय	—	5,000.00
25.	बाड़मेर क्रय-विक्रय	—	5,000.00
27.	इटावा क्रय-विक्रय	—	5,000.00
27.	पीपाड़ सिटी क्रय-विक्रय	—	5,000.00
28.	रावतसर क्रय-विक्रय	—	5,000.00
29.	रामगंज मण्डी क्रय-विक्रय	—	5,000.00
30.	मण्डावर क्रय-विक्रय	—	5,000.00
31.	बेगू क्रय-विक्रय	—	5,000.00
32.	कांकरोली क्रय-विक्रय	—	5,000.00
33.	नाथद्वारा क्रय-विक्रय	—	5,000.00
34.	जोधपुर क्रय-विक्रय	—	5,000.00
35.	अलवर क्रय-विक्रय	—	5,000.00
36.	शिवगंज क्रय-विक्रय	—	5,000.00
37.	हिण्डोन क्रय-विक्रय	—	5,000.00
38.	संजीवनी क्रय-विक्रय	—	5,000.00
39.	भीनमाल क्रय-विक्रय	—	5,000.00
40.	नागौर भंडार	—	5,000.00
41.	सरदारशहर	—	5,000.00
42.	बड़ी सादड़ी क्रय-विक्रय	—	5,000.00
43.	महिला भंडार	—	5,000.00
44.	उदयपुर क्रय-विक्रय	—	5,000.00
45.	संगरिया क्रय-विक्रय	—	5,000.00
46.	भीण्डर क्रय-विक्रय	—	5,000.00
47.	अन्ता क्रय-विक्रय	—	5,000.00
48.	बाड़मेर भंडार	—	5,000.00
49.	जयपुर क्रय-विक्रय	—	5,000.00
			2,42,58,400.00

(U२०)

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 781 की सूचना

सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए वित्तीय वर्ष 1990-91 हेतु राशि का आवंटन

क्र.सं.	नाम पुस्तकालय	आवंटित राशि
1	2	3
1.	उप-निदेशक समाज शिक्षा, बीकानेर	—
2.	राजकीय केन्द्रीय पुस्तकालय, जयपुर	375700
3.	रा. सार्व. महाराजा पुस्तकालय, जयपुर	522500
4.	रा. सुमेर मण्डल पुस्तकालय, जोधपुर	470500
5.	रा. सरस्वती भवन पुस्तकालय, उदयपुर	470500
6.	रा. सार्व. मण्डल पुस्तकालय, बीकानेर	440500
7.	रा. सार्व. मण्डल पुस्तकालय, कोटा	352800
8.	रा. सार्व. जिला पुस्तकालय, जालौर	104800
9.	,, ,, नोखा	73800
10.	,, ,, अलवर	113800
11.	,, ,, भरतपुर	113800
12.	,, ,, बिलाड़ा	77800
13.	,, ,, सीकर	115800
14.	,, ,, किशनगढ़	76200
15.	,, ,, झुन्झुनू	105800
16.	,, ,, सवाई माधोपुर	103800
17.	,, ,, टौंक	115300
18.	,, ,, पाली	113800

1	2	3
19.	राज. सार्व. जिला पुस्तकालय, नागौर	93800
20.	,, ,, सिरोही	93800
21.	,, ,, बाड़मेर	103800
22.	,, ,, जैसलमेर	93800
23.	,, ,, चूरू	93800
24.	,, ,, श्रीगंगानगर	93800
25.	,, ,, झालावाड़	123800
26.	,, ,, भीलवाड़ा	94700
27.	,, ,, बांसवाड़ा	114400
28.	,, ,, नाथद्वारा	94400
29.	,, ,, बूंदी	63800
30.	,, ,, डूंगरपुर	63800
31.	,, ,, चित्तौडगढ़	93800
32.	राज. तहसील पुस्तकालय, डीग	59200
33.	,, ,, धौलपुर	77700
34.	,, ,, खेतड़ी	59000
35.	,, ,, बहरोड़	59000
36.	,, ,, बाली	49000
37.	,, ,, शिवगंज	59300
38.	,, ,, बांरा	49400
39.	,, ,, प्रतापगढ़	69800
40.	,, ,, भवानी मण्डी	59000
41.	,, ,, नगर, बीकानेर	22900
42.	,, ,, जोधपुर	44700
43.	,, ,, जयपुर	284000
		5831700

पुस्तकालय में पाठकों की संख्या

क. सं.	नाम पुस्तकालय	पाठकों की सूचना 1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7
1.	केन्द्रीय पुस्तकालय, जयपुर	1600	1475	1680	1551	1832
2.	महाराजा जयपुर	83276	79861	92109	95365	67400
3.	जोधपुर	140575	151797	167350	170000	169320
4.	बीकानेर	28000	88492	99820	115670	92814
5.	उदयपुर	135168	210874	240399	233509	239853
6.	कोटा	31200	40762	92864	95000	92005
7.	अलवर	34852	39483	49884	45383	39483
8.	भरतपुर	88946	100594	103730	104644	88966
9.	बिलाड़ा	28051	38788	39770	42262	38786

1	2	3	4	5	6	7
10.	नोखा	17748	25000	27462	27850	28200
11.	नागौर	50598	92300	62960	70482	58000
12.	गंगानगर	19283	22073	32960	36203	41307
13.	चूरू	53292	55706	62059	53977	53844
14.	बाड़मेर	—	54000	70000	70577	66859
15.	जैसलमेर	56241	55309	56219	55381	51381
16.	सीकर	71401	52340	73765	60530	52346
17.	झुन्झुनू	41909	41236	52802	46560	42236
18.	किशनगढ़	64102	49945	37571	22090	18523
19.	सवाई माधोपुर	91144	80809	66299	59199	51724
20.	नाथद्वारा	29448	31642	35021	34012	28345
21.	सिरोही	81500	100362	109722	88720	88720
22.	चित्तौड़गढ़	77400	126800	126000	89446	79436
23.	टोंक	47477	57052	62217	63514	54200

1	2	3	4	5	6	7
24.	पाली	266464	266886	274646	151687	150380
25.	बून्दी	28706	28929	31711	27954	33949
26.	बांसवाडा	9518	8755	8030	5496	6248
27.	डूंगरपुर	33361	34130	41462	28442	18321
28.	झालावाड़	44888	45323	50323	42569	49514
29.	जालौर	228864	178450	200387	186096	179199
30.	भीलवाड़ा	41950	42557	49514	48718	39130
31.	डीग	18597	19700	22468	18380	16222
32.	धौलपुर	13222	24620	26655	32130	24095
33.	भवानी मण्डी	22768	33000	40000	31320	21360
34.	खेतड़ी	22000	20965	22179	20125	25265
35.	बहरोड़ (अलवर)	13856	15260	15000	32460	15320
36.	बारां (कोटा)	16371	15250	15000	8970	9875
37.	शिवगंज (सिरोही)	9450	11650	12961	34710	19728

1	2	3	4	5	6	7
38.	प्रतापगढ़	30325	20000	40682	19730	19819
39.	बाली	28375	32876	38702	34629	45801
40.	दौसा (जयपुर)	—	1-9-90 से प्रारम्भ			
41.	बाड़ी (धौलपुर)		,, ,,			
42.	रामगंज मण्डी (कोटा)		,, ,,			

बीकानेर

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 783 की सूची

जोधपुर रेन्ज के बालिका विद्यालय में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त द्वि. वे. शृंखला शारीरिक शिक्षिका

सं.सं.	मेरिट नं.	नामा आशार्थी	जन्म तिथि	माध्यम नियोजन/सेवारत	पदस्थापन स्थान	कार्यग्रहण तिथि
1	2	3	4	5	6	7
		सुश्री/श्रीमती		सत्र 1982–83		
1.	—	दमयन्ती शर्मा	2-2-55	सेवारत	रा.बा.मा.वि. मेड़ता शहर (नागौर)	18-8-82
2.	4	खालिदा परवीन	—	सेवारत	रा. बा. उ. मा. वि., चूरू	16-8-82
3.	13	गुरुचरण कौर	4-4-58	नियोजन	रा. बा. उ. मा. वि., जैसलमेर	18-8-82
4.	1	जय श्री	30-9-56	सेवारत	रा.बा.उ.मा.वि., पीपाड़ शहर (जोधपुर)	—
5.	5	कान्ता गोदारा	25-12-56	सेवारत	रा. बा. उ. मा. वि., हनुमानगढ़	15-4-83

(५२७)

1	2	3	4	5	6	7
6.	2	उमा पालीवाल	7-8-58	सेवारत	रा. बा. उ. मा. वि., नोहर	13-4-83
7.	10	मन्जु त्रिपाठी	8-11-56	सेवारत	रा. बा. उ. मा. वि., डूंगरगढ़	15-4-83
8.	3	इन्द्र बाला शर्मा	1-7-56	नियोजन	रा. बा. उ. मा. वि., शिवगंज	16-4-83
				सत्र 1984–85		
1.	1	पदमा गुर्जर	10-12-58	नियोजन	रा. बा. उ. मा. वि., सिरोही	15-2-84
2.	2	सलोचना चौहान	3-3-52	सेवारत	रा. बा. उ. मा. वि., जालौर	20-2-84
3.	3	परवीन टण्डन	5-11-50	नियोजन	रा. बा. उ. मा. वि., बाड़मेर	14-2-84

ह०/–

जोधपुर रेन्ज के बालिका विद्यालयों में नियुक्त द्वि. वे. श्र. शारीरिक शिक्षिक

क्र. सं.	नाम शारीरिक शिक्षिका मय पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	पदोन्नति	वि.वि.
	जोधपुर जिला			
	सर्व श्रीमति/सुश्री			
1.	शकुन्तला भाटी राशशि महाविद्यालय जोधपुर	4-7-39	78-79	
2.	आशा ग्लोरिया राबाउमावि पाली	10-9-40	79-80	
3.	इन्द्राभाटी राबामवि रातानाड़ा	4-10-40	81-82	
4.	प्रेम सोलोमन रामाबावि महामन्दिर	1-11-45	81-82	
5.	बीना शर्मा राबाउमावि सरदारपुरा	1-7-50	82-83	
6.	निर्मला देवी राबाउप्रावि राम महल	7-9-42	83-84	
7.	सोहन वर्मा राबाउमावि पीपाड शहर	3-2-49	83-84	
8.	सरला व्यास राबाउमावि जालोरी गेट	10-2-45	86-87	
9.	स्नेह लता राबाउप्रावि राज महल	4-6-55	90-91	
	सिरोही जिला			
1.	पुष्पा खिची राबाउमावि किसान कन्या	13-10-46	83-84	

1	2	3	4
	जिला जालौर		
1.	उर्मिला पंवार राबाउमावि जालौर	3-1-48	81-82
	जिला पाली		
1.	उषा सोलेमन राबाउमावि पाली	1-4-45	84-85
2.	सूरज कंवर राबाउमावि सुमेरपुर	—	तदर्थ
	जिला बाड़मेर		
1.	रूक्मा परिहार राबाउमावि बालोतरा	3-10-50	84-85
	जिला नागौर		
1.	चन्द्र कान्ता एस. टी. सी. उदयपुर	15-12-35	80-81
2.	उगम कंवर राबाउमावि नागौर	1-7-52	84-85
	जैसलमेर--जिला-शून्य		

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 784 की प्रति

कार्यालय आयुक्त, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक :–शिविरा/संस्था/एफ–1/12240/8/73/11 दिनांक 17-5-82

प्रेषित :–समस्त संयुक्त निदेशक (पुरुष/महिला)
समस्त उप निदेशक (पुरुष महिला)

विषय :–अप्रशिक्षित आशार्थियों को अध्यापक पद पर नियुक्ति दिये जाने बावत।

— — — —

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान शिक्षा-अधिनस्थ सेवा नियम 1971 में हुये संशोधन दिनांक :–1–9–1979 के अन्तर्गत द्वितीय वेतन श्रृंखला में विज्ञान, गणित, वाणिज्य एवं संस्कृत विषय अध्यापकों के पद पर दि. 30-6-80 तक अप्रशिक्षित आशार्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की छूट थी। गत वर्ष राज्य सरकार की सहमति पर इस कार्यालय के तार दिनांक 23-9-1981 के द्वारा अप्रशिक्षित आशार्थियों की नियुक्ति हेतु छूट दी गयी थी।

अब तक भी उक्त विषयों के प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रकरण फिर से राज्य सरकार को 31-12-82 तक अप्रशिक्षित आशार्थियों की नियुक्ति प्रदान करने हेतु नियमों में शिथिलता हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः आपको राज्य सरकार की सहमति प्राप्त होने की आशा में निर्देश दिये जाते है कि गत वर्ष में नियुक्ति अप्रशिक्षित आशार्थियों को सेवा में–राजस्थान सेवा नियम 97 के अन्तर्गत निरन्तर रखी जा सकती हो तो निरन्तर रखी जाये अन्यथा अगले सत्र में प्रशिक्षित आशार्थी उपलब्ध न होने की स्थिति से पुनः नियुक्ति दे दी जाये एवं अगले सत्र में होने वाले रिक्त पदों पर प्रशिक्षित आशार्थियों के उपलब्ध न होने पर अप्रशिक्षित आशार्थियों को नियुक्ति दी जाये। यह छूट फिलहाल दिसम्बर 1982 तक रहेगी।

सही/–
अपर निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

राजस्थान सरकार

क्रमांक: शिविरा/संस्था/एफ-1/12246/7273/1/ दिनांक 24-8-82

आयुक्त
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

उप निदेशक (पुरुष)
शिक्षा विभाग,
उदयपुर।

विषय :–अप्रशिक्षित आशार्थियों को अध्यापक पद पर नियुक्ति दिये जाने के क्रम में।

इस कार्यालय के पत्र समसंख्यक दिनांक 17-5-1982 के द्वारा विज्ञान, कृषि वाणिज्य एवं संस्कृत विषय के प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध न होने की स्थिति में 19 दिसम्बर, 1982 तक के लिये छूट दी गई।

निर्देशानुसार उक्त छूट अब अग्रिम आदेश प्रसारित होने तक के लिये दी जाती है।

ह०
अपर निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

(432)

परिशिष्ट– 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 785 की सूची

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) शिक्षा विभाग पाली (मारवाड) राज.
द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत
विद्यालयों के प्रस्ताव की सूची

सत्र–87-88

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	पंचायत समिति
1	2	3
	सत्र—87-88	
1.	देवली आउवा	मारवाड जक्शन
2.	टूदोड	,,
3.	देवरिया	जैतारण
4.	कुडकी	,,
5.	बलाडा	,,
6.	झूंठा	रायपुर
7.	चिताड	,,
8.	सुमेल	,,
9.	निम्बेडा कला	,,
10.	खारिया नीव	सोजत नगर
11.	सियाट	,,
12.	रानी गांव	रानी
13.	बनाना	सुमेरपुर
14.	पालडी जोड	,,
15.	कोट वालियान	बाली
16.	कोयलवाव	,,
17.	आर्दश नगर पाली	पाली
18.	पुलिस लाइन	,,

1	2	3
19.	बाडी मोहल्ला	बाली
20.	बालिका रोहट	रोहट
21.	बालिका देसूरी	देसूरी
22.	बालिका सोजत रोड़	सोजत
23.	बालिका धान मण्डी	पाली
	सत्र–88-89	
1.	देवली आउवा	मारवाड़ जक्शन
2.	दूदोड	"
3.	भूंठा	रायपुर
4.	कानूजा	"
5.	निम्बेडा कला	"
6.	मुरहाडा	सोजत
7.	खारिया नीव	"
8.	चाडवास	"
9.	सियाट	"
10.	रायरा कला	"
11.	ढालोप	देसूरी
12.	बागोल	"
13.	आना	"
14.	डायलाना	"
15.	चावण्डिया	जैतारण
16	कुडकी	जैतारण
17.	बलाडा	"
18.	चिताड	रायपुर
19.	सुमेल	"

1	2	3
20.	रानी गांव	रानी
21.	बलाना	सुमेरपुर
22.	पालडी जोड	,,
23.	कोट वालियान	बाली
24.	कोयलवाव	,,
25.	भावरी	पाली
26.	आदर्श नगर	,,
27.	पुलिस लाइन	,,
28.	नाडी मोहल्ला	,,
29.	बालिका निमाज	जैतारण
30.	,, रोहट	रोहट
31.	,, देसरी	देसरी
32.	,, सोजत रोड	सोजत
33.	,, धान मण्डी	पाली
34.	,, पैकेज कालोनी	,,

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) पाली से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के प्रस्तावों का विवरण (सत्र-89-90)

क्र. सं.	नाम विद्यालय	क्रमोन्नत	क्र. सं.	नाम विद्यालय	क्रमोन्नत
1	2	3	1	2	3
1.	पालड़ी जोड (सुमेरपुर)		17.	साडी मोहल्ला (पाली)	
2.	बालाना (सुमेरपुर)		18.	आदर्श नगर (पाली)	
3.	देवली आउचा (मारवाड जंक्शन)	क्रमोन्नत	19.	पुरानी कचहरी (पाली)	
			20.	सोजत रोड (सोजत)	
4.	झूंठा (रायपुर)	क्रमोन्नत	21.	निमांज (बालिका) (जैतारण)	क्रमोन्नत
5.	कानूजा (रायपुर)				
6.	खारियानीव (सोजत)		22.	बिरामी (सुमेरपुर)	
7.	चांडवास (सोजत)	क्रमोन्नत	23.	पोमावा (सुमेरपुर)	
8.	सियाट (सोजत)	क्रमोन्नत	24.	लापोद (सुमेरपुर)	
9.	देवरिया (जैतारण)		25.	हुवोड (मारवाड जंक्शन)	
10.	बलाडा (जैतारण)		26.	निम्बहाकला (रायपुर)	
11.	रानी गांव (रानी)	क्रमोन्नत	27.	पोरडावा (सोजत)	
12.	कोरबालियान (बाली)	क्रमोन्नत	28.	रायडकला (सोजत)	
13.	देसूरी (बालिका)	क्रमोन्नत	29.	ढालोक (देसूरी)	
14.	धानमण्डी (पाली)		30.	बागोल (देसूरी)	
15.	पैंकज कालोनी (पाली)		31.	आना (देसूरी)	
16.	पुलिस लाइन (पाली)		32.	दाईलान (देसूरी)	

1	2	3	1	2	3
33.	धरमधारी (रोहट)		39.	माण्डल (रानी)	
34.	कुलथाना (रोहट)		40.	देवडी सोमेशर (राणी)	
35.	लीथडा (देसूरी)		41.	खेंडा (पाली)	
36.	चावण्डिया (जैतारण)		42.	बीमादडा (पाली)	
37.	निम्बोल (जैतारण)		43.	टेमवास (पाली)	क्रमोन्नत
38.	डिगराना (जैतारण)	क्रमोन्नत	44.	भाँवरी (पाली)	

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 794 की सूची

सूची निरीक्षक जो दिनांक 1-4-90 से आदेशों की प्रतीक्षा में रहे हैं

क्र.सं	नाम निरीक्षक	अवधि
1	2	3
1.	श्री भद्रसेन श्रीवास्तव	25-4-90 से 2-5-90
2.	,, सज्जन कुमार ढाका	17-4-90 से 2-5-90
3.	,, माधवराव दारवरेकर	4-5-90 से 4-6-90
4.	,, परसराम चौधरी	21-5-90 से 5-6-90
5.	,, योगेन्द्रसिंह तोमर	4-5-90 से 10-6-90
6.	,, कृष्णस्वरूप दुधानी	4-6-90 से 17-6-90
7.	,, रमेशचन्द्र शर्मा	8-5-90 से 4-7-90
8.	,, जयनारायण दुबे,	9-5-90 से 14-6-90
9.	,, जगदीश प्रसाद शर्मा	1-4-90 से 14-6-90
10.	,, वीरपालसिंह चौहान	14-5-90 से 30-6-90
11.	प्रेमप्रकाश तनेजा	9-5-90 से 2-7-90
12.	,, रामकिशोर शर्मा	10-5-90 से 14-6-90
13.	,, शिवप्रसाद श्रीवास्तव	25-4-90 से 31-7-90
14.	,, लादुराम सिंघवी	25-6-90 से 27-6-90
15.	,, चांदमच राठी	25-6-90 से 27-6-90
16.	,, सन्तोष कुमार गोस्वामी	6-6-90 से 6-7-90
17.	,, दामोदरलाल शर्मा	26-6-90 से 30-6-90
18.	,, सूरजमल यादव	6-7-90 से 23-7-90

(५३८)

1	2	
19.	श्री बाबूलाल	2-6-90 से 23-7-90
20.	,, मोहनलाल भण्डारी	1-8-90 से 21-9-90
21.	,, गोविन्दनारायण वर्मा	1-7-90 से 22-9-90
22.	श्रीमती सरोज शैली	1-7-90 से 22-9-90
23.	श्री पी. पी. तनेजा	3-7-90 से 30-9-90
24.	,, ओंकारसिंह	7-8-90 से 21-9-90
25.	,, सत्यपाल जानू	1-7-90 से 22-9-90
26.	,, कैलाशचन्द कुशवाहा	17-7-90 से 22-9-00
27.	,, विजयबहादुर चौधरी	4-7-90 से 31-10-90
28.	,, जगदीश प्रसाद शर्मा	24-7-90 से 22-9-90
29.	,, गंगाराम चौधरी	27-7-90 से 22-9-90
30.	,, सुखवीरसिंह चौधरी	16-8-90 से 22-9-90
31.	,, हरिमोहन शर्मा	2-8-90 से 30-9-90
32.	,, रामजीलाल शर्मा	19-8-90 से 15-10-90
33.	,, जयनारायण दुबे	22-8-90 से 22-9-90
34.	,, शिवप्रसाद श्रीवास्तव	1-8-90 से 23-9-90
35.	,, शिवदत्त शर्मा	2-9-90 से 23-9-90
36.	,, देवकीनन्दन शर्मा	3-9-90 से 22-9-90
37.	,, श्यामलाल चौधरी	4-9-90 से 22-9-90
38.	,, बाबूसिंह कांवट	10-9-90 से 22-9-90
39.	,, वीरपालसिंह चौहान	1-9-90 से 22-9-90
40.	,, अशोक कुमार जौहरी	31-10-90 से 22-9-90
41.	,, श्रवणराम	28-10-90 से 12-11-90

1	2	3
42.	,, भंवरलाल देवडा	14-11-90 से 27-11-90
43.	,, सत्यनारायण शर्मा	1-10-90 से 30-11-90
44.	,, गोविन्दप्रसाद माथुर	8-11-90 से 30-11-90
45.	,, ओंकार सिंह	13-11-90 से 6-1-90
46.	,, कल्याणसहाय विजय	23-11-90 से 18-1-91
47.	,, पी. पी. तनेजा	1-10-90 से 22-11-90
48.	,, नरेन्द्र कुमार	4-6-90 से 26-6-90

प्रतीक्षारत रहने के मुख्य कारण नियुक्त निरीक्षक को प्रतिनियुक्ति पर सम्बन्धित सहकारी संस्थाओं द्वारा नहीं लिया जाना, कार्यरत निरीक्षकों को संस्थाओं द्वारा बिना स्वीकृति कार्य मुक्त कर देना, समुचित स्थान पर नियुक्ति के लिए लगा समय आदि हैं।

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 803 की सूची

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) बीकानेर द्वारा लेब बॉय के पदों पर दी गई नियुक्तियों का विवरण

क्र. सं.	नाम आशार्थी मय पिता का नाम	नियुक्ति स्थान
1.	सुरेश कुमार/हंसराज	गजसिंहपुर
2.	अनिल कुमार/विध्यासागर	करणपुर
3.	नटवरलाल/रामनाथ	श्री विजयनगर
4.	मौहम्मद सलिम/मौहम्मद इस्माईल	हनुमानगढ़
5.	श्रीमती प्रेमकान्ता/किशोरसिंह	श्री करपुर
6.	दक्षोसचन्द/दीवानचन्द	चुनावढ
7.	श्री गोपालकृष्ण/पैमाराम	फूफाना
8.	चिरंजीलाल/जगदीशप्रसाद	हनुमानगढ टॉ.
9.	पन्नालाल/चकीराराम	अनुपगढ़
10.	अमीचन्द/हरीराम	श्री विजयनगर
11.	मामचन्द/रामलाल	शाहपीनी
12.	मांगीलाल/रामस्वरुप	श्री विजयनगर
13.	दुर्गाशंकर/चतुर्भुज	केशरोसिंह
14.	मौहम्मद युनुस/मौहम्मद हुसैन	पक्कासारना
15.	राजकुमार/भगवानाराम	फोसद
16.	दिनेशकुमार/मगनलाल	रायसिंह नगर
17.	सुरेशचन्द/लक्ष्मीचन्द	हनुमानगढ़
18.	बलवीरसिंह/दीपचन्द	भादरा
19.	रामजीलाल/लेखराम	सादुलशहर
20.	साहिबराम/नानकराम	पीलीबंगा

1	2	3
21.	इन्दुचन्द/किशोरीलाल	रायसिंहनगर
22.	हरिसिंह/हेतराम	गोलूवाल
23.	बिहारीलाल/साहिबराम	रावतसर
24.	फुसराम/नानकराम (अ. जा.)	गु गुलाबसिखान
25.	ओमप्रकाश/लक्ष्मणराम (अ. जा.)	पदमपुर
26.	रामखिलाड़ी मीना/कन्हैयालाल (अ. ज. जा.)	संगरिया
27.	श्रीमती शुशीला खत्री/प्रदीपकुमार	दयानन्द मार्ग, बीकानेर
28.	मदनमोहन खत्रीं/सीताराम	लक्ष्मीनाथ घाटी,बीकानेर
29.	संजीवकुमार/ओंकारकिशोर	दयानन्द मार्ग, बीकानेर
30.	सत्यनारायण/मूलचन्द	कालू (बीकानेर)
31.	मनोहरलाल/हरिया मीणा (अ. ज. जा.)	लूणकरणवर (बीकानेर)

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या 804 का विवरण

ग्राम मरतड़ी में भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा भूमि आवंटन की सूची

क्र. सं.	आवंटी का नाम व पता	आ. नं.	रकबा
1.	श्री जय सिंह पुत्र वागसिंह	748/584	2॥)
2.	,, किशनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह	,,	2॥)
3.	,, जोधसिंह पुत्र माधोसिंह	,,	2॥)
4.	,, गमेरसिंह पुत्र गिरवर सिंह	,,	2॥)
5.	,, शम्भूसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह	,,	2॥)
6.	,, लालसिंह पुत्र छगन सिंह	,,	2॥)
7.	,, छन्नसिंह पुत्र दोलत सिंह	,,	2॥)
8.	,, लालसिंह पुत्र दोलतसिंह	,,	2॥)
9.	,, सादुलसिंह पुत्र लालसिंह	,,	2॥)
10.	,, कन्या पुत्र सुड़ा	,,	2॥)
	योगः—		25)

ह०

तहसीलदार (भू. अ.)

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 806 का विवरण

विधान सभा क्षेत्र केकडी के गत 5 वर्षों की अवधि का धारा 91 का मानचित्र

तहसील केकड़ी

अवधि	पूर्व के शेष	दायर	योग	निस्तारण	शेष
1985	239	1741	1980	1869	111
1986	111	2940	3051	2761	290
1987	290	3048	3338	3066	272
1988	272	2167	2439	3189	333
1989	333	4854	5187	4862	325
1990	325	1744	2069	1006	1063
तहसील सरवाड़:—					
1985–86	11	280	291	285	6
1986–87	6	300	306	271	35
1987–88	35	235	270	245	25
1988–89	25	225	250	200	50
1989–90	50	393	443	428	15

ह०

कलक्टर, अजमेर

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 807 की प्रति

जिला नागौर में रिक्त पटवार पदों की सूची

नाम तहसील	पठवार हल्का	रिक्त दिनांक
1	2	3
1. नागौर	1. आचोणा	1–2–90
	2. बिरलोका	1–7–90
	3. कुचेरा	1–7–90
	4. रोहिणी	1–7–90
	5. कुड़छी	1–7–90
	6. कालड़ी	5–7–90
	7. ताडावास	17–11–90
	8. देऊ	17–11–90
	9. सिणोद	17–11–90
	10. रायधनू	15–12–90
	11. रूण	3–3–91
2. जायल	1. छापड़ा	1–7–90
	2. लोव रिजर्व	1–7–90
	3. आवलियासर	7–12–90
3. मेड़ता	1. सातलास	1–7–90
	2. मेडास	17–11–90
	3. हरसोलाव (अ)	17–1–91

1	2	3
4. डेगाना	1. ईडवा	17–1–90
	2. खेरवा	11–1–91
	3. बंरवला	20–1–91
	4. हरसौर	1–2–91
5. परबतसर	1. मनाणा	1–9–89
	2. नांदोली भेड़.	2–2–90
	3. मैयाकलां	6–3–90
	4. मकराना	6–7–90
	5. चाण्डी	13–7–90
	6. खानपुर	17–11–90
	7. बाजवास	17–11–90
	8. बोरावड़	17–11–90
	9. कुराड़ा	17–11–90
	10. देवली	4–12–90
	11. सूथली	15–1–91
	12. पीलवा	2–2–91
6. नावां	1. शिम्भुपुरा	25–8–89
	2. खाखड़की	1–6–90
	3. कुचामन	1–8–90
	4. मण्डावरा	1–9–90
	5. रूपपुरा	1–10–90
	6. हुडोल	3–10–90
	7. लालास	24–11–90
	8. हिराणी	7–12–90
	9. लिचाणा	7–12–90
	10. लोवजरवं	11–12–90

1	2	3
7. डीडवाना	1. कालोट	7–7–89
	2. पोडवा	7–7–89
	3. खाखोली	1–7–99
	4. डीडवाना	1–7–90
	5. दौलतपुरा	1–7–90
	6. डाबगांव	17–11–90
	7. लिवरिजर्व	17–11–90
8. लाडनूं	1. बल्दू	8–11–89
	2. लाडनूं	10–7–90
	3. ओडिट	16–7–90
	4. बाकलियां	19–11–90

ह०
कलक्टर (यू० अ०)
नागौर

पं०४७

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 355 की सूची

पंचायत समिति बेगूं के नाजायज कब्जों की सूची जिनमे विगत 15 सालों से अधिक समय से कृषि हो रही है। तहसील कार्यालय बेगूं जिला चित्तौड़गढ़

क्र.सं.	नाम अतिक्रमी	मौजा	अतिक्रमण का विवरण आ.न.	रकब (बीघों में)	अतिक्रमण का समय
1.	श्री तुलछा/कालू खटीक नि. बड़लियास	मोतीपुरा	275	5.07	15 सालों से
2.	श्रीप्रताप/भूराकुमावत नि. राजगढ	रतनपुरा	44,45,46	9.05	,,
3.	श्रीकालू/लछीराम गूजर नि. लुहारिया	लुहारिया	393,394 395,396	7.12	,,
4.	श्रीभेरू/गोकल गूजर नि. दुगार	दुगार	89,91, 98	22.08	,,
5.	श्रीभेरू/बेणा गूजर नि. दुगार	दुगार	146,	5.00	,,
6.	मांगीलाल/भुवाना गूजर नि. सहाड़ा	सहाड़ा	94,95	11.07	,,
7.	श्रीसम्मत/कालूलाल महाजन नि. पारसोली	लोहारिया	500,	15.00	,,
8.	श्रीभवरलाल/बालू कुम्हार नि. रायती	रायती	887,888 889	7.15	,,
9.	श्री भेवरलाल/हीरा धाकड़ नि रायती	रायती	982,983 984,988	7.10	,,
				91.04	

ह०
तहसीलदार
बेगूं